(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

ग्रंक 6) सप्तम विधान सभा के षष्ठम् सत्र का ग्रट्ठाइसवां दिवस (संख्या 20

बुधवार,

दिनांक 16 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 1 श्री रघुवीर सिंह कौशल।

बारां तहसील में भूमि के बंटवारे के प्रस्तुत मामले

534. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

"प्रशासन गांवों की ग्रोर" ग्रन्तर्गत बांरा तहसील में भूमि के बंटवारे के कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए ग्रौर कितने मामलों में बंटवारा सम्पन्न किया गया ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : "प्रशासन गांवों की ग्रोर" राजस्व ग्रभियान में तहसील बारां में कृषि भूमि बंटवारा के 159 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ग्रौर इनमें से 105 मामलों का बंटवारा सम्पन्न किया गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ग्रध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं ग्राया।

श्री अध्यक्ष : कृपया दुबारा पढ़ दें।

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : "प्रशासन गांवों की ग्रोर" राजस्व ग्रभियान में तहसील बारां में कृषि भूमि बंटवारा के 159 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ग्रौर इनमें से 105 मामलों का बंटवारा सम्पन्न किया गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि ऐसे जो बंटवारा होता है उनमें स्टाम्प ड्यूटी क्या लगाई जाती है ? ग्रध्यक्ष महोदय, स्टाम्प ड्यूटी पर कई ग्रादेश निकाले जा चुके हैं। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस पर स्टाम्प ड्यूटी क्या है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, जो ग्रापसी बंटवारे के केसेज हैं, सहमति के ग्राधार पर जो बंटवारे किये जाने के केसेज सामने ग्राये हैं, ग्रलग-ग्रलग जमीनों पर बंटवारे किये गये हैं उनसे पांच रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंन्ट लिखवाया गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ग्रध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को शायद जानकारी होगी इस सम्बन्ध में कई परिपत्र निकाले जा चुके हैं, एक परिपत्र में पांच रुपये हैं ग्रौर दूसरा जो एक डी. ग्रो. लेटर है उसमें लिखा है D.O. Letter No F. 5 (21) Rev (gr) 4/81 Dated 22nd Jan. 1983 ka hai-" The same due as on the conveyance (no. 23) for the amount or value of the separated share or the property :—

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

यानि एक हिस्से की कीमत पर ड्यूटी लगाई और एक पर लगान का पांच गुना यह आपकी जानकारी में होगा, मैंने आपको लैटर बताया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, यदि कोटा जिले........

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्ट आदेश निकाल दीजिये, सभी परिस्थितियों को देखकर अन्तिम आदेश निकाल दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यही मैंने निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नंदलाल मीणा।

प्रश्न संख्या 535

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल आर्य व श्री दाऊदयाल जोशी

पंचायत समिति, इटावा क्षेत्र में भू-समतल के लिये किये गये कार्य

536. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा क्षेत्र में वर्ष 1966-67 से 1973-74 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा भूमि विकास बैंक इटावा से ऋण लेकर भूमि समतल कराई गई थी, जिसका कार्य ठीक नहीं होने से किसान ऋण चुकाने में असमर्थ है? यदि हां, तो क्या उस ऋण को माफ किये जाने हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) कुल कितने ऋण को माफ किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(3) उक्त मामले में क्या प्रगति हुई तथा क्या सरकार गरीबों के हित में शीघ्र आदेश प्रसारित करेगी?

सहकारिता मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) जी हां।

(2) रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 50/49/सी. डी. आर/बैंकमोने/78 दिनांक 6-3-80 से इस कार्य हेतु कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक को 2.12 लाख का विशेष अनुदान दिलाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया, इन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 2.12 लाख स्वीकृत किये जाने का मामला विचाराधीन है। यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा? किसानों की जमीनें लेबल नहीं हुई हैं। यह उनको परेशान करने वाली बात है। इसके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछली विधान सभा में आया

Page No 3

(3)

(श्री हनुमान प्रभाकर)

उसमें भी यही बात पूछी थी। रात को यह प्रश्न मेरे सामने आया। इसमें काफी विलम्ब हो चुका है। मैं इस बारे में सहकारी विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों से विचार करूंगा। जल्दी ही कोई रास्ता निकाला जायगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह लोन भूमि विकास बैंक से नहीं मिला लैण्ड डवलपमेन्ट कार्पोरेशन से मिला है। वहां पर लेवलिंग अभी तक नहीं हुआ। किसानों को परेशानियां हो रही हैं। चम्बल कमिश्नर ने जमीन के लेवल पर आपत्ति की है। हर बार यह कहा जाता है कि मामला विचाराधीन है,

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जावे। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या अगले सत्र तक करने के लिए आप आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगले सत्र तक तो आपने काफी लम्बा समय दे दिया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, इस काम को करने के लिए एजेन्सी दूसरी है और लोन देने वाली दूसरी है। जिसने काम नहीं किया क्या आपने उस एजेन्सी के खिलाफ एक्शन लेने के लिये भी लिखा है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : उस विभाग को हमने लिखा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें एक सुझाव है, सरकारी अधिकारी, जिन्होंने जानबूझकर गलती की, पैसा वसूल क्यों नहीं करते ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रावधान कानून में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कानून में प्रावधान बनायें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अगले सत्र तक कोई प्रावधान इसमें कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

दयानन्द कालेज छात्रावास, अजमेर

537. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार को अजमेर स्थित दयानन्द कॉलेज छात्रावास पर लिखे शिलान्यास में त्रुटि होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में कब और क्या कार्यवाही की ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : जी नहीं, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी गलती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि छात्रावास का उद्घाटन कब हुआ और किसने किया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, छात्रावास का शिलान्यास 22 नवम्बर, 59 को हुआ। तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया।

Page No 4

(६)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से, मैं यह जानना चाहती हूं आपने सुखाड़िया साहब का बहुत सम्मान किया, यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर साथ में उनका नाम जोड़ा है, ऐसे व्यक्ति से उद्घाटन कराया उसमें 'उद्घाटन' शब्द तक सही नहीं लिखा जाय तो आप इस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। उसमें शब्द "उद्घाटन" ही गलत लिखा हुआ है। वह सुखाड़िया जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आप इस बात को देखें। इस पर उद्वाटन लिखा हुआ है जिसे 22 वर्षों में आप सही नहीं कर पाये, लोगों ने मुख्य मन्त्री जी और सबको चिट्ठियां लिखी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, आप यह बतायें कि उस पर क्या लिखा है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि माननीय सदस्या ने पूछा था प्रश्न में "क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई थी" शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा दयानन्द कालेज, अजमेर के शिलान्यास में आप त्रुटि बता दें उसको करेक्ट करा लिया जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : यह बड़े खेद की बात है कि इस बीच आपके अपने अधिकारी उस कालेज में इन्सपेक्शन के लिए जाते हैं, आपमें से भी कई वहां समारोह में जाते रहते हैं आपकी नजर नहीं पड़ती।

श्री अध्यक्ष : समारोहों में जाते हैं तो इतना समय नहीं मिलता है कि कुछ देख सकें।

श्रीमती विद्या पाठक : यह सुखाड़िया जी का अपमान है....

श्री अध्यक्ष : लिखा क्या है ? त्रुटि बताइये ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय "उद्घाटन" शब्द के बजाय "उद्वाटन" लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थानी भाषा में ऐसा ही होता है, "पिताजी अजमेर गये," पिताजी "आज मर गये"। त्रुटि ठीक करवा दीजिये, छोटा सा मामला है।

(व्यवधान)

अब कोई प्रश्न नहीं होगा, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मन्त्री जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 22 वर्ष का कोई प्रश्न नहीं है। आप भी यहां थे आप ही करवा देते। । अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मिली है उसके अनुसार कोई त्रुटि नहीं है। माननीय सदस्या ने बताया है तो हम उसको करेक्ट करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामसिंह बिश्नोई।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य ।

ग्रामों को सड़कों से जोड़ना

538, **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में 1981 की जनगणना के अनुसार दो हजार की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो राज्य में ऐसे कितने बड़े गांव अभी तक शेष हैं जो इस योजना के अन्तर्गत सड़कों से जोड़े जायेंगे ?

(3) इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है और उसे कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी नहीं ।

(2 व 3) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसिंह विश्नोई : बजट में आपने प्रावधान किया कि 1981 की जनसंख्या के आधार पर दो हजार की आबादी के गांव हैं वह सड़कों से जोड़ दिये जावेंगे । इस काम को आप कब तक पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया 1981 की जनगणना के आधार पर किया है और मैंने जवाब दिया, "जी नहीं" । 1981 की जनसंख्या के आंकड़े नहीं आये हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने 1971 की जनसंख्या के आधार पर दो हजार की आबादी के गांवों को ...

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह 1981 की जनसंख्या के आधार पर किया है । उसके जिलेवार आंकड़े अभी नहीं आये हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके बड़े-बड़े काम होते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं । आपको प्लान बनाकर बड़े-बड़े गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना चाहिये । आपके पास आंकड़े नहीं हैं, यह बड़ी शर्म की बात है । 1983 शुरू हो गया है 15 महीने हो गये हैं उसके बाद भी आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं । इतने बड़े-बड़े गांव हैं

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : गंगानगर जिले में कालोना ऐसा गांव है जिसकी 2800 की आबादी है 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री चन्द्रवीरसिंह ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि हमारे जिले के 1500 की आबादी के कितने गांव जोड़ दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री राजबहादुर ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लाजिमी है, यह नीति का प्रश्न है । जिन गांवों की 2000 आबादी हो गई है, उनके बारे में क्या नीति है ? वहां कच्चा काम कर दिया गया है, गड्डे खोद दिये गये हैं । आपकी नीति क्या है ? आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि गांव चाहे छोटे हों या बड़े हों, उन्हें सड़क से जोड़ने की क्या योजना है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं और प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा । साधारण सा प्रश्न है, 2000 की आबादी वाले गांवों का इस पर और पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं होगी । पांच प्रश्नों की इजाजत मैंने दे दी । इसका उत्तर दे दीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न । समय काफी हो गया है ।

(व्यवधान)

नियमों की अवहेलना न करें । आप बैठ जायें ।

श्री चेतराम मीणा : 1971 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान में 33 हजार 305 गांव हैं । आपने पूछा इन गांवों में से 1500 से अधिक जनसख्या के 3300 गांव हैं । 1981 में 2035 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया था और चालू वित्त वर्ष में 58 गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है ।

(व्यवधान)

मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग की 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना थी । हमने कहा जो ट्राइबल एरिया है उसमें 1000 की आबादी कर दी जाये, यह माना गया । हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि इस योजना के अन्दर हमको 246 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन योजना आयोग ने सिर्फ 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किये । मैं निवेदन करूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 16.25 करोड़, द्वितीय वर्ष में 16.25 और 1982-83 में 20 करोड़ रुपये रखे और उसके बदले क्रमश: 14.32 14.67, 10.50 और अगले वित्त वर्ष में 12.50 करोड़ रु. मिले । इन वर्षों में हमें 51.99 करोड़ रु. दिये गए । जो 100 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया था उसके अगेंस्ट हमें यह मिला है । हमें उम्मीद नहीं है कि एक वर्ष जो छठी योजना का रह गया है, उसमें पूरी रकम मिलेगी और हम इसको पूरा कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री सुनील बिश्नोई, श्री चन्द्रवीर सिंह ।

श्री त्रिलोकसिंह : मैंने, अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया ।

मैंने यह पूछा था कि सरकार इन गांवों को कब तक सड़कों से जोड़ देगी ।

Page No 7

(7)

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज। श्री चन्द्रवीर सिंह।

पोकरण में मिड–वे बनाना

540. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** :(जैसलमेर) क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर पर्यटन की दृष्टि से राज्य के प्रमुख स्थानों में से एक है।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर पर्यटकों की सुविधा हेतु पोकरण में मिड-वे बनाने की योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो इस मिड-वे का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (**राज्य मन्त्री पर्यटन**) : जी नहीं।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस मिड-वे योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ? दूसरे, निश्चित कौनसी तारीख तक या अवधि तक यह बना दिया जाएगा ? क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग फिरंगी पर्यटकों के लिए जितनी व्यवस्था करता है, उतनी स्वदेशी पर्यटकों के लिए नहीं करता है? तीसरे क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में जैसलमेर में 66,879 स्वदेशी पर्यटक आए और 9082 फिरंगी पर्यटक आए ? चौथे क्या यह सही है कि विभाग ने जो बोर्डिंग व लोजिंग की सुविधायें स्वदेशी पर्यटकों के लिए रखी, वे पर्याप्त नहीं हैं और वे इन सुविधाओं का कोई भी उपयोग नहीं कर सकते ?

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : राजस्थान में बस डिपो खोलने के आधार क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछने से पहले कृपया कम से कम वह पढ़ लिया करें कि प्रश्न क्या है। यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब तक पोकरण मिड-वे पर 73496) रु. व्यय किए जा चुके हैं। वित्तीय साधनों के अभाव में पर्यटन विकास निगम ने इस काम को थोड़ा सुस्त छोड़ दिया था। इस कार्य को 1983-84 में प्रारम्भ करवाकर, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया, 1984-85 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके अन्तर्गत स्टाफ के लिए डार्मीटरी इत्यादि उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरे....

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्न इस प्रश्न की परिधि में नहीं आते। स्वदेशी पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था है, यह इसमें आपने पूछा ही नहीं है। यह समय की बचत का प्रश्न है। जो प्रश्न का दायरा है उसके भीतर ही प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : 66 हजार स्वदेशी पर्यटक आए और उसके अनुपात में केवल 9 हजार फिरंगी पर्यटक। व्यवस्था केवल विदेशी पर्यटकों के लिए की जाए और स्वदेशी पर्यटकों के लिए नहीं की जाए, यह उपयुक्त नहीं है। आज पर्यटन विभाग का जैसलमेर में लाखों रुपया लगा हुआ है एवं देशी पर्यटकों के लिए कुछ न करके केवल विदेशी पर्यटकों पर ध्यान केन्द्रित करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अन्य तरीके से पूछें।

Page No 8

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : क्या एक कमरे का प्रतिदिन का किराया 400) वह देशी पर्यटक अफोर्ड कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री बालचन्द्र आर्यवीर (अनुपस्थित) ।

श्री अनंगकुमार जैन (अनुपस्थित) ।
(कृपया आगे देखें)

गंगाधर तहसील के कृषकों को मुआवजा

541. **श्री हरीश शर्मा**(रामगंज मंडी): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ जिले में रेलवे की डबल लाइन बनने से गंगाधर तहसील के कितने किसानों की जमीन रेलवे लाईन में आई है ? क्या उन किसानों को मुआवजा रेलवे विभाग से दिलाने हेतु कोई प्रयास चल रहा है ?

यातायात राज्य मन्त्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : हां । झालावाड़ जिले में डबल रेल्वे लाइन बनने से गंगाधर तहसील के निम्न ग्रामों के उनके सामने अंकित संख्या में किसानों की जमीन रेलवे लाइन में आई है :—

1. ग्राम लामनदेवरिया	8 किसानों की ।	
2. ग्राम तलावली	23	,,
3. ग्राम कोटिया	59	,,
	90	

इन किसानों को रेल्वे विभाग से मुआवजा दिलाने हेतु कार्यवाही जेरकार है। इन लोगों को धारा 9 राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम का नोटिस देकर व्यक्तिगत सुनवाई भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) झालावाड़ द्वारा कर ली गई है । शीघ्र अवार्ड जारी कर भुगतान करा दिया जावेगा ।

श्री हरीश शर्मा : रेलवे लाइन का काम कब शुरू किया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कार्यवाही कर दी गई है, अवार्ड देना बाकी है ।

श्री हरीश शर्मा : जमीन कितने साल पहले एक्वायर की गई ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जमीन अवाप्त करने की कार्यवाही कर ली गई है, सुनवाई कर ली जैसे ही अवार्ड का नोटिस जारी कर देंगे कि यह अवार्ड किया गया है रेलवे बोर्ड से मुआवजे का भुगतान कराने की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री हरीश शर्मा : अवार्ड कब आएगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह महत्वपूर्ण नहीं है । अगला प्रश्न ।

प्रश्न सं. 542

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के समय निलम्बित कर्मचारी

544. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) गत वर्ष 1982 में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल कितने दिन चली और क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हड़ताल के कारण निलम्बित किए गए कितने कर्मचारी आज भी निलम्बित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हड़ताल के कारणों से कितने लोगों के तबादले किए गए और क्यों ?

ऊर्जा मंत्री, (श्रीमती कमला) : (1) विद्युत मंडल के पांच श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने राजस्थान विद्युत श्रमिक संयुक्त संघर्ष समिति गठित कर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को दिनांक 15-4-1982 को एक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। समझौता अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास असफल रहे। चूंकि मांग पत्र में प्रस्तुत की गई मांगें मान्यता प्राप्त यूनियन–प्रांतीय विद्युत मंडल मज़दूर फैडरेशन से पूर्व में दिनांक 30-10-1980 को हुए समझौते के विपरित थीं, मंडल के लिए इन मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं था। फलतः इन श्रमिक संगठनों से संबंधित कर्मचारियों का एक वर्ग दिनांक 19-5-1982 की रात्रि को 11 बजे से हड़ताल पर चला गया। यह हड़ताल 57 दिन चली।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त हड़ताल के दौरान भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किए गए अपराधों में शामिल होने के कारण 118 कर्मचारी अभी भी निलम्बित हैं। इन कर्मचारियों की वृत/खंडवार सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) ऐसे कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध उनके द्वारा हड़ताल के दौरान विध्वंसात्मक अथवा हिंसात्मक कार्यवाहियों के कारण भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज किए गए थे, को पहले काम पर नहीं लिया गया था। बाद में इनके मामलों पर पुनः विचार कर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमों के निर्णय में समय लगने के कारण इन कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई होगी, ऐसे कर्मचारियों को पुनः कार्य पर लेने तथा उनमें से 48 घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत में रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे, विध्वंसात्मक अथवा हिंसात्मक कार्यवाहियों के संबंध में थे, जिनमें या तो विद्युत मंडल की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट एवम् अभद्र व्यवहार करने के आरोप थे, अतः ऐसे कर्मचारियों को उसी स्थान पर एवम् उसी वृत में रखना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया क्योंकि इससे आपसी तनाव और बढ़ता तथा उन कर्मचारियों के, जो हड़ताल के दौरान में कार्यरत् थे, मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। फलतः ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापन के वृत की बजाय दूसरे वृत में स्थानान्तरित कर दिया गया।

Page No 10

(८)

(श्रीमती कमला)

इस प्रकार के स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या 280 है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न नं. (1) में मैंने विवरण मांगा था लेकिन वह विवरण नहीं दिया गया। जैसी मेरी जानकारी है, मंत्री महोदय ने हड़ताली कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि यदि मेरी अपील पर हड़ताल समाप्त होती है तो किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी। दूसरा यह आश्वासन दिया था कि बिजली कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुसार हड़ताल का वेतन दिया जाएगा। तीसरा आश्वासन यह दिया था कि सभी मुकदमे वापस ले लिए जायेंगे ?

श्रीमती कमला : इस प्रकार का आश्वासन कि सभी मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे, नहीं था। यह आश्वासन जरूर था कि प्रतिशोध की भावना से किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी इस दृष्टि से भी कार्यवाही नहीं की जाएगी कि क्योंकि वह हड़ताल पर गए थे, इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हड़ताल के दिनों में हजारों कर्मचारी हड़ताल पर गये उनमें से सिर्फ 280 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी चूंकि उन लोगों ने हड़ताल के दिनों में मार पीट की और विद्युत बोर्ड की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इसलिये वातावरण दूषित नहीं हो उनका स्थानान्तरण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 43 हजार कर्मचारी हड़ताल पर थे उनमें से सिर्फ 280 लोगों, जिन्होंने कि अपराध किये को ही निलम्बित किया गया व उनके खिलाफ केसेज हुए। तो माननीय सदस्या को एप्रीशियेट करना चाहिये कि जिन कर्मचारियों ने मारपीट की या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, खास तौर से जो अधिकारी वहां पर थे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और विद्युत मण्डल की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जबकि हड़ताल में इतना बड़ा वर्ग था। बोर्ड ने उनके खिलाफ भी ज्यादा कार्यवाही नहीं करके सिर्फ उन लोगों का एक वृत से दूसरे वृत में ही ट्रान्सफर किया।

जहां तक सवाल हड़ताल के दिनों का वेतन देने का है ऐसा कोई निर्णय या आश्वासन उन कर्मचारियों को नहीं दिया गया था मुख्य मन्त्री जी के द्वारा। मुख्य मन्त्री जी ने हड़ताल के दिनों में जो अपील की थी उसको मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पढ़ कर सुना देती हूं, छोटी सी है। "राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रही बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को हड़ताल जनता एवं कर्मचारियों के हित में नहीं है अतः राज्य के विकास के व्यापक हितों में राज्य बिजली बोर्ड के उन कर्मचारियों, जो कि कतिपय लोगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं, अपील करता हूं कि वे अविलम्ब हड़ताल समाप्त करके काम पर लौटें और राज्य के व्यापक विकास कार्य में अपनी भागीदारी की भूमिका निभायें। मैं राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाता हूं

Page No 11

(11)

(श्रीमती कमला)

कि हमारी सरकार उनकी वाजिब मांगों पर समुचित स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करायेगी। यहां यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड द्वारा हड़ताल के संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध कोई बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल के कोटा और अलवर वृत के 280 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। यह क्या आपने उनके प्रति वफादारी निभायी है, या आपने उनके साथ विश्वासघात किया है? राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, मुख्य मन्त्री ने, अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से अपील की और फिर बाद में वह लोग जब उनके कहने में आकर हड़ताल समाप्त करके काम पर आ गये तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे भी बनाये गये, और बदले की भावना से कार्यवाही भी की गयी तो क्या यह, मुख्य मन्त्री जी ने जो अपील की, अपील की भावना के विरुद्ध काम नहीं किया, इसका उत्तर दें। अब आप उन लोगों को कब तक बहाल करके काम पर ले लेंगे?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ क्रिमिनल केसेज चले हैं, जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं और जिनके खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. लॉज हुई उनका ही निलम्बन किया गया। जिनके खिलाफ पुलिस में केसेज दर्ज नहीं थे उनमें किसी को भी निलम्बन नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जो कोई भी ए. ई. एन. और जे. ई. एन. जहां पर थे उन्होंने जो कर्मचारी हड़ताल पर गये थे, उनके विरुद्ध बदले की भावना से पुलिस में मुकदमें दर्ज कराये। मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं। मेरे पास ऐसे दस केसेज हैं जिनके अधिकारियों ने अपने नीचे कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझ कर मुकदमें दर्ज कराये। मैं मेरे हल्के के आदमियों के नाम बता सकता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया, जिन्हें दूसरे वृत्त में भेजा गया था, जिनको निलम्बित किया गया, जिनके खिलाफ मुकदमे भी बनाये गये, वह कौन थे, इसमें कितना अर्सा हो गया?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कई लोग इसके लिये कोर्ट में गये, और कोर्ट ने उनके लिये फैसला भी दे दिया कि यह गलत किया गया है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर दे चुकी हूं। मैंने यह कहा कि सिर्फ 280 कर्मचारियों के निलम्बन की कार्यवाही की गयी। अगर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फैसला हो चुका है तो उसके मुताबिक कार्यवाही हो रही होगी। कोर्ट में जिन केसेज का फैसला नहीं हुआ है उसकी अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय

(श्री अध्यक्ष)

कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा, मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें कि जो कर्मचारी हड़ताल पर थे उन हड़तालों कर्मचारियों, में से कुछ कर्मचारियों का तो ट्रान्सफर किया गया लेकिन क्या उन कर्मचारियों जो हड़ताल पर थे, को उनका रेगुलर वेतन दे दिया गया? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि जिन 280 कर्मचारियों का निलम्बन किया गया उनमें से कितने कर्मचारियों के चालान कर दिये, कितने लोगों के मुकदमें कोर्ट में चल रहे हैं, और कितने मामले अभी तक पुलिस में पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य प्रश्न आपका परिधि के बाहर है।

श्री रतनाराम : अध्यक्ष महोदय, अभी विद्युत मण्डल में जो हड़ताल हुई थी उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान किसानों की फसल खराब होने के कारण हुआ, उसकी विरोधी दल के माननीय सदस्यों को चिन्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका यह प्रश्न परिधि में नहीं है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 280 लोगों को निलम्बन किया गया है। जिनके खिलाफ केसेज चल रहे हैं। जिन्होंने तोड़-फोड़ की कार्यवाही की उनके खिलाफ केसेज हुए हैं और उनका चालान किया गया है इसमें कोई बदले की भावना से काम नहीं किया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : ऐसे कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? अब और कितने केसेज बाकी हैं?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह बताना सम्भव नहीं कि कितनों के खिलाफ केसेज कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में कितने चालान पेश कर दिये गये हैं और कितने केसेज पुलिस में ऐसे पड़े हैं जिनका चालान नहीं हुआ। अब जहाँ तक यह सवाल है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर थे उनको हड़ताल की अवधि और बाद के दिनों का रेगुलर पेमेन्ट हो रहा है या नहीं, उसके लिये मेरा निवेदन है कि वैसे रेगुलर वेतन मिलने लग गया, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट के रूप में वेतन नहीं ले रहे हैं। यह मेरी जानकारी में है कि ऐसे लोग कितने हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके नेता महोदय ने पूछ लिया, फिर क्या बात है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदया ने यह उत्तर दिया कि हमने प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं किया जबकि 40 हजार कर्मचारियों की हड़ताल जो 57 दिन तक चली उनको हड़ताल के दिनों की तनख्वाह नहीं दी गयी। यह बात गलत है। ऐसा किसी भी हड़ताल में नहीं हुआ। अभी पहले जब राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी तो उन लोगों के हड़ताल पीरियड का, उनकी जो अर्न्डलीव थी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उसमें समायोजित किया गया था और उन्हें वेतन बराबर दिया गया है। पर इस हड़ताल में नहीं दी गयी है मैं यह बात कहना चाहता हूं। दूसरी कि एक से दूसरे वृत्त में ट्रान्सफर किये गये हैं। जैसे कोटा का वृत्त है इसमें अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर आते हैं। भरतपुर तो नहीं आता है लेकिन भरतपुर भी शामिल हैं और वहां ट्रांसफर्स किये गये हैं। यह तो उनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो गया तो यह जो इन्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किये गये हैं वे कम से कम आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में तो करावें।

श्रीमती कमला : वृत्त के बाहर ट्रांसफर इस लिये किया गया है, अध्यक्ष महोदय, कि जब हड़ताल हुई थी उस समय वहां पर जो हड़ताल हुई थी उस समय वहां पर जो हड़ताली कर्मचारी थे उनके आपस में झगड़े हुए थे और लोगों में आपस में मन मुटाव था। इसलिये बोर्ड के एस्टेब्लिशमेण्ट ने ऐसा किया। उन लोगों ने बोर्ड की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से यह किया गया। दूसरी बात आपने कही कि 57 दिनों तक हड़ताल रही उसका वेतन नहीं दिया गया और विद्वेष की भावना से ऐसा किया, तो मैं कहना चाहती हूं, ऐसी बात नहीं है, यह तो राज्य सरकार की नीति है कि जितने दिन काम नहीं किया उसका वेतन नहीं दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह हड़ताल 57 दिनों तक रही।

श्रीमती कमला : मेहरबानी करके सुनिये। आप सुनिये तो सही कि जब काम नहीं किया तो वेतन कैसे दिया जा सकता है ? No work no pay इसलिये समायोजित करने का सवाल नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि विद्वेष की भावना से काम नहीं किया लेकिन सही मायने में विद्वेष की भावना से काम किया हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, बदले की भावना से काम किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अर्न्डलीव ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : रतनाराम और श्रीराम सिंह विश्नोई।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : This is the first case in Rajasthan.

ऐसा तो किसी मामले में नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

कृपया शांत रहें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से मैं यह पूछना चाहूंगा कि 40 हजार कर्मचारियों के दो माह तक हड़ताल करने के कारण किसानों को जो करोड़ों रुपयों की क्षति हुई उसकी क्षति पूर्ति के लिए सरकार विद्युत मण्डल से कोई राशि उनको दिलायेगी? दूसरे अध्यक्ष महोदय, 40 हजार कर्मचारियों के काम पर नहीं आने के बावजूद बिजली बोर्ड का काम सुचारु रूप से चल सका, तो क्या विद्युत मन्त्री जी उन 40 हजार एक्सेज कर्मचारियों जिनके कारण भार विद्युत बोर्ड पर पड़ रहा है, नहीं रखने पर विचार कर सकती है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने एक बात कही है उसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहती हूं, जो हड़ताल पर कर्मचारी गये, हालांकि विद्युत मण्डल यह मानता है कि जो भी स्टाफ है वह बहुत ज्यादा तादाद में है, आवश्यकता से अधिक है। किन्तु यह किस समय में उनकी भर्ती हुई, जरूरत से ज्यादा कैसे किये गये यह तो मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए विद्युत मण्डल ने यह निर्णय कर रखा है कि नई भर्ती न की जाय। इसीलिये पिछले तीन साल से कोई नयी भर्ती नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत अधिक कर्मचारी भर्ती हैं। कर्मचारियों को निकालना उनके जीवन को धक्का देने जैसी बात है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते।

दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी हड़ताल पर गये थे उनके लिए यद्यपि यह तो सम्भव नहीं था कि बिना काम के भी वेतन देते फिर भी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हड़ताल के दौरान गये हुए प्रत्येक कर्मचारी को 600 रुपये का ऋण जो दस माह में वसूल किया जायेगा, रिलीफ देने की दृष्टि से दिया गया है क्योंकि उनको उस दौरान में वेतन नहीं मिला था।

तीसरे, आपने वृत्त का कहा। बहुत से कर्मचारी जिनका स्वभाव ऐसा है, मास मेन्टेलिटी के साथ चले जाते हैं, उनका ऐसा आचरण नहीं था उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया रखा गया है और कोई विद्वेष की भावना से बात नहीं की गयी।

(श्रीमती कमला)

जिन्होंने विद्युत मण्डल को नुकसान पहुँचाया, प्रोडक्शन को गिराया उनके लिए आप कहें कि जो सुविधायें वे चाहें वह दी जायें, तो ऐसा तो कोई भी बिजनेस कन्सर्न नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बीच में न बोलें।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो हड़ताल के कारण खेती या फसल को नुकसान हुआ वह तो हुआ ही, साथ ही जैसा रामसिंह जी ने फरमाया, मैं उसकी पुष्टि करता हूं। हड़ताल के समय में बिजली का काम ठीक से चला। मेरे जालौर जिले में एक टावर गिरा दिया था, 10 दिन तक बिजली बंद रही इसमें काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ। दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 77 से 80 तक विद्युत बोर्ड में अंधाधुंध भरती करली....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर....बैठ जायें।

श्री रतनाराम चौधरी : ...बिजली का हमारा पूरा उत्पादन होता है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है। मंत्री जी, यह अन्तिम प्रश्न पूछा था उत्तर देना चाहें तो दे दें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्या, बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों की तरफ से सवाल उठाया गया, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल रही तो हो सकता है इस दौरान बहुत क्षेत्रों में बिजली बिल्कुल उपलब्ध नहीं हुई हो, उसमें अव्यवस्था रही हो और उससे नुकसान हुआ हो। यह एक विचित्र चीज है कि जो बिजली में व्यवधान होता है खास तौर से हड़ताल के दौरान में वह कतई तौर पर नहीं हुआ है। बिजली कुशलता से और नियमित रूप से बिजली की अनडिस्टर्ब्ड सप्लाई उस दौरान में हुई उसको देखते हुए जैसा माननीय सदस्य श्री रामसिंह जी ने कहा कि हड़ताल होने के बावजूद और इतनी एफीशियेन्सी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला)

से काम चल रहा था तो इतनों को रखने की क्या जरूरत है। तो मैंने यही कहा कि मानवीय दृष्टिकोण रखना पड़ता है सिर्फ एफीशियेन्सी की दृष्टि से ही कर्मचारियों को नहीं रखा जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

मोर नदी (कुशलगढ़) पर पुल निर्माण

545. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में मोर नदी पर पुल निर्माण करने की योजना है? यदि हाँ, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि वारिश के दिनों में बांसवाड़ा, कुशलगढ़ का मार्ग टूट जाता है व आये दिन ट्रक, बसें, मनुष्य नदी में बह जाते हैं? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (**श्री चेतराम मीणा**) : (1) वित्तीय साधनों के ग्रभाव में पुल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्षा काल में कार्य कुछ दिनों के लिए ग्रवरुद्ध हो जाता है। ट्रकें, बसें ग्रादि बहने की कोई सूचना विभाग को नहीं मिली है।

श्री फतेसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रश्न किया है पुल के निर्माण के बारे में, उस मसले को लेकर पिछली बार भी मैंने यहां पर प्रश्न उठाया था। मन्त्री महोदय के द्वारा ग्राश्वासन भी दिया गया था कि बजट ग्राने पर पुल का निर्माण किया जायेगा। ग्राज ग्राप बता रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना वहां पर नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा से कुशलगढ़ सब-डिविजन को जोड़ने वाला यह एक ही पुल है। वहां पर स्टेट के जमाने से एक रपट बनी हुई है। वारिश के दिनों में बांसवाडा ग्रौर कुशलगढ़ के बीच ग्रावागमन का रास्ता रुक जाता है। क्षेत्र के लोगों को ग्रागे जाने में बड़ी कठिनाई होती है। कोर्ट-कचहरियों में जाना मुश्किल हो जाता है। कई तरह के मुकदमों में वारंट जारी होते हैं। गरीबों की गिरफ्तारी होती है ग्रौर एक तरफा फैसले होते हैं। दुर्घटना में कई बसें ग्रौर मवेशी बहकर मर जाते हैं। इसलिए मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ग्रापका उस पुल को नहीं बनाने का इरादा क्यों है? क्या कारण है इसका? वह इलाका एक ग्रादिवासी इलाका है ग्रौर ग्रादिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नाते उस क्षेत्र में पुल निर्माण का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्राप शायद राजनैतिक विद्वेष की भावना से पुल का निर्माण नहीं करना चाहते हैं, मेरी यह जानकारी है। उस क्षेत्र से हमेशा से ही विरोधी पक्ष का विधायक जीत कर ग्राया है। इसलिए ग्राप उस योजना को हाथ में नहीं लेना चाहते ग्रौर टालने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ग्राप उस

(श्री फतेसिंह)
पुल का निर्माण करायेंगे ? उस डिविजन की जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ? विकास की दृष्टि से आदिवासी इलाके में कोई राहत पहुँचाना चाहते हैं तो कुशलगढ़ सब-डिविजन को बांसवाड़ा से अलग करना चाहते हैं ? क्या यह आपकी मंशा है ? यह बतायें ।

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा वह बात सही है। जैसा कि मैंने भाग (2) में माना है, बारिश के दिनों में कुछ दिनों के लिए रास्ता रुक जाता है। यह भी सही है कि आदिवासी क्षेत्र है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा से कुशलगढ़ तक डामर रोड बनी हुई है। कुशलगढ़ से तीन किलोमीटर पर यह मोर नदी मिलती है। यहां एक रपट बनी हुई है। जब वर्षा कम होती है तो पानी आराम से निकल जाता है, पूरा बहकर निकल जाता है। यह भी मैं मानता हूं कि वह पहाड़ी इलाका है और बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होता है तो निश्चित रूप से रास्ता रुक जाता है। यह कठिनाई जरूर है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि धनाभाव के कारण पुल बनाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आर्थिक स्थिति सुधरेगी निश्चित रूप से उस तरफ देखा जाएगा।

श्री फतेसिंह : कब सुधरेगी ? आप पुल निर्माण नहीं कराना चाहते हैं ? क्या अपने शासन काल में इस पुल का निर्माण करायेंगे या नहीं करायेंगे, यह बता दें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, राजनैतिक दृष्टिकोण है इसलिये पुल नहीं बनाना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर आवागमन में कोई रूकावट नहीं आती। आवागमन अच्छी तरह से होता है। बहुत तेज बरसात होती है तभी अवरुद्ध होता है।

श्री फतेसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी इलाका है वहां लगातार वर्षा होती रहती है, चार-चार छः-छः दिन तक आवागमन रुक जाता है। कोर्ट कचहरी के मामले में लोग वहां पर जा नहीं पाते हैं। क्या आप पुल का निर्माण शीघ्र करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आप मना कर दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो यह बता दीजिये बांसवाड़ा में अकाल घोषित है या नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्नों के ऊपर पूरक प्रश्न पूछना आपके लिये आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : निगम के पास पैसा है। आदिवासी इलाकों को देना नहीं चाहते....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जाये। अंकित न हो। आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जो माननीय

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 18

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य बहुत ही कम अवसर पर बोलते हैं, मैंने उनको अपने क्षेत्र की बात रखने के लिये पूरी छूट दी है। कुशलगढ़ कई माननीय सदस्यों का देखा हुआ नहीं है। दूर दराज का इलाका है, उन्होंने अपनी बात अच्छी तरह से रख दी। मंत्री महोदय और कुछ कहना चाहें, कह दें। सीधा सा सवाल है। हर प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं होंगे। दोनों सदस्यों ने स्वयं पूरी बात रख दी है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया।

एक माननीय सदस्य : क्या निवेदन कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन, श्री रंगजी मीणा, श्री कैलाश मेघवाल।

राजस्थान एवं दिल्ली परिवहन निगम के बीच बसों के आवागमन का विवाद

546. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर), **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान और दिल्ली परिवहन निगम के बीच बसों के आवागमन को लेकर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि एशियाड के समय दिल्ली परिवहन निगम के अप्पू स्पेशल के नाम से राजस्थान की सीमा से अनधिकृत रूप से बसें चलाई थीं ? यदि हां, तो कितनी बसें और कितने-कितने समय के लिये ?

(3) क्या यह सही है कि दिल्ली परिवहन निगम ने राजस्थान की बसों को दिल्ली स्थित निर्धारित बस अड्डे से नहीं चलाने दिया ? यदि हां, तो क्यों और कितने दिन के लिये ?

(4) दिल्ली और राजस्थान के बीच में बसों के आवागमन के संबंध में क्या क्या करार हुए हैं ? कृपया ऐसे करारों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस विवाद का स्थायी रूप से निपटारा हो चुका है ? यदि हां, तो कब एवं किस रूप में ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जय कृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। यह विवाद माह दिसम्बर, 1982 से चल रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, दिल्ली परिवहन निगम ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 5 सुपर डीलक्स बसों को दिनांक 25-12-82 से 17-1-83 तक कश्मीरी गेट से नहीं चलने दिया क्योंकि राजस्थान परिवहन निगम ने डी. टी. सी. की अनधिकृत बसों को राजस्थान में आने का विरोध किया था।

(4) दिल्ली और राजस्थान के बीच हुए परिवहन करार की प्रतियां सदन के

(राज्य मन्त्री, यातायात)

पटल पर रख दी गई हैं।

(5) प्रयास जारी है।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे यह विवाद है क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : विवाद यह है कि सन् 1982 के दिसम्बर माह में डी. टी. सी. ने कुछ बसें चित्तौड़गढ़, मेंहदीपुर और जयपुर के बीच जो उनकी निर्धारित संख्या थी, उससे अधिक संख्या में चलाना शुरू कर दिया। हमने इस बात के लिये प्रोटेस्ट किया कि हमारे और आपके बीच जो करार है उससे अधिक बसें आप चलाते हैं? हमने इन बसों को आने के लिये मना किया उन्होंने पांच बसें जो कश्मीरी गेट से चलती हैं, वहां से नहीं चलने दी। हमने बीकानेर हाऊस से बसें चलाई। इसके बाद 17-1-83 को उनके चेयरमेन और ट्रांसपोर्ट के जो सैक्रटरी हैं उनकी एक मीटिंग हुई मीटिंग होने के बाद कुछ मुद्दों के ऊपर हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ उसके बाद बसें कश्मीरी गेट से चलने लग गई। यही विवाद उनके और हमारे बीच में था।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि डी. टी. सी. ने जो अनधिकृत रूप से गाड़िया चलाई; राज्य सरकार उसके विरुद्ध कानूनी एक्शन ले सकती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो कार्पोरेशन के बीच का सवाल है इसलिये राज्य सरकार ने फैसला किया है। उनसे हमारा एग्रीमेंट भी है कि आइन्दा बिना परमिट के जो गाड़ियां हैं वह नहीं चलायेंगे, कोई शिकायत होगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिये कानूनी कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता। दोनों सरकारी कार्पोरेशन्स हैं। कोई मिस अण्डरस्टेंन्डिग उनके दिमाग के अन्दर आ गई। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि दिल्ली से सवारियां ज्यादा निकलती हैं। इसलिये दिल्ली की बसें ज्यादा होनी चाहिए राजस्थान की बसें कम होनी चाहिये। उन्होंने यह प्रोटेस्ट किया था और अपनी बसें चलाना शुरू कर दीं। हम उनका चालान कर सकते थे लेकिन मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होता। वास्तव में कोई कानून की अवहेलना करता है तो उसका चालान किया जा सकता है, इससे मैं इन्कार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कनकराज मेहता।

शास्त्री सदन, अनुसूचित छात्रावास सांचौर

547. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांचौर क्षेत्र में शास्त्री सदन, अनुसूचित छात्रावास की नई प्रणाली लागू करने के पूर्व कितनी राशि छात्रावास में लोगों की बकाया थी ?

(श्री कनक राज मेहता)

(2) क्या यह सही है कि उक्त बकाया राशि का भुगतान कई पत्रों के बावजूद आज दिन तक नहीं हो पाया है? यदि हां, तो उस बकाया राशि का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि नई प्रणाली लागू करने के पूर्व विभाग द्वारा बकाया हिसाब नहीं मांगा गया ? इसकी जिम्मेदारी किन पर है ?

उप मंत्री समाज कल्याण (श्री छोगा राम बकोलिया) : (1) छात्रावास की नई प्रणाली लागू किये जाने के पूर्व श्री शास्त्री सदन, छात्रावास सांचोर को राज्य सरकार द्वारा 3849 रुपये की राशि देय थी ।

(2) जी हां संस्था से महालेखाकार, राजस्थान ने वर्ष 1976-77 व 1977-78 के आडिट में 11,561.56 रुपये वसूली योग्य बताये जिसका निपटारा होने पर संस्था को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जावेगा

(3) संस्था से हिसाब मांगा गया था और वह प्राप्त हो गया है । अतः जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1981-82 का 8, 250 रुपया छात्रावास का बकाया है, क्या यह सही है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : जी हां । 1-2-79 का था । 8,250 रुपया बाकी था ।

श्री कनकराज मेहता : क्या यह रकम आप उनको देना चाहते हैं ? अगर नहीं देंगे तो छात्रावास आगे चलना मुश्किल है। दूसरा, मेरा प्रश्न है, गत चार साल से छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे है, 40 छात्रों की उसकी क्षमता है तो क्या छात्रों की संख्या बढ़ाने की इच्छा है ?

श्री छोगा राम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बकाया का प्रश्न है, आडिट पैरा होने के कारण उनको भुगतान नहीं किया गया । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि छात्रों का सवाल है, अगर पैसा समय पर नहीं देंगे तो छात्रावास आगे चलाना मुश्किल है। हमारे अकान्ट्स आफिसर ने ए. जी. को पैरा ड्राप करने के लिये लिखा है, उसको वैरी कराने के लिये लिखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसका तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा । अगर आडिट पैरा आया तो पी. ए. सी. से ठीक कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री कनक राज मेहता : मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आश्वासन दे दिया ।

श्री कनकराज मेहता : छात्रों की भर्ती नहीं किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर ।

गांधीनगर जयपुर स्थित सरकारी आवास

Page No 21

(21)

548. **श्री भैरोंसिंह गुर्जर** (खैरची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकारी कर्मचारियों के लिए गांधीनगर स्थित क्वार्टर्स में गत वर्ष कितनी राशि का मरम्मत का कार्य हुआ ?

(2) फेन्सिंग कार्य हेतु कितनी बार किन किन के प्रार्थना पत्र आये ? उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई मापदण्ड है जिसके आधार पर कितनी अवधि में कितनी बार इन क्वार्टर्स की व्हाइटवाश व अन्य मरम्मत होती है ?

(4) सेवा निवृत होने के पश्चात कितने समय में निवास स्थान खाली कराया जाता है ? वर्ष 1975 से 1982 तक सेवा निवृत हुए कर्मचारी जो इन क्वार्टर्स में अब तक रह रहे हैं, कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या क्वार्टर्स के अलाटमेंट करने के लिये कोई समिति भी है ? यदि हां, तो क्या उसमें कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि भी हैं ?

राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) वर्ष 1981-82 में गांधी नगर स्थित सरकारी आवास गृहों में मरम्मत कार्य हेतु रुपये 17,26,796 की धनराशि व्यय की गई ।

(2) वर्ष 1982-83 में बारबड़ वायर फैन्सिगं हेतु मात्र एक प्रार्थना पत्र श्री देव कुमार सांघी का प्राप्त हुआ तथा वांछित मरम्मत करा दी गई ।

(3) आवास गृहों में साधारणतया वर्ष में एक बार सफेदी कुछ हिस्सों में कराई जाती है तथा अन्य मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाता है ।

(4) नियमानुसार सेवा निवृत्ति की तिथि से दो माह पश्चात निवास स्थान खाली कराया जाता है । जो सेवा निवृत अधिकारी अब भी इन क्वार्टरों में रह रहे हैं उनकी सूची प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रपत्र-'क' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(5) जी नहीं ।

(सूचि के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो तीन सवाल पूछूंगा । क्या यह सही है, गांधी नगर क्वार्टर्स में माननीय सदस्यों को कई क्वार्टर दिये गये हैं ?

क्या यह सही है कि उनके बार बार रिपेयरिंग के लिये जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, उन पर एक महीने तक कोई कार्यवाही नहीं होती ?

सूअर, जानवर वगैरह गन्दगी से भरे हुए फिरते हैं । इसकी बार बार शिकायत करने के उपरान्त आपके विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री चेत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, गान्धी नगर में स्थित जो क्वार्टर्स और

(श्री चैत राम मीणा)

बंगले है उनका आवंटन करना, आवंटन निरस्त करना या खाली कराने का काम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। कौन-कौन एम. एल. ए. साहब उनमें रह रहे हैं, यह सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नहीं है। मरम्मत के लिये माननीय सदस्य ने कहा, यदि आप, माननीय सदस्य, लिखकर देंगे तो आवश्यकतानुसार मरम्मत वगैरह करा दी जायगी। जल्दी का जहां तक प्रश्न है, वह मैं निवेदन करूं कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, महीनों हो गये पहले लिखकर दिया जा चुका है। कोई माननीय सदस्य लिखकर क्यों देगा ? आपका विभाग किराया किस बात का लेता है ? यद्यपि मकान की लागत से ज्यादा किराया वसूल हो चुका तथापि कर्मचारियों को कोई भी सुविधा नहीं है। सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं मकान भी मरम्मत तलब है। व्हाइटवाश आपके बंगले में कितनी बार होती है, आप बता दीजिये तो क्या वहां व्हाइट वाश भी नहीं हो सकती है ? क्या आप कर्मचारियों को भी बराबर की सुविधा देने का विचार करेंगे ?

श्री चैत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा। माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य उन आवास गृहों में रह रहे हैं यदि उन्होंने लिखकर दे दिया है तो मैं देख लूंगा और आवश्यक कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, नोटिस में आ गया फिर भी ये नहीं करवायेंगे। यह नोटिस नहीं है तो क्या है ?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि कितने माननीय सदस्यों के कामों के लिये पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा एस्टीमेट बनाये गये और उनको कितनी बार देखा गया है। अब तक कितने मामले विचाराधीन हैं जिनके एस्टीमेट बन गये हैं ? एक नहीं कई मामले हैं। आपको जानकारी है, तो बतायें।

श्री चैत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना मंगाकर कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय मंत्री महोदय, जितने माननीय सदस्यों को शिकायतें आपसे है और जितने एस्टीमेट बन गये वे काम कब तक पूरा करवा देंगे।

श्री चैत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गान्धी नगर के क्वार्टर्स का सवाल है, मैं शीघ्र ही दिखवा कर कमी पूर्ति करवा दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : हाऊस कमेटी ने जो एस्टीमेट बनाकर भेजे हैं, उन कामों को आप कब तक पूरा करवा देंगे ?

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : मैं, अध्यक्ष महो-

(श्री भैरोंसिह गुर्जर)

दय, आपसे निवेदन करूं, इनके अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके आज से नहीं पिछले दो महीने से कह रहा हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के क्वार्टर्स खराब है क्या आप उनकी जांच करवायेंगे? वहां के रहने वाले लोग बराबर मिल रहे हैं। आपके अधिकारी कहते है जो.ए.डी. से फण्ड नहीं मिल रहा हैं। जो अधिकारी और कर्मचारी प्रभावशाली उनके लिये हैं तो जी. ए. डी. से फण्ड लेने की आवश्यकता नहीं हो और जो माननीय सदस्य हैं उनके लिये यह कहना कि जी. ए. डी. के पास फण्ड नहीं है। हम बार-बार तकाजा कर रहे हैं, ठीक नहीं है।

श्री चेत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो क्वार्टर्स वगैरह की मरम्मत की जाती है वह डिपाजिट वर्क्स के अगेंस्ट की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग से ही पी. डब्ल्यू. डी. में पैसा आता है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके लिये निश्चित रूप से शिघ्र कार्यवाही करवा दी जायेगी।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : इतना महत्वपूर्ण सवाल है और माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं, न जानकारी मंगाने का कष्ट किया...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा अभी उत्तर में बताया कि डिपाजिट वर्क्स का पैसा आता है और डिपोजिट वर्क्स के पैसों से ही काम करवाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिपोजिट वर्क्स के क्या क्या नियम हैं? डिपोजिट के काम के लिये जो पैसा दिया जाता है क्या उससे ही काम कराया जाता है? डिपोजिट वर्क्स के क्या नियम हैं? क्या इन कामों के लिये डिपोजिट वर्क्स के अगेंस्ट आपके पास पैसा आ चुका है? लेकिन वह काम में नहीं लिया गया है?

श्री गोपाल पवेरवाल : अध्यक्ष महोदय, हाऊस कमेटी इसी सदन का एक अंग है और हाऊस कमेटी जो प्रस्ताव पास करके भेजती है उनको सरकार नहीं मानती है तो क्या यह हाऊस कमेटी का अपमान है या सदन का अपमान है? क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : मेरा अन्तिम निवेदन छोटा सा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : साधारणतया इस सदन के माननीय सदस्य उनकी स्वयं की सुविधाओं के लिये यहां पर चर्चा नहीं करते। यहां यह अच्छा प्रतीत नहीं होता है....

(व्यवधान)

बहुत ही सीधा-सादा जीवन बिताते हैं, जनता की सेवा करते हैं। अब पर्याप्त हो गया है।

Page No 24

(२५)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : कितनी बड़ी नेग्लीजेंस है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया विराज जायें।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : मंत्री महोदय, ने सवाल का उत्तर मंगाया तो क्या उन्होंने यह जानकारी नहीं चाही......

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्यों की जो भावना है वह मंत्री महोदय ने सुन ली और सरकार ने सुन ली। वे खुद समझदार हैं, इस बात को समझ करके भविष्य में इसके लिये कार्यवाही करेंगे। ज्यादा सुविधायें तो हम चाहते नहीं है लेकिन जो मामूली छुटपुट सुधार का काम है, मरम्मत का काम है वह करा दिये जायेंगे। मैं समझता हूं माननीय सदस्य, स्वयं के बारे में इतना नहीं कहेंगे।

प्रश्न काल समाप्त कर दिया।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : पूरी सूचना नहीं मिलती है। मंत्री महोदय नाम मात्र का विभाग पर अधिकार किये हुए हैं। विभाग में यूं ही बैठा रखा है।

(व्यवधान)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 551 नम्बर का प्रश्न था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो बहुत कम अवसरों पर बोलते हैं उनको अवसर दे रहा हूं। कृपया किसी माननीय सदस्य को.......

(व्यवधान)

श्री भूपाल सिंह।

श्री भूपाल सिंह : 551 नम्बर का प्रश्न है, हुकुम मेरा। उसकी सूची यहां डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं है। 50 बसें चलती हैं बस मालिक की और टैक्स नहीं देता है....

श्री अध्यक्ष : कौनसे नम्बर का प्रश्न है, नम्बर दोहराना।

श्री भूपाल सिंह : 551 नम्बर का प्रश्न है। उसमें सूची मांगी है। सूची पूरी नहीं है। बस मालिक की 50 बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं। टैक्स की चोरी होती है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : बहुत दूर का प्रश्न पूछ लिया। आपका उधर पधारना हुआ है क्या?

श्री भूपाल सिंह : टिकट मौजूद है मेरे पास। डबल किराया वसूल कर रहा है वह बस मालिक।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, सम्बन्धित महानुभाव से मेरा सम्पर्क नहीं हो सका इसलिये अभी उस विषय को छेड़ेंगे नहीं। अच्छा नहीं है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

Page No 25

25

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में खर्च राशि

535. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र एवं जनजाती लघु खण्ड विकास कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने तथा आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिये गठित स्थायी समिति की वर्ष 1980 के पश्चात् अब तक कितनी बार बैठकें हुई और उपयोजना क्षेत्र के विकास कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के क्या-क्या दिशा निर्देश दिये? कृपया व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) कृपया स्थायी समिति के सदस्यों की सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(3) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के लिये वर्ष 1982-83 में किस-किस मद के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान था, और अब तक इसमें से कितनी प्रतिशत राशि व्यय कर दी गई है? कृपया योजनावार व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति का गठन 18-11-81 को हुआ, जिसके पश्चात् अब तक कुल दो बैठकें हो चुकी हैं। दिनांक 16-3-82 व 19-1-83 की बैठक में दिये गये दिशा निर्देश का व्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये वर्ष 1982-83 में 54.78 करोड़ राशि का प्रावधान था जिसमें माह जनवरी, 83 तक कुल आवंटन के विरुद्ध व्यय 57.39 प्रतिशत किया गया है। सेक्टरवार प्रावधान एवं व्यय का व्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(व्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनूपगढ़ में बस डिपो खोलना

539. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार के पास अनूपगढ़ जिला गंगानगर में बस डिपो खोलने के प्रस्ताव है? यदि हां, तो बस डिपो कब तक खोलने का विचार है?

उत्तर

जी नहीं।

पाली जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च राशि

542. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली जिले में किस किस मद के तहत

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

कितना खर्च किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले में गत वर्ष जो व्यय समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है उसकी मदवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आदिवासी बालकों की शैक्षणिक उन्नति की योजना

637. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदिवासी बालकों को शैक्षणिक उन्नति के लिये वर्ष 1982-83 में कितनी नवीन योजनायें आरम्भ की गईं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपयोजना क्षेत्र में कितने आदिवासी बालकों को आश्रमशालाओं में प्रवेश मिला ? कितने छात्रों को मुफ्त पोशाकें एवं पुस्तकों का वितरण किया गया, कितने छात्रों को उपस्थिति छात्रवृत्ति एवं प्रतिभावान छात्रवृत्ति दी गई ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आदिवासी बालकों की शैक्षणिक उन्नति के लिये वर्ष 82-83 में कोई नवीन योजना प्रारम्भ नहीं की गई है।

(2) उपयोजना क्षेत्र में 856 आदिवासी बालकों को प्रवेश मिला। वर्ष 82-83 में 65300 आदिवासी विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी, पोशाकें एवं पुस्तकें वितरित किये जाने का लक्ष्य है। तथा 5000 विद्यार्थियों को उपस्थिति छात्रवृत्ति एवं 97 छात्रों को, प्रतिभावान छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है। तहसीलवार ब्यौरा अपेक्षित है।

विधायकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं पत्रकारों के लिये आवासन मण्डल के मकान

638. श्री **बालचन्द आर्य** (डग) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1978-79 में आवासन मण्डल, जयपुर में विधायकों एवं भूतपूर्व सैनिकों तथा पत्रकारों के कितने आवेदन पंजीकृत हुए थे ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1978-79 में जिनका आवेदन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हुआ उनमें से कितनों को आवासन मण्डल द्वारा मकान उपलब्ध करा दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें और जिनको मकान उपलब्ध नहीं कराये गये हैं उन्हें कब तक करा दिये जायेंगे ? विलम्ब का कारण क्या है ?

(3) क्या सन् 1980-81 व 1981-82 में और आवेदन पंजीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक मकान उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(श्री बालचन्द्र आर्य)

(4) सन् 1978–79 वालों में पंजीकृत आवेदकों को जयपुर में मकान किस तरफ दिये जा रहे हैं, और 1980–81 व 1981–82 में पंजीकृत आवेदकों को किस तरफ दिये जा रहे हैं ?

(5) उपरोक्त वर्षों में आवेदन करने वाले विधायकों को जिन्हें मकान मिल गये हैं क्या उन्हें कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978–79 में केवल विधायकों/सांसदों हेतु विशिष्ठ पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी जिसमें विधायकों/सांसदों के 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। (सूची सदन की पटल पर रख दी गई है)

(2) 1978–79 की विशिष्ट पंजीकरण योजनान्तर्गत जिन्होंने पंजीकरण कराया था, उनमें से 14 आवेदकों को मकानों का आरक्षण/आवंटन किया गया है। (सूची सदन की पटल पर रख दी गई है) । 5 आवेदकों द्वारा अपनी पंजीकरण राशि वापिस ले ली गई है। अब उक्त योजनान्तर्गत मात्र 20 आवेदकों को ही मकान आवंटन किया जाना है जिन्हें शीघ्र ही आवास उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) वर्ष 1980–81 में जयपुर को विशिष्ठ पंजीकरण योजनान्तर्गत 124 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 2 आवेदकों द्वारा पंजीकरण राशि वापिस ले ली गई है। अब कुल 122 आवेदक शेष हैं। उन्हें शीघ्र ही आवास उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। 1981–82 में कोई विशिष्ठ पंजीकरण योजना प्रारम्भ नहीं की गई थी।

5. वर्ष 1978–79 के पंजीकृत आवेदकों में से 7 आवेदकों को जवाहर नगर एवं 7 आवेदकों को मालवीय नगर में मकानों का आरक्षण/आवंटन किया गया है। 1978–79 के शेष 20 एवं 1980-81 के 122 आवेदनों को मकानों का आवंटन किस योजना में किया जावेगा यह अभी तय किया जाना है।

(5) वर्ष 1978–79 के 14 आवेदकों को मकान का आरक्षण/आवंटन किया गया, जिनमें से 9 आवेदकों को मकान का कब्जा दिया जा चुका है। शेष 5 आवेदकों को मकानों का कब्जा भवन निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कोटा में आवासन मण्डल के मकानों में अवैध निर्माण

639. **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को जानकारी है कि कोटा नगर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में अवैध दुकानों का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो

Page No 28

(श्री दाऊदयाल जोशी)

किन-किन व्यक्तियों द्वारा किस किस कालोनीज में ? तथा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। सम्बन्धित व्यक्तियों का कालोनी वाईज विवरण संलग्न है। मण्डल के अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत मण्डल को नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास की भांति अवैध निर्माण को रोकने या हटाने का अधिकार नहीं है। मण्डल द्वारा नगर विकास न्यास कोटा को इन मामलों में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। उन द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

640. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में वर्षवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति का कितना बजट रखा गया और कितना व्यय किया गया ?

(2) सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी एवं कालेज शिक्षा हेतु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को गत 5 वर्षों में कितनी कितनी छात्रवृत्ति दी जाती रही है। कृपया वर्गवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों हेतु राज्य से गत 5 वर्षों में छात्रवृत्ति के लिए रखे गये बजट प्रावधान व किये गये व्यय की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी अर्थात् पूर्व मैट्रिक एवं कालेज शिक्षा हेतु गत पांच वर्षों में जितनी जितनी छात्रवृत्ति दी गई है उसकी सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

माडा योजना में विभिन्न मदों में खर्च का प्रावधान

641. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) कोटा जिले में विभिन्न मदों में माडा योजनान्तर्गत वर्ष 1982–83 में कुल कितनी-कितनी रकम खर्च करने का प्रावधान था तथा कितनी खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रकम खर्च नहीं की गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) माडा योजनान्तर्गत वर्ष 82–83 में कोटा जिले में विभिन्न मदों में 7.44 लाख रुपये का प्रावधान था, जिसके विरुद्ध 1.85 लाख रुपया व्यय हो चुका है। विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं, यह राशि इस वर्ष में आवंटित की गई है, जिसको मार्च, 83 तक खर्च करने के प्रयास किये जा रहे हैं। (विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

रामगंज मण्डी से जयपुर व कोटा से चेचट परिवहन निगम की बसें

642. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सुबह शाम दो बसें रामगंज मण्डी से जयपुर के लिए चलती थीं ? यदि हां, तो ये बसें कब तक चलीं और सरकार ने इन बसों को कब बन्द कर दिया और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इससे जनता को कठिनाई होती है और रामगंज मण्डी व्यापारिक एवं औद्योगिक नगर है ? क्या पुन: सरकार सुबह शाम रामगंज मण्डी से जयपुर के लिए बस संचालित करेगी ?

(3) क्या इसी प्रकार कोटा चेचट दो बसें चलती थी ? यदि हां, तो कब तक दो बसें चलती रहीं ? एक बस कब से बन्द की और क्यों ? क्या सरकार पुन: दोनों बसों को संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह बसें अप्रेल 80 तक चली। बाद में रामगंजमण्डी से सुबह जयपुर के लिए चलने वाली बस सेवा को पर्याप्त सीधा यात्री-भार न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया। रामगंजमंडी से जयपुर के लिए शाम को चलने वाली बस (रात्रि सेवा) अब भी यथावत चल रही हैं।

(2) जी नहीं। रामगंज मण्डी एक व्यापारिक एवं औद्योगिक नगर है लेकिन रामगंज मण्डी से सुबह जयपुर के लिए पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलता है। अत: सुबह वाली बस सेवा को पुन: संचालित किया जाना अनार्थिक है। रात्रि बस चल रही है।

(3) जी हां। माह मार्च 1975 तक 2 बसें चल रही थीं। माह अप्रेल 75 से एक बस का संचालन पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दिया गया था। पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने से एक अतिरिक्त बस का संचालन अनार्थिक है। अत: पुन: 2 बसों का संचालन करने का औचित्य नहीं है।

बारां में परिवहन निगम के सब डिपो की स्थापना

643. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 30

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(1) क्या बारां (कोटा) में सब-डिपो स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भूमि क्रय कर ली है ? यदि हां, तो कितनी धन राशि में ?

(2) बारां से कितने वाहनों का संचालन होता है ?

(3) क्या निगम का बारां में डिपो स्थापित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भूमि 3 लाख रुपये में क्रय की गई।

(2) बारां से 18 वाहनों का संचालन होता है।

(3) जी नहीं। सब डिपो का संचालन कार्य चालू कर दिया है ?

मोटर व्हीकल्स इन्स्पेक्टर व सब इन्स्पेक्टर के पद

644. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के यातायात विभाग में मोटर व्हीकल्स इन्स्पेक्टर एवं मोटर व्हीकल्स सब-इन्स्पेक्टर के कुल कितने पद हैं ? कृपया दोनों पदों की अलग-अलग संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोग वर्तमान में पद स्थापित हैं ? कृपया दोनों पदों की अलग अलग संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) इन पदों पर विभागीय पदोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्ती द्वारा कितने-कितने पद कब-कब भरे गये और क्या उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया था।

(4) क्या गत दिनांक 28-1-1982 को विज्ञप्ति द्वारा एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(5) इस तारीख के बाद ये दोनों ही स्थान पदोन्नति से कब, किस जाति के उम्मीदवारों से भरे गये हैं ?

उत्तर

(1) विभाग में मोटर व्हीकल्स इन्स्पेक्टर के 72 तथा मोटर व्हीकल सब इन्स्पेक्टर के 49 पद हैं।

(2) वर्तमान में मोटर व्हीकल इन्स्पेक्टर के पद पर अनुसूचित जाति के 3 तथा अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति पदस्थापित है एवं मोटर व्हीकल सब इन्स्पेक्टर के पद पर अनुसूचित जाति के 4 व्यक्ति पदस्थापित हैं तथा अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति इस पद पर पदस्थापित नहीं है।

(3) सूचना संलग्न परिशिष्ट में उप-

(यातायात राज्य मन्त्री)

लब्ध हैं। इन पदों की भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया है।

(4) जी हां। मोटर व्हीकल सब इन्सपेक्टर के एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के पद को भरने हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी। पर्याप्त प्रार्थना पत्रों के अभाव में यह पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जा सके।

(5) इन दोनों पदों में से एक पद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दि.–11–5–82 को समादेश से भरा गया है, तथा दूसरा पद राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में दिनांक 6-12-82 को पदोन्नति द्वारा भरा गया है। ये दोनों पद सामान्य जाति के व्यक्तियों द्वारा भरे गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट II देखें)

ग्राम नाचना को बस सेवा से जोड़ना

645. **श्री चन्दवीरसिंह** (जैसलमेर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले का ग्राम नाचना राजस्थान नहर की दृष्टि से मुख्य स्थान है?

(2) क्या यह सही है कि नाचना ग्राम उपखण्ड मुख्यालय पोकरण से डामर सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ग्राम नाचना को राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा द्वारा पोकरण से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पोकरण से नाचना ग्राम तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस मार्ग पर निजी वाहन सेवायें संचालित हो रही हैं। वर्तमान में इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना विचाराधीन नहीं है।

परिवहन निगम में श्रम संघों की मान्यता

646. **श्री कनकराज मेहता** (सांचोर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम में श्रम संघों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान से चुनाव करवाये जाने का इरादा है?

उत्तर

फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

मन्दिरों में सेवारत कर्मचारी

647. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों में किस-किस वर्ग के किन-किन वेतन शृंखलाओं के कितने कर्मचारी

स्थाई रूप से सेवारत हैं ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित आत्म निर्भर मन्दिरों में कोई कर्मचारी स्थाई रूप से सेवारत नहीं हैं। अतः ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाली जिले में खनिज लीज का समयावधि में निष्पादन

648. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वर्ष 1982 में किस-किस लेसी ने प्रधान खनिज की लीज का एक्जीक्यूशन नियम 31 की समयावधि में नहीं किया एवं उक्त क्षेत्रों को नियम 58 के अनुसार फ्री घोषित कब किया व उनका प्रकाशन राज-पत्र में कब हुआ व उनके प्रकाशन हेतु विज्ञापन विभाग द्वारा कब भेजा गया ? लीजवार बतावें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्ति जान बूझ कर लीज की स्वीकृति के बाव-जूद भी लम्बे समय तक लीज का एक्जीक्यूशन नहीं करते हैं जिससे सरकारी आय व खनिज उत्पादन को भारी हानि होती है ? क्या सरकार ऐसे मामलों में लीज रिवोक कर क्षेत्र को फ्री फोर री-ग्रान्ट हेतु जल्दी राज-पत्र में प्रकाशित करवाने की कार्यवाही करेगी ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई लीजेज का कन्सोलीडेटेड नक्शा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में पाली जिले के प्रधान खनिजों में 9 खननपट्टों पर स्वीकृति के बाद नियम, 31 में दी गई समयावधि में लीज का एक्जीक्यूशन नहीं किया गया । इनमें से अभी तक कोई भी क्षेत्र नियम. 58 के अन्तर्गत रिक्त घोषित नहीं किया गया है ।

(2) निर्धारित समयावधि में लीज एग्रीमेन्ट नहीं करने पर सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा स्वीकृति को प्रतिसंहृत करने के प्रस्ताव शासन को भेजे जाते हैं और वहां से स्वीकृति प्रति-संहृत होने के पश्चात् क्षेत्र को पुनः स्वीकृति हेतु रिक्त घोषित करने की यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही की जाती है । कुछ एक मामलों में जिनमें पार्टी का दोष नहीं होता है एक्जीक्यूशन करने की समयावधि बढ़ाने की भी कार्यवाही की जाती है ।

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये 9 लीजेज के नक्शे संलग्न हैं ।

(नक्शे विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये ।)

ई. एस. आई. अस्पताल ब्यावर में दवाइयों में गड़बड़ की शिकायतें

649. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर

(श्री कैलाश मेघवाल)

पूर्व) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ई. एस. आई. अस्पताल, ब्यावर जिला अजमेर में दवाइयों के घोटालों की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि फरवरी, 1982 में दवाइयों में गड़बड़ी के कारण पुलिस में भी केस रजिस्टर कराया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि मई, 1982 में हजारों रुपयों की दवाइयां अस्पताल की एक आलमारी में छिपा कर अनाधिकृत रूप से रखी हुई बरामद की गई थीं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इन सब के लिये कौन उत्तरदायी हैं और राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, हां । विवरण संलग्न है ।

(4) उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के लिये जांच कार्यवाही जारी है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में भूमि पर नाजायज कब्जे

650. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर व बाड़मेर में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान नाजायज कब्जे के कितने मामले सामने आए, उसमें कितने नाजायज कब्जों को हटाया गया ? तहसीलवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) नाजायज पाये गये कब्जों में सरकारी भूमि पर कितने और गोचर भूमि पर कितने हैं ? तहसीलवार अलग अलग संख्या बताने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्व अभियान के दौरान जिला जैसलमेर में 5,242 मामले सामने आए जिनमें 4,104 मामलों में नाजायज कब्जे हटाये गए । जिला बाड़मेर में 2,128 मामले सामने आए और सभी हटा दिये गये । सूची संलग्न हैं ।

(2) नाजायज पाये गये कब्जों में सरकारी भूमि पर 5,189 एवं गोचर भूमि पर 53 मामले जैसलमेर में पाये गये एवं 1,467 सरकारी भूमि पर 66 गोचर भूमि पर जिला बाड़मेर में पाये गये । तहसीलवार सूची संलग्न हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

651. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या राज्य सरकार जालौर के ग्रेनाइट पत्थर के विकास की कोई योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) ग्रेनाइट पत्थरों का खनन तथा उसकी आधारित केमिकल फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए क्या किसी अध्ययन दल का गठन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे दल के गठन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जालौर में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम-नून, कालाघाटा, केशवाना और कालकाजी ग्रेनाईट पत्थरों का खनन कार्य कर रहा है। यहां के पत्थरों को जोधपुर में निगम की सहायक कम्पनी राजस्थान स्टेट ग्रेनाईट एवं मार्बल्स लि. को भेजा जाता है जहां पर ग्रेनाईट पत्थरों की पालिशिंग का कार्य किया जाता है। जालौर में एक छोटा कारखाना स्थापित है जिसके छोटे ब्लाक बनाये जाते हैं और कटिंग एवं पालिशिंग की जाती है। जालौर में ग्रेनाइट पत्थरों के लिए निगम एक कटिंग मशीन लगाने पर विचार कर रहा है।

(2) जी, नहीं। ग्रेनाईट पत्थरों के आधार पर कोई केमिकल नहीं बनता है अतः इनके आधार पर केमिकल फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये अध्ययन दल के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अलवर भरतपुर जिले में मेव जाति के लोगों को खातेदारी अधिकार

652. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1970 में एक आदेश प्रसारित करके अलवर व भरतपुर जिलों के तहसीलदारों को अधिकार दे दिया था कि संवत् 2003 से पूर्व मेव जिस जमीन पर काबिज है उनको उस जमीन के खातेदारी अधिकार दे दिये जावें ?

(2) अगर हां, तो वर्ष 1981-82 व 1982-83 में अलवर विधान सभा क्षेत्र के कितने लोगों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1970 में राज्य सरकार द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि अलवर व भरतपुर के जिस मेव मुसलमानों को उसके क्लेम के बदले में केन्द्रिय सरकार की निष्क्रान्त भूमि आंवटन की गई थी, उस पर यदि कोई मेव साझेदारी अधिकार देने में वंचित रह गया हो तो उसे खातेदारी अधिकार में दिये जायें।

(2) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कोई भी ऐसा मेव अलवर विधान सभा क्षेत्र में नहीं था, जिसको कि खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हो। अतः उक्त आदेश के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मसूदा विधान सभा क्षेत्र में उप-तहसील खोलना

653. **श्री सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज** (मसूदा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मसूदा विधान सभा क्षेत्र में दो उप-तहसील खोलने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब तथा कहां खोलने का निर्णय था ?

(2) मसूदा ग्राम के महत्व को देखते हुए वहां अभी तक उप तहसील नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या भविष्य में सरकार मसूदा ग्राम को उप तहसील बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मसूदा विधान सभा क्षेत्र में दो उप तहसीलें सथाना व रामगढ़ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या एफ. 9(7) राज/ग्रुप-1/78 दिनांक 26-2-79 प्रसारित की गयी थी, तत्पश्चात जिलाधीश, अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव व तहसील ब्यावर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सथाना के स्थान पर विजयनगर व रामगढ़ के स्थान पर टाटगढ़ में, अधिसूचना दिनांक 14-4-82 द्वारा, नई उप तहसीलें स्थापित की गई। इनमें से केवल विजयनगर ही विधान सभा क्षेत्र मसूदा में स्थित है।

(2) प्रश्न के भाग-1 के उत्तर के परिपेक्ष में ब्यावर तहसील में तीसरी उप तहसील बनाने का औचित्य नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग-2 के उत्तर के अनुसार।

उदयपुर जिले में खानों तक सड़क निर्माण

655. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खनिज विभाग ने उदयपुर जिले मे खानों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 1980 से जनवरी 1983 तक कितने नये मार्गों का निर्माण करवाया तथा उन पर कितने रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की ? सूची मय सड़क की स्वीकृति दिनांक किये गये काम का विवरण, की गई खर्च की राशि सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है विभाग ने सड़क बनाने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप रखा है, तथा उसकी एवज में राशि भी प्रदान कर दी फिर भी काम की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है ? यदि हां, तो किस किस जिले में काम आज भी अधूरा पड़ा है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के लिये वर्ष 1980 से जनवरी 83 की अवधि में जिन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई, उनके नाम व सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार हैं :—

सड़क का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति लागत (लाख रु. में)	कार्य का विवरण	व्यय की गई राशि (लाख रु. में)
1. उदयपुर से झामर-कोटड़ा सड़क का निर्माण	19.2.81	14.40	कार्य प्रगति पर है।	12.42 फरवरी 83 तक व्यय
2. केवड़ा से बाबरमाल	19.9.80	12.50	अर्थवर्क व पुलिया का कार्य प्रगति पर है।	5.33 जनवरी 83 तक व्यय
3. कुडाल, खानमीन, बलिया गोरी सड़क के बचे हुए भाग का निर्माण	6.3.80	2.25	कार्य पूर्ण हो गया है।	2.93 जनवरी 83 तक व्यय
4. गौरी, रोहिनवाड़ा व्याणा मैताली सड़क के बचे हुए भाग का निर्माण एवं सोम नदी पर पुल का निर्माण	6.3.80	14.00	यह कार्य 9 किमी. का है जिसमें से 8 किमी. पर कन्सोलीडेशन पूर्ण हो चुका है, 1 किमी. पर कार्य प्रगति पर है, तथा 5 किमी. तक डामर का कार्य पूर्ण हो चुका है।	वर्ष 1982-83 में 5.00 लाख रु. का व्यय सम्मिलित है।

(2) जी हां। विभाग के समस्त निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाते हैं जिसके लिए धनराशि का प्रावधान पूंजीगत मद में किया जाता है, जिसके व्यय के लिए मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सक्षम अधिकारी हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत प्रतिवर्ष उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रत्येक सड़क पर कराया जाता है। जिन सड़कों पर कार्य चालू है उनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम को लागू करना

656. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, राजस्थान के किन-किन शहरों में लागू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अधिनियम को उक्त शहरों में ही लागू करने के क्या मापदण्ड हैं ?

(3) राजस्थान के शेष शहरों एवं नगरपालिका क्षेत्रों में इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा।

(4) क्या सादुलशहर में उक्त अधिनियम के लागू कर दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र अभिसंशायें आदि राज्य सरकार को प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो इस अधिनियम को सादुलशहर में कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 राजस्थान में 115 शहरों एवं कस्बों में अब तक लागू किया जा चुका है जिसकी सूची संलग्न है।

(2) इस अधिनियम के लागू करने का मुख्य आधार शहरों व कस्बों की जनसंख्या है।

(3) अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) जी हां, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

तहसील सांगानेर के ग्राम लखेसरा से बगराना मार्ग के बन्द होने की शिकायत

657. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सांगानेर के ग्राम लखेसरा से बगराना जाने वाले रास्ते को खसरा नं. 622, 623, 616, 617, 743 में कुछ लोगों द्वारा बन्द किये जाने की शिकायत राज्य सरकार को सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई व कब प्राप्त हुई ?

(2) उक्त शिकायत पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक 19-6-79 को श्री रामदास शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार सांगानेर व जयपुर द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार सांगानेर जयपुर तथा सरपंच ग्राम पंचायत सूणियावास एवं बगराना

(राजस्व मंत्री)

के साथ उपखण्ड अधिकारी ने वार्ता कर निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नगत समस्त भूमि खातेदारी भूमि में जिस पर ग्राम रास्ता सेटलमेंट के नक्शों में दर्ज नहीं हैं ग्राम पगडण्डी हैं। अतः सरपंच सुणियावास को अवगत करवाया गया कि भूमि अवाप्ति कार्यवाही के बाद ही सड़क निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

सवाई माधोपुर जिले के मंडरायल सब तहसील का विधुतीकरण

658. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के समस्या पूरे मंडरायल सब तहसील में बिजली नहीं है? यदि हां तो देश की आजादी के 33 साल बाद भी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत इस क्षेत्र में विद्युत का कार्य क्यों नहीं कराया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में बिजली का सर्वेक्षण तीन साल पूर्व हो चुका, फिर भी कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों, और अब उक्त क्षेत्र का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा? क्या सरकार को विदित है कि यह एक पूर्वी राजस्थान का अनु. जनजाति बाहुल्य गरीब, पिछड़ा डाकू क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को बिजली से जोड़ देने से यहां की कई समस्यायें अपने आप खत्म हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि करोली तहसील की उप तहसील मंडरायल में अभी बिजली नहीं है। इस उप तहसील क्षेत्र में ज्यादातर भाग पथरीला या नदी का खादर (डांग) का है, जिसमें विद्युत उपयोग का पोन्टेशियल अपेक्षाकृत कम है। करोली क्षेत्र को पहले, 33 के. वी. लाईन सवाई-माधोपुर से गंगापुर व गंगापुर से हिण्डोन और 11 के. वी. हिंडोन से करौली लाइन द्वारा बिजली दी जाती थी। मंडरायल उप-तहसील क्षेत्र के ग्रामों का विद्युत उपयोग का पोन्टेशियल कम होने तथा इस क्षेत्र में विद्युत सिस्टम की कमी होने के कारण इस क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आर. ई. सी. मापदण्डों के आधार पर साध्य स्कीम बनाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(2) विद्युतिकरण का कार्य योजना स्वीकृत होने पर ही किया जाता है। पंचायत समिति सपोटरा का 1980 में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें मंडरायल उप तहसील के ग्रामों का पोन्टेशियल स्कीम में सम्मिलित करने के लिये अपर्याप्त नहीं पाया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत समिति सपोटरा के 27 ग्रामों की एक योजना बनाई गई, लेकिन इसमें उप तहसील मंडरायल के ग्राम सम्मिलित करना साध्य नहीं पाया गया हैं। स्वीकृत योजना के अभाव में यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि इस क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक हो सकेगा।

भरतपुर जिले में सेवर हेलक रोड पर निर्मित कौजवे

659. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या

(श्री हरिसिंह)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में सेवर हेलक रोड पर निर्मित 'कौजवे' पर पानी भरा रहने से वाहनों के आवागमन में बाधा होती है ?

(2) क्या सरकार जनता को राहत देने हेतु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी जिससे वाहनों का आवागमन नहीं रुके ? यदि हां तो क्या और कब ?

उत्तर

1. एवं 2

जी नहीं। केवल वर्षाकाल में यातायात में असुविधा होती है अत: कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बनास नदी की अप्रोच रोड का मुआवजा

660. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी की अप्रोच रोड में आने वाली जमीनों का मुआवजा ग्राम देवली के किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार के खातेदारों को ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अप्रोच रोड के मुआवजा के मामले में कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो किस विभाग में तथा उसका फैसला कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ये बारानी भूमि के खातेदार है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई जांच नहीं चल रही है।

महलां से भाग सड़क निर्माण

661. **श्री भैरू सिंह गुर्जर** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

महलां से भाग सड़क का निर्माण कार्य चालू किया गया ? क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

महलां से भाग सड़क का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत सम्वत् 2038 में प्रारम्भ किया गया था। कार्य पूर्ण नहीं हो सका और इसे पूर्ण कराये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

महुवा तथा टोडाभीम निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

662. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(40)

(श्री रामकिशोर मीणा)

(1) वर्ष 1981-82 में वैर, महुवा तथा टोडाभीम निर्वाचन क्षेत्रों में कौन-कौन सी सड़कें मंजूर हुई थीं तथा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया था ? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्ष 1982-83 में टोडाभीम महुवा (सवाई माधोपुर) निर्वाचन क्षेत्रों में कौन-कौन सी सड़कें मंजूर की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या टोडाभीम से बालाजी वाया सांकरवाड़ा सड़क मंजूर की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 81-82 में वैर तथा टोडाभीम तहसीलों में कोई नई सड़क मंजूर नहीं हुई थी तथा महुवा तहसील में निम्नलिखित सड़कें मंजूर हुई थीं जिसमें रसीदपुर से पालन खेड़ा सड़क को छोड़कर बाकी सभी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे :--

1. महुवा से ग्रोड सड़क ।

2. मुख्य सड़क से नदी के सहारे रसीदपुर ग्राम तक एप्रोंच सड़क

3. पाखर से रसीदपुर तक सड़क ।

4. काला पहाड़ से पाली भोंपर तक सड़क

5. महुवा से हुडला सड़क ।

6. रसीदपुर से पालनहेड़ा सड़क का निर्माण कार्य ।

7. पीलवा से रसीदपुर सड़क ।

(2) वर्ष 1982-83 में महुवा व टोडाभीम क्षेत्रों में निम्नलिखित सड़कें मंजूर की गई --

1, महुवा से ग्रोड सड़क ।

2. मुख्य सड़क से नदी के सहारे रसीदपुर ग्राम तक एप्रोच सड़क ।

3. पाखर से रसीदपुर सड़क का निर्माण कार्य ।

4. काला पहाड़ से पाली भोंपर तक सड़क

5. महुवा से हुडला सड़क ।

6. पीलवा से रसीदपुर सड़क का निर्माण कार्य ।

7. मुंडिया से धोलेटा वाया नांगल मोरड कपालपुर सड़क ।

(3) धनाभाव के कारण इस सड़क को बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

चाकसू व सांगानेर तहसीलों में निर्माणाधीन सड़कें

663. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1980-81 1981-82, 1982-83 में चाकसू व सांगानेर तहसीलों में कितनी-कितनी धन राशि की लागत की कौन-कौनसी व कितने-कितने किलोमीटर

(51)

(श्रीमती विद्या पाठक)

कच्ची व डामरयुक्त पक्की सडकों का निर्माण कौन-कौनसे विभागों द्वारा पूरा कराया गया ? कितना काम अभी बाकी है ? दिनांक 1–2–1983 तक का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त तहसीलों में सडक निर्माण के लिए सर्वे के आधार पर कोई योजना सरकार ने तैयार कराई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1980–81, 81–82 एवं 82–83 में सांगानेर तहसील में एक सम्पर्क सड़क नेवटा 6,13,732/- रुपये की लागत से 4.2 कि.मी. की डामर सड़क का कार्य पूरा कराया गया और कोई कार्य बाकी नहीं है तथा चाकसू तहसील में चन्दलाई ग्राम से तीतरिया तक 4.75 किमी. डामर की सड़क का निर्माण 7,78,265/- रुपये की लागत से कराया गया और 150 मीटर लम्बाई में यह कार्य भूमि अवाप्ति में कठिनाई के कारण अपूर्ण रह गया ।

(2) जी नहीं ।

पर्यटन विकास निगम व पर्यटन विभाग में टूरिस्ट बसें व टैक्सियां

664. **श्री भैरोंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं पर्यटन विभाग के पास कुल कितनी टूरिस्ट बसें व टूरिस्ट टैक्सियां हैं । पृथक-पृथक आंकड़े प्रस्तुत करें ।

(2) निगम व विभाग के पास स्वयं की एवं प्राइवेट कितनी टैक्सियां व बसें हैं एवं किन-किन की हैं ? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्राइवेट बसों एवं टैक्सी को निगम व विभाग क्या रेट से भुगतान करता है ?

उत्तर

(1) निगम के पास कुल 20 टूरिस्ट बसें व टैक्सिया हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

बसें (बड़ी)	6
बसें (मनी)	9
टैक्सियां	3
मेटाडोर	1
जीप	1
कुल	20

विभाग के पास कोई टूरिस्ट बस व टैक्सी नहीं है ।

(2) निगम के पास स्वयं की उपरोक्तानुसार 20 बसें/टैक्सियां हैं । शाही रेलगाड़ी के पर्यटकों के दृश्यावलोकन हेतु जयपुर, आगरा, जोधपुर, जैसलमेर व उदयपुर में समय-समय पर विभिन्न फर्मों से बसें ली जा रही हैं । जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । विभाग ने कोई भी प्राइवेट बस अथवा टैक्सी नियमित अनुबन्ध के आधार पर नहीं ले रखी है ।

Page No 42

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(3) निगम द्वारा अपनी टैक्सियां होने के कारण प्राइवेट टैक्सियां नहीं मंगायी जाती, परन्तु शाही रेलगाड़ी के पर्यटकों के दृश्यावलोकन हेतु जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं आगरा के लिए प्राइवेट बसें उपयोग में ली जा रही हैं और जिसके लिए निम्नलिखित रेट से भुगतान किया जा रहा है :—

मार्ग	अवधि	कि.मी.	दर रुपये में
आगरा–भरतपुर–फतेहपुर–सीकरी–आगरा।	दो दिन	200	1150/-
जोधपुर–जैसलमेर–सम–जोधपुर	तीन दिन	800	4500/-
उदयपुर	दो दिन	100	900/-
जयपुर	एक दिन	100	500/-

विभाग द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम, राज. पर्यटन विकास निगम, मोटर गैरेज तथा प्राइवेट कम्पनियों से बस/मिनी बस तथा टैक्सियां किराये पर ली जाती हैं, जिनके किराये का भुगतान नियमानुसार प्रचलित दरों पर किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की आडिट रिपोर्ट

665. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. अजमेर के आडिट प्रतिवेदनों वर्ष 1976–1977 में दो दुकानों की नीलामी में 30,000 रु. की हानि, स्कूटर टेम्पो नं आर. एस. जेड. 1208 बेचने में 6,900 रु की हानि, स्कूटर टेम्पो नं. आर. जे. जेड. 3163 बेचने में 12,000 रु. की हानि प्राप्त लोंग का कम इन्द्राज कर बाजार भाव से बहुत सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को नहीं बेचकर कुछ खास व्यापारियों को बेचकर पहुंचाई गई हानि, अनावश्यक माल क्रय कर पूंजी को उलझाकर पहुँचाई गई हानि, गैस सिलेन्डर कम प्राप्त कर पहुँचाई गई हानि, पुरानी शार्टेज को वसूल नहीं कर पहुँचाई गई हानि एवं पुराने आडिट प्रतिवेदनों में आपेक्षित लाखों रुपयों की बकाया वसूल नहीं करने के स्पष्ट आक्षेप किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो यह आडिट प्रतिवेदन वास्ते अग्रिम कार्यवाही सहकारिता विभाग से सम्बद्ध अधिकारियों को कब प्राप्त हो गया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सहकारिता अधिनियम में छः वर्ष की समाप्ति पर दायित्व मुक्ति के प्रावधान का लाभ देने हेतु इस आडिट प्रतिवेदन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो अब कब कार्यवाही को जाकर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। आडिट रिपोर्ट में इस प्रकार के आक्षेपों का उल्लेख है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) ऑडिट प्रतिवेदन 10.8.82 में रीजनल ऑडिट ऑफीसर अजमेर के कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसका निष्पादन किया जाकर पत्र क्रमांक 2498 रीआऑ/ऑडिट/82-83 दिनांक 15.10.82 के द्वारा ऑडिट प्रतिवेदन भण्डार को भेजा गया तथा दिनांक 22.2.83 को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत मामले पंजीकृत किये जाकर जांच के आदेश प्रसारित हो चुके हैं।

(3) जी नहीं, उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ 6 माह की अवधि में कार्यवाही सम्पन्न करा ली जावेगी।

अकालग्रस्त ग्रामों में पियाई हेतु पेयजल व्यवस्था

666. **श्री चन्द्रवीरसिंह** (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अकालग्रस्त गांवों में पियाई द्वारा पेयजल व्यवस्था की जाती है ?

(2) क्या जिला जैसलमेर में ऐसे ग्राम भी हैं जहां पर संवत् 2025 से अब तक पियाई का भुगतान नहीं किया गया है, और अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो ऐसे कितने ग्राम हैं ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल ग्रस्त गांवों में पियाई के द्वारा पेयजल की व्यवस्था केवल ऐसे ग्रामों हेतु ही की जाती है जिनका जल स्तर 150 फीट या इससे अधिक गहरा हो।

(2) सम्वत् 2025 से 2037 तक के पियाई के कोई बिल बकाया नहीं है। सम्वत् 2038 के कुछ ग्रामों के बिल बकाया हैं। इनकी सूची संलग्न है। इन बिलों के चुकारे के लिये जिलाधीश की मांग के अनुसार दिनांक 18.2.83 को धनराशि आवंटित कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति फतहनगर की आडिट रिपोर्ट

667. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति, फतहनगर की वर्ष 1978-79 व 1979-80 की ऑडिट हो चुकी है ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1979-80 में 75,000/- रुपये का फर्जी पेमेन्ट अनुलोडिंग का उठाया गया ? यदि हां, तो उस समय के कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 44

(44)

उत्तर

(1) जी हां। संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति फतहनगर को वर्ष 78–79 व 79–80 की आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 79–80 की आडिट रिपोर्ट में 75,000/- रुपये फर्जी पेमेन्ट अनलोडिंग का आक्षेप लगाते हुए जांच का सुझाव दिया है। दोषी बताये कर्मचारियों को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जावे, कारण बताओ नोटिस क्षेत्रीय अंकेक्षक अधिकारी सहकारी समितियां, उदयपुर द्वारा दिनांक 9.2.83 को दिया गया है। कार्यवाही चल रही है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में कुओं को गहरा करवाने हेतु आवंटित सहायता राशि

668. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कुओं का जल स्तर घट जाने के कारण कुओं को गहरा करवाने के लिए सन् 1982–83 में टोंक जिले में सहायता के लिए कोई राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो आवंटित व खर्च की गई राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1982–83 में टोंक जिले में कुँओं को गहरा कराने के लिए निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई :—

संवत् 2038 में 1.4.82 से 30.9.82 हेतु	2·00
	3·00
योग	5·00

इस आवंटन में से रु. 3.00 के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।

संवत् 2039	–	1·25

अब तक खर्चा रु. 1·95 लाख का हुआ है।

जिला परिषदों को विद्यालयों का नियन्त्रण सौंपने की घोषणा

669. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का नियंत्रण जिला परिषद को सौंपने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आवश्यक आदेश दिये गये ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिये जावेंगे ?

Page No 45

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियन्त्रण जिला परिषदों को सौंपने की कोई घोषणा नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पहले से ही पंचायत समितियों/जिला परिषदों के नियन्त्रण में हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियन्त्रण जिला परिषदों को सौंपने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा खोज एवं उत्खनन् कार्य

670. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा वर्ष 1982-83 में कहां-कहां खोज एवं उत्खनन् कार्य किया गया ? कृपया जिलेवार विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक चित्तौड़गढ़ जिले में की गई खोज एवं उत्खनन से कहां कहां किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध हुई है ? कृपया सूची सदन को मेज पर रखे।

उत्तर

(1) वर्ष 1982–83 में गणेश्वर तहसील, नीम का थाना, जिला सीकर में पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया गया। यहां से समृद्ध ताम्रयुगीन सभ्यता के पांच हजार वर्ष पुराने लगभग दो हजार ताँबे के उपकरण मिले हैं। ताम्र उपकरणों में तोराग्र कुल्हाड़ियां, भाले एवं मछली पकड़ने के कांटे भी हैं। ये उपकरण समूचे भारत में अनूठा स्थान रखते हैं। उत्खनन् से पाषाण उपकरण, भवनों के अवशेष, तथा विशिष्ट मृद-पात्र आदि भी प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्र में गणेश्वर संस्कृति के अन्य 10 प्राचीन स्थलों की भी खोज की गयी, जिसकी सूची संलग्न है। इसी वर्ष ग्राम मलाह जिला भरतपुर से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी सर्व प्रथम पूर्वी राजस्थान में प्रकाश में आये हैं। यहां से हारपून, कुल्हाड़े, छेनियां तथा भालों के रूप में विभिन्न ताम्रोपकरण प्राप्त हुए हैं जो लगभग चार हजार वर्ष पुराने हैं।

(2) इस जिले के विभिन्न स्थानों की खोज एवं उनसे प्राप्त सामग्री की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जोधपुर जिले के शिक्षा विभाग में लिपिकों की नियुक्ति

671. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले के शिक्षा विभाग में कुल कितने पद कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकों के हैं, जिनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी नियुक्त हैं ?

(2) क्या रोस्टर प्रणाली के आधार

(श्री नरपतराम बरबड़)

पर अनुसूचित जाति व जनजाति के पूरे पद भरे हुए है ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में मुख्यालय, उपनिदेशक छात्र उप-निदेशक छात्रा, जिला शिक्षा अधिकारी छात्र, छात्रा में कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति का कनिष्ठ या वरिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं है ? अगर हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिक के 18 पद हैं, जिनमें से 12 पर अनुसूचित जाति के एवं 5 पद अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी और वरिष्ठ लिपिक के 114 पदों में से अनुसूचित जाति के 5 कर्मचारी नियुक्त हैं ?

(2) जी नहीं। रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पद पूरे भरे हुये नही हैं। रोस्टर प्रणाली के अनुसार इन पर क्रमशः अनुसूचित जाति के 29 पद एवं अनुसूचित जन जाति के 19 पद होंने चाहिये, परन्तु वर्तमान में इन पदो पर क्रमशः 12 एवं 5 व्यक्ति ही कार्यरत हैं।

गत तीन सत्रों से 1979–80, 80-81 एवं 81–82 से कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर निपुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के बाद उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों में से की जाती हैं, जो उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण कमी को पूरा नहीं किया जा सका। वरिष्ठ लिपिक के पद कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और जब तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर इन जातियों के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे, कमी चलती रहेगी।

(3) जी नहीं।

झालावाड जिले में विद्युतीकरण की योजना

67?. **श्री शोदान सिह** (पिड़ावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला झालावाड़ के विधान सभा के क्षेत्र पिड़ावा के करीबन 100 ग्राम ऐसे हैं जहां पर कुए काफी मात्रा में है व नदी नालों से कृषक डीजल पम्प सैट द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तथा डीजल उपलब्ध नहीं होने से कृषक काफी परेशान हैं ? क्या राज्य सरकार के पास इस क्षेत्र के ग्रामों को बिजली देने की कोई योजना विचाराधीन है। यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में कितने ग्रामों को विद्युत उपलब्ध करायी जावेगी। शेष गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

(2) जिला झालावाड़ में भवानी मंडी के पास 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना चालू की जावेगी।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के कुल 254 ग्रामों में से 103 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।. शेष 151 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु अभी कोई योजना स्वी-

(ऊर्जा मन्त्री) :

कृत नहीं हैं। अतः चालू वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के किसी अन्य ग्राम को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्यक्रम नहीं है। स्वीकृत योजना के अभाव में शेष गांवों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। इस योजना का कार्य वर्ष 1983–84 में प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

केन्द्रीय बालिका उच्च विद्यालय अजमेर का विभागीय जांच प्रतिवेदन व आडिट रिपोर्ट

673. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 के विभागीय जांच प्रतिवेदन/आडिट रिपोर्टस् में अवैध, अनियमित, अनधिकृत खर्च एवं गबन के गंभीर आक्षेप किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन आक्षेपों का यथा आवश्यक निराकरण करने में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें) अजमेर बाधा डाल रही हैं, क्योंकि अधिकांश आक्षेपाधीन काल खण्ड के दौरान वे ही इस विद्यालय की प्राचार्य थी ?

(3) यदि नहीं, तो कृपया तीनों ही साल की रिपोर्ट एवं उनमें किये गये आक्षेपों के निराकरण का विवरण एवं इस विद्यालय की वर्तमान प्राचार्य द्वारा दि. 24-8-1982 को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें) अजमेर को लिखे पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के वर्ष 11/77 से 4/80 की अवधि में लेखा जांच प्रतिवेदन में अनाधिकृत व्यय एवं अनियमितता संबंधी आक्षेप है।

(2) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर उपरोक्त लेखा जांच-प्रतिवेदन के आक्षेपों के निराकरण एवं पूर्ण अनुपालना के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रही है।

(3) प्रतियां संलग्न है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में निवास स्थान

674. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर के परिसर में कुछ अधिकारी वर्ग का निवास है ? यदि हां, तो वे अधिकारी कौन है तथा ये किन कारणों से वहां रहते हैं तथा इनके निवास का किराया किसको दिया जाता है?

(श्री यदुनाथ सिंह)

(2) इन निवासों के नल एवं बिजली का भुगतान कौन करता है ? यदि विद्यालय, तो क्यों व किस मद में दर्शाता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिकारियों के नाम निम्न प्रकार है :—

1. सुश्री उषा सुन्दरी वली, निदेशक, प्रौढ शिक्षा
2. श्रीमती हेमलता लोहमी, स. प्र. अ. राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क, जयपुर
3. श्रीमती दास, व्याख्याता, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर
4. श्री इन्द्रजीत सूद, प्र. अ, कुड़गांव सवाई माधोपुर।

उपरोक्त अधिकारियों के जयपुर में स्वयं के मकान नहीं है। इन भवनों का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा होता है।

(2) इन अधिकारियों के द्वारा ही नल व बिजली के बिलों का भुगतान संबंधित विभाग को किया जाता है। विद्यालय द्वारा उनके नल व बिजली खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है।

सुवाना पंचायत समिति का विद्युतीकरण

675. **श्री बंशी लाल पटवा**(भीलवाड़ा): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सुवाना पंचायत समिति के कितने गांवों में बिजली पहुंचाई और किन किन गांवों में नहीं। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा सुवाना पंचायत समिति को कब तक विद्युतीकरण की श्रेणी में घोषित करा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की पंचायत समिति सुवाना कि 125 ग्रामों में से 111 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष 14 ग्राम अभी अविद्युतिकृत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) सुवाना पंचायत समिति के शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना स्वीकृत अथवा विचाराधीन नहीं है। अतः इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)।

सीकर जिले में कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन

676. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1)सीकर जिले में कुल कितने कृषि कूपों को कनेक्शन दिया हुआ है ? पंचायत समिति के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) सीकर जिले में 1978-79, 1979–80, 81, 1981–82 एवं 1982-83 में प्रति वर्ष क्रमश: कितने-कितने कृषि कनेक्शन दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सीकर जिले में इस वर्ष प्रत्येक किसान को औसतन कितने घन्टे बिजली की सप्लाई दी जा रही है ? क्या यह सही है कि जिलाधीश सीकर व अधीक्षण अभियन्ता सीकर ने एक पेम्पलेट निकालकर सिर्फ पांच घन्टा बिजली देने का वचन दिया है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में माह फरवरी 1983 के अन्त तक 20097 कृषि कूपों को कनेक्शन दिया जा चुका है जिनकी पंचायत समिति के अनुसार संख्या निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	कृषि कनेक्शनों की संख्या
1.	श्री माधोपुर	4633
2.	खण्डेला	3091
3.	नीम का थाना	2489
4.	दाता रामगढ़	3349
5.	धोंद	2097
6.	लक्षमणगढ़	1393
7.	फतेहपुर	336
8.	पिपराली	2642
9.	सीकर शहरी क्षेत्र	67
	कुल	20097

(2) सीकर जिले में वर्ष 1978–79 से वर्ष 1982–83 (माह फरवरी, 83तक) प्रतिवर्ष दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वर्ष	विद्युतिकृत कुओं की संख्या
1.	1978–79	2545
2.	1979–80	3072
3.	1980–81	2128
4.	1981–82	2313
5.	1982–83 (माह फरवरी, 83 तक)	525
	कुल	10583

(3) सीकर जिले में इस वर्ष माह अप्रेल 82 से फरवरी, 83 तक कृषि हेतु दी गई बिजली की सप्लाई का औसत 7.18 घन्टे प्रतिदिन रहा है। जी नहीं, ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया। जिलाधीश सीकर एवं अधीक्षण अभियन्ता, सीकर ने पेम्पलेट के माध्यम से संयुक्त अपील जनता के नाम जारी की थी, जिसमें दिनांक 17 जनवरी, 83 से राज्य सरकार द्वारा गांवों को विद्युत सप्लाई 5 घन्टे किये जाने का हवाला देते हुए, जनता से सहयोग की अपेक्षा की थी।

विद्युत मंडल में ड्यूटी पर मृत कर्मचारी

677. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) अप्रेल सन् 1980 से अब तक राज्य विद्युत मण्डल के कौन कौन कर्मचारी कब कब अपनी ड्यूटी पर काम करते हुये मर गये या मार दिये गये ? कृपया उनके पद सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मृतक कर्मचारियों को मण्डल की ओर से कब कब क्या-क्या सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक राज्य विद्युत मण्डल के कुल 153 कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर काम करते दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गये। इन मृतक कर्मचारियों का विवरण उनके पद सहित परिशिष्ट में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को देय/दी गई सहायता का विवरण उपरोक्त परिशिष्ट में दर्शा दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

झालावाड़ जिले में कृषकों को विद्युत कनेक्शन

678. **श्री बालचन्द आर्य** (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन [झालरापाटन] : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में विद्युत कनेक्शन हेतु किसानों की कितनी फाईलें विभाग में पेन्डिंग पड़ी हुई हैं व क्यों ?

(2) इन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन देने की 2228 फाइलें विद्युत मण्डल के विभिन्न सहायक अभियन्ताओं के कार्यालयों में पेंडिंग हैं। सीमित संसाधनों एवं विद्युत की सीमित उपलब्धि के कारण सभी आवेदकों को विद्युत कनेक्शन हेतु मांग पूरी करना सम्भव नहीं है। राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन की पेंडिंग फाईलों की संख्या तथा विभिन्न स्वीकृत योजनाओं में दिये गये लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1982–83 में झालावाड़ जिले के लिए 200 कुओं को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) इन सभी आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

अजमेर में सहायता प्राप्त स्कूल

679. **सैय्यद मोहम्मद अयाज** महाराज [मसूदा]: क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर में कितने स्कूल निजी व्यक्तियों व निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

(सैय्यद मोहमद अयाज महाराज)

(2) इनमें से कितनी स्कूलों को सरकार सहायता, अनुदान देती है व कितनी राशि का ?

उत्तर

(1) अजमेर में कुल 138 शिक्षण संस्थाएं मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हैं।

(2) सरकार द्वारा 92 शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकार किया जाता है संस्थावार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले में इडरा गांव का विद्युतीकरण

680. **श्री माधवसिंह दीवान** सोजत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में मंगलवाड़ चौराहे के पास इडरा नाम का गांव स्थित है ? यदि हां, इसके चारों तरफ कितनी दूरी पर कौन-कौन से गांव स्थित हैं, तथा इनमें कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव की सीमा के बिल्कुल नजदीक से बिजली की लाईन खींची हुई है ? यदि हां, तो इसे कब तक विद्युतीकृत घोषित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस ग्राम की राजस्व सीमा से लगभग 5 कि. मी. की दूरी से लगते हुए निम्नलिखित 9 ग्राम हैं, जिनमें से 4 ग्राम विद्युतिकृत हैं।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतिकरण की स्थिति	दूरी (कि. मी.) मॉन चित्र के आधार पर[लगभग]
1.	तेलन खेडी	20/10/98	विद्युतिकृत	5.0 कि.मी.
2.	मंगलवाड	21/10/25	,,	4.5 कि.मी.
3.	अरनेड	33	,,	5.0 कि.मी.
4.	मंगावली	12	,,	5.0 कि.मी.
5.	खेता खेडा	32	अविद्युतिकृत	3.0 कि.मी.
6.	रावतपुरा	26	,,	3.0 कि.मी.
7.	रोड जी का खेडा	17	,,	3.0 कि.मी.
8.	छापारी	30	,,	3.5 कि.मी.
9.	तीतरडा	28	,,	4.5 कि.मी.

(2) जी हां। इस ग्राम के विद्युतिकरण की वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः इसके विद्युतिकरण के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

Page No 52

(52)

राज्य में राजस्व अभियान

681. **श्री रामसिंह विश्नोई** : (लूनी) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्व अभियान कब प्रारम्भ किया गया व अब कितने दिन का यह अभियान शेष रहा है ? इस अभियान में कितने मामले किस किस तरह के निबटाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि इस राजस्व अभियान में बटवाड़ा तथा फौतगी, नामान्तरकरण के अलावा कोई भी कार्य नही हो सके ? क्या ये दोनों छोटे छोटे कार्य पंचायतों द्वारा ही सम्भव हो सकते थे ? यदि हां, तो इतना बड़ा प्रोग्राम इतना भारी व्यय करके चलाना कहां तक उचित है ?

(3) क्या यह सही है कि इस अभियान के दौरान डी. पी. ए. पी. जिलों में भू आवंटन व भूमि नियमन के मामलों का निपटारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो ये कार्यक्रम इन जिलों में नहीं चलाने के क्या कारण रहे हैं व इन डी. पी. ए. पी. जिलों में टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के कितने केसेज विचाराधीन हैं व उनमें से कितने केसेज विचाराधीन हैं व उनमें से कितने मामलों का नियमन किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्व अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारियों व पंचायत समितियों के अधिकारियों के अलावा कोई भी अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित नही हुए ? अगर हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि इस प्रोग्राम का नाम प्रशासन गांवों की ओर रखा गया था लेकिन वास्तव में यह राजस्व अभियान ही होकर रह गया ? यदि हां, तो प्रशासन गांवों की ओर नहीं जा सकने की कौनसी प्रशासनिक अड़चनें रही हैं और भविष्य में इस प्रोग्राम को सुन्दर व व्यवस्थित रूप से चलाने की क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) राजस्व अभियान 1 जनवरी, 1983 से आरम्भ किया गया एवं 15 फरवरी, 1983 को समाप्त कर दिया गया। अभियान के दौरान जो मामले निपटाये गये उनकी सूची संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। राजस्व अभियान में बंटवारे तथा फोगी नामान्तरकरण के अलावा कई अन्य भी कार्य हुए हैं, जैसा कि भाग (एक) के अनुसार सूची स्पष्ट है। बंटवारे के अधिकार पंचायतों को नहीं होने के कारण यह कार्य पंचायतों द्वारा संभव नहीं था।

(3) जी नहीं। वर्तमान में जो डी. पी. ए. पी. जिले हैं, उनमें इस प्रकार का कोई मरूस्थलीय जिलों में डी. पी. ए. पी. के कारण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 में नियमन का कोई प्रावधान नहीं हैं। यह प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत हैं। जिसमें वर्तमान के डी.पी.ए.पी. के जिले की स्थिति इस प्रकार हैं :–

Page No 53

(53)

(राजस्व मन्त्री)

कुल विचाराधीन मामले		कुल निपटाये गये मामले	जो नियमन किये गये
डूंगरपुर	8,676	8,676	शून्य
बांसवाडा	21,533	21,533	,,
अजमेर	4,343	4,343	148
उदयपुर	16,281	16,281	134

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं। राजस्व अभियान के अलावा अन्य विभागों द्वारा भी कार्य किया गया और कई उपलब्धियां हुई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

बाली नगर क्षेत्र के नजदीक कृषि भूमि पर अवैध निर्माण

682. **श्री असलम खा बाली** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या बाली नगर क्षेत्र के नजदीक आया हुआ सुथारोंवाला बेरेरे का जाव खसरा नम्बर 567, 573, 567/1 रकबा 25 1/4बीघा कृषि भूमि पर आवासीय मकान बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) सुथारों वाला जाव की कृषि भूमि पर पिछले 5 साल से गिरदावरी किसके नाम से की गई तथा लगान किसने भरा ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

[1] जी हां। अवैध निर्माणों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 अ के अन्तर्गत कार्यवाही जेर कार है।

[2] सुथारों वाला जाव की पिछले 5 वर्षों से गिरदावरी किसी के नाम अंकित नहीं हैं। भूमि का लगान सम्वत् 2037 तक श्री कपूरचन्द पुत्र भुलाजी ने भरा है, तथा 2038 से लगान बकाया है।

बेगू तहसील में खनिज सर्वे

683. **श्री घनश्याम जैन** (बेगू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

[1] कि क्या तहसील बेगू में खनिज सर्वे किया जा रहा है ?

(श्री घनश्याम जैन)

[2] यदि हां, तो सर्वे के आधार पर कौन-कौन से खनिज किन-किन स्थानों में मिलने की सूचना है ?

[3] क्या लाइम स्टोन भी इस क्षेत्र में पाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर व कितनी-कितनी मात्रा में व कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में है ?

[4] क्या उक्त क्षेत्र में वैराइटीज, डोलोमाइट व चांदी भी मिलने की सम्भावना है ?

उत्तर

[1] जी हां।

[2] काटून्डा, घान्दाखेड़ा व सिंगोली क्षेत्र में चूना पत्थर मिलने की पूर्ण सम्भा- है। इस क्षेत्र में डोलोमाइट मिलने की भी सम्भावना है।

[3] प्रश्न के भाग 1 का उत्तर प्रश्न 2 के उत्तर में आ गया है। चूना पत्थर घान्दाखेड़ी व सिंगोली में 18.00 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में मिलने की संभावना है।

[4] उक्त क्षेत्र में डोलोमाइट मिलने की सम्भावना है। बेराइटीज खनिज के घोंदाखेड़ा ग्राम के पास संकेत मिले हैं लेकिन इसका आर्थिक दृष्टि से उत्पादन करने की संभावना कम है। चांदी खनिज कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत डिप्लोमा अभियन्ता संघ का ज्ञापन

684. **सुश्री पुष्पा जैन** [आमेर]: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

[1] क्या यह सही है कि विद्युत डिप्लोमा अभियन्ता संघ ने विद्युत मण्डल के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री वी आई. राजगोपाल के विरुद्ध प्रदेश के बिजली तंत्र को अस्त-व्यस्त करने और मण्डल में भारी घोटाले करने का आरोप लगाते हुये राज्य सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो कब ?

[2] इस ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

[1] जी हां, अप्रेल 1981 एवं फरवरी, 1982 में।

[2] उनके खिलाफ लगाये गये आरोप आधारहीन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

स्थगित प्रश्न

[दिनांक 2 मार्च, 1983]

जिला कोटा में देवस्थान की भूमि

239. **श्री दाऊदयाल जोशी** [दीगोद]:

Page No 55

55

श्री हीरालाल आर्य [पीपल्दा] : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

[1] कोटा जिले की किस-किस तहसील में कहां कहां, कितनी कितनी भूमि किस मन्दिर के नाम से देवस्थान की भूमि है? इन भूमियों पर वर्तमान में किन किन के वैध व अवैध कब्जे कब कब से चल रहे हैं? क्या सरकार ने इन अवैध कब्जों को हटाने हेतु कभी कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब-कब, क्या क्या कार्यवाही, कहां की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[2] देवस्थान की इन जमीनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? गत 3 वर्षों में इस जिले में क्या नीतिगत कोई कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

[1] कोटा जिले के मन्दिरों की कृषि भूमि के सर्वेक्षण का कार्य अभी चालू है। उपलब्ध सूचना के अनुसार तहसीलवार मंदिरों की भूमि एवं उस पर वैध व अवैध कब्जों की सूची सदन की पटल पर रख दी गयी हैं। राजकीय मन्दिरान की भूमि पर अवैध कब्जे विरुद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1936 के तहत कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये हैं एवं सभी मन्दिरों की भूमि का इन्तकाल मन्दिरान के नाम वापस दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही विवाद समाप्त करने की दृष्टि से पुराने काबिजान जिन्होंने ऐसी भूमि पुजारियों से दिनांक 1–4–78 से पूर्व नियमित एवं कानूनी विक्रय पत्र द्वारा खरीद की हैं और वह अब तक ऐसी भूमि पर काबिज हैं अथवा जो दिनांक 31–12–69 से पूर्व राजस्व रेकार्ड में उप कृषक दर्ज थे तथा तब से सम्बन्धित भूमि पर काबिज चले जा रहे हैं को जिलाधीश द्वारा प्रमाणित प्रचलित दर पर बेचे जाने की स्वीकृति दी है।

(2) मन्दिरों की भूमि पर अवैध कब्जे नहीं है इसके लिये जिलाधीश को भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल के पद पर प्रमोशन

224. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1981–82 व 1982–83 में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर प्रमोशन दिये जाने हेतु डिपार्टमेन्ट की ओर से किन-किन नामों की सूची तैयार की गई थी ?

(2) उक्त सूचियों में से पृथक्-पृथक् वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को और प्रमोशन मिल सका ? पृथक्-पृथक् दर्शाने का कष्ट करें।

(3) क्या डिपार्टमेन्ट में जो सूचियां तैयार की थीं वे सीनियोरिटी वाईज थीं तथा प्रमोशन के बाद कुछ लोगों की सीनियोरिटी में परिवर्तन कर दिया गया ? कृपया दोनों लिस्टें सदन की मेज पर रखें और सभी अध्यापकों की डिपार्टमेन्ट में प्रवेश होने की तिथि भी देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 की जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) एवं समकक्ष पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष, 1979-80 एवं 1980-81 की बैठक के साथ, एक साथ एक ही दिन हुई थी। इन तीनों वर्गों की पात्रता सूची एक ही बनाई थी, जिसको 3 भागों में अलग-अलग वर्ष वार बांट दिया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति ने पहले वर्ष 1979-80 के लिए प्रथम सूची में से चयन किया, और चयन के बाद सूची में शेष बचे नामों को, वर्ष 1980-81 की सूची में जोड़ कर वर्ष 80-81 के लिये चयन किये, और, इस प्रकार इसी सूची में से बचे नामों को, वर्ष 1981-82 की सूची में सम्मिलित कर, वर्ष 1981-82 के लिये चयन किये गये। तीनों भागों में बनाई गई सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। वर्ष 1982-83 में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर चयन के लिए जो सूची बनाई गई, वह भी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

महिला वर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति के लिये वर्ष 1981-82 एवं 82-83 के लिये जो पात्रता सूची बनाई गई थी वह भी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सूचियां सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। प्रमोशन के बाद किसी की सीनियरिटी में परिवर्तन नहीं किया गया। अतः और कोई सूचियां प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी अध्यापकों की विभाग में प्रवेश की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

दिनांक 8 मार्च, 1983

पैलेस आन व्हील्स से आय

395 **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पैलेस आन व्हील्स (Palace on wheels) ने अब तक कितनी ट्रिप्स (Trips) की हैं ?

(2) उक्त ट्रिप्स से विभाग को कितनी आमदनी हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पैलेस-ऑन-व्हील्स ने अब तक कुल 31 ट्रिप्स की हैं।

(2) उक्त ट्रिप्स से निगम को अब तक के संकलित आंकड़ों से 18, 63,474.50 रुपये की आमदनी हुई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री अब्दुल रहमान चौधरी, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 14 मार्च, 1983 से 20 मार्च, 1983 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अब्दुल रहमान चौधरी ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 14 मार्च, 1983 से 2(मार्च, 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

व्यवस्था का प्रश्न
माननीय सदस्यों की उपस्थिति संबंधी राज्य सरकार का परिपत्र

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में एक सरक्यूलर निकला है जिसमें सदस्यों की उपस्थिति यहां अनिवार्य बताई गई है। यह उसी का कारण है कि सदन में बार बार माननीय सदस्य अवकाश के लिए आवेदन पत्र देते हैं और सदन द्वारा उनको अनुमति दी जाती है। वह जो सक्यूलर हैं, आपतिजनक है। मैं चाहूंगा, उस सक्यूलर को आप वापस लें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा हैं, नियमों में हमारे कुछ इस तरह के प्रावधान हैं। राज्य सरकार ने सक्यूलर निकाल दिया है हमारी भी जानकारी में माननीय सदस्यों को शिकायत हुई वह भी आई। उसी दिन मैंने नियम सक्यूलर वगैरा सब मंगाये। उस सम्बन्ध में विचार करके हमने राज्य सरकार को लिख दिया हैं जहां कहीं भी "राज्य सरकार" शब्द है उसकी जगह "अध्यक्ष, विधान सभा" होना चाहिए। क्योंकि अपनी स्वायत्तता है। अब स्वायत्तता का एक लम्बा चौड़ा प्रश्न है और उसी का एक अंग यह है। मुझे भी कुछ अटपटा लगा जब मेरे ध्यान में आया। मैंने वह सब कागजात मंगवा लिये हैं और एक नोट भी बनाकर राज्य सरकार को भेजा है कि नियमों में इस अनुसार होना चाहिये। इस पर एक दो दिन में......

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह नही हैं। क्वेश्चन यह है कि राज्य सरकार ने कर कैसे दिया ? राज्य सरकार को किसने अधिकार दिया है ? राज्य सरकार हमको वाध्य नहीं कर सकती कि हम असेम्बली डेली अटेण्ड करें। राज्य सरकार के आदेश को आपने कैसे सरक्यूलेट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने मंगवा लिये हैं सब कागजात। आज देख लूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार का एन्क्रोचमेन्ट है असेम्बली की स्वायत्तता पर, बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरी यह दोनों आपत्तियां हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मैंने स्वयं महसूस किया। इस सम्बन्ध में अध्ययन भी किया। आप भी अनुभवी हैं अन्य माननीय सदस्य भी अनुभवी हैं यह अपने विधान सभा सचिवालय और विधान सभा की स्वायत्तता

(श्री अध्यक्ष)

का प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न पर उच्चस्तर पर चर्चा की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मन्त्री क्लीयर करें।

श्री अध्यक्ष : अपनी तरफ से उद्धृत करके एक नोट भेजा है। पुनः उस पर चर्चा होगी। मैं विविध पक्ष के माननीय सदस्य जो इन नियमों और संविधान के अध्ययन में रुचि रखते हैं, को भी बुलाकर बात कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो एडमिसिव ही गलत है। कर ही नहीं सकते वह।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, आप तो अनुभवी है, आपकी सब जानकारी में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैंने पहले भी विथड्रा कराया है एक बार इसी तरह से।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपने कराया है फिर करवा देंगे हम दुबारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेन्ट जवाब दे। गवर्नमेन्ट ने सक्यूलर इश्यू कैसे कर दिया। गवर्नमेन्ट बैठी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पहले हम सुदृढ स्थिती में आ जायें। विभिन्न पक्ष के नेताओं से मैंने इस सम्बन्ध में नियम, संविधान, उनकी व्याख्या एकत्र करवायी है, स्वयं मैंने अध्ययन किया है। मैं ध्यान में भी लाया हूं। मैंने कहा, ठीक है, बजट उनके साथ अवश्य बनता हैं, इतनी बात जरूर है, लेकिन बजट बनाने में भी अंतिम श्रेय है वह विधान सभा का है। प्रस्ताव वह करते हैं पास हम अपने वहां बैठकर नहीं करा सकते। यह सभी प्रश्न हैं नियम व परम्परा यह रही, आपको मालूम होगा, शुरू शुरू में कि राजस्थान जनरल फाइनेन्शियल रूल्स हैं, वह लागू होंगे, उसमें यह एहतियात नहीं बरता कि "सरकार" जहां लिखा है वहां "स्पीकर" या "विधान सभा" होगा। यह बात प्रारम्भ में हुई है। लम्बे समय तक सरकार ने जानते हुए भी प्रश्न सरकार ने अहतियात नहीं बरता, यही नहीं वर्तमान में 2–4 ऐसे बिल्स भी थे, उन पर भी एतराज किया, उसके बाद में यह सर्क्यूलर आया। यह सब हमारे ध्यान में है। अध्ययन करके इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह चाहता हूं गवर्नमेंट कुछ बताये। अध्यक्ष महोदय, यह एन्क्रोचमेन्ट का मामला मामूली मामला नहीं है : यह विधान सभा का....

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि विधि मन्त्री को थोडा नोटिस चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधि मन्त्री जी बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय। यह क्वेश्चन आपका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरा नहीं है। मैं

(श्री अध्यक्ष)

तो आपका सेवक हूं जो आप कहते हैं वही मैं करता हूं। उसमें मेरा कोई प्रश्न नहीं है। यह तो विधान सभा का प्रश्न है। विधान सभा मान, सम्मान, स्वायत्तता, कई तरह के प्रश्न इसमें निहित हैं ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो इसीलिए तो कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैंने मेज पालियामेंट्री प्रेक्टिस और कोल शकधर, अपने नियम, संविधान को काफी व्यस्त होते हुए भी अध्ययन करके, उनके उद्धरण राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किये। उन्होंने भी इस बात को माना। ऐसे पेचीदे और कानूनी प्रश्न पर विधि मन्त्री जी को भी कुछ तैयारी का अवसर चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, विधि मन्त्री जी मौजूद हैं, आर्डर ही विधि मन्त्रीजी ने इश्यू किया है।

श्री अध्यक्ष : हालाँकि हमारे मुख्य सचेतक जी इन परम्पराओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं लेकिन उनको भी थोड़ा समय चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन हैं, अध्यक्ष महोदय, पहचान में नहीं आये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : भेष बदलकर आये हैं आज।

एक माननीय सदस्य : Would be...

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इस बात में तो दो राय हो ही नहीं सकती कि सदन सर्वोपरि है, सदन को सब अधिकार हैं और सदन के अधिकारों को चैलेन्ज करने की किसी में शक्ति नहीं है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सरकार में भी।

श्री अध्यक्ष : खास तौर से विधान सभा चल रही हो तब तो और ही ज्यादा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमन्, यह सक्यूंलर कैसे निकला, इसका मैं भी पता लगाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, यह तो गवर्नमेंट के अलग-अलग विभागों से निकाले जाते हैं। हमको

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमन्, ऐसे सक्यूंलर कई बार कई निकलते हैं। मुझे इस सक्यूंलर के बारे में पर्टीकुलरली अभी आपने जो बात कही है, यहीं नोटिस में मेरे तो आया ही है जब आपने बात शुरू की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आपने सक्यूंलर देखा ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह मुख्य सचेतक हैं, पालियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और आपने वह सक्यूंलर ही नहीं देखा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखिये, रोजाना इतने कागजात आते हैं उनमें कहीं बीच में से सक्यूंलर निकल गया। मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इसको बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विथड्रा कराइये अध्यक्ष महोदय, इसको विथ ड्रा कराइये इमीजिएटली। मैं चाहता हूं मिनिस्टर साहब जवाब दें जिन्होंने इसको इश्यू कराया है। विधि मन्त्री जी, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, गम्भीर मसला है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो भी परिस्थिति है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं देख रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, एन्क्रोचमेंट का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट को तुरन्त विथड्रा करना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमन्, इसकी हम कल पोजीशन क्लीयर कर देंगे। कुछ समय चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पोजीशन क्लीयर क्या कर देंगे, आपने तो पढ़ा ही नहीं। पोजीशन क्या क्लीयर कर देंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा वह हमारे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय का आदेश तो आपको मजबूरन मानना पड़ेगा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां वही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कृपा नहीं कर रहे हैं विधान सभा और अध्यक्ष महोदय पर। आप यह जवाब दीजिए, आपने सक्यूंलर कैसे निकाला ? कैसे एन्क्रोचमेंट किया विधान सभा के राइट्स पर ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब कल देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब कोई तैयार भी नहीं है। विधि मन्त्री जी तो बोलें कुछ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह क्या बोलें, मैं बोल रहा हूं न। यह बोलें या मैं बोलूं बात एक ही है। यह बोलें नहीं मैं बोल रहा हूं कौनसा फर्क पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों का....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका कल हम जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब क्या देंगे ? आप जवाब क्या देंगे ? मैं तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप विथड्रा क्यों नहीं कर लेते उसको ? आपकी भी शान रहेगी, कर लीजिये विथड्रा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, विपक्ष के नेता महोदय, बहुत लम्बे समय से एक परम्परा थी। ऐसा है कि नियमों, जो नियम हमने स्वीकार कर लिए, की थोड़ी बहुत जानकारी मेरे सामने आयी है, टेक्निकली नियमों के अन्दर कुछ ऐसा है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

इसके लिए हमने यह लिख भी दिया कि जहां कहीं भी "राज्य सरकार" शब्द आया है, उसकी जगह "अध्यक्ष, विधान सभा" आना चाहिए । अब इन सभी मामलों का अध्ययन करके...

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अब यह सरकार कहां आती हैं बीच में हस्तक्षेप करने के लिए !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सा नियम है जिसके अनुसार अटेण्डेन्स को कम्पलसरी किया जा सके और उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करे ।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखा हुआ है सब, क्या देख लेंगे । आप चाहें तो मैं रूल्स कोट कर दूं, कहीं भी नहीं है । गवर्नमेंट को राइट ही नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने ऐसी गलती बिना सभी नियमों को, परम्परा को ध्यान में रखे यदि कर दी, ऐसा कोई आपत्तिजनक सक्यूंलर निकाल दिया तो उसको आपत्तिजनक तरीके से वापस करें, यह कोई जल्दबाजी में नहीं करें, एक दो दिन में कर लेंगे इसको ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर ऐसा हमने किया है तो हम खेद प्रकट कर देंगे उसमें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति ले ली जाय, पूरे सदन से अनुमति ले ली जाय । सदन उसको रिजेक्ट करेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर ऐसा कोई सक्यूंलर है और हमने गलत निकाला हैं तो खेद प्रकट कर देंगे । उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : करिये न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सचेतक महोदय सचेत नहीं हैं ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था न दें । आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री त्रिलोकसिंह**: जयपुर से सीकर के राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ लगाने के लिए आवंटित की गई भूमि का मुआवजा किसानों को न देने के विषय में ।

(2) **श्री हरीश शर्मा** : कोटा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, कोटा द्वारा रिजर्व बैंक से 1976-77 में गन्ना विकास हेतु उपलब्ध कराये गये ऋण के वितरण में घोटाला होने के विषय में ।

(3) **श्री रामकिशोर मीणा, श्री रघुवीरसिंह कौशल** : हैण्ड पम्प की खुदाई व

Page No 62

(62)

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैण्ड पम्पों के लगाने के विषय में भीलवाड़ा की एक कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध को समाप्त करने के आदेश दोषपूर्ण ढंग से होने से कम्पनी को अनुचित लाभ मिलने की सम्भावना के विषय मे ।

(4) **श्री हीरालाल आर्य** : पीपल्दा क्षेत्र की वागली पंचायत के ग्राम गोठड़ा व करदा खुर्द व ठीकरदा के भूतपूर्व जमींदार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि छीनने के विषय में ।

(5) **श्री भगवान दास शास्त्री** : अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय अजमेर नगर से भीलवाड़ा स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

(6) **सुश्री पुष्पा जैन** : राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा लाल कोठी स्थित सब्जी मण्डी के निर्माण के लिए खुले बाजार से मंहगी सीमेंट खरीदकर ठेकेदार को देने के विषय में ।

(7) **श्री मेघराज तावड़** : जोधपुर की कावस काटेज के पास की कुछ जमीन, जिसे राज्य सरकार ने अवाप्त करके उसका मुआवजा दे दिया था, को पटवारी से मिलकर पूर्व के मालिकों के नाम करवाने के विषय में ।

(8) **श्री यदुनाथसिंह** : कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1979 में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियों में अनियमिततायें होने के विषय में ।

(9) **श्री बंशीलाल पटवा** : सहकारी होलसेल भण्डार, भीलवाड़ा में गत 3 वर्ष से लगभग 8 लाख रुपये का कपड़ा पड़ा होने के विषय में ।

(10) **श्री महाराम चौधरी** : नागौर तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण होने से उनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाने के विषय में ।

(11) सर्वश्री **महावीर प्रसाद, जीतमल जैन, ललितकिशोर चतुर्वेदी, गुलाबचन्द कटारिया**–गत 15 मार्च को जैन साध्वियों के साथ चित्तौड़गढ़ में हुए अभद्र व्यवहार को लेकर भीलवाड़ा में पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर लाठी चार्ज करने के विषय में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(12) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : गत 1 अक्टूबर को पाली जिले के सोजत नगर की मधुबाला नामक युवती की दहेज के कारण हत्या होने के विषय में ।

(13) **श्री भंवर लाल शर्मा** : सांगानेर कस्बे से डेढ़ किलो मीटर दूर श्योपुरा गांव में दो व्यक्तियों की हत्या होने के विषय में ।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है और मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(14) **श्री दाऊदयाल जोशी** : अजमेर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नगर की इन्द्रा कालोनी के रिहायशी भूखण्डों में नगर पालिका द्वारा तोड़फोड़। इस सम्बन्ध में पूर्व में माननीय सदस्य श्री मेघराज तावड़ से भी एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये तथ्यों का अध्ययन किया जा रहा है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री हरिश शर्मा** : राजस्थान आवासन मण्डल में सिंचाई विभाग से लिये गये सहायक अभियन्ता, श्री केड़िया की अनियमित पदोन्नति, सरकार ने सूचित किया है कि श्री केड़िया की पदोन्नति लोकहित में की गई है, जिसके लिए बोर्ड को पूरा अधिकार है। सरकार ने यह भी बताया है कि पूर्व की अपेक्षा बोर्ड में अधिक निर्माण कार्य व ऋण वितरित किये गये हैं।

(2) **श्री कैलाश मेघवाल** : [1] दैनिक न्याय, अजमेर के कार्यालय में असन्तुष्ट छात्रों द्वारा हमला। सरकार ने सूचित किया है कि कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा किया गया है और अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है तथा तफतीश जारी है।

[2] अजमेर नगर के फाईसागर रोड स्थित एक बंगले का फाटक तोड़ कर एक बस को निकाल ले जाने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त घटना से सम्बन्धित बस को धारा 102 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जब्त किया गया है और किसी प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) **श्री छीतरलाल आर्य** : गत 24 फरवरी को अटरू क्षेत्र के एस.डी.ओ. द्वारा कुछ हरिजनों को जमीनों के आवंटन से वंचित करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि भू-आवंटन की कार्यवाही सलाहकार समिति द्वारा सार्वजनिक सभा में की गई है, और जिलाधीश द्वारा प्राप्त शिकायतों पर उपयुक्त कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है।

(4) **श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : झालावाड़ जिला चिकित्सालय में कुछ डाक्टरों के पद रिक्त होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है।

(5) **श्री फतेसिंह व बहादुरसिंह** : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछले माह 14 डकैतियां पड़ने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि चोरियों की छः घटनायें हुई और 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा तफतीश जारी है।

(6) **श्री महाराम चौधरी** : गत 24 जनवरी को थाना पीलीबंगा के पास एक कार चालक की लापरवाही से एक बच्चे की मृत्यु।

(श्री महाराम चौधरी)

सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और तीव्र गति से अन्वेषण करवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी करके उसे जमानत पर रिहा किया गया है।

(7) **श्री हंसराज शर्मा** : गत 24 फरवरी को जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर द्वारा भारत में निर्मित अंग्रेजी शराब की नीलामी अनियमित ढंग से करने के विषय में।

सरकार ने सूचना दी है कि नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार की गई है और एक व्यक्ति को एक से ज्यादा दुकान देने पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(8) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन** : झालावाड़ जिले मे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में भ्रष्टाचार होने के विषय में।

(2) सम्पूर्ण झालावाड़ जिला अकालग्रस्त होने के बावजूद ऋणों की वसूली।

माननीय सदस्य इन दोनों ही प्रस्तावों पर पेयजल व अकाल की मांगों के समय चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है और निर्णय बाद में लिया जावेगा :-

(1) **श्री छीतरलाल आर्य** : जीरोद ग्राम में किसानों को खातेदारी के अधिकार से वंचित करना।

(2) **श्री बंशीलाल पटवा** : भीलवाड़ा नगर में भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही न करने।

(3) **श्री नन्दलाल मीणा** : तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम राजपुरिया की भूमि पर मध्य प्रदेश सरकार से सीमा विवाद ।

अब जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारूं, कृपया दो दो मिनट में बात कहने की कृपा करें। श्री हरीश शर्मा । आवासन मण्डल में सिंचाई विभाग से लिए गए अभियन्ता के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : पोइन्ट आफ आर्डर ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल भीलवाड़ा में लाठी चार्ज हुआ है। भीलवाड़ा आज भी बन्द है। वहां पर हालात बहुत खराब हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। मैंने सरकार से जानकारी चाही है--

श्री बंशीलाल पटवा : वहां पर खून खराबा हुआ है--

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। मैंने सरकार से जानकारी चाही है।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर हालात बहुत खराब हैं--

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल पटवा × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, सरकार से जानकारी चाही है। पाइन्ट आफ आर्डर है। आर्डर आर्डर। श्री त्रिलोकसिंह का पाइन्ट आफ आर्डर है। कृपया बैठ जायें।

श्री बंशीलाल पटवा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है। समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। मैंने सरकार से जानकारी मंगाई है।

श्री बंशीलाल पटवा : सरकार के पास संचार के साधन हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर...कृपया बैठ जावें, व्यवधान नहीं डालें। अंकित नहीं हो रहा है। बैठ जावें माननीय सदस्य। अव्यवस्था नहीं फैलावें। अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय लिया जा रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आप कार्यवाही थोप नहीं सकते।

आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री त्रिलोकसिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब जब तक आयेगा तब तक...

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है....

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति से दुबारा धीरे-धीरे कहिये ताकि मैं सुन सकूं।

श्री त्रिलोकसिंह : कोटा के मजदूरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जे. के. कारखाने में पांच हजार मजदूरों की छंटनी कर दी गई है। वहां हड़ताल जारी है, मजदूर सड़कों पर हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दिलाने के लिए उसमें तारीख लगा दी है, आप मालूम कर लें।

श्री त्रिलोकसिंह : दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव था...

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सब पर यहां जानकारी नहीं होगी। एक मुझे याद था। मैंने अर्ज कर दिया। आर्डर आर्डर। इस तरह से जानकारी नहीं दूंगा।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री बनवारीलाल शर्मा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ पर्सनल एक्स-प्लेनेशन।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन में मौजूद नहीं था। समाचार पत्रों से मेरे को मालूम पड़ा कि बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कल मुझ पर पर्सनल चार्जेज लगाये है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि रूल्स के हिसाब से उनको किसी भी सदस्य पर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना चाहिए लेकिन फिर भी उन्होंने भावावेश में आकर के चार्ज लगाए। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, जैसा उन्होंने बताया धौलपुर में डकैतों से मेरा सम्पर्क है, मेरा उनसे मिलना जुलना है और उनके सम्मेलन में मेरा आना-जाना है। यह बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि बगैर जानकारी किये हुए इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है। राजनैतिक द्वेषता के कारण आरोप लगाया गया है जिससे कि कांग्रेस पार्टी की छवि बिगड़े। मैं, विरोधी दल के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि अपने दल के सदस्यों को समझायें कि इस प्रकार के गलत आरोप नहीं लगायें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : स्थगन प्रस्ताव जो....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, सहायक अभियन्ता, श्री आर. के. केड़िया को आवासन मण्डल में...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तीन चार बार चेम्बर में मिल चुका हूं। आपने कहा था...

श्री अध्यक्ष : मैंने चार बजे का समय दिया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कल का चार बजे का समय दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपको गलतफहमी हो गई। मैंने आज का चार बजे का समय दिया था। मैंने कहा था, इतनी जल्दी नहीं आ सकता आज के आज ही। कृपया आप अन्दर आकर मिल लें।

श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा में महिलाओं के साथ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें। बार-बार भीलवाड़ा, भीलवाड़ा....

(व्यवधान)

(श्री ग्रध्यक्ष)

बैठ जायें माननीय सदस्य । ग्रार्डर ग्रार्डर । ग्रंकित न हो ।

श्री बंशीलाल पटवा : × × ×

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री): डिसीप्लीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत ग्रफसोस है ।

श्री हरीश शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, श्री केड़िया जूनियर थे, बहुत ही ज्यादा जूनियर थे । ग्रावासन मण्डल में कई ए.ई. एन. उनसे सीनियर थे लेकिन सारी सीनियरिटी लिस्ट को छोड़ करके ग्रार. के. केड़िया को एक्स. ई. एन. बनाया गया है मुझे बतायें कि उनको कब एक्स. ई. एन. बनाया गया है। मन्त्री महोदय बतायें कि उसको क्यों बनाया गया है, क्या ग्रावश्यकता थी ? बाढ़ नियन्त्रण का सहायक ग्रभियन्ता था, उसकी क्या ग्रावश्यकता थी ग्रावासन मण्डल में ? वहां पर क्या बाढ़ नियन्त्रण होगा ? उसकी क्या ग्रावश्यकता है ? उसको केवल मात्र एक्स. ई. एन. बनाने के लिए लगाया गया है । उसके कारण ग्रावासन मण्डल के इन्जीनियरों में बड़ा ग्रसन्तोष व्याप्त है । उन लोगों ने काम बन्द कर दिया है । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जयपुर में काम बन्द हो गया है । वे लोग मन्त्री महोदय से मिले हैं, ग्रध्यक्ष से मिले हैं लेकिन उनको कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला है । यह ग्रवैधानिक है, ग्रनियमित है । इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राप इस पर कार्यवाही करें । मेरा निवेदन है कि उनको हटाया जाय नहीं तो वहां कार्य बन्द हो जायेगा ।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री हरीश शर्मा : इसके साथ ही एक स्थगन प्रस्ताव ग्रौर दिया था....

श्री अध्यक्ष : ग्राज वाले स्थगन प्रस्ताव पर इजाजत नहीं दूंगा । बैठ जायें, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

कृपया ग्रासन के ग्रादेशों की ग्रवहेलना नहीं करें ।

(व्यवधान)

ग्रार्डर ग्रार्डर । ग्रंकित नहीं हो ।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्राज प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार से जानकारी चाही है । इस तरह से ग्रासन को बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर । माननीय सदस्य, ग्रंकित न हो ।

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया ग्रासन ग्रहण करें । ग्रंकित नहीं होने दे रहा हूं ।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्रंकित न हो । यह नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

XXX माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया ।

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने जवाब मंगाया है, इसलिए बैठ जाये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं अंकित नहीं करने के लिये कह रहा हूँ। आप आसन के आदेशों को डिफाई कर रहे हैं····

(व्यवधान)

अवहेलना कर रहे हैं,

स्पष्ट अवहेलना कर रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे अफसोस है।

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हरीश शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। दो विषय हैं आपके।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मेरा एक निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में एक मकान में बम विस्फोट हुआ था।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में बात नहीं करूंगा; माननीय सदस्य विस्फोट हो गया होगा; उसमें मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री कैलाश मेघवाल : उसके साथ ही मैं बोल लूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा हूं। उसके साथ ही मैं बोल लूंगा। यह चार मिनट और दो मिनट कुल मिलाकर छः मिनट बाद में दे दीजिये मुझे।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आप इस पर बोल लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यह वही है अजमेर की पुलिस का इसलिये निवेदन कर रहा हूँ कि अजमेर के ही पुलिस विभाग में एक स्थगन प्रस्ताव मेरा और गया हुआ है। वह आ जाएगा, तीनों पर मैं साथ बोल लूंगा, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य। गत 14 जनवरी को अटरू क्षेत्र में एस. डी. ओ. द्वारा भूमि का आवंटन।

(अनुपस्थित)

श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

एक माननीय सदस्य : छीतरलाल आर्य आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नाम पुकार लिया है, समय बचा लो बाद में अवसर दे दूंगा। माननीय सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिये। श्री अनंगकुमार जैन।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में जो जिला चिकित्सालय है इसमें लम्बे समय से घोर अनियमितताएं चल रही हैं। इस बारे में यहां पर राज्य सरकार का समय समय पर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह चिकित्सालय ऐसी जगह पर स्थित है, जिसके आसपास में 700-800 गांव है चूंकि और किसी दूसरी जगह चिकित्सा की व्यवस्था नही होने की वजह से सारे लोग वहां पर ही आते हैं। ग्रामीण आंचल की महिलायें आती हैं लेकिन जिला स्तर पर जो चिकित्सालय है उसमें पिछले कई वर्षों से महिला चिकित्सक की पोस्ट रिक्त है। इस प्रश्न को पिछले सत्र में भी उठाया था उससे पहले भी उठाया था लेकिन आज तक वह पद रिक्त चला आ रहा है। वहां पर महिला डाक्टर की पोस्ट रिक्त होने के कारण, जो महिलायें भर्ती होती है उनके महिला सम्बन्धी रोग होते हैं उनकी प्रोपर जानकारी नहीं होती है। जो महिलाओं के डिलीवरी के केसेज आते हैं उनमें कई बार महिलाओं का प्राणांत हो जाता है; मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा दो और पद रिक्त हैं। एक तो जूनियर स्पेशलिस्ट (आई) और दूसरी जूनियर पेडियाट्रिक्स दोनों ही पोस्ट पिछले दो वर्षों से रिक्त चली आ रही है। वे लोग छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं। न तो उन लोगों ने आज तक अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया है और न ही उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है। दो दो वर्ष तक लोग छुट्टी लेकर बैठे रहें और राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाय, न ही कोई व्यवस्था की जाय यह खेद का विषय है। राज्य सरकार तो उस पोस्ट को रिक्त नहीं मानती है। वहां पर दो वर्ष से कोई चिकित्सक नहीं है इससे लोगों को परेशानी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, गांवों की जनता आती है, ग्रामीण अंचल की जनता आती है तो उसको परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो रिक्त पोस्ट हैं उनको भरें। वहां पर यह बहाना भी नहीं चल सकत है कि ग्रामीण क्षेत्र है और चिकित्सक जाने से मना करते हैं या जाना नहीं चाहते हैं। मेरा निवेदन है, वहां पर ईमानदारी से किसी चिकित्सक की नियुक्त करें। उसको फालो करके देखें कि वह जोइन करता है या नहीं करता है कुछ समय तक जोइन नहीं करता तो दूसरे आदमी को नियुक्त करें। दो दो वर्ष तक कोई जोइन नहीं करें और राज्य सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे यह आश्चर्यजनक है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो दो पद वास्तविक रूप से रिक्त चले आ रहे हैं उन पर या तो डाक्टर को जोइन कराया जाय या फिर दूसरे आदमियों की व्यवस्था की जाय। ऐसा नहीं करेंगे तो वहां की जनता को बहुत परेशानी होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। तथ्य आ गये हैं, संक्षेप में कहें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं तो आपका आदेश मानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला चिकित्सालय होने के कारण दूर दराज की जनता वहां आती है और परेशान होती है। मैं तो भवानी मण्डी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले माह ही वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं होने की वजह से एक महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गयी। अभी पिछले दिनों वहां पर एक लेडी डाक्टर आयी थी वहां

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

पर वह भी नहीं के बराबर है। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला झालावाड़ का जो मुख्य चिकित्सालय है इसमें भी अव्यवस्था फैली हुई है न समय पर कम्पाउण्डर मिलते हैं और न डाक्टर मिलते है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल में भयंकर रूप से लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते है लेकिन उनका कोई उपचार नहीं होता है। जो चिकित्सा अधिकारी व्यवस्था करने वाले हैं वह इतने कमजोर हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई डाक्टर उनका कहना नहीं मानता है। वहां नर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं तो वे कहते हैं कि आपको कितनी नर्स चाहिये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी उनका कहना नहीं मानता है और भयंकर अव्यवस्था हो रही है।

श्री अध्यक्ष समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: भवानी मंडी में डाक्टर नहीं है। वहां पर जो डाक्टर है उसका रेजीडेंस भी वहां पर है इसलिये वह अस्पताल के समय में भी अस्पताल में नहीं मिलता है और लोगों को परेशान होना पड़ता है। लोगों को दवाई नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री जी तो यहां पर नहीं हैं, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं होने से भयंकर रोष व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य। एस. डी. ओ. द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में।

संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 14 जनवरी, 1983 को भू-राजस्व कैम्प लगा था उसमें एस. डी. ओ. ने जो अनियमिततायें की उस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। एस. डी. ओ. द्वारा 14/1/83 को जो कैम्प रखा गया था उसमें काफी जनता आयी थी। वह एस. डी. ओ. जाट था। इसके पास एक तो जाट की एप्लीकेशन आयी थी और दो हरिजनों की एप्लीकेशन आयी थी। उन्होंने दरख्वास्त दी थी भूमि आवंटन के लिये या भूमि अपने नाम कराने के लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, छीतरलाल जाट पुत्र श्री ओंकारसिंह को तो जमीन दे दी और दो हरिजनों को वंचित रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो एस. डी. ओ. हैं उसने काफी अनियमितताएं की हैं, अनियमितता करने का परिचय दिया है। कैम्प, जो बरना में लिखा था, को अटेण्ड करने के लिये सारे लोग आये थे लेकिन सारे लोग परेशान हुए ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात्रि को 10 बजे तक लोग भूखे प्यासे बैठे रहे। भूख और प्यास से परेशान होते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के जो सरपंच थे उसमें यहां लगभग 6 किलोमीटर दूर एस. डी. ओ. सरकारी गाड़ी से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके खाना खाने गये और ग्रामीण लोग, अध्यक्ष महोदय, रात भर वहां बावजूद इसके कि वहां सर्दी का मौसम था, भूखे प्यासे बैठे रहे। कुछ लोग परेशान होकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने गांव चले गये। वहां जो सरपंच है वह कांग्रेस (आई) का है उसने अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाया और हरिजनों को वंचित रखा गया। इसी प्रकार

Page No 71

(71)

(श्री छीतरलाल आर्य)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 28/1/83 को मोठपुर के अन्दर कैम्प था। उसमें जिलाधीश कोटा भी पधारे थे। हमने उनको अटरू के कैम्प के बारे में रिप्रे-जेंटेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया उसमें कि····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य आपने शिकायत की जिलाधीश से तो वे कार्यवाही कर रहे है। उसको नहीं पढ़ें।

श्री छीतरलाल आर्य : एक मिनट में। अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश से शिकायत की, एप्लीकेशन दी उसमें जो आरोप लगाया था वह सही था। एस. डी. ओ. ने शराब पीकर आवंटन किया। रात को 6 बजे तक अलाटमेंट करते रहे। इसी तरह जिलाधीश से मोठपुर में एस. डी. ओ. के बारे में शिकायत की कि जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री छीतरलाल आर्य : एस.डी.ओ. कहता है मेरा हाथ चलता है। इस की शिकायत जिलाधीश कोटा को लिखकर दी है। उसको बोलने की तमीज नहीं है। एक एम. एल. ए. जन प्रतिनिधि से इस प्रकार की बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि प्रशासन किसानों का गुलाम नहीं है बल्कि किसान प्रशासन का गुलाम हैं। मैं और मेरा प्रशासन किस प्रकार कहता है उसी प्रकार काम होता है····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। समय काफी हो गया है।

श्री छीतरलाल आर्य : मेरा यह कहना है कि इस तरह से किसानों के ऊपर जुल्म करने वालों को निलम्बित करें और इस प्रकार की अनियमितता करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, एस. डी. ओ. को हटाया जाय। इस सम्बन्ध में यह मेरी आपके माध्यम से मांग है।

श्री अध्यक्ष : इतना ऊंचा न ले जाय, माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य : उसके खिलाफ कार्यवाही करे, यही कहना चाहता हू।

श्री अध्यक्ष - श्री फतेसिह, श्री बहादुर सिंह, कुशलगढ़ क्षेत्र में डकैतियों के संबंध में।

श्री फतेसिह(कुशलगढ़):अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछले दो तीन महीने से लेकर अब तक करीबन 14 डकैतियां हुई उन डकैतियों के अन्दर कई लोगों के घरों में रात के समय डकैतों ने मारपीट की। वहां के लोगों के कपड़े, बर्तन और थोड़ा बहुत अनाज था वह ले गये। कई लोगों के चोटें भी आई। वहां की पुलिस देखती रही। जनता की शिकायत और मेरी शिकायत करने के बाद भी उन गुण्डों को पुलिस ने नहीं पकड़ा। लगातार इस तरह की वारदातें होती रही है, वहां की जनता में अशांति का वातावरण फैल रहा है। बात यह है कि वह क्षेत्र गुजरात और एम. पी. से मिला हुआ है, वहां की पुलिस के मिले हुए दलाल हैं। इस तरह की वारदातें होने के बाद रिश्वत लेकर पुलिस वाले उन लोगों को कन्ट्रोल नहीं करते है। इतनी डकैतियां हुई हैं उस बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। पुलिस विभाग ने 6 डकैतियों का बताया है जबकि

Page No 72

(72)

(श्री फतेसिंह)

14 डकेतियां करीब करीब हुई हैं। हो सकता है, उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की हो। पिछली बार कुछ लोगों को पकड़ कर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वहां की जनता ने फिर शिकायत की खुद मैंने शिकायत की। उसके बाद उदयपुर से डी. आई. जी. आये उन्होंने वहां के डी. वाई. एस. पी., एस. पी. थानेदार को बैठा कर कुछ तंग किया तब छोड़े हुए लोगों को वापस पकड़ा। अब वही सिलसिला है कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, उनसे माल बरामद....

श्री अध्यक्ष : अभी तो 35 अभियुक्त पकड़े हुए हैं।

श्री फतेसिंह : पकड़े हुए हैं। वह तो शुरु से आज तक पकड़े हुए थे उनमें से छोड़ते छोड़ते अब 5-10 मुल्जिम रह गये हैं बाकी की जमानत दे दी। जो पकड़े थे उनको गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया। यही उन्होंने रिपोर्ट बताथी है। वहां की जनता में अशांति है। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ वहां की पुलिस इस तरह से कमजोर पड़ रही है, वहां जनता भयभीत है, मैं चाहूंगा की वहां के जितने अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाय निष्पक्ष अधिकारियों को वहां पर भेजा जाय, उन डकेतियों के बारे में जांच की जाय और वहां की जनता को राहत दी जाय। मैं यह आशा करता हूं, सरकार इस पर ध्यान देगी। वहां की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो लूट खसोट हो रही है, गरीब आदिवासियों के घर के बर्तन, टामड़े, कपड़े ले जाये जा रहे हैं, वहां के लोग नंगे किये जा रहे हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री फतेसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां की व्यवस्था ठीक करें। वहां के जो अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री बहादुरसिंह : (दानपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था इनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में रोजाना चोरियां, डकेतियां, होती जा रही हैं। पुलिस बिल्कुल निष्क्रय होकर बैठी है। कोई शिकायत करता है, रिपोर्ट लेकर जाता है, समय पर रिपोर्ट कर देता है तो भी रिपोर्ट समय पर नहीं लिखी जाती है। यह तो उन थानों की और बांसवाड़ा के एस. पी. साहब की कमजोरी है। दानपुर गांव में 85 किलो चांदी गरीब लोगों की बनिये के घर में गिरवी रखी हुई चोरी गई। डकैत का मालूम भी पड गया, कुछ माल बरामद भी हो गया, लेकिन इन पुलिस अधिकारियों ने आज दिन तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। यह पुलिस की बहुत बडी गलती है। उस मामले को वहां के थानेदार और दूसरे नेता लोगों ने मिल कर रफा दफा करने की कोशिश की है। ऐसे बड़े बड़े केसेज पर पुलिस ध्यान नहीं देतो वहां के गरीब आदिवासी काश्तकारों के घरों के बैल, बकरियां, मुर्गे, कपड़े, लत्ते सब चोरी चले जायेंगे, वहां के लोग तंग हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बहादुरसिंह : मैं आपके माध्यम से

(श्री बहादुरसिंह)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, बांसवाड़ा में जो चोरियां, डकैतियां हो रही है उनको रोकने के लिये पूरी पुलिस की व्यवस्था की जाय। बांसवाड़ा के पास में जरी करके एक गांव है उस गांव में डकैती हुई है। वहां 10-15-20 हजार रुपये की चोरी हुई। मैंने एस. पी. साहब से निवेदन किया, एस. पी. साहब इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं गरीब ग्रादमियों के घर लूटे जा रहे है लेकिन ग्राज दिन तक एस. पी. साहब ने वहां पर ध्यान नहीं दिया।

मैं ग्रापके माध्यम से जो चोरी डकैती हुई है उसके लिये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पुलिस को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिए पाबन्द करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : ग्रध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री जी यहां बैठे हैं, उनको थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, वह दयातदार भी है कुछ रहम भी करते हैं। नागौर जिले के गांव भाकरी, नरसिंहपुरा, मंडेरा के तीन हरिजन परिवार मजदूरी करने के लिए सूरतगढ़, गंगानगर जाते समय कैंची चौराहे के पास बस के इन्तजार में बैठे थे। ग्रचानक एक धनाढ्य सेठ की कार, जिसको चौराहे के पास खड़े ग्रादमी कहते हैं कि मदनलाल काण्डा के ज़वाई की कार थी, तेज रफ्तार से उस बैठे हुए परिवार को कुचल कर निकल गई। जिससे एक बच्चे की उसी समय दर्दनाक मृत्यु हो गई ग्रौर बाकी परिवार के लोग, जिसमें ग्रौरतें, बच्चे ग्रौर 4–5 जवान ग्रादमी थे, घायल हो गये। चौराहे के ग्रादमियों को रहम ग्राया ग्रौर वे उनको गंगानगर हॉस्पिटल में ले गये जहां उनकी कोई सार सम्भाल नहीं की गई, कोई इलाज नहीं किया गया। उनके पास एक भी पैसा नहीं था इससे उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ग्रध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार ने ग्रपने जवाब में कहा है कि कार के ड्राइवर का चालान कर दिया गया है। लेकिन मेरी जानकारी है कि किसी फर्जी या बेनामी ग्रादमी को ड्राईवर बनाकर चालान किया गया है ग्रौर उसको जमानत पर छोड़ दिया है ग्रसली मुल्जिम जो ग्राम ग्रादमी बताते हैं मदनलाल काण्डा का जवाई, के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : वह होता तो राजी से ही कुछ ठीक रहता। ड्राईवर के पास तो लेना देना ही नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, वहां से नजदीक ही बोलीवाला पुलिस चौकी है उस पर घटना होने के तुरन्त बाद ही वहां के सरपंच····

श्री अध्यक्ष : इसकी विस्तृत जानकारी में जाने के मायने क्या है? घटना हो गई, बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। एक बच्चे की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल हो गये, कानून के ग्रनुसार मुकदमा रजिस्टर हो गया है।

श्री महाराम चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, घटना तो दुर्भाग्य पूर्ण है ही ग्रगर कोई समझदार शहरी ग्रादमी होता तो इसका महत्व ज्यादा होता ग्रौर सरकार भी वक्तव्य देने के लिये ग्रौर कार्यवाही करने के लिये

(श्री महाराम चौधरी)

तैयार होती। लेकिन जो बेचारे अकाल ग्रस्त लोग मजदूरी करने के लिये . . .

श्री अध्यक्ष : तभी तो महत्व दिया है, वहां से जानकारी मंगाई है। आपको अवसर दे दिया।

श्री महाराम चौधरी : जानकारी मंगवाई उसमें यह नहीं बताया गया कि किस आदमी का चालान किया गया। पुलिस को सूचना होने के 24 घंटे तक वे मजदूर . . .

श्री अध्यक्ष : आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह बात लिखी है क्या कि दूसरे व्यक्ति का चालान कर दिया।

श्री महाराम चौधरी : उस वक्त मेरे को जानकारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : वहां मौके पर पधारे थे क्या आप ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो घायल हुए उनके परिवार वालों में से एक आदमी मेरे पास आ गया था उसने मुझे हालात बताये तो मैंने कहा कि मैं सरकार से इसकी पैरवी करूंगा तुम जाकर बच्चों को संभालो।

श्री अध्यक्ष : उसने उस वक्त नहीं नहीं बताया कि ड्राइवर नहीं था !

श्री महाराम चौधरी : उसने उस वक्त मेरे को बताया था।

श्री अध्यक्ष : तो आपने इसमें लिखा नहीं ?

श्री महाराम चौधरी : मैंने स्थगन पहले दे दिया। मुझे दैनिक और अखबार में जानकारी मिली जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस तरह के प्रस्ताव स्वयं की जानकारी के आधार पर करने चाहिये। अखबार में लिखी बात से खतरा हो जाता है।

श्री महाराम चौधरी : जिस आदमी का परिवार वहां पर घायल हुआ वह स्वयं मेरे पास आया था। उसने मुझे पर्सनली जानकारी करवाई कि हमारे साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। दैनिक और अखबार में छपा मजदूर परिवार को बेरहमी से कुचल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस दैनिक अखबार वालों के साथ उस परिवार के लोगों ने अपनी बोली में जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा है– खावण ने आटो कोनी, पुलिस कठा सूं आवै ! इस दर्दनाक घटना के शिकार गरीब मजदूर, जो दोपहर तक घटनास्थल पर मृत बालक की रखवाली कर रहे थे, से संवाददाता ने पूछा कि अभी तक पुलिस यहां नहीं आई ? तो एक बोला कि बाबू साहब, म्हारे कने तो खावण ने आटो कोनी, भला पुलिस म्हांने के वास्ते देखण ने आवे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : मैं इतना ही

(श्री महाराम चौधरी)

निवेदन करना चाहता हूं कि बेनामी आदमी का वहां पर चालान पेश किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव में यह विषय ही नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे उस वक्त पूरी जानकारी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो मैं निवेदन करता हूं कि जानकारियां लेने के बाद में तथ्य रखा करें, सदन के समक्ष।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो थोड़ी बहुत मेरी भी कमी रह गई लेकिन मुझे इस विषय में बहुत तकलीफ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जानकारी करें और सम्बन्धित आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा : भरतपुर के अंग्रेजी शराब के ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो विदेशी और देशी मदिरा निर्मित होती है तारीख 24.2.82 को उसकी नीलामी में भरतपुर के कर्मचारियों द्वारा जो घोटाला किया गया इस बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह नीलामी की बोली सवाई माधोपुर, धौलपुर और रतपुर तीनों जोन की एक साथ लगाई गई। इस बोली में तीन अधिकारी थे जिला आबकारी अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर, उदयपुर और जिलाधीश महोदय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कन्वर्शन अधिकारी। इन तीनों के सामने 23 तारीख को बोली प्रारम्भ की गई, उस समय देशी शराब की कुछ दुकानें तो माफ कर दी, कुछ को छोड़ दी। उसके बाद 24 तारीख को पुनः बोली लगाई गई। और एक ही व्यक्ति के नाम बोली छोड़कर तीनों जोन की बीस दुकानें एक ही बोली में उस व्यक्ति को नीलामी में दे दी। जब एक व्यक्ति द्वारा ही नीलामी की बोली लगाने का प्रश्न आया तो, जो जिलाधीश के प्रतिनिधि थे उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और वह नीलामी में नहीं आये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। मैं सवाई माधोपुर की एक दुकान का उदाहरण देना चाहूँगा। साढ़े दस महीने की जो लागत तय की थी उस पर 10 प्रतिशत ज्यादा लगाकर उन्होंने दुकानों की कीमत तय की है जो बिल्कुल गलत है। 12 महीने की लागत के आधार पर दुकान की कीमत होनी चाहिये थी। इस प्रकार सवाई माधोपुर की अकेली दुकान पर ढाई लाख रुपये का डिफरेंस है। अध्यक्ष महोदय, 38 आदमी जो यह धन्धा करते थे, हमेशा से यही कार्य कर रहे थे, उनको इससे वंचित रखा गया। उनको किसी प्रकार का टेण्डर देने का अधिकार नहीं दिया गया। उनको बोली नहीं लगाने दी गई। तीनों जोन की दुकानें अधिकारियों ने मिल कर एक बहुत बड़े कांट्रेक्टर ओमप्रकाश के नाम नीलाम कर दी। उनको अलग-अलग नीलामी करते तो कम से कम राज्य सरकार को 20 लाख और मिलते। वह रुपया इसलिये नहीं मिला कि दोनों अधिकारी कान्ट्रेक्टर से सांठ-गांठ करके पैसा खा गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री हंसराज शर्मा)

करना चाहूंगा कि सारे कागजों की जांच करवावें। यदि आपने जांच करवाई तो राज्य सरकार को कम से कम 20 लाख का इन्कम में प्रोफिट होगा। सब लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें लोगों का पैसा जमा है। दूसरा, जहां तक अवैधानिकता का प्रश्न है, जैसा उन्होंने कहा कि नियमानुसार किया गया है, तो जिस व्यक्ति ने नीलामी की बोली लगाई गई उसकी विधिवत् सिक्योरिटी मनी जमा होनी चाहिये, वह जमा नहीं थी। देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों का ठेका एक साथ लेने से पहले राज्य सरकार से स्वीकृति लेना कम्पलसरी था। न तो सेक्योरिटी मनी जमा करवाई और न स्वीकृति ली। एक ही व्यक्ति को तीनों जोन का ठेका दिया गया वह गलत दिया गया है। इससे लाखों का घोटाला हुआ है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई जाय और राज्य सरकार को जो क्षति हो रही है उससे बचाने का प्रयास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैंने जैसा पूर्व में कहा भीलवाड़ा में लाठी चार्ज....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं कोई इजाजत नहीं दूंगा। मैंने जानकारी चाही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान पैदा कर रहे है।

ऑर्डर अंकित न हो। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : आर्डर,ऑर्डर प्लीज !

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने इस प्रश्न को कई दफा उठा दिया। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

ऑर्डर अंकित न हो।

माननीय सदस्य सदन का समय ले रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :XXX

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : × × X

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर अंकित न हो। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अनंग कुमार जैन : X X X

बैठ जायं। माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय, सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): × × ×

श्री अध्यक्ष : इस तरह कार्यवाही थोपी नहीं जा सकती, ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी :XXX

व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : आप यों हल्ला करके अध्यक्ष महोदय को दबा नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। यह क्या तरीका हुआ कल इतना समय दे दिया, उस पर सरकार का वक्तव्य करा दिया। माननीय सदस्य, कल भीलवाड़ा बन्द हो गया आज उदयपुर बन्द हो रहा है, कल जयपुर बन्द हो जायेगा, परसों बीकानेर हो जायेगा तो, एक घटना के ऊपर केवल एक बार ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। अगर कल कोई दुर्घटना हुई अथवा कोई लाठी चार्ज हुआ तो सामान्य जो हमारी प्रक्रिया है......

(व्यवधान)

उसके अनुसार मैंने......

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। सरकार से जानकारी मंगवा ली। सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय विषय हैं उनको छोड़कर माननीय सदस्य जब चाहे सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर दें एक घन्टा, डेढ़ घन्टा अपना जो कोई भी विचारार्थ विषय लावे, मुझे क्षमा करेंगे, उसके बाद में मन चाहे...

(व्यवधान)

नियमों का उल्लंघन करके जो कुछ कहना है, थोपना है, व थोप दिया उसके बाद में रवाना हो गये यह दृष्टिकोण क्षमा कीजिये, उचित नहीं है। एक मसला है आपके सामने, कल एक मसला आया था आज आपने रखा है, मैंने सरकार से जानकारी मंगवाली। मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सदन के एक अधिकारी है। कोई भी पक्ष होता है तो उनकी तरफ से सदन में अलग-अलग पक्ष के नेता इसलिए होते हैं कि यदि कोई बात है उनको कोई शिकायत है, वह कहना चाहें कह दें। उस पर हम चर्चा भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसमें कुछ उलझन है तो उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन यह कौन से नियम है, कौनसा तरीका है कि जब जंचो, आपके कि भाई इसमें बाधा उपस्थित करनी है, सुबह से तीन दफा माननीय सदस्य खड़े हो गये आसन के सब आदेशों का उल्लंघन करके,

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 78

(78)

(श्री अध्यक्ष)

कार्यवाही जो चल रही है उसको रोक करके। यह कौनसा तरीका है, कौन-सा जनतन्त्रवाद है, मुझे यह बता दीजिये? मैं इस तरह इजाजत नहीं दूंगा। अगर आपके दल की तरफ से किसी को कुछ कहना है तो आपके नेता महोदय उपस्थित हैं, बात फरमायें। उसके बारे में जो कुछ व्यवस्था हो सकती है सदैव मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई पक्ष में बात हो जाय तब तो राजी, जो बात नहीं जची उसमें फिर न कोई नियम है न कोई बात है। प्रांगण आपको सौंप दूं, यह होगा नहीं, माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता महोदय आॅर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : It is defiance of the Chair, Sir. Very bad.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने की बात आपने फरमाई। अध्यक्ष महोदय, बाधा उपस्थित हम नहीं कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सहयोग किस तरह?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज कर दूंगा। सहयोग इस तरह से कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से लगातार हम यह सुनते आ रहे हैं कि हमारे एडजोर्नमेन्ट मौशन आप सरकार को जानकारी के लिए भेजते हैं और जानकारी समय पर आती नहीं है। मैंने दो दिन पहले भी निवेदन किया था कि सरकारी पक्ष तो यह चाहता है कि इस एडजोर्नमेन्ट का महत्व खत्म हो जाय और, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के हिसाब से आप यह चाहते हैं कि सदस्यों की उत्तेजना खत्म हो जाय और हम चाहते हैं कि नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो। इन तीनों बात का सामंजस्य किस प्रकार से बैठे इसकी चिन्ता आपको भी है और इसकी चिन्ता हमको भी है। जब प्रश्न कल उठाया गया था, उस समय भी, अध्यक्ष महोदय, हमने निवेदन किया था कि सदन की कार्यवाही समाप्त होते समय यदि मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे तो उससे किसी को असन्तोष नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, हमने मुख्य मंत्री जी के भाषण में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं किया। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उस समय ही निवेदन कर दिया था कि भीलवाड़ा आज बन्द हुआ, भीलवाड़ा में लाठी चार्ज हुआ। जहां तक लाठीचार्ज का प्रश्न है, इस प्रश्न के ऊपर सरकार की ओर से कल भी वक्तव्य नहीं था और आज भी नहीं दिया गया। जहां तक सरकार की जानकारी का सवाल है, सरकार की जानकारी में है कि भीलवाड़ा में कल महिलायें एक डेप्युटेशन लेकर कलेक्टर से मिलना चाहती थीं और कलेक्टर ने उनको अनुमति नहीं दी, न उनसे कोई ज्ञापन लिया उसी के परिणाम स्वरुप वहां लाठीचार्ज हुआ है। क्या सरकार की ओर से इसमें भी कोई जानकारी करनी थी। ऐसा मसला है, जिस मसले पर सरकार को आकर अपनी तरफ से स्टेटमेन्ट देना चाहिये, जब सरकार अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन नहीं कर पाती तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इस सदन के विरोध पक्ष में जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
बैठे हैं व सरकार को सावचेत करना चाहते हैं, आपके माध्यम से यह अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और कर दूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि सरकार के और हमारे बीच में आपका काम केवल रैफरी का है।

श्री अध्यक्ष : फाउल होते रहें तो रैफरी यों ही बैठा रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज कर रहा हूं आपको। आपका काम केवल रैफरी का है। फाउल होता है उस समय आप सदन को सावचेत कर सकते हैं, फाउल करने वाले सदस्य को वार्निंग भी दे सकते हैं। लेकिन रैफरी को कभी बोलते हुए नहीं देखा होगा आपने कि मोटिव्ज इम्प्यूट करे कि विरोधी दल हमेशा बाधा उपस्थित करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, विरोधी पक्ष ने जितना को-आपरेट किया है, कोई यह समझे कि हम अनप्लेजेंट बात नहीं कहें तो मैं समझता हूं हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। We are tag for it. हम गवर्नमेंट की जो आलोचना कर सकें वह आलोचना करें। यदि हम आलोचना नहीं करें तो जनता के सामने अकाउन्टेबिलटी है हमारी, इस सदन के सामने अकाउन्टेब्लिटी है, इस आधार पर सरकार की तो आलोचना होगी। आलोचना नियमों के आधार पर होगी मैं यह बात मानता हूं। लेकिन नियमों की भी सीमा है। अध्यक्ष महोदय, एडजार्नमेंट मोशन देने की एक व्यवस्था है। दुर्भाग्य से यहां एक ऐसी परम्परा पड़ गई कि 15–20 एडजोर्नमेंट मोशन दिये जाते हैं। मैं मानता हूं कि कई विषय ऐसे होते हैं जो स्थगन प्रस्ताव के बिल्कुल लायक नहीं होते, एडजार्नमेंट मोशन की कोई किसी भी प्रकार की परिधि में नहीं आते हैं। यहां तक तो आप कृपा करते हैं कि उनको सरकार को रैफर करते हैं। मैं तो आपको इस सीमा तक को-आपरेट करने को तैयार हूं कि मेरे दल का यदि कोई स्थगन प्रस्ताव किसी ऐसी स्थिति में हो जो एडजार्नमेंट मोशन की परिधि में नहीं आता हो, आप उसको रिजेक्ट कर दें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको रैफर भी नहीं करें यहां तक भी मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में लाठीचार्ज हो जाये, महिलाओं पर लाठीचार्ज हो जाए इसका कौनसा कम महत्व है कि एडजार्नमेंट मोशन की परिधि में नहीं आता। एडजार्नमेंट मोशन की परिधि में आता है, आप तो अन्त में इसको रिजेक्ट करेंगे लेकिन यह विषय तो ऐसा है कि रिजेक्शन नहीं हो। एडजार्नमेंट मोशन पर हाउस में चर्चा हो जाये, कभी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, रैफरी के नाते एक एडजार्नमेंट मोशन को तो आप भी स्वीकार करें एक को भी आज तक स्वीकार नहीं किया तीन वर्ष में।

श्री अध्यक्ष : इस विधान सभा में कितनी दफा हुए हैं, 1952 के बाद। आप तो शुरू से सम्बन्धित हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1952 के बाद विधान सभा में भी हुए है। एक तो मामला था मर्डर का।

श्री अध्यक्ष : एडजार्नमेंट मोशन ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडजार्नमेंट मोशन।

मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, मेरी जानकारी के अनुसार, सन् तो तो मैं कह नहीं सकता या तो 1954 होगा या 1955 होगा, दो व्यक्ति, रामदेव और कन्नीराम। झुंझुनू जिले में गोली का शिकार हुए थे, उनको मार दिया था। उस समय एडजार्नमेंट मोशन मंजूर किया था। कई बार एडजार्नमेंट मोशन पर फुल डिबेट हुई इसी सदन में।

श्री अध्यक्ष : वह तो होती रहती है यहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, डिबेट नहीं होती है। आपने एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिस व्यवस्था के आधार पर एक तरफा कार्यवाही होती है। हम अपनी तरफ से बोलेंगे, सरकार का कोई रिएक्शन नहीं। ऐसे मामलों के अन्दर सरकार के रियक्शन की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम विघ्न पैदा करने के लिए या पब्लिसिटी पाइन्ट आफ व्यू से नहीं करते है। आज भीलवाड़ा के विधायक यहां बैठे हैं भीलवाड़ा में लाठीचार्ज हो जाय वह विधायक किस मर्ज की दवा है यहां पर वह अपने मसले को यदि विधान सभा में नहीं उठायेंगे तो कहां उठायेंगे, किस जगह इस सरकार का ध्यान किस प्रकार आकर्षित करेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे मसलों के ऊपर आप स्वयं अनुमान लगालें किस मसले पर मेम्बर एजीटेटेड हो सकते हैं। इस एजीटेशन के मामले में माननीय सदस्यों को ज्ञान व जानकारी करने में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माहिर हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं, कोई मतभेद नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कौनसा ऐसा मसला है जिस पर ऐजीटेटेड होंगे तो आप पहले से ही व्यवस्था कर दें। आज सरकार के सामने क्या मजबूरी हैं अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के सम्बन्ध में। कल लाठीचार्ज हुआ, सरकार खड़ी होकर जवाब दे दे कि इस तरह लाठीचार्ज हुआ। यह मेम्बर भी शान्त हो जायेंगे और एक तरफा कार्यवाही भी नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है, भीलवाड़ा के मसले पर आप आज वक्तव्य दिला दें, यह प्रॉब्लम अपने आप साल्व हो जायेगी।

राज्य मन्त्री यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : यह प्रश्न जो भी कुछ उठ रहा है वह तो बड़ा महत्व का है। मैं विपक्ष के नेता महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं, यहां परम्परा डालने से डाली जाती है, इस हाउस में कुछ परम्परायें डल गई हैं। जिन स्थगन प्रस्तावों के बारे में यह कह रहे हैं कुछ महत्व के हैं कुछ बिना महत्व के है, सबको यहां स्वीकार करके उन पर सभी को बोलने की इजाजत दी जाती है. गत तीन साल में या 29-30 महीने में कोई ऐसा एक भी उदाहरण विधान सभा में वह बता दें, क्या उन तीन सालों में कोई ऐसा स्थगन प्रस्ताव हमने नहीं दिया जिसके ऊपर उन्होंने स्वयं वक्तव्य दिया हो। हमने हमेशा उनसे कहा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत दिये हैं, वह बता दें जिसके ऊपर उनकी सरकार ने वक्तव्य दिया हो। हम यह मानते हैं, जब आसन का हमको आदेश होता है, तब हम वक्तव्य दे देते हैं। यहां अपने तरीके के नियम हैं परम्परायें हैं। विपक्ष के माननीय नेता महोदय यह कहें कि केवल यह सब जिम्मेदारी हमारी ही है और वह केवल इस बात से उनके सदस्यों का प्रवोक करें। अगर मान लीजिये कोई बात भी कहनी है, अपने यहां परम्परा है कि अध्यक्ष जब भी कभी आदेश देता है, उसकी अनुपालना में वक्तव्य देते हैं। पहले तो यह होता था कि यह कभी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकारते नहीं थे। जो भी स्थगन प्रस्ताव आते थे, हम हाउस में बोल लेते थे और मूक दर्शी की तरह बैठे-बैठे देखते रहते थे, आप तीन साल की प्रोसिडिंग देख लें आपने एक पर–

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

म्परा डाल दी। आप सरकार से जवाब तो मांगते हैं, यह कोई जवाब तक नहीं देते देते थे, सरकार की ओर से। हमारे स्थगन प्रस्तावों को आज भी देख लीजिए। आप तो कोई परम्परा डालने के पक्ष में थे नहीं, जब सत्ता में बैठे आपको परम्परा का कभी ख्याल नहीं रहा, आप सत्ता से हट गये तो आपको परम्पराओं का बहुत ख्याल आता है। मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहता हूं, स्वस्थ परम्परायें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। अगर आज भी आप इस बात को तय करें कि स्थगन प्रस्ताव के लायक जो विषय हैं उनको हाउस में लाना चाहिये तो मैं समझता हूं स्वस्थ परम्परा कायम हो सकती है। इसके लिए किसी को भी ना नहीं हो सकती है, चाहे वह इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों। आज अगर ऐसे स्थगन प्रस्ताव, जिसका आप खुद जिक्र कर रहे हैं, मैं भी जिक्र कर रहा हूं, इस तरह के महत्व के स्थगन प्रस्ताव आते हैं जो भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी है. यह महत्व की बात है मैं कोई इससे इन्कार नहीं करता हूं। परन्तु जो कुछ भी परम्परायें इस हाउस में पड़ गई हैं उनके अनुरूप हमको चलना होगा। अगर उन परम्पराओं को आप बदलना चाहते हैं तो आप सभी माननीय सदस्यों से मैं यह कहना चाहता हूं कि उन परम्पराओं को रखने वाले हम सब लोग हैं, हमेशा हमको याद रखना चाहिए। केवल यह नहीं हम उनको कभी तो याद रखें और कभी भूल जायें। यह तो याद रखने की चीजें हैं। हाउस में हमें वही परम्परा डालनी चाहिये, जो प्रजातन्त्र को आगे बढ़ा सकें। जो जनता के लिए ठीक न होवें और महत्व की बात हो उनका जल्दी से जल्दी निराकरण हम सब आप लोग कर सकें यह बात है परन्तु आप हमें बता दीजिए, कोई भी तीन साल का उदाहरण खड़े होकर कह दीजिए कि हमने अपनी ओर से स्टेटमेंट दिया। आपने स्थगन प्रस्ताव की....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक भी बता दीजिए। हमने नहीं दिया क्या ? आप उस समय का एक भी उदाहरण दे दीजिए। हमने वह दिया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक बात कही गई है....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायें। मैं समझ गया माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरी बात तो सुनिये, मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं एक असत्य तथ्य को इस सदन के सामने रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायें। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : एक असत्य तथ्य रखा गया है वह सुन तो लिया जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमने बारां के गोलीकाण्ड के बारे में दिया दूसरे दिन भैरोंसिंह शेखावत जी का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल दो मिनट ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें। मैं समय नहीं दूंगा । आपके नेता बोल लिये, मैं कुछ व्यवस्था देना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल दो मिनट ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाये, मैं इस तरह इजाजत नहीं दूंगा । आसन पैरों पर है।

पहला नियम यह है कि आसन पैरों पर होते ही....

श्री कैलाश मेघवाल : अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न होना चाहिए, आप एडवोकेट हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : बिल्कुल। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उस पर इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जिस समय के अभी माननीय राज्य मन्त्री ने सन्दर्भ....

श्री अध्यक्ष : विचारणीय विषय नहीं है उनका भाषण ।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय व्यवस्था क्या थी आप सुन तो लीजिए।

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ, इसको पूरा आप सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर पहले आइये, मन्त्री जी पर नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको पूरा यह अधिकार है कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न को आप निरस्त कर दें, उसको स्वीकार नहीं करें। लेकिन उस समय की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उस समय के सारे रिकार्ड लाइब्रेरी में पड़े हैं वह बतायेंगे, हमेशा 9 30 बजे यहां आते थे जो मन्त्री थे या उनके विश्वस्त थे वह आते थे। जो यहां से स्थगन प्रस्ताव मिलते थे वह उसी समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकर जाते थे। जब जब भी यह यहां बोले हैं प्रत्येक मन्त्री ने हर स्थगन प्रस्ताव का उसी समय उत्तर दिया है। आज भी हम वही व्यवस्था चाहते हैं । आप रिकार्ड निकलवाकर देख सकते हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई नहीं। आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : विवाद का विषय नहीं बनायें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको पता क्या है ?

Page No 83

(83)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बोल रहा हूं, ये बीच में बोल रहे हैं। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व परम्परा अगर कायम रखते हैं तो जिस तरह जनता सरकार के वक्त में दो मिनट की चर्चा में मन्त्री जवाब दिया करता था उसी तरह आज भी आपकी व्यवस्था में यह मन्त्री महोदय जवाब दिया करें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, विपक्ष के नेता महोदय ने कुछ बातें कहीं। कुछ बातें व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित थीं। एक दो बातें विपक्ष के नेता महोदय ने यह कह दीं समय पर स्थगन प्रस्तावों के उत्तर नहीं आते हैं, अधिकतर सही नहीं है। कई मामले ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ विलम्ब हो जाता है, लेकिन आप स्वयं मानते हैं कि जितनी संख्या में स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन सब में तत्काल उनका उत्तर प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है, मैं हर प्रश्नों को, जहां तक सम्भव होता है; मेरे विवेक और बुद्धि के अनुसार इस दृष्टि से जज करता हूं, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें जनहित कितना निहित है। संसदीय प्रणाली है, यह किसी एक देश के अन्दर एक परिस्थिति में निर्मित हो गयी हो यह लोह की लकीर हो गयी, ऐसा नहीं है। समय जिस तरह से बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके साथ हमको तरीके भी बदलने होते हैं। मान लीजिए, हम एक दो स्थगन प्रस्ताव जो नियमों के अनुसार आते हैं के बारे में ही सूचित करें, शेष आयें उनको सुने ही नहीं, तो माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, जो माननीय सदस्य सतर्क रहते हैं, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव देते हैं, हालांकि यह सदन में कहने की बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ बैठकर हमारा काफी हद तक काम हो गया है, इस बात की मुझे मुबारकबाद भी देकर जाते हैं, यह भी मैं आपको निवेदन कर दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : केवल शब्दों में किस तरह ढाला हुआ प्रस्ताव है केवल इस दृष्टि से नहीं बल्कि व्यावहारिकता की दृष्टि से, जनहित की दृष्टि से देखता हूं। हमारा सरकारी तन्त्र बहुत बढ़ गया है, जन जीवन ज्यादा जटिल हो गया है, समस्यायें कई तरह की बढ़ गयी हैं, हमारी आबादी बहुत अधिक बढ़ गयी है इसलिए उस सब को देखते हुए और इतने पक्ष हैं, माननीय सदस्यों की तकलीफ है, ये भी सही कहते हैं, मैं देखता हूं कि हां कोई विषय है उस पर कई माननीय सदस्य उसी वक्त बोलने के लिए आतुर हों, मैं समझता हूं वह उस पर बहुत उत्सुक हो सकते हैं उनकी नाराजगी भी हो सकती है लेकिन वह विषय सदन के सामने तभी रखने की कोशिश करता है जबकि सदन उस पर ठण्डे दिल से, ठण्डे दिमाग से विचार कर सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठण्डा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : ठण्डा हो जाय, ऐसा नहीं है। यह भी शिकायत नहीं होगी माननीय सदस्यों की कि उनके स्थगन प्रस्ताव के बारे में यहां से जाने के बाद मैं कोई बैठ जाता हूं ऐसी बात नहीं है। सभी माननीय सदस्य आते हैं। सभी माननीय सदस्यों के सभी पक्षों का, सभी तरह के

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। उनमें उनके ऊपर ही छोड़ देता हूं कि आप इस विषय पर स्वयं देखें। उत्तर सबका मंगवा लेता हूं। उससे पता है कि सरकारी स्तर पर 5–6 जगह जब उसकी चैकिंग होती है, गलती आम तौर पर वहीं पर पकड़ी जाती है। उसके बाद में उनको चुनने का अवसर दे देता हूं कि इनमें से आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। सभी माननीय सदस्यों के सभी प्रस्ताव आ जावें, यह तो सम्भव होता नहीं है। रोजाना एक दो प्रस्ताव आते हैं, उस हिसाब से यथा सम्भव मेरी पूरी कोशिश रहती है क्योंकि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, बड़ी जिम्मेदारी से किये हैं। उस विषय के बारे में उनको कहना है, उनकी शिकायतें हैं, उन सबको ध्यान में रखकर मैं फैसला करने की कोशिश करता हूं। कोई विषय होते हैं, यह विषय कल से उठ रहा है तो यह उपयुक्त समय नहीं था। आप स्वयं जानते हैं, आज वित्तीय विषय विचारणीय है माँगें, वह भी काफी महत्वपूर्ण विषय है। कल रात को भी 11 बजे तक माननीय सदस्यों को हमने तकलीफ दी, 11 बजे तक बैठना पड़ा। आज तीन अन्य प्रकार के प्रस्ताव हैं, इस प्रस्ताव पर ज्यादा समय चला जाए तो मेरी भी कई कठिनाइयाँ हैं। समय में कार्य को पूरा करवाना होता है, जिन माननीय सदस्यों के 15–15, 20–20 दिन पुराने जो प्रस्ताव हैं, उन पर भी वक्तव्य दिलाना है। एक कोई घटना हो गई, अफसोसजनक है, उनका दुख है। मैंने आते ही उस प्रस्ताव को सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा। उसके बाद में भी कठिनाई हो तो आप मुझसे मिलिये। मुझे आखिर कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, उससे जानकारी लेनी पड़ेगी यह भी आप जानते हैं कि छोटी-छोटी बात के लिए हर माननीय सदस्य आसन कहे उनके अनुसार नहीं चले तो फिर यह सदन चलाना कैसे सम्भव हो। यहां बैठने के, उठने के, बोलने के, चर्चा करने के और सदन के अन्दर कौनसे विषय लिए जायें, इन सबके माने हुए तरीके हैं, चाहे नियमों में आये हुए हैं, चाहे परम्पराओं में आये हुए हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यथा सम्भव हमको समय की बचत करनी चाहिए। सबसे पूर्ववर्ति जो विषय निर्धारित किये हैं उनकी होती है, हाइएस्ट प्रायोरिटी उनकी होती है। यह भी आप जानते हैं कि 5 बजे स्ट्रिक्टली यदि हम चाहें तो जो समय निश्चित है उस समय के आने पर इस पर जो वित्तीय विषय हैं, सब आवश्यक प्रश्न तत्काल पूछे जा सकते हैं। यहां तक नियम है। लेकिन देर तक भी बैठना पड़े, अन्तिम माननीय सदस्य बोल सकें, यहां तक मेरी तो कोशिश रहती है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है, इसमें माननीय सदस्य नाराज हैं तो मैं अन्दर जाऊंगा उस समय विपक्ष के नेताजी अथवा माननीय सदस्यों में से कोई आ जायें उस पर सहानुभूति से विचार करूंगा। लेकिन बात यह है कि जितना महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्यों के लिए यह हो सकता है उतना ही विचारणीय विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मुझे मालूम है, जब से विधान सभा का सत्र शुरू हुआ है, तभी से माननीय सदस्य, उनका विषय केवल पशु पालक

(श्री अध्यक्ष)

हैं, शहरी नहीं हैं उनकी चराई की दिक्कत है, रोजाना करीब-करीब एक चक्कर काट लेते हैं ।

इसी तरह दूसरे विषय भी हैं । इसलिए मुझे सब माननीय सदस्यों की सुविधा को देख करके अपना दैनिक कार्यक्रम निश्चित करना पड़ता है । मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए आज की जो कार्यवाही है उसको आगे लेता हूं । इसके सम्बन्ध में चैम्बर में जाऊंगा उसके पश्चात् अलग से बात कर लूंगा । सरकार से जल्दी से जल्दी तथ्य मंगाऊंगा इतना ही मैं निवेदन कर सकता हूँ । अब कृपया, माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूँगा कि इस बात पर चर्चा न हो हम तत्काल जो आज के विचारणीय विषय हैं उन पर आ जायें ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, विधि मन्त्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, एक प्रश्न जो कल भी पेण्डिंग रह गया था, मुख्यमन्त्री जी ने उत्तर नहीं दिया, उस प्रश्न को लेकर हाउस में कितनी उत्तेजना उत्पन्न हुई थी, आपको ध्यान है ।

श्री अध्यक्ष : कौन सा प्रश्न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चना गोली काण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दिनकर मेहता को अपाइन्ट किया है ।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में यहां तो चर्चा नहीं होगी । उस सम्बन्ध में बात कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में नोटिफिकेशन इश्यू कर रहे हैं, बाद में क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं नियम जानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि सदन में जो आश्वासन दिया उसका उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा । मुझे कुछ सांस तो लेने दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जल्दी करो नहीं तो हमारी सांस निकल जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य की बात होगी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । राजस्थान के मुख्य मन्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की चर्चा...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया । मैं जाकर अन्दर बात करता हूं । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, यह इस तरह से उठाने का नहीं है । फिर वही की वही बात हो गयी । अब कार्य सूची पर आ जायें । माननीय सदस्य । मैं उस पर बात कर लूंगा ।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया है आपको । उसका यहां क्या फैसला देंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अपने आप क्यों नहीं कह रहे हैं ।

Page No 86

श्री अध्यक्ष : अपने आप जवाब दे देना चाहिए, नहीं दिया, मैं बात कर लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समय हो गया है। कृपया विराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जो व्यवस्था देंगे, मुझे मंजूर है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं । आपने मधुवाला हत्याकाण्ड के बारे में गवर्नमेंट को जानकारी के लिए स्थगन प्रस्ताव भेजा है, मुझे बोलने नहीं दिया, आप इसकी सी.आई.डी. से जांच करा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मेरे हाथ में सी. आई. डी. नहीं है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 6 महीने में पुलिस कार्यवाही नहीं करे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या, यह प्रश्न अनाधिकृत रूप से उठा रही हैं। बाधा डाल रही हैं। माननीय सदस्या, कृपया विराज जावें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको सी. आई. डी. से जांच के लिए क्यों नहीं भेज देते ?

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रिविलेज मोशन माननीय विधि मंत्री जी के खिलाफ भी पेंडिंग है, पहले उसका....

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय दूंगा उस पर, प्रश्नोत्तर नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर व्यवस्था तो करें। आप निर्णय देंगे, उस पत्र के प्रभाव से काम होने वाला है। मामला शान्त हो जायेगा, निर्णय बाद में होगा....

श्री अध्यक्ष : कोई शान्त नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही तो सलेक्शन है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मतलब यह है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पॉइन्ट आफ आर्डर....

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं राजस्थान राजभाषा उपबंध....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किस रूल्स के तहत रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : किस रूल्स के तहत नहीं रख सकते, यह बताओ पहले आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रख सकते। हाउस में कोई भी कागज किसी रूल्स के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है, वह रूल बतायें। किस रूल्स के अन्तर्गत रख रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मेरे पास लिंग्विस्टिग माइनोरिटीज का महकमा है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इजाजत दी गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कौन से रूल्स के तहत...

श्री अध्यक्ष : आप बतायें कि कौन से रूल्स के तहत नहीं रख सकते वह....

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप बतायें कौनसा कानून है रोकने वाला, वह आप बतायें ना । उसके बाद में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नियम में यह बता सकता हूं कि हाउस की टेबिल पर कोई भी पत्र रखा जायगा....

श्री अध्यक्ष : वह अध्यक्ष की अनुमति से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति ऐसे ही थोड़े देंगे । आप तो रूल्स के हिसाब से देंगे । रूल्स के बाहर जाकर के तो आप अनुमति देंगे नहीं, ऐसी आपसे आशा है ।

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन वह यह बतायें तो सही कि कौन से रूल्स के तहत वह रख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपने बता दिया कि कौन से मन्त्री हैं आप ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : लिंग्विस्टिग माइनोरिटीज का महकमा है ।

श्री अध्यक्ष : हां, लिंग्विस्टिग माइनोरिटीज के मंत्री हैं उस हैसियत से रख रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मंत्री होने से यह अधिकार हो गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री होने के बाद में तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह आप देख लें हम को तो रूल बता दें कि कौन से रूल के तहत रख रहे हैं ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मुझे अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दे दी इसलिये कोई सवाल या एतराज नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह विधि मंत्री जी की राय है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रूल्स याद नहीं है क्या आपको ?

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर, माननीय सदस्या।

सदन पटल पर रखा गया पत्र अधिनियम का परिशोधित पाठ

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (ग्रनुपूरक उपबन्ध) ग्रधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के ग्रन्तर्गत राजस्थान ग्रावश्यक सेवायें बनाये रखने का ग्रधिनियम, 1970 (1977 का ग्रधिनियम संख्या 22) का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परिशोधित क्याहोता है ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में भेड़, बकरी, ऊंट व गधों को चराने के लिये कानूनी व्यवस्था

श्री ग्रध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

माननीय श्री ग्रमीन खां, राजस्व मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करेंगे। कृपया समय की बचत करें, काफी समय चला गया है। इसलिये संक्षेप में पहले ग्राप बोल दें उसके बाद उत्तर ग्रा जायेगा।

श्री ग्रमीन खां (शिव) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उससे ग्राप खुद भी सहमत होंगे। मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इसलिये ग्राकर्षित करना चाहता हूँ कि ग्रपने जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती रेगिस्तानी जिले हैं मसलन बाड़मेर, जैसलमेर, ग्राधा हिस्सा जोधपुर, कुछ बीकानेर का हिस्सा है इसमें ग्रधिकतर लोग पशुपालक रहते हैं। इन पशुपालकों में भी, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप स्वयं जानते हैं, मंत्री महोदय शायद इस बात को सही मानेंगे या नहीं मानेंगे, 50 पर्सेन्ट लोग गधों के जरिये ग्रपने खेत में काश्त करते हैं, पीने का पानी गधों के जरिये भरते हैं ग्रौर चारा व खाने पीने का सामान कहीं दूर स्टेशन, बाजार की दुकानों से गधों पर लाते हैं। इस गधे जानवर को तो लोग जानवर की शुमारी में भी नहीं समझते हैं। इसकी बात करते हैं तो मजाक तौर

(1.33. म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

की बात मानते हैं। इसके ग्रलावा ऊंट हैं। ऊंट का भी, सभापति महोदया, ग्रसली खाना तो जो घास व चारे हैं उसकी कोई कमी नहीं होती है। ग्वार ग्रौर ग्वार की फली ग्रौर बोरडी के पान का पाला यहां ग्रसली खाना हैं। मगर ग्रकालग्रस्त एरिया ग्रौर रेगिस्तानी एरिया में ऊंट के लिये यह दोनों चीज, ग्रसली खाना तो बहुत कम से कम उपलब्ध होता है। बरसात के मौसम में घास, जैसे ग्रामणा है, सेवण है, धामण है, बुरट है, सकर है, कन्ठी है या जो दूसरी घास होती है यह भी ऊंट का उस रेगिस्तानी इलाके में एक चारा है।

इसके ग्रलावा, सभापति महोदया, भेड़ ग्रौर बकरी का तो चारा हरी घास होती है। रेगिस्तानी जमीन में जितनी भी घास उगती है, लमट उगती है, बुरट उगती है,

(श्री अमीन खां)

कन्ठी, लाठिया, सेवण, ग्रामण, मोरसी इत्यादि घास जो रेगिस्तानी जमीन में पैदा होती है यह भेड़ और बकरी दोनों चरती हैं। हमने जैसा पाया है, विशेषकर आपके राजस्व अभियान के समय अनेक कैम्पों में रेगिस्तानी इलाकों में यह दिक्कत सामने आई कि जहां जानवरों में गाय और भैंस को माना है। भैंस और गाय जितकी माल शुमारी रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज है। उसकी आधा बीघा हिसाब से गोचर है। आप मान लेते हैं बाकी जानवरों के लिये गोचर की आवश्यकता महसूस नहीं करते हो।

सभापति महोदया, यह बात भी सही है कि राजस्थान में भी सभी प्रकार की हालत नहीं है। आज राजस्थान में ऐसे कई हिस्से हैं जहां किसान के खेत पर कुआ हैं और उस कुए पर बिजली है। उस किसान के पास चाहे 10 गायें, 10 भैंसें या 10 बकरी हो, उन जानवरों को वह किसान अपने कुए से पानी निकालकर रिजके पैदा करके पशुओं को चराता है। मगर हमारे इलाके में तो पशुपालकों को रिजके का कोई नाम भी नहीं आता है कि रिजका होता क्या है। सभापति महोदया, मैं राजस्व मंत्री जी की दिक्कत महसूस करता हूं, वह कहेंगे कि कानून में इस तरह का परिवर्तन कर दिया तो सारे राजस्थान में लागू हो जायगा। सभापति महोदया, जैसा मैं महसूस करता हूं, कानून तो आप और हम बनाने वाले हैं, कानून को जिस क्षेत्र तक लागू रखते हैं और पास करते हैं वहीं तक कानून लागू होता है। कानून किताब में छपने से कोई सारे प्रान्त में लागू नहीं होता। सभापति महोदया, कई इलाकों में गधों पर लोग पानी नहीं भरते हैं। लेकिन उस इलाके में 50 परसेन्ट लोग गधों के जरिये काश्त करते हैं; अपने पीने का पानी भरते हैं तो उसको भी आप नहीं मानेंगे। अब रहा सवाल आप कहेंगे कि कानून हमने बना दिया तो जमीन कहां से लायेंगे। सभापति महोदया, साफ जाहिर बात है कि जमीन कोई हम काश्तकारों के जो अधिकार में हैं, हक की है उसमें से ले नहीं सकते हैं। जो आबादी के एरिया में आई हुई है वह ले नहीं सकते, जिस जमीन के पट्टे दे दिये हैं वह ले नहीं सकते हैं। जमीन जो सरकारी मकानों के कब्जे में आई है वह भी नहीं ले सकते। जमीन हम वह लेना चाहते हैं जो ओरन है। सिवाया चक और सरकारी जमीन डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत में डिस्ट्रक्ट जमीन के अलाटमेंट पर और नियम में आपने बान लगा कर रखा है, वह किसलिये रखा। पशुओं के चरागाह के लिये रखा है। आप कहेंगे कि उसको एलाट नहीं कर रहे हैं इसलिये कि वह चरागाह है। तो चरागाह के नाम रखने में आपको दिक्कत क्यों आ रही है। कल ओरन के लिये आप फारेस्ट को दे दोगे। डेजर्ट नेशनल पार्क एक तो मेरा और वहां कायम कर दोगे। जैसे भरतपुर में यह घटना हुई है हम ऐसी घटनाओं से भयभीत हैं। एक डेजर्ट नेशनल पार्क पहले जैसलमेर बाड़मेर में कायम किया था। तमाम पशुपालक लोग हैं, 95 प्रतिशत लोगों का धंधा पशुओं पर आधारित है। वहां जानवर घास खाकर जीते हैं, उन पशुओं के आधार पर लोग अपनी जिन्दगी बिताते हैं। जो सरकारी जमीन उपलब्ध है न किसी की खातेदारी की है, न इण्डस्ट्रीज की है खातेदार अन्य किसी का है वह तो आप कानून में प्रावधान करने से भी छीन नहीं सकते। सरकारी जमीन राइट है जो उसकी आप हमें चरागाह के लिये गारन्टी देने के लिये

(90)

(श्री अमीन खां)

जब तक नियमों में संशोधन नहीं करेंगे तब तक रेगिस्तान के ग्राम पशुपालकों में यह भय रहेगा कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क बनायेंगे या और कोई पार्क बनायेंगे या विदेशी पर्यटकों के लिये 10 कोरड़े बनाकर हजार बीघा जमीन सौंप करके वहां के पशुपालकों को तारबन्दी करके बाहर खदेड़ देंगे। इसलिये मेरी मान्यता है कि हमारी लोकप्रिय सरकार है, इस सरकार का फर्ज है कि इस प्रश्न को कोई मजाक में नहीं ले या कोई अनपढ़ आदमी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर दिया, कानून-वानून तो उसकी समझ में आता नहीं है। यह उन पशुपालकों के मरने और जीने का सवाल है। इस पर आप ध्यान दे करके चाहे 2-3 जिलों के लिये ही कानून में प्रावधान कर दें। आप कहेंगे कि 2-3 जिलों में कानून लागू नहीं हो सकता।

पिछली दफा अपनी कांग्रेस की सरकार के वक्त में जब लगातार बाड़मेर, जैसलमेर में भयंकर अकाल रहे, उस समय पंचायतों के चुनाव हुये थे। राजस्थान में पंचायतों के चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी। लेकिन 2 जिलों की तारीख निश्चित नहीं की, उनके चुनाव नहीं कराये गये। वह किसलिये नहीं कराये, वह इसलिये नहीं कराये गये थे कि वहां पर हालात खराब थे, लोग अकाल की वजह से अपने घरों और गांवों में मौजूद नहीं थे। उन जिलों के चुनाव रोक दिये गये। परिस्थितियों के अनुसार देखें एक काश्तकार जो बाड़मेर, जैसलमेर का है उसको, जो काश्तकार भरतपुर और अलवर का है उसी प्रकार मानेंगे, मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया कि एक काश्तकार ऐसा है जो रिजका पैदा करके अपने मवेशियों को बचा सकता है।

हम क्या पैदा करें। जहां हमारी तहसील में ट्यूब वैल्स हैं, उनमें बिजली की स्कीम मांगते हैं आर. एस. ई. बी. तो कहते हैं

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमीन खां : आपके वहां खेती का उत्पादन नहीं है, इण्डस्ट्रीज का उत्पादन नहीं है इसलिए बिजली की हम स्कीम भी नहीं दे सकते।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : सभापति महोदया, एक मिनिट। खनिज पट्टे हमारे यहां दे नहीं सकते। हमारे पशुओं का महत्व समझ करके और मदद नहीं करोगे तो हमारे जीने का आपके पास क्या रास्ता है। मेरे ख्याल में कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय इसके कि हमारे को वहां से निकाल दो हमारे जिले में बालोतरा में इण्डस्ट्री है। सभापति महोदया, यह मैं साफ सही कहता हूँ, बालोतरा में 100 मिल हैं, वो ही लोग कमा रहे हैं। बावतु....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चरागाहों के लिए कानूनी व्यवस्था थी।

श्री अमीन खां : सभापति महोदया, उसी से सम्बन्धित है। खेजड़िया काट करके, दरख्त बेच करके इण्डस्ट्रीज वाले तो करोड़पति बन गये लेकिन हमारे पशुपालकों को कोई संरक्षण नहीं है जहां हम पशुओं के लिए नियम की बात करते हैं तो क्या कोई कानून इसके लिए बना नहीं सकते?

(श्री ग्रमीन खां)

मैं राजस्व मंत्री जी से बाग्रदब यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि वहां का एक-एक गांव घूमने के बाद में मुझे पता लगा कि यह वहां के लोगों का सिरदर्द है, उनके ग्रमन-चैन में खलल की ग्राशंका है। मैं ग्रापसे दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी करके वहां पर जो सरकारी जमीन है जो ग्रापकी डीपीएर्फ की जमीन है उस जमीन को दूसरों को न देने के लिए इन जानवरों को भी ग्राधा बीघा में ले लें। ऊंट, गधा, भेड़ ग्रौर बकरी को भी ले ले, गाय ग्रौर भैंस के लिए पहले से ही प्रावधान है तब तो हमारी जितनी भी जमीन है वह उन पशुग्रों के लिए सुरक्षित रहेगी वरना इन पशुपालकों के लिए बड़ा भय है। मैं ग्राशा करता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

राज्य मन्त्री राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) :

माननीय सभापति महोदया, शिव से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा हेतु प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गरीब पशुपालक लोग ही रहते हैं उनके पशुग्रों के लिए कानून में चरागाह के लिए सिर्फ गाय व भैंस का ही प्रावधान है। जिससे कम से कम रेगिस्तानी जिलों में गांवों में करीब 80 प्रतिशत लोगों को भारी ग्रसन्तोष है क्योंकि ऊंट भी घास खाता है, जैसे बेंकर, वण्टी, रोवर सोमेला, ग्रामणा, लाठीया। गधा तो सबसे ग्रधिक चरता है, जो सभी प्रकार का घास खाता है। भेड़ बकरी भी पाले के ग्रलावा सभी प्रकार का घास खाते हैं। इसलिए गधा, ऊंट, बकरी, भेड़ों के लिए चरागाह का कानून में इन्तजाम करने के लिये ध्यान ग्राकर्षित किया गया है।

जिस समस्या की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया गया है वह यह है कि नियमों के तहत चरागाह भूमि को कायमी करते समय केवल गाय, भैंस ग्रौर उनके वंश का ही ध्यान नहीं रखते हुए ग्रन्य पशुग्रों का भी रखा जाना चाहिए ऐसा उनका कहना है।

राज्य में चरागाह की कायमी के लिए मुख्यतः भूमि की उपलब्धता का एवं गाय, भैंस व उनके वंशों की संख्या का ध्यान रखा जाता है। यदि सभी प्रकार के पशुग्रों की संख्या के ग्राधार पर चरागाह कायम किया जाय, तो स्पष्टतः जितनी भूमि की ग्रावश्यकता होगी, उतनी भूमि उपलब्ध होना ग्रसम्भव है क्योंकि इस प्रकार के पशुग्रों की संख्या बहुत ग्रधिक है जो निम्न ग्रांकड़ों से स्पष्ट है :—

नाम पशु	**वर्ष 1977 की गणना के ग्रनुसार**
गाय	1,28,96,000
भैंस	50,72,000
भेड़	99,38,000
बकरी	1,23,07,000
घोड़े एवं खच्चर	49,000
गधे	2,13,000
ऊंट	7,52,000

चरागाह कायम करने के सम्बन्ध में जो नियम लागू होते हैं इनके प्रावधानों को देखने से विदित होगा कि प्रति घोषित प्रति पशु ग्राधा बीघा की दर से इस समय चरागाह कायम की जाती हैं परन्तु ऐसा करने के लिए न केवल पशुग्रों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है वरन् ग्रन्य बातों को

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

भी, जैसे कि उस गांव में कुल पड़त सरकारी भूमि कितनी है एवं कृषि प्रयोजन के लिए भूमि की मांग कितनी है। इस समय जितनी बिना नाम यानि गैर मुमकिन बंजर राजकीय भूमि उपलब्ध है। वह इतनी मात्रा में नहीं है कि उपरोक्त वर्णित अन्य पशुओं के लिए भी चरागाह निर्धारण के लिए पर्याप्त हो। वैसे राजकीय बिना नाम भूमि पर तो हर प्रकार के मवेशी वैसे ही चरते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के रेगिस्तानी जिलों में भूमि के आवंटन पर रोक लगी हुई है एवं इस रोक से केवल निम्न मामलों में ही छूट दी हुई है :—

1. एक हैक्टेयर तक के टुकड़ों के आवंटन की छूट।

2. सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई सरप्लस भूमि के आवंटन पर रोक नहीं है।

3. समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के लिये आवंटन किया जा सकता है।

4. पिछले भारत पाक युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

इसका कारण यह है कि इन जिलों की भूमि कृषि पैदावार की दृष्टि से कमजोर है एवं खेती का बोझ सहन नहीं कर सकती। इसे चरागाह के विकास एवं वृक्षारोपण के लिए ही अधिक उपयुक्त समझा गया है। इस नीति का स्वाभाविक परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों में चरागाह का विकास हो रहा है एवं वृक्षारोपण भी अधिक मात्रा में हो रहा है। इस प्रकार औपचारिक रूप से चरागाह की निर्धारित सीमा से बहुत अधिक क्षेत्र में मवेशियों के चरने की सुविधा उपलब्ध है तथा इन क्षेत्रों का योजनाबद्ध रूप से चरागाह का विकास भी किया जा रहा है। इसका लाभ सभी प्रकार के मवेशियों को प्राप्त हो रहा है, उसमें ऊंट, भेड़, बकरी आदि शामिल हैं। इस उत्पन्न स्थिति में समस्त मवेशियों के लिए जो सर्वोत्तम प्रबन्ध सम्भव है, वह किये जा रहे हैं।

श्री अमीन खां : जमीन को बलोन कर रहे हैं, कोई जमीन खातेदारी की, दूसरे सरकारी या और लाकर दे दो। हम कहते हैं कि सरकार की जमीन पड़त पड़ी है उसको चरागाह में परिवर्तित क्यों नहीं करते।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपसे यही कहा कि केवल चरागाह तो है ही उसके अलावा जो बंजर भूमि है, गैर मुमकिन बंजर जमीन है, किसी का भी अलाट नहीं होती वह भी चरागाह के ही काम आती है।

श्री अमीन खां : नहीं आती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : गैर मुमकिन बंजर जमीन किसी को अलाट हो नहीं सकती। उसमें भी मवेशी चरते ही हैं इसलिए माननीय सदस्य, खासतौर पर कोई शिकायत हो तो बतावें उधर की तरफ सरकार का इरादा है कि चरागाह का योजनाबद्ध विकास किया जाय। यह सरकार मानती है कि उधर के जितने भी लोग

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

रहते हैं उनके आर्थिक लाभ की बात है तो केवल मवेशी हैं। इसलिए सरकार इस बात के ऊपर, उधर के इलाके के लिए जागरूक है। कोई यह तो है नहीं कि किसी को अलाट करें।

श्री अमीन खां : बिना कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदया, यह प्रश्न कोई एक जिले से सम्बन्धित हो नहीं सकता। राजस्थान में जब गोचर भूमि की घोषणा करनी हो और दूसरे पशुओं को साथ लेना हो तो एक जिले से दूसरे जिले को अलग नहीं किया जा सकता। ऊंट के लिए बाड़मेर में प्रावधान कर दिया जाय, गधे के लिए बाड़मेर में प्रावधान कर दिया जाय और भेड़ और बकरी के लिए भी कर दिया जाय जैसा माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा था। ध्यान आकर्षण के समय कि दूसरे जिले को आप इससे वंचित रख सकते हैं। यह हो नहीं सकता कि सारे राजस्थान में सारे पशुओं को एक ही दृष्टि से, एक ही हिसाब से देखना होगा। डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता। राजस्थान में आज इतनी भूमि उपलब्ध नहीं हैं कि इन सब पशुओं को लेकर गिनती करके उनके लिये चरागाह छोड़ सकें। साफ जाहिर है कि आज भी ये पशु चरते हैं। नहीं चरते रहे हों ऐसी बात नहीं है। ये पशु चरते रहे हैं जितनी भी भूमि खाली है उस भूमि में चरते रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रोकटोक नहीं है, जहां तक डेजर्ट एरिया का सवाल है, डेजर्ट एरिया में तो डेजर्ट डवलपमेन्ट के आधार पर जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में खास तौर से लिया हुआ है कि उस एरिया में जमीन खेती के लायक नहीं है तो वह कृषि के लिए अलाट नहीं की जाये, उस जमीन को चरागाह के लिए डवलप किया जाये। जो जमीन उस एरिया में चरागाह के लिये डवलप होगी वह उसी क्षेत्र के पशुओं के काम आने वाली होगी, दूसरों के काम आने वाली होगी नहीं इसलिए उसको चरागाह में परिवर्तित कर दिया जाय और कानून बना करके यह संशोधन कर दिया जाय, मैं समझता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अमीन खां : आवश्यकता तो है नहीं तो कोई पार्क बना देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): सभापति महोदया, प्रश्न यह नहीं है प्रश्न यह है कि राजस्थान का पश्चिमी इलाका जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर, जोधपुर है यह जो इलाका है यहां पर वास्तव में गाय भैंसों के अलावा ऊंट और बकरी की तादाद ज्यादा है। अपने राजस्थान में आपको मालूम है, मेरे ख्याल से 1972 और 1977 के बीच में सरकार ने विधान सभा के अन्दर जो गोचर जमीन थी उसको भी पड़त करके लोगों को अलाट करने की कार्यवाही की गई थी। हमारा निवेदन यह है कि गांवों में कम जनसंख्या है और जमीन उपलब्ध है तो पड़त भूमि को गोचर में परिवर्तित करने में आपको तकलीफ क्या आती हैं। आपको मालूम है गोचर हो जाने के बाद में उस जमीन के ऊपर लोग कब्जा नहीं करते है यही एक सुविधा रहती है। बाकी जो पड़त जमीन होती है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। 91 के केसेज बन जाता है, चार पांच साल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के बाद में फिर रेगूलेराइज करने की बात आती है, इसलिए अगर वहां पर जो जमीन उपलब्ध हैं, पश्चिमी इलाका है पशुओं की संख्या ज्यादा है, लोगों का मुख्य धन्धा पशुपालन का है, उस जमीन को गोचर के अन्दर कन्वर्ट कर देते हैं, इन पशुओं को सम्मिलित करके तो मेरे खयाल में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, मैंने जवाब स्पष्ट दिया है। माननीय सदस्य को इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जहाँ तक भेड़ पालकों का का सवाल है, भेड़ों के विकास का सवाल हैं, अलग से प्रावधान किया गया है ? जो भी भेड़ पालक अपने फार्म को भेड़ों की दृष्टि से विकसित करना चाहता है उनको हम 200 हेक्टेयर के लगभग जमीन देते हैं। कोई भेड़ पालक आये और लेवें तो हम उसको मना नहीं करते। लेकिन यह प्रावधान कर देने से सारे राजस्थान में प्राब्लम आ जायेगी। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यह सही है कि उस क्षेत्र के पशुओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे चराई में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। उस क्षेत्र के पशु जो जमीन है उसमें चरते हैं, कहीं पर किसी रोक-टोक की बात सामने नहीं आई है। आपको यह खतरा है कि चरागाह होने के बाद उस पर अतिक्रमण नहीं होंगे। सभापति महोदया, आप हम सब जानते हैं कि जहां चरागाह के लिये भूमि छूटी हुई है, उस पर कितना अतिक्रमण हो रहा है चारागाह छोड़ देंगे तो भी अतिक्रमण की आदत छूट नहीं सकती वह प्राब्लम तो है जो अपनी एक जगह है इसका समाधान और तरह से निकाला जा सकता है लेकिन यह कहना कि चरागाह छोड़ देने से अतिक्रमण नहीं होंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर इन्सिस्ट नहीं किया जाय। कोई तकलीफ वहां पर नहीं है। राज्य सरकार और भी किसी योजना के अन्तर्गत वहां के पशुओं के लिए व्यवस्था करने की बात होगी तो इसके डवलपमेंट के हिसाब से सोच सकती हैं लेकिन इसलिये नहीं कि जनरल रूप से यहां पर चरागाह छोड़ दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री अमीन खां : आपने तो साफ कह दिया जनरल रूप से नहीं छोड़ सकते। आपने तो अपना प्रेस्टिज इश्यू बना लिया कि हमने जो ना दिया है तो ना देना है। आपके फारेस्ट के अन्दर कब्जे किये हैं, लोग पेड़ काटते हैं। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के नाम की जो ओरन और गोचर होती है इनमें लोग पेड़ नहीं नहीं काटते हैं गोचर में कब्जा नहीं करते हैं। सरकारी जमीन देख कर कब्जे होते हैं उनको आप रेगूलेराइज कर देते जब आप पर दबाव पड़ता है। चाहे कोई भी हो रेगूलेराइज करता है, पशुओं के लिए जमीन का खात्मा करते हो। आप कहते हैं राजस्थान का सवाल है, हम कहते हैं हमारे जितने पशु हैं आपके अन्य जिलों में हो तो बता दो आप राजस्थान को हमारे साथ कैसे जोड़ते हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिर्फ एक प्रश्न आप इस विषय में पूछ सकते हैं उसके बाद इस विषय में चर्चा समाप्त होगी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, गोचर जमीन का खसरा नंबर के अन्दर अमल दरामद करने से भावना का भी प्रतीत होता है कि जब गोचर भूमि के अन्दर खसरा नम्बर लिख लिया जाता है, तो लोग बाग इस तरह से सोचते हैं कि भाई गोचर जमीन के अन्दर अपने अलाटमेंट कराने की प्रक्रिया को नहीं करें। इसलिए इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसी जितनी भी जमीन है उस सबको गोचर के अन्दर दे दी जाये या गोचर में शुमार कर दिया जाये जिससे यह सब मामला भावना से प्रेरित है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, कहीं कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। यह तो व्यवस्था की दृष्टि से कुछ मामले निपटाने पड़ते हैं उसी से मैंने कहा। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा इसमें सरकार की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं जबसे मैंने राजस्व विभाग सम्भाला है मुझे एक विशेष बात और मालूम हुई, दूसरे स्थानों की चरागाह की, आबादी की भूमि में कन्वर्ट करने के केसेज मेरे सामने उतने नहीं आपने जितने बाड़मेर के आये हैं। हर पंचायत से प्रस्ताव आ रहा है कि चरागाह में से इतनी अतरंग की आबादी भूमि में कन्वर्ट कर दी जाये। एक तरफ तो आप चरागाह की बात करते हैं दूसरी तरफ आपके यहाँ से चरागाह की भूमि को कन्वर्ट कराने के केसेज आ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मतलब यह है कहने का कि आपको कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत हो उसके लिए तो मैंने आपको साफ कहा है, जैसे भेड़ों के लिए विशेष प्रोग्राम प्रावधान बना कर डवलप करने के लिये दिया है आप दीजिये, कोशिश हम करेंगे। है। राज्य सरकार की ओर से हम विकास के लिए जमीन देंगे। भेड़ पालक अपना फार्म बनाये जो भेड़ पालक है वह कार्य तैयार करके उसको डवलप करे। भेड़ों की नस्ल को सुधारे, ऊन के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करे। यह सारे प्रावधान हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है।

शासकीय वक्तव्य
भरतपुर जिले का गुडगांव नहर व भरतपुर फीडर से जल उपलब्धि

श्री सभापति : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। माननीय सिंचाई मन्त्री जी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : यह वक्तव्य जो मन्त्री महोदय देंगे उसके पीछे मेरे और माननीय सदस्य यदुनाथसिंह जी, दोनों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे। उसके उपरान्त कार्यसूची में यह आया है कि आप वक्तव्य देंगे। या तो पहले हमको सुन लीजिए उस संदर्भ में अगर मन्त्री महोदय वक्तव्य दें कुछ हमारी बात सोच समझ कर, तो ठीक होगा। वरना तो हमें एक बार नहीं कई बार सवालों के लिए उठना होगा।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे, फिर आप स्पष्टीकरण में कुछ पूछना चाहें तो पूछ लेना।

Page No 96

(96)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय सभापति महोदया, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 50 के अन्तर्गत नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना विधान सभा सचिवालय को दी थी और विधान सभा अध्यक्ष ने सरकार को निर्देश दिया है कि उनके द्वारा उठाये गये विषय भरतपुर जिले की गुड़गांव नहर भरतपुर फीडर से पानी उपलब्ध होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है।

भरतपुर जिले में यमुना नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दो योजनायें बनाई गई हैं भरतपुर फीडर, आगरा नहर की 69 मील पर से निकली हुई ओडिग डिस्ट्रीब्यूटरी हेड मील से 300 क्यूसेक्स की नहर बनाई गई है। इस नहर में वर्षाकाल में जुलाई से सितम्बर के बीच आगरा नहर का अधिशेष पानी होने पर 300 क्यूसेक्स पानी 35 दिन तक राजस्थान को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना का निर्माण 1966 में 17,29,000/- रुपये की लागत से पूर्ण किया गया था। इस योजना से भरतपुर जिले में 18,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसी प्रकार आगरा नहर से सात किलोमीटर से गुड़गांव नहर निकाली गई है जो हरियाणा क्षेत्र में गुड़गांवा फीडर कहलाती है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : 15 मील है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न स्पष्टीकरण के समय पूछें।

श्री परसराम मदेरणा : गुड़गांव फीडर का काम हो चुका है तथा राजस्थान में गुड़गांव नहर का काम प्रगति पर है। इस नहर से भरतपुर जिले की कामा व डीग तहसील की एक लाख सोलह हजार कृषि योग्य भूमि कमाण्ड की जा सकेगी। तथा प्रति वर्ष 60,000 एकड़ खरीफ एवं 10,000 एकड़ भूमि रबी में सिंचित हो सकेगी। अन्तर्राज्यीय बैठक में 29-4-60 को हुए निर्णय के अनुसार गुड़गांव नहर में वर्षा ऋतु अक्टूबर में 90 दिन के लिए 500 क्यूसेक्स पानी मिल सकेगा। गुड़गांव नहर का कार्य सन् 1966 में शुरू करवाया था तथा मार्च, 85 तक पूरी कर ली जायेगी। इसकी अनुमानित लागत है 11,74,000,00 रुपये है। जिसमें से 280 लाख हरियाणा क्षेत्र में पड़ने वाली गुड़गांव फीडर का शेयर कास्ट है तथा 125 लाख रु. ओखला फीडर की शेयर कास्ट है तथा 769 लाख का राजस्थान में गुड़गांव नहर पर प्रावधान है। उपरोक्त कामों पर मार्च 1983 तक 867 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं तथा ओखला बैराज की कीमत में राजस्थान का हिस्सा अभी देना है। अतः दोनों योजनाओं के लिए राजस्थान में पानी के हिस्से का निर्धारण हो चुका है। योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात् ही इन योजनाओं की क्रियान्वित हुई है। छटी पंचवर्षीय योजना में यमुना नदी के लिए गुड़गांव नहर योजना तथा ओखला बैराज का हिस्सा देने का प्रावधान है। झुंझुनूं तथा चुरू क्षेत्र में यमुना नदी के जल के उपयोग हेतु इस पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं है। आगरा नहर जिससे कि भरतपुर फीडर एवं गुड़गांव नहर को पानी मिल सकता है ओखला बैराज से निकाली गई थी। ओखला बैराज करीब 109 वर्ष पुराना है जिसमें फ्लड डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के लिए ड्राप

(श्री परसराम मदेरणा)

शटर इस्तेमाल किये गये हैं। अधिवर्षा के मौसम में जबकि यमुना में अधिशेष पानी उपलब्ध होता है ड्राप शटर को गिरा देने के कारण आगरा कैनाल में पूरा पानी नहीं मिल पाता और इसलिए भरतपुर फीडर एवं गुड़गांव नहर में भी प्रावधानानुसार जल प्राप्त नहीं हो सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक नये वियर का निर्माण कराया जा रहा है जो कि जून, 1983 तक पूरा हो जायेगा। इस नये ओखला बैराज के बन जाने के उपरान्त ही गुड़गांव नहर में तथा भरतपुर फ़ीडर में वांछित जल मिल सकेगा। इन दिनों में जब तक नया ओखला बैराज पूर्ण नहीं हो जाता, आगरा कैनाल में उसकी स्वयं की आवश्यकतानुसार भी जल नहीं मिल पाता। अतएव भरतपुर फीडर एवं गुड़गांव नहर को वांछित जल मिलना सम्भव नहीं है फिर भी राज्य सरकार के प्रयासों के स्वरूप गुड़गांव नहर में 1972–73 तक तथा भरतपुर फीडर के निर्माण के उपरान्त कुछ न कुछ पानी मिलता रहा हैं। हालांकि भरतपुर फीडर में केवल वर्षा के समय ही पानी मिलने का प्रावधान हैं परन्तु राज्य सरकार के प्रयासों से बरसात के अलावा कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर इस नहर में पानी छुड़वाया गया है।

यमुना नदी से हालांकि, सभापति महोदय, इन्होंने अपने प्रस्ताव में तो उसका उल्लेख किया है लेकिन आज मुझे आदेश तो नहीं हुआ है। क्योंकि पूरे प्रस्ताव में इनका यमुना नदी के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में भी उल्लेख है इसलिए उस सम्बन्ध में राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है।

यमुना नदी से भरतपुर, चुरू, अलवर व झुंझुनू क्षेत्र में बारहमासी (पेरीनियल) पानी की उपलब्धता यमुना नदी के पानी के बंटवारे के बाद ही सम्भव हो सकती है। यमुना नदी के पानी के बंटवारे का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। सम्बन्धित राज्यों-हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान के दावों को निपटाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने कई बैठकें आयोजित कीं तथा उपरोक्त राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक भी दिनांक 28–4–81 को केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री के तत्वावधान में हुई। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत जल की मांग यमुना नदी में उपलब्ध पानी से अधिक है...

श्री राजबहादुर : कौनसी तारीख है ?

श्री परसराम मदेरणा : 28–4–81 अतः इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पानी के बंटवारे हेतु एक उच्च स्तर की तकनीकी समिति अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बना दी जाए जो तकनीकी तथ्यात्मक आंकडे एकत्र कर सके। उपरोक्त समिति में अभी संबंधित राज्यों के मुख्य अभियन्ता भी सदस्य हों। जिन मामलों पर तकनीकी समिति को रिपोर्ट देनी है वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) ताजे वाला व ओखला पर उपलब्ध जल की मात्रा निर्धारित करना।

(2) यह तय करना कि अनुमोदित परियोजना के लिए वचनबद्ध उपयोग के लिए जल की कितनी आवश्यकता है और ताजेवाला व ओखला पर उपयोग के लिए शेष कितना जल उपलब्ध है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(3) पूर्ण हो चुकी गैर अनुमोदित परियोजनाओं द्वारा किये जा रहे उपयोग का पुनः परीक्षण करना।

(4) प्रत्येक राज्य और विशेषतः विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए जल उपयोग की प्राथमिकता निर्धारित करना।

(5) यह भी तय किया गया है कि बिना अनुमोदन के कोई भी नई परियोजना शुरू न की जाए और जब तक पानी के आवंटन के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जाए तब तक उन गैर अनुमोदित परियोजनाओं जिन्हें पहले से हाथ में लिया जा सकता है, काम को रोकना। इस तकनीकी विशेषज्ञ समिति में प्रत्येक राज्य के मुख्य अभियन्ता भी सदस्य हैं। इस समिति के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को जुलाई 1982 में प्रस्तुत कर दी हैं। तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सितम्बर 1981 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में उन्हीं परियोजनाओं की पानी की मात्रा को वचनबद्ध माना था जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग द्वारा दी गई है। इस रिपोर्ट पर राजस्थान व हरियाणा ने अपनी-अपनी टिप्पणी अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की। राजस्थान ने सिद्धान्ततः इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन हरियाणा सरकार इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपनी एक विस्तृत टिप्पणी अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को भेजी। इन टिप्पणियों पर विचार-विमर्श हेतु व ड्राफ्ट पैरा को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 फरवरी, 28 फरवरी, 30 अप्रैल व 28 मई 1982 को 4 बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों के मुख्य अभियन्ता वचनबद्ध उपयोग के बारे में एकमत नहीं हो सके। इन परिस्थितियों में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी पृथक विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय सिंचाई मन्त्रालय को जुलाई 1982 में प्रेषित की। सितम्बर 1981 की ड्राफ्ट रिपोर्ट एवं जुलाई 1982 की अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अपनी टिप्पणी केन्द्रीय सरकार को प्रेषित कर दी है। आशा है कि केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री सम्बन्धित राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों की एक बैठक शीघ्र आयोजित करेंगे तथा विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले यमुना के जल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कराने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर यथा-सम्भव आवश्यक कार्यवाही की गई है एवं राज्य सरकार की शिथिलता की आशंका निर्मूल और निराधार है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, किसी निष्कर्ष पर आने से पहले यदि मन्त्री महोदय ने दूसरे पक्ष की बात सुन ली होती तो अच्छा होता। हमारी आशंका निर्मूल और निराधार कितनी हद तक है, यह पृष्ठभूमि सारी जो स्कीम है उसके बाद देखा जाए तो विदित हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि आज सवाल यमुना के पानी के बंटवारे का है, यह नया सवाल नहीं है, यह सवाल बहुत दिनों से चलता था विशेषतया जबसे राजस्थान बना ज्यादा

(श्री राजबहादुर)

चलता था। आज आपने वक्तव्य के दौरान जहां तकनीकी कमेटी के अपाइन्ट होने की बात कही गई है 28 अप्रेल 1981 को उसकी 4 शर्तें बताई गई हैं उसमें से एक यह भी है कि अब कोई बिना अनुमोदन के कोई नई स्कीम यमुना के पानी लेने की नहीं बनाई जा सकती। ज्यों का त्यों डा. के. एल. राव मंत्री थे सन् 1963 में यही कहा गया था कि अब जो यूटीलाइजेशन हैं उससे अधिक यूटीलाइजेशन नहीं होगा। अब भी कहा जा रहा है, कोशिश हो रही है, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ एक पत्र, जिसके द्वारा मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री बरकततुल्ला खां का ध्यान आकर्षित किया था, 13 नवम्बर 1972 को जो रिकार्ड पर होगा, उसमें वस्तुस्थिति बयान की है कि राजस्थान की उपेक्षा बराबर होती रही, राजस्थान को मीटिंगों में नहीं बुलाया गया, हरियाणा और यू. पी. मीटिंगों में आते है। स्थिति क्या है पानी की वह मैं बाद में बताऊंगा, मैं कुछ समय चाहूंगा लेकिन मैं इसको बताना चाहूंगा।

"I enclose herewith a summary record of the interstate meeting held on 11th September, 1972 at New Delhi on projects in the Yamuna Basin, which was attended by theChief Ministers of U. P. and Haryana. It is rather surprisjng that in such an important meeting, Rajasthan was not represented."

यह अब भी हुआ है जो मीटिंगें हुई हैं राव वीरेन्द्रसिंह के जमाने में, केदार पाण्डे के जमाने में, राजस्थान को नहीं बुलाया गया। ओखला हैड वर्क्स का नोटीफिकेशन तय कर लिया गया, उसके अन्दर राजस्थान को शामिल नहीं किया गया। आग्रह अनुरोध के उपरान्त भी यह हुआ तत्कालीन राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार को भी शामिल होना है अगर राजस्थान सरकार शामिल नहीं होती तो शायद...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर् प्लीज।

श्री राजबहादुर : तो शायद हम उस पानी से वंचित रह जायेंगे। इसलिए, सभापति महोदय, यह ओखला बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि निश्चित आंकड़े क्या हैं? मन्त्री जी के पास है या नहीं कि यमुना में कुल कितना पानी है? एन्यूअल एवरेज फ्लो है इस एन्यूअल एवरेज फ्लो में प्री इन्डिपेडेन्स या प्री 190 में कितना कमाटेड था? तीन कैनाल थी वहां पर वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल और आगरा कैनाल। वेस्टर्न यमुना कैनाल का फायदा अधिकाँश पंजाब, तत्कालीन पंजाब अब हरियाणा पंजाब बन गया और कुछ यू. पी. का पानी ईस्टर्न कैनाल का यू.पी.को और आगरा कैनाल का यू.पी. को मिलता है। लेकिन जो उपलब्ध मात्रा थी, जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब साढ़े नौ मिलियन एकड़ फीट पानी हैं उसमें से साढ़े

(श्री राजबहादुर)

चार मिलियन एकड़ फीट पानी निकल चुका, पांच लाख मिलियन एकड फीट पानी बाकी है वह भी बरसात का और फ्लड का है । यह मेरी जानकारी में है । मैं जानना चाहता हूं कि जो एन्यूअल एवरेज फ्लो इसमें कुछ बाकी है । इसके बाद में बराबर बातचीत चलती रही, परामर्श होते रहे, और मैं भी ध्यान आकर्षित करता रहा । इस सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षित किया ? पूरा पढ़ दूं उसे ।

"It is rather surprising that in such an important meeting Rajasthan was not represented, although its Eastern and North Eastern arid regions which admitted by lie in the command area of Yamuna and have no other source of water supply for irrigation, excepting this river and the entire future development of these regions solely depends on these projects. You will kindly observe that decisions have been taken by Haryana and U. P. about New Okhla and Tajewala Barrages, the absence of Rajasthan, depriving us of a Valuable opportunity to present and press our rights and claims. As you know, Rajasthan is deeply interested in the full utilisation of Yamuna waters and has already secured its right to get 800 cusecs of water."

लेकिन वह काफी नहीं है । हम लोगों ने यह भी मांग की थी कि गंगा में जब तेहरी पर डेम बन रहा है उसके बारे में जरा भी चर्चा मन्त्री महोदय ने नहीं की है यह वाइटल है सारे सिस्टम के लिए क्योंकि ओखला का जो मैन हैड वर्क्स है वह केवल यमुना से फीड नहीं होगा । गंगा के पानी से फीड होगा । यू. पी. की आवश्यकतायें भी पूरी गंगा के पानी से होंगी । यह क्यों होंगी ? गंगा सीधी कनेक्टेड है ओखला से यमुना पर । गंगा की जो ऊपर गंगा कैनाल है उनसे गंगा का पानी आता है, उजानी एस्केप से हिन्डन नदी में आती हैं हिन्डन नदी के बाद हिन्डन बैराज है । हिन्डन बैराज का पानी सेगाजियाबाद के पास से आता है तो वह कट कर यमुना में डाला गया और उसे ओखला फीड होता है । इसलिये गंगा का जो पानी है सप्लीमेन्ट करेगा आगरा कैनाल के पानी का जब अधिकार हमारा है, बहुत पहले तीन हजार क्यूसेक पानी का क्लेम तेहरी डेम में किया हुआ है । उसके बारे में क्या प्रगति है, क्या चीज है लेकिन इसकी सफाई नहीं होती । मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आगरा कैनाल की केपेसिटी क्या थी और अब उत्तर प्रदेश बना रहा है । आगरा कैनाल की कैपेसिटी बढाने में, आगरा कैनाल की लाइनिंग करने में कोई स्टेप लिया जा रहा है । ओखला हैड वर्क्स में तो आप शामिल हो गये लेकिन आप जानते है कि ओखला हैड वर्क्स के बाद आगरा कैनाल सारी कच्ची है । 15 मील पर गुड़गांव नहर निकलती है जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है उसने पक्का कर लिया हैं अपनी डिस्टीब्यूटरीज को और शायद मैन कैनाल का भी लेकिन जो हमारे जहां से शुरू होता है वह कच्चा है बिल्कुल कितना उसमें लिकेज होता है,

(श्री राजबहादुर)

कितना वेस्टेज होता है पानी का वह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लेकिन यह कहने की आवश्यकता जरूर है कि आप यह बतायें खुद ही कि नोन पेरेनियल रिसोर्सेज पानी के कितने है और पेरेनियल कितने हैं। नोन पेरेनियल मैंने आपको बताया कुल जो था और कितना उसमें से बचा है मैंने बार बार सदन में कहा है कि हरियाणा और यू. पी के इसमें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है कि किसी समझौते को नहीं करवायें। समझौता चल रहा है, समझौते की बातें चल रही हैं आज लगभग 25 वर्ष तो हो गये लेकिन समझौता नहीं हो पाता मीटिंग नहीं हो पाती, आज तक बाईपास किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं, कितना पानी शेष है एन्यूअल फ्लो का और क्या आपका हिस्सा है। बेसिक का जो कन्ट्रीब्यूशन है, यमुना रिवर को या गंगा रिवर को उसके अनुपात से आपको कितना मिलेगा। यह सही नहीं है कि यमुना के ऊपर जो किसाऊ का डेम बन रहा है जब डेम बनने की बात चली तो किसाऊ डेम के बारे में एक मीटिंग हुई जिसमें मुख्य मन्त्री थे हरियाणा के, सिंचाई मन्त्री हमारे यहां के और केन्द्र के सिंचाई मन्त्री जी थे मुझे भी इत्तफाक से अवसर मिला उस मीटिंग में शामिल होने का तब क्या हो रहा था किसान डेम में से कितना हिस्सा मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि किसाऊ डेम के जरिये से जो पेरेनियल फ्लो मिल सकता है। आपकी जो रिपोर्ट है सन् 82–83 की, यह बार बार दोहराया गया है इस रिपोर्ट में भी और पहले भी आज भी और आज भी अपना स्टेटमेन्ट जो शुरू किया है उसमें भी यही कहा कि आगरा नहर का अवशेष मिलेगा हमें अवशेष के ऊपर आपका क्लेम रहता है बताते है आप आफिशियल रिपोर्ट में यह है। मेरा विनम्र निवेदन यह है एम्फीटिकली मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम खाली अवशेष और बचे-खुचे के हकदार नहीं हैं हम बाकायदा बेसिक होने की हेसियत पूरे हकदार हैं गंगा में भी और जमुना में भी, कृपया इस ओर ध्यान दीजिये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैंने जो चिट्ठी बरकत साहब को लिखी थी उसका जवाब भी उन्होंने थोड़ा दिया उसके अतिरिक्त मैंने राव साहब को भी लिखा था। के. एल. राव ने वायदा किया "You will observe that the decision about the New Okhla and Tajewala Barrages, Kishau Dam on river Yamuna and lift schemes of Haryana have been taken without associating Rajasthan in Physical or monetary terms."

इसके ऊपर यह हुआ था कि एक मीटिंग में नाथूराम जी मिर्घा जब वह खुद इरिगेशन मिनिस्टर थे, गये और जाने के बाद उन्होंने यह तय कराया था कि जो कुछ भी हो चुका है लेकिन आइन्दा से कोई नयी इसमें से चीज नहीं ली जायगी। मैं आज आपसे जानकारी के लिये कहना चाहता हूं और सवाल भी करना चाहता हूं क्या यह फैक्ट नहीं है, क्या यह वाकया नहीं है नहर पर क्रोस रेग्युलेटर्स बना रहा है क्रोस रेग्युलेटर्स क्यों बना रहा है, इसलिये कि गुडगांवा नहर में जितना पानी आता है उस पानी को और भी नई नहरें नई डिस्ट्रीब्यूटरी निकलें वह निकाल कर,

(श्री राजबहादुर)

. . . .

एसकेप निकाल कर सारे पानी का उपयोग कर लें। गंगा में जो भी बचा हुआ पानी है उसके लिये पूरा इन्फास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो मन्त्री महोदय आप बतावें कि आपको पानी मिलेगा? किसाऊ डेम बनता नहीं है पानी में हिस्सा होता नहीं है और मीटिंग पर मीटिंग होती है। जब चार्ज लिया आपने मुख्य मन्त्री पद का 20-7-81 को एक रिपोर्ट निकली टाइम्स आफ इण्डिया में उसमें फिर यह था कि Irrigation Ministers of U. P. and Haryana will to discuss the distribution of Yamuna waters.

फिर यह गायब थे। मैंने उसी दिन तार भी दिया और चिट्ठी भी दी। चिट्ठी परसराम जी मदेरना को भी दी उसमें लिखा था कि "It seems Rajasthan's claims and vital interests in Yamuna waters are again being overlooked and Rajasthan is being bypassed deliberately or otherwise in these negotiations.

इसका जवाब मुझे मुख्य मन्त्रीजी ने दिया। बड़ा उत्साह जनक जवाब था उन्होंने लिखा था "I am glad to inform you that Rajasthan's claims and interests in Yamuna waters are being looked into......

यह चिट्ठी है उनकी 17 अगस्त, 81 की,

"....... with keen interest by the State Government and necessary legal action..... ...."

यह कहा उन्होंने कि "necesary lagal action if required, would be resorted to, in the matter." शायद ब्यूराक्रेसी ने इसको बहुत लम्बा चौड़ा वायदा समझा और अनुचित समझा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिना मेरे किसी दूसरे लैटर के मैं सेटिस्फाइड था कि लीगल एक्शन के लिये तैयार हैं आप तो, जो देरी कर रहे है, देरी नहीं होने देंगे। तो चिट्ठी मेरे पास दुबारा आती है. परसराम जी ने भी एकनोलेज किया है इसी लैटर को लेकिन चिट्ठी फिर 12 नवम्बर को मुख्य मंत्री का फिर आती है। सभापति महोदया, उस चिट्ठी का जरा मजमून सुन लीजिये, कहां तो लीगल एक्शन का वायदा था कि लीगल एक्शन लेंगे, हम जो भी हमारा हक होगा उसको हम एसर्ट करेंगे, यहां अब अवशेष पर आ गये है कि आगरा कैनाल का अवशेष मिलेगा। अवशेष मिलेगा नहीं उसमें कुछ भी पर क्योंकि आगरा कैनाल में यमुना का 800 क्यूसेक्स आयेगा। उसके अलावा आगरा कैनाल की जो कैपेसिटी है वह बढ़ायी जा रही हैं 3000 से ऊपर क्यूसेक्स के लिये हमारे लिये नहीं बढायी जा रही है अगर हम शामिल है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में मंत्री जी आ जाय तो मैं बात करूं तो बेहतर होगा। मन्त्री जी परामर्श कर रहे थे तब मैंने यह कहा था कि आगरा कैनाल की कैपेसिटी बढ़ायी जा रही हैं और उधर हरियाणा वाले डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाते चले जा रहे हैं, क्रोस

(श्री राजबहादुर)

रेगुलेटर्स बना रहे हैं जब सारा पानी उसमें कमीशन हो जायेगा तो आप कहां से जायेंगे। मैंने आपको बार बार कहा यह लोग पोस्टपोंड कर रहे हैं इसलिये बाईपास कर रहे हैं। पहले बाईपास किया सो नहीं आपने 28-4-81 का हवाला दिया है लेकिन मैंने आपको 29-7-81 की बात कही है 28-7-81 को मीटिंग हुई 29 को तो मैंने चिट्ठी लिखी है कि आप बाईपास किये गये जब मैंने माथुर साहब मुख्य मन्त्री को लिखा तो उन्होंने कहा "State Government's interest shall be kept in view and necessary legal action reguired shall be resorted to.

फिर भी कुछ घबराहट हुई कि लीगल एक्शन की बात हमने बहुत ज्यादा लिख दी, जवाब में एक लेटर और आया 12-11-81 को।

"In continuation of my letter dated 17th August, 1981, I would state that the claims of Rajasthan in Yamuna waters are being considered by the Government of India. In the past, the Chief Minister Rajasthan was invited for the discussion held under the chairmanship of Union Minister for Agriculture and a technical committee was appointed in pursuance of the said discussion to assess availability of water in Yamuna and the committed use therefrom."

मैंने कमिटेड यूसेज के बारे में लिखा था। "As such, it would be premature to take any legul action since any action is not apprehended againts Rajasthen in my view. मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 63 से 72 आया, सन 72 से सन् 83 आया बीस वर्ष हो चुके और आप यह फैसला नहीं करा सकें कि साऊडेम बनाकर उसमें से पैरेनियल वाटर हमारे लिये रखा जाय। आज भी पूछना चाहता हूं कि जमना में पैरेनियल वाटर फ्लो के लिये पैरेनियल कान्ट्रीब्यूशन आपके फीडर के वास्ते, खाली भरतपुर का सवाल नहीं है, गुडगांव और भरतपुर फीडर का, यह तो आपने कहा है कि हमने कोई भी पंचवर्षीय योजना में स्कीम पूरी नहीं रखी। पिछले साल की जो रिपोर्ट है पेज 13 पर उसमें साफ लिखा है, कालम 8 "जमना लिफ्ट झुन्झुनू और चूरू जिला और आपने सांकेतिक, सिम्बोलिक ग्रान्ट रखी है एक लाख की अगर पंचवर्षीय योजना में नहीं था "झुन्झुनू और चूरू जिला" मेरा कहना यह है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हरियाणा ने बनाया है, जवाहरलाल नेहरु कैनाल बन गई, रास्ते में मिलती है अगर हम दिल्ली जांय आपकी चक्रवर्ती कैनाल बन गई, श्रीमती इन्दिरा गांधी कैनाल बन गई और वह झुन्झुनू की सीमा तक आ जाते है, झुन्झुनू की सीमा तक आ जाते हैं तो जमना का पानी लिफ्ट के जरिये चढ़ सकता है वहां पर, जहां तक दूसरी लिफ्ट का मैंने बनाया, टेहरी डेम वाली उसका 3,000 क्यूसेक मांगा है

(श्री राजबहादुर)

उसमें भी यह है कि जमना ार दो हजार तो आ गया ओखला में भरतपुर के लिये 800 मौजूदा और 1200 की एक नहर और बननी है जिसके बारे में स्कीम बन चुकी थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में जानना चाहता हूं। वह कहां है? तीन नहरें भरतपुर के लिये थीं, गुड़गांवा नहर 500 क्यूसेक, भरतपुर फीडर 300 क्यूसेक एक 1200 क्यूसेक्स की माइल 49 से और बननी थी, उसके बारे में न तो कोई योजना है न कोई चर्चा है। और वह इसलिये नहीं कि पानी तो दिला नहीं सकते आप। आपको मिलता है आज मांगने से वह भिक्षा जैसे मांगते हैं वैसे मिलता है, उस पर अधिकार कुछ नहीं है, क्योंकि बरसात के पानी को मान लिया गया है, वायदा भी हो गया, सब कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद न यू. पी. पानी देता है, न हरियाणा पानी देता है। उसके आंकड़े आप देख लें पिछली दफा आपने सन् 81–82 की रिपोर्ट लिखी है....

(2.21.म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

उसमें तो लिखा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री यदुनाथसिंह : आप संक्षेप की बात कर रहे हैं। हम तो मर रहे हैं।

श्री राजबहादुर : यह संक्षेप की बात नहीं है, बराबर उपेक्षा हुई है इस इलाके की, बराबर उपेक्षा हुई है इन नहरों की, बराबर उपेक्षा हुई है हमारे अधिकारों की। बहुत अच्छा होता, अगर हम राजस्थान में नहीं होते। आप समय की बात करते हैं। हमें पूरी बात कहने दीजिये अपनी।

मैंने आपसे कहा कि पहले कहा गया था कि गुडगांवा नहर से कम से कम दो हजार एकड़ भूमि, यह सन् 81–82 की रिपोर्ट है आपकी, 27वें पेज पर है कि 2 हजार एकड़ भूमि को पानी मिल जायेगा। आपकी 82–83 की रिपोर्ट आई उसमें लिखा है 1 हजार एकड़ को पानी मिला। 83–84 के लिये जो अनुमान है वह निल है। मैं इसलिये कहता हूं कि पानी जो आपको मिल चुका है, जिसके आप अधिकारी हैं, न तो हरियाणा देने को तैयार है न यू. पी. देने को तैयार है। आप माफ करिये, आपका ध्यान ही नहीं है उधर जब हम बोलते हैं यहां पर तो समझते हैं यह तो खाली मखौलियापन इन लोगों का, यह गंगा जमना की बात करते हैं गंगा का पानी कैसे आयेगा, राजस्थान में जमना से पानी कैसे आयेगा। राजस्थान में हमारा पानी वहां चला जाता है वह कुछ नहीं लेकिन उनका पानी हमारे पास नहीं आ सकता, कोई कोशिश नहीं। इस बात के लिये एक आशा की किरण मुझे जरूर लगी है और वह यह है कि हमारे सौभाग्य से हमारे ही प्रांत के हमारे ही प्रदेश के केन्द्रीय सिंचाई मंत्री हमारे ही हैं, उनको मैंने सारे कागजात दिये हैं, उनसे प्रार्थना भी की है और क्या ही अच्छी बात है, क्या ही संयोग है कि हमारे केन्द्रीय सिंचाई मंत्री और हमारे राजस्थान के

(श्री राजबहादुर)

सिचाई मंत्री व्रियायी हैं समधि भी हैं। दोनों मिलकर अगर हमारी किस्मत को सुधार दें तो हम काहे को बात करें, हम काहे को दुखी हों, काहे को याद करें इस बात को कि हमसे पूछा गया था कि यू.पी. में जाओगे या राजस्थान में जाओगे। और फैसला हुआ कि राजस्थान में जाना चाहिये। मेरी स्वयं की राय तो दूसरी थी, क्या कहते हैं हम ? आज चउए चउए पर पानी है आगरा जिले में, मथुरा जिले में, हरियाणा के गुड़गांवा जिले में, हम प्यासे मरते हैं। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं सारी तरक्की के रास्ते रुके हुए हैं। और इधर उपेक्षा और है। जैसा मैंने कहा, चाहे वह कोई मामला क्यों न हो, लेकिन मैं इसी मामले पर आकर आपसे पांच सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल है नान पैरेनियल और पैरेनियल कितना फ्लो जमना में बाकी है जो आप हमें दिला सकते हैं, खास तौर से पैरेनियल, पैरेनियल का कितना प्रबन्ध किया है आपने अब तक ? किसाऊ डैम कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? आप जमना नहर कब तक मांग लेंगे, कब तक सफल हो जायेंगे ? सन् 72 में जो मीटिंग हुई थी उसमें टेन्टेटिवली कहा गया था कि 22 प्रतिशत पैरेनियल फ्लो में राजस्थान को मिलेगा। पैरेनियल फ्लो 22 पर्सेन्ट में झुन्झुनूं का पूरा होता है, चूरू का पूरा हक मिलता है, अलवर में मिलता है. भरतपुर में मिलता है। दूसरा सवाल मेरा यह है, आपने खुद ने क्या एफर्ट्स किये हैं अब तक क्यों बार-बार बाई-पास हुए हैं ? मैंने बाई पास का बता दिया था, सन् 63 में आप बाई पास हुए हैं, सन् 72 में आप बाई पास हुए हैं और अब भी बाई पास हुए। चिट्ठी मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखी। फिर यह बताइये, कितना कन्टीन्युइंग एन्क्रोचमेंट हो रहा है इस जमना के पानी पर हरियाणा और यू. पी. का कितना कन्टीन्युइंग एन्क्रोचमेंट है ? अगर उन्होंने सारा पानी ले लिया है, तो जो पंजाब ने किया है, रावी व्यास के मामले में, वही आपके साथ में जमना के मामले में होने वाला है। मेरी पेशीनगोई है कि आपने अगर सख्त से सख्त कदम नहीं उठाया इस मामले में ऊंचे से ऊंचे लेवल पर नहीं ले गये तो जमना में से आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और आप खाली रिपोर्टों में यह लिखते जायेंगे कि आगरा केनाल का अवशेष मिलेगा। आगरा केनाल का अवशेष है क्या ? आगरा केनाल का अवशेष कमिटेड है, उसकी पलेरा केनाल चलती है। खाली यह नहीं कि पिलाई के मौसम में पिलाई देते हो लेकिन अक्टूबर में देते हैं। इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी तरकीब है कि जिसके जरिये से कन्टीन्यूयिंग एन्क्रोचमेंट को रोक सकें ? क्या कोई प्रोटेस्ट किया है आपने ? यह नये नये रेग्युलेटर्स क्यों बन रहे हैं गुड़गांवा केनाल पर और नये नये कमिटमेंट क्यों किये जा रहे हैं जमना नदी के पानी पर ? कोई प्रोटेस्ट नहीं है। टेहरी डेम के बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा, मैं सिलसिलेवार बताना चाहता हूं, सबसे पहले इसके बारे में तत्कालीन चीफ इन्जीनियर जो थे मोतीराम ने एक चिट्ठी लिखी थी श्री भगवतसिंह मेहता को जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे। यह लिखी थी चिट्ठी 9-7-73 को और सारे आंकड़े देकर उन्होंने कहा था, टेहरी डेम में हमारा हिस्सा होना चाहिये, गंगा में हमारा

(श्री राज बहादुर)

हिस्सा होना चाहिये। वह चिट्ठी के आधार पर हमारे तत्कालीन इरिगेशन मिनिस्टर, कौन थे मुझे पता नहीं, 16-4-74 को 3200 क्यूसेक की राजस्थान के लिये मांग की, गंगा से, या तो हरिद्वार से दो या टेहरी डैम से दो। एक लैटर केन्द्रीय मंत्री का है जिसकी तारीख है 2-5-74 वह आयी टेहरी डैम प्रोजक्ट के बारे में कि हमने इस बारे में नोट किया है। 2-5-74 के बाद मंत्री जी बतायें, पूछ कर आ जायें, कोई भी कम्युनिकेशन राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से गया है केन्द्रीय सरकार को या गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड को एक क्लेम करने के बाद उसको परस्यू करना होता है, एक बार नहीं, बार-बार परस्यू करना होता है जब तक सफलता नहीं मिल जाये उसमें।

दूसरी बात, इसी सिलसिले में यह कहना चाहूंगा, एक लैटर का हवाला और देना चाहता हूँ वह है 22-8-74 का फाम सी. एम. राजस्थान टू सी.एम., यू. पी. यह भी है वाटर सप्लाई टूईस्टर्न राजस्थान और टेहरी डैम के बारे में। यह सारी कोरस्पोन्डेंस की मेरे पास सिनाप्सिस मौजूद है। यदि आपके पास नहीं हो तो मुझसे मांग लीजिये, मैं देने को तैयार हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। आप ही के खजाने में देने को तैयार हूं। वापस लेकिन मैं इसमें इनवाल्व था। अच्छा एक बात जो आपने कही कि सितम्बर, 81 में ड्राफ्ट रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन उसको लोगों ने माना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह रिपोर्ट नहीं मानते हैं, आपके सैन्ट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट भी इन्होंने नहीं मानी है तो क्या यह मामला ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इन्तजार न किये बिना, ज्यादा इन्तजार नहीं करें, बराबर इन्तजार करते रहें, इन्तजार करते करते आज 10-25 वर्ष हो गये आप इस मामले को रिवर डिस्प्यूट के तहत ले जायें। मैं तो यह सुझाव दूंगा और मेरा यह मानना है कि हरियाणा और यू. पी. दोनों आसानी से आपका हक देने को तैयार नहीं है न गंगा में, न जमना में लेकिन आपका पूरा पूरा हक बनता है। आपके इन्जीनियर्स ने प्रूव किया है, स्वयं क्लेम किया है, उन्होंने खूब मेहनत की है लम्बी लम्बी रिपोर्ट और स्कीम तैयार की हैं, योजनायें बनाई हैं जिनकी छोटी मोटी थोड़ी-बहुत नालेज मुझको है। उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेहनत की है। राजस्थान का भाग्य बनाना चाहते हैं। आप तो बिना पानी के नहीं बना सकते, आपकी कोई समस्या हल नहीं हो सकती। मैं आपसे विनती करूंगा इन शब्दों के साथ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। जैसा मैंने कहा और जाने दीजिये रावी व्यास की बात आ गई थी इसलिये एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने सन् 74 में पहले पहले से मांग यह की थी कि भाई रावी व्यास का पूरा पानी इस्तेमाल करने में बहुत देर लगेगी इस पानी में से थोड़ा पानी हरियाणा के जरिये आप झुंझनूं और चूरू को दीजिये, थोड़ा पानी अलवर और भरतपुर को दे दीजिये। आज भी मैं एक लेटर और पढ़ना चाहता हूं आपके सामने वह लेटर यह है श्री केदार पांडे का

(श्री राज बहादुर)

का जो उन्होंने मुझे लिखा था । इस लैटर में उन्होंने साफ साफ कहा है । मैं पढ़ कर सुनाता हूं । मैंने लिखा था उनको जो 81 का फैसला हुआ...

"In terms of the December 1981 agreement on sharing of srrplus Ravi Beas waters, the Secretary Irrigation held discussions with the repesentatives of the State Government and gave his decision that Rajasthan will be permitted to irrigate Sidh mukh and Nohar areas and utilise O. 47 million acre feet of water. There is this 0.13 Million acre feet of water......"

वन पाइन्ट थ्री एम. ए. एफ हो जाता है 1 लाख 30 हजार एकड़ फीट ।

"........left for which Rajasthan can plan additional irrigation. the priority for the areas to be irrigated has to be given by Rajasthan Government since Irrigation is a State subject. I, therefore, suggest that you may take up the matter with the Rajasthan Government."

मैंने राजस्थान गवर्नमेंट को यह चिट्ठी भेज दी । मैं इसलिये कहना चाहता हूं जब तक आपका हिस्सा 8 मिलियन था तब तक शायद प्लाजिबिल था, कोई जस्टिफियेबिल तो नहीं था कि आप यह कह सकते कि साहब, कमिटेड था, सारा जो पानी मिला 8 मिलियन एकड़ फीट वेस्टर्न राजस्थान के लिये । अलबत्ता यह जरूर है कि फैसला हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहीं यह नहीं था कि सारा पानी 8 मिलियन एकड़ फीट वेस्टर्न राजस्थान का ही मिलेगा और अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे तो भी नहीं मिलेगा चाहे पाकिस्तान को चला जाय और चाहे पंजाब ले ले लेकिन अब तो आपको 8.6 मि. एकड़ फीट मिल रहा है । यह जो पाइन्ट सिक्स है वह तो गाड सेन्ट हैं, जिसे कहना चाहिये ऊपर से आकाश से एक चीज मिली है । तो उस पाइन्ट सिक्स मिलियन को ही आप ईयर मार्क कर दीजिये इस एरिया के लिये यह मैंने कहा था सतलज जमुना कैनाल लिन्क के बारे में कि उसमें आप शामिल हो जायें, उस पानी को यहां लायें । भई जब तक गंगा का पानी और जमुना का पानी नहीं दिलाते तब तक आपकी नहरें सूखी पड़ी रहेंगी । कितना इन्वेस्टमेंट हो गया आपका इसमें । आपका इन्वेस्टमेंट, आपने कहा है पूरी योजना बनेगी 10 करोड़ में, यह आपकी रिपोर्ट में है और लगभग आठ साढ़े आठक रोड़ आप खर्च कर चुके हैं इस वर्ष भी आपने 1 करोड़ 9 लाख रखा है, एक करोड़ गुड़गांव केनाल के लिये और 90 लाख ओखला बैराज में पार्टिसिपेशन के लिये तो यह आप बतायें आपको पानी मिलेगा नहीं गंगा का जमुना का उसको लाने में भी आपको कम से कम 5–7 वर्ष लग जायेंगे । मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिये, जब तक पूरा कोलोनाइजेशन नहीं हो जायगा पूरा लैण्ड डवलप नहीं हो जायगा, पूरा कमाण्ड एरिया का डवलपमेंट नहीं हो जायेगा, तब तक पूरा पानी रावी व्यास के हिस्से का

(श्री राज बहादुर)

आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और कर भी सकते हैं तो क्या मैं यह क्लेम नहीं कर सकता कि 8 मिलियन एकड़ फीट आप रखिये जो पहले कमिटेड था, 6 मिलियन एकड़ फीट तो कमिटेड नहीं था उस 6 मिलियन एकड़ फीट को आप इतना ही करिये कि उनको दे दीजिये-हरियाणा को हरियाणा से कहिये कि जमुना में से पानी में निकाल दे। यह भी पोसिबिल है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ही कह रहा हूं। यह आप इंजीनियर से पूछ लीजिये। वे भी इस बात को कह सकते हैं 6 मिलियन एकड़ फीट पर क्या दावा है आपका। 8 मिलयन एकड़ फीट पर तो दावा था, लेकिन 1.6 जब हुआ आपका पैमाना यह हुआ कि वहां तक मिल सकता है तो उसमें क्या है? मैं आशा करता हूं आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे और कुछ न कुछ अब भी सोचेंगे कि जो 13 बाकी है वह तो कम से कम हमें दे दीजिये जिससे कम से कम गुड़गांवा नाहर में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना पर्सेन्ट का इन्वेस्टमेंट है। आपने कहा था कि 66 में पूरी हुई है भरतपुर फीडर। भरतपुर फीडर का पहला चरण मेरे ख्याल से 57-58 में पूरा हो गया था और सम्पूर्णानन्द, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, इसके उद्घाटन के लिये आये थे। तब से बराबर चलता चला आ रहा है यह मसला कि किस तरह हमें डिपेन्डेबल सप्लाई आफ वाटर मिले लेकिन वह नहीं मिल पाती तो इन हालात में जब आपके पास पानी है जो पंजाब खींचना चाहता है, जो पाकिस्तान में जाता था उस पानी का आप इधर उपयोग करें। राजस्थान का ही भाग है भरतपुर, अलवर सारा इलाका ईस्टर्न राजस्थान का इसलिए सारी समझ, सारा ध्यान और आकर्षण एक तरफ नहीं होना चाहिए। एक बेलेन्स में डवलप हो। आज तो यह हो रहा है फेमिन आता है उसका भार हम पर पड़ता है और पैसा खर्च होता है फेमिन एरिया में, ड्राट ऐरिया में, ड्राट प्रोन ऐरिया में मैं पूछना चाहता हूं कब तक यह स्थिति रहेगी। जब तक यह स्थिति है मेरा कहना यह है, तब तक आप सच्चे मायने में और बहुत अर्नेस्टली और परसिस्टेन्टली गंगा जमुना में जो राजस्थान का हक है उसके हिस्से को नहीं मांगते तब तक काम नहीं हो सकता है। यह निश्चित बात है।

धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री चाव खां (कामा) : सभापति महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिये मैं बोलूंगा। इसके बाद में बोलने दें।

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, 17 मार्च, 48 को धौलपुर, अलवर भरतपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य का निर्माण हुआ था, और 30 मार्च सन् 1949 को उसका राजस्थान में मर्जर हुआ। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 30 मार्च सन् 49 भरतपुर, अलवर, धौलपुर करौली इन जिलों के लिये, इन स्टेट्स के

Page No 109

(109)

(श्री यदुनाथ सिंह)

लिए दुर्भाग्य का दिन था दुःख यह होता है, सभापति महोदय, उसका कारण यह है कि जब से योजनायें हमारी शुरू हुई तब से आप देखेंगे, तीन-चार साल से तो मैं पढ़ रहा हूं, पिछली योजना भी इस इन्ट्रेस्ट में मैंने पढ़ना शुरू की, तो इसमें राजस्थान कैनाल, माही और चम्बल ! इस साल का भी आप गवर्नर पढ़ेंगे, या यह बजट भाषण पढ़ेंगे या बजट की डिटेल में स्टेडी आप करेंगे तो आप पायेंगे कि राजस्थान की सिंचाई के लिये राजस्थान सरकार का मानस केवल इन योजनाओं पर ही टिका हुआ है।

सभापति महोदय, राजस्थान में 37 मि. हैक्टेयर जमीन है। पूरे हिन्दुस्तान की जो ऐरेबल लैण्ड है, कल्टीवेबल लैण्ड है इसमें से 13.87 जमीन हमारे राजस्थान में है लेकिन जो टोटल हमारा सरफेस और ग्राउण्ड वाटर हैं अवेलेबिलिटि पर्सेन्ट ही होता है। उस एक पर्सेन्ट पानी से हम राजस्थान में कितनी सिंचाई कर पाते हैं पूरी राजस्थान कैनाल, माही, चम्बल इन सबके पानी को मिलाकर अगर आप सिंचाई करें तो 6-7 मि. हैक्टेयर की सिंचाई ही कर पाते हैं। इससे ज्यादा सिंचाई नहीं कर पाते हैं। फिर भी आपकी लगभग 20 मि. हैक्टेयर राजस्थान को सूखी की सूखी रह जाती है। अगर हम गंगा और जमना के पानी के बारे में गम्भीरता से यहां विचार नहीं करते हैं हम स्टेट के एक्स चेकर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं कितना स्टेट को नुकसान अब तक पहुंचा चुके हैं उसका मोटा अन्दाजा लगा लीजिये 13 मि. हैक्टेयर जमीन हुई, दो क्विन्टल का भी एक हैक्टेयर एक एकड़ में हिसाब लगायें और 100 रु. क्विन्टल का भी हिसाब लगावें तो इस हिसाब से दो हजार करोड़ रुपये का प्रति वर्ष हम राजस्थान के खजाने को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब हमारे यहां रिसोर्सेज है नहीं हम रायपेरियन स्टेट हैं नहीं, रायपेरियन स्टेट नहीं हैं लेकिन यह इन्टरनेशनल ला है कि जिस बेसिन में जो क्षेत्र आयेगा जिस बेसिन में जिसका कन्ट्रीब्यूशन है उसके पानी पर उसका अधिकार बनता है लेकिन दुर्भाग्य हैं, सभापति महोदय, पता नहीं हमको अछूत समझा जा रहा है या क्या समझा जा रहा है अभी मन्त्री महोदय से बात हो रही थी, पिछले ड्राफ्ट प्लान में जो ड्राफ्ट प्लान, फिफ्थ ईयर प्लान था उसको मैंने पढ़ा कई बार पढ़ा, मैंने बाबूजी को भी पढ़वाया, और भी लोगों को मैंने उसको पढ़वाया, उसमें स्पष्ट इरिगेशन के हैड के नीचे प्रायरिटी सेक्टर में लिखा हुआ है कि जमुना का पानी भरतपुर, अलवर, चूरू और झुंझुनूं जिलों को दिलाने की कार्यवाही की जायेगी। पानी दिलाने का प्रयास शुरू होगा लेकिन अब मेरा अभी दो दिन पहले तीन दिन पहले प्रश्न का उत्तर आया है। उसमें राज्य सरकार का उत्तर है जी नहीं, जमुना से इनको पानी दिलाने का कोई प्लान में प्रावधान नहीं है। अब प्लान पर ही कभी चर्चा नहीं होती अब सिक्सथ प्लान खत्म होने जा रहा है और दुर्भाग्य की बात है, इस सदन के कोई भी सदस्य नहीं जानते होंगे कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान हमारा क्या है। होना या तो यह चाहिए, सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान को मंजूरी तो मिली है पिछले कुछ दिनों पहले, प्लान खत्म होने जा

(श्री यदुनाथ सिंह)

रहा है। मन्त्री महोदय ने एक बड़ी अजीब बात अभी और कही कि जो प्लान में जो काम होने थे प्लान में इन कामों को लिया जाय और नान प्लान जो काम चल रहे हैं उसको बन्द कर दिया जाय यानि जो कुछ थोड़ा बहुत काम होने की उम्मीद थी उस काम को भी बन्द कर दिया जाय।

सभापति महोदय, जहां तक वाटर अवेलेबिलिटी का इन दो कैनाल से है, सिस्टम का मामला, अब आगरा कैनाल से फिगर्स में मैं दुबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबूजी ने बहुत डिटेल में फिगर्स बता दिये हैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कि राजस्थान का अगर आप भला करना चाहते हैं तो चूंकि हमारे यहां से सबसे पहले पानी आना शुरू होता है इसलिये हमारे यहां की जनता के दिल में यह भावना बलवती होती जा रही है, उस भावना को रोकें कि हम राजस्थान से अलग होने की कल को मांग उठायेंगे। आप जमुना के पानी के लिए कह रहे हैं, प्रावधान नहीं है इस हक को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, मंत्री महोदय, राज्य सरकार को भी चेतावनी देते हैं चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, अभी रावी व्यास के समझौते के बारे में चर्चा हुई। पंजाब के अकालियों के मामले पर चर्चा हुई यहां सदन में बड़ी जोरदारी से कहा गया कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, तो भरतपुर का नागरिक भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। कितनी ही कुर्बानी हमको देनी पड़ें, सभापति महोदय, कितना दुख होता है हमको सभापति महोदय, हमसे कहते हैं मैं तो इस टेम पर मेजर नहीं था, बड़ा नहीं था नहीं तो राजस्थान में कभी भी मिलने नहीं देता। भरतपुर की जनता के विरुद्ध भावनाओं के विरुद्ध राजस्थान में मिलाया गया, एक लाख आदमी इकट्ठा हुआ था भरतपुर में कि नहीं, हमें राजस्थान में नहीं मिलना है। लेकिन यह दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य कहिये, या कुछ भी कहिये, हमको राजस्थान में मिला दिया गया। लेकिन भगवान की कृपा से आपका मैंने प्लान और बजट स्टडी पढ़ी और यह यह गवर्नर एड्रेस पढ़ा, और पढ़ता चला आ रहा हूं इसमें सिर्फ राजस्थान कैनाल, माही परियोजना, चम्बल परियोजना, इस प्रकार की परियोजनाओं पर सारा का सारा पैसा, इरीगेशन का सारा प्लान मनी खर्च किया जा रहा है। दिया क्या है, गुड़ गांव कैनाल के लिए एक करोड़ रुपये, ओखला कैनाल के लिए 90 लाख रुपये, टोटल इतनी बड़ी योजना में से इतने बड़े क्षेत्र को आप, अभी राजबहादुर जी ने कहा कि जो हमारा रावी व्यास का पानी है, उसमें से हमको थोड़ा सा पानी दे दीजिये ताकि राजस्थान कैनाल से पता नहीं, वह कल्पना साकार होगी, या नहीं होगी वह कागजों पर ही रहेगी ऐसा लगता है क्योंकि राजस्थान कैनाल बन रही है, वह भी जगह जगह टूट रही है, फाल्टी नजर आ रही है। उसको 1/10पैसे से उससे दुगुनी जमीन की सिंचाई, अगर आप इस पानी को लाने की कोशिश करें तो राजस्थान में हो सकती है। तो यह भरतपुर का सवाल नहीं है सभापति महोदय, गंगा यमुना का पानी अगर आप लाते है तो आप यहां के 10, 11, 12जिलों को कवर कर सकते हैं, लगा यहां से अलवर, चुरू, झुंझुनू, गंगानगर इधर से चलते चले जाइये,

(श्री यदुनाथसिंह)

नागौर और जालौर तक उस पानी को ले जाया जा सकता है। तो अगर राजस्थान की सिंचाई का अगर कोई मामला हल करना है तो हमें बड़ी तैयारी के साथ गंगा यमुना के पानी को लाने की बात करनी होगी लेकिन जिस तरह का मन्त्री महोदय का जवाब आया है, जिस तरह का एटीट्यूट मन्त्री महोदय का रहा हैं उससे लगता नहीं है, यहां पर अब कह दिया, साहब, एक प्रश्न के जवाब में, इन्होंने यह भी जवाब दिया है कि इसमें हमारा इतना पैसा लग गया, कैनाल खुद गयी, भरतपुर फीडर बन गया, गुड़गांव कैनाल बन गयी लेकिन आपका हिस्सा तय नहीं हुआ। क्या प्लानिंग है आपकी? हिस्सा तय नहीं किया तो क्यों वहां पर पैसा लगाया? एक तरफ तो आप लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। उसके कन्सट्रक्शन का, डेवलपमेंट का, जनता से किसानों से पैसा वसूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन बेकार हो गई, हजारों एकड़ जमीन बरबाद की किसान की उससे पैसा डवलपमेन्ट का, इरिगेशन का चार्ज कर रहे हैं। उस कैनाल पर जो खर्चा हुआ है उसका उसको पानी आप दे नहीं रहे तो यह धोखा अब ज्यादा दिन चलने देने वाला आपका नहीं है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कैसे कह दिया कि साहब, सरप्लस वाटर सीजन में देंगे, उसका टाइम बताया कि इस दिन से 35 दिन के लिए पानी दिया जायेगा। यह कोई हमारे साथ न्याय नहीं है, सभापति महोदय, होता क्या है, अब राजबहादुर जी ने बताया कि उधर हरियाणा ने अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया डवलपमेंट करना शुरू कर दिया उधर आगरा कैनाल का सिस्टम बन रहा है और हम हमारी बगल में देख रहे हैं मथुरा आगरा और कूसी और इधर हरियाणा में निकल जाते हैं भिड़ा हुआ बोर्डर है हम से; माननीय सदस्य अलवर के बहरोड़ के विराजे हुए हैं, देखते होंगे इनके बगल में ही कितना तो प्रोडक्शन में अन्तर है, राजस्थान राज्य इतना बड़ा सबसे ज्यादा जमीन होते हुए भी सबसे बड़ी एवरेज होल्डिंग होते हुए गरीबतम राज्यों में आज चला आ रहा है। उसका कारण सिर्फ पानी है। बन्द कर दीजिए, कोई स्कूल देने की जरूरत नहीं है, हमको, कुछ मत दीजिए किसान को, जमीन में से पैदा करने के लिए आप पानी दीजिए कोई काम की जरूरत नहीं है। हम सरेण्डर करते हैं, हमारे क्षेत्र में आप एक नया पैसा किसी योजना में न लगायें, आप हमारे क्षेत्र को पानी दीजिये, हमारे जिले को पानी दीजिये' हम बहुत खुशी खुशी आपका स्वागत करेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। खेती की पैदावार में से 56 पर्सेन्ट आप एक्स चेकर में पैसा ले रहे हैं इसके बाद सिंचाई की इरिगेशन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं रेगिस्तान यहां हर साल बढ़ रहा है। करोड़ों अरबों रुपया आप सूखे पर खर्च करते हैं प्रतिवर्ष, करोड़ों रुपये खर्च करते है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, प्रोडक्शन हम सरप्लस पैदा करते है, थिकली पोपुलेटेड है भरतपुर जिला, थिकली पोपुलेटेड है इसलिए आप वहां पर काम कराते है तो ज्यादा पोपुलेशन को फायदा पहुंचाते हैं। हम हर साल सरप्लस प्रोडक्शन करके आपको देते हैं फेमिन के नाम

Page No 112

(112)

(श्री यदुनाथसिंह)

पर पैसा आप ले जाते है,, डवलपमेन्ट का जितना भी पैसा अब तक जब से प्लान शुरू हुआ है तब से खर्च किया गया है, मैं फिगर्स एक दिन टेली कर रहा था तो मुझे दुःख है कहते हुए कि भरतपुर जिले को इस प्रकार से इग्नोर किया गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । मैं प्रथकतावादी बात नहीं करना चाहता, जितना आपको प्यार होगा राजस्थान से और देश से उतना ही मुझे प्यार है लेकिन बहुत दुखी मन से हम कह रहे हैं, सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर कुओं का पानी सूख रहा है, पीने के पानी की किल्लत भरतपुर में हो रही है, भरतपुर की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वोट बटोरने के लिए तो मन्त्री महोदय भी वहां जाते हैं, बड़े-बड़े वायदे करके आते हैं लेकिन उसको आप अपना भी समझिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप पानी देते हैं अभी जब से बीच में मन्त्री महोदय से इस बारे में चर्चा करने गया तो पता चला कि कुछ पानी भरतपुर फीडर को दिया है। वह पानी कितना है ? वह शायद कैनाल के नीचे की बेड को भी गीला नहीं कर पाये। होता क्या है ? यह हमारी इतनी इग्नोरेन्स है, हमारे यहां का कामां, डीग का किसान पैसा देकर, रिश्वत देकर हजारों रुपये, 50 हजार रुपये रिश्वत देकर हरियाणा के जो गेट्स हैं, उन पर जो चौकीदार और इंजीनियर्स होते हैं, उनको पैसा देकर पानी लाता है। पैसा देकर पानी ला रहा है। उनका रिकार्ड बोल रहा है निल, रिश्वत से पानी जब आ सकता है तो राजस्थान सरकार क्या इतनी गयी गुजरी और इतनी नाकाम और निकम्मी हो चुकी है कि पानी लाने का प्रबन्ध नहीं कर सकती तो मेरा यही निवेदन करना है कि भरतपुर के साथ सौतला व्यवहार बन्द करें। राजस्थान की आप भलाई चाहते हैं तो क्या जरूरत है आपको इतना इन्वेस्टमेन्ट, बड़े, इन्वेस्टमेंट, कैपीटल इन्वेस्टमेंट का काम करें। भरतपुर में पावर प्लान्ट भरोसा नहीं है, कब कम डाउन हो जाता है, कब बैठ जाते है, आप यहां की सिंचाई के लिए इरिगेशन पर डिपेंडेन्ट रहेंगे तभी यहां की बहबूदी होगी आप पावर पर रहेंगे तो पावर बहुत महंगी भी पड़ेगी और उसके बहुत बुरे रिजल्ट भी आगे आते हैं। तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रावी व्यास का सरप्लस पानी भी आप हमको दीजिये, हमारे हिस्से का का पानी है, उसके अलावा हरियाणा को दे दिया हरियाणा से लीजिए। एक बार जब रावी व्यास पर बहस चल रही थी पर जब हमने यह प्रश्न उठाया तो मन्त्री महोदय ने कहा No. this was exclusively for Rajasthan canal यह तो कहीं नहीं है। यह मन्त्री महोदय, सेन्टर राव साहब ने कहा है और माना है कि हां यह तो राजस्थान का है। केदार पाण्डे जी की चिट्ठी है, उन्होंने माना है कि यह तो राजस्थान का स्वयं का मसला है। इसका मतलब कोई बाउण्ड नहीं रहा है। राजस्थान का स्वयं का मामला है, राजस्थान इसको तय करे। कृपा करके भगवान के लिए आप हमारी इन कैनाल्स को दीजिए। कैनाल्स को पानी दीजिए। कैनाल्स अभी अधूरी पड़ी है, पूरी भी नहीं रही है। डैम के लिये तो अब आपने कह दिया कि जब तक प्लान नहीं होगा तब तक हम इसको पूरा भी नहीं

(श्री यदुनाथसिंह)

करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें कहीं भरतपुर में यह, मांग उठानी नहीं पड़े कि हमको राजस्थान से अलग कीजिए। हमारी बगल में कितना वहवूद किसान है, सभापति महोदय····

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : दर्द है, सभापति महोदय, दिल में। इनकी सरकार तो ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले माननीय सिंचाई राज्य मन्त्री जी माननीय जगनसिंह जी के एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था यहां पर कि भरतपुर का इरिगेशन का प्लान ही नहीं बना है, वह तो सरसरी तौर पर बना है, दुबारा बनेगा। आपने कहा था, एस्टीमेट दुबारा बनेगा। आपने कहा था कि एस्टीमेट्स दुबारा बनेंगे और वह सरसरी तौर पर प्लान बना है····

श्री दिनेश राय डांगी : मैंने तो यह कहा था कि भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए कुछ पानी को एक रिजर्वायर बनाकर···

श्री यदुनाथ सिंह : प्रोसिडिंग्स में यह काम्पेक्ट प्लान बनाया है। आपको जानकारी नहीं हुआ करे तो मना कर दीजिए···

श्री दिनेश राय डांगी : आप तो उल्टा बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं।

श्री दिनेश राय डांगी : बाढ़ से बचाने के लिए इस पानी को एक जगह रिजवियर बना करके इकट्ठा करने की बात थी····

श्री यदुनाथ सिंह : जी नहीं। आपने यही कहा था कि यह सरसरी तौर पर बना है। मैंने रिपीटैन्टली कहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिए। आपने सब बात कह दी है।

श्री यदुनाथसिंह : कहां कह दी है। इनको पता ही नहीं है, सरकार को, इतनी इग्नोरेन्स है सरकार। यह मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राज्य मन्त्री जी कह रहे थे कि भरतपुर का कोई प्लान ही नहीं है अभी और वह सरसरी तौर पर बना है उसके दुबारा से एस्टीमेट बनवाये जा रहे हैं जब कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि प्लान में से 500-600 करोड़ आपने खर्च कर दिया। जब प्लान नहीं बना तो खर्च कैसे कर रहे हो प्लान पर? तो इस तरह इग्नोरेन्ट है सरकार। कोई चिन्ता नहीं है भरतपुर की। एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि कैनाल के लिए तो आप आपना शेयर तय करायें ही करायें इसके बाद जो 49 किलो मीटर पर से 12 सौ क्यूसेक्स के लिए कैनाल निकालने प्रोपोजल्स बने हुए है, जो स्कीम बनी हुई है, इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत करके ड्रा किया है योजना को, आप उसमें क्या करने वाले हैं कितनी जल्दी किस लेविल पर आप परश्यू करने वाले है? इसमें हम आपका साथ देंगे आप इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो। साथ ही मैं कहना चाहूँगा गंगा वाटर में से थाउलेण्ड क्यूसेक का जो क्लेम किया था, उसको क्लेम करके छोड़ दिया। इस तरह से बड़ा टोटल क्लेम करती है राजस्थान सरकार, ओनली टोटल क्लेम हैं राजस्थान का इसलिए मैं निवेदन

(श्री यदुनाथ सिंह)

करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ यह व्यवहार छोड़ते हुए हमको कम से कम आप पानी दीजिए, हम आपको अन्न उगाकर देंगे, हम आपको कैपीटल हमारे जिले में ग पैदा करके देंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा कि राजस्थान में हमारे इन जिलों के लिए इस कैनाल से शेयर तय कराने के लिए पूरा जोर लगाकर सरकार प्रयत्न करे।

श्री सभापति : माननीय चाव खां जी। एक चाव खां जी बोल लें।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): यह तो डिबेट हो गयी, सभापति महोदय, कल डिमाण्ड है वह भी इरिगेशन की है।

श्री यदुनाथ सिंह : डिमाण्ड पर जवाब ही नहीं आता, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब है तीन घण्टे की बहस शुरू कर देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : 30 साल निकल गये, हम तीन घण्टे की बहस नहीं करें।

श्री सभापति : कल सिंचाई की डिमाण्ड है, कल फिर बोल लीजिए। अगर आप....

श्री यदुनाथ सिंह : डिमाण्ड अलग बात है।

श्री जगन सिंह (बयाना) : यह डिमाण्ड वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल सूखे बैठे हैं, हमारी जमीन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, हमको एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। यह डिमाण्ड वाली बात नहीं है। डिमाण्ड पर हम यहां कह जायें, भजन कर जायें और बाहर निकल जायें, यह हमारी ड्यूटी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : भजन की बात नहीं है।

श्री जगन सिंह : हम अपने दुख दर्द की गाथा अब आपसे कह रहे हैं।

श्री सभापति : श्री चाव खां। आप दो मिनट में बोल दें।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, गुड़गांव कैनाल, नहर जो हरियाणा से प्रवेश करती है मेरे क्षेत्र में, मेरे इलाके में आती है और वहां से गुजर करके, उन क्षेत्रों से निकल करके खास डीग और डीग से आगे की तरफ जा रही है। मैं आपको यह बताऊं कि मैंने गुड़गांवा कैनाल, नहर के मामले में सरकार से सवाल पूछा था, वह सवाल यह था कि इस नहर से कितनी माइनर्स किस-किस जगह से निकाली गई और क्या वह पूरी हो चुकी है। उसका जवाब मुझको इन्होंने लिख कर भेजा है। मेरे पास माइनर्स की लिस्ट भेजी है जिसके लिए कहते हैं कि इन माइनरों को, बीस पच्चीस माइनरों को सन् 72 में ही पूरा कर चुके हैं। जब कि मेरा यह कहना है कि वह माइनर ऐसी है जैसे कुए का बोरा होता है। सही प्रकार की माइनर मौके पर नहीं है। यहां से मिट्टी खोदकर वहां पटक दो और वहां से

(श्री चाव खां)

खोदकर यहां पटक दी। आज उसमें पानी छोड़ा जाय तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सब पानी एक जगह से दूसरे खेत में नहीं पहुंच सकता। यह माइनरों को बनाने की हालत है और यह इनकी सिचाई की व्यवस्था है।

श्री सभापति : ठीक है। सब बातें आ गई ना, चाव खां जी, आपकी ?

श्री चाव खां : नहीं जनाब। मन्त्री महोदय तो उधर चले गये हैं।

श्री सभापति : आप, अपनी बात कहिये।

श्री दिनेशराय डांगी (राज्य मन्त्री, श्रम) : मैं सुन रहा हूं।

श्री यदुनाथसिंह : आपका सुनना नहीं सुनना बेकार है, साहिब।

(व्यवधान)

श्री चाव खां : दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हालात माइनरों के हैं। इसके अलावा वहां पर जो काम चल है, उसके बारे में मैंने सरकार से पूछा था कि इस कैनाल पर जो बजरी, गिट्टियां काम में ली जाती है वह किस जगह से लाई जाती है। टेंडर किस जगह का है। तो आपने जवाब दिया कि सोना की गिट्टियां और बदरपुर की बजरी का टेंडर है वहां से लाई जा करके इस काम को पूरा किया जाएगा। मैं आपको यकीनन कहता हूं पांच पर्सेन्ट वहाँ से गिट्टी और पांच पर्सेन्ट बजरी नहीं लाई जाती। सारा हमारे इलाके के पहाड़ों से गिट्टियां और बजरी ला करके काम में ली जा रही है जो कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं।

तीसरी बात यह है कि वहां पर जो सीमेंट काम में ली जाती है, हजारों बोरा सीमेंट ब्लेक द्वारा हरियाणा, यू. पी. में बेची जा रही है तो आप अंदाजा लगाइये कि वह काम कितना मजबूत होगा और पानी सूखने पर उसकी हालत क्या होगी जिस पर सरकार का, हरियाणा सरकार का अरबों, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है फिर भी पानी सूखने पर टूट जावे, गांव को नुकसान हो और भलाई न हो तो उसको बनाने का क्या फायदा, जैसे अभी पिछले...

श्री सभापति : ये बातें तो माननीय सदस्य सिंचाई की डिमाण्ड पर कहिये। अभी तो सब्जेक्ट ही और हैं।

श्री यदुनाथसिंह : क्या बात करते है, सभापति महोदय, प्लान में जो पैसा देते है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ईंटें पांच सौ रुपये हजार में खरीदी जा रही है। पांच सो रुपये हजार में खरीदी जा रही हैं भरतपुर फीडर के लिए, उसके लिए आप कह रहे हैं जो पैसा मिलता है वह भी नहीं लगता।

श्री सभापति : अरे भाई, यह विषय

(श्री सभापति)

दूसरा है। पानी उपलब्ध कराने की बात है।

श्री यदुनाथसिंह : जी नहीं, सभापति महोदय, परन्तु फीडर और....

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री यदुनाथसिंह : भरतपुर फीडर और गुड़गांवा कैनाल....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री चाव खा : सभापति महोदय, जब हमने यह देखा कि सीमेंट बिक रही है, 70 बोरा सीमेंट एक बार और 30 बोरा सीमेंट एक बार पकड़वाई गई। पुलिस के हवाले की गई है। अब मुझको यह जानकारी नहीं है कि उसमें सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। हमारी सरकार यह कहती है कि न यह अंधी है, न यह बहरी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह अंधी भी है, बहरी भी है, और गूंगी भी है क्योंकि जो बात इनके फायदे की बताई जाय उसको सुनने को तैयार नहीं हैं, उसकी जांच कराने को तैयार नहीं हैं। लाखों एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद करके पटक रखी है। मुआवजा नहीं दिया जाता है। दस हजार रुपये बीघा जमीन की कीमत हो रही है। जमीन मिल नहीं रही है और माईनर....

श्री राजबहादुर : लाखों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई है...

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं माननीय सदस्य। आप बुजुर्ग सदस्य हैं...

श्री राजबहादुर : मैं बुजुर्ग तो हूं, लेकिन दर्द तो है ना। आप यह सोचिये कि पोइन्ट क्या है उस पैराग्राफ का।

श्री सभापति : पर वे पोइन्ट बोल रहे हैं खुद भी।

श्री चाव खां : यानि जो उनकी जमीन है उसको बिगाड़कर पटक दिया जाता। चार खेत यहां खोदी, दो खेत वहां खोदी, इस तरह से वह माईनर निकलती है। जमीन खराब हो रही है। आज वहां अनाज पैदा नहीं होता है। हर साल हमको इत्मीनान कराया जाता है कि अबके पानी मिलेगा लेकिन पानी न आज मिले न कल। अगर बरसात हो और पानी कुदरती वैसे आ जावे तो दूसरी बात है वरना जैसे अकाल है पानी की जरूरत है किन्तु पानी आने की व्यवस्था का सवाल नहीं है। हम जिन्दा रहेंगे तो आपको बतायेंगे कि पानी तो आ नहीं सकता, इसलिए एक सुझाव मेरा यह है कि हमारे जितने सिंचाई के बांध होते हैं उनको बरसात में भरा जाता है। वह बांध नदियों से नहीं बरसात के पानी से भरे जाते हैं। लेकिन जिस वक्त बरसात होती है वह पानी खलास कर दिया जाता है। बांधों को भरा नहीं जाता। आखिरकार वह बंधे सूखे के सूखे रह जाते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार ने उन बंधों

(श्री चांद खां)

पर खर्चा किया। आदमी वहां पर रहते हैं इसलिए सबसे पहले जो भी बरसात हो उससे बंधों को भरा जावे। वह पानी बांधों में रुकेगा इसके बाद बरसात कम होगी, खुश्की का समय आएगा तो बंधों से हजारों एकड़ जमीन सैलाब होगी और उन इलाके के लोगों को फायदा पहुंचेगा। जबकि इन बंधों को खुला रखते हैं बरसात में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री चांद खां : कहते हैं कि पीछे से पानी आ रहा है और जब पीछे से पानी आएगा तब निकाल देंगे लेकिन पीछे से पानी आता नहीं, बरसात बन्द हो जाती है और बंधे सूखे के सूखे रह जाते हैं। क्या फायदा है। जितने बंधे हुए हैं पांच या छः बंधे मेरे क्षेत्र में हैं उनको बरसात में खुला छोड़ दिया जाता है, भरा नहीं जाता और बरसात बन्द हो जाती है इसलिए....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री चांद खां : सबसे पहले बंधों में पानी रोका जावे, भरा जावे और उनसे फायदा किसानों को दिया जावे।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : मुझे बोलना है। मेरे जिले का भी ताल्लुक है...

श्री सभापति : नहीं है, इसमें कोई आपका।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं सभापति महोदय, मुझे बोलना है।

श्री सभापति : आपको समय नहीं दिया जा सकता, आप डिमाण्ड पर बोलना।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं, मुझे अभी बोलना है।

श्री सभापति : आप चाहें तो कल बोल लीजिए।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं अभी मुझे बोलना है।

श्री सभापति : नहीं, आपकी इसमें कोई मांग नहीं है, कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है आपका। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव से ताल्लुक नहीं है....

श्री सभापति : आप इस तरह से कभी भी खड़े होकर बोलने लग जावें, यह नहीं हो सकता। आप सचेत होते तो स्थगन प्रस्ताव देते....माननीय सदस्य, कृपया

श्री त्रिलोकसिंह : 35 साल तक हमने सब्र किया है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा....

श्री त्रिलोकसिंह : हमारी जमीनें सूखी हैं, गंगा यमुना का पानी....

श्री सभापति : आपको कल इसके बारे में बोलना है तो बोल लीजिए। अभी डिमाण्ड पर विचार नहीं हो रहा है। आप इस तरह से क्या बोल रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : यह बड़े अफसोस की बात है...

श्री सभापति : अंकित नहीं हो :

श्री त्रिलोकसिंह : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए, अंकित नहीं हो रहा है। आप इस तरह से क्या बोले जा रहे हैं, आपने कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया।

श्री त्रिलोकसिंह : यह हमारी जिन्दगी से ताल्लुक हैं....

श्री सभापति : जिन्दगी से ताल्लुक है लेकिन आपने स्थगन प्रस्ताव तो दिया नहीं।

श्री त्रिलोकसिंह : हम अपने जिले के बारे में सुझाव दें तो सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत ताज्जुब की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं का मैं तहेदिल से आदर करता हूं। यह बात सही है, जैसा कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि जितना पानी पूरे देश भर में प्रेसिपिटेड होता है उसका एक प्रतिशत ही राजस्थान में होता है, यह हमारा दुर्भाग्य है ज्योग्राफिकली, यह भी राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान का इस देश का थार डेजर्ट भी यहीं पर है। इसीलिए रावी व्यास के मामले में क्लेम के सम्बन्ध में जो वर्ल्ड बैंक और जो समझौता पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में हुआ है, राजस्थान के एरिड एरिया को पानी पहुंचाया जावे और जहां से ज्यादा अन्न का उत्पादन किया जावे।

आज सभापति महोदय, जो प्रश्न वहां पर था मुझे निर्देश मिला अध्यक्ष महोदय का कि गुड़गांवा नहर और भरतपुर फीडर के सम्बन्ध में, पानी नहीं मिल रहा है उस सम्बन्ध में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। तो भी मैंने अपने वक्तव्य के अन्दर जमुना नदी के बंटवारे के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव जिसका उल्लेख था उसका भी यहां पर स्टेटमेंट में उल्लेख किया है। मेरे स्टेटमेंट के बाद भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिये हैं। उनका यह कहना और उनका यह कथन था कि यमुना नदी के पानी के हिस्से के संबंध में राजस्थान को नहीं बुलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक पत्र 1972 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री बरकत साहब को लिखा था, यह बात भी सही है। उसके बाद उन्होंने 9-9-1981 को केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री राव वीरेन्द्रसिंह को भी चिट्ठी लिखी थी, कि आप उत्तर प्रदेश और

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

हरियाणा को बुला रहे हैं लेकिन आपने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को सम्मिलित क्यों नहीं किया। उसका उत्तर आपको 31 अगस्त, 1983 को मिला। राव वीरेन्द्रसिंह जी ने इस सम्बन्ध में यह बात लिखी है कि असलो बंध के बैराज के सम्बन्ध में बात की है कि जमुना के बंटवारे के सम्बन्ध में नहीं थी। यमुना के बंटवारे के सम्बन्ध में जब कभी भी बात होगी तो राजस्थान को सम्मिलित किया जायेगा और राजस्थान को अभी जो अप्रेल में बैठक हुई थी मुख्य मन्त्रियों की उसमें राजस्थान को सम्मिलित किया गया है और राजस्थान सम्मिलित है, यमुना के बंटवारे के सम्बन्ध में। मैं इसका उल्लेख पूरा स्टेटमेंट में कर चुका हूँ।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें कही। यमुना नदी से पानी जो मिल रहा है वह पानी जिस पानी का उल्लेख मैंने शेष पानी के रूप में किया है उस सम्बन्ध में उन्होंने काफी विस्तार से चर्चा की। सरप्लस या एक्सेस वाटर के सम्बन्ध में इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में जो अन्डरटेकिंग है वह एक मानसून सीजन के लिए गुड़गांवा नहर में 500 क्यूसेक्स 90 दिन के लिए सरप्लस वाटर या एक्सेस वाटर और अक्टूबर के अन्दर पानी जब रहता है तो उसमें रबी के लिए 10 हजार एकड़ में सिंचित करने का उसमें प्रावधान है। भरतपुर फीडर के लिए 10,500 क्यूसेक्स, 300 क्यूसेक्स पहले 35 दिन के लिए यू यह पानी मानसून में बरसात के मौसम का पानी है, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में, यमुना कैनाल से आता है, उसको देने की बात थी, इस सम्बन्ध में मैंने उस सन्दर्भ में अधिशेष पानी की बात कही है। जहां तक यमुना नदी के पानी के हिस्से की बात है, उस सम्बन्ध विशेष पानी की बात नहीं कही है। इसलिये मैंने निवेदन किया है अपने वक्तव्य में, इस सम्बन्ध में जो मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई, उस बैठक के बाद में एक टैक्नीकल कमेटी बनी चेयरमैन सी. डब्लू. सी. के चेयरमैनशिप में, उसमें कमिटेड वाटर को लेकर हरियाणा के मत से राजस्थान सरकार सहमत नहीं थी। इस तरह उन्होंने वह रिपोर्ट में सहमति नहीं होने की वजह से सैण्ट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन और टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन वही थे, उन्होंने जो रिपोर्ट जुलाई 1982 में दी है उससे हम सहमत नहीं हैं। हमने हमारी टिप्पणी भेज दी है। अभी 27 जनवरी, 1983 को मुख्य मन्त्री, राजस्थान ने केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री जी को पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्रियों की बैठक इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए जल्दी से जल्दी बुलाई जानी चाहिए। 27 जनवरी 1983। उसके बाद में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री जी से मिले हैं। आपके केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री से मिलने के बाद मैं भी उनसे मिला हूं। आपके मिलने का वे मुझे उल्लेख कर रहे थे। जिस तरह से आपने उस सम्बन्ध में, पानी लेने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है, उतनी चिन्ता मैं भी व्यक्त करके आया हूं। राज्य सरकार द्वारा अनदेखी करने की बात, लीपापोती करने की बात या सौतेला व्यवहार करने की बात, यह सब जो मान्यतायें हैं यह भ्रान्तिपूर्ण हैं और निर्मूल हैं। मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कुछ सजेशन दिये है, कुछ प्रस्ताव रखे हैं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य आज से नहीं प्रारम्भ से ही यमुना नदी के पानी, गंगा नदी के पानी, गंगा कावेरी वाटर गेट के सम्बन्ध में पत्र लिखते रहे हैं । यह बात सही है कि भागीरथ नदी पर जो पेरी डेम बन रहा है उस सम्बन्ध में भी उन्होंने 1974 में केन्द्रीय मन्त्री की हैसियत से हमारे यहां के सिंचाई मन्त्री जी को पत्र लिखा था । सिंचाई मन्त्री जी ने 16 अप्रेल, 1974 को केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री जी को पत्र लिखा । उन्होंने 21–4–74 को एक्नालेज किया और फिर दुबारा पत्र उन्होंने 2–5–1974 को भी लिखा है। वे बराबर इस सम्बन्ध में पत्र लिखते रहते हैं । उत्तर प्रदेश के इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । जहां तक बिसाऊ बांध का प्रश्न है, हेल्स नदी, जो यमुना की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ऊपर बनाने की योजना है, उस सम्बन्ध में सी. डब्ल्यू. सी. ने राजस्थान का शेयर 22 फीसदी इसमें माना है । लेकिन यमुना नदी के बंटवारे शेयर के सम्बन्ध में जो टेक्नीकल कमेटी बैठी है और यमुना नदी के पानी के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों ने बढ़ा चढ़ा कर अपनी मांगें रखी हैं जबकि हमने हमारी मांग पेरेनियल वाटर के लिए जो रखी है वह 2.555 है और नान पेरे-नियल वाटर की जो मांग रखी है वह ·801 है । इसके लिए यह कहना कि गाजियाबाद हैड से अलग और ओखला हैड से अलग, मैं टोटल पानी की बात कर रहा हूँ 2·535 एम. एन्टिक इसलिए कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है । जहां तक अधिशेष पानी का प्रश्न है नान पेरेनियल का, उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, राइवेरियन और दूसरे बेसिन स्टेट की बात नहीं करूंगा जैसा नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे क्योंकि दुधारी तलवार रखते है कभी-कभी प्रतिपक्ष के नेता रावी ब्यास के ऊपर जब चर्चा चल रही थी तो हिमाचल स्टेट राइवेरियन स्टेट है इस प्रकार से उसका कुछ क्लेम वह मान रहे थे वह नहीं मानना चाहिए था, इस सदन के अन्दर क्योंकि हिमाचल इस बात को एजीटेट करने लग गया है । कुछ बातें हमें सोच समझ कर यहां पर कहनी चाहिए जो राज्य के हित में हो ।

मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं जहां तक भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, जमुना का जो टोटल केचमेन्ट एरिया है उसमें से बहुत बड़ा एरिया राजस्थान में है चाहे वह बनास नदी के केचमेंट एरिया से लेकर चम्बल के केचमेंट एरिया से लेकर, गम्भीरी और पार्वती के केचमेंट एरिया से लेकर, जो जमुना में मिलती है जाकर आखिर में बहुत बड़ा एरिया हजारों स्क्वायर मील का केचमेंट एरिया यमुना का राजस्थान में स्थित है, इसलिए, राजस्थान इसी के आधार पर अपना हिस्सा मांगता है । हम इस सम्बन्ध में जो कुछ भी मांग रहे हैं इसका वह हमारा हक समझ कर मांग रहे हैं, जहां तक आपने कुछ सजेशन दिये मुझे कि पानी इधर से नहीं मिल सकता है 6 एम. ए. एफ का उपयोग तो नहीं कर सकते तो यमुना सतलज में भागीदार बन कर पानी भरतपुर, अलवर को दिया जा सकता है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

यमुना का पानी हम उधर डाइवर्ट कर सकते हैं, यमुना से नहीं, रावी व्यास का पानी से हम यमुना, सतलज के द्वारा इस भरतपुर को सिंचित कर सकते हैं और भरतपुर में उसका उपयोग कर सकते हैं, यह बात कही जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं यमुना सतलज लिंक में जो समझौता हुआ है उसमें 3.82 एम.ए. एफ कैरी करना है, 3.82 के अन्दर 3.45 एम.ए.एफ हरियाणा का हिस्सा है बाकी प्वाइन्ट पानी बचता है वह .37 एम.ए.एफ से उसमें से .20 दिल्ली को दिया है पीने के पानी के लिए, बाकी बचता है .17। .17 राजस्थान में सिद्धमुख-नोहर स्कीम के लिए है जो सीधा इस लिंक से राजस्थान को मिलेगा जिसका प्रयास बहुत लम्बे अरसे से कर रहे थे। इसके बाद पानी बचता नहीं है जिसको डाइवर्ट करने की बात की जा सके।

श्री राजबहादुर : तो फिर केदार पाण्डे ने जो चिट्ठी लिखी वह गलत हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : केदार पाण्डे ने क्या बात कहीं मुझे मालूम नहीं, उन्होंने शायद यह कहा कि राजस्थान के लिए हैं। तो राजस्थान अकेले के लिए नहीं है।

श्री राजबहादुर : कुल बताया हैं .60। .60 से .47 नोहर और सिद्धमुख के लिए और .13 स्पेयर है।

श्री परसराम मदेरणा : केदार पाण्डे जी ने जो .47 हमको पानी मिला है उसका .17 तो यहां से मिला है, .13 हमको हरीके से मिला है। शायद उनको इस बात का पता नहीं है केदार पाण्डे तो अब सिंचाई मन्त्री नहीं रहे, शायद उनके आंकडे-वांकडे में कुछ गलती रही होगी लेकिन यह तो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में जो बात है उसकी प्रतिलिपि आपके पास में है और आप उसको देख सकते हैं।

यहां पर मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने यमुना के पानी में चारों राज्यों जिन्होंने अपने क्लेम प्रस्तुत किये हैं अपने केस को रखने में कहीं पर भी लाग-लेपी या सतर्कता में कमी नहीं रखी हैं। बराबर इस बात की कोशिश में हम लगे हुए हैं हमारे टेक्निकल लोग और मुख्य अभियन्ता बराबर उन मीटिंगों में राजस्थान के क्लेम को With all the emphasi's, जो उनके कमाण्ड पर है उस तरह रखते आये हैं, मुख्य मन्त्रियों की बैठक में जो भी सुझाव आपने यहां पर दिये हैं और जो उद्विग्नता जितनी आपने यहां पर इसकी महती अहमियतता के बारे में उद्गार प्रकट किये हैं उसी के अनुरूप राज्य सरकार राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

यहां पर कुछ बातें कामा के कुछ माइनर्स के सम्बन्ध में कामा के माननीय सदस्य ने कही, कोई भी अगर स्पेसिफिकेशन की कमी या सीमेंट या दूसरी घोटाले की जो कोई बात है, जैसा कि उन्होंने आज उल्लेख किया, वह अगर कट-मोशन्स में आती तो मैं मालूम कर लेता कि कौन सी माइनर्स के सम्बन्ध में है।

(श्री परसराम मदेरणा)

निश्चित तौर मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि जो सीमेंट को देखने की बात या सीमेंट को हटाने की बात या मिट्टी को वहां से लेने की बात, कच्ची रखने की बात रही है उस पर खर्चा भी हो रहा है। अगर इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ या स्पेसिफिकेशन में किसी प्रकार की कमी पाई तो उसके लिए जो आदमी जिम्मेदार है उन पर रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स की जायगी और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में जो आज जमुना नदी से गुड़गांव नहर और भरतपुर फीडर को पानी मिलने के संबंध में बात थी मैं जैसा कि अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि ओखला बैराज जो एक सौ कुछ साल पुराना है, ऐसे बैराज के अन्दर जो गेट वगैरह भी लकड़ी के लगे हुए हैं और पानी का स्टोरेज भी कम है इसलिये यह बैराज करीब 2 तैयार होने को है, राजस्थान ने अपना हिस्सा भी उसमें रखा है। जब यह बैराज तैयार हो जायेगा जैसा कि अभी पत्र में पूर्व में भी मेरे प्रेडिसेसर को लिखा था कि ओखला बैराज का जब तक री-मोडलिंग नहीं होता है, दूसरा नहीं बनता है तब तक भरतपुर फीडर और गुड़गांव नहर को पानी उचित मात्रा में नहीं मिल सकेगा। आप खुद इसे महसूस करते हैं और राजस्थान सरकार भी सतर्क है। यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री राज बहादुर : मैं इर्रिलेवेण्ट नहीं बोलूंगा मेरे तीन प्रश्न है। एक तो यह निष्कर्ष मैंने बताया था कि हरियाणा और यू. पी. दोनों हमें टहलाना चाहते हैं, टालना चाहते हैं और रस्साकसी में They do not come to issue कमेटी रिपोर्ट देती है तब भी टाल जाते हैं। यह बात होते-होते 20–25 वर्ष हो गये। इसके बारे में आपका क्या जवाब है, एक बात, दूसरी बात मैंने कही थी, 1200 क्यूसेक की एक स्कीम अलग थी जो 49वां माईल आगरा कैनाल से निकल कर पहाड़ों से लेकर रूपवास तक सिंचाई करती थी उस स्कीम का क्या हो रहा है? तीसरी बात, और भी इम्पोर्टेंट है, तेहरी डेम में हमने हिस्सा मांगा था 3 हजार क्यूसेक्स का इसके बारे में क्या आपका विचार है।

श्री परसराम मदेरणा : तेहरी के बारे में तो मैं निवेदन पूर्व में ही आपसे कर चुका हूं। गंगा नदी के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में जो भागीरथ नदी पर बन रहा है टेहरी का बांध, यह गंगा की सहायक नदी भागीरथ के ऊपर, हरिद्वार के ऊपर इस सम्बन्ध में गंगा के पानी के बंटवारे का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पर जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि नेशनल वाटर ग्रेड और नेशनल वाटर फण्ड के सम्बन्ध में नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेन्सी का निर्माण भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही किया है। उसके बाद में जो नेशनल वाटर ग्रेड का अध्ययन किया जा रहा है अलग-अलग बेसिन्स का उसके बाद ही यह निश्चय हो सकेगा, गंगा नदी का हमको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 1974 म

(श्री परसराम मदेरणा)

यह बात कही है कि यह जो लिमिटेड जहां हमको पानी हमारे कुछ सिंचित क्षेत्र में नहीं मिल रहा है उसके लिए तेहरी डैम बन रहा है उसमें राजस्थान का हिस्सा नहीं रख सकते। यह बात 1974 में ही उन्होंने कह दी है लेकिन अब तक गंगा के पानी में हमारा हिस्सा कोई तय न हो तब तक सीधे जाकर हम गंगा के पानी के सम्बन्ध में उनसे बात कर सकें, गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बनाया हुआ है उसकी मीटिंगों में बराबर इसकी चर्चा होती है और नेशनल वाटर एजेन्सी को अलग-अलग बेसिन्स का सरप्लस वाटर या एक्सेस वाटर, जितना क्लेम कर रखा है, क्लेम हमारा बहुत समय से चला गंगा वाटर के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि इससे नागौर तक, झुंझुनूं, चुरू, भरतपुर, अलवर के हिस्सों में गंगा का पानी ले जाना चाहते हैं, यह बराबर हमारी मांग रही है, हमारा क्लेम भी रहा है, हम हमारे स्पेसिफिक आंकड़े भी बराबर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अभी भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। निर्णय होने के बाद में ही यह कहा जा सकेगा कि इस बंध में हमारा हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, किसान के सम्बन्ध में मैंने बात कह दी। जहां तक हरियाणा के अन्दर रेगुलेटर या क्रास रेगुलेटर बनाने का सवाल है, जैसी मुझे सूचना मिली है अभी तक कोई भी माइनर उन रेगुलेटर के बाद में न तो खोदी गई है न माइनर बनाने का हरियाणा ने कोई इन्टेशन दिखाया है।

श्री राजबहादुर : Kindly check up.

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

पशु पालन राज्य मन्त्री श्रीराम गोटेवाला रामदेव पशु मेला नागौर की इस वर्ष तिथियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, पशु मन्त्री को ग्रामीण वातावरण की जानकारी नहीं है इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सावचेत कर देता हूं। उनका शहरी वातावरण से ही काम-काज पड़ा है।

श्री सभापति : आप थोड़ी देर बाद अपने तजुर्बे का लाभ उनको दे दीजिए।

रामदेव पशु मेला नागौर की तिथियों का निर्धारण

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : पशुओं का तजुर्बा आपको ज्यादा है लेकिन पहले मेरे से सुन लो उसके बाद बोलना आप।

सभापति महोदय, श्री रामदेव पशु मेला नागौर जिले में प्रतिवर्ष की भांति पशु मेला अधिनियम में दर्शायी गयी हिन्दी तिथियों के अनुसार आयोजित किया जाता है। यह मेला माघ शुक्ला दशवीं से फाल्गुन शुक्ला पंचमी तक, तदनुसार राजस्थान सरकार के कलेण्डर की तिथि 24 जनवरी, 1983 से 2 फरवरी 1983 तक लगाया गया।

श्री महाराम चौधरी : क्या बोला आपने ? भादवा शुक्ली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भादवा तो मैंने नहीं बोला, साहब. मैंने तो फाल्गुन बोला है फाल्गुन शुक्ला पंचमी। आप वाली हिन्दी में समझो तो फागुन सुदी पांचे! और बोलो। विभाग द्वारा इसका भी प्रचार, प्रसार, पत्रों, पेम्फलेट तथा मेले की समस्त प्रचार सामग्री द्वारा किया गया। मेले के कार्यक्रम जिलाधीश नागौर के कार्यालय में हुई सलाहकार समिति की मीटिंग के निर्णयानुसार प्रसारित एवं क्रियान्वित किये गये। इस वर्ष भी मेले की व्यवस्था में बिजली पानी की उचित व्यवस्था की गई। साथ ही पुलिस, रेलवे एवं स्वास्थ्य सेवायें भी पूर्व वर्षो के अनुसार सलाहकार समिति की मीटिंग के निर्णय के अनुसार समय पर की गई। मेले में पशुओं का आगमन 12–1–83 से शुरू हो गया था। चौकियों की स्थापना 20–1–83 से निश्चित की गई थी परन्तु पशुओं के पूर्वागमन के कारण 12–1–83 से 27–1–83 तक 6 बड़े पानी के हौज, जिनकी क्षमता 50 हजार गैलन से 75 हजार गैलन की है, के अतिरिक्त वितरण व्यवस्था प्रतिदिन की गई, तथा मेले में पशुओं को ले जाने हेतु रेलवे, विभाग 1600 से 1800 वैगन्स की व्यवस्था कराने की व्यवस्था भी की गई।

मेले में गत वर्ष 43124 पशु आये, जिसमें 2150 की बिक्री हुई के रूप में 54734 रुपये की आय हुई। मेले में पशुओं का अधिकतम मूल्य 7 हजार रुपये तक प्राप्त हुआ परन्तु गत वर्षो की अपेक्षा मेला पशुधन आमद तथा विक्रय कम रहा जिसके कारण आय भी कम हुई। उसका मुख्य कारण अधिक मास होने के कारण हिन्दी तिथियों में बदलाव होना प्रतीत होता है।

श्री सभापति : माननीय महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव देने का मेरा मतलब यह था कि यह नागौर का पशु मेला जो हमेशा सालों साल माघ सुदी दशम से लगकर फागुन सुदी पंचम तक भरता है इस साल अधिक मास होने की वजह से जिस तरह से कई आदमियों ने दीवाली दो की इसी तरह से अगर यह सरकार और अधिकारी सावचेत रहते और जो सलाहकार समिति का आयोजन किया इस सलाहकार समिति में सभी आदमियों को आमन्त्रित करते। आमन्त्रित करने के बाद में सलाहकार समिति के अन्दर एक तो बुलाया नहीं गया बहुत से आदमियों को और स्पेशली मुझे भी इस सम्बन्ध में उन्होंने कभी भी कोई सूचना नहीं दी। इस सलाहकार समिति के अन्दर अगर यह तिथि तय करदी जाती, तय करने के बाद अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वह तिथियां तय करने के बाद में स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इसकी पूरी सूचना देते। यही सूचना नहीं देते, यदि सूचना अन्य प्रान्तों के अन्दर भी यदि अपने सोर्स से पेम्फलेट से देते। यह जो पेम्पलेट से सूचना करने की बात कही है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह न तो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई पेम्पलेट बांटे हैं सिर्फ अखबारों को या यों कहिये नागौर शहर, के अन्दर इन्होंने कहीं-कहीं यह पेम्पलेट लगा दिये है। इस मेले का बहुत महत्व है, यह मेला सिर्फ नागौर

(श्री महाराम चौधरी)

जिले का ही मेला नहीं कहलाता है, यह पूरे राजस्थान का पूरे भारत का मेला कहलाता है। इस मेले के अन्दर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों से ग्राहक आते हैं और बैलों की खरीदारी करते हैं। अगर इसकी इन लोगों को यह सूचना कर देते और ग्राहक यहां ज्यादा आते तो जिस तरह से हमेशा इस मेले की आवक करीब करीब एक लाख से ऊपर पशुओं की रही है, इस साल करीब 43 हजार आये और जो बिक्री हुई है वह यूं तो समझिये कि बहुत ही मामूली हुई है। सरकार को भी इस मेले से हजारों रुपये की आमदनी होती है। इसके अन्दर सरकार के अधिकारियों और विशेष तौर पर मैं तो यह पशु मन्त्री महोदय जी पर आरोप लगाना चाहता हूं कि इनकी अयोग्यता से, इनकी

श्री सभापति : पशु मन्त्री नहीं हैं पशुपालन मन्त्री हैं।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : फिर तो आप हारोगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह अपन दोनों के बीच में यों ही द्वन्द हो जावेगा, ठीक रहेगा।

श्री महाराम चौधरी : ऐसा है इनके कार्यों से मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये पशु पालन मन्त्री हैं इसलिए मुझे इस तरह से कहने में थोड़ी सी लज्जा भी महसूस करता हूं कि पशुपालन मन्त्री नहीं हैं यह पशु पालन का ह्रास करने वाले मंत्री हैं और पशुपालकों का नुकसान करने वाले मन्त्री हैं।

इन सब कार्यों ने इन्होंने पूरी लापरवाही बरती है। लापरवाही बरतने के कारण किसानों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। तिथियों का निर्धारित समय तय नहीं करने, उसकी पब्लिसिटी पूरी नहीं करने की वजह से यह भी नहीं किया और उसके बाद में भी इन मेलों को सरकारी अधिकारियों ने और सरकार ने इस तरह से अपना धन्धा बना लिया। पशुपालकों को जिस तरह से मेले में जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती आई है। वहां पर रोशनी के नाम पर हजारों गैस किराये के जला दिये जाते है लेकिन असली रूप में तो कई सालों से देखता आया हूं, इस साल की बात नहीं है दूसरे सालों में भी इस प्रकार की अनियमितता बरती गई है। गैस का प्रबन्ध करते हैं 4 हजार, सरकार से बजट पैसा ले लेते हैं लेकिन वास्तव में गैसों का इन्तजाम सिर्फ दो-सौ-से तीन सौ के अलावा नहीं किया जाता है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए झूठी हाजरियां मांड ली जाती हैं और यह पैसा खर्च में लिख दिया जाता है और सफाई कर्मचारी वहां पर नियुक्त ही नहीं किये जाते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया

(श्री सभापति)

अपना वक्तव्य तिथियां निर्धारित नहीं करने के संबंध में ही रखें तो उचित रहेगा।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैंने जो मेरा यह स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके अन्दर खुलासा यह सब चीजें लिखी थीं। यह भी लिखा था कि तिथियों निर्धारण के अलावा इस पशु मेले में रोशनी पानी पुलिस व्यवस्था और रेल व्यवस्था स्वास्थय और सप्लाई व्यवस्था में भी अनेक अनियमितता बरती जाती है। आवश्यकता भी इन सभी चीजों की है।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री महाराम चौधरी : इसी तरह से जो टेन्ट वगैरह की व्यवस्था की जाती है, फटे, पुराने जिसमें से कई की खूंटियां नहीं, किसी की डोरियां नहीं। यह व्यवस्था सुचारू रुप से नहीं चल रही है और सभापति महोदय ...

श्री सभापति : आपने कभी इस बाबत लिखित शिकायत की है मंत्री महोदय को ?

श्री महाराम चौधरी : हाँ, इस संबंध के अन्दर मैंने इन मंत्री महोदय को तो नहीं की लेकिन पिछले मंत्री महोदय को एक बहुत लम्बी चौड़ी चिट्ठी भी मैंने लिखी थी वह चिट्ठी भी मेरे पास में है। मंत्री महोदय को 7-1-82 को भी एक चिट्ठी लिखी और इसी तरह की एक चिट्ठी 81 में भी लिखी गई, इस मेले की सरकार बुरी तरह से अवहेलना कर रही है और लापरवाही बरत रही है, जितना पैसा इस मेले के लिए काम में लेना चाहिए वह पैसा नहीं लिया जा रहा है और उसमें भ्रष्टाचार भी व्याप्त है।

सभापति महोदय, मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को बिक्री कर की जो आमदनी इस मेले के अन्दर होनी चाहिए बिक्री कर की भी उतनी आमदनी नहीं हुई क्योंकि पशु उसके अन्दर बहुत ही कम आये। सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो पशु मेले के अन्दर गोबर, मूत्र और खाद वगैरह की जो नीलामी होती है उसमें भी अनियमिततायें बरती जाती हैं, ठेकेदारों से मिल करके सस्ते में खाद वहाँ पर बेच दी जाती है। अगर खाद का पैसा भी पशुपालकों के लिए उपयोग में लें तो मैं समझता हूं कि उनकी सुविधा के अन्दर काम आ सकेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह पशुपालकों का, पशुओं का प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक वहाँ करीब-करीब बहुत ही.... ..

श्री सभापति : आपने सब बातें कह दी हैं। अब क्या रहा ?

श्री महाराम चौधरी : एक दो चीज और ढूंढता हूं, साहब, सभापति महोदय, इस मेले के अन्दर जो वितरण व्यवस्था के अन्दर घासलेट, चीनी, शक्कर और आटा,

(श्री महाराम चौधरी)

यह जो कन्ट्रोल की जो चीजें हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन इस पर भी सरकार कभी कोई ध्यान नहीं देती है। मै मेरे इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये पशु मंत्री महोदय, का यह ध्यान आकर्षित करता हूं, मंत्री महोदय, आप स्वयं इस संबंध में किसी अधिकारी को लगा कर यह जाँच करायें कि मेले को अधिकारियों ने अपना एक धन्धा बना रखा है। ये पशुपालकों की सुविधा न देख करके अपनी आमदनी करने के लिए जो ये कार्यवाही करते हैं इस संबंध में पशु मंत्री महोदय जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस संबंध में पूर्ण रूप में जाँच करायेंगे कि सालों साल कितने हजारों रुपयों की इस में चोरी होती है और इसमें काश्तकारों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी श्री श्रीरामजी गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, नागौर से आने वाले सम्माननीय सदस्य, जो कि बहुत ही बुजुर्ग है ने अपनी बुजुर्गी के सारे तजुर्बे सुनाये लेकिन उन्होंने यह बात तो माननीय सभापति महोदय, आपने जो प्रश्न किया, खुद ने स्वीकार की उन्होंने मेरे को तो कोई पत्र नहीं लिखा।

(व्यवधान)

नहीं। इस मेले की अव्यवस्था की बात है इसके बारे में आपका प्रश्न है उसके बारे में बात कर रहा हूं।

दूसरा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, दिनांक 6-12-82 को सलाहकार समिति का नोटिस इश्यू हुआ। सम्माननीय सदस्य उस कमेटी के सदस्य हैं। मैं तो बड़ा लाभान्वित होता जितनी सक्रियता आज आप यहाँ दिखा रहे है इतनी सक्रियता उस कमेटी के अन्दर जाकर के दिखावें। एडवाइजरी कमेटी राज्य सरकार ने केवल एक मात्र इसलिए गठित कर रखी है कि जनप्रतिनिधि उसमें बैठकर वहाँ पर क्या दिक्कतें आती हैं किन दिक्कतों का किस प्रकार से निवारण हो सकता है...

श्री महाराम चौधरी : अनुपालना कतई नहीं होती है। न कोई इसकी सूचना इन्होंने भेजी है। यदि सूचना भेजते तो मैं अवश्य जाता। इस मेले के मामले में हमेशा से ही सतर्क रहता आया हूँ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य तो उस मेले में कमेटी के सदस्य है नहीं मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस बात के बारे में मेरे पास प्रमाण है श्रीमान महाराम जी चौधरी को इस सलाहकार समिति की सूचना दी गयी है। उस सलाहकार समिति के अन्दर जो सदस्य हैं उसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा, नाथूराम जी मिर्धा, सदस्य लोक सभा श्री बनवारी लाल जी, सदस्य, श्री महाराम जी सदस्य, विधान सभा....

श्री महाराम चौधरी : यह तो हमको पता है। जो आदेश है उसको क्रियान्विति नहीं होती है। सूचना भेजने की ये हमेशा ही अवहेलना करते हैं जिससे स्थानीय लोगों को यह मालूम नहीं हो कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : श्री दामोदर आचार्य, अध्यक्ष नगरपालिका, नागौर और श्री हरिराम वागड़िया, प्रधान पंचायत समिति नागौर, जिसमें से गैर सरकारी सदस्य में केवल यह श्रीमान् उपस्थित थे। यह पंचायत समिति के प्रधान ही वहां उनकी सलाह से ही यह सारी सब कमेटी बनी थी और सारा काम हुआ था, मैं स्वयं उस मेले के समापन समारोह में गया था माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री जी भी पहुंचने वाले थे। वहां नाथूराम जी भी थे। उस समय भी मेरी बात हुयी थी। मेरे साथ इस सदन के दो माननीय सदस्य श्री राम रघुनाथ जी और रामेश्वरलाल जी थे। वहाँ हमारे सामने किसी पशुपालक ने मेले की अव्यवस्था की कोई शिकायत नहीं की।

सम्माननीय सदस्य ने पशुओं की कमी की बात कही है। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि पिछले वर्ष वहाँ पर 38 हजार 375 पशु आये थे जब कि इस वर्ष 43 हजार 134 पशु आये हैं। यह बात सही है, आप जो फर्मा रहे हैं कि अधिक मास की वजह से कुछ तिथियों की गड़बड़ी हुयी है, इसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। मैंने यह अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है। मैं यह भी मानता हूं कि माननीय सदस्य सलाहकार समिति में पधारते तो आपके तजुर्बे का लाभ मिलता और यह गड़बड़ नहीं होती जैसे कि पुष्कर के मेले के संबंध में कोई गड़बड़ी नहीं हुयी है। जहाँ तक प्रचार का सवाल है, प्रत्येक को सूचना दी गयी, आल इंडिया रेडियो से काफी प्रचार किया गया और सारे व्यापारियों को पर्सनल चिट्ठीयां लिखवायी हैं लेकिन उनका भी टर्म होता है कि इतने समय बाद जायेंगे। यह बात स्वीकार करता हूं कि बिक्री कर से आमदनी जो होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी है। उसकी वजह हमारी अव्यवस्था नहीं रही है....

श्री महाराम चौधरी : लापरवाही रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लापरवाही भी नहीं रही है। केवल अधिक मास उस समय चल रहा था उसके कारण से यह तिथियों की गड़बड़ हुयी है।

श्री सभापति : अगले वर्ष माननीय सदस्य को बुला लेना।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अगले वर्ष तो पूरे ही माननीय सदस्य को ले जाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : अगर अगले वर्ष तक आप रहे तो।

याचिका का उपस्थापन

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभा-

(श्री हीरालाल आर्य)

पति महोदय, मैं मांगरोल नगर के पास बाणगंगा नदी पर बांध का निर्माण करवाये जाने सम्बन्धित 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं हीरावाला से नायला वाया रूपवास सड़क निर्माण करवाये जाने संबंधित 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द शर्मा, सदस्य विधान सभा तीन याचिकायें उपस्थपित करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद, सदस्य विधान सभा तीन याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) सभापति महोदय, मैं-

(1) टोंक से देवली व वाछी होकर सीवाड़ जाने वाली सड़क को डामर रोड़ करवाये जाने संबंधी 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ;

(2) ग्राम वागड़ी को सड़क से जुड़वाये जाने सम्बन्धी 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ;

(3) टोंक में सरकारी स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाये जाने सम्बन्धी। (4) व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : विधायी कार्य।

नहीं, श्री गोकुलचन्द शर्मा, सदस्य विधान सभा तीन याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

श्री गोकुलचंद शर्मा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, मैं-

(1) पाली जिले में पाली तहसील के 18 गांव देसूरी तहसील पंचायत समिति रानी से हटाकर जनहित में पाली पंचायत समिति में सम्मिलित करवाये जाने संबंधित 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) पाली से सादड़ी नवनिर्मित सड़क पर बस चलाये जाने की मांग से सम्बन्धित 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित-याचिका,

(3) पाली जिले का पुलिस थाना गुडाएदला का मुख्यालय जनहित में वहां से हटाकर गुदोज करवाये जाने संबंधित 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य
वापस लिया गया विधेयक
राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी संशोधनविधेयक 1982

श्री सभापति : विधायी कार्य। वापस लिया जाने वाला विधेयक।

Page No 130

(130)

(श्री सभापति)

श्री श्रीराम गोटेवाला, प्रभारी मन्त्री राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री पशु पालन) सभापति महोदय, मैं राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेता हूं।

श्री सभापति : विधेयक वापस लिया गया।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 42–उद्योग एवं
मांग सं. 43–खनिज

श्री सभापति : निम्नांकित अनुदान की मांगें विचार एवं मतदान के लिए प्रस्तुत की जायेंगी :–

(1) मांग संख्या–42, उद्योग, मुख्य मन्त्री महोदय प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्यमन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,95,89,000/– रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री सभापति : मांग संख्या 43–खनिज प्रस्तुतकर्त्ता श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मन्त्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43–खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,55,05,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 42 पर कतौती प्रस्ताव

मांग संख्या–42 मुख्य शीर्षक–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

1. टोंक जिला मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

2. प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाए उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

3. राजस्थान में बीमार उद्योगों में फंसी हुई पूंजी तथा उद्योगों की खस्ता हालत पर चर्चा के लिये।

4. पाई राइट्स पर आधारित खाद कारखाना सलादीपुरा (सीकर) में लगाये जाने पर किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

5. औद्योगिक विकास की धीमी गति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

6. सीकर नगर के उद्योगों के विकास में आई बाधाओं को दूर करने एवं बड़े उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चंद्रवीर सिंह (जैसलमेर) :

श्री भैरूंसिंह गूजर (खारची) :

7. उद्यमियों को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधायें उद्योग लगाने हेतु उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) :

8. उद्योग विभाग द्वारा नये लोगों द्वारा उद्योग लगाने पर प्रोत्साहन नहीं देने के विषय में चर्चा के लिये

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) :

9. घाटे में चल रहे उद्योग धंधों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

10. उद्योगों को पर्याप्त सुविधा न देने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

11. बाड़मेर जिले के ग्राम शारभीगो, रतडेरी, राणासर, लुठिया में बुनकरों को अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

12. बाड़मेर जिले के अच्छे बुनकर मेघवालों के ग्राम नोपाट, खौनीपौनी, ढगारी में कताई बुनाई के केन्द्र खोलने हेतु बुनकरों को सहायता राशि देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाडा) :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण):

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) :

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

13. राज्य के औद्योगीकरण को गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

श्री अलअम खां (बाली) :

14. पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं में विशेष छूट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

15. उदयपुर ग्रामीण में छोटे उद्योग पनपाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर):

16. सांचौर के व्यक्तियों को लघु उद्योग लगाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

17. भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं का पता लगाकर उन्हें पनपाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

18. उद्योग लगाने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उक्त सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल):

19. उद्यमियों को उचित राहत प्रदान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा):

20. उदयपुर जिले में अधिक उद्योग लगवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

21- राजस्थान के उद्योग गम्भीर संकट में है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

22. राज्य सरकार छोटे, कुटीर एवं गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने में बुरी तरह असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

श्री चतरभुज चौधरी (टोडारायसिंह):

23. लघु उद्योगों को अधिक सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

24. राजस्थान ड्रग्स फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के पास जिस उद्योग में राज्य का भारी धन लगा हुआ हैं। जिसके पास भारी स्टाक औषधियों का पड़ा हुआ है, लेकिन राज्य का स्वास्थ्य विभाग इस फर्म से मेडिशन्स खरीद कर प्राइवेट कम्पनियों से हल्की क्वालिटी की औषधियां खरीद रही है, पर चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

25. खनिज पर आधारित उद्योग खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

26. कोटा नगर के जिला उद्योग केन्द्र में कई वर्षों से अनेकों महत्वपूर्ण पदों के रिक्त रहने से विभाग कार्य निपटारे में असमर्थ रहा है, पर चर्चा के लिये।

27. कोटा नगर में गत वर्षों में कोई नया उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन न देने के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

28. सलूम्बर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर बड़े उद्योग लगें, ऐसा प्रयत्न किया जाय इस पर चर्चा के लिये।

29. ग्रामीण उद्योगों का विकास करने हेतु चर्चा के लिये।

30. उदयपुर नगर के रीको के औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उसे दिये जाने वाले अंशदान पर चर्चा के लिये।

31. उदयपुर के पास सुखेर में नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास अति शीघ्र कराया जाय जिससे नये उद्योग लग सकें, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

32. छोटे व बड़े उद्योगों को आर्थिक संकट से उबारने हेतु सुविधायें दिये जाने हेतु चर्चा के लियें।

33. पत्थर उद्योग में संगमरमर की कटाई के लिए डाइमण्ड लगाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) :

34. राजस्थान लघु उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने बाबत ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

35. राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

36. राज्य सरकार राज्य के पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

37. राज्य सरकार हाथकरघा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये कोई कार्य नहीं कर सकी है, इस पर चर्चा के लिए ।

38. बड़े तालाबन्द उद्योगों के सम्बन्ध

Page No 134

(134)

(श्री बहादुरसिंह)

में सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी है, इस पर चर्चा के लिये ।

39. सरकार लघु एवं मंझोले उद्योगों के लिए सुविधा जुटाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिए ।

40. सरकार बेरोजगार नौजवानों को उद्योग लगाने हेतु कर्जे की सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही हैं, इस पर प्रोत्साहित करने के हेतु चर्चा के लिये ।

वैद्य श्री भैरूंलाल भारद्वाज(जमवा रामगढ़):

41. शहरी क्षेत्र में नवीन उद्योगों पर पाबन्दी लगाने एवं ग्रामों में लगाने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार):

42. सवाई माधोपुर नगर में चालू किये गये छपाई कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़ों की व्यवस्था करने में असफलता पर चर्चा के लिये ।

43. जिला सवाई माधोपुर में छोटे उद्योगों को पनपाने में विभाग द्वारा समय पर सहयोग नहीं देने के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) :

44. जालौर जिले में उद्योग लगाने बाबत चर्चा के लिए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम):

45. राज्य में उद्योग पनपाने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

46. लघु ग्रामीण उद्योगों के लिए 25 हजार रुपये के ऋण प्रार्थना पत्र पर फोटो लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

47. लघु इकाइयों को ग्राम पंचायत व नगर परिषद से एन. ओ. सी. प्राप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

48. वित्त विभाग द्वारा लघु इकाइयों को दिये जाने वाले ऋणों के भुगतान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने नहीं जाने के सम्बन्ध में इसको दिये जाने वाले अंशदान व अनुदान पर चर्चा के लिये।

49. मैसर्स प्लाजा इलेक्ट्रोनिक्स, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन व स्थाई पंजीयन के सम्बन्ध में रीको को दिये जाने वाले अंशदान पर चर्चा के लिए ।

50. रीको द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में लगी औद्योगिक इकाइयों को गैर-कानूनी ढंग से बेचे जाने पर इसको दिये जाने वाले अंशदान पर चर्चा के लिये ।

51. राजस्थान वित्त निगम के तकनीकी अनुभव अधिकारियों को जनरल ऋण व विधि अनुभव के अन्य कार्य में पदस्थापित करने पर इसको दिये जा रहे अनुदान पर चर्चा के लिए ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

52. राजस्थान वित्त निगम पाली शाखा ने 3 हजार रुपये की मशीनों पर 25 हजार रुपये ऋण फर्जी उद्योगों को देने के सम्बन्ध में इसको दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

53. वित्त निगम में 25 हजार के ऋण प्रार्थना पत्र लेने में हुई अनियमितता पर इसको दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिए।

54. 25 हजार के ऋण में फोटो लगाये जाने हेतु वित्त निगम द्वारा पाबन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. वित्त निगम द्वारा बकाया राशि वसूली में बेचे गये उद्योग की बकाया राशि से ज्यादा राशि प्राप्त होने के पश्चात् उद्यमियों को भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में, इसको दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

56. फागी, चाकसू को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

57. लघु उद्योगों को सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):

58. औद्योगिक क्षेत्र श्रीमाधोपुर एवं रींगस के विकास के विषय में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर):

59. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमू):

60. चौमू में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

61. मोरीजा में मिनी स्टील प्लांट लगाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू):

62. अटरू में कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. पंचायत समिति, अटरू में उद्योगों के विकसित किये जाने में विभाग की विफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. कोटा उद्योग केन्द्र पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

65. इटावा में कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा लिये।

66. इन्द्रगढ़ में उद्योग विकसित किये

(श्री हीरालाल आर्य)

जाने में विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

67. इन्द्रगढ़ में सीमेंट उद्योग लगाया जाय, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

68. पंचायत समिति, इटावा में उद्योगों के विकसित किये जाने में विभाग की विफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

69. कोटा उद्योग केन्द्र पर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय । इस हेतु चर्चा के लिये ।

70. इन्द्रगढ़ में लोहे का उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर):

71. जैसलमेर जिले में ऊन पर आधारित उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

72. जैसलमेर जिले की पशुधन संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिले में "मीट प्रोसेसिंग व केनिंग" उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

73. जिला जैसलमेर में नमक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी नमक के खनन को प्रोत्साहन नहीं दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):

74. नमक उत्पादन के क्षेत्रों के विकास के विषय में चर्चा के लिये ।

75. जयपुर में हस्तशिल्पियों को विशेष सुविधायें प्रदान करने बावत चर्चा के लिये ।

76. बेरोजगार युवकों को उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

77. भीलवाड़ा जिले में उद्योगों के लिए विभाग द्वारा स्वीकृति जारी न करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर):

78. भरतपुर जिले में पेट्रो-केमीकल्स पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जावे, इस हेतु चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

79. गंगानगर जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करके, कृषि पर आधारित उद्योगों को लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

80. राज्य का औद्योगीकरण करने में सरकार विफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम (श्री गंगानगर) :

81. गंगानगर जिले को औद्योगिक

Page No 137

(137)

(श्री राधेश्याम)

क्षेत्र में पिछड़ा जिला घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

82. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्रों के समुचित विकास के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल (मनोहर थाना)

83. उद्योग रहित क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा अधिक सुविधा सुलभ कराई जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

84. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित हो जिससे सरकार के सहयोग का लाभ गरीब आदिवासियों को मिल सके, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

85, खण्डेला में गोटा उद्योग को पनपाने में उद्योग विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिए ।

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

86. राज्य सरकार उद्योग धन्धों के विकास करने में असफल रही हैं, जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री चाव खां (कामां]

87. राज्य सरकार उद्योग धन्धे लगाने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये ।

सैयद मोहम्मदअयाज महाराज (मसूदा) :

88. पंचायत समिति, मसूदा के मुख्यालय पर औद्योगिक बस्ती बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र में श्री सीमेंट फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे जमीन अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) :

90. प्रदेश में औद्योगीकरण करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

91. स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के नामों से फर्जी उद्योग स्थापित कर इन वर्गों को प्राप्त रियायतों का नाजायज फायदा उठाने में व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिए ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

92. भीलवाड़ा तहसील में पाण्डपिया में उद्योग हेतु छोटे-छोटे टुकड़े जो कृषकों के कब्जे में हैं भूमि को सेट अपार्ट से अलग करने के विषय में चर्चा के लिये ।

93. भीलवाड़ा जिले में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूरी न करवाने पर चर्चा के लिए ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

94. बीमार इकाइयों को तत्काल पूंजी दी जाकर चालू कराई जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

95. शहर पाली के रंगाई, छपाई उद्योगों के लिये वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. पाली शहर में वर्तमान में लगे हुए रंगाई छपाई के उद्योगों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए रीको द्वारा अधिक स्थान उपलब्ध कराने एवं नये स्थानों का आरक्षण कर उनको औद्योगिक बस्ती घोषित करने में विफल रहने पर इसे दिये जाने वाले अंशदान व सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

97. ग्रामीण और लघु उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलने पर चर्चा के लिए।

98. ग्रामीण और लघु उद्योगों को समय पर ऋण नहीं मिलने पर चर्चा के लिए।

99. राजकीय उद्योगों में राज्य सरकार की उदासीनता से होने वाले घाटे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. छोटे उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण में भेदभाव पर चर्चा के लिये।

101. रीको में कार्यरत कुशल कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर इसे दिये जाने वाले अंशदान व सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

102. चांदी वर्क उद्योग को लघु उद्योगों में शामिल न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. मकराना के संगमरमर पत्थर को हैण्डी क्राफ्ट की निर्यात आइटम में शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा की अनेकों रुग्ण इकाइयों को ऋण समय पर उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिए।

105. वन विण्डो सिस्टम से सभी सुविधा मुहैया न कराये जाने से राजस्थान में उद्योग का विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

106. घरेलू उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

107. पिछड़े जिलों में लघु औद्योगिक इकाइयों को दिये जाने वाले अनुदान में बरते जाने वाले भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. राजस्थान नहर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बरती जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

109. जयपुर जिले के जमुवा रामगढ़ व पंचायत समिति, झोटवाड़ा क्षेत्र में उद्योग लगाये जाने के लिए सर्वे के अभाव पर चर्चा के लिये।

110. बाट-माप के प्रमाणीकरण उचित नियन्त्रण के अभाव पर चर्चा के लिए।

111. दस्तकारों को प्रोत्साहित करने के लिये विभाग द्वारा हस्त शिल्प प्रदर्शनी लगाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विभाग द्वारा लघु उद्योग इकाईयो के उत्पादन को उचित संरक्षण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. लघु उद्योग इकाईयों एवं हस्त शिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के किस्म सुधार के लिये तकनीकी मार्ग दर्शन के अभाव पर चर्चा के लिए।

114. खादी उद्योग की उत्पादित ऊन को राज्य में साफ किये जाने व रंगे जाने के अभाव से राज्य को होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये।

115. जयपुर स्थित रसायनिक प्रयोगशाला की नमूने लेने की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116, राज्य में लघु उद्योगपतियों, वृहत उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से प्रमाण पत्र मेन्टेने करने को बाध्य किये जाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

117. राज्य की सीमेंट फैक्ट्रियां साल के अधिकांश दिन बन्द रहने से घटते उत्पादन से राज्य के विकास में उत्पन्न बाधों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

118. खादी उद्योग के निरन्तर धाटे में चलने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिए।

119. जयपुर के हस्त शिल्पियों को उनके श्रम के अनुपात में विभाग द्वारा उचित मूल्य निर्धारण के अभाव पर चर्चा के लिये।

120, सरकार द्वारा मूर्ति उद्योग के विकास की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिए।

121. गृह उद्योग के लिये मार्केट उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

Page No 140

(१४०)

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

122. औद्योगिक इकाईयों को अनुदान/अंशदान/सहायता आदि में वर्ष 81-82 के मुकाबले वर्ष 82-83 में संशोधित अनुमान में भयंकर कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण वितरण, अनुदान एवं सहायता देने में भेदभाव पूर्ण नीति एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर इसे दिये जाने वाले अंशदान व सहायता पर चर्चा के लिए।

124. टोंक जिले में उत्पादक साधनों के लिए उद्योग लगाने वालों को अर्थ सहायता उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए ।

125. जिला उद्योग केन्द्र, टोंक में व्याप्त भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, उद्यमियों के साथ दुर्व्यवहार के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. औद्योगिक उत्पादकता में आई कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. निदेशन और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, बढ़ते खर्चों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

128. रीको द्वारा ब्याज मुक्त ऋण देने में की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर परिचर्चा के सम्बन्ध में इसे दिये जाने वाले अंशदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में लगाये गये उद्योगों को अनुदान राशि समय पर व उचित मात्रा में नहीं देने पर चर्चा के लिए।

130. विभाग द्वारा टोंक जिले में मार्जिन मनी ऋण दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

131. टोंक जिले की रुग्ण इकाईयों को मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत किया जावे ताकि इस आधार पर वित्तीय संस्थाओं से और अधिक ऋण प्राप्त किया जा सके, इन पर चर्चा के लिए।

132. विभाग उद्योगों के लिए टोंक में निवाई कस्बे में भूमि आवंटन करने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

133. जिला औद्योगिक इकाईयों को निर्माण हेतु उद्योग विभाग द्वारा सीमेंट प्राथमिकता के आधार पर न दिलाने से उद्योगों को लगाने में देरी होती है, इस पर चर्चा के लिए।

134. राजस्थान वित्त निगम के पास ऋण आवेदन पत्र वर्षों तक विचाराधीन पड़े रहने पर भी इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

135. टोंक जिले के निवाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को सब्सीडी (अनुदान) दिलवाने हेतु, चर्चा के लिए।

136. टोंक जिले में औद्योगिक इका-

(श्री महावीर प्रसाद)

इयों को समय पर अनुदान नहीं देने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. टोंक औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. राजस्थान लघु उद्योग निगम को अंशदान वर्ष 1981-82 में 14 लाख 65 हजार के मुकाबले में एक लाख पचास हजार कर देने पर, दिये जा रहे अंशदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

139, राजस्थान वित्त निगम में रुग्ण इकाईयों के पुनरुजीवन के मामलों में भ्रष्टाचार है। इसको दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

140. औद्योगिक इकाईयों को ऋण वितरण में राजस्थान वित्त निगम व रीको में सामंजस्य न होने से इनको दी जाने वाली सहायता व अंशदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

141. ग्रामीण औद्योगीकरण में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

142. समाज के शोषित वर्ग हेतु दी जाने वाली छूट का लाभ गरीबों को न मिलकर विशिष्ट व्यक्तियों को ही दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

143. वित्त निगम द्वारा लघु इकाइयों को दिये जाने वाले ऋणों के भुगतान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की इकाईयों का मूल्यांकन करने नहीं जाने पर इसको दिये जाने वाले अंशदान पर चर्चा के लिए।

144. सरकार बेरोजगार नवयुवकों को उद्योग लगाने हेतु, कर्जे की सुविधा उपलब्ध करवाने में असफल रही हैं, इस पर चर्चा के लिए।

145. लघु उद्योग इकाईयों द्वारा जनरेटिंग सेट खरीदने हेतु दिये जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ाये जाने हेतु, चर्चा के लिए।

146. रीको द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए टोंक जिले में कोई अभियान न चलाने के कारण इसे दिये जाने वाले अंशदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

147. राज्य सरकार छोटे, कुटीर एवं गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय--

श्री महावीर प्रसाद (टोंक):

1. टोंक जिले में भू-सम्पदा का व्यापक दोहन करने हेतु व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. टोंक जिले में भू-सम्पदा का अनियमित आवंटन से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण) :

3–विभाग द्वारा प्रदेश के भूगर्भ स्थित खजानों का व्यापक सर्वे नहीं किये जाने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

4–राज्य में खनिज दोहन तथा संरक्षण एवं खनिजों की चोरी को रोके जाने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) :

श्री भैरोंसिह गुर्जर (खारची) :

5–पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण एवं खनन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालारापाटन) :

6–खनिज संपदा राजस्थान में अपार होते हुए भी उसका दोहन नहीं किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

7–राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से धनी है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाये, इस चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

8–बिजोलिया पत्थर खनन कार्यों में विभागीय-अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

9–जैसलमेर जिले में खुईयाजा, सोनू, डाबर व कुछड़ी ग्रामों से चूने के पत्थर की खान का विकास हेतु, चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) :

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

10–अप्रधान चूने के खनिज के लीज देने में हो रही अनियमितता तथा सरकारी कोष को रहे घाटे पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामिण)

11–खनन और धातु कार्मिक उद्योग के लिये कमजोर लोगों को खनन पट्टे देने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

12–साँचोर में अगडावा, सेवाडा, हेमगुडा में सफेद पत्थर की खानें है जिसमें लिग्नाईट की पूर्ण संभावनाऐं है जिसकी पूरी सर्वे कराई जाय, इस पर चर्चा के लिये।

Page No 143

143

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

13–प्रदेश में खनिज के विपुल भण्डार होते हुये भी दोहन नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम):

14–खनिज संपदा के समुचित दोहन के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल):

15–अभ्रक ट्रेडिंग निगम की अकर्मण्यता से इस खनिज के उत्खनन में हानि होने पर चर्चा के लिये ।

श्री पोरूराम (टी. बी.) :

16-टीबी क्षेत्र जिला श्री गंगानगर में कई जगह पानी से सीम आ गयी है उसके लिए जिप्सम पर काश्तगारों को सब-सीडी दिलवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराडा) :

17–उदयपुर जिले में आदिवासियों को खनिज के पट्टे अधिक दिलवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

18–खनिज सम्पदा के अधिक उत्पादन करने हेतु माइन्स मशीनरी सप्लाई हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम जैन (बेंगू) :

19–तहसील बेंगू में लाइन स्टोन वेतहरीन डोलोमाइट, चाँदी व तांबे की खानों की सर्वे कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

20–टोंक, जालौर व बाडमेर जिले का खनिज सम्पदा के लिए सर्वे करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

21–कोटा, बूंदी क्षेत्र में खनिज पट्टे बड़े लोगों को बड़े भारी क्षेत्रों में दिए हुए हैं, उन्हें छोटे-छोटे क्षेत्रों में वितरित करने बावत चर्चा के लिये ।

22–खनिज विभाग द्वारा दिए जा रहे पट्टों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

23–कोटा जिले में विभाग खनिज दोहन करने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

24–खनिज क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण न करने बावत चर्चा के लिये ।

25–कोटा जिले के दीगोद तहसील के निमोदा ग्राम में सीमेंट का पत्थर प्राप्त होने के कारण सीमेन्ट का कारखाना लगाने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री मानसिंह (सलूम्बर) :

26–आदिवासियों को खनिज पट्टे देने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

27-झामर कोटडा में विभाग के पास करोड़ो रुपये की मशीने होते हुए भी उनका उपयोग न कर प्राइवेट पार्टी को खनन कार्य दे रखा है, इस पर चर्चा के लिये ।

28-विभाग के पास पर्याप्त जो भू-गर्भ शास्त्री उपलब्ध है, उनसे फील्ड वर्कनहीं लेने पर चर्चा के लिये ।

29-अवैद्य खनन करने वालों को विभाग रियायत दे रहा है और अवैद्य खनन वाले क्षेत्र को रेगूलाइज किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

30-मारबल के खनन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर निर्णय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

31-सुपर जिंक स्मेल्टर उदयपुर के पास लगे सोल्टर के पास ही लगाया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

32-झामर कोटडा में दो करोड़ के बनी फिशरी प्लांट के आधार पर लगने वाले वड़े प्लान्ट पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

33-खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) :

34-खनिज सम्पदाओं की लीज प्रणाली को सरल बनाने की बाबत चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

35-राज्य सरकार प्रदेश में खनिज सम्पदा के दोहन के लिये कोई कारगर वैज्ञानिक उपाय करने में असक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

36-सरकार खनिज से प्राप्त कच्चे माल के समुचित उपयोग के साधन बनाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) :

37-खनिज सम्पदाओं का पता लगाने के लिये सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

श्री कुन्जीलाल (वामनवास) :

38-खनिज विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में क्रेषर की मशीन लगाने की गलत तरीकों से इजाजत दी गयी है उस संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

श्री कुन्जीलाल (वामनवास) :

39-तहसील वोली में लोहा की खान

(श्री हंसराज शर्मा)

को एक आदमी ने कब्जा कर बन्द कर दी है, उसको चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

40–रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्रेनाईट हेतु सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41–जालोर जिले का सर्वे करवा कर खनिज भंडारों का पता लगाने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत (भींम) :

42–खानों के पट्टे देने में हुये भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

43–खनिज आवंटन में पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता देने हेतु, चर्चा के लिये।

44–बिजौलियां जिला भीलवाड़ा में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा अवैद्य खोदी गई खनिज का नियन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बेरवा (फागी) :

45–अनुसूचित जातियों को खानों के पट्टे देने में वंचित रखा गया है, इसके बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

46–कोटा जिले के सुकेत से झालावाड़ के मध्य चल रही बिना स्वीकृति की खानों में अधिकारियों की मिली भगत से रॉयल्टी की चोरी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

47–कोटा के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48–रामगंज मण्डी में अनियमित एवं गहरी खदानों एवं उनके बिखरे हुए मलबों से पीड़ित ग्रामीण जन-जीवन पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

49–खनिजों के दोहन की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) :

50–सामोद (जयपुर) के सिलिका आधारित उद्योग स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

51–इन्द्रगढ़ में सीमेंट पत्थर का व्यापक भंडार है उसका पुनः सर्वेक्षण कराकर वहां पर सीमेंट फेक्ट्री कायम कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

52–इन्द्रगढ़ की पहाड़ियों में लोहे के व्यापक भंडार है उनका पुनः सर्वेक्षण कराकर उस पर आधारित उद्योग लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

Page No 146

(146)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) :

53-जैसलमेर जिले में उपलब्ध खनिज सम्पदा के खनन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

57-सीकर जिले में जो खनिज उपलब्ध है उसका उपयोग किये जाने हेतु सर्वेक्षण कराया जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

55-भीलवाड़ा जिले व चित्तौड़गढ़ जिले के इमारती पत्थर की खानों के अतिक्रमणों को नियमित करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

56-श्री द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली के निजी निर्झरने नामक बाड़े में जो खानें मारबल की 100 × 100 की प्राप्त हुई है उनके पट्टे मंदिर मैनेजमेंट कमेटी को न देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

57-रामगंज मंडी तहसील की ईस्ट और वेस्ट खनिज सोसायईटी द्वारा खदानों में बरती जा रही भारी गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

58-राजस्थान में खनिज सम्पदा का उचित दोहन किये जाने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

59-प्रदेश के खनिज भण्डारों का पूरी तरह दोहन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहर थाना) :

60-झालावाड़ जिले के वन क्षेत्र स्थित खनिज सम्पदा के विकास हेतु वहां की भूमि को वन विभाग से खान विभाग में हस्तान्तरण करने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)।

61-खनन द्वारा मिलने वाले माल को निकालने हेतु आदिवासियों को अनुदानी कर्जा दिया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

62-सीकर जिले में सलादीपुरा माइनिंग प्रोजेक्ट के दोहन की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63-सीकर जिले में खण्डेला के पास मालगाड़ी की खानों को स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) :

64-निर्वाचन क्षेत्र, लसाड़िया में भुगाभट देवला खनिज पर मजदूरों को समय पर पेमेंट नहीं किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

65–उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में छोटी गट्टी निकाल के पट्टे ट्राइबल के सदस्यों को दिये जाने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

66–राज्य सरकार खनिज विभाग की अनियमितता रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री चावखां (कामां) :

67–राज्य सरकार खनिज विभाग में अनियमितता रोकने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा) :

68–खनिज सम्पदा से पूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मसूदा का विभाग द्वारा सर्वे नहीं कराये जाने से व्याप्त आक्रोष पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) :

69–कांकरोली क्षेत्र में पाई गई संगमरमर की खानों को लीज पर दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

70–अपरमाला (भीलवाड़ा जिला) क्षेत्र में वन विभाग की भूमि नला की माताजी, नया नगर, बेरो साल आदि क्षेत्रो में अतिक्रमण कर खनन कार्य करने के विषय में चर्चा के लिये ।

71–बिजोलिया अपरमाल क्षेत्र में आदिवासी समिति के नाम पर बड़े व्यक्तियों को पट्टी-पत्थर खानों के भू-खण्ड बिना गजट में साया करें लीज आवंटित करने के विषय में चर्चा के लिये ।

72–भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले में इमारती पत्थर की बेनामी खानों के आवंटन के विषय में चर्चा के लिये ।

73–भीलवाड़ा जिले में अभ्रक की खानों में किये गये अतिक्रमण को बिना गजट में साया के नियमित करने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

74–खनिज विभाग की बाकियात के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) :

75. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वेस्ट केमिकल लाइम स्टोन प्रा. लि. बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्णय में उठाये मुद्दे पर अग्रिम कार्यवाही की जाने पर चर्चा के लिये ।

76. कल्याणपुरा क्षेत्र में मार्बल का खनिज पट्टा देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

Page No 148

(148)

(श्री हीरालाल आर्य)

77. पिचानी क्षेत्र में मार्बल का खनिज पट्टा देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

78. खनिज क्षेत्र में एकाधिकार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. अजीतपुरा में डोलोमाइट के खनन पट्टे के नवीनीकरण व प्रधान खनिज का पट्टा स्वीकृत करने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

80. भैंसलाना क्षेत्र में मार्बल का खनिज पट्टा देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

81. राज्य में एमरेल्ड की खानों से होने वाले उत्पादन पर पूरी चाकसी नहीं रखने से रॉयल्टी में होने वाले घाटे पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

82. बिजोलिया क्षेत्र में अवैध खनन को नियमित करने में राज्य कोष को डेढ़ करोड़ रुपयों का घाटा हुआ, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. विभागीय बकाया होने के बावजूद पट्टा नवीनीकरण करने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्री बालचंद्र आर्य (डग) :

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

84. खान एवं भू-गर्भ विभाग द्वारा चलाई जा रही कर्मशाला में होने वाले घाटे पर चर्चा के लिये।

85. खान एवं भू-गर्भ विभाग के स्वामित्व के ब्रिजों का ठेका देने एवं रख-रखाव में की जा रही गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।

86. खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी पूरी वसूल नहीं की जाने पर चर्चा के लिये।

87. खनिज विभाग का प्रशासकीय ढांचा ठीक नहीं होने पर चर्चा के लिये।

88. राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहने पर भी दिये जाने वाले अंशदान पर सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

89. आर. एस. एम. एम. लि., उदयपुर में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता से कम उत्पादन एवं आय में हुई कमी पर, इसे दिये जाने वाले अंशदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

90. खानों के पट्टे देने में की जाने वाली देरी एवं ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

श्री बालचंद्र आर्य (डग) :

(श्री अनंग कुमार जैन)

91. कोटपुतली एवं माउण्डा क्षेत्रों में लाइम स्टोन एवं मार्बल के खनिज पट्टे देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

92. बजाजनगर, उदयपुर, निम्बाहेड़ा एवं चित्तौड़गढ़ की सीमेंट फेक्ट्रियों द्वारा वे-ब्रिज लगाने की, पट्टा देने की शर्त का उल्लंघन कर उनके द्वारा खनन किये जा रहे खनिज पर पूरी रॉयल्टी नहीं चुकाने पर चर्चा के लिये।

93. उदयपुर में सीमेंट के उत्पादन कर्ताओं से क्ले मिट्टी पर रॉयल्टी वसूल करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

94. कांकरोली में स्थापित उद्योगों द्वारा उनके विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग में ली गई इमारती खनिजों पर रॉयल्टी नहीं चुकाने पर चर्चा के लिये।

95. सीमेंट कम्पनियों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग में लिये जाने वाले इमारती खनिजों पर रॉयल्टी नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

96. उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा के पलुना ग्राम में आदिवासी के नाम पर इन्जीनियर द्वारा खनन कार्य, तथा कर्ज लिया गया, इस पर चर्चा के लिये।

97. माईनिंग विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

98. खनन पट्टी देने में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उपेक्षित रखा गया है, पर चर्चा के लिये।

99. नाजायज खनन से राज्य सरकार को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

100. भीलवाड़ा जिले में ऊपरमाल, चन्दापुर, खैरवाड़ा व गुल आदि क्षेत्र में पत्थरों के अवैध खनन कार्य होने के विषय में चर्चा के लिये।

101. भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र में सन् 82–83 में मारे गये अवैध खनन कार्य के छापों में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के विषय में चर्चा के लिये।

102. सन् 1981–82 व 1982–83 में भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र में अवैध खनन व अतिक्रमण को सीमा से अधिक नियमन करने के विषय में चर्चा के लिये।

103. निदेशक, खान विभाग, उदयपुर द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सम्बन्धित कर्मचारियों का फिक्सेशन न करने व वेतन न देने के विषय में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

104. राज्य में खनिज सम्पदा के उचित दोहन के अभाव में राज्य को होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये।

105. राज्य में खनिज के अनधिकृत परिवहन एवं निर्गम के मामलों में दोषी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्यक्तियों को उचित सजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. विदेशों को ग्रेनाइट के निर्यात की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. राज्य के खनिज क्षेत्रों में आवागमन के लिये सम्पर्क सड़कों की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

108. बिजौलिया क्षेत्र में पट्टे दिये जाने में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

109. राक फास्फेट के शोधन के लिये उचित प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110, तहसील जमवारामगढ़ की राहोरी की कली के जयपुर शहर में विक्रय की व्यवस्था न करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. मकराना में खनिज कार्यों हेतु क्रेन उपलब्ध कराने में बरते जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. जयपुर के घाट की पहाड़ियों मे खान पट्टे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

113. झामर कोटड़ा राक फास्फेट योजना के विकास के लिये किये जा रहे अन्वेषण कार्यों में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

114. खान सुधार योजना के माध्यम से विभाग के उपकरणों को पट्टाधारियों को उपलब्ध कराये जाने में भेदभाव पर चर्चा के लिये।

115. राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट एवं मार्बल लि0, जोधपुर (सहायक ईकाई) का जालौर में उच्च उद्योग न होने के कारण अनावश्यक परिवहन व्यय होने से राज. राज्य खनिज विकास निगम को दिये जाने वाले अंशदान एवं सहाय्य के औचित्य पर चर्चा के लिये।

116. रॉक फासफेट की खानों से ओवर वर्डन हटाने के नाम पर प्राइवेट फर्म को ठेका देने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) :

117. खनिज क्षेत्रों के प्राथमिक सर्वेक्षण में किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

118. गोटन स्थित लाइम स्टोन की खदानों एवं रिक्त पड़े क्षेत्र के खनन पट्टे नहीं देने पर चर्चा के लिये।

119, खनन पट्टे स्वीकृति के समय प्राथमिकता के लिए लगायी गई विशेष शर्त का पट्टा प्राप्त करने वालों द्वारा बाद में पालना नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

120. राजसमन्द क्षेत्र में डेलिनियेशन हेतु सुरक्षित क्षेत्र में आवेदन पत्रों के खारिज हो जाने पर उन्हें अपीलों में स्वीकार कर जारी पट्टों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।

121. धलीपुर क्षेत्र में पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद कुछ स्टोन कम्पनियों द्वारा माइंस सबलेट करने पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

122. चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट कम्पनियों द्वारा उनको आवंटित लाईम स्टोन की खदानों से अधिक क्षेत्र पर खनन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. पिण्डवाड़ा सिरोही में स्थित वुलो स्टोनाइट की खानों से कम रॉयल्टी लिये जाने व बकाया रॉयल्टी वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

124. खान सुधार योजना में घाटा जाने के बावजूद उसे चलाये रखने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. खैरवाड़ा जिला उदयपुर में स्वीकृत सरपेण्टाइन की खानों के पट्टाधारियों से बकाया राशि वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

126. आर. एस. एम. एम. लि० उदयपुर में प्रशिक्षित तकनिकी व्यक्तियों के होते हुए भी डम्पर्स व शोवेल की मरम्मत प्राइवेट पार्टी से कराने में होने वाले अपव्यय के संदर्भ में दिये गये अंशदान एवं सहायय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. ग्राम अहीरों की खेड़ी तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में लाईम स्टोन खनिज की खान को पट्टे पर देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

128. आर. एस. एम. एम. लि, उदयपुर में उत्पादन गिरने से राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान व सहायय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. खनन पट्टों के प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने में होने वाली ढिलाई पर चर्चा के लिये।

130. फोरमेनों एवं सर्वेयरों द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्रों का डिमार्केशन करने में की जाने वाली गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

131. नियमों के विपरीत खनन पट्टों का नवीनीकरण किये जाने पर चर्चा के लिये।

132. खान (ग्रुप–2) विभाग की सीकर, झुन्झुनू, जयपुर में चूने पत्थर की खाने देने के लिये जारी की गई अधिसूचना वापस लेने पर इसके औचित्य पर चर्चा के लिये।

Page No 152

(152)

(श्री कैलाश मेघवाल) :

133. राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा प्राइवेट खनन पट्टाधारियों के कार्यों में बाधा उपस्थित करने से वहां खनन कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

134. भैसलाना क्षेत्र में मार्बल का खनन पट्टा देने में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल–जयपुर) :

135. ग्राम दिलपुरा तहसील नीम का थाना में लाइम स्टोन/मार्बल का खनन पट्टा अनियमित एवं अवैध रूप से देने पर चर्चा के लिये ।

136. कूकड़ा क्षेत्र की खानों के चतुर्थ नवीनीकरण में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

137. अजीतपुरा में लाइम–स्टोन मार्बल के स्वीकृत क्षेत्र में डोलोमाइट की खान के नवीनीकरण कर, उस क्षेत्र में लाइम–स्टोन/मार्बल के खनन की स्वीकृति देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

138. खनन क्षेत्रों को खोजकर उनको पट्टे पर देकर रॉयल्टी की आय व रोजगार में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) :

139. बिजौलिया एवं अन्य स्थानों पर लाटरी प्रणाली से खाने देने में दस प्रतिशत खाने शासन द्वारा अलग से एलाट करने हेतु सुरक्षित रखने पर चर्चा के लिये ।

140. ब्यावर क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिये आवंटित खनन क्षेत्र का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये करने पर चर्चा के लिये ।

141. वोलस्टोनाइट व कैलसाइट की खानों के राष्ट्रीयकरण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

142. खानों में वैज्ञानिक व सही ढंग से खनन नहीं होने से उत्पन्न असुरक्षा पर चर्चा के लिये ।

143. राजसमंद क्षेत्र में मार्बल की खानों को डेलिनियेशन से एलाट करने में किये जा रहे विलम्ब एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक):

144. टोंक जिले में बजरी के ठेकों में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार पर परिचर्चा हेतु चर्चा के लिये ।

145. टोंक जिले में उपलब्ध गारनेट व पन्ने की खानों का सर्वेक्षण कराकर दोहन करने हेतु चर्चा के लिये ।

146. विभाग द्वारा टोंक जिले में उपलब्ध इमारती पत्थर व अन्य खानों के पट्टे देने में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

147. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से अवैध खनन करने वालों द्वारा रॉयल्टी की चोरी पर चर्चा के लिये ।

(श्री महावीर प्रसाद)

148. राज्य में अनधिकृत खनिज दोहन किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल मोदी

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, उद्योग व खनिज विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही हैं। मैं इस पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकासशील देश के अन्दर खनिज सम्पदा का महत्व हो जाता है। राजस्थान में खनिज सम्पदा का अतुल भण्डार है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। किन्तु हम समुचित रूप से इनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

राजस्थान में नोन टेक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा साधन यह है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम खनिज का उत्पादन बढ़ायें। खनिज का उत्पादन बढ़ाने में सबसे पहले एक प्रश्न आता है, लीज देने का। खनिज विभाग में दो सेक्शन हैं–एक माइनर मिनरल्स का है और एक मेजर मिनरल का। दोनों में से जो माइनर मिनरल होता है उसकी लीज तो स्टेट गवर्नमेंट सेंक्शन करती है। जो मेजर मिनरल्स होते हैं वे सेन्टर गवर्नमेंट के रूल्स से गवर्न होते हैं। जो बजट पेश हुआ था पिछली बार उस पर वाद-विवाद के समय मैंने निवेदन किया था कि लीज देने के लिए जो समय निर्धारित है उस समय में लीज नही दी जा रही हैं। लेकिन आज इसमें सुधार हुआ है और समय की पाबंदी राज्य सरकार ने की है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूँ पहले

(3.41 म.प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह, सभापति, पदासीन)

माइन आनर्स को बहुत बड़ी असुविधा होती थी। समय पर लीज नहीं मिलने से उनको सेन्टर में जाकर अपील करनी पड़ती थी। आज मैं समझता हूं माइन आनर्स को बहुत राहत मिली है। साथ में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आज सबसे बड़ी रुकावट लीज देने में आ रही है, भारत सरकार का जो नियम कानून है, जिसमें उन्होंने रुकावट खड़ी कर दी है फारेस्ट एरिया में लीज देने में। सभापति महोदय, सारे खनिज पदार्थ अधिकतर पहाड़ी एरिया में होते हैं। जितना पहाड़ी एरिया हैं वह सारा फारेस्ट के अधीन है। जब फारेस्ट में लीज नहीं दी जायगी और आप नयी लीज नहीं दे पायेंगे तो खनिज उत्पादन आप किस प्रकार बढ़ा सकेंगे ? मैंने पिछले बजट सत्र में यह निवेदन किया था राज्य सरकार से कि भारत सरकार से विचार विमर्श करके इस संबंध में जो दिक्कते हैं उनको दूर करे। फारेस्ट एरिया में यदि लीज दी जाती है 300 एकड़ में वर्क होता है सिर्फ दो चार एकड़ के अन्दर। दो चार एकड़ के एरिया में फारेस्ट में वर्क करने की परमिशन देकर खनिजों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या किया है, मंत्री

Page No 154

(154)

(श्री मोहनलाल मोदी)

महोदय अपने जवाब में इस बात को स्पष्ट करे ? इस मामले में उन्होंने अब तक क्या किया है। पिछले सत्र में मैंने निवेदन किया था कि नीम का थाना एक करोड रुपये की आय माइन्स विभाग को देता है। माइन्स विभाग उसका एक प्रतिशत हिस्सा भी उस पर खर्च नहीं करता है। सड़क का इस वर्ष का बजट देखा, उसमें भी सीकर जिले को इगनोर कर दिया है और सीकर जिले में एक सड़क का भी प्रावधान नहीं रखा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जो क्षेत्र आपको एक करोड़ रुपये की आय देता है, उसमें आप किसी प्रकार की सुविधा जिससे प्रोडक्शन बढ़े, किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका उत्पादन किस प्रकार बढ़ेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप संशोधन करके सीकर जिले में सड़कों का प्रावधान रखें। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

वह तो आपसे मश्विरा करने की बात है।

आपने माइन्स के विकास के लिए माइन्स ग्रानर्स को ढाई लाख रुपया लोन देने का प्रावधान रखा है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि माइन्स के विकास के लिए सारे राजस्थान में ढाई लाख रुपये का प्रावधान क्या समझ कर रखा गया है। मैं, तो यह निवेदन करना चाहूंगा ऊंट के मुंह में जीरा जिस प्रकार होता है उस तरह से ढाई लाख रुपये की राशि रखी गई है। इस पर पूरी तरह से ध्यान दे कि माइन्स का विकास किस प्रकार हो सकता है।

माइन्स के लिए सड़कों पर आप व्यय नहीं कर रहे हैं। बिजली में किसी प्रकार की कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आखिर उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा। राजस्थान के माइन ग्रानर्स को उनकी माइन्स पर विद्युत कनेक्शन के लिए प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी आपको उन लोगों को देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी बेसिस पर उनको बिजली कनेक्शन दिये जाय। ऋण की सुविधा की बात आयी, उसके लिए आपने ढाई लाख रुपये का प्रावधान किया।

मैं माइन्स मशीनरी के लिये आपसे निवेदन करूं, माइन्स का उत्पादन बढ़ाने के लिये मशीनरी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज आपने यह तय किया है, हम छोटे-छोटे टुकड़ों में लीज देंगे तो छोटे-छोटे माइन्स ग्रानर्स को आपको सुविधा देनी चाहिये और देनी पड़ेगी। यदि उत्पादन बढ़ाना है, तो आपको यह सुविधाएं देनी पड़ेगी। यह सुविधाएं नहीं देंगे तो आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूं नीम का थाना के ए. एम. ई. आफिस में किसी प्रकार की कोई माइन्स मशीनरी नहीं है, जो माइन्स ग्रानर्स को दे सकें। आज हमारे कई माननीय सदस्य माइन्स को यह समझते हैं कि माइन्स मिलने के बाद पता नहीं, माइन ओनर को कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, माइन्स का काम बड़ा कठिन काम है ...

एक माननीय सदस्य : पसीना आता है,

श्री मोहनलाल मोदी : माइन्स के काम के अन्दर पसीना ही नहीं आता है, खून और पसीना एक हो जाता है, माइन्स का काम करने वाले लेबर का और माइन्स आनर का साधन जुटाने पड़ते हैं, माइन्स को खोदने के लिये मशीन का प्रबंध करना पड़ता है। माइन्स मशीनरी चाहिये, ड्रिलिंग मशीन चाहिये। इन सारी की सारी सुविधाओं के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उत्पादन बढ़ाने के लिये मशीनों की पूरी तरह से माइन्स आनर्स को सुविधा देने के लिये ए. एम. ई. आफिस पर इनका प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरी बाते मैं निवेदन करना चाह रहा हूं खण्डेला के सलेदीपुरा के अन्दर आपको मैं थोड़ी जानकारी के लिये दे दूं कि खण्डेला में पाइराइट्स के अतुल भण्डार हैं। सभापति महोदय, तीन करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है वहां पर मैं, डाक्टर हरिसिंह, हमारे दो तीन साथी और राज्य मंत्री श्रीरामजी गोटेवाला कल वहां गये थे। वहां हमने जाकर देखा, इतने वेल आर्गनाइज्ड हिसाब से उन्होंने उन माइन्स को बनाया है। कि 69 से उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग शुरू किया, आज 14 साल हो गये, लेकिन स्थिति यह है कि किसी प्रकार की राज्य सरकार ने कोशिश करके कारखाने की व्यवस्था नहीं करायी है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पांच ब्लाक्स के अन्दर वहां पर पाइराइट्स के भंडार हैं। उन्होंने एक ब्लाक को पूरी तरह प्रोस्पेटिंग करके माइन्स के योग्य बनाया है। उनकी क्षमता यह है कि एक ब्लाक के अंदर साढ़े आठ सौ टन प्रतिदिन के हिसाब से खनिज का उत्पादन करे तो 70 साल के लिये एक ब्लाक काफी है, यानि उन्होंने अब तक जो प्रोस्पेक्टिंग किया है उसके आधार पर 70 साल तक वह खनिज समाप्त नहीं होगा यदि साढ़े आठ सौ टन प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन करें। यह एक ब्लाक का हिसाब है। टोटल उन्होंने रिजर्व्स 122 मिलियन टन बताये हैं। 102 करोड़ रुपये की लागत एक कारखाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में भारत सरकार से बातचीत करके इस कारखाने की स्वीकृति दिलायें तो वहां पर कम से कम दस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें से एक हजार से डेढ़ हजार फिक्स लेबर होगी, जिसको रोजगार मिलेगा बाकी दूसरे साधन से दस हजार लोगों को काम मिलेगा। ऐसी मेरी मान्यता है, उस इलाके के लोगों को राहत देने का यह सबसे बड़ा कार्य है। इंजिनियरिंग कोलोबोरेशन के मार्फत पहले उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट ली है, इसकी फीजेबिलिटी रिपोर्ट ली है। अब इंडिया इंजिनियर्स से इसके बारे में पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई है, इसके अन्दर तीन तरह के कंटेन्ट हैं सल्फर की ए बी और सी क्वालिटी है, ए में 40 प्रतिशत, बी में 20 प्रतिशत है तीसरे में 20 प्रतिशत से कुछ कम आता है, टोटल इनका एवरेज 27 प्रतिशत आता है और यह इकानामिक है। आज जो हम बाहर से मंगवाते हैं हमारे देश में, 1300/- रुपये पर टन की रेट से बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं जब कि हमारे यहां का फैक्ट्री से उत्पादन 500 रुपये टन होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, बहुत विशेष तौर से ध्यान देकर के इस कार्य को करेंगे

Page No 156

(156)

(श्री मोहन लाल मोदी)

तो सीकर जिले के लोगों के लिये रोजगार का उन्नति का साधन होगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था माइन्स के बारे में, थोड़ी दिक्कत मैंने बतायी थी लीज के रजिस्ट्रेशन में, तहसीलदार डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करता था। लेकिन आपने कुछ अर्से पहले ऐसे आदेश जारी कर दिये राज्य सरकार से जिसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी ए.डी.एम. के यहां पर पेपर जाते हैं, उसमें कम से कम चार छःमाह का समय लग जाता है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये स्टाम्प का वेरिफिकेशन आप तहसीलदार द्वारा कराकर उसका रजिस्ट्रेशन करायें, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

बिजली की सुविधा की दृष्टि से आपको इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि हम किस तरह से इन माइन्स पर बिजली पहुंचायें सड़कों की व्यवस्था करें माइन्स उत्पादन पर अधिक से अधिक हम ध्यान दे। मैं थोड़े पिछले आकड़े मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा। 3 सालों के आंकड़े आप देख लीजिए तो मालूम होगा, हमने बहुत ज्यादा कोई बढ़ौतरी नहीं की है अधिक उत्पादन नहीं किया है। इस वर्ष तो फिर भी कुछ उत्पादन में बढ़ौतरी हुई है लेकिन पहले के वर्षों की तुलना में कॉपर ओर में तो बहुत ही कमी आई है। इस वर्ष हमारा उत्पादन घटा है। 1979 में कॉपर ओर का हमने 11,24,400 टन का उत्पादन किया, 80 में हमने 8,39,309 टन का प्रोडक्शन किया और अब हमने 6,21,535 टन का प्रोडक्शन किया। हमारी स्थिति इस तरह की है। इसका प्रोडक्शन बढ़ाये। राजस्थान की उन्नति का सबसे बड़ा कोई तरीका है तो वह खनिज उत्पादन का है, खनिज उत्पादन को बढ़ाने का है। कई ऐसे आइटम भी हैं जिनका कुछ बड़ा भी है। आपका जिप्सम का उत्पादन बढा है। राजस्थान माइका का बहुत बड़ा केन्द्र है, बहुत बड़े भण्डार हैं, माइका के, उनको देखते हुए माइका का उत्पादन "जीरो" रहा है। 1979 में 800 टन था, 1980 में नौ सो टन रहा और अब 1050 टन है। मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, भीलवाड़ा के अन्दर माइका के बड़े भण्डार हैं, इसके उत्पादन पर आप अधिक से अधिक ध्यान देंगे। मैं बहुत अधिक नहीं कह करके मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े इस दृष्टि से माइन ओनर को सुविधा देकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री सभापति : सदन के नेता मुख्य मंत्री जी आज चंबल पर वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ जल वितरण एवं विद्युत के संबंध में वार्ता

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : सभापति महोदय, परसों मेरे और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के बीच में गांधी सागर से छोड़े जाने वाले पानी के सम्बन्ध में जो बातचीत हुई, उसके सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। सभापति महोदय, चम्बल योजना से पानी छोड़ने और मध्य प्रदेश में फसलों को

(श्री शिव चरण माथुर)

आवश्यक पानी देने के सम्बन्ध में विचार के लिये मध्य-प्रदेश के मुख्य मन्त्री एवं सिंचाई मन्त्री 14 मार्च को जयपुर आये थे। इस सम्बन्ध में उनसे वार्ता हुई, तो अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर भी मैंने व सिंचाई मन्त्री जी तथा सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री जी ने उनसे चर्चा की।

चूंकि सदन कई बार अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुका है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांधो के कैचमेन्ट एरिया में मध्य-प्रदेश द्वारा बांध बनाए जाने का मसला मैंने सबसे पहले उठाया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य-प्रदेश ने जो कुछ भी किया है और जो कुछ वह करने जा रही है उसके फलस्वरूप स्थिति यह आ सकती है कि गांधी सागर एवं प्रताप सागर सदैव ही खाली रहे और इसके फलस्वरूप राजस्थान ही नहीं अपितु मध्य-प्रदेश को भी अपरिमित हानि होगी। राजस्थान के अधिकारियों ने गांधी सागर कैचमेन्ट एरिया में सात में से पांच जिलों की सूचना एकत्रित की हैं और इस सूचना के आधार पर इन जिलों में ही 0.114 एम. ए. एफ. पानी अवरोधित कर लिया गया।

(3.54 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

है और अन्य कार्य जो वहां चल रहे हैं जिनसे कि 0.185 एम.ए.एफ. पानी और रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सर्वेक्षित कार्य जो इन जिलों में हैं उनसे 0.349 एम.ए.एफ. पानी और रुक सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य-प्रदेश के मास्टर प्लान के अनुसार 1.25 एम. ए. एफ. पानी अवरुद्ध करने की नियोजित योजना का यह एक भाग है यदि ऐसा होता है तो मध्य-प्रदेश द्वारा 1.66 एम. ए. एफ. पानी के वार्षिक उपयोग का जो उनका अधिकार हैं उसकी तुलना में एक बहुत बड़े अनुपात में पानी अवरुद्ध कर लिया जाएगा।

सिंचाई मंत्री, मध्य प्रदेश का कहना था, कि वे बांध और तालाब छोटे छोटे हैं और सिल्ट को रोकने के लिए हैं। लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि इन बांधों से 1,44,130 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने का उनकी सरकार के अनुसार ही प्रस्ताव है और स्पष्टतः सिल्ट को रोकने के लिए बनाए गए बान्ध नहीं हैं तो मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश ने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में वे स्थिति का जायजा फिर लेंगे। हमारे द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें कहा गया है कि यह मसला अत्यन्त गम्भीर है और राजस्थान इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।

मुख्य मन्त्री, मध्य-प्रदेश का कहना था कि रबी की फसलें जो नहरों के अन्तिम चरण में हैं, सूख रही हैं और उनमें पलेवा के अतिरिक्त पानी नहीं मिला है। उन्हें 10 दिन तक और 3000 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनको पानी 21 फरवरी से 26 फरवरी तक और अब 11 मार्च से पानी बिल्कुल बन्द कर दिया है और स्टेन्डिंग कमेटी नम्बर 2 के निर्णयों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है!

(श्री शिव चरण माथुर)

मध्य-प्रदेश का तर्क था कि चूंकि उन्होंने खरीफ के समय पूरा पानी नहीं लिया और वे चाहते थे कि उनके खरीफ के हिस्से का पानी रबी में मिले। हमने स्पष्ट कहा कि खरीफ का पानी रोक कर रबी में पानी लेने की मांग अव्यावहारिक है जिसे राजस्थान स्वीकार नहीं कर सकता। अब दोनों बांधों में मात्र 0.36 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध है और यदि 1000 क्यूसेक्स प्रति दिन के स्पिनिंग रिजर्व और वाष्पीकरण से उड़ते पानी को हिसाब में लिया जाता है तो 1-7-1983 को राणाप्रताप सागर का लेवल 1,127फीट व गांधी सागर का 1,240फीट हो जायेगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश ने मध्य-प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण मण्डल के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया है और गांधी सागर से 10-2-1983 से 23-2-1983 के बीच 6,500 क्यूसेक्स पानी निरन्तर नहीं छोड़ा हैं। फलतः गांधी सागर से जो पानी छोड़ा गया है, वह 18,500 क्यूसेक्स डेज की मात्रा में कम है।

मध्य-प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह भी कहा कि जवाहर सागर से सिंचाई की आवश्यकताओं से अधिक पानी छोड़ा जाता है। हमारे द्वारा उन्हें बताया गया कि इसका मुख्य कारण मध्य-प्रदेश द्वारा सतपुड़ा थर्मल स्टेशन से हमें विद्युत पूरी मात्रा मे नहीं देता है। हमने स्पष्ट कहा कि 1982-83 में 1,842 लाख यूनिट बिजली फरवरी, 1983 तक हमें कम मिली है। चूंकि ऐसे इन्टीग्रे-टेड पावर सिस्टम में एक स्रोत से बिजली कम मिलती हैं तो दूसरे स्रोत से बिजली अधिक मिलती है तो दूसरे स्रोत से बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हमें सतपुड़ा से हमारे हिस्से की पूरी बिजली मिले।

अन्त में निर्णय लिया गया कि मध्य-प्रदेश 15 मार्च, 1983 से चार दिन के लिये गांधी सागर से 6500 क्यूसेक्स पानी देगा। कोटा बैराज पर प्राप्त इस पानी से पार्वती एक्वाइडक्ट पर पांच दिन के लिए 3000 क्यूसेक्स पानी राजस्थान मध्य-प्रदेश को देगा। शेष पानी का उपयोग राजस्थान करेगा।

इसके फलस्वरूप आवश्यकतानुसार गांधी सागर के लेवल को 1240 फीट से नीचे भी जाने दिया जा सकता है किन्तु राणा प्रताप सागर का लेवल 1127 फीट से नीचे नहीं जाने दिया जायेगा। मध्य-प्रदेश ने गांधी सागर बांध से 6,500 क्यूसेक्स पानी चार दिन तक छोड़ने का आश्वासन दिया है।

राजस्थान को सतपुड़ा से जो विद्युत नहीं मिल रही है, उस सम्बन्ध में विशेष रूप से बात हुई। 1982-83 में राजस्थान को 1,842 लाख यूनिट बिजली फरवरी तक कम मिली थी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप मे कहा कि सतपुड़ा के जनरेशन में हमारा 40 प्रतिशत हिस्सा है वह हमें निरन्तर मिलना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि नियमित रूप से बिजली दी जाये जिससे कि लोड मैनेजमेंट को अच्छी तरह किया जा सके। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसा कर दिया जायेगा और मध्य-प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को वे आदेश दे रहे हैं कि हमारा

Page No 159

(159)

(श्री शिवचरण माथुर)

40 प्रतिशत हिस्सा हमें दे दिया जाये। यहां मैं स्पष्ट रूप से सदन को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान अपने हिस्से की बिजली रेडियल आधार पर लेने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक रूप से पूर्णतया सक्षम है।

यह वार्ता अत्यन्त सद्भावना के वातावरण में हुई ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया, इसकी प्रतियां सदन में सरक्यूलेट करायी जायें और कल इस पर चर्चा के लिए एक घण्टे का समय निश्चित किया जाये ताकि इस पर हम अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री शिव चरण माथुर : प्रतियां देने में कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट दे दिया है, तो प्रतियां देने में क्या दिक्कत है। प्रतियां परिचालित करा देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रतियां मिल जायें तो कल इस पर चर्चा हो जायेगी। एक घण्टे का समय निश्चित कर दिया जाये।

श्री शिव चरण माथुर : बात तो साधारण सी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बात साधारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट हो गया उसके बाद····

श्री भैरोंसिह शेखावत : स्टेटमेण्ट को भी चर्चा का विषय बनाया जा सकता है, रूल्स में है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा का विषय किसी को बनाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह अन्याय है राजस्थान के साथ, माननीय अध्यक्ष महोमहोदय, बड़ा इम्पोर्टेन्ट मसला है, आखिर राजस्थान के हितों का सवाल है। इसमें जो कमियां है उसका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रयास किया हैं उसकी भी चर्चा होगी जो कमियां रह गई है उन पर भी चर्चा होगी। विधान सभा में इस पर चर्चा होगी तो उससे निश्चित रूप से सरकार को लाभ होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चहता हूं कि कल इसके लिये समय निश्चित कर दिया जाये ताकि इस पर सब चर्चा कर लें।

श्री अध्यक्ष : पौन घण्टे का समय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पौन घण्टे का आप क्यों कर रहे हैं, साहब बिजली कटौती थोड़ी ही है कि 75 प्रतिशत कटौती हो।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल इरिगेशन की डिमाण्ड है। इसके लिए एक घण्टा दे दें तो क्या हर्ज है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इरिगेशन की डिमाण्ड है तो इरिगेशन का क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेण्ट नहीं है जितना बिजली का है।

Page No 160

(160)

श्री परसराम मदेरणा : इरिगेशन और बिजली दोनों के मल्टी परपज प्रोजेक्ट हैं, दोनों का एक दूसरे से अनसेंपरेवल रिलेशन है वह स्वयं····

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे का समय कल के लिए निश्चित किया जाता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बड़े उदार हुए उनके कहते ही, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सरकार की कठिनाई और उनकी सुविधा को भी तो देखना पड़ता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष : मांगो पर चर्चा श्री कैलाश मेघवाल।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया गया। मैं आज बोलूंगा, माननीय अध्यक्ष। मैं रोज बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने निर्णय कर लिया है यह।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझा नहीं कि क्या कहना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : इनको बोलने का अवसर दे दिया जाय हमारी पार्टी की तरफ से।

श्री अध्यक्ष : पहले इनको दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, पहले कैलाश जी को देंगे उनके बाद इनका नंबर आ जाय।

श्री हरीश शर्मा : नहीं, मैं तो पहले बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : कल बोलेंगे

श्री हरीश शर्मा : आज बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह आपका आपस में एडजस्टमेन्ट है।

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभ नगर) : कट-मोशन पर बोलना तो राइट होता है हर मेम्बर को।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें तो सुविधा दी गई है माननीय सदस्यों की सुविधा के अनुसार और जो पुरानी परम्परायें हैं।

आपको इजाजत देता हूँ।

श्री हरीश शर्मा : मैं बहुत बोलूंगा आज।

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ कीजिये।

Page No 161

(161)

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी क्षेत्र खनिज क्षेत्र है। वहां पर एस.आई. कम्पनी का एक छत्र राज्य है, उसकी तानाशाही है, मोनोपोली है पत्थरों पर। माननीय अध्यक्ष, हर साल पत्थरों के मनमाने भाव बढ़ाता रहता है। आप जानते हैं, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा में जो पत्थर लगा है या सचिवालय में जो पत्थर लगा हुआ है या रेलवे स्टेशन में जो पत्थर लगा हुआ है वह कोटा स्टोन है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उस पर नियन्त्रण नहीं रहने से सरकार का कितना नुकसान होता होगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष, वह बड़े पत्थरों को अच्छी कीमत में बेचता है और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मुख्य मन्त्री जी ने जमीन को रिलीज किया जो हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्त किया था। गवर्नमेंट ने डी-एक्वीजिशन कर दिया। आखिर क्यों ? ऐसे सम्बन्ध क्या हैं, मैं समझा नहीं आज तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सर्किल में खानों के मलवे से रास्ते रुके हुए हैं, चरागाह खत्म हो चुके हैं, चार साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। न तो रास्ते हैं गांवों के नागरिकों के लिए और न पशुओं के लिए घास चरने के लिए। आखिर क्या व्यवस्था करेंगे ? माननीय अध्यक्ष, यही नहीं पीपाखेड़ी के गांववासियों ने एक आन्दोलन किया था चरागाह की रक्षा के लिए तो तुरन्त नया कानून बना दिया सरकार ने कि माइन्स होल्डर बिना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इजाजत के या पंचायत की इजाजत के कहीं भी खान लगा सकते हैं, कहीं भी मलवा डाल सकते हैं। परिणाम यह हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जगह-जगह खान लग रही हैं। पहले तो माइन्स विभाग मंजूरी लेता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। मंजूरी मिल जाती थी तभी लीज होल्डर्स को देता था ऋण। आज यह बात समझ में नहीं आ रही है, पर जो चरागाह में पेड़ हैं उस पेड़ पर अधिकार रहा है केवल मात्र पंचायतों का। हमारे रामगंज मण्डी में भी ऐसी स्थिति है कि पंचों और सरपंचों की माइन्स चलती हैं। वह सरपंच जैसा चाहते हैं वैसा समझौता करते हैं और अपना काम चलाते हैं। माननीय अध्यक्ष, यह उचित नहीं है। खानें इतनी अधिक हैं हमारे एरिया के अन्दर और काफी गहरी खुद चुकी हैं कि रामगंज मण्डी के 8 पंचायत क्षेत्रों भू-जल विभाग ने भी सी-जोन घोषित कर दिया। जहां पानी नहीं है वहां अभी भू-जल विभाग ने हैण्ड पम्प लगाने के लिए 3-3 सौ मीटर गहरा गड्ढा खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। माननीय अध्यक्ष, अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो 10 साल के अन्दर रामगंज मण्डी क्षेत्र के अन्दर कहीं पानी नहीं निकलेगा। मेरा ऐसा विनम्र निवेदन है खनिज मन्त्री जी से कि खानों की गहराई को रोकें। अगर खानों की गहराई नहीं रोकी गई तो रामगंज मंडी क्षेत्र में विद्रोह हो जायेगा, गांव खाली हो जायेंगे क्योंकि पानी नहीं मिलेगा वहां पर। यही नहीं जो अभी हैण्ड पम्प लगे हैं वह

(4 05 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

फेल्योर हो रहे हैं इस कारण। माननीय सभापति जी, खानें इतनी अनियमित और गैर कानूनी हैं, डाइरेक्टर माइन्स, उदयपुर ने न्यायालय, रामगंज मण्डी और कोटा के

(श्री हरीश शर्मा)

अधिकारियों ने कम से कम 50 खानों के बारे में यह लिखकर भेजा हुआ है कि यह खानें खतरे से खाली नहीं हैं, इनको तुरन्त बन्द कर दिया जाय । माननीय खनिज मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा लिखकर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में आज तक क्या कार्यवाही की गई ? बड़ा दुःख का विषय है कि मजदूर गरीब बहुत होते हैं, यह मानवीय मामला है. हर साल खानों का जो बहुत लम्बा भाग है उसमें कोई न कोई मजदूर जरूर मरता है, किन्तु उसका पता तक नहीं चलने देते हैं, रिपोर्ट तक नहीं देते हैं । क्या इस मानोपोली को आप तोड़ेंगे ? न तो मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है । वह अपनी जिन्दगी खत्म कर रहे हैं इन खानों के ठेकेदारों के लिये । मुझे दुःख है कि सरकार खान के ठेकेदारों के रहते मजदूरों की बात नहीं मानती । ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदया, अनियमिततायें हो रही हैं । मैं पूछना चाहूंगा, आपने एक समिति गठित की थी, खनिज सहकारी सलाहकार समिति की केवल दो बार ही रायपुरकलां में एवं राजलदेसर कलां में बैठक हुई । आखिर क्या यह समितियां बेकार हैं ? अगर बेकार हैं तो फिर इनको गठित क्यों किया गया था ? मैं चाहूंगा कि इन समितियों को दुबारा चालू किया जाय समय के ऊपर, ताकि समाज को लाभ हो, जनता को लाभ हो, सरकार को लाभ हो, और घटनायें सामने आयेंगी । यही नहीं, सभापति महोदय, गहरी खानों में पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है । पानी की कमी है वह पानी बेकार निकाल देते हैं । इस पानी का सदुपयोग करे तो तालाब भरे जा सकते हैं और गर्मियों में कई समस्यायें मिटाई जा सकती हैं । मेरा सुझाव है कि ए. डी. एम. विकास कोटा एस. एम. ई. कोटा, एस. डी. ओ. धानमण्डी, तहसीलदार, बी. डी. ओ. और प्रधान की एक समिति बना दें जो रामगंज मण्डी में बैठकर बातचीत करे । उससे बहुत ज्यादा समस्या मिट जायेगी । आम रास्ते की बड़ी दिक्कतें हैं । वहां पर झगड़े होते हैं खान मालिकों और गांव वालों के बीच में सभापति महोदय, कई ऐसी खानें हैं जैसे नया गांव, मेड मण्डी । वह खानें गांव से बिल्कुल 10–5 फीट की दूरी पर लगी हुई हैं । उनमें ब्लास्टिंग होता है तो पत्थर गांव में आकर गिरते हैं कइयों के सिर पर आकर पड़ते है । आप स्वयं जानते हैं कि गांव में घर में शौचालय नहीं होता है । महिलायें शौच को जायेंगी तो कहां जायेंगी । रास्ते में खान का काम होता रहता है । खान के एरिया में न तो पशु चरा सकते हैं न गांव वाले घर से बाहर आ, जा सकते हैं । आखिर गांव वालों को ऐसा नारकीय जीवन जीने को क्यों बाध्य कर रखा है और खान मालिकों की ऊपर कृपा पर उनको क्यों छोड़ रखा है, यही नहीं झालावाड़ रोड, जो ठेठ झालावाड़ तक जाता है अगर खानें चल रही हैं, एस. एम. ई. कोटा ने उनसे रिश्वत ली है 5–5 लाख रुपये । उनको रॉयल्टी नहीं मिलती है आपको और केवल मात्र पैसे मिलते हैं एस. एम. ई. को और उसके आधार पर....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति, रामगंज मण्डी अनुसूचित जाति के लोगों की समिति है ।

(श्री हरीश शर्मा)

इस समिति ने लीज के लिए ग्रावेदन किया था किन्तु इसको नहीं देकर ग्रापने मोहन-सिह, प्रधान, नगरपालिका, रामगंज मण्डी जो कांग्रेस (ग्राई) के हैं, व मूलराज वकील को दी थी। यह ग्रनुसूचित जाति के लोगों के साथ ग्रन्याय हैं, धोखा है। कुकड़ा खुर्द श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, रामगंज मण्डी भी ग्रनुसूचित जाति के लोगों की है। इसके ग्रध्यक्ष भागीरथ बैरवा हैं। इन्होंने भी ग्रावेदन किया किन्तु यह लीज इनको नहीं दी गई और तत्कालीन खनिज मन्त्री श्री जुझारसिंह और कांग्रेस (ग्राई) के नेता कान्ति पटेल ने हड़प ली। भागीरथ ने उसकी ग्रपील भी हाईकोर्ट में की थी। रामगंज मण्डी में सब लीज पेटी कान्ट्रेक्ट बहुत चल रहे हैं जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों की रॉयल्टी का नुकसान होता है। कुकड़ा खुर्द में ग्रनुसूचित जातियों, मजदूरों ग्रौर इन लोगों के बीच में झगड़ा हुग्रा, उसकी रिपोर्ट भी पुलिस में कराई गई। मोड़क थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन पुलिस कान्ति पटेल का साथ दे रही है। उन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। ग्रगर मैं ठीक होता तो मेरे एरिया में कोई गलत काम नहीं कर सकता था। मैं उस एरिया से चुनाव जीतकर ग्राया हूं। उस एरिया में ग्राज बहुत रिश्वत चल रही है। एस. एम. ई. जो वहां है, रिश्वत ले रहा है।

30-6-1979 तक सीमल हेडी क्षेत्रमें तहसील लाडपुरा में वन ग्रारक्षित था किन्तु राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को एस. एम. ई. द्वारा लीज पर दे दी गई। इसके बाद जब कैलाश चन्द्र जैन ने ग्रावेदन दिया तो उनको यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि यह वन ग्रारक्षित है। हम ग्रापको लीज नहीं देंगे, किन्तु माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद कैलाश चन्द्र की निरस्त करने के बाद ग्रन्य लोगों को लीज दे दी गई उससे भारी रिश्वत ले लेकर ग्राप चाहें तो मैं ग्रापको नाम बताऊं, खनिज मन्त्री जी, ग्राप जांच करें तो बहुत बढ़िया रहेगा ऐसा मामला पकड़ में नहीं ग्रायेगा ग्रापके। मैं पूरे तथ्य लेकर ग्राया हूं। यह बहुत बढ़िया मामला पकड़ में ग्राया है, तारीख, नाम ग्रादि सब कुछ बताऊंगा एक एक के।

श्री कैलाशचन्द्र जैन पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन, ग्राम मंडावा ने दिनांक 12-6-79 को इसी क्षेत्र में 120X60 मीटर खनन पट्टे के लिए ग्रावेदन पत्र कोटा एम.एस-ई. को दिया किन्तु 17-7-1979 को एम. एस. ई. कोटा ने ग्रावेदन निरस्त कर दिया, कहा कि वन क्षेत्र हैं, सर्वसाधारण के लिए रिक्त नहीं है। किन्तु 17-7-79 के बाद एम. एस. ई. कोटा ने दस, बारह खनन पट्टे स्वीकृत किये। न्यायालय ग्रतिरिक्त निदेशक, उदयपुर ने कैलाशचन्द्र जैन की ग्रपील मंजूर कर 145 दिन में पट्टा देने के एम. एस. ई. को ग्रादेश दिये किन्तु ग्रतिरिक्त निदेशक के निर्णय के बाद श्री भुकेशकुमार सक्सेना व प्रेम जनार्दन गुप्ता को सीमलहेडी क्षेत्र में पट्टा दे दिया गया। कैलाशचन्द्र जैन को वन विभाग ने एक एन. ग्रो. सी. दे रखा है। जब मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया तो एस. ई. कोटा ने इस क्षेत्र को सीमलहेडी से बदलकर बनियानी कर दिया जब कि राजस्व एवं वन विभाग इस क्षेत्र को सीमलहेडी में बता रहे थे।

(श्री हरीश शर्मा)

श्री राधेश्याम गुप्ता ने ए. एम. ई. रामगंज मण्डी को दिनांक 18-7-80 को प्रार्थना पत्र दिया जिसे कि 16-4-81 को निदेशक ने निरस्त कर दिया। जुम्मी क्षेत्र के लिये गेप एरिया बताते हुए किन्तु वह एरिया में नहीं था। ऐसे एरिया के लिये 14-2-83 को एम. ई. ने श्री अब्दुल रशीद को लीज स्वीकृत कर दी।

सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि एस. आई. कम्पनी की मोनोपोली है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको ये दबाकर बैठे हुए हैं, मलवा पड़ा हुआ है और गांव के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं, आम रास्ता रोका हुआ है। यह सरकार की करोड़ों रुपयों की रॉयल्टी की चोरी कर रहे हैं किन्तु सरकार इसकी जांच नहीं कर रही है क्योंकि सरकार को यह हर साल भेंट पूजा देते रहते हैं। 1975 में आपने इमर्जेन्सी लगाई उस समय एस. आई. कम्पनी के एम. डी. किरीट भाई एवं उनके ससुर सत्यपाल त्यागी विदेशी मुद्रा विनिमय काण्ड के तहत जालौर जेल में बन्द रहे थे, उसके बाद भी सरकार की निगाह इन पर क्यों नहीं पड़ती? क्या ये लोग आज दूध के धुले हो गये? अगर सरकार एस. आई. कम्पनी की जांच करायें तो भारी घोटाले पाये जायेंगे।

सभापति महोदया, अब मैं उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जे. के. उद्योग हमारे यहां एक बहुत बडा औद्योगिक प्रतिष्ठान है। मैं एक सवाल, मुख्य मंत्री जी, आपसे करूंगा, आपके मकान में दस साल से जो एक किरायेदार रहता है क्या आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं? कानून की दृष्टि से भी उसको नहीं निकाला जा सकता। वह अदालत में चला जायेगा। वहां पर जो पांच हजार मजदूर बीस-बीस साल से नौकरी करते थे उनको निकाल दिया गया और सरकार सोती रही। उसके लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। श्रीराम केमीकल्स और श्रीराम रेयन्स पर बिजली पानी का करोड़ों रुपया बाकी है। सरकार उनसे वसूल नहीं कर पा रही है। अगर यह सब वसूल कर सके तो डांवाडोल बजट में भी फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर.एस.ई.बी. ने केसज कर रखे हैं। उन्होंने जल प्रदूषण कर रखा है, जिससे खेती बाड़ी और पशुओं, सबको नुकसान हो रहा है। बीस मील के एरिया में प्रदूषण हो रहा है। छोटे-छोटे उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है, उनको अनुदान नहीं मिलता है समय पर, विद्युत नहीं मिल रही है। जिन उद्योगों को स्टीम कोयला दिया जा रहा है वह अधिकतर ब्लेक में बेच रहे हैं। कोटा की ओम मेटल फैक्ट्री को सरकार ने ब्लेक लिस्ट घोषित कर दिया था किन्तु आपने उसको माफ कर दिया। आखिर क्यों? कुछ रिश्वत लेकर किया? रामगंज मण्डी कोटा जिले में औद्योगिक दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है। यहां पर पहले हर महीने की 9 तारीख को उद्योग विभाग के अधिकारियों की मीटिंग होती थी जिसमें जाइन्ट डाइरेक्टर रीको, अधिकारी, आर. एफ. सी., एस. डी. ओ.

Page No 165

(165)

(श्री हरीश शर्मा)

ए. ई. एन. आर. एस. ई. बी., तहसीलदार सभी भाग लेते थे जिससे उद्योग लगाने वालों की सारी समस्यायें उसी समय हल हो जाती थीं किन्तु इस वर्ष यह बैठक बन्द है जिससे उद्यमियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कोटा के उद्योग विभाग में भारी रिश्वतखोरी और लूट खसोट चल रही है ।

जयपुर मेटल्स में आज भी कितनी ही मशीनें रखी हुई हैं जिन्हें औद्योगिक प्रबन्धक सस्ती दरों पर बेचने की तैयारी कर रहे हैं । यह प्रश्न दो दिन पहले माननीय सदस्य तावड़जी ने भी उठाया था । वहां पर मजदूरों में भारी रोष है और सारा काम ठप्प है । सरकार को चाहिये कि इस उद्योग को तुरन्त अधिग्रहण करें, नहीं तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और यह फैक्ट्री बन्द हो जायगी । इस फैक्ट्री की एक एक चीज बैंकों में गिरवी रखी हुई है । मुझे ऐसा लगता है मुख्य मन्त्रीजी, आपके हृदय में मजदूरों और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति रत्ती मात्र भी करुणा नहीं है । केवल दिखावा करते हैं । नहीं तो कब की ही, ऐसे उद्योग को अधिग्रहण करने की कार्यवाही करते और रामगंज मण्डी के अनुसूचित जाति के लोगों की समिति को आप खनिज लीज देते ।

रामगंज मण्डी में जे. के. वालों ने सीमेंट फैक्ट्री लगाने का सर्वे किया था । वह अब तक क्यों नहीं लगी, इसका जवाब दें ? कितनों के खेत खोद डाले । उनका मुआवजा कौन देगा ? उससे निश्चित तौर से कोई मिला हुआ होगा । इसलिए जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं अगर उनको सही नहीं किया गया तो मैं समझता हूं रामगंज मण्डी औद्योगिक क्षेत्र खतम हो जायेगा ।

इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : माननीय श्री सी. पी. जोशी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैलाश जी का नम्बर था । इनका नम्बर बाद में आता था ।

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय का आदेश था कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : पार्टी के हिसाब से कैलाश जी का नम्बर आता था । अध्यक्ष महोदय ने विशेष निवेदन पर इन्हें अवसर दे दिया था ।

श्री सभापति : मेरे पास जो लिस्ट है उसमें माननीय श्री हरीश शर्मा के बाद श्री सी. पी. जोशी का नम्बर है ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदया, उद्योग और खनिज की मांगों पर चर्चा करने के साथ-साथ मैं चाहूंगा कि पहले हम इस बात को जान लें कि पिछले 35 वर्ष से राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हमने किया । परन्तु हम देखें जितना हमने विकास किया उस विकास करने के बाद भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि

Page No 166

(166)

(श्री. सी. पी. जोशी)

से पिछड़ा हुआ है और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब राजस्थान का निवासी हिन्दुस्थान के कौने-कौने में जाकर सफल उद्योग लगाकर पैसा कमा सकता है, लेकिन राजस्थान के अन्दर हम एक ऐसा कंडयूसिव एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं इसलिए जितना रेपिड इण्डस्ट्रियल ग्रोथ, इण्डस्ट्रियल एक्सपंशन इस स्टेट में होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बिजली की हमारी स्थिति है मैं समझता हूं कि आने वाले 10 वर्ष में बिजली की जितनी मांग हमारी औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिये है उतनी माग की हम पूर्ति नहीं कर पायेंगे। जहां एक तरफ हम फर्दर एक्सपेंशन करने का स्कोप नहीं रख पा रहे हैं वहां जितने उद्योग हम अभी चला रहे हैं उन उद्योगों को बिजली नहीं दे पायें तो हमें निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि 10 वर्ष तक जितने उद्योग हमने एस्टेब्लिशन कर रखे हैं उनकी जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है उसको यदि हम पूरा कर दें। एम्प्लायमेंट पाइन्ट ब्यू से रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, लोगों को रोजगार की सुविधायें उपलब्ध होती रहेंगी। उसके साथ साथ जितना हमारा अभी आप्टिमम इण्डस्ट्रियल आउटपुट होना चाहिए वह भी हमको मिलता रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं चाहूँगा, माननीय मुख्य मंत्री जी, कि केगोरिकली इस बात का जवाब दें जब अपनी मांगों का जवाब दें, तब कि क्या आने वाले 10 वर्ष में जितना हमारा बिजली का रिक्वायरमेंट है इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन के हिसाब से यदि हम उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर सकते हैं, इण्टर वाटर जितने समझौते कर रहे हैं हम बिजली के माध्यम से उस समय तक के लिये जब तक अभी जो उद्योग लगा रहे हैं उन को बिजली नहीं दे पाये तो निश्चित तौर पर हमारी जो इण्डस्ट्रियल पालिसी है उनको बदलना चाहिए। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इन तरह से लाखों करोड़ों रुपये की सब्सिडी दे रहे है फार्मर्स को उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, मैं आज इस बात को मानता हूं कि जो खाद या बीज की सब्सिडी है उसके नाम से इस प्रदेश में और हिन्दुस्थान में एक नया वर्ग पैदा हो रहा है वह वर्ग खाद और बीज का उपयोग किसानों के नामों से ले लेता है, लेकिन उसका जमीन पर उपयोग नहीं हो रहा है, और उसका ब्लेक करके अपनी रोजी-रोटी मुहैया कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास जिस गति से हो रहा है, आप्टिमम क्षमता हमको मिलती रहे उत्पादन की, यदि हम उचित समझें तो हमें सब्सिडी देनी चाहिए उन उद्योगपतियों को जो आज इण्डस्ट्री लगा रहे हैं जो इण्डस्ट्री लगा कर डीजल सैट्स लगा कर अपनी फैक्ट्री को रन करना चाहते हैं ऐसी इण्डस्ट्री का यदि हम 60–70 प्रतिशत सब्सिडी दें और सब्सिडी देने के बाद उनको चीप रेट से वापस रिटर्न लेने की क्षमता पैदा करेंगे तो मैं समझता हूं कि है जो हमारी कमी उनको हम पूरी कर पायेंगे। इस संबंध में मेरा यह भी निवेदन है कि यह जो सारा हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है उसको यदि ध्यान से आप देखें तो इस राजस्थान के अन्दर और खासकर हिन्दुस्थान के अन्दर नाम हम पब्लिक सैक्टर कर देते हैं, लेकिन

(श्री सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है एक पान की दुकान लगाने वाले आदमी को पांच हजार रुपये की पूंजी चाहिए, लेकिन इस हिन्दुस्तान के अन्दर पांच हजार रुपये आपकी जेब में हों तो आप एक लाख रुपये की इण्डस्ट्री लगा सकते है। एक नया इन्टरप्रेन्योर क्लास डवलप करना चाहते हैं। इस क्लास से राजस्थान के अन्दर 1300 करोड़ रुपये का अभी तक हम विनियोजना कर चुके हैं। जितनी यूनिट बताई गई हैं इसके अन्दर लगभग 213 इण्डस्ट्रियल राजस्थान में चल रही हैं जिसमें 1300 करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। 1300 करोड़ रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं इण्डस्ट्रियल यूनिट के अन्दर एक पान की दुकान लगाने वाले आदमी को पांच हजार रुपये की आवश्यकता है, लेकिन एक आदमी जिसकी जेब में पांच हजार रुपये हैं, वह आज लाख रुपये आर. एफ. सी. और रीको से लेकर, लोन लेकर एक इण्डस्ट्री लगा सकता है। इस राजस्थान के अन्दर यदि हम ईमानदारी से देखें तो फिफ्टीज, सिक्सटीज डिकेड के अन्दर जो इण्डस्ट्रियल कण्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिला था उसके बाद राजस्थान पालिटिक्स विल के साथ कोई भी उद्योगपति ने यहां आकर कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई। यह तो उनकी प्राब्लम थी, कलकत्ता के अन्दर ट्रेड यूनियन की प्राब्लम हो गई, असम के अन्दर प्राब्लम हो गई, उड़ीसा के अन्दर प्राब्लम हो गई, इसलिए वहां से उद्योगपति राजस्थान में आये लेकिन हमारी पालिटिकल विल और हमारा एक्शन के आधार पर यदि हम उस तरह के उद्योग उत्पादन का सोचते तो आज हम राजस्थान में बिजली का जो एक्सपेंशन, स्वर्गीय श्री सुखाड़िया जी ने कोटा थर्मल प्लान्ट का प्रोजेक्ट सोचा था उसके बाद जो योजनायें सोचीं उसके बाद 20 साल के एक लम्बे अन्तराल में हम राजस्थान को बिजली मुहैया नहीं कर पाये इसलिए जितना इन्फास्ट्रक्चर इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए होना चाहिए था उस इन्फास्ट्रक्चर को डवलप नहीं करें हम और हम बराबर यह घोषणा करते रहें कि बाहर के उद्योगपति यहां पर उद्योग लगायें तो मैं समझता हूं कि हमारी घोषणायें मात्र घोषणायें रहेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, एक नये विश्वास के साथ राजस्थान के जो उद्योगपति कलकत्ता या असम, उड़ीसा में हैं उनको एक बात जाकर कहें आप इस ढाई साल के शासन में, 80 में सबसे ज्यादा पूंजी का विनियोजन कहीं हुआ है तो गुजरात स्टेट में हुआ है। गुजरात जैसी स्टेट हिन्दुस्तान के कैपिटलिस्ट्स को अट्रेक्ट कर रही है इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिये। तो हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये कि महाराष्ट्र का इण्डस्ट्रियलिस्ट गुजरात में क्यों जा रहा है, कलकत्ता का इण्डस्ट्रियलिस्ट गुजरात में क्यों जा रहा है। राजस्थान में जो लोग इण्डस्ट्री लगाना चाहते थे वह क्यों गुजरात में जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसके आधार पर हमने सोच लिया कि यह राजस्थान इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन में एक पाइवेट रोल प्ले कर सकते हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं समझता हूं कि यह

Page No 168

(168)

(श्री सी. पी. जोशी)

ब्यूरोक्रेट्स इस इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन में कोई पाइवेट रोल अदा नहीं कर सकते हैं। यदि राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन में कोई पाइवेट रोल प्ले कर सकता है तो वह राजस्थान का सफल उद्योगपति कर सकता है, जिसने उड़ीसा, कलकत्ता या असम में सफल उद्योग लगाया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि राजस्थान को कण्ड्यूसिव इण्डस्ट्रियल एनवायरमेंट देने के लिए हम उन उद्योगपतियों की सेवायें लें और उनकी सेवाओं और अनुभव का लाभ उठाकर सारे राजस्थान में आने वाले इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन को एनवायरमेंट दे पायें तो निश्चित तौर से हम इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन एण्ड ग्रोथ कर पायेंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं कि जिस ढंग से स्टेगनेन्सी आ गई है जवाब देने के अन्दर, यदि हम युवकों को जॉब देने की स्थिति में नहीं आयेंगे तो आपके जुवेनाइल डेलीक्वेंसी पैदा होने वाली हैं। आज उदयपुर शहर में दंगा हो सकता है, जयपुर में दंगा हो सकता है, बीकानेर बन्द हो सकता है और बड़े शहर बन्द हो सकते हैं लेकिन 15 से 25 साल तक का गांव में रहने वाला युवक हैं वह आज भी इस आशा में बैठा है कि उसको नौकरी मिलेगी। हम यह कह सकते हैं और हमने कहा भी है, हमने ट्रायसम योजना लागू की है। मैं समझता हूं कि ट्रायसम योजना की उपादेयता उपयोगिता है इसकी नई डिबेट शुरु नहीं करना चाहता हूं। खादी ग्रामोद्योग के माध्मम से कितनी जॉब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं इसकी नई डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि रीको या आर. एफ. सी. के नाम पर जो इन्टरप्रेन्योर राजस्थान में पैदा हुए है उसमें राजस्थान के गरीब तबके का कोई भी आदमी ने इन्टरप्रन्योर के रूप में कोई इण्डस्ट्री स्टेबिलिस नहीं की है? राजस्थान से बाहर जाने वाले आदमी ने यहां आकर रीको और आर.एफ. सी. के लोन लिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आज आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट फेल होती है। 120 परसेन्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब्मिट कर दीजिये रीको या आर. एफ. सी. के अन्दर जेब में एक पैसा मत रखिये उसका कमीशन फिक्स्ड बंधा हुआ है आपको लोन मिल जायेगा, आप एक इण्डस्ट्रियल एम्पायर खड़ा कर दीजिये, आराम से गाड़ी में घूमिये और बंगला लीजिये आप। उसके बाद सिक यूनिट डिक्लेअर कर दीजिए राजस्थान सरकार उस पूंजी को वापस लेने की क्षमता नहीं रखती। इसलिये मैं समझता हूं कि आरएफ.सी. और रीको की यूनिसिटी जितनी है उसकी यूटिलिटी के आधार पर जो इन्टर प्रेन्योर स्कीम डवलप हुई है वह इन्टर प्रेन्योर क्लास वह है नवाज आज से 25 साल, 30 साल पहले राजस्थान छोड़ कर कलकत्ता, बम्बई या दूसरी जगह जाकर उद्योग लगाये टेक्निकल नो हाऊ सीखने के बाद उन्होंने रीको और आर.एफ.सी. का पूरा उपयोग किया क्योंकि रीको और आर. एफ. सी. में बैठने वाला हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, उसको यह मालूम नहीं है कि इण्डस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिये क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसे तो केवल एक बात मालूम है कि 25

(श्री सी. पी. जोशी)

लाख का लोन लेना है तो उस पर दो पर्सेन्ट कमीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह मैं खुला चार्ज लगाना चाहता हूं। यदि आज की यह उपादेयता नहीं है और राजस्थान का गरीब आदमी सड़कों पर नहीं घूमेगा, बाहर का आदमी जो टैक्निकल नो हाऊ जानता है वह आकर यहां पर इण्डस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें दोनों में एक मोटा अन्तर है। प्राइवेट सेक्टर के अन्दर जॉब इन सिक्योरिटी डाइरेक्टली लिंक्ड है एफिसिएन्सी के साथ, और पब्लिक सेक्टर के अन्दर जॉब सिक्योरिटी डाइरेक्टली लिंक्ड है इनएफिसियेन्सी के साथ है। जब तक जॉब सिक्योरिटी का कन्सेप्ट डवलप कर रखा है पब्लिक सेक्टर के अन्दर उस पब्लिक सेक्टर के अन्दर भी आप प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में देखिये, 30–40 पर्सेन्ट पैसा होता है इन्स्टीट्यूशन्स का चाहे वह एल. आई. सी. का हो या किसी कारपोरेशन का का हो। उसमें 20 पर्सेन्ट से लगाकर 30 पर्सेन्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं। 10 पर्सेन्ट की पूंजी लगाकर एक बिड़ला और टाटा का लड़का मैनेजिंग कम्पनी का डाइरेक्टर बन सकता है लेकिन सामान्य आदमी का लड़का चपरासी बन सकता है। बिड़ला एक अच्छा इन्टरप्रेन्योर हो सकता है, कमानी एक अच्छा इन्टरप्रेन्योर हो सकता है लेकिन उसके लड़के ने काम नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक की पूंजी लगा कर उसका लड़का डाइरेक्टर बन रहा है, वह कार रखता है, बंगला भी रखता है उसका सारा रिबेट मिलता है उसको टैक्सेशन में। तो यह प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की क्लास डवलप कर दी है। वह क्लास पब्लिक के पैसे का मिस यूज कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गंभीरता से इस बात को सोचें कि हम यदि राजस्थान में इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान को इस बात का गर्व है कि राजस्थान में वहुत बड़े उद्योगपति भी हैं और उन उद्योगपतियों के अनुभवों के आधार पर यदि हम एक नया अपना आर.एफ.सी और रीको का सेट-अप डवलप करना चाहें, यदि हम एक नया इण्डस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड बनाना चाहें और एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से, पोलिटिकल विल के साथ हम काम करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने मोब्लाइज करना चाहते हैं वह मोब्लाइज कर पायेंगे और संसाधनों और बिजली की कमी को दूर करने का हम एक नया इण्डस्ट्रियल एनवायरनमेंट दे पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, शायद मुख्य मंत्री इस बात को जानते हैं, मैं सदन के सामने कहूंगा कि अगूचा में बहुत बड़ा डिपोजिट है 5 हजार करोड़ रुपये का। मैं रफ एस्टीमेट के आधार पर कहता हूं कि 5 हजार करोड़ का डिपाजिट मिलने के बाद एक ब्यूरोक्रेट जिसका नाम है झिंगरन, ने वह सेल कर दिया गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लीज देने के नाम पर। उसने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को दे दिया और राजस्थान सरकार मुंह देखती रही, हम उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए जिसके कारण मैनेजमेंट और

(श्री सी. पी. जोशी)

एम्पलाएमेंट में कोई रोल नहीं है। इसके बनिस्बत गुजरात में एक छोटा डिपोजिट मिला फाइनेन्स मिनिस्टर ने इन्टरवीन करके कन्डीशन लिखो भारत सरकार को कि इसमें स्टेट का इक्वल शेयर होगा और कन्ट्रोल, मैनेजमेंट व एम्पलाइमेंट में उसका शेयर होगा। वैसा करते तो उससे राजस्थान की इकानामी डवलप हो सकती थी लेकिन हमने तो उल्टा काम कर दिया। हमने अगूचा के पोटेन्शियल को हिन्दुस्तान जिंक को लीज पर दे दिया। इसका मतलब है उसके कन्ट्रोल, मैनेजमेन्ट और एम्पलाएमेन्ट में राजस्थान सरकार का कोई शेयर नहीं होगा। इक्विटी शेयर्स न करके हमने वह मौका खो दिया। मैं मुख्य मंत्री से नहीं कहता हूं कि आपने किया है लेकिन जिसने किया है पोलिटिकल विल के साथ हमें वापस रिड्रीम करना चाहिए। एक मौका हमने लिया, वह एक मौका मिला तो खो दिया। किसी प्रकार, सभापति महोदय, सुपर स्मेल्टर के मामले में वर्षों तक प्रयास किया गया, इन्फ्रास्ट्रचर डवलप किया उदयपुर से। उदयपुर को अहमदाबाद से लिंक किया, पानी की व्यवस्था कर पाए लेकिन 10 साल से अधरझूल में हैं, आज भी फैसला नहीं कर पाये कि सुपर स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ में लगेगा, उदयपुर में लगेगा या भीलवाड़ा में लगेगा। 10 साल के अन्तराल में जो एक्सलेशन आफ प्राइसस हो रहा हैं उसके कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उतना ही अब नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोसुंदा में। मुझे पता नहीं, मुख्य मंत्री शायद दूसरी जगह ले जायेंगे। एक नया इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां डवलप करेंगे। तो सुपर स्मेल्टर को जो पोजीशन है वह क्लीयर नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं, अच्छी चीज पैदा करने वाले नहीं हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में केवलमात्र यही निवेदन करना था।

अब एक मोटी बात माइन्स के बारे में इसलिए कहना चाहता हूं कि शायद सामान्य आदमी को मालूम नहीं है कि माइन्स में पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, माइन्स में पैसे वाला बनने की एक तरकीब है। वह तरकीब यह है कि हर आदमी अपने परिवार के 5–10 सदस्यों के अलग अलग नामों से जो आप्टीमम एरिया है वह रिजर्व करा लेता है 20–30 साल तक। एक बार ट्रेड मार्क मिलता है उसके बाद उसके मोनोपोली राइट्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं। डाइरेक्टर माइन्स लिखकर भेजता है कि यह लीज मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। गवर्नमेंट आफ राजस्थान इसको सेंक्शन करेगी क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा लगता है। वह फाइल सेक्रेटेरियट के अन्दर पड़ी रह जाती है। सामान्य आदमी एप्लाई करता है तब पता लगता है कि उसके लिए किसी दूसरे ने एप्लाई कर रखा है। एक आदमी 20–25 साल तक एक लंबा चौड़ा एरिया इसलिए रिजर्व करा लेता है कि इसको गवर्नमेंट आफ राजस्थान सेंक्शन करेगी। ऐसे उदाहरण हैं? नाथद्वारा के अन्दर जिसका केस है उस आदमी ने डोलोमाइट की माइन्स की जितनी उसके पास एक्वार जमीन होनी चाहिए उस हिसाब से जमीन लेकर फाइल डाइरेक्टरेट से सेक्रेटरियट को भिजवाई। 5 साल हो गए फाइल पड़ी हुई है उसका पता नहीं। जो एप्लाई करते हैं डाइरेक्टर लिख कर भेजता

(श्री सी. पी. जोशी)

है, वह फाइल आज गवर्नमेंट आफ राजस्थान के कन्सीडरेशन में है। उस आदमी को ट्रेड का मार्क मिल गया। जब तक वह क्षमता के अनुसार माल बेचता रहता है, और लोगों को माइन्स नहीं मिल पाती तब तक वह आदमी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लेता है। यह लखपति बनने का तरीका है। इसमें एक पार्टी हमारा सेक्रेटरियट है। इसलिए मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गम्भीरता से देखें इस बात को कि ये मोनोपोली राइट्स कैसे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, कैसे कागजी खानापूर्ति हो रही है। फाइल डाइरेक्टरेट से सेक्रेटेरियट में आ रही है और सेक्रेटेरियट में फाइल ट्रेस नहीं हो पाती है। उसके कारण एक नई क्लास डवलप होती जा रही है माइन्स पर। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी अवधि निर्धारित कर लें।

इसके साथ-साथ आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है क्योंकि टाइम पर लीज रिन्यू नहीं हो पाती। मुझे कहने कि आवश्यकता नहीं कि सवाई माधोपुर और करौली इलाके में आज क्या हो रहा है। आज आपकी माइन्स का बहुत बड़ा लीकेज हो रहा है। एक क्लास डवलप हो गई है जो खुद यह कहती है कि एक ट्रक में इतना हिस्सा मेरा। 100-200 एक आदमी रोज कमा रहा है इस बात के लिए कि यह ट्रक यहां से जाएगा। इतना बड़ा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट वसूल नहीं कर सकती। एक आदमी को 2-3 रुपये मिलते हैं। सवाई माधोपुर जाकर देखें, काम करने वाले मजदूर को 2-3 रुपये मिलते हैं और पत्थर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और राजराजस्थान के बाहर। स्टेट गवर्नमेंट उसकी रेवेन्यू वसूल नहीं कर पा रही है। मैं चाहूंगा कि इस रेवेन्यू के लीकेज को रोकने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से माइन्स के आधार पर हम ज्यादा रेवेन्यू वसूल कर पायेंगे।

सभापति महोदय, एक बात और कहनी है माइन्स के बारे में। हमने पहले भी कहा है आर. एस. एम. एम. जो है उसको ब्यूरोकेट्स पर छोड़ दिया है। चीफ सेक्रेटरी, आई. ए. एस. आफिसर उसके मेम्बर हैं जिनका इस कार्य में एप्टीट्यूड नहीं है। कोई भी कामर्शियल आर्गेनाइजेशन रन करने के लिये एप्टीट्यूड होना चाहिये। जिन लोगों को एप्टीट्यूड नहीं, रीसेन्टली उनको एक ठेका दिया। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें। जितनी भी मशीन थीं आर. एस. एम. एम. में उनको रिपेयर करने का ठेका एक अमुक पार्टी को दिया। आर. एस. एम. एम. में बहुत बड़ा वर्कशाप है उस वर्कशाप में काम कुछ नहीं होगा, ठेका दे दिया गया कि जितनी मशीने हैं उनकी रिपेअर वह करेगी। जितनी मशीनें हमने प्रोक्योर कर रखी हैं आर. एस. एम. एम. में उन मशीनों की जितनी आप्टीमम कैपिसिटी होनी चाहिये उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठेका दे रखा है इसका पिछली विधान सभा में भी मैंने जिक्र किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी। जिस कम्पनी को ठेका दिया गया उसका टेक्निकल नो हाऊ जीरो है। शायद आपको मालूम नहीं अगूचा के डवलपमेंट के लिये, जिस कम्पनी को आर्डर दिया है उसके पास टेक्निकल नो हाऊ जीरो है। इस तरफ

(श्री सी. पी. जोशी)

ध्यान नहीं दें और ब्यूरोक्रेट्स की इच्छा पर छोड़ दें इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट तो जितना रेवेन्यू चाहिये वह नहीं मिलेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री एक एक्सपेरीमेंट के तौर पर काम करें। हमने 20-25 साल एक आई. ए. एस. अधिकारी को आर. एस. एम. एम. का इन्चार्ज बना दिया। मैं चाहूंगा कि ऐसे इन्टर प्रेन्योर को, जिन्होंने वर्षो तक माइन्स में काम किया, जो इसको समझते हों, एक बार आप डाइरेक्टर बनायें आर. एस. एस. एम. का तो क्या नुकसान है? आज एक आदमी स्टेट रन कर सकता है चीफ मिनिस्टर बनकर, वह इस बात को सोचे कि एक आदमी आर. एस. एम. एम. रन कर पाएगा या नहीं? क्या आई. ए. एस इतने काम्पीटेंट हैं? क्वालिफिकेशन मात्र बी. ए., वह इण्डस्ट्री सेक्रेटरी बन सकता है, वह आर. एस. एम. एम का डाइरेक्टर बन सकता है, ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन का एम. डी बन सकता है। उसकी काम्पीटेन्स पर डाउट नहीं है लेकिन एक पब्लिक मैन, जिसके पास अनुभव है, आर. एस. एम. एम. को ठीक नहीं चला पाएगा या चला पाएगा। इसका हमें विश्वास नहीं है। इसलिये मैं चाहूँगा कि एक्सपेरीमेंट के के तौर पर चाहे रोडवेज को ले लें, चाहे आर. एस. एम. एम. को, चाहे किसी को ले लें उस आदमी के अनुभव का उपयोग लेना चाहिये ताकि कमिटमेंट के साथ राजस्थान की रेवेन्यू बढ़े। यदि हम चाहते हैं यह जो हमारी मांगे हैं उद्योग और खनिज इस पर बयान हो गया, बात कह दी और उसके बाद जैसा चलेगा वैसे चलता रहेगा तो डिबेट में पार्टिसिपेट करना सार्थक नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर से मुख्य मंत्री इस बात को मानेंगे कि इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिये जितना इन्फास्ट्रक्चर हमको डवलप करना चाहिये, यदि वह इन्फास्ट्रक्चर अगले 10 साल में नही बढ़ा सकता है तो प्रजेन्ट जो यूनिट्स काम रही हैं उनकी आप्टीमम क्षमता का उपयोग लेने के लिये हम यदि कोई सब्सिडी दे सकें। कुछ वित्त व्यवस्था करें इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट करने के लिये। हमारे राजस्थान के विभिन्न उद्योगपति यहां के अच्छे आदमी भारत सरकार के अन्दर एडवाइजर भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी एडवाइजर हैं उनकी सर्विसेज का उपयोग लेकर हम एक नयी औद्योगिक नीति बनायें और मिनिरल्स के ऊपर मैं अपनी बात यहीं खतम करूंगा कि राजसमंद में डाइमन्ड के भण्डार मिले उसके लिए राजस्थान सरकार ने किसी को भी डाइमन्ड कटर का लाइसेन्स नहीं दिया। एक डाइमन्ड कटर कास्ट 50 लाख, 60 लाख रुपये है तो गरीब आदमी तो डाइमन्ड कटर तो ला नहीं सकता। जो इन्डिविजुअल डाइमन्ड कटर है, जिन लोगों ने लगाये हैं वहां पर दो साल के अन्दर दस आदमियों को लाइसेन्स मिल गये। अभी मैंने पता लगाया कि 15 आदमियों को लाइसेन्स दे दिये हैं। अब 15 पैसे वाले आदमी एक इलाके के अन्दर डाइमन्ड कटर लगा देंगे तो सभापति महोदय, सामान्य हैसियत के आदमी को आप लीज भी दे दें तो वह आदमी खनन नहीं कर पायेगा न खनन करने के बाद स्थिति सुधार पायेगा। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि हमारी जो अनसाइन्टिफिक

(श्री सी. पी. जोशी)

मिनरल ग्रोथ करने का आधार है उसको साइन्टिफिक तरीके से हम डवलप करें। आज साइन्स इतनी डवलप हो गई है कि ज्योलोजिस्ट हमारे पास हैं, माइनिंग इंजीनियर हमारे पास हैं, टैक्निकल लोग हमारे पास हैं। आदमी जो माइनिंग में समझते हैं उनकी सर्विसेज का उपयोग नहीं लेकर अन्धाधुन्ध ब्यूरोक्रेट जब कहें तब तो हम लाइसेंस दे दें डाइमण्ड कटर का, जब चाहें लाइसेंस ले लें तो सभापति महोदया, तो जो मकराना की हालत हो गई है वह दस साल में राजसमन्द की होने वाली है। तो दोहन तो हम पूरा कर लें खनिज का किन्तु दोहन करने के बाद उस एरिया का डवलमेंट नहीं हो पायेगा। मैं चाहूंगा कि इन 33 सालों में जितना हमने प्रयास किया उन प्रयासों को और गति देने के लिये क्योंकि आज लोगों की आशा आकांक्षा बढ़ गई है, डेमोक्रेटिक सैटअप में यदि आप लोगों की आशा आकांक्षा को पूरा कर पायेंगे तो लोगों के मन में डिससेटिसफेकशन होगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि इन सब अनुभवों का लाभ लेकर यदि हम नई उद्योग नीति बना कर खनिज के बेस पर उद्योग डवलप कर सकें। राजस्थान की जनता के लिये हम नया वातावरण दे पायेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी प्लानिंग मिनिस्टर रहे हैं, एनर्जी के बारे में उनका इन्ट्रेस्ट है उनकी सेवाओं का उपयोग राजस्थान के विकास के अन्दर हो पायेगा, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

आपने जो समय दिया है उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदया, नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक का जो दर्द था वह दर्द बना रहेगा। वह इसलिये बना रहेगा कि नान टैक्स रेवेन्यू अर्न करने वाला जो राजस्थान का विभाग है खनिज विभाग, आज उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। उस खनिज विभाग को सबसे ज्यादा उभारना चाहिये, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये जिसकी गतिविधियों पर बड़ी चौकसी से नजर रखनी चाहिये और राजस्थान के खनिज का सही ढंग से दोहन होकर पून्जी पैदा हो रही है या नहीं, रोजगार पैदा हो रहा है या नहीं और रॉयल्टी के रूप राज्य के कोष में आमद आ रही है या नहीं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदया, आज सबसे उपेक्षा का शिकार है। इसलिये कहता हूं, आपने मुझे, खनिज मन्त्री जी, दी है प्रगति रिपोर्ट, वह आप देख लीजियेगा। 1–9–79 जो अप्रधान खनिज हैं उनकी रायल्टी की रेट बढ़ गई करीब-करीब सवाई या डेढ़ी हुई, कहीं दो गुनी हो गई और उसके बाद, सभापति महोदया, जो प्रधान खनिज हैं उनकी रॉयल्टी की रेट भी बढ़ गई और करीब करीब दुगनी बढ़ गयी इस पृष्ठ भूमि में आप इसकी आमद को देखिए जो आमद के आपने आंकड़े दिये हैं वह इस बात को साबित करेंगे कि पिछले

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनों से जो राज्य के कोष में जो आय होती जा रही थी वह आय अब कम होना चालू हो गई है आधा के बराबर हो गयी है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज विभाग की हालत क्या है। इसीलिये मैंने जैसा कहा नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक का यह दर्द बना रहेगा और परनाला जहां है वहीं बहता रहेगा इसका सबसे बड़ा कारण है माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिन लोगों के कन्धों पर उत्तरदायित्व है कि राजस्थान के खजाने में आय आये, आज यहां कोई स्कूल मांगता है तो हम कहते हैं स्कूल नहीं दे सकते, शिक्षा से वंचित हो, पैसा नहीं है आज कोई सड़क की मांग करता है तो कहते हैं हम सड़क नहीं दे सकते हैं सड़क से वंचित रहो पैदल चलो क्योंकि खजाने में पैसा नहीं है आप सिंचाई की मांग करते हैं किसी और चीज की मांग करते हैं तो यहाँ पैसे का गीत गाया जाता है। सभापति महोदया, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि अगर राजस्थान के खनिज विभाग को ठीक ढंग से सुधार दिया जाय और सारे खनिजों का ठीक ढंग से दोहन प्रारम्भ कर दिया जाय और नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने जो कहा कि एकाधिकारवादी लोग आज सारे राजस्थान के खनिज पर कब्जा करके सांप की तरह कुन्डली मार कर बैठे हैं उनके कब्जे से वह खनिज छुड़वा कर सामान्य जनता को आम आदमी को दे दिया जाय तो सौ करोड़ रुपये की आमद इस राजस्थान के खनिज विभाग को हो सकती है 44 करोड़ की कल्पना तो आपने भी की है निष्पादन आय व्ययक आपने दिया है 44 करोड़ आपने 1983–84 की आमद मानी है लेकिन इस तक पहुंच सकेंगे इसमें मुझे शंका है। इसलिये शंका है कि आर. एस. एम. एम. की हालत तो बताई, इसलिये शंका है पिछले दिनों यहां एक चर्चा चली, मैं उस पर सीधा आ जाना चाहता हूं कि विभाग की हालत क्या है। जब यह हालत विभाग से लोगों को लाभ दिलाया जाय, विभाग का वैध रूप से जो पैसा लगता है उस पैसे को डुबाया जाय, विभाग में होने वाली आय को कम कराया जाय। इस बारे में माननीय सभापति महोदया, मैं प्रारम्भ करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री के क्षेत्र बिजोलिया से। बिजोलिया से इसलिये कि आज बिजोलिया से सम्बन्ध किया जाय, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप से क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि बिजोलिया की सारी समस्या अगर आप ठीक ढंग से समझते और बिजोलिया की समस्या को ठीक ढंग से समझ करके ठीक निर्णय अगर ले पाते तो शायद बिजोलिया की खानों में सुधार होता, न केवल सुधार होता वहां से रॉयल्टी की आमद दुगुनी होती। लेकिन हुआ क्या....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं इस पर थोड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा।

बिजोलिया में रेन्ट कम रॉयल्टी लीजेज है। रेन्ट कम रॉयल्टी लीज और मिनरल लीज में आपको फर्क करके चलना पड़ेगा दोनों की आय के रिसोर्स अलग अलग हैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

रेन्ट कम रॉयल्टी लीज में छोटा एक मैं निश्चित आकार का 50×50 और 60×60, 60×80 और 100×100, 50×50 से लगाकर 200×200 फीट तक के एरिया बिजोलिया में दिये हुए हैं। अब उससे-क्या रहेगा, रेंट तो इतना ही है रेंट निश्चित, यह बात जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो आरोप लगाया उस आरोप के जवाब में राजस्थान के मुख्य मन्त्री और सदन के नेता ने एक बात कही कि आमद में तो किसी तरह का फर्क नहीं हुआ अवैध खनन भी हुआ है उसको अब हमने नियमित कर दिया है तो उसको रायल्टी लाखों पर ले ली गई माननीय सभापति महोदया, इस स्थिति को तो मैं स्वीकार करता हूं कि जितना भी खनिज की चोरी छिपे ले गये, जो और किसी तरह जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि धोखा देकर और डरा धमका कर नाके वालों को रिश्वत देकर वह ले गये, लेकिन जो खनिज नाकों से निकला है वह खनिज वैध रूप से खनन किये हुए क्षेत्र का था या अवैध रूप से खनन किये हुये क्षेत्र का था माननीय सभापति महोदया, यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो वैध रूप से हमने खनन के पट्टे दे रखे हैं उनका रेंट हमको मिलता है 1600 से लेकर 2 हजार रुपये तक के बीच में एक-एक पट्टे का रेंट 1600से लगाकर2,000के बीच में मिलता और अगर जो क्षेत्र है अवैध रूप से खनन किया गया है तो रायल्टी तो आपने ले ली, रेंट का क्या हुआ रेंट की जो आय होने वाली है, उसका क्या हुआ ? इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा, आज माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपके द्वारा, 16–10–1980 को सचिवालय में एक बैठक हुई, और सचिवालय में जब एक बैठक हुई उसमें डिस्कशन का एक नोट, बना उस डिस्कशन का नोट, सभापति महोदय, दो-दो बार इस सदन के पटल पर रखा गया, एक-एक बार नहीं 1–4–81 को इसी सदन में जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक जिस समय वह स्वतन्त्र रूप से बैठते थे और बिजोलिया के अवैध खनन का उनको दर्द था, लाखों करोड़ों रुपया रॉयल्टी का जो चोरी जा रहा था उसका उनको दर्द था आज शायद वह नहीं बोलेंगे। केवल थोड़ा सा फर्क है पहले स्वतन्त्र थे अब कांग्रेस (आई) के हो गये हैं और मुख बन्द हो गया उनके सवाल के जवाब में यह दोनों पत्र उस समय सदन के मेज पर रखे गये थे। फिर उन्हीं का एक सवाल था उस सवाल के जवाब में भी पिछले विधान सभा सत्र में भी यह दोनों ही, जो सितम्बर में चला था, पत्र सदन के पटल पर रखे गये. अब सभापति महोदय, वह क्या हैं।

Discussion note on Bijolia dated 16-12-1980

"A delegation met and discussed some important problems concerning the Bijolia area with the Secretary Mines today when the Director Mines and the Additional Director Mines were also present. After discussions the following conclusions were reached.

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस डेलीगेशन को हैड कर रहे थे आज के हमारे मुख्य मन्त्री जी और उस समय के बिजोलिया के विधायक श्री शिवचरण माथुर यह एक डेलिगेशन गया यह एक डिस्कशन नोट बना, डिस्कशन नोट बनने के बाद मैं, माननीय सभापति महोदया, पूछना चाहता हूं, इन डिस्कशन नोट्स की कान्स्टीट्यूशनल वेलिडिटी क्या है उसकी लीगल सेक्शन क्या है ? नोट बन गया, बनकर चला गया विभाग से, सारा शासन चलता है, शासन चलता है माननीय मुख्य मन्त्री पहले भी मन्त्री रहे हैं आप, आज मुख्य मन्त्री है, खनिज मन्त्री पहले भी मन्त्री रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के डिस्कशन हमेशा डेलिगेशन के साथ करते हैं, बैठते हैं न केवल सरकारी अधिकारी मन्त्री भी बैठ कर करते हैं, उनके नोट्स भी बनते हैं लेकिन क्या केवल नोट्स बनने के आधार पर वह आदेश बन जाते हैं, क्या डिस्कशन नोट अपने आप में एक सरकारी आदेश हो गया ? यह नोट पड़ा रहा, माननीय सभापति महोदया, यह नोट पड़ा रहा है 1.4.81 इसी सदन में तत्कालीन मन्त्री माननीय नानालालजी से जब इसी सवाल के जवाब में पूछा गया कि आपने तो कोई आश्वासन दे दिया है अवैध खनिज की जो रॉयल्टी है वह माफ करने जा रहे हैं, जो पैनल्टी है वह माफ करने जा रहे हैं तो नानालाल जी ने जवाब दिया, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं 1-4-81 को जो जवाब दिया गया, माननीय सभापति महोदया, इस सदन में वह बहुत महत्वपूर्ण इसलिये है कि आखिर इस नोट की सैंक्टिटी क्या रही, श्री नाना लाल जी से पूछा गया था, आपने कोई आश्वासन दिया था। "श्री नानालाल जी आपने आश्वासन की बात नहीं कही। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है ऐसी गलत कार्यवाही के प्रति सरकार सजग है, और कोई कार्यवाही गलत नहीं होने देगी"।

1–4–81 यह इस बात को साबित करता है, 16–10–80 को जो आपका डिस्कशन नोट बना उसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी। अगर इसकी वैलिडिटी होती तो माननीय खनिज मन्त्री जी तत्कालीन 1–4–81 को यह जवाब न देते। उसके बाद 10–4–81 को एक पत्र जाता है गवर्नमेंट के खनिज विभाग से।

Sub : A copy of discussion note about Bijolia dated 16-12-80, 10-4 को जाता वह एड्रेस से माननीय सभापति महोदय, Director, Mines and Geology Department, Udaipur.

Sir,

I am directed to enclose here with a copy of discussion note dated 16–12–80 about Bijolia for information and necessary action.

Yours faithfully
Sd.
Section Officer.

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज

(श्री खेतसिंह)

की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिये समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 42 व43 पर विचार

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, सभापति महोदया, यह निवेदन कर रहा था, यह डिस्कशन नोट इस तरह के एक पत्र के साथ डाइरेक्टर को भेज दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस डिस्कशन नोट पर कोई पालिसी डिसीजन लिया गया था ? माननीय सभापति महोदया, इस डिस्कशन नोट के पैरा नं. 3 के सब पैरा (2) में लिखा है।

"for the purpose of regularising existing workings Mining Engineer, Bijolia will consider limit of 60 × 60 sp. mts. for one plot and such plots could be granted to one person. However, the workings must be contiguous. If any person holds more plots, of smaller than 60 × 60 in any of the boundaries in Bijolia area the limit of two plots prescribed in Rules could be relaxed with prior permission of the Govt. A detailed note about such cases shall be Submitted by DMG to Govt. for taking a policy decision."

यह नोट है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, यह भारतीय संविधान द्वारा स्थापित पार्लियामेंट का बनाया हुआ माइन्स एण्ड मिनरल रेगुलेशन एक्ट है। माइन्स एण्ड मिनरल रेगुलेशन एक्ट के सैक्शन 15 के अनुसार है।

Section 15–Powers of State Government to make rules in respect of miners minerals–

The State Government may by notification in the official gazette, make rules for regulating the grants.

(querry leases, mining leases or other mineral concessions)

in respect of minor minerals and for purposes connected therewith.

यह जो पावर्स इसके तहत आपको मिली हुई हैं उस पावर के तहत यह 1977 के माइन मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1977 बने हुए हैं, सभापति महोदया, यह है आज जो कुछ माईनिंग विभाग से रेगुलेटेड होता है, सारे लीज जिस तरह से होते हैं सारे पट्टे जिस तरह से स्वीकार होते हैं, किस तरह से पेनल्टी होती है जिस तरह से जो

(श्री कैलाश मेघवाल)

भी कार्य होते हैं इन दो के तहत होते हैं। मैं माननीय सभापति महोदया, आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इन माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स को संशोधित किया गया ? क्या यह जो एक डिस्कशन नोट पढ़ा जिसकी लीगल वैलिडिटी नहीं जिसका कोई औचित्य नहीं, क्या इसके आधार पर गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लेकर नोटिफिकेशन जारी किया ? अगर नहीं किया तो, माननीय सभापति महोदया, इस नोट के आधार पर किया हुआ कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला, कोई भी कार्यवाही राजस्थान की जनता के साथ धोखा होने के साथ, राजस्थान के खजाने को घाटा देने का एक षड़यन्त्र है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी और सभी विधायकों ने भी एक कसम खाई है।

"we will uphold the dignity of the Constitution.

डिग्निटी आफ दी कान्स्टीट्यू क्या है डिग्निटी ऑफ दी कान्सटीट्यूशन है कि उस कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत जो एक्ट बने हैं, जो नियम बने हैं उनका फेथफुली, फेयरली एण्ड वेरी स्ट्रिक्टली पालन किया जाये और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, जो राजस्थान का शासन चलाते हैं, इस बात की ज्यादा उम्मीद की जाती है, किन्तु राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने राजस्थान के खजाने को 11 करोड़ का घाटा दिया है 11 करोड़ रुपये का ही नहीं माननीय सभापति महोदया, समस्या और क्या है इसमें एक वर्ड आया है फेंट माननीय सभापति महोदया, माननीय खनिज मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि फेंट में नहीं समझते हों तो पहले ही एक आदेश निकला हुआ है फेंट का मतलब है आपने एक प्लाट दिया, उस प्लाट के आगे पीछे डिमारकेशन से गलती होने से या जो पट्टाधारी है उनके द्वारा खनन करते समय वह 20,25 फीट इधर उधर चला गया, 25 फिट मेग्जिमम, 25 फीट अगर वह इधर उधर चला जाता है, माननीय सभापति महोदया, तो उसको फेंट के इस आदेश के अनुसार यह रियायत दी जाती कि अच्छा यह क्षेत्र भी तुम अपने क्षेत्र के साथ ले लो। बिजोलिया में क्या हो रहा है ? बिजोलिया में एक दो खाने नहीं हैं, बिजोलिया में जो कहा गया है कि 417 खाने नहीं हैं, माननीय सभापति महोदया, बिजोलिया में आज की तारीख में 5 हजार खाने हैं। 5 हजार खाने हैं बिजोलिया की समस्या क्या है ? बिजोलिया कि समस्या यह है वहां फेंट सेनहीं लोगों ने काम चालू किया, काम चालू करने के बाद जो अपना प्लाट था उससे 25 फीट आगे बढ़े, उसको खोद लिया, फिर 25 फीट आगे बढ़े उसको खोद लिया, फिर 25 फीट आगे बढ़े गये उसको खोद लिया जिसको जो प्लाट अलाटेड था उससे दुगना तिगुना खुदाई करके अपना कार्य अपना चालू कर दिया। नम्बर एक, बिजोलिया की समस्या क्या है ? वन विभाग का क्षेत्र था। वन विभाग के क्षेत्र में जो अलाट नहीं किया जा सकता वहां लोगों ने प्लाट लेकर काटना चालू कर दिया, खाने काटना चालू

(श्री कैलाश मेघवाल)

कर दी । इस तरह से आपके राजस्थान के के वन विभाग ने 12 मुकदमें बनाये, माननीय सभापति महोदया, यह बारह मुकदमें में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब एक या दो हैं बाकी सब सम्पन्न । जयपुर से गई हुई पार्टी। ऐसा नहीं है यहां एक दुहाई दी गई हैं, गरीब छोटे तबके के मालिक हैं इसमें करोड़पति, लखपति है, माननीय सभापति महोदया । पांच या 10 पर्सेन्ट से ज्यादा कोई शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के नहीं हैं । वन विभाग ने जो बनाये हैं कैसे इनमें मोतीसिंह, जगदीशसिंह राठौड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर यह इस लिये बता रहा हूं कितना आकर्षण है। यहां के खनिज में वन विभाग ने तो चालान दिये थे हमारे वन विभाग की जमीन है इसमें खनन हो रहा है, अदालत में पेश कर दिये हैं और मुख्य मन्त्री जी, आपने खनिज विभाग ने आपके इस आदेश, किसी भी मतलब के आदेश के आधार पर उन सब खानों को रेगुलराइज करके अपने नक्शे बदल दिये । अब वे नक्शे की नकलें ले लेकर अदालत में जा रहे हैं, नहीं, नहीं, कहां है वन विभाग में, यह तो खनन क्षेत्र है । अवैध है । दूसरा कृषि की जमीन । उस कृषि की जमीन में जिन लोगों ने अवैध खनन चालू कर दिये हैं उस अवैध खनन को मुख्य मंत्री जी के इस आदेश के आधार पर नियमित कर दिया गया है । अवैध खनन के बाद माननीय सभापति महोदया, खाली पड़ी सरकारी जमीन उस खाली सरकारी जमीन के ऊपर लोगों ने खनन चालू कर दिया है और पट्टे बांट लिये । वह समस्या थी । इस तरह जितना क्षेत्र बिजोलिया का क्षेत्र आवंटित किया गया । ऐसे क्षेत्र से माननीय सभापति महोदया, दुगने या तिगुने क्षेत्र में आज खनन कार्य हो रहा है उसके ऊपर जो अवैध रूप से खनन हुआ है और जिन प्लाटों पर अवैध रूप से कब्जा है उसकी वैल्थ का हमको पैसा नहीं मिला, जो अवैध रूप से खनन हुआ है उसके ऊपर दस गुना पेंल्टी लेने का अधिकार था वह भी मैं नहीं कहता यह नियम कहते हैं जिनको संशोधित नहीं किया गया । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, इन चार तरह के खनिज को भगवान के लिये माफ करो 8–5–78 को पहली बार यह समस्या मेरे सामने आई थी, मैंने यह आदेश दिये थे कि सारा सर्वे किया जाय कितना अवैध खनन हो रहा है, कैसे हो रहा है । मैं नहीं कहता, सभापति महोदया, इस विभाग से दूर होना पड़ा, दूर हो गये लेकिन मैंने डिस्कशन नोट में दिया है । इसकी पालना माननीय मुख्य मन्त्री जी और खनिज मंत्री मुझे बतायेंगे, कितनी विभाग ने की हैं क्या ?

S.M. E.Kotah who was also present, suggested that a minimum three months' time wil be required for fixing boundary pillars to mark the existing workings, if three survey teams were provided to him. D.M. G was advised to depute survey parties and get the departmental pillars fixed to mark the extent of present workings so that RCRL holders were prevented from extending their working beyond this limit.

(180)

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह आपका डिसकशन हो गया। आपने एक चिट्ठी के साथ इसको भेज दिया। उसको कितना अर्सा निकला ? आज तक खनन विभाग ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। जो राजस्थान के खनिज क्षेत्र को नियमित करने का, जो खनिज क्षेत्रों को ठीक ढंग से चलाने का, जो खनिज क्षेत्रों से ठीक आय लेने का इसमें सिस्टम था उसका कुछ नहीं। इसलिये माननीय सभापति महोदया, मैं मांग करता हूं यह केवल एक बात जो माफी दी गई है 1।। करोड़ रुपया तो केवल एक बार आपने माफी दे दी इसका अवैध खनन आज भी हो रहा है...

(व्यवधान)

जो अवैध खनन हो रहा है उसकी रायल्टी नहीं ली जा रही है। हर महीने 25 लाख का घाटा राजस्थान के खजाने को दिया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी में अगर साहस हो, हिम्मत हो, वे चरित्र की बड़ी दुहाई देते हैं, 1942 से कार्यकर्त्ता हैं, राजनीति में अच्छे करेक्टर की दुहाई देने के आधार पर मैं चुनौती देता हूं, कमीशन आफ इन्क्वायरी के तहत इस सारे गड़बड़ घोटाले की जांच करायें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। विजोलिया में खनन करके किस तरह राजस्थान को घाटा दिया गया है यह राजस्थान की जनता जानेगी। आप मेरे इन सब मुद्दों का जवाब दीजिये।

दूसरा, माननीय सभापति महोदया, विवाद कैसे चल रहा है, आज मैं अपने को इस तक ही सीमित रखना चाहता हूं। नाथद्वारा के माननीय विधायक बैठे हैं, उन्होंने एक समस्या रखी कि खान क्षेत्र में लखपति कैसे बनते हैं। माननीय सभापति महोदया, केवल सीकर जिले की एक सूची आज वे लेकरके आये। इस सीकर जिले में मोदी बन्धुओं ने खनिज क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सबको पीछे छोड़ दिया है। मोदी बन्धु कैसे साम्राज्य स्थापित किया करते थे इसके कुछ कारण तो उन्होंने बताये, कुछ कारण, माननीय सभापति महोदया, मैं बताना चाहता हूं। मेजर मिनरल के नाम पर पट्टा लेकर खनन माइनर मिनरल का कर रहे हैं। खनन पट्टा लेने में प्राथमिकता की किसी विशेष शर्त को स्वीकार करके उस शर्त की पालना नहीं करना, खनन पट्टी मेजर मिनरल का लेकर सरकार को मेजर मिनरल की रायल्टी, जो बहुत कम होती है देकर माइनर मिनरल में उसका प्रयोग करना और सरकार को लाखों रुपयों का घाटा देना, हर पत्रावली में कुछ न कुछ काट-छांट करना, मूल रूप से जो निविदा अनुबन्धित होती है उसको दफ्तरों से गायब करवा देना: माननीय सभापति महोदया, मैं जब राजस्थान का खनिज मन्त्री था तब इस तरह की इनकी शिकायतें हुई। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं शिकायत होने के बाद राजनैतिक कारणों से नहीं बल्कि,शुद्ध भावना से उनकी जांच हुई। जांच करने के बाद जब यह तथ्य सही पाये गये कि कहीं पर शर्त लिख दी और धोखा देकर उसकी पालना नहीं की, कहीं मेजर मिनरल के नाम से लीज लेकर माइनर मिनरल घुसेड़ दिया गया अवैधानिक रूप से, उसकी पालना नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

हुई, कहीं पर मूल पट्टे गायब करवा दिये गये, कहीं पर और गड़बड़ियां की गई हैं, इस तरह के अपराधिक कृत्य देखकर उन लीजों को कैन्सिल करने के नोटिस देना मैंने चालू किया। जब उन लीजों को कैन्सिल करने का नोटिस दिये जाने लगा, माननीय सभापति महोदया, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा हो हल्ला मचा। वह हो-हल्ला इस बात का मचा कि राज-नैतिक प्रतिशोध की भावना से ऐसा किया जा रहा है। मैंने चार इस तरह की लीजों के पट्टे कैन्सिल करने के नोटिस दिलवाये थे। ओरियन्टल टाल्क जो मोदियों की है, के लिये नोटिस जारी कराया था। जो लक्की मिनिमेज मोदी बन्धुओं की है उसके लिये कराया था। जो वेस्ट केमिकल स्टोन मोदी बन्धुओं की है उसके लिए कराया था जो मोहन लाल अग्रवाल, मोदी बन्धु हैं, उसके लिये नोटिस जारी कराया था। इन चार फर्मों के पट्टे निरस्त करने के जब नोटिस जारी हुए तो, माननीय सभापति महोदया, खलबली मची। पाली से निर्वाचित माननीय डागा साहब, उस समय के माननीय सदस्य मथुरादास जी माथुर और अनेकमाननीय सदस्यों,जो विरोधी पक्ष में बैठे थे, ने सवाल उठाया कि प्रति-शोध ले रहे हो। हमने कहा, नहीं ले रहे। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस एकाधिकार प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये, मोदी बन्धुओं का जो साम्राज्य है, स्वयं उनके लिए ही नहीं उनके बेटे-पोतों और 7 पीढ़ी के लिए जिस तरह से सारा क्षेत्र सुरक्षित कर दिया है, उनका यह सारा साम्राज्य समाप्त करने के लिये इस विधान सभा के तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने एक घोषणा की थी कि हम आपके सारे गोरख धन्धे की जांच के लिये एक इन्क्वायरी कमीशन बैठाना चाहते हैं। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक, मैं चाहता हूं, आप राजस्थान के सारे केसेज की एक इन्क्वायरी कमीशन के जरिये जांच कराने की मांग कीजिये। अगर आपकी पार्टी में और आपमें दम है, पार्टी में आप दर्शन शास्त्री माने जाते हैं, फिलो-स्फर भी माने जाते हैं, आप कुछ प्रामाणिकता के आधार पर बात तो करते हैं, तो मजबूर कीजिये आपकी पार्टी के लोगों को जो राजस्थान की गरीब जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। खान क्षेत्र में एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं उनको मज-बूर कीजिये। मैं पूछना चाहता हूँ, जो इन्क्वायरी कमीशन, इन्क्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बैठाने का निर्णय लिया था उसका क्या हुआ ? वही दर्द आज नाथद्वारा के माननीय विधायक की जांच का आ गया। उन चार नोटिसों का क्या हुआ, जो इस बात के लिये दिये गये थे कि यह कार्य अवैध हुआ है, गड़बड़ हुई है, अपराधिक कृत्य हुए हैं।

इतना ही नहीं, एक जांच भी कराई थी, सभापति महोदया, सी.आई.डी. से। जांच इस बात की कराई कि डोलोमाइट को जो डोलोमाइट के रूप में यूज किया गया है मेजर मिनरल के तौर पर किया गया है माइनर मिनरल के तौर पर किया है ? पंजाब की कुछ पार्टियों की रसीदें आई थीं वे झूठी निकलीं, दूसरी जगह की भी कुछ रसीदें आई थीं. वे झूठी निकलीं इस बात, झूठी रसीदें डोलोमाइट मिनरल को मेजर मिनरल में काम में लेने की जमा कराकर सरकार के खजाने को धोखा दिया

(श्री कैलाश मेघवाल)

गया है, का सी.आई.डी. में चालान तैयार पड़ा हैं। माननीय खनिज मन्त्री जी, आप में साहस है तो अपराधियों को हवालात के हवाले करो और उनको दण्डित कराओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदया, कि यह देखिये आप, वह जो अभी नाम बता रहे थे इसमें कुछ नाम फर्म्स के हैं लेकिन कुछ नाम सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। गणेश कुमार अग्रवाल, मोहन लाल अग्रवाल, गोपाल लाइम स्टोन, विष्णु कुमार अग्रवाल, विष्णु मोदी, वीर कुमार, वी. अग्रवाल। ये सब एक ही आदमी की हैं। जैसा मैंने आपके सामने मोहन लाल अग्रवाल का नाम लिया, इस माननीय सदन के किसी माननीय सदस्य को पता नहीं चला होगा कि ये कौन हैं। यह नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल मोदी हैं। अलग-अलग नाम से काम कर रहे हैं, कभी मोहन लाल मोदी, कभी मोहनलाल अग्रवाल कभी एम. लाल, इस तरह की यह सारी स्थिति हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस एकाधिकार प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये आप क्या कर रहे हैं। एक दूसरा मामला आपके सामने और रख रहा हूं। एक खनिज क्षेत्र मोहन लाल अग्रवाल को सन् 1962 में स्वीकृत हुआ था। वह डोलोमाइट का क्षेत्र स्वीकृत हुआ था। डोलोमाइट की लीज स्वीकृत हुई। माननीय खनिज मन्त्री जी, अभी तो आप चार घण्टे में जवाब देंगे, सारी पत्रावलियां मंगा लीजिये। वैसे तो यह लीज मेजर मिनरल में थी, माननीय सभापति महोदया, जो मिनरल कन्सेसन रूल्स हैं उसमें एक प्रावधान है कि एक साल में अगर खान कोई आपरेट नहीं करेगा तो यह शर्त लागू होगी। मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960 उसके रूल (27) की शर्त एक है।

"Unless the State Government, for sufficient cause, permits otherwise, the lessee shall commence mining operations within one year from the date of execution of the lease and shall, thereafter, conduct Such operations in a proper, skielful and workman like manner."

यह आपका प्रावधान है। 1962 में एक लीज स्वीकार की गई, एक साल तक उसमें काम नहीं हुआ जिसकी वजह से साधारणतया लीज खत्म होनी चाहिये। राज्य सरकार भी उस समय की चेती तो 1972 में चेती। उस समय के माननीय खनिज मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री जी जो भी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, 1972 में उसका पट्टा खण्डित कर दिया गया। यह कह कर किया कि डोलोमाइट इस क्षेत्र में नहीं है। जिस क्षेत्र में डोलोमाइट की लीज ली गई, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनिज था नहीं, इसकी जांच कार्यवाई गई। यह कहकर पट्टा खण्डित किया गया कि इस क्षेत्र में डोलोमाइट नहीं है, मेजर मिनरल में गलत पट्टा दिया गया है। वह पट्टा 1972 में खण्डित हो गया। पार्टी दिल्ली चली गयी। 1972 में दिल्ली में उसको कह दिया। कैसे कहा, वह आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, मैं कई बार कहा भी करता था मेरे विभाग के लोगों से कि केन्द्र सर-

Page No 183

(183)

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार के जो निर्देश आते हैं, देखो कि उनमें विवेक है कि नहीं। वहां तो छपे छपाये फार्म है-100 दिन बढ़ाया जाता है फैसला लीजिये, 150 दिन बढ़ाया जाता है, फैसला लीजिये, 200 दिन बढ़ाया जाता है फैसला लीजिये। कोई कनफ्लिक्ट नहीं। जिस तरह के गलत आदेश कई बार आते हैं, उनको राजस्थान सरकार मानने को बाध्य नहीं है। फिर भी 1975 में पट्टा रि-स्टोर कर दिया। कोई बात नहीं। रि-स्टोर करने के बाद दावे हुए। दावे होने के बाद हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया जांच कराओ यहां डोलोमाइट है या नहीं। हाई कोर्ट के डाइरेक्शन पर इस विवाद पर जियोलोजिस्ट ने जांच की है और यह रिपोर्ट दी है....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, और कोई बोलेगा नहीं, मैं दो-चार केस रख तो दूं। मैं दूसरों का समय मांग लेता हूं। आज खनिज के बारे में बोल रहा हूं जो राजस्थान के भविष्य का आधार है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदया, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, राजस्थान के भविष्य से सम्बन्धित है। राजस्थान के खजाने की हालत क्या है, उससे सम्बन्धित है। माननीय सभापति महोदया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसके आधार पर जांच हुई। उस जांच में पाया कि डोलोमाइट नहीं है। केन्द्र की सरकार के रिवीजन में यह केस गया। वहां से आदेश आया कि जांच करो, डोलोमाइट है या नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मैं यह कह दूं कि जरा हिम्मत से केवल इस एक केस में डी. एम. जी. ने यह कह दिया कि नहीं नहीं यहां डोलोमाइट नहीं है, इसलिये खान पट्टा रिन्यू नहीं किया जाये। तत्कालीन खनिज मन्त्री प्रद्युम्न सिंह जी तक वह फाइल गई कि यहां डोलोमाइट नहीं है, पट्टा रिन्यू नहीं किया जाए। यहां पर डोलोमाइट नहीं था, पिछले एक महीने पहले, दो महीने पहले डोलोमाइट आ गया और डोलोमाइट का खनन पट्टा नवीनीकृत हो गया। जवाब दो यह डोलोमाइट कहां से आया, कैसे आया, कौन जिम्मेदार है। मुफ्त में आया या पैसे से आया। ऊपर से आया या नीचे से आया। मैं राजस्थान की सरकार से जवाब चाहता हूं, डोलोमाइट कहां से आया। डोलोमाइट आने में मुझे एतराज नहीं है, माननीय सभापति महोदया। क्या हुआ? यह वह क्षेत्र है डोलोमाइट का जहां नेशनल लाइम स्टोन के झगड़े पड़ रहे हैं। नेशनल लाइम स्टोन के जब झगड़े पड़ रहे थे तो, नेशनल लाइम स्टोन का पट्टा राजस्थान सरकार ने खंडित किया। मुकदमा चल रहा है उसका भी हाई कोर्ट में। डोलोमाइट मेजर मिनरल की खान है। मेजर मिनरल के पट्टे में अगर कोई माइनर मिनरल निकले तो पट्टा नहीं दिया जा सकता, यह शर्त होती है। इस शर्त के बाद अगर पट्टेधारी नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे तो, आप कह देंगे अरे इसका क्या है। नो आब्जेक्शन है वही निकालना चाहता है उसको स्वीकृति आप दे देंगे। एक दरख्वास्त पेश हुई कि मेजर मिनरल डोलोमाइट का पट्टा चाहिये। उस जगह की दरख्वास्त पेश हुई जहां डोलोमाइट नहीं है। उसमें बदमाशी हुई है वह मैं बताना

Page No 184

(184)

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूं। जहां डोलोमाइट नहीं है वहां के लिये एक दरख्वास्त पेश हो गयी। वह दरख्वास्त यह पेश हुई कि इस क्षेत्र में लाइम स्टोन माइनर मिनरल है, उसका भी पट्टा दे दिया जाय। हमारी सरकार ने कहा, हां हां, यह ठीक है। और वह पट्टा दे दिया लाइम स्टोन का। यहां तक भी कोई एतराज नहीं है। माननीय सभापति महोदया, हुआ क्या ? आज खनिज विभाग के सारे अधिकारी बैठे हैं, माननीय मन्त्री जी, उनसे पूछ लेना। नेशनल लाइम स्टोन का जब पट्टा खण्डित किया तो उस पट्टे का कुछ क्षेत्र राजस्थान स्टेट माइन्स डवलपमेंट कारपोरेशन को आपरेट करने के लिये दिया गया। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 14 महीने में राजस्थान की सरकार को आमद हुई वहां से 14 लाख 87 हजार रुपये और राजस्थान स्टेट माइन्स डवलपमेंट कारपोरेशन को आमद हुई 6 लाख 51 हजार रुपये। कुल मिलाकर 21 लाख 38 हजार की आमद हुई। यह आमद हो रही थी। आज भी नेशनल लाईम स्टोन का खण्डित किया हुआ पट्टा राजस्थान स्टेट माइन्स डवलपमेंट कारपोरेशन के पास है। वहां का इन्जीनियर लिखता है, हम यहां काम नहीं कर सकते, हमारी जान का खतरा है। वहां का इन्जीनियर लिखता है, यहां गुण्डे आकर हमारे यूटेन्सिल्स चुराकर ले जाते हैं, हमारी जान का खतरा है। मैं चुनौती देना चाहता हूं, माननीय खनिज मन्त्री जी, जहां 14 महीने में आपको उस क्षेत्र में 21 लाख 38 हजार का लाभ हुआ था, वहां आज आपको 5 सौ रुपये महीना नहीं मिल रहा है। पूछ लीजिये, यह इसमें साफ तथ्य है। सत्ता में आने का मतलब यह नहीं है, माननीय सभापति महोदया कि इस तरह की हरकतें की जाय। यह मागें मैं उठा रहा हूं, कोई कहे कि यह व्यक्तिशः है, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारा एक कान्सटीट्यूशन आफ इण्डिया है। इस कान्सटीट्यूशन आफ इण्डिया के आर्टीकल 39 का 'बी' और 'सी' मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। (b) "That the ownership and control of the material resources..."

माननीय खनिज मन्त्रीजी, सुन लीजिए। नौजवान साथी नाथद्वारा से आने वाले में जोश है। आपके समाजवादी मुख्यमन्त्री तो पूंजीवादी बन गये हैं लेकिन उनका कुछ दर्शन है, कुछ समाजवाद की कल्पना गरीब कौम से लेकर आये हैं। स्टेट को डायरेक्शन क्या है ? स्टेट को डायरेक्शन है।

(b) " That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good.

(c) That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह संविधान के दो डायरेक्शन हैं। यह स्टेट से अपेक्षा की है। स्टेट से अपेक्षा यह की है कि स्टेट के, इस धरती के जो रिसोर्सेज हैं, पूंजी पैदा करने के जो स्रोत हैं वह कुछ हाथों में कन्सेन्ट्रेट नहीं हों बल्कि सामान्य व्यक्ति को उनका लाभ मिले। जिस बात को नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, वही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आपकी सरकार को घाटा देकर यह हुआ।

माननीय सभापति महोदया, इसके बाद एक बहुत बड़ा और तमाशा हुआ। तमाशा इसलिये कहूंगा कि विभाग कैसे चल रहा है किस प्रकार विभाग चल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, नेशनल लाईम स्टोन का जो पट्टा खण्डित हुआ, पट्टा होने के बाद यह आवश्यक था कि उसको नोटिफाई किया जाता। इसलिए आवश्यक था, माननीय सभापति महोदया, माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1977 का रूल 56, माननीय खनिज मन्त्री जी, आपको रेफर करना चाहता हूं, रूल 56 क्या बोलता है। माननीय सभापति महोदया, रूल 56 बोलता है :

"Availability of the areas for re-grant to be signified by an entry in the register for mining Leases and rent-cum-royalty lease"— मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं : "No area, which was previously held under mining lease or rent-cum-royalty lease, shall be treated as available for re-grant unless an entry to this effect has been made in the register of mining lease or rent-cum-royalty lease and 15 days have elapsed from the date of such entry. "The aforesaid entry register of mining lease shall be made at least three months before the date of expiry of original lease or within 15 days from the receipt of determination order, as the case may be."

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : "In case of rent-cum-royalty lease, the entry shall be made on the date of notification under rule 27 (4). In the case of mining lease for area of one square Kilometer or above, the date from which it shall be treated as available for re-grant shall be notified in the Rajasthan Gazette at least 30 days in advance. The notification shall mention the relevent rule under which the grant shall be made either by auction or by application."

यह जो एक पट्टा आया वह खण्डित किया गया और एक क्षेत्र रिक्त हुआ। क्षेत्र रिक्त होने पर एक रामेश्वर लाल जी बजाज ने 4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के लिए दरख्वास्त लगाई। मैंने जैसा आपके

(श्री कैलाश, मेघवाल)

सामने कहा, ऐसे रिक्त क्षेत्र अगर एक स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है तो उसका गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, गजट नोटि–फिकेशन नहीं हुआ। हर कदम पर जितनी तेजी से प्रोसेस होकर यह जयपुर तक आ गया, मैं यह सारे उदाहरण शासन सचि–वालय के दे रहा हूं। यह रामेश्वर लाल बजाज हैं कौन, माननीय सभापति महो–दया, यह रामेश्वर लाल बजाज नेशनल लाईम स्टोन कम्पनी के पार्टनर हैं। उस पार्टनर के बारे में क्या लिखा है रूल 4(4) में। रूल 4(4) रेफर करना चाहता हूं, माननीय खनिज मन्त्री जी आपको, उसमें यह लिखा है :

"No mining Lease shall be granted or renewed to a person against whon or any member of whose family or against the firm of which he is or was a partner, the dues of the department are outstanding provided that where any injuction order has been isued by a court of law.."

मैं एक तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, फर्म में एक लाख 85 हजार डेटरेन्ट बाकी था जिसके यह पार्टनर थे। दूसरा, यहां पर पहले कई दरखास्त लग रही थी। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामेश्वर लाल बजाज को नियमों के विरुद्ध बिना नोटि–फिकेशन यह जो पट्टा दे दिया गया, आज भी खारिज हो सकता है। इस पट्टे के लिए एक ग्यारसीलाल जी, जिन्होंने दर–खास्त लगा रखी थी, हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझको पट्टा दो। राजस्थान की बड़ी प्यारी सर-कार, राजस्थान का खजाना भरने की कसम खाने वाली सरकार, राजस्थान की जनता के प्रति प्रतिबद्धता की यहां पर शपथ खाने वाले लोगों ने इस लीज को, माननीय सभापति महोदया, करीब एक लाख रुपये और कुछ पैसे में अलाट कर दिया। माननीय सभापति महोदया, रेन्ट जो इसका वसूल किया जायेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह 90 और 70 एक लाख 60 हजार रुपया वसूल किया जायगा एक लाख 60 हजार रुपया डेडरेंट पर इस लीज को स्वीकृत कर दिया। ग्यारसी लाल ने हाई कोर्ट में यह अण्डर–टेकिंग दी है, मुझको पट्टा दे दो, मैं पांच लाख का डेट रेन्ट देने के लिए तैयार हूं। मैं पूछना चाहता हूं, खनिज मन्त्री जी, आपके डिपार्टमेंट में इस आफर या इस शपथ पत्र की प्रति है या नहीं? जवाब दीजिये। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, एक लाख 60 हजार में जो आपने पट्टा दिया है, गलत तरीके से दिया है, दे नहीं सकते थे। उसके लिए 5 लाख तो वह दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, 5 लाख ही क्यों लें। माननीय सभापति महोदया, 25 लाख रुपये इस पट्टे से आ सकते थे। 25 लाख कैसे आ सकते थे, वह बताना चाहता हूं। माईनर मिनरल्स में रायल्टी की जो हमारी योजना है, माननीय सभा–पति महोदया, एक हैक्टेयर और उसके बाद उससे ऊपर स्लेब में जाते-जाते रायल्टी कम होती जाती है, नीचे के स्लेब पर ज्यादा रहती है। यह भी मैं आपको अपनी तरफ

(श्री कैलाश मेघवाल)

से नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि सदन यह जाने कि हर चीज इस कानून में लिखी हुई है । मैं कहना नहीं चाहता, आपके माइनर मिनरल सेक्शन रूल का शिड्यूल सैकिण्ड है उसमें इसके फिगर दिये हुए हैं । पचास पैसे मिनिमम हैं और 6.25 रुपये मैक्जीमम है । यह और बढ़ गई होगी । अबाऊ टेन हैक्टेयर अब यह हण्ड्रेड हैक्टेयर, यह ज्यों ज्यों ऊपर जाता है, रेट कम होती चली जाती है । आप इस चार स्क्वायर किलोमीटर के पचास पट्टे काट देते । 300X300 के पचास प्लाट बनते हैं और 300X300 के एक प्लाट का डेट रेट 45 हजार रुपया होता है जो आपके विभाग ने तय किया है । इस तरह से अगर इस एरिया में छोटे-छोटे 300X300 के पट्टे काट कर दिये जाते तो माननीय सभापति महोदया, राजस्थान सरकार के खजाने में, राजस्थान की जनता के खजाने में तीस लाख रुपये की आमद होती । आज उस तीस लाख रुपये पर डाका डालने वाला कौन है जनता का अपराधी, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया ।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदया, एक और मामला है । एक मि. अहलूवालिया और हैं, उनको भी इन्होंने चार स्क्वायर माइल की ग्राम दिलपुरा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर में लीज अलाट की है । उनकी ओरीजनल दरख्वास्त नहीं आई हैं । मन्त्री जी, आपके सचिवालय से ओरीजनल अप्लीकेशन फार्वर्ड होकर नहीं आई है । मन्त्रीजी ने कहा, प्रति ले आओ उस प्रति के आधार पर नियमों के विरुद्ध खान अलाट की । नियमों के विरुद्ध इसलिए कहता हूं कि मेरे वक्त में यह निर्णय हुआ था कि इस क्षेत्र को नीलामी के आधार पर हम अलाट करेंगे । नीलामी में जो ज्यादा जाएगा उसको यह अलाट की जायेगी । उसको आपने अलाट कर दिया । इसके भी वही कारण हैं । इसमें भी 20 लाख रुपया ले सकते थे आप छोटे-छोटे प्लाट बना कर । उसमें एक दो आवेदन पत्र और लग रहे थे, उन्होंने भी आपको आफर किया था कि आप उनको दे दें ।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदया, एक ग्राम अहीरों की खेड़ी, डूंगला चित्तौड़गढ़ तहसील में है । मुझे खुशी है, माननीय खनिज मन्त्रीजी उस क्षेत्र से आते हैं जो डूंगला से भी परिचित हैं और अहीरों की खेड़ी से भी परिचित हैं । उस अहीरों की खेड़ी में एक स्क्वायर किलोमीटर, 119 हैक्टेयर का एक प्लाट लाईम स्टोन का दिया गया है । श्री अमर-नाथ पुत्र धनराज राजपुरोहित को यह दिया गया । मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया. 2–11–81 को इसी व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया था । 2-11-81 का प्रार्थना पत्र इसलिए खारिज कर दिया कि यह क्षेत्र हमने सीमेंट के लिए रिजर्व रखा है यह हमारा संरक्षित क्षेत्र है । यह हमारा सुरक्षित क्षेत्र है हम इस पर लाइम स्टोन का पट्टा नहीं दे सकते । उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । यह पट्टा शुरू से चला आ रहा था । इस क्षेत्र के लिये 30–9–81 को कानूनी आदेश निकला कि यह क्षेत्र सुरक्षित किया जाता है । वह आदेश 28–12–81 को विथड्रा कर लिया गया । उसके बाद यह पार्टी अप्लाई करती है । जब यह पार्टी अप्लाई करती है तो बडे

(श्री कैलाश मेघवाल)

ही क्लेन्डस्टाइल, दूसरे ढंग से इस पार्टी को यह पट्टा स्वीकार किया जाता है। इसमें राजस्थान के खजाने को लाखों रुपयों का नुकसान किया गया है। मैं, माननीय सभापति महोदया, यह इसलिए कहना चाहता हूँ, जितना तेजी से इसका प्रासेस हुआ है, यह है राजस्थान के शासन सचिवालय में होने वाले कार्यकलापों को लेकर लेखा जोखा। माननीय सभापति महोदया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सारे देश में लागू होती है, उसी प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट की रूलिंग सारे राजस्थान में लागू होती हैं। जब शासन सचिवालय के यह हाल हैं, डायरेक्टोरेट का यह हाल है तो नीचे तक जाऊंगा तो आप समय के लिये मना करेंगी। कुछ दो चार पाइन्ट और बोल करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। मैं एक केस बताना चाहता हूं जो उस रोज सवाल के जवाब में आया था.... सवाल के जवाब में आया, आज मैं पूछना चाहता हूं, पत्रावली मंगाली।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया ठीक से बैठें।

श्री कैलाश मेघवाल : पत्रावली इसलिये मंगा ली, 4-11-81 को वाणिज्य कर अधिकारी ने लिख दिया था कि बिक्री कर बकाया है। उस रोज बहुत कुछ कहा माननीय खनिज राज्य मन्त्री जी ने कि जिस रोज स्वीकृति दी उस रोज कुछ बकाया नहीं था। उस रोज भी 2,200/- और कुछ रुपये बकाया थे। मैं कहना चाहता हूं, जो दरख्वास्त, जो रिन्यूअल का प्रार्थना पत्र अधूरा था उसको आपने कंसीडर कैसे कर लिया? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदया, कि क्या हाल चल रहा है। यह 90 लाख वर्ग फीट का क्षेत्र है, उसके लिए उस रोज तो कह दिया कि सहकारी विभाग कार्यवाही करे। मेरी जानकारी है, सहकारी विभाग का यह लिखा हुआ कि यह सहकारी समिति बोगस है इसका पैसा दूसरों में लगा रखा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, 4-11-81 को आपके पास आ गया था। 4-11-81 को आया हुआ पत्र, 6-1-82 को जब डी.एम.ई. से प्रस्ताव शासन सचिवालय में भेजे गये तब तक पत्रावली में नहीं लग सका। बेचारा छुप गया कहीं, किसी कुर्सी के नीचे गिर गया होगा या किसी फाइल में, दराज में रह गया होगा। उसके बाद डायरेक्टर को याद आया कि यह तो रह गया, मारे जायेंगे। उसने किसे क्या आदेश दिये, निर्देश दिये, किस कारण से रह गया. हमने गड़बड़ तो कर दी है। उसके बाद 28-1-82 को उन्होंने बिक्री कर की बकाया के लिये लिखा कि हमारे पास तो बिक्री कर की बकाया का यह आया हुआ था, यह रह गया है, हम भेज रहे हैं उस पर निर्णय ले लेना। वह भी जो 28-1-82 को डायरेक्टर ने भेजा था 19-2-82 तक उस पत्रावली में नहीं लग सका। छुपा रहा। विभाग की बकाया बिक्री कर की बकाया, इन्कम टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं, सहकारी समिति बोगस, फिर भी उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। क्या कारण हैं इन अनियमितताओं को करने का, माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अनियमितता करने का तो अब आपने एक पट्टा ही ले लिया है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(5.25 म. प.)

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह सभापति, पीठासीन)

, माननीय खनिज राज्य मन्त्रीजी, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आजकल रेन्ट-कम-रॉयल्टी लीजेज दी जाने लगी है बड़ी तेजी से। मैंने यह प्रथा चालू की थी बड़ी तेजी से। लाभ मिलना चाहिये लोगों को और इसलिये मिलना चाहिये कि छोटे आदमी को खान मिलेगी तो धन्धा बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन आपके यहां रेन्ट-कम-रॉयल्टी के बारे में मुझे कोई बता दे, किसी आधार पर बता दें, किसी कसौटी पर यह साबित कर दें कि आखिर यह क्लाज क्यों रखा है। मैं आपको वह क्लाज पढ़ दूं। आपका यह गजट नोटिफिकेशन है :

लाटरी प्रणाली राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 12(43) खान। ग्रुप-4। 78, दिनांक 12-11-81 के अनुसार अपनाई जावेगी। इस आदेश के अनुसार व्यक्तिगत लाटरी के पूर्व पचास पर्सेन्ट प्लाट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा 40 पर्सेन्ट प्लाट अन्य व्यक्तियों के लिये आरक्षित करने हेतु भी लाटरी उसी दिन ड्रा की जावेगी। उन्हीं निर्धारित प्लाटों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की लाटरी उसी दिन ड्रा की जावेगी। उन्हीं निर्धारित प्लाटों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी व्यक्ति वार निकाली जावेगी। इसके अतिरिक्त....

(व्यवधान)

सुन लीजिए।

इसके अतिरिक्त जो 10 पर्सेन्ट प्लाट शेष बचेंगे उनकी लाटरी ड्रा न की जाकर ये प्लाट राज्यादेश के अनुसार राज्य सरकार की इच्छानुसार विशिष्ट अनुमति पर स्वीकृत किये जावेंगे"....

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार करने का दरवाजा खुला है। जो काम एम. ई. और ए.एम.ई. कर सकता है उस काम को राजस्थान के सचिवालय में बैठने वाला मन्त्री करेगा। किसको देना है, कैसे देना है यह वह तय करेगा। यह भ्रष्टाचार किसलिए है ? मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर इस नोटिफिकेशन का औचित्य सिद्ध करते हैं।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने बहुत जल्दी में एक केस और रखना चाहता हूँ। यह केस है हमारे माननीय खनिज राज्य मन्त्री जी से सम्बन्धित है। खनिज राज्य मन्त्रीजी से सम्बन्धित केस मुझे रखना है। मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले बहुत ही अनर्गल बातें कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, मन्त्री रह चुके हैं...

(व्यवधान)

वे समाप्त कर रहे हैं इसलिये मैं अपनी बात कह देता हूं। इस तरह से सदन को गुमराह कर रहे हैं। वे स्वयं मन्त्री रह चुके हैं।

(श्री मोहनलाल मोदी)

ढाई वर्ष तक इन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : दो दो रुपयों की दलाली आपने की सारे राजस्थान की माइन्स को आपने खाया है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने नोटिस दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने नोटिस दिया है कि इतने आरोप लगाऊंगा। सब लिख कर दिया है, माननीय सदस्य को भी पहुंचा होगा। और सबको पहुंचा होगा। जो कुछ भी कहना हो जिस तरह से मैं कह रहा हूं वह कहें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं सुनने को तैयार हूं।

श्री सभापति : आप भाषण जारी रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, जारी रखता हूं। एक घटना और आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सीकर, झुंझुनूं, बैराठ एवं कोटपूतली के लिए मोदी बन्धुओं ने एक खान का पट्टा लिया था। उस खान के पट्टे की 1977 में जो शासन सचिवालय से एक स्वीकृति हुई थी, उस स्वीकृति में बीस माइल रेडियस में चार स्क्वायर माइल के पट्टे नहीं दिये जायेंगे यहकहीं नहीं था। माननीय सभापति महोदय, यह शर्त नहीं थी। यह राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अभी कह रहे थे शासन सचिवालय से 1977 में जो स्वीकृति जारी हुई उसमें 20 माइल रेडियस में चार स्क्वायर माइल के छोटे पट्टे नहीं दिये जायेंगे इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। हम इन्जेक्शन नहीं देना चाहते हैं, यह कह करके अपील खारिज कर दी। यह सवाल मैंने उठाया था। 1978 में मैंने इस शर्त को खारिज किया था। खारिज करने के बाद मैंने इस क्षेत्र में 150-150 के पट्टे देने की घोषणा की थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ लोग चाहते हैं कोई तरीका हो, किसी तरह यह साम्राज्य बना रहे, उस साम्राज्य के अन्दर कोई दूसरा नहीं आये, मैं ही मैं खाऊं, मैं ही मैं आगे बढ़ूं, राजस्थान की जनता और गरीब मरे। ऐसे षड़यन्त्र करने वाले लोगों ने सचिवालय स्तर से स्वीकृति निकलने पर एम. एस. ई, या डायरेक्टर लेवल पर एक शर्त जुड़वा दी। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है, माननीय खनिज मन्त्री जी, वहां तक तो ठीक है। फैसला होने के बाद निर्णय होते होते अब अन्तिम बार एक निर्णय प्रकाशित हुआ है, सभापति महोदय, वह विज्ञप्ति जारी हुई है जनवरी 4, 1973 को। यह कहते हुए कि सीकर, झुंझुनूं, बैराठ एवं कोटपूतली क्षेत्रों में

(श्री कैलाश मेघवाल)

पहले चूंकि इसमें ऐसी शर्त थी, चूंकि इसमें जो सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये हम रिजर्व रखना चाहते हैं, अब यह दोनों बातें नहीं हो रही हैं इसलिए इस क्षेत्र में 300 बाई 300 के पट्टे दिये जायेंगे। यह ठीक है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, हुआ क्या? लाईम स्टोन के लिए नोटिस जारी किया। लाइम स्टोन, मार्बल और कैलसाइट में फर्क क्या है, आपको मालूम है? सभापति महोदय, एम.जी.ओ. जिसमें चार प्रतिशत तक होता है वह लाइम स्टोन है that is the best mineral बेस्ट मिनरल जिसको कहते हैं, वह है लाईम स्टोन। चार प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक अगर उसमें एम.जी.ओ. आ जाये तो वह मार्बल हो जाता है। 12 प्रतिशत से ऊपर एम.जी.ओ. चला जाय तो कैलसाइट हो जाता है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, इधर तो यह नोटिफिकेशन निकलता है और उधर पिछले चोर दरवाजे से इसी क्षेत्र में पांच या छः खानें मंजूर हो जाती हैं। 6 खानें किस-किस को मंजूर होती हैं, माननीय सभापति महोदय, गैर कानूनी तरीके से? मार्बल और लाइम स्टोन एक ही मिनरल हैं। एक ही उसका डेड कन्ट्रोल रेंट आता है, एक ही रॉयल्टी आती है। उसको आपको उसी तरह नोटिफाई करना चाहिए था जिस तरह से यह किया। लेकिन चोर दरवाजे से घुसे। इसलिये कहता हूं चोर दरवाजे से कि इस क्षेत्र में मार्बल की खानें नहीं दी जा रही थी। जिस तरह से लाइम स्टोन की खानें नहीं दी जा रही थी उसी तरह मार्बल की खानें नहीं दी जा रही थी। उस क्षेत्र में खानें लेने वाले कौन हैं? खान लेने वाले हैं एक–कुमारी मधु शर्मा डाटर आफ जयकृष्ण शर्मा। एक हैं श्री मोहन लाल अग्रवाल। कोटपूतली में 300X300 का मार्बल का प्लाट है। कुमारी मधु शर्मा को प्लाट, श्री सतीश कुमार वत्सल को प्लाट, श्री बुद्धराम को प्लाट, श्री महेश कुमार को प्लाट, श्री तेजसिंह को प्लाट। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह क्या तमाशा हो रहा है चोर दरवाजे से? कौन बैठा है राजस्थान के खनिज राज्य मन्त्री की कुर्सी पर? राजस्थान को जनता के विश्वास के साथ कौन धोखा कर रहा है, यह पूछना चाहता हूँ, आज। कह देंगे, क्या मन्त्रियों के लड़के लंगोटी बांध कर फिरें। अगर लंगोटी वाले होते तो मैं एतराज नहीं करता। लेकिन अगर राजस्थान के खनिज राज्य मन्त्री, जयकृष्ण शर्मा नहीं होते तो कुमारी मधु शर्मा को यह प्लाट नहीं मिलता, इतना मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। यह इसलिये कहना चाहता हूं, इस खनिज विभाग को लूट रहे हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं वह लूट कर खा रहे हैं। यह खनिज विभाग राजस्थान के सेठों के यहां गिरवी है। आपकी हर पत्रावली, उसकी नकलें, उसकी फोटो स्टेट कापी बड़े पट्टेधारियों के यहां चली जाती है। आपका हरेक अधिकारी बड़े पट्टेधारियों के यहां चाकरी देने जाता है, पैसा ले रहे हैं। जिस खनिज विभाग में राजस्थान को एक अरब रुपये साल की आमद हो सकती है उस खनिज विभाग से अगले साल आपका टार्गेट बनाया है 44 करोड़ रुपये लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेटर तो बहुत है मेरे पास, कहना भी चाहता हूं। एक बात जो माननीय विधायक ने कही, मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन कर दूं। यह रोको, खनिज राज्य मन्त्री जी। यह प्रतापसिंह मुरडिया, उदयपुर में आपकी कांग्रेस (आई) के नेता हैं। आर.एस. एम. एम. में, सभापति महोदय, वैल इक्विप्ड वर्कशाप है। मैं आज यहां सुनना चाहता हूं, अगर खनिज मंत्री या राजस्थान के मुख्य मन्त्री आज यह घोषणा करें, आर. एस. एम. एम. का जो वर्कशाप है, उसके जो मैकेनिक हैं, जो यान्त्रिक अभियन्ता या दूसरे कर्मचारी हैं वह सारे मिलकर सावेल्स और डम्पर्स मरम्मत नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। वैल इक्विप्ड वर्कशाप है। बढ़िया से बढ़िया फोटो छाप दिया, आर. एस, एम. एम. के प्रगति विवरण का यह कवर कम से कम 25 रुपये का है। घाटे में जा रहा है यह इस साल। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, देख लीजिये, क्या इस आर. एस. एम, एम. में सावेल्स और डम्पर्स की मरम्मत नहीं हो सकती? मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैंने जानकारी की है, मैं जानता भी हूं, चालीस हजार में जो मरम्मत हो सकती है, उदयपुर के प्रतापसिंह मुरड़िया को सावेल्स और डम्पर्स की मरम्मत कराने का ठेका दो-दो लाख रुपये में दिया गया है। आज उस आर.एस. एम. एम. को लुटाया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं। आप पहले यह घोषणा कर दें, मैं यह आरोप वापिस ले लूंगा क्षमा मांगते हुए, प्रतापसिंह मुरड़िया मेरे भी मित्र हैं उनसे भी जाकर क्षमा मांग लूंगा। लेकिन आप यह तो कहिये कि आपका वर्कशाप, वहां का स्टाफ मरम्मत नहीं कर सकता है। घोषणा क्यों नहीं करते? कीजिये। लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। जाकर देख लेना, वर्कशाप कैसी है। जाकर देख लेना, तीन-तीन, चार-चार हजार रुपया तनख्वाह पाने वाले सैकड़ों तो नहीं दर्जनों वहां पर आपने यान्त्रिक अभियन्ता लगा रखे हैं, वह सब मरम्मत कर सकते हैं। वहां तो यह है लूटो, कौन देख रहा है, चलने दो। ऊपर जब लुटाई हो रही है, शासन सचिवालय में लुटाई हो रही है, मन्त्रालय में लुटाई हो रही है, बहती गंगा है, हाथ धोओ। मैं निवेदन करना चाहता हूं और भी कई पाइन्ट्स हैं, वह सही पाइन्ट्स हैं, माननीय सभापति महोदय, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा····

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : इतना ही कहते हुए कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री में अगर साहस है तो बिजोलिया खनन क्षेत्र की कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत जांच करायें मैंने तथ्य रखे हैं। अगर साहस है तो राजस्थान के खनिज विभाग, जो सेठों के यहां गिरवी है, को सेठों के यहां से निकाल कर नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने जो एक सवाल उठाया कि मोनोपोली खत्म करो, जिसका समर्थन मैंने किया है उस बात को आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणकमल मेहता ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जयकृष्ण-शर्मा, राज्य मन्त्री, यातायात का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : उन्होंने मेरे से सम्बन्धित कुछ बातें कही हैं, इसका मैं क्लेरीफिकेशन दूंगा ।

श्री सभापति : बाद में दे दीजिये ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरे नामजद कही है । इसमें मेरा पाइन्ट ग्राफ क्लेरीफिकेशन है । मेरे से सम्बन्धित है । अगर विभाग से सम्बन्धित होता तो कोई बात नहीं थी बाद में कह देता । चूंकि मेरे से सम्बन्धित है इसलिए मैं कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं, मेरा सबसे बड़ा लड़का माइन्स का काम सात साल से करता है । माननीय सदस्य, जब मन्त्री थे तब उन्होंने कई बार यह प्रयास किया था, उनकी जानकारी में जब आया कि उनको यह खान नहीं मिले । मेरे पुत्र ने कानूनी रास्ता अख्तियार करके छोटी-मोटी खान ली । मेरा लड़का माइन्स का कोई बहुत बड़ा काम करने वाला नहीं है । वह और उससे छोटा लड़का 6–7 साल से यह काम कर रहे हैं । अगर माननीय सदस्य यह सोचते हों कि आज उनको सौभाग्य है कि उनके कोई औलाद नहीं हैं, आज यह सौभाग्य बहुतों को हो सकता है । बहुतों को यह भी सौभाग्य हो सकता है कि उनकी औलाद आवारागर्दी करती घूमती हो, उनके नाम को बदनाम करती हो, समाज के लिए कलंक है । कमा कर नहीं खाती हो । यह खुशी की बात है इसका मुझे गर्व है कि मैं और मेरी औलाद हमेशा कमाकर अपना काम धन्धा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं । आज राजनीति में रहने का यह सबसे बड़ा राज है । मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो मेरा सबसे बड़ा लड़का है वह तीस साल का है । उससे एक छोटी लडकी, जिसका नाम पढ़कर माननीय सदस्य ने सुनाया है 25 साल की है । गत दिनों मैंने उसका हार्ट का आपरेशन कराया है । स्वयं उसने जीवन के लिए अपना यह तय किया है चूंकि वह बीमार है इसलिये शादी नहीं करेगी । मेरी औलाद ने यह सोचा । कहने को अगर मैं चाहता तो कहता, उस पर भी आऊंगा । इन तीनों भाई बहिन ने सोचा, कोई धन्धा एक साथ ऐसा करें जिससे लड़की, जो शादी शुदा लड़की नहीं रहेगी, मन में यह नहीं आये कि वह अपने भाइयों पर निर्भर रहती है, उन्होंने उसको अपने धन्धे में सम्मिलित किया । एक छोटा सा टुकड़ा जो फ्री होल्ड पड़ा हुआ था उसने ले लिया मैं सदन को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं न मुझे इसकी एप्लीकेशन देने का पता है, न मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे लड़के ने यह कार्यवाही कब की । चूंकि वह माइन्स का काम करता है, उसे इस बात का ज्ञान है, उसने एक दरख्वास्त दी और एक छोटा सा टुकड़ा 150 × 150 का ले लिया । उसके अन्दर मैं कहता हूं बहुत बड़ी अनियमितता नहीं है अगर मेरी ही इनपलूयें

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

होता, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं, आज मैंने जानकारी की, उसने दो दरख्वास्त दी थी उसकी एक दरख्वास्त कैंसिलक्यों होती? मैं उनको यह कहना चाहता हूं उन्होंने मेरे पद का कोई दुरुपयोग नहीं किया। जो भी कायदे कानून की बातें थीं उसके तहत वह प्लाट की यह बात कहते हैं, सरकार ने उसको फ्री कर दिया था–हरेक को लेने का अधिकार था। मेरी समझ में कोई गुनाह नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, उनको इस बात पर भी एतराज है, वे यही चाहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता कोई काम नहीं करे। तो क्या मैं जो तनख्वाह पाता हूं उससे इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं? फिर भी आप फाइल देखें, मैं इसे किसी भी माननीय सदस्य को कानून सौंपने के लिये तैयार हूं अगर इसमें कहीं भी मेरी ओर से गलती पाई जाय तो मैं जो भी दण्ड है उसे भोगने के लिये तैयार हूं। आप गुमराह हैं। मैं अपना कोई इन्फ्लूएस प्रयोग में नहीं लाया हूं। मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी औलाद काम करती है। भगवान ने आपको अवसर दिया है आप बातों को उछालते रहिये आप कहते रहिये। आपको और आपके बहुत से साथियों को यह सौभाग्य प्राप्त है। मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का आवारागर्दी करे। मैं नहीं चाहता मेरा लड़का यह नहीं चाहता, वह गुण्डागर्दी करे मैं तो चाहता हूं कि वह समाज का अच्छा व्यक्ति बनें, समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चले और लोगों को रोजगार और धन्धा देने में कामयाब हो यह मेरा ख्याल है। अगर आपको आज भी ख्याल है आप माइन्स मिनिस्टर रहे हैं, मैं आपको आज भी चैलेंज करता हूं. आप मेरे साथ बैठ जाइये, फाइल देख लीजिये उसके बाद आप जो कुछ कहें वह करने के लिये मैं तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री माणकमल मेहता

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं तैयार हूं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, मैं····

श्री सभापति : आपको बाद में अवसर दूंगा, मैंने माननीय सदस्य का नाम बोल दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं भी जवाब ही दे रहा हूं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में आप कह दें।

श्री मोहनलाल मोदी का
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत ही संक्षेप में।

सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कहीं चौपड़ पर भाषण देते हैं उस तरह से इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

(व्यवधान)

आप भी अपने मन में सच्चाई हो तो सुनने की क्षमता रखिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें ।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार में मन्त्री रहे और मेरे यहां से चुनकर आए हुए सूर्य नारायण जी चौधरी, जो राजनैतिक द्वेषता के कारण सदा से हमारे विरोध में रहे हैं, उद्योग मन्त्री रहे । इन्होंने इस समय मिलकर मैं चाहा कि इस मोदी परिवार को किसी तरह से समाप्त किया जाए क्योंकि सीकर जिले में एक परिवार ऐसा है जो पूरा का पूरा कांग्रेस के वफादार लोगों में से है और सीकर जिले में कांग्रेस को...

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिये । मैंने आपको उधर कभी भी साथ नहीं दिया ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : खर्च किये 36 लाख, उनकी शादी में 42 लाख खर्च किये...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने की इजाजत नहीं । माननीय जोशी जी ।

श्री मोहनलाल मोदी : 1978 में नीम का थाने में श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रोग्राम मैंने रखा । उस वक्त मंत्री महोदय जनता सरकार में मन्त्री थे...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर । जो आरोप लगाये हैं उनका स्पष्टीकरण करें यह तो समझ में आती है लेकिन विधान सभा और 50 हजार का क्या संबंध है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, स्पष्टीकरण ही कर रहे हैं । श्री मोदी ।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे पर उस वक्त इतना प्रेशर डाला गया कि श्रीमती गांधी का प्रोग्राम कैंसिल करवा दो...

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : चाहे कुछ हो, मेरे को जो दण्ड मिलेगा जो कुछ जनता पार्टी की सरकार मेरे साथ करेगी मैं उसको भुगतूंगा लेकिन इन्दिरा गांधी नीम का थाना आयेगी । और वह आई । तो, इनके मन में ऐसी राजनैतिक द्वेषता हुई कि

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मोहनलाल मोदी)

कि इन्होंने झूठे मुकदमें ढाई साल के समय में जितने बना सकते थे, बनाये। मैं अपने स्पष्टीकरण पर आना चाहता हूं। माइन्स के लिए खनिज विभाग में दो रूल्स होते हैं, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। इसके अन्दर एरिया आप देखें, सारे राजस्थान में पहाड़ है इतना बड़ा एरिया है, आज उनको कौन रोक सकता है वे कहीं भी खान ले सकते हैं। मेघवाल जी को कौन रोकता है या और किसी माननीय सदस्य को कौन रोकता है या और किसी माननीय सदस्य को कौन रोकता है कि यह लीज मत लीजिये। लेकिन लीज लेने के लिये खोपड़ी में कुछ अक्ल चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, घनश्याम जी तिवाड़ी को भी लीज दिलवा दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : उनके लिये भी कोशिश कर रहा हूं। सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है और लीज ले सकता है अगर एप्लीकेंट चार हों और एक आदमी सत्ता के प्रभाव से लीज ले ले और तीन रह जाय तो कह सकते हैं कि यह क्या तरीका है। कहीं 80 एकड़ सोप-स्टोन का एरिया ले रखा है या कहीं मेरा परिवार बिजनैस करता है, मिनरल के लिये फैक्ट्रियां लगा रखी है उनमें इतना उत्पादन करके उस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा रही हैं तो इसमें गुनाह क्या किया? कहीं राजसत्ता का दुरुपयोग दबाव का काम किया हो तो बता दें। इनकी भी तो सत्ता थी इन्होंने कैंसिल करने की भरपूर कोशिश की, सूर्य नारायण जी चौधरी ने बहुत कोशिश की, मेघवाल साहब ने बहुत नोटिस दिये कि लीज कैंसिल कर दो। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट बैठा है, दिल्ली में अपीलेट आथोरिटी बैठी है। पूरे अढाई साल तक एक पांव हाई कोर्ट में, एक पांव दिल्ली में रखा। कम से कम 100 अपीलें हाई कोर्ट में पेश की है तब जाकर एरिया परिवार के लोगों के लिये बचा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोई अनियमितता या किसी दबाव में ली हो तो कह सकते हैं। आज उन्होंने लिस्ट बताई उसमें 10–12 ने एप्लीकेशन दी 150 बाई 150 मार्बल की खान के लिये, जिसमें राज्य मंत्री की····

श्री सभापति : स्पष्टीकरण हो गया?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं स्पष्टीकरण ही दे रहा हूं। उन्होंने एप्लीकेशन देकर लीज ले ली तो मेरे को बतावें किस चीज का दुरुपयोग किया? कहीं ललित किशोर जी ने अर्जी दी हो और रिजेक्ट हो गई हो, मोदी के लड़के को लीज दे दी तो दूसरी बात हो सकती है। इन्होंने डोलोमाइट के बारे में कहा मैं निवेदन कर रहा हूं कि 1978 में इन्दिरा गांधी आई तो इनके मन में बहुत बड़ी तकलीफ थी। एक ए. एम. ई. से जबर्दस्ती लिखवा दिया कि इस जगह डोलोमाइट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 1964 में उस एरिया का सर्वे हुआ था उस सर्वे रिपोर्ट में 41 मिलियन टन लाइम स्टोन बताया गया यह राज्य सरकार की रिपोर्ट है जिस पर 10 लाख खर्च हुए

(श्री मोहनलाल मोदी)

थे। ये सिवाय द्वेषता के कोई बात नहीं करते है। मैं इनसे अभी भी कह रहा हूं, मेरे सार्वजनिक जीवन के लिये कहता हूं, नीम का थाना में चले जाय आपकी पार्टी के पांच आदमियों की कमेटी बना लीजिये, एक पैसे की शिकायत निकाल दें तो में त्याग पत्र दे दूंगा। इसके सिवाय क्या कहूं।

श्री सभापति : श्री माणकमल मेहता।

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री माणकमल मेहता (पाली) : सभापति महोदय, उद्योग और खनिज की मांग पर जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिया है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जन-कल्याणकारी राज के लिये जो नीति का निर्धारण होता है उसमें सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जनता का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। औद्योगिक नीति निर्धारण के लिए जो उद्योग विभाग का प्रगति विवरण है उसमें भी यही है कि जन कल्याण को उन्होंने अपने सामने रखा है। अधिक से अधिक मैन पावर इस कार्य में लगे जिससे उत्पादन बढे और निवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो, यही सबसे बड़ा मंतव्य होता है। इन सब बातों को सामने रखकर औद्योगिक नीति का निर्धारण किया गया और इस बात के लिये सोचा गया कि औद्योगिकरण हमारे प्रदेश में किस प्रकार से बढ़े। हमारा यह प्रदेश, जैसा कि हमारा समूचा देश है, कृषि प्रधान है। कृषि विशेष रूप से या मुख्यतया वर्षा और पानी पर निर्भर करती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, जहां दुर्भाग्य से वर्षा का हमेशा अभाव रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि पश्चिमी राजस्थान की जो इकानामी है वह कैटल पर डिपेण्ड करती है। वर्षा के अभाव के कारण हमारी फसलों की अनिश्चितता रहती है इसलिये औद्योगिकरण की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। यदि पश्चिमी राजस्थान का उद्धार करना है, उत्थान करना है, वहां के लोगों का विकास करना है, उनको नौकरी या किसी कार्य पर लगाना है तो पश्चिमी राजस्थान में औद्योगीकरण बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान का वह इलाका जहां से मैं आ रहा हूं पाली शहर है। पाली शहर में औद्योगिकरण करने के लिये रंगाई छपाई की बहुत यूनिटस हैं। छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनकी संख्या मेरी जानकारी में 450 से अधिक है जिन लोगों ने यह यूनिट्स लगा रखी हैं, मैं यह निवेदन करूं कि पाली शहर में जो पाली की उम्मेद मिल्स है, 15/17 हजार आदमी का काम करते हैं। 17हजार आदमी छोटी-छोटी यूनिट्स में काम करते हैं। उन लोगों की रोजी रोटी का साधन यह फैक्ट्री छोटे-छोटे उद्योग और पाली मिल है। वहां पर निरन्तर अकाल पड़ता रहता है। एक आदमी के पीछे एवरेज चार आदमी माने तो 60 हजार आदमियों को इस धंधे से रोटी मिलती है। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति बना रखी है उस औद्योगिक

(श्री माणकमल मेहता)

नीति के क्रियान्वयन के लिये उद्योग निदेशालय बना रखा है। जो हमारी लोनिंग इन्सटीट्यूशन हैं राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन या रीको को हम गिने तो उनका यह फर्ज है कि उनको लोन दें। काफी तादाद में हमारी सरकार ने इन इन्स्टीट्यूशन्स के माध्यम से उनको लोन दिया हैं इस लोन के आधार पर और अपनी पूंजी लगाकर उन्होंने छोटे-छोटे यूनिट्स खड़े किये हैं। काफी मेहनत और परिश्रम से वे इन यूनिट्स को चला रहे हैं लेकिन हमेशा एक चीज सामने आती है कि उनको पावर की कमी रहती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान में पावर की बहुत कमी रही है। इसको दूर करने के लिये हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रयत्न किया और उनसे पहले भी प्रयत्न होते रहे लेकिन चूंकि उत्पादन क्षमता हमारे प्रदेश की बहुत कम रही है इस वजह से हम पूरी तरह से उनको बिजली नहीं दे पाते। मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम किसानों को बिजली देते हैं उसी तरह से उद्योगों में जो भी कार्य होता है उसके लिये हमें निरन्तर बिजली देनी चाहिये ताकि हमारे देश का उत्पादन बढ़े और उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधरे।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के लिये कोई स्थायी योजना बनायी जानी चाहिये। उस क्षेत्र में कैटिल ब्रीडिंग के साथ साथ उद्योग के लिये भी आप विशेष रूप से ईयर मार्क कर दें। सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में हमेशा वर्षा के अभाव के कारण अकाल की स्थिति रहती है। आज पांच साल से अकाल पड़ता आ रहा है। यह पांचवा वर्ष है अकाल का सीमित साधन होने की वजह से सरकार को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रोहट पंचायत समिति का तो यह हाल है कि एक गाँव में भी पीने का पानी नहीं है जो कुछ थोड़ा बहुत पानी है वह खारा है इस वजह से वहाँ के लोगों को टैंकर के द्वारा आपको पानी सप्लाई करना पड़ता हैं जिसमें लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे उद्योग जो उस क्षेत्र में लगाये जा सकते हैं, एक स्पेशल कमेटी बना करके, सर्वे करवा करके वे उद्योग वहां लगायें। उस क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगाये जायें जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता न हो और लोगों को निरन्तर रोजगार मिल सके। इन्टर प्रिन्योर वहां आकर के अपने उद्योग लगा सकते है और उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिये ठीक हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इस भू-भाग में, इस पाली क्षेत्र में अभी कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने रीको के माध्यम से एक वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट वाटर को क्योर करने के लिये, वाटर को ट्रीट करने के लिये लगाया। रंगाई छपाई की जो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं उनको जो पानी निकलता है उसमें एसीडिटी होती हैं वह खराब पानी होता है उससे पड़ोस में, पास में रहने वाले किसानों की जमीनें खराब हो जाती हैं, कुओं का पानी खराब हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है। उसकी वजह से यह ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया गया। सभापति

(श्री माणकमल मेहता)

महोदय, जो पाली में तीन यूनिट्स हैं, एक मंडिया रोड की यूनिट है, दूसरी फर्स्ट इण्डस्ट्रियल एरिया फेज़ वन एण्ड टू है, इन तीनों यूनिट से जो पानी निकलता है, करीब 9 हजार गैलन पानी निकलता है। मंडिया रोड का मिला कर 11 हजार गैलन हो जाता है। ट्रीटमेंट प्लान्ट क्षमता करीब 9 हजार गैलन की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पाली शहर के लिये दो करोड़ 35 लाख की स्कीम बना कर सरकार के सामने रखी गयी थी, जो पूरे पाली शहर के सीवरेज सिस्टम की स्कीम थी, उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया था कि इतने फण्डस नहीं है इस वजह से इस स्कीम को इम्पलीमेंट नहीं किया जा सकता सकता है। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन जब भी समय आवे, दो साल के बाद जब आपके फण्ड्स परमिट करें, मैं यह निवेदन करूंगा, पाली शहर की यह जो सीवरेज स्कीम आपके समक्ष है आपके विभाग में है आप इसकी अगर स्वीकृति देंगे तो पाली शहर की हमेशा के लिये यह प्राब्लम साल्व हो जायेगी और नये-नये इन्टर प्रिन्योर जो वहां आयेंगे वे अपने उद्योग लगा सकेंगे। इस समय यह भी निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि रीको और आर. एफ. सी. की ओर से जो वहां पर कार्य करने वाले लोग हैं यद्यपि वे पूरी दक्षता से काम कर रहे है तथापि उनके अन्दर जो भावना होनी चाहिये, किसी भी इन्टरप्रिन्योर को आगे लाने की या मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी बात को समझने की या उसके साथ कोआपरेट करके उसके काम करने की भावना हमारे अधिकारियों में पूरी तरह से नहीं ऐसा मैं मानता हूं। हम जब गुजरात, महाराष्ट्र में जाते हैं तो देखते हैं कि इन्डस्ट्रीज लगाने वाले उद्यमियों के साथ बड़े ही उत्साह से वहां के अधिकारी आगे आते हैं। उनको एक ही रूफ के नीचे हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सारी सुविधा प्रदान की है लेकिन उनका मेन्टल एटीट्यूड चेन्ज करने के लिये वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि उन आफिसरों जो वहां पर काम करते हैं या जो इन विभागों में काम करते हैं, को महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में भेजा जाये। वहां वे देखें उद्यमियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार कोआपरेट करते हैं। यदि वे वहां जाकर के देखेंगे तो, मैं समझता हूं, कोई तकलीफ यहां के उद्यमियों को नहीं रहेगी। नार्मली जब हम यह कहते हैं कि राजस्थान में आप अपने उद्योग लगाइये या अपनी फैक्ट्री लगाइये तो वे यही कहते हैं आपके यहां के अधिकारी हमको इतना कोआपरेट नहीं करते हैं या हमको उनके सामने 10/10 बार जाना पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो भावना हमारे आफिसरों में है, इण्डस्ट्रियल वर्क के के लिए या इण्डस्ट्री में काम करने वाले जो उद्योगपति है या जो उद्यमी हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न हो तो वे प्रोत्साहित होकर हमारे प्राविन्स में आयेंगे, हमारे इलाके में आयेंगे और उद्योग लगायेंगे। इन उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे यहां की इकानामी ठीक होगी। पश्चिमी राजस्थान के उस इलाके, जिसका मैं निवेदन कर रहा हूं, के किसानों की, मजदूरों की हालत सुदृढ़ होगी। हमारा यह

(श्री माणकमल मेहता)

ध्येय है कि हम किसी तरह से अपनी इकानामी को ठीक करें। हम वहां पर कारखाने लगाकर इकानामी ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूं, इसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी हम हमेशा आपसे यह निवेदन करते आ रहे हैं कि पानी की प्राब्लम साल्व करने के लिये जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीमे बनायी गयी है उसकी स्वीकृति प्रदान कर दीजिये उसके बाद हम अभी आप से यह नहीं कहेंगे अगर यह इण्डस्ट्रियल यूनिट लग गयी तो हमें यह निवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हमारे यहां पर फेमिन, वर्क्स खोलिए या हमारे मजदूरों को मजदूरी पर लगाइये। इस तरह से अगर आप केलकुलेट करके देखेंगे तो 10 साल के अन्दर फेमिन के अन्दर जितना पैसा खर्च करे उस इलाके के लिए खर्च करेंगे उतना पैसा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। पांच-सात करोड़ रुपया आपका बचेगा और निश्चित रूप से वहां की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि आइन्दा फेमिन में वहां पर केवल पानी की प्राब्लम के अलावा और कोई दूसरी प्राब्लम आपके सामने नहीं रहेगी। मैं जो कुछ भी आपसे निवेदन करता आया हूं, पाली के अलावा आपको मैंने रोयट के एरिया की स्कीम के लिए निवेदन किया। यह भी निवेदन किया कि राजस्थान सरकार जो डिफरेन्ट बेसिस पर काम कर रही हैं जैसे सिरोही के अन्दर सीमेंट का यूनिट लगाने जा रही है, एक टैक्सटाइल यूनिट सिरोही में लग रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो उद्योग मन्त्री भी हैं, से निवेदन करूंगा कि पाली का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है आप भी ध्यान रखें। वहां इण्डस्ट्री लगाने का विचार दिमाग में हो और कोई भी बड़ी इण्डस्ट्रियल यूनिट यदि आप वहां लगा देते हैं तो इससे वहां की इकानामी ठीक होगी। अगर वहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो निश्चित रूप से इस देश का और हमारे वहां के जन-जीवन का कल्याण होगा और उनको सब तरह की सुविधा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, हालांकि अभी मैं नोट्स ले ही रहा था लेकिन आपकी आज्ञा हो गई तो निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय जो, हमारे देश की इण्डस्ट्रीज हैं, जो हमारे राज्य की इण्डस्ट्रीज हैं, हम देखते चले आ रहे हैं, उसके कुछ प्रमाण भी मैं आपको दूंगा कि वह गैर जरूरी तौर पर कैपिटल इन्टेन्सिव होती चली जा रही हैं यानी इण्डस्ट्री में पूंजी नियोजन दिन पर दिन बढ़ रहा है। उनसे जो उत्पादन होता है, कैपिटल इन्टेन्सिव इण्डस्ट्री होती है इसका मतलब यह होता है कि हमारे उद्योग के जो साधन हैं वह धीरे-धीरे कुछ हाथों में सीमित होते चले जाते हैं। परसों मन्डे को ही पालियामेंट में लेबर मिनिस्टर ने जो जवाब दिया, उनके आंकड़े मैं आपको दूंगा। कैपिटल इन्टेन्सिव होने का नतीजा यह निकलता है कि उससे जो पूंजी के

(श्री यदुनाथसिंह)

केन्द्रीयकरण का एक नुकसान है वह तो है ही, साथ में, सभापति महोदय, जो इस तरह की भारी प्राद्योगिकी है वह देश में दिन पर दिन बेरोजगार बढ़ाती जा रही है यानी. ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ से रोजगार निकलता जा रहा है। यह सही है कि कुछ लोगों को उसमें रोजगार देकर आप आंकड़े दिखाने, प्रस्तुत करने की कोशिश करते हो कि हमने बड़ीं इण्डस्ट्रीज में इतने आदमियों को रोजगार दे दिया लेकिन उसका नतीजा यह होता है, सभापति महोदय, ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कन्ज्यूमर गुड्स इन्डस्ट्रीज ठीक है वह लगानी जरूरी है। आप कन्ज़ूमर गुड्स की इण्डस्ट्रीज रीको लगाइये, लेकिन वही इण्डस्ट्रीज लगाइये जिसका माल हाथ से न बनता हो। जब हमारा देश आजाद हुआ तब मोनोआन प्लानिंग कमीशन में नेहरू जी के चीफ एडवाइजर थे, उन्होंने प्लान तैयार किया। दुर्भाग्य से उस समय जितने हमारे यहां विद्वान थे उनका सोच विदेशी था, उनका दिमाग विदेशी था विदेशों के जितनी किताबें, पुस्तकें, लिट्रेचर और रिसर्च उन्होंने उद्योग पर पढ़ीं उसी आधार पर हमारे देश का प्लान तैयार करना शुरु किया। सभापति महोदय, उसका नतीजा क्या हुआ ? उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे है, ज्यादा से ज्यादा लोग मय्यत की जिन्दगी जी रहे हैं और गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो मैं यह कह रहा था, सभापति महोदय, जो हमारी इण्डस्ट्री है वह गैर जरूर तौर पर कैपिटल इन्टेन्सिव इन्डस्ट्री हो रही है। उससे ज्यादा से ज्यादा पूँजी केन्द्रित हो रही है, लोगों के हाथ से रोजगार निकल रहा है। बड़ी इण्डस्ट्री जरूरी हैं वह भी लगाइये। हवाई जहाज बनाना है, स्टील बनानी है या बिजली पैदा करनी है उसके लिए हैवी इण्डस्ट्री लगायें। लेकिन जो छोटे-छोटे कन्जूमर गुड्स हैं उनके लिए नहीं लगायें। अभी मैं एक मैग्जीन पढ़ रहा था उसमें जो आर डी टाटा साहब का प्रेस कान्फ्रेन्स में लिया गया इन्टरव्यू है उन्होंने कहा कि श्री नेहरू ने मेरे से कहा कि यहां पर कास्मेटिक्स की बड़ी कमी है, इस देश में कास्मेटिक्स बाहर से कोई टेक्नोलोजी लाइये और उसकी इण्डस्ट्री लगायें। ठीक है, शादी ब्याह में कास्मेटिक्स चाहिए लेकिन वहां पर चार हजार वर्षों से भी तो शादी हो रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है. गैर जरूरी तौर पर कन्जूमर गुड्स की जो बड़ी इण्डस्ट्रीज लग रही हैं उसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बड़ी इण्डस्ट्री में उद्योगपति का यह लक्ष्य होता है कि कम से कम आदमी रखें इससे मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेन्ट करने में आसानी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने का लक्ष्य रखता है। जो चीज हाथ से बनती थी वह चीज आज बड़ी इण्डस्ट्रीज वाला एक आदमी बनाने लग गया है। टाइल्स इण्डस्ट्री की नजीर देता हूं। आजकल ब्यावर लूम और दूसरी चीजों की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। एक हजार आदमियों का काम पांच आदमी बड़ी इण्डस्ट्री में एक टेक्स टाइल्स इण्डस्ट्री में कर सकते हैं। यह ठीक है कि आपने पांच आदमियों का रोजगार अपने आंकड़ों में दिखाया, पांच आदमियों को जरूर 20-25 रुपये रोज मिल रहे हैं लेकिन जो 995

202

(श्री यदुनाथसिंह)

आदमी हैं जो हाथ से कपड़ा बनाने का काम गांव-गांव में घर-घर में करते थे उन 995 आदमियों का रोजगार उनके हाथ से निकल गया। वे 3-4 रुपये कमाते थे, अपना पेट पालते थे ठीक है कि वे लेकिन रोजगार करते थे। पैसे वाले नहीं थे उनके हाथ से रोजगार गया। और आप देखते भी हैं, पुरानी सेंसर रिपोर्ट आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि नाम रामधन, जाति कुम्हार, पेशा खेती। इसका मतलब यह हुआ कि जो पेशा उसका है पहले खेती पेशा नहीं था। जब हम कान्स्ट्रेन्ट देखकर चलते हैं, खेती के उद्योग के हमारे क्या कान्स्ट्रेंट हैं तो एक चीज में कान्स्ट्रेंट नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप इग्नोर करते हैं एग्रीकल्चर को किसी प्लान में तो इण्डस्ट्री अपने आप इग्नोर हो जाती हैं। हमारे यहां पर जो सबसे बड़ा कन्जूमर है और रा-मैटीरियल पैदा करने करने वाला सैक्टर है व एग्रीकल्चर है उससे रा-मैटीरियल पैदा नहीं होगा और जो चीज इण्डस्ट्री में पैदा कर रहे हैं उसका कन्जूमर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर स्टेगनेंट हो जायेगी इण्डस्ट्री, जो आज आपको नजर आ रही है। आज इण्डस्ट्री की हालत वैसे तो ग्राह्य रेट बताई गई है, आज बड़े खराब आंकलन की स्थिति में हमारा देश जा रहा है, सभापति महोदय, उसके मैं आंकड़े दूंगा बहुत खराब है। सभापति महोदय, उसका नतीजा यह हो रहा है गांवों में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और वित्त मंत्री महोदय का भाषण पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने कहा, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योगों को हम बहुत प्रोत्साहन देंगे। उसके कुछ आंकड़े भी दिये और उन्होंने एक आंकड़ा यह दिया कि हमारे यहां खनन की दुगुनी यूनिट हो गई हैं खनिज की मांग पर आऊंगा तब उसकी बात करूंगा लेकिन उसका उत्पादन नहीं बढ़ा है, उससे आमदनी नहीं बढ़ रही है। मैं कह रहा था, इसका नतीजा यह हो रहा है गांवों में जो आदमी हाऊस होल्ड इण्डस्ट्री चला कर काम करता था वह बेरोजगार हो गया। अब क्या जरूरी है साबुन आप बड़ी इण्डस्ट्री में बना रहे हैं, तेल माचिस भी आप बड़ी इण्डस्ट्री में बना रहे हैं ? इस तरह जो छोटे-छोटे कन्जूमर गुड्स आप बड़ी इण्डस्ट्री में बनाते जा रहे हैं उससे चाहे आपका उत्पादन बढ़ रहा हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी की जिन्दगी जी रहे हैं क्योंकि उनका रोजगार छिन गया। मेरा कहना यह है कि जो बाहर की टेक्नॉलोजी है, मैं यह नहीं कहता, उसको देश में लाने का बुरा इरादा था। लेकिन उनका सोच विदेशी था, उनका पाश्चात्य सोच था, थिंकिंग वह थी, उन्होंने हिन्दुस्तान को एक दम यूरोप बनाने की कल्पना कर ली। इस तरह यूरोप नहीं बन सकता। यूरोपियन कन्ट्रीज में जिन जिन लोगों ने रिसर्च की वह कन्डीशन दूसरी थी। ... रिसर्च के आधार पर जो पॉलिसीज हमारे देश में बनायी, जो थिंकिंग दी, जो टेक्नोलोजी दी वह हमारे देश में इसलिए अपनाने लायक नहीं है कि हमारे देश और पाश्चात्य देशों में एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि हमारे यहां आदमी सरप्लस हैं, लेबर सरप्लस है, कैपीटल सरप्लस नहीं है जब कि यूरोप में कैपीटल सरप्लस है, लेबर की कमी है। वहां पर लेबर

(श्री यदुनाथसिंह)

बेड इण्डस्ट्री नहीं है। इसलिये हमारे यहां पर वही इण्डस्ट्री कायम होंगी जो कि लेबर इन्टेंसिव हो। जो गैर जरूरी तौर पर जो कैपीटल इन्टेंसिव हो रही है उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इण्डस्ट्रीज स्टेगनेट हैं। स्टेगनेट इसलिए हैं कि जो पर्चेजिंग पावर है वह मासेज के हाथ से निकल गयी। आप सारे अमेरिका की इण्डस्ट्रीज लाकर हिन्दुस्तान में या राजस्थान में लगा दीजिये, इससे यहां कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। सभापति महोदय, इसका नतीजा क्या निकला ? किस तरह से छोटी इण्डस्ट्री बरबाद हो रही है, मैं पुराने फिगर देख रहा था तो मेरी नजर पड़ी कि एक सर्वे हुआ था 1809 से 1813 में बिहार के 6 सूबों का। अंग्रेजों का समय था तब साढ़े उन्नीस पर्सेन्ट आदमी हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज में लगे हुए थे। फिर एक सर्वे 1861 में हुआ और इसके बाद एक सर्वे भारत के आजाद होने के बाद सन् 1955 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने सर्वे करवाया, उसके अनुसार सन् 1955 में 1 करोड़ 22 लाख आदमी हाउस होल्ड इन्डस्ट्रीज में लगे हुए थे लेकिन 1970 में आकर, 70 के बाद के आंकड़े मैं प्राप्त नहीं कर पाया, यानी 15 साल के बाद ही हाऊस होल्ड इण्डस्ट्रीज में रहने वाले लोगों की संख्या 63 लाख रह गयी। जो पापुलेशन ग्रोथ है उसके हिसाब से हिसाब लगाते तो यह आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख का और भी लम्बा जाता बाकी लोग कहां गये। बाकी लोग या तो जमीन पर रम गये या दिल्ली बम्बई रोजगार ढूंढने गये। दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहर में बड़ी इण्डस्ट्री में रोजगार नहीं मिलता है यह मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। रोजगार छोटी इण्डस्ट्री, लेबर इन्टेसिव इण्डस्ट्री में मिलेगा। यह भ्रम है कि बड़ी इण्डस्ट्री लग रही हैं उसमें हमें रोजगार मिलेगा। इसी का नतीजा है कि शहर की ओर लोग भाग कर जा रहे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बाम्बे, कानपुर शहरों में झुग्गी झोंपड़ी और स्लम्स में आदमी रह रहे हैं। 20 से 33 पर्सेन्ट जनसंख्या बड़ी दरिद्रता की स्थिति में इन शहरों में रह रहे हैं। उसका कारण यह है कि उनका रोजगार छीन लिया गया। कई बार हम सड़कों पर देखते हैं, एक बार मैं भरतपुर से आ रहा था एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिट्टी कूट रही थी, मैंने गाड़ी रोककर उससे पूछा कि भाई तुम्हारे घर वाले यही काम करते थे। वह बोली, नहीं हमारे घर वाले यह काम नहीं करते थे वे यहां चिनाई का काम करते थे। सभापति महोदय, चिनाई के लिए भी यहां कारखाने लग रहे हैं. बने बनाये मकान मिलेंगे। आप देखिये इस देश में बने बनाये मकान मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ से रोजगार के साधन छीनते चले जा रहे हैं। सभापति महोदय, इसका नतीजा निकला। सभापति महोदय, मासेज गांवों में रहता है, गांवों में कोई इन्फ्रास्टक्चर तैयार नहीं किया गया। इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए कहते हैं कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हम इण्डस्ट्रीज लगायेंगे। सेन्ट्रल फाइनेन्स मिनिस्टर के फिर से इण्डस्ट्रीज पर इसलिये टैक्स लगाने को मजबूर होना पड़ा है; क्योंकि हजारों इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जो टैक्स नहीं दे रही हैं, डिविडेंट दिये जा रही हैं कोई टैक्स ही नहीं देती हैं। जब मालूम किया तो पता लगा कि

(श्री यदुनाथसिंह)

बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरिया के नाम पर टैक्स को ही हजम ' कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर उनको दुबारा टैक्स लगाना पड़ा। वे टैक्स नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदय, जहां इन्फ्रास्टेक्चर नहीं है, जहां पानी नहीं है वहां पर आप उद्योगपतियों को सब्सीडी देकर किस तरह बनाना चाहते हैं। आज ही मेरे एक प्रश्न का जवाब आया है, लम्बी चौड़ी रकम बताई है। एक तरफ राज्य में नये आर्थिक संसाधन जुटायेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे, 20 करोड़ के टैक्स लगाये हैं। दूसरी तरफ उसमें 2 करोड़ की छूट दी है। 18 करोड़ के टैक्स इस वर्ष लगाये हैं लेकिन सिर्फ बिजली का बकाया 6 करोड़ कृषि पर है बाकी ज्यादातर बकाया इण्डस्ट्रीज पर है। पिछले साल मार्च, 1982 तक के मेरे को आकड़े दिये हैं हालांकि मैंने लेटेस्ट आकड़े मांगे थे, उसमें 36 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली के बिल इन्डस्ट्रीज में बाकी हैं। उनसे पैसा नहीं ले पा रहे हैं। कैसे क्या करेंगे आप ? कोई इरादा तो होना चाहिए, आप लगाइये बड़ी इण्डस्ट्रीज। मैं यही निवेदन करना चाहता था कि बड़ी इन्डस्ट्रीज के नाम पर, कभी सिण्थेटिक के नाम पर इस तरह की इन्डस्ट्रीज नहीं लगायें। छोटी इन्डस्ट्रीज के लिये आप इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिये। जो मार्केट की मंडिया होती थी, पहले यही होता था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के गांव ये मार्केट होते थे, कस्बे यूनिट होता था, टैक्नोलाजी के एक्सचेंज का यूनिट होता था लेकिन अब कस्बा तो बिल्कुल इग्नोर हो रहा है इसलिये रूरल इकानामी बुरी तरह से बरबाद हो रही है। शहरों में रहने वालों और गांव में रहने वाले की इन्कम का रेश्यो जो पहले 1:2 था अब वह 1:5 हो गया है। आश्चर्य की बात यह है, सभापति महोदय, जहां सन् 1950 में गांवों में रहने वालों को 197 रुपया मिलते थे, वहाँ शहर में रहने वालो को 399 मिलते थे, 1:2 का रेश्यो था। 1977 में जहां गांव वालो की इन्कम 196 रह गई वहां शहर वालों की 813 रुपया हो गयी। इसका मतलब गांव वालों की पर कैपिटा इन्कम एक रुपया और कम हो गयी। यहां पर मैंने एक प्रश्न किया था कि राज्य में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं यहां तो उसको ही रोजगार पर मान लेते है जिसने एक दिन काम कर लिया, एक हफ्ते काम कर लिया। कैसे रोजगार मानेंगे उसे माननीय सभापति महोदय, बड़ी इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना कम करें जो जरूरी है वही चीज बनायें जो जरूरी चीज साथ से नहीं बन सकती वही बनायें। चूंकि हमारे यहाँ कैपिटल की शार्टेज है, रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, हमारी लेबर फालतू घूम रही है, उस लेबर को अगर काम देना है और उत्पादन बढ़ाना है तो ऐसी योजनायें बनायें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आयेगा तो अब चूंकि छोटी इन्डस्ट्रीज में घड़ी तो बनेगी नहीं, लेकिन छोटी इन्डस्ट्री से जो पैसा उसके पास आयेगा, फालतू पूंजी आयेगी उससे वह घड़ी खरीदेगा उससे और दूसरी जो छोटी इन्डस्ट्रीज हैं उनका मार्केट बनेगा।

सभापति महोदय, खनिज का जहां तक सवाल है सौभाग्य से राजस्थान देश के अन्य

(श्री यदुनाथ सिंह)

राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति में है। हमारा दुर्भाग्य है कि जरा सी हम उससे पूंजी निकालते हैं। एक आंकड़ा दिया है कि 132 खनन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जो वर्ष 81–82 की तुलना में दुगुना है। यह राज्यपाल महोदय ने कहा है कि दुगुना है। मतलब खनन परियोजनाओं पर तो दुगुनियों पर काम चालू हो गया लेकिन आपका उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा है, आपकी आमदनी में केवल 6 करोड़ 24 लाख का इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी राज्य में केवल 6 करोड़ 24 लाख का इजाफा हुआ है। कोई भी तरह का खनिज नहीं है जो यहां पर नहीं निकाल सकें। मेरा तो यह कहना है कि कोई निश्चित दिशा दीजिये राज्य को। यहां पर जमीन के नीचे निकलने वाली चीजें हैं उसको निकालने के लिये निश्चित दिशा दें, यहां के खनिज को एक्सप्लायट करिये यहां बहुत खनिज पड़ा है। आपको बिजली के लिये किसी पर डिपेण्ड होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि आर. ए. पी. पी. की तरफ देखें बहुत कोयला पड़ा है आपके यहां आपने कुछ काम भी करना शुरू किया है लेकिन उसको जल्दी कीजिये। इतना ही कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, एक फिगर परसों आया था। वह जरूर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। किस तरह पूंजी केन्द्रित होती जा रही है उसके बारे में माननीय गुलाम नवी आजाद ने जवाब दिया है श्रीमती नानक मुखर्जी को जवाब में यह कहा है :–

"Tatas and Birilas have 2531 crore assets. The assets of Tatas and Birlas amounted to Rs. 1840.16 crores and Rs. 1691.69 crores, respectively, in 1981"

तो, आप देखिये, एक साल में उन लोगों ने उनकी पूंजी में कितना इजाफा कर लिया। एक तरफ 1976 की एन. सी. आर. ई. की रिपोर्ट है वह यह कहता है कि देश के 2 करोड़ परिवार, आदमी नहीं दो करोड़ परिवारों के पास 10 अरब 50 करोड़ के कुल असेट्स हैं। उनकी खटिया, छप्पर कोई तबेला है तो वह सब कुछ 10 अरब 50 करोड़ के असेट्स हैं। आप देखिये बिड़ला और टाटा की सम्पत्ति कई गुणी ज्यादा है। 11 करोड़ लोगों के पास जितनी जायदाद है उसकी ढाई गुणा ज्यादा इन दोनों के पास है जिस तरह से समाज दो भागों में विभक्त होता चला जा रहा है, सभापति महोदय, एक कमाने वाला, एक खाने वाला, एक पैसे वाला एक गरीब, एक अंग्रेजी बोलने वाला एक हिन्दी बोलने वाला तो अंग्रेजी सोच के आधार पर जो यहां पर योजनायें बनायी जा रही हैं उनको बंद करें। राज्य में बहुत से घरेलू उद्योग धन्धे लग सकते हैं। उसको रिवाइज करने के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम बनायें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सद्बुद्धि आये। आगे आने वाली पीढ़ी कहीं और ज्यादा दुर्भिक्ष की जिन्दगी न जीने लगे, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह राठौड़ : पांच मिनिट बोलेंगे। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 और खनिज सम्बन्धी दूसरी मांगों पर विचार चल रहा है। राजस्थान प्रदेश में कृषि व पशु पालन के बाद उद्योग व खनिज का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्व है। राजस्थान में 1300 करोड़ रुपए के विनियोजन से 213 मध्यम और वृहत औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इसी प्रकार कई खनिज के उद्योग हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शब्दों को गति प्रदान करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : उनमें एक लाख 45 हजार व्यक्तियों को आज रोजगार सुलभ हो रहा है। यह निश्चित बात है कि राजस्थान में औद्योगिक क्रान्ति का एक युग 1955 से 1970 के बीच में आया था। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान की इस धरती, जहां वह पैदा हुए उस जन्म भूमि को संवारने सजाने के लिए आमंत्रित किया था। उन 15 वर्षों में राजस्थान की इस धरती पर औद्योगिक विकास का व्यापक विस्तार हुआ और बहुत बड़ी पूंजी औद्योगीकरण में विनियोजित हुई थी। प्रश्न आज यह उठता है कि राजस्थान में 15 वर्षों के बाद औद्योगिक विकास अवरुद्ध सा क्यों हो रहा है, प्रवासी राजस्थानी राजस्थान की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं जबकि मेरी दृष्टि से उस समय के बाद औद्योगिक नीति और उद्योग लगाने की प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं और साथ ही साथ ऋण की सुविधायें भी काफी सुलभ हुई हैं। वित्त निगम ने प्रति वर्ष करोड़ों रुपए औद्योगीकरण के लिए सुलभ कराये। इस वर्ष के बजट में भी 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान इसके लिए रखा है। मैं समझता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद राजस्थान में विद्युत की कमी ने औद्योगिक क्रान्ति को अवरुद्ध कर दिया है। हमारे मुख्य मंत्री जी बार-बार कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान का उस दिन उज्जवल भविष्य होगा जिस दिन विद्युत उत्पादन राजस्थान में बढ़ेगा अवरुद्ध औद्योगिक क्रान्ति राजस्थान में फिर से शुरू होगी।

मैं इस मौके पर समय की कमी के हिसाब से कुछ मोटे-मोटे तौर पर निवेदन करना चाहूंगा। कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, एक खिड़की पर सब प्रकार के ऋण और अनुदान सुविधायें सुलभ हों। इस प्रक्रिया में जितने भी सुधार की आवश्यकता है, वह किया जाना चाहिए, इसके साथ वित्त निगम जिस सीमा तक अपनी शाखाओं को ऋण देने के अधिकार देकर चलता है, मैं समझता हूं, कि वह बहुत कम हैं। मेरी दृष्टि से लगभग 5–10 लाख तक के ऋण 2 लाख के आसपास का अनुदान देने का अधिकार वित्त निगम अपनी शाखाओं को दे दे तो बहुत सारी असुविधा, जयपुर में चक्कर लगाने की परेशानी समाप्त हो सकती है। इससे छोटे उद्योगों का विस्तार निश्चित रूप से होगा। इसके साथ-साथ भूमि रूपान्तरण के मामले में भी कई प्रकार की कठिनाइयां आये दिन सामने आती हैं। उद्योग विभाग भूमि लेकर आवंटित कर दे। इस प्रक्रिया में भी, मैं समझता हूँ, राज्य सरकार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का सरलीकरण करके उद्योग विभाग के जिम्मे सारा काम कर दिया जाय तो काफी काम हल्का हो सकता है। जिन लोगों को आज कठिनाइयां आ रही हैं, उनको ऐसा करने से सुविधायें सुलभ हो सकती हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, कि अभी कई उद्योगों पर एकाधिकार है। हम समाजवादी चिन्तन लेकर चलते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, धौलपुर में एक्सप्लोसिव निर्माण का एक कारखाना रीको के कालोबोरेशन से चलता है। इस कारखाने के कन्साइन एजेन्ट जिन्दल एण्ड जिन्दल कम्पनी है। उसका मैं नाम लेता हूं......

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : कोरम नहीं है।

श्री जगतार सिंह : कोरम है, गिन लो।

श्री रतनलाल ताम्बी : उस का एकाधिकार है। छोटे-छोटे कृषक, ग्राम लोग, किसान अपने कुओं और कई प्रकार के कामों के लिए एक्सप्लोजिव चाहते हैं तो उसकी कई गुनी रेट वसूल करके भंयकर, लूट मचा रखी है। इसमें अनुज्ञा पत्र वालों को इसके मार्फत प्रयत्न करने पड़ते है इससे काफी लूट हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही कीमत पर सीधा लोगों को एक्सप्लोजिव उपलब्ध हो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज इण्डियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड कलकत्ता का रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार में है। उसका माल भी बराबर सुलभ नहीं होता है। एक्सप्लोजिव के और भी एक दो बड़े-बड़े कारखाने हैं, मगर इन सब का माल यहां उपलब्ध नहीं होने की वजह से इसी धौलपुर वाली फैक्ट्री का एकाधिकार हो रहा हैं, इसके बारे में कई प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। पब्लिक सैक्टर में इण्डो वर्मा पैट्रोलियम कम्पनी एम. पी. में है, यह पब्लिक सैक्टर में होते हुए भी प्राइवेट सैक्टर के माध्यम से इसके माल के वितरण की व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार जब एकाधिकार की प्रवृति रहती है तो यह समाजवादी चिन्तन के विपरीत है, लोगों का अनावश्यक रूप से शोषण हो रहा है। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या पर खास तौर से उद्योग मंत्री महोदय ध्यान देंगे। इसके बारे में मेरे पास आंकड़े, डिटेल वगैरह बहुत हैं पर समय के अभाव में मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : बहुत है।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत कहने दो।

सरकार लाइसेंस देती है, वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए भी अनुज्ञा पत्र देती है मगर यह सब उद्योगपति की मर्जी पर है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सरकार की नीति क्या है और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उसके अधिकारी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा में खारी ग्राम में राजस्थान स्पिनिंग मिल, भीलवाड़ा की एक यूनिट चलती है, उस को 25 हजार तकुओं और 150 करघे के विस्तार का अनुज्ञा पत्र कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ था। उसको वर्तमान में 12,500 तकुए और बढ़ाने के लिए ऋण भी स्वीकृत कर दिया गया। परन्तु विद्युत कटौती के नाम पर भीलवाड़ा की तरह समस्या उत्पन्न होने के डर से राजस्थान में उस योजना को कार्यान्वित करना ठीक नहीं समझा गया। कम्पनी ने मशीन विक्रेताओं को भारी अग्रिम राशि प्रदान की वह अब लौटाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए भी कम्पनी पर बहुत बोझा बढ़ रहा है। तकुएं और करघों के लिए आवश्यक अग्रिम राशि प्रदान की गयी उसका उपयोग न करके, लाइसेंस को उपयोग में न लाने के लिए कारण ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह सारा मंतव्य 1981–82 की जो बैलेंस शीट, प्रकाशित हुई है उसके पृष्ठ 12 के 13.5.3 शीर्षक में प्रकाशित है। यह वक्तव्य 6 नवम्बर, 82 को संचालक मण्डल की बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि श्री आर. एन. मिश्रा की उपस्थिति में हुआ, एक विस्तार की योजना को किस प्रकार पूंजीपति और बड़े उद्योगपति समाप्त करना चाहते हैं। एक ओर अनुज्ञा पत्र मिला, जमीन सुविधायें, ऋण वगैरह सभी प्राप्त कर लिया, उसको राजस्थान सरकार के ये प्रतिनिधि श्री आर. एन. मिश्रा साहब स्वीकार करते हैं। यह राजस्थान की औद्योगिक नीति के ठीक विपरीत है और एक तरह से पूंजीगत नीति को प्रोत्साहन देने की प्रवृति है।

मैं इस मौके पर उद्योग के सम्बन्ध में यही बात कहता हुआ कुछ खनिज की बात बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं,

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री रतनलाल ताम्बी : संक्षेप में ही बोल रहा हूं, साहब, डिटेल तो बहुत तैयार की है मैंने आपका आदेश है, सही है।

खनिज में राजस्थान की धरती को वरदान प्राप्त है। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं में कई प्रकार के खनिज भूगर्भ में छिपे हुए हैं। हमारे खनिज विभाग ने अन्वेषण और अनुसंधान करके कुछ खनिजों को धरती के नीचे से सामने लाकर उद्योगों का विस्तार किया है आज भी बड़ी तादाद में खनिज भूगर्भ में छिपे हुए हैं। राजस्थान का खनिज की दृष्टि से जहां देश में तीसरा चौथा स्थान होना चाहिए, मैं समझता हूं, हमारी सरकार की नीति, हमारे खनिज विभाग की नीति और कई हमारी कमियों के कारण देश में हमारा स्थान 10 वां है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति हमेशा गम्भीर संकट की रहती है। मेरी ऐसी मान्यता है कि खनिज का सही ढंग से दोहन हो, नाजायज खनन को रोका जाये, पैनल्टी और डैड रेन्ट वगैरह सही ढंग से वसूल हो और मालिकों में जो बहुत बड़ी रकम बकाया चलती है वह वसूल हो तो राजस्थान में जो आर्थिक संकट चलता है वह न होकर के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगभग सौ करोड़ रुपयों की हमारी आय बढ़ सकती है। किन्तु कई प्रकार के व्यवधान हैं। जिस मिनरल्स के लिए जी. एस. आई. में क्षेत्र रिजर्व करते हैं उसके अतिरिक्त प्रयोजन के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति नहीं किये जा सकते, इस तरह की बंदिश है। खनिज मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि वह इस तरफ ध्यान दें। वर्षों से जी. एस. आई. क्षेत्र में क्षेत्र रिजर्व है वह जिस प्रयोजन के लिए रिजर्व है उसके अलावा खनिज अन्वेषण के अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिये, यह मैं बराबर मांग करता आ रहा हूं। सभापति महोदय, जंगलात में भी काफी बड़ी तादाद में खनिज हैं। जंगलात से खनिज निकालने में जो बाधा है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जहां तक पहले से जो खनन चल रहा मैं...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं। थोड़ा सा बात पर आता हूं कि आप कह देते हैं। बहुत अच्छे सुझाव दे रहा हूं, सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी कथनी और करनी में अन्तर है...

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, नहीं।

श्री सभापति : आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्रवासी राजस्थान आने चाहिये, दूसरी तरफ चुनाव में उन्हें हरा दिया आपने।

श्री रतनलाल ताम्बी : इस दृष्टि से नहीं आये थे साहब। अगर वे उद्योग लगाना चाहेंगे तो मैं उनका सहयोग करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो खनिज की सम्पदा आज जंगलों में है और जी.एस. आई. के नाम से रिजर्व है, यह राजस्थान के लिये बहुत बड़ा अभिशाप है। राजस्थान में खनिज मन्त्री जी और खनिज विभाग देख ले कि कई वर्षों से क्षेत्र रिजर्व किये हुए हैं, जिस प्रयोजन से रिजर्व किये हुए हैं उसके अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। इसके लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं, खनिज मन्त्री जी, अपने जवाब में इस बारे में निश्चित नीति घोषित करेंगे। आज जंगलात में जो पहले से लीज चल रही है उनका रिन्यूअल तक नहीं किया जा रहा है। उन लोगों के सामने कई कठिनाइया पैदा हो रही हैं। इसलिए मेरा आपसे विशेष तौर से अनुरोध है कि इस मामले में राजस्थान में आज जो बड़ी स्थिति खराब चल रही है उसको सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं इस मौके पर 4–5 बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, 610 करोड़ रुपये के आस-पास का आगूचा जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, शीशा और जस्ता निकला है। बहुत बड़ा भण्डार वहां पर निकला है। हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक को यह काम सौंप दिया जबकि प्रायवेट सेक्टर में यह काम नहीं चल सकते। पब्लिक सैक्टर के हाथ में इस काम को दिया जा सकता था, इससे राजस्थान की इकानामी और राज-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थान की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर आता। यह बात ध्यान में रखना न जाने कैसे चूक गये। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिंक सुपर स्मेल्टर प्लांट वहां पर लगाना चाहिये। बजट में इसका जिक्र जरूर किया है मगर मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। इसमें कई प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, राजस्थान सरकार इस बारे में अपनी पूरी शक्ति लगाकर व जिंक सुपर स्मेल्टर प्लान्ट गुलाबपुरा, भीलवाड़ा जो आगूचा के आस-पास है, में लगाने की बात सोचे।

मेरा जिला माइका की दृष्टि से देश में बिहार के कोडरमा और गूडी के बाद सबसे बड़ा है। आज से कुछ वर्ष पहले भीलवाड़ा जिले में 25-30 हजार के आस-पास श्रमिक काम करते थे वहां आज पांच सौ, 7 सौ श्रमिक रह गये और बहुत बड़ा यह व्यवसाय चौपट सा हो गया। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि उस जिले में वेस्ट माइका बहुत है। माइका आधारित कागज का कारखाना, माइका का ग्राइन्डिंग और पाउडर तैयार करने के कारखाने भीलवाड़ा जिले में आज भी लग सकते हैं। इस योजना की तरफ भी मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, आपका ध्यान जायेगा, इसके साथ-साथ माइका पर आधारित माइका ब्रिक्स और कई प्रकार के कार्य आगे बढ़ सकते हैं, उस तरफ ध्यान दिया जायगा। एक तरफ तो छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, दूसरी ओर हर छोटे उद्योग लगाने वाले को आप रीको की मार्फत जमीन उपलब्ध कराने की बात करते हैं। माइका ब्रिक्स जैसे कारखानों के लिये रीको प्लाट नहीं दे सकता है। उसके लिये समय पर जमीन उपलब्ध नहीं होती। नगर परिषद, नगर विकास न्यास और तहसील के द्वारा बार-बार नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के बावजूद किसी मामले में जमीन नहीं देते हैं और किसी मामले में जमीन दे देते हैं तो, आपकी इस बारे में सुस्पष्ट नीति होनी चाहिये। कई लोग इस मामले में भीलवाड़ा में परेशान हैं। माइका आधारित प्लान्ट भीलवाड़ा में लग सकता है, इस तरफ भी आपका ध्यान खास तौर से जाना चाहिये। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में जो कुंए खोदने, बोर करने की मशीनें हैं, उन लोगों का धंधा है महाराष्ट्र और गुजरात तक वह जाते हैं। एक्सप्लोजिव का एक छोटा-मोटा कारखाना आप वहां लगा दें ताकि किसानों की लूट एकाधिकार होने के कारण होती है वह भी समाप्त हो सकेगी।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में विद्युत की कमी की वजह से उद्योग एक तरह से मरणासन्न हो गये हैं। इस साल आपने मध्यम उद्योगों पर 4 पैसा प्रति यूनिट और वृहत् उद्योगों पर 12 पैसा प्रति यूनिट टैक्स लगाकर मरणासन्न उद्योगों की अन्त्येष्टि क्रिया की प्रक्रिया का ही शुभारम्भ किया है, मैं समझता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जायगा। जो उद्योग पहले से ही मर रहे हैं उन पर आपने नया टैक्स लगाकर उनको समाप्त करने की बात क्यों सोचते हैं। राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये बड़ी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मुश्किल से लोगों का दिमाग बनता है, इस प्रकार की बातों से उस सारे काम में राजस्थान में रुकावट आयेगी।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा में माइका स्मेल्टर प्लान्ट लगाने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। कई बातें हैं मगर आज समय आप सीमित दे रहे हैं मैं एक बात और कहते हुए बात समाप्त करूंगा। खनिज के अनधिकृत परिवहन एवं निगम के पकड़े गये मामले राजस्थान में केवल 321 हैं। उक्त मामलों में वसूल की गई राशि 36,335/- रुपया है। अनधिकृत खनन के पकड़े गये मामले 23 हैं। अन्य मामले जिनकी जांच की गई 27 हैं। यह राजस्थान के खनिज विभाग के लिए चुनौती है। हजारों की तादाद में लोग खनिज का अनधिकृत खनन कर रहे हैं। काफी गम्भीर मामला होते हुए यह इतने से मामले पकड़े हैं। अगर पुस्तिका में प्रगति बतानी है तो मैं समझता हूं, खनिज मन्त्री महोदय, राजस्थान में जो बहुत बड़ा लीकेज हो रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है उसको रोक करके आप राजस्थान की इकानामी को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। अभी 46 करोड़ के आस-पास आपकी आय है वह सौ करोड़ हो सकती है।

इन्हीं सुझावों के साथ में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने जो 2-3 मुख्य सुझाव दिये हैं, जी.एस.आई. वाला, फारेस्ट की भूमि वाला, उन पर गम्भीरता से चिन्तन करके कुछ घोषणा करेंगे और रास्ता निकालेंगे ताकि राजस्थान में जो बेकारी फैली हुई है। नौजवान गांवों में काम हाथ से करना चाहते हैं उनके लिए जो रास्ता अवरुद्ध कर रखा है उसे आप चालू करेंगे। इन्हीं बातों को कहता हुआ आखिर में एक छोटी सी बात कह कर बात समाप्त कर रहा हूं...

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

उदयपुर में रॉक फास्फेट ग्राइंडिग सोसाइटी बनी है। 6 व्यक्ति जो अलग-अलग ग्राइंडिग यूनिट के मालिक हैं उन्होंने मिलकर को-आपरेटिव सोसाइटी बना करके पाउडर का ठेका ले लिया है। अन्य व्यक्तियों को यह ठेका नहीं मिलता है। इन 6 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए जो नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे। इस तरह की सोसाइटी बनाकर जो 6 आदमी गलत ढंग से काम कर रहे हैं इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको निरस्त करने की मैं मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़। माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में समाप्त करना।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 पर सदन में चर्चा की जा रही है। मैं उद्योगों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जहां भी जाते हैं, चाहे बंगाल में जायें, चाहे आसाम में जायें, चाहे कलकत्ता में जायें, उन्होंने बाहर के उद्यमियों का आह्वान किया है कि आप राजस्थान में आकर के उद्योग चलायें, उद्योग खोलें, राजस्थान सरकार उसमें मदद करेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी जब मैं उदयपुर गया, तो मुझे पता लगा कुछ लोग, जो प्रवासी हैं उदयपुर में छोटे-छोटे उद्योग कारखाने, सिन्थेटिक मीलें राजस्थान सरकार के आह्वान पर लगाई उनमें क्या हो रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन और बैंक का कहीं कोई किसी तरह का तालमेल नहीं है, न सरकार उनकी मदद करना चाहती है। इससे घबरा कर वह कह रहे थे कि अगर हमसे कोई और पूछे राजस्थान में आने के लिए, राजस्थान कैसा है, कैसा धंधा चलेगा तो हम कहेंगे कि भूलकर भी राजस्थान में मत जाना। यह उन छोटे उद्यमियों की व्यथा है। राजस्थान की सरकार उनको बुला लेती है लेकिन साधन मुहैया नहीं करा सकती है। स्थिति यह है कि राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन और बैंक में कहीं कोई तालमेल नहीं है। सभापति महोदय, मैं उदयपुर का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। गये साल भी मैंने यहां पर स्थगन प्रस्ताव रखा, सब कुछ किया लेकिन न तो सरकार ने सुना और न आर. एफ. सी. ने सुना। उदयपुर में एक छोटे नौजवान इंजीनियर हैं। वह कहीं बाहर सर्विस करते थे, उनको 6 हजार रुपया मन्थली वेतन मिलता था। उसको छोड़कर वह उदयपुर में आकर बस गये और उन्होंने शिवा केमिकल्स के नाम से एक उद्योग स्थापित किया। सभापति महोदय, उसमें 35 लोगों को डिफाल्टर्स बताया गया। उन्होंने एसोसियेशन बनायी। आर.एफ.सी. ने वहां पर तालाबन्दी करवा दी। वे लोग कोर्ट में गये। कोर्ट ने कहा, आप तालाबन्दी नहीं कर सकते। कोर्ट ने उनको काल कर लिया। सी. आई. डी. द्वारा जांच की गई उसमें उनको दोषी पाया गया। साढ़े चार लाख के जो केमिकल्स फैक्ट्री में थे वे नष्ट हो गये और बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। आज भी वह कारखाना बन्द है। वह लोग कोर्ट में गये हैं। अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बिना नोटिस दिये जो उनका कारखाना सीज किया, तालाबन्दी की गई, साढ़े चार लाख का उनको नुकसान पहुंचाया, उन अधिकारियों को बचाने में यहां के चीफ सेक्रेटरी तक इन्वाल्व्ड हैं। उन्होंने कहा, इनका चालान नहीं होना चाहिये। स्टेट बैंक की उदयपुर ब्रांच का जो अधिकारी था उसका चालान होना चाहिये, वह नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी मिला था, मैंने कहा कि फाइल मंगाकर आप देखिये। उन्होंने कहा था कि मैं फाइल मंगवाकर देख लूंगा, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(श्री मेघराज तावड़)

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार मदद तो क्या कर सकती है लेकिन उनको उजाड़ सकती है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आप जहां भी जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, आप लोगों को बुला तो लेते हैं लेकिन उनको सुविधा मुहैया नहीं करा सकते, आपकी आर. एफ. सी. और बैंक में तालमेल नहीं हो पाता। आर. एफ. सी और बैंक लोन दे देते हैं तो उनको वर्किंग कैपीटल नहीं मिलती और वह लोग यहां से धन्धा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। सभापति महोदय, एक हरिजन परिवार के व्यक्ति ने कोटा जिले में हड्डी पीसने की मशीन लगाई। एक लाख साठ हजार रुपये उसको मंजूर हुआ। एक लाख साठ हजार रुपया तो मंजूर हुआ लेकिन कैपीटल नहीं मिलने की वजह से उसको फैक्ट्री बन्द करनी पड़ी। उसने इन्दिरा गांधी तक को अपनी दर्दनाक हालत बतायी। आज हालत यह है कि यहां के अधिकारी और राज्यपाल महोदय के जितने भी लेटर जांच करने के लिए गये, सभापति महोदय, एक की भी सुनवाई नहीं की गई। जब वापस फैक्ट्री चालू करने गया तो दूसरे बैंक से पैसा लिया, ऋण मंजूर करवाया। चूंकि वह शिड्यूल कास्ट का आदमी था इसलिए इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से उसको कनेक्शन नहीं मिला, कनेक्शन नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, मैं जयपुर मैटल कारपोरेशन और माननीय मुख्य मन्त्रीजी, और उद्योग मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने कल परसों एक क्वेश्चन किया था आपने उसका गोलमोल जवाब दिया। मैंने यह कहा था, एक मशीन थी जिसकी कीमत वे यहां पर तीन लाख बता रहे हैं। उस मशीन के 13-14 लाख देने के लिये लोग तैयार थे, इनके एम. डी. और कामर्शियल मैनेजर से जाकर के वह पार्टी मिली है लेकिन वह मशीन यहां से रात को 8 बजे निकाली और फरीदाबाद को किसी कम्पनी को केवल 6 हजार में बेची, जो 13 लाख की मशीन थी। आज की तारीख से वह 18 लाख की मशीन है, 22 लाख की मशीन है वह यहां नहीं बेची। उस मशीन को लाने के लिये, सभापति महोदय, हमारे यहां से जर्मनी में जाकर 5 महीने तक अधिकारी बैठे रहे और मशीन लाये। केवल तीन महीने वह मशीन चली जो इसकी तमाम असेसरीज बन्द पैकेट में थीं उनको भी उन्होंने उन पैसों में बेच दिया। इस तरह से लाखों रुपयों का घोटाला किया गया। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आपने जयपुर मैटल्स को अपने हाथ में ले करके जिन आई. ए. एस. अधिकारियों को लगाया है उनकी हालत क्या है। अभी विजयसिंह जी को आपने लगाया फरवरी में 28 दिन में वह 28 घण्टे भी फैक्ट्री में, कारखाने में नहीं गये। उन्होंने आते ही किया क्या है? सभापति महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका, केवल इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाई है। यह तनख्वाह की बात मैं बाद में करना चाहूंगा। उनके बाद बी. एन. माथुर श्रम विभाग से आये थे। रिटायर्ड अधिकारी हैं इनको वहां पर लगाया। उनको सरकार से पेन्शन मिलती है, सरकार का पेन्शन पैसा इनकी तनख्वाह

(श्री मेघराज तावड़)

में समायोजन नहीं किया गया। एक तरफ विजयसिंह जी की कटौती की गई लेकिन दूसरी तरफ इनकी पेन्शन में कोई कटौती नहीं की गई। यहां से पैसा उन्होंने बढ़वा लिये। ये 6 महीने के लिये अस्थाई रूप से लगाये गये थे लेकिन 6 महीने के बाद उनको प्रमोशन दे दिया गया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा किस तरह आप इन उद्योगों को बढ़ायेंगे। जयपुर मैटल्स को अन्डर टेल करने के बाद, उसमें मैनेजमेंट अपना जाने के बाद आज जयपुर मैटल्स घाटे में क्यों जा रहा हैं? मैं बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, पांच बत्ती पर जो कम्पनी की बिल्डिंग है उसमें पांच हजार रुपया महीने ये तालुका वस्त्र भण्डार और पांच सौ रुपया महीना में कोई स्टुडियो चल रहा है। आज डेढ़ दो लाख रुपया उसकी पगड़ी आ सकती है, तो क्या कारण है कि अधिकारियों ने मिलकर उन लोगों को किराये पर बिल्डिंग दी? सभापति महोदय, यही नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, इस उद्योग में जब से आपने रिटायर आई. ए. एस. अधिकारी को भेजा है 308.69 लाख का घाटा हुआ है। 175.48 लाख तो बैंक को आपने केवल ब्याज का दिया सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि आप मेरी आँखों की तरफ देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं किस तरह पैसे का मिसयूज होता है और यह बताना चाहता हूं कि जो आई. ए. एस. अधिकारी लगाये उनके वहां जाने के पहले कितना घाटा था और बाद में कितना घाटा हुआ। बी. डी. पण्ड्या को 1981 में 2553/–रु. तनख्वाह मिलती थी 1982 में उनको तनख्वाह 3334/–रुपये हो गई, 781/–बढ़ा दिये गये। ए. राघवाचारी को 2208/–रु. मिलते थे 1982 में 2924 मिलने लगे, 716 रु. बढ़ा दिये गये। ए. राय. को 2628 रुपये मिलते थे 1982 में 3334/-रु. मिलने लगे, इनके बढ़ा दिये गये। ए. वर्गीस को 2273/– तनख्वाह थी 81 में 2924, 651 रु. बढ़ा दिये गये। बी. एन. माथुर को 1493 रु. तनख्वाह थी, मे, 1982 में इनको मिले 1884 रु., 371 रु. बढ़ा दिये गये। सभापति महोदय, जो आई. ए. एस अधिकारी लगे हुए है वे इस तरह केवल तनख्वाह बढ़ाने में, अपना सामान बेचने में लगे हुए हैं। आज वहां मैनेजमेन्ट बिलकुल बिगड़ चुका है, कारखाने का उत्पादन घट रहा है जिसका आज कोई कारण नहीं हैं। केवल इसके कि मिस मैनेजमेन्ट है, मैनेजमेन्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं छोटे उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं जो रीको कम्पनी कोटा में है वह कहां-कहां जमीन बेच रही है। कोटा में रीको का रिक्रिएशन हाल बना हुआ है उसके पास में जो जमीन मास्टर प्लान में गई है वह भी उसने लोगों को बेच दी। नाजायज तौर से बेच करके यह कह दिया कि हमने अप्रूवल ले ली थी। किस प्रकार प्रशासन अपनी नाक बचाने के लिये, प्रेस्टिज पाइन्ट बना करके क्या-क्या घोटाला कर देती है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को कहना चाहता हूँ, बी. एल. झुंझुनू वाला, प्रबन्ध निदेशक स्पिनिंग मिल भीलवाड़ा के पास 25 हजार तकुए 150 करघे का लाइसेंस है। उन्होंने साढ़े बारह हजार तकुए और बढ़ाने के लिए लिख दिया लेकिन बिजली की कटौती के

(श्री मेघराज तावड़)

कारण उनको ऋण नहीं मिल पाया। यह भी कह रहे है कि हम लोग यह मिल बन्द कर रहे है।

सभापति महोदय, मैं खनिज विभाग की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पास मसाला तो बहुत रह गया, आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी फ्रन्टियर मेल चल नहीं पाती।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे राजस्थान में खनिज सम्पदा का भण्डार है लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। कैसे-कैसे लोगों को पट्टे दिये जा रहे हैं, माइनिंग डिपार्टमेन्ट द्वारा एक परिवार को कितनी ही जगह पैसा लेकर के पट्टे दिये जाते हैं उस बारे में कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, हमारे उदयपुर में अभी जो राजनगर में मार्बल का भण्डार मिला है वह ऋखबदेव जी में ग्रीन मार्बल का भण्डार मिला है। सभापति महोदय, इन्होंने कहा हम आदिवासियों को भी पट्टे देना चाहते हैं और हम चाहते हैं छोटे-छोटे लोगों को ज्यादा धन्धा दिया जाय, पट्टे दिये जाय, वह इस इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन ये काम कराते हैं मशीनों के जरिये, बड़े-बड़े लोगों के जरिये। जिनके पास पैसे हैं, पैसे वाले को और पैसे वाला बनाते जायेंगे और गरीब आदमियों को सड़क पर लाते जायेंगे। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा क्या यही आपकी समाजवाद की नीति है। सभापति महोदय, वहां का इलाका है, ट्राइबल इलाके में सारी खनिज सम्पदा है। वहां जो पत्थर फोड़ने, निकालने का काम दूसरों को देते हैं। काम वहां के गरीब लोग काम करना चाहते हैं, अपने नाम पर पट्टा लेना चाहते हैं लेकिन उनको पट्टा नहीं दिया जाता है। जो पैसा देते उन्हीं लोगों को पट्टा दिया जाता है। 15 दिन पहले शिड्यूल्ड ट्राइब्स या गरीब आदमियों ने एप्लीकेशन लगाई उसके रजिस्टर बदल दिये और कहते हैं कि इनका नम्बर इसलिए नहीं आया कि इनकी एप्लीकेशन बाद में प्राप्त हुई। सभापति महोदय, सरकार के खनिज मन्त्री हमारे उदयपुर से पधारते हैं, आदिवासी इलाके से अच्छी तरह से परिचित हैं बड़े सीनियर मंत्री हैं, आदिवासियों की परिस्थितियों को और उनके आर्थिक स्थिति को भी समझते हैं, मैं चाहूंगा मन्त्री जी, आदिवासी इलाके में जो खनन पट्टे दिये जाते हैं उनके लिये खास तौर से गरीब हरीजन आदिवासियों के लिये आप प्रोविजन रखें और ज्यादा से ज्यादा पट्टे दें। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने 1980-81 में कितने लोगों को खनन पट्टा दिया। अनुसूचित जाति के 200 लोगों को पट्टे दिये खनिज के? अप्रधान और वह कौन से खनिज के खनन के। 1523 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये जिसमें से 200 अनु. जाती लोगों को पट्टे दिये। अनुसूचित जनजाति के केवल 83 लोगों को पट्टे दिये गये। 1981-82 में 6355 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जिसमें से अनुसूचित जाति के इसी तरह आपने रेंट कम रायल्टी 1436 और अनुसूचित जनजाति के 586 लोगों को पट्टे दिये। सभापति महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जो खानों में काम करते हैं जंगल में रहते हैं जिनको

(श्री मेघराज तावड़)

अनुभव है, उनको पट्टा नहीं मिलता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय खनिज मंत्रीजी, ऋखबदेवजी में मार्बल के जितने पट्टे दिये गये हैं आप पता लगा लीजिये, एक ही आदमी के परिवार वालों के नाम से कई पट्टे दिये गये हैं। आदिवासियों को पट्टे नहीं मिले दूसरों को दे दिये गये। मंत्री महोदय जी, जो अकुशल अवैज्ञानिक तरीके से खनन किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ब्यावर और अजमेर जिले में आपने एक-एक आदमी को चार पट्टे दिये हैं। मेरे पास लिस्ट है छोटे खान मजदूरों की। वैसे एक-एक आदमी के पास चार-चार, पांच-पांच खानें हैं। मैं उसमें नही जाना चाहता लेकिन संकेत के तौर पर कहना चाहता हूं। जिन मजदूरों को पांच-पांच, सात-सात रुपये मजदूरी दी जा रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देकर आप आदेश जारी करें कि जहां गरीब मजदूरों को मिनीमम् वेजेज नहीं मिलती है, ऐसी खानों के पट्टे खारिज कर दें। टेक्नीकल पाइंट आफ व्यू से जिन लोगों की खानों को खतरा है, जिनमें कभी भी मजदूर मर सकते हैं, ऐसी खानों को बन्द करें। मैं आपको मंत्री महोदय कह देना चाहता हूं, भंवरीदेवी, नसीराबाद की खानें नसीराबाद, शिवाना, किशनगढ़ व रामसर में हैं। इनकी नदेरा स्थित खान करीब सौ फीट गहरी है जिसमें टेक्नीकल दृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि आप मुझे पूरा नहीं बोलने देंगे। भागचन्द की खान 150 फीट गहरी है, जो खतरे से खाली नहीं है। दूसरे, शहाबुद्दीन, रामसर, खान भी 150 फीट गहरी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि कई खानों में दबकर के जो लोग मरते हैं उनमें टेक्नीकल तौर-तरीके से काम नहीं किया जाता है। इसलिए आप ऐसी माइन्स में अपने इन्स्पेक्टर के जरिये, पूरी चैकिंग करवायें उसके बाद ही काम करने की इजाजत दें।

सभापति महोदय, मैं छोटे उद्योग, गांवों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : बिजली की कमी के कारण मैं कोटा में जे. के. सिंथेटिक्स, अजमेर में छोटे-छोटे हथकरघे और राजस्थान में जो छोटे उद्योग हैं वह तमाम बंद हैं, मजदूर बेकार हैं। हमको बिजली की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आदिवासी इलाके में छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायें। जैसे बीड़ी बनाने का कारखाना है। वहां पत्ते मिलते हैं जो कि लोग कागज बनाने के कारखाने के लिए बाहर ले जाते

Page No 217

217

(श्री मेघराज तावड़)

हैं जैसे लाइम स्टोन का उद्योग है ऐसे छोटे उद्योग या घरेलू उद्योग हमारे उस इलाके में खोले जायें। वहां पर इण्डस्ट्रीज नहीं हैं। बड़ी माइन्स जरूर हैं लेकिन वह भी दूर हैं खनिज भी है वहां पर, लेकिन आज तक उसका सर्वे नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप छोटे उद्योगों, ग्रामीण इलाकों में आदिवासी इलाकों में लगाने की तरफ ध्यान दीजिये। उनको प्राथमिकता दीजिये। उनको कर्जा दीजिये। कर्जा दिलाने के नियमों को सरल किया जाये, ताकि उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। अपने घर बैठ कर वह उद्योग कर सकें।

धन्यवाद

श्री सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय बहुत हो चुका है। सदन की यह भावना है कि सभी माननीय सदस्यों को किसी न किसी शादी में जाना है तो अपना भाषण दो-दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यवस्था आप बहुत देर से फरमाते हैं। पहले वाले तो आधा घण्टा बोल लिये, बाकी लोग दो मिनट बोलें, यह कैसे संभव होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, मैं उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान औद्योगीकरण में आज देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति इंवेस्टमेंट उद्योग के हिसाब से जितना राजस्थान में कम है, मैं समझता हूं, राजस्थान नीचे से तीसरे नम्बर पर आता है। 159 रुपये प्रति व्यक्ति राजस्थान में उद्योगों में इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत कम है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि राजस्थान में औद्योगीकरण किया जायेगा लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप यहां पर पधारें उद्योगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। 1980 के अन्दर 46 आशय पत्र जारी बड़े उद्योग लगाने के जारी किये गये थे उनमें से सिर्फ दो को लाइसेंस प्राप्त हुए। 1981 के अन्दर 42 आवेदकों के आशय पत्र जारी किये गये थे।

(6·57 सायं)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

उनमें से सिर्फ 2 को लाइसेंस दिये गये। मैंने प्रश्न पूछा था इसी सत्र में, उसके उत्तर में कहा गया कि पिछले तीन साल के अन्दर 145 आशय पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से सिर्फ 8 लोगों को लाइसेंस जारी किये गये। मेरी समझ में नहीं आता, राजस्थान में धन्धा कराने के लोग आशय पत्र जारी करा लेते हैं। लाइसेंस लेकर राजस्थान में उद्योग लगाते हैं इसमें उनको क्या दिक्कत है? सभापति महोदय, इसका कारण है। इसका पहला कारण यह है कि उद्योग लगाने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है ? राजस्थान में चारों चीजों की कमी है। सबसे पहली कमी बिजली की है। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा, बिजली की दृष्टि से पांच साल में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे निकल जायेगा। यह आपने घोषणा की थी लेकिन सभापति महोदय, जिस प्रकार से एक-एक करके आपने उद्योगों को मारना शुरू किया है, उसके कारण पूरी तरह टेक्सटाइल उद्योग मिल और ग्वार गम उद्योग आज राजस्थान का बन्द हैं। राज्य में 100 ग्वार गम की फैक्ट्रियां हैं, वह सब बंद हैं। सीकर के अन्दर 13 ग्वार गम की फैक्ट्रीज हैं, वह तेरह बन्द पड़ी हैं। जोधपुर में 35 ग्वार गम की फैक्ट्रीज हैं जो कि बन्द पड़ी हैं। इसी तरह का हाल टैक्सटाइल उद्योगों का है। आप टैक्सटाइल मिल्स पर जो बिजली की कटौती की है, 33 प्रतिशत 1980 में 44 प्रतिशत 1981 में, 61 प्रतिशत 1982 में और सात जून 1983 से लेकर 100 प्रतिशत पावर कट आपने टैक्सटाइल मिल्स की कर रखी है। इसी प्रकार की हालत ग्वार गम की फैक्ट्रीज की है। इस प्रकार दो बडे उद्योग राजस्थान में बिलकुल बन्द हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछले तीन साल में रीको ने जो नये प्लाट आवंटित किये हैं वह नहीं के बराबर हैं। राजस्थान में आपने रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े दिये हैं उस आधार पर यह कहें कि राजस्थान का विकास हो गया है, वह बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो आपने किये हैं पांच रुपये में टैम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आप बतायें कि 1982-83 में रीको ने कितने प्लांट उद्यमियों को रीको के क्षेत्र में आवंटित किये। यह मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने मदर इण्डस्ट्री की कई बार बात की। मदर इण्डस्ट्री की बात चल रही है चार स्थानों पर मदर इण्डस्ट्री बनेगी ; इसके लिये टास्क फोर्स का गठन हो गया है, सारी बातें हो गई हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो यह क्यूबिकल प्लाण्ट लगाने की बात है मदर इण्डस्ट्री की वह चारों जगहों पर टास्क फोर्स तो गठित नहीं हुआ। लेकिन टाकिंग फोर्स आपने उसको जरूर बल दिया है, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या इस मामले में राजस्थान सरकार ने केन्द्र को आवेदन भेजा है ? इसी सत्र में जवाब आया है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का कोई आवेदन केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजा है। आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप फैक्ट्रियां तो नहीं लगा रहे, छठी पंचवर्षीय योजना राजस्थान में तीन खाद कारखाने लगने की बात थी। आपने बार-बार कहा है, पहले के मुख्य मंत्रियों ने कहा है। एक खाद का कारखाना सलादीपुरा में लगने वाला था, एक राक फासफेट पर आधारित खाद कारखाना लगने वाला और एक बोम्बे हाई की गैस पर आधारित खाद कारखाना लगने वाला था, यह छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होने वाले थे। छठी पंचवर्षीय योजना के दो साल बाकी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, इन तीन खाद कारखानों का क्या हो रहा है, यह मुझे बता दीजिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा, मैं सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उस प्लांट को चित्तौड़ में लगाने की सिफारिश की गई थी उसका क्या हुआ? 200 करोड़ की लागत से वह संयंत्र लगने वाला था, 100 करोड़ बिजली उत्पादन का संयंत्र के लिए लगने थे और 100 करोड़ उसमें लगने थे। उसको किस प्रकार लगाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कार्यवाही की है, यह मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं, माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन द्वारा भीलवाड़ा में माइका पेपर वेस्ट एक प्राइवेट फैक्ट्री लगने वाली थी। 21 करोड़ की उस पर लागत आने वाली थी। 24-7-81 को भारत सरकार ने उसके आवेदन को निरस्त कर दिया है। आप कहते हैं कि मैं राजस्थान का औद्योगीकरण करूंगा, राजस्थान को तीन वर्ष में गुजरात और महाराष्ट्र से आगे निकाल दूंगा, यह सपना तो कई लोग देखा करते थे लेकिन जबसे आप आए हैं एक-एक करके लाइसेंस निरस्त होते जा रहे हैं। हमारे यहां पाइराइट पर आधारित खाद कारखाने की जो पायलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी, वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखी रह गई। उसकी पाइलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, दो करोड़ रुपए उसके लिये सेंक्शन हुए थे, उसका क्या हुआ? सीकर जिले से आखिर आपकी क्या दुश्मनी है कि सलादीपुरा में खाद कारखाना आप नहीं लगाना चाहते? आप यह बताइये कि उसको आप प्राइवेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा लगाना चाहते हैं या राज्य सरकार लगाना चाहती हैं? कौन लगाना चाहता है? हिन्दुस्तान का कुल 30 परसेंट पाइराइट और एक फासफेट जो राजस्थान में मिलता है उसके बावजूद आपने दोनों खाद कारखानों के बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में सिर्फ 201 करोड़ रुपए का केन्द्रीय पूंजी निवेश है और 97 करोड़ उसकी चालू पूंजी के रूप में लगा हुआ है। हिन्दुस्तान में जनसंख्या के आधार पर हमारा कौनसा ध्यान है? केन्द्रीय पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? तीन साल से एक कारखाने की बार-बार आप बात करते हैं, अलवर में ली-लैण्ड ट्रक बनाने का कारखाना लगा दिया। वह प्राइवेट कम्पनी ने लगाया है। पहाड़िया जी बोलते रहे, भैरोंसिंह शेखावत साहब कह रहे थे हमारे टाइम में स्वीकृति हो गई थी, केवल कारखाना लगाना बाकी था। फिर पहाड़ियाजी ने कहा, मैंने करा दिया, वह चले गये, आप आए। आपने उसके एक्सटेन्शन की बात कर ली। एक इस गाजर की पूंजी बचाने के अलावा आपने कौनसे कारखाने की स्वीकृति प्राप्त की, कौनसा पूंजी निवेश राजस्थान में आपने कराया, यह आप मुझे उदाहरण देकर बता दीजिए।

इसी प्रकार, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भीलवाड़ा में 13 टेक्सटाइल मिलें लगने वाली थीं। 10 के जनता पार्टी के जमाने में लाइसेंस जारी हुए, 3 के बाद में हुए। उनमें से 5 में काम चालू हुए है, 8 के लाइसेंस कैंसिल हो गए। क्या बात है। क्यों हो गए, वह तो आपके जिले की बात थी, भीलवाड़ा आपको बहुत प्रिय है, भीलवाड़ा की आप बार-बार वात आप करते हैं। लेकिन वे कैंसिल हो गए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मिनी सीमेंट प्लांट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। संक्षेप में सूत्रबद्ध बात कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। मिनी सीमेंट प्लांट की 8 इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए। 6600 टन की क्षमता के आशय पत्र जारी हो चुके थे उसके बाद में इनका क्या हुआ? इनमें 60 करोड़ की पूंजी का निवेश होने वाला था। 157 विभाग छोटी इकाइयां लगाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा पंजीयन किया हुआ है। 8 के लाइसेंस जारी हुए हैं, 157 लोगों ने एप्लीकेशन दी थीं छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए, 8 के आशय पत्र जारी हुए हैं लेकिन उनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, सिर्फ दो को लाइसेंस मिले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बड़ा षड़यंत्र है। राजस्थान में जितनी भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके मालिकों ने मिलकर यह तय किया कि राजस्थान में अगर छोटे सीमेंट प्लांट लगेंगे तो उसके आधार पर काम नहीं चलेगा। जो 157 आवेदन पत्र आपके पास पंजीकृत हैं उनकी आपने सिफारिश नहीं भेजी। 8 के आशय पत्र जारी हुए और दो को लाइसेंस मिला, इसके क्या कारण हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

दूसरा, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के द्वारा जो कारखाना यहां पर लगाया जाने वाला था जो इकाई लगाई जाने वाली थी जिसके बारे में बातचीत हुई थी, घोषणा हुई थी उसका क्या हुआ? तीसरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन के यूनिट का कारखाना यहां पर लगने वाला था, केन्द्रीय सरकार के द्वारा टेलीफोन इम्पलीमेंट्स का कारखाना लगाया जाने वाला था उसका क्या हुआ? यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया। एक बात और पूछना चाहता हूं; रोड, रेलवे, पानी और बिजली का जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। 30 साल में राजस्थान में रेलवे के द्वारा ब्राड गेज की कितनी लाइन डाली गई? गुजरात के समृद्ध बनने का मुख्य कारण बड़ी रेलवे लाइन है जो सूरत, बड़ौदा, बड़ौच और बम्बई तक जाती है। इस बड़ी रेलवे लाइन पर जितना औद्योगीकरण हुआ है उतना यहां नहीं हुआ। दिल्ली-अहमदाबाद की लाइन राजस्थान से होकर निकलने वाली थी, कितने वर्षों से वह बात हो रही है लेकिन वह रेलवे लाइन आज तक नहीं डाली गई। रेलवे लाइन्स का विकास राजस्थान में 30 साल में कितना हुआ? जहां हम खड़े थे वहां आज भी खड़े हैं। जब तक बड़ी रेलवे लाइन नहीं डाली जाएगी, यहां पर पोस्टल सर्विसज, बैंक सर्विसज, बिजली पानी की सुविधा का विकास नहीं कर सकेंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई जगह केन्द्रीय सरकार हमारे साथ भेदभाव बरत रही है। केन्द्रीय सरकार बहुत कुछ माल खरीदती है, सामान खरीदती हैं जिसमें राजस्थान के द्वारा जो खरीदा जाता है वह बहुत कम है। देश भर में 25 अरब की कुल खरीद में राजस्थान के छोटे बड़े उद्योगों का 15 करोड़ का हिस्सा रहता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। केन्द्र सरकार 25 अरब रुपयों का माल खरीदती है लेकिन उसमें राजस्थान का जो हिस्सा है, छोटे और बड़े दोनों उद्योगों का, कुल मिलाकर वह 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र में कुल खरीद 211 अरब की होती है, इसमें राजस्थान के उद्योगों से केवल 4 करोड़ रुपए की खरीद की जाती है। इस प्रकार एक-एक चीज को लेकर राजस्थान के साथ भेदभाव किया जाता है।

बिजली के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने प्रश्न पूछा था। मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि राजस्थान में 2775 लोगों की छंटनी की गई। लेकिन जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं उनके अनुसार राजस्थान में ले-आफ के कारण और बिजली की कटौती के कारण, 5 हजार श्रमिकों को इस साल बेरोजगार किया गया, 5 हजार श्रमिकों के कारण 5 हजार परिवार बेरोजगार हुए, उन 5 हजार परिवारों की रोजी-रोटी की व्यवस्था क्या है?

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, काफी समय ले लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने दो मिनट लिए हैं, 5 मिनट बोला हूं। 10 मिनट तो बोलने दो। मैंने 7 बजे प्रारम्भ किया था, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी 7 मिनट हुए हैं।

मैंने 5 मुद्दे उठाए हैं। एक-एक करके मैंने कुछ उद्योग गिनाए हैं जो राजस्थान में लगने वाले थे, राजस्थान में नहीं लगे, राजस्थान के बाहर चले गए। औद्योगिक आशय पत्र प्राप्त हुए आशय पत्र प्राप्त होने के बाद लाइसेंस प्राप्त नहीं हुए, वह उद्योग धंधे राजस्थान में नहीं लगे। इसके बाद मैंने बिजली की समस्या उठाई। ग्वार गम इण्डस्ट्री और टेक्सटाइल मिल्स के बारे में समस्या बतायी। सभापति-महोदय, अंत में मैं सीकर जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पाइराइट पर आधारित खाद कारखाना सीकर में लगने वाला था। एक भी बड़ा खाद कारखाना सीकर में नहीं है जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सके या काम मिल सके। उस खाद कारखाने का आज कोई पता नहीं है। उसके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई थी, स्थान का चयन हो गया था, उसको छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने की बात-चीत हो गई थी, लोकसभा में कई बार उस बारे में वक्तव्य आ चुका, मुख्य मंत्रियों ने कई बार घोषणा कर दी लेकिन आज तक उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं मांग करता हूं कि सीकर जिले में पाइराइट पर आधारित जो खाद कारखाना छठी पंचवर्षीय योजना में लगना चाहिए था वह लगाया जाए। उसका एक कारण और है सभापति महोदय। सीकर जिले में कारखाना लगाने की बात नहीं आएगी, यह पहले राक फासफेट पर आधारित कारखाना लगाना चाहेंगे, गैस पर आधारित कारखाना लगाना चाहेंगे। मैं कहता हूं, वह लगायें लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, सीकर को भी शामिल किया जाए। मदर इण्डस्ट्री-लगाने के लिए सीकर-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को चुना जाय वूल का सबसे ज्यादा उत्पादन सीकर में होता है, वहां सबसे बड़ी वूलन मण्डी है। वूलन होजरी मिल्स और वूलन स्पिडंल्स मिल्स लगाने का पहले सीकर में प्रावधान भी था वह बीकानेर में कर दिया गया। मैं मांग करता हूं कि सीकर के अन्दर वूलन स्पिंडल्स की बहुत बड़ी मिल लगाई जाए, वूलन होजरी मिल लगाई जाए। इस प्रकार जो औद्योगिक दृष्टि से सीकर पिछड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।

अन्तिम निवेदन करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। सब्सिडी देने के बारे में एक बहुत बड़ा मजाक उद्योगों का बना रखा है। पिछले दिनों करीब एक महीना पहले सब्सिडी के बारे में एक अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश के अन्तर्गत कुछ फैक्ट्रियां निश्चित की कि इन फैक्ट्रियों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आगे से फैक्ट्रीज को सब्सिडी नहीं देते तो बात समझ में आती। आदेश जारी होने से पहले लोगों ने सब्सिडी के लिए एपलाई कर दिया, फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा कर लिया, सारा इन्वेस्टमेन्ट करने के बाद में आज कहते हैं कि सब्सिडी नहीं दी जायेगी। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा करने से उन उद्योगपतियों को जो वर्किंग कैपीटल है वह सारी की सारी फंस जायेगी और वह फैक्ट्रियां नहीं चल सकेंगी। इसके लिए आप एक नीति निश्चित कीजिए कि आपने जिन फैक्ट्रियों को जिन जिलों में सब्सिडी देने का तय कर रखा है, अगर उनकी सब्सिडी बन्द करना चाहते हैं तो जिस दिन आपने आदेश जारी किया है उस दिन से सब्सिडी बन्द करिए। आपके आदेशों के पहले जिन्होने फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा कर लिया, फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री चालू कर दी, सब्सिडी के लिए एपलाई कर दिया, उनकी सब्सिडी आज आदेश जारी करके बन्द करना चाहते हैं तो यह बहुत बुरी बात होगी। जिन्होंने फैक्ट्री का निर्माण कर लिया, उत्पादन शुरू कर दिया, सब्सिडी के लिए एपलाई कर दिया, उन लोगों को इन आदेशों से बचाइये और उन गरीबों को बचाइये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में औद्योगीकरण का ढांचा बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वैसे ही बिजली की कमी थी और बिजली की कमी होने के बावजूद आपने जो बजट में बिजली पर टैक्स लगाया है वह मरे हुए उद्योगों का क्रियाक्रम करने के अलावा दूसरा काम नहीं है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने कैप्टिव पावर जनरेशन टैक्स लगाया है, एक तो आप उन लोगों को बिजली नहीं देते हैं ऊपर से दुबारा उन पर टैक्स लगाते हैं, यह अन्यायपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि आप टैरिफ को समाप्त कीजिए। बिजली की दरें जो आपने बढ़ायी हैं यह आपके लिए खतरनाक बात हैं। मैं मन्त्रीजी से, से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि राजस्थान में बिजली का सबसे अधिक पैसा उद्योगों को देना पड़ता है? नम्बर एक। इस तरह से राजस्थान के बाहर से आने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वाले उद्योगपतियों, जो यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं, को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, संक्षेप में मैंने चार पांच बातें कही है। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। मैंने एक मुद्दा आपके सामने उठाया है कि सब्सिडी के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। एक महीने पहले आपने आदेश जारी किये कि इन उद्योगों को सब्सिडी नहीं दी जायगी। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, यह आदेश उन उद्योगों पर भी लागू होंगे जिन लोगों ने दो साल पहले निर्माण कार्य शुरू कर दिया, काम पूरा किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, आपके आदेशों के पहले सब्सिडी के लिए सप्लाई कर दिया। लेकिन आपने एक आदेश जारी करके जिन लोगों को सब्सिडी नहीं मिली है उनकी सब्सिडी समाप्त कर दी। एक नीति होनी चाहिए, जिन्होंने आपकी नीति के आधार पर बाहर से आकर निर्माण कार्य पूरा कर लिया उसके बारे में आपकी क्या नीति रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमन्त्रीजी, मैं औद्योगीकरण के ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठायेंगे जिनसे राजस्थान का औद्योगिक विकास हो सके, खेती पर कुछ वजन कम हो सके और हमारी जो अनएम्पलायमेन्ट की समस्या है उसका कुछ समाधान हो सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : सभापति महोदय, अभी जो चर्चा सदन में चल रही है वह उद्योगों और खनिज के ऊपर चल रही है। मैं पहले उद्योगों के बारे में अपने विचार जाहिर करना चाहूंगा और विचार यह है कि उद्योगों का विस्तार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। देश के कमजोर और गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए उद्योगों का लगाया जाना बहुत जरूरी है। औद्योगीकरण से ही यह गरीबी दूर हो सकती है, चाहे आप बड़े उद्योग लगायें चाहे छोटे उद्योग लगाये। खासतौर से राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि जो भी शहर में उद्योग लगायेंगे उनको सब्सिडी नहीं दी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग लगाये जायेंगे उन्हें सब्सिडी दी जायेगी, सभापति महोदय, हमारी सरकार ने यह एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं तो, मन्त्री महोदय, आपको खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश की 80% आबादी गांवों में रहती है, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर में लघु उद्योग धन्धे खोलने का कार्य करना चाहिए ताकि गांवों का विकास हो सके।

दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। वह खनिज के बारे में है। खनिज के बारे में भी यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की खनिज के सम्बन्ध में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी अच्छी चर्चा की। मेरा यह निवेदन है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगरार के बारे में हाउस में मैंने निवेदन किया था कि वहां पर पहाड़िया हैं जिनमें बहुत अच्छे

(श्री अमरचन्द)

खनिज मिलने की सम्भावना है। अभी भी वहां पर काफी पुराने अवशेष हैं जो कि खाद्यानों में बिखरे हुए पड़े हैं। मैं राज्य सरकार से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करूंगा कि उन पहाड़ियों का सर्वे कराया जाय। बहुत से पुराने लोग तो यह कहते हैं कि वहां पर लोहा नहीं बल्कि ताम्बा निकल सकता है। सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि उस क्षेत्र का सर्वे कराया जाय। दूसरा और काम शुरू कराया जाय।

दूसरा विषय जो है वह गहन विषय है, सभापति महोदय, जिस पर यहां पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है वह है सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट। यह काफी लम्बा विषय है इस बारे में यहां पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है। यह चलते-चलते यहां तक पहुंचा कि सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चितौड़गढ़ में लगाया जाय। इसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों ने भी कहा है और जो अधिकारी सर्वे करने के लिए गये तो उन्होंने भी यही कहा कि सुपर जिंक स्मेल्टर चितौड़गढ़ में स्थापित किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, चितौड़गढ़, प्रान्त में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाते के लिए चुना है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि यहां पर थोड़े दिनों से यह चर्चा सुनने में आ रही है, कहता है कि आगूचा में यह प्लांट लगाया जाय, कोई कहता है कि भीलवाड़ा में लगाया जाय और कोई कहता है कि सवाई माधोपुर में लगाया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, विभाग की रिपोर्ट आ चुकी है कि चित्तौड़गढ़ में ही यह प्लांट लगाया जाय अभी तीन जनवरी को सम्बन्धित मन्त्रालय की मीटिंग हुई थी उसमें भी यह तय कर लिया गया था कि चित्तौड़गढ़ में यह प्लांट लगाया जाय, जमीन के बारे में भी तय कर लिया गया था तीन हजार बीघा जमीन का क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूछाली में तय कर लिया गया उसके लिए चित्तौड़गढ़ के जिलाधीश महोदय ने स्वीकृति दे दी। प्लांट लगाने के लिए अधिकारियों ने जिलाधीश से जमीन के लिए बातचीत की तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि तीन हजार बीघा जमीन गंगरार में चित्तौड़गढ़ में कपासन रोड़ ऊपर तय की गयी है। मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, उसका आफिस भी वहां पर खुल चुका है, टेलीफोन लग चुका है। अभी जब उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक बात की शंका प्रकट की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यह प्लांट नहीं और स्थापित कर दिया जाय क्योंकि कोई कहता है कि आगूचा में लगाया जाय, कोई कहता है कि सवाई माधोपुर में लगाया जाय और कोई कहता है भीलवाड़ा में लगाया जाय। मेरा खनिज मन्त्री जी और मुख्यमन्त्री जी से खास तौर से निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ के बारे में जो बात है वह आपको तो मालूम है ही। मैं खासतौर से मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्लांट जल्दी से जल्दी चित्तौड़गढ़ में लगाया जाय ताकि लोगों के मन में जो शंका है उसका समाधान हो सके। यह प्लांट चित्तौड़गढ़ में जल्दी से जल्दी लगाया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में चार हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी

(श्री अमरचन्द)

करा लिए हैं। इस प्रकार का सारा वातावरण बन चुका है इसलिए वहां पर ही सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया जाय। कहीं ऐसा न हो कि वह सारे लोग देखते रह जाय और वह प्लांट राजस्थान के बाहर चला जाय। मैं माननीय सदस्यों, जो हाउस में विराजमान है, से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी इस बात का आग्रह करें कि यह प्लांट चित्तौड़गढ़ में ही लगे। अगर चित्तौड़गढ़ में यह प्लांट लगना है, चित्तौड़गढ़ आपके ही प्रान्त का हिस्सा है, वहां के लोग आपके ही भाई हैं उनको रोजी-रोटी मिलेगी। इससे प्रान्त का ही भला होगा। मैं, सभापति महोदय, खास तौर से खनिज मन्त्री जी और मुख्यमन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्लांट की जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करें ताकि लोगों के मन में जो शंका वह खतम हो जाय और जो सहयोगी कम्पनी वहां पर उद्योग लगाना चाहती है उसके अधिकारी भी सन्तुष्ट हो जाय। इससे गरीब लोगों को काम मिल सकेगा। मैं इसी आशा के साथ कि यह प्लांट चित्तौड़गढ़ में ही लगेगा अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल मीणा। (अनुपस्थित)

श्री शोभराजमल। आप बोल लीजिए।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ) : सभापति महोदय, चित्तौड़गढ में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगे उसके बारे में जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए चित्तौड़गढ़ ही उपयुक्त स्थान है। वहां पानी भी अवेलेबल है, डेम भी बन रहा है और इसके लिए जमीन भी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ में ही आप सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगायें। मैं पुरजोर शब्दों में खनिज मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी से मांग करुंगा कि चित्तौड़गढ़ में ही वह प्लांट लगाया जाय और कहीं नहीं लगाया जाय। मैं आशा करता हूं कि मुख्यमन्त्री जी द्वारा मेरी मांग स्वीकार की जायेगी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, जहां पर कच्चा माल मिलता है, मजदूर मिलते हैं ऐसी जगह पर, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जावे। सभापति महोदय, आज शहरों के अन्दर उद्योग लगाने के लिए जिस तरह से सुविधायें पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं उससे शहरीकरण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है आबो-हवा गन्दी हो रही है। शहरों के अन्दर ज्यादा आबादी बढ़ करके जो बाहर से मजदूर मजदूरी करने के लिये आते हैं उनको शहरीपन की हवा लग जाती है जिससे वह पूरा खाना-पीना भी नहीं कर सकते। सिनेमा वगैरह की हवा लगने से ग्रामीण क्षेत्र वालों, जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, साथ इस तरह से होता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायें। उद्योग भी ऐसे लगाने चाहिए जो उत्पादन को बढ़ावा देते हों। आजकल शहरों के अन्दर जितने उद्योग लग रहे हैं, ठीक है बड़े-बड़े उद्योग

(श्री महाराम चौधरी)

है। लेकिन उनमें सुख सुविधा की, प्रसाधन, सौन्दर्य बढ़ाने की चीजों, जिनका उत्पादन बढ़ाने के अन्दर कोई हाथ नहीं है, के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन पर बिल्कुल पाबन्दी लगा देना चाहिए क्योंकि वे उपयोगी नहीं हैं और आदमी को एक तरह से लक्जोरियस बनाती है। सभापति महोदय, मैं उद्योगों के संबंध में इतना ही निवेदन करता हूं कि जो औद्योगिक नीति बनाई गई है उस नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आमूलचूल परिवर्तन करके ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग, जिनमें हाथ से जो काम किये जा सकते हैं जैसे रस्सी बांटना है, मावा बनाना है या साबुन तेल बनाना है, जो कच्चा माल वहां पर अवेलेबल होता है...

श्री सभापति : क्या चरणसिंह जी की थ्योरी बता रहे हैं ?

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : देश की राह ही यह है, सभापति महोदय ।

श्री महाराम चौधरी : ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सका तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया तो कोई बात नहीं है ।

खनिज के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आपका खनिज भी शहरों के बाहर है। वहां रहने वाले लोगों को खनिज पट्टे देने के अन्दर प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरे नागौर के आस पास जिप्सम का बहुत बड़ा भण्डार है । वहां पर मिनी सीमट प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जावे तो चूने का पत्थर वहां पर है, लकड़ी भी वहां पर मिलती है और मजदूरी करने वाले भी बहुत से आदमी हैं । ऐसे कार्य को प्रोत्साहन देते हैं तो देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपयोगी चीजें भी सुलभ होंगी। जितनी ज्यादा आप इण्डस्ट्रीज लगाने का प्रयत्न करते हैं उसके साथ-साथ लोग मिलावटी चीजें बनाने का ज्यादा प्रयत्न करते हैं उन लोगों को उसमें पड़ता निकालना पड़ता है।

वे देखते हैं हमको पड़ता किस चीज में खाता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज है उन खनिजों को आप बड़ी-बड़ी मशीनों के जरिये ठीक उपयोग कीजिये। मशीनरी आपकी खराब है तो हाथ से काम करने वाले, हथौड़ों से काम करने वाले मजदूरों के जरिये काम हो सकता है। वहां इनका उपयोग कर सकते हैं। उन लोगों का उपयोग करना चाहिए, उस जगह मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिये। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री समरथलाल ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा उद्योग की जो मांग है उसके बारे में माननीय मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर उद्योगों का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि सदन के

(श्री समरथलाल)

अन्दर इस बात की बड़ी पीड़ा रही है। इसके जो कारण रहे हैं, मैं समझता हूं, सरकार को इन कारणों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

अलवर जिले के अन्दर जो इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है वह इंडस्ट्रियल डवलपमेंट वहां के प्राकृतिक कारणों से हो रहा है। अलवर एक ऐसी जगह है जो भारत की राजधानी दिल्ली के नजदीक है इसलिए वहां इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो रहा है। मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर जो बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज लग रही हैं उन बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज के लगने के कारण जो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की समस्या आने वाली है, उस समस्या के बारे में पहले ही जागरूक रहना चाहिये। इसके अलावा राजस्थान में जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उन इण्डस्ट्रीज में जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं उन मजदूरों के आवास की सुविधा, मैं समझता हूं, बहुत कम है। जहां तक मेरी जानकारी है...

(7:25 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान के अन्दर जितने मजदूर इण्डस्ट्रीज के अन्दर काम करते हैं उनमें से केवल 20 प्रतिशत मजदूर को आवास की सुविधा प्राप्त है, 80 प्रतिशत मजदूरों को आवास की सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां पर मजदूरों के आवास की सुविधा है वह सुविधा भी बड़ी खराब स्थिति में है। वह गन्दी जगह पर रहते हैं, वहां पर पानी निकलने के लिए नालियां नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि, मजदूरों की ओर, उनके रहने-सहने की ओर ध्यान देना चाहिये। यह लोग अच्छी जगह रहें, आवास की अच्छी सुविधा मिले, इस बारे में, मैं समझता हूं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा राजगढ़ में इण्डस्ट्रियल एरिया बने करीब चार साल हो गये। तीन वर्ष पहले राजगढ़ में पंचायत समिति की 32 बीघा जमीन इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए दी जाये, पंचायत समिति ने यह प्रस्ताव पास करके इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भेजा था वह मामला आज तक क्लीयर नहीं हुआ। करीब 40 लोगों ने 500 रुपया जमीन लेने के लिए भूखण्ड लेने के लिए वहां पर जमा कराये लेकिन आज तक उस जमीन के बारे में फैसला नहीं हो पाया। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट या रीको के जो लोग हैं वे उसका डवलपमेंट क्यों नहीं करना चाहते ? जो लोग वहां इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, इण्डस्ट्रीज लगाने में उन लोगों को बाधा पैदा हो रही है। जो लोग पट्टे मांग रहे हैं उनको पट्टे क्यों नहीं दे रहे हैं।

दूसरा, मैं खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजगढ़ एरिया के अन्दर खनन के लिये जो प्राकृतिक साधन हैं उन साधनों का उपयोग राजस्थान की सरकार को करना चाहिये। वहां पर जो सरिस्का गेम सेंक्चुरी है उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं,

(श्री समर्थ लाल)

उस एरिया के आसपास सैकड़ों गांव हैं उन गांवों के साथ बहुत बड़ा एरिया है वह एरिया पूरा पहाड़ी एरिया है उसके खनन का काम किया जाना चाहिये और वहां राष्ट्रीय उद्यान नाम की कोई चीज नहीं बननी चाहिये। मैं समझता हूं, इस प्रकार की योजना सरकार बनाती है तो आसपास के सैकड़ों गावों के लिये एक अच्छी बात पैदा होगी। दूसरा, में निवेदन करना चाहता हूं कि रामगढ़ तहसील का जितना भी एरिया है उसके 3/4 एरिया में पहाड़ और पहाड़ियां है, 1/4 एरिया मैदानी एरिया है। 3/4 एरिया जो पहाड़ी एरिया है उसका सर्वे होना चाहिये। सर्वे होने के बाद वहां खनन का कार्य किया जाना चाहिये। राजगढ़ एरिया में बहुत ही बहुमूल्य चीजें निकलने की संभावना है। पुराने जमाने के अन्दर वहां कुछ खानें थीं उन खानों के अन्दर लोहा और तांबा निकला करता था। मैं समझता हूँ, खनिज मंत्री जी, आप सर्वे करायें और राजगढ़ एरिया का मास्टर प्लान बनायें तो राजगढ़ में बहुत बड़ी उपलब्धि होने की सम्भावना है। अलवर जिले और राजस्थान के अन्दर जो मिनरल निकलते हैं उससे कम मिनरल राजगढ़ एरिया में नहीं निकलने वाले हैं, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूजित जनजाति के लोगों को खनन के लिये जो पट्टे दिये गये हैं, मैं समझता हूं, उनके अन्दर बड़ा भारी घोटाला हुआ है। उन लोगों के नाम पर पट्टे लेकर खनन का कार्य दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसकी जांच आपको करानी चाहिये। इस प्रकार की शिकायतें राजस्थान के दूसरे हिस्सों से भी आती हैं, जो लोग लिखते हैं इस प्रकार की शिकायत करते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आप जवाब के समय इस बात का भी उल्लेख करें कि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को खनन के लिये पट्टे दिये गये और कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग स्वयं खनन कर रहे हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्रीजी की ओर से उत्तर दिया जायेगा। उनका उत्तर प्रारम्भ होने से पहले मुझे कुछ घोषणायें करनी हैं। माननीय श्री घनश्याम जैन ने केवल दो मिनट का समय मांगा है, तो पहले मैं घोषणा करता हूं उसके बाद थोड़े समय के लिये श्री घनश्याम जैन बोलेंगे और उसके बाद सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के विषय में घोषणा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की चार वित्तीय समितियों अर्थात् जन लेखा समिति 1983-84, प्राक्कलन समिति (क) 1983-84, प्राक्कलन समिति (ख) 1983--84 व राजकीय उपक्रम समिति, 1983--84 के

(श्री अध्यक्ष)

लिये निम्नांकित माननीय सयस्यों के नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं।

माननीय सदस्यों ने नामांकन पत्र भरे और जो वैध पाये गये हैं उनकी सूची इस प्रकार है :—

जन लेखा समिति, 1983–84

नाम	विभाजन संख्या
1	2
श्री उदय राम धाकड़	12
श्री कैलाश मेघवाल	21
श्री गोकुल चन्द शर्मा	24
श्री गोपाल पचेरवाल	25
श्री घनश्याम तिवाड़ी	29
श्री सी. पी. जोशी	33
श्री चुन्नी लाल	36
श्री जनार्दन सिंह गहलोत	44
श्री तेजपाल यादव	53
श्री दीपेन्द्र सिंह	60
श्री देवी सहाय गोपालिया	64
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा	66
श्री धारा राम फुलवारिया	69
श्री नाना लाल	76
श्री भंवर लाल	98
श्री भगवानदास शास्त्री	103
श्री भरत लाल	104
श्री भालू खां	106
श्री भैरोंसिंह शेखावत	113
श्री महादेव सिंह खण्डेला	115
श्री महाराम चौधरी	116
श्री माणक मल मेहता	121
श्री माधव सिंह दीवान	122
श्री मान सिंह देवड़ा	124
श्री मोहन लाल मोदी	129
श्री सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज	132
श्री यदुनाथ सिंह	133
श्री राम किशोर मीणा	143
श्री राम नारायण डूडी	146
श्री रामपाल उपाध्याय	147
श्री राम सिंह विश्नोई	153
श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	160
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	163
श्री सुजान राम टांक	179
श्री सूरज पाल सिंह	185
श्री हीरा लाल आर्य	198

प्राक्कलन समिति (क) 1983–84

नाम	विभाजन संख्या
1	2
श्री असलम खां	7
श्री उम्मेद सिंह	13
श्री गुलाब चन्द कटारिया	23
श्री गोकुल चन्द शर्मा	24

(श्री अध्यक्ष)

नाम	विभाजन संख्या
1	2
श्री गोपाल पचेरवाल	25
श्री चुन्नी लाल	36
श्री नानू राम कुमावत	77
श्री फतेह सिंह	88
श्री बहादुर सिंह	92
श्री भगवान दास शास्त्री	103
श्री भैरू लाल भारद्वाज	111
श्री भैरों सिंह शेखावत	113
श्री महादेव सिंह खण्डेला	115
श्री महाराम चौधरी	116
श्री माधव सिंह दीवान	122
श्री मानसिंह देवड़ा	124
श्री रतन लाल ताम्बी	136
श्री रामपाल उपाध्याय	147
श्री रामसिंह विश्नोई	153
श्रीमती विद्या पाठक	161
श्री सम्पत राम	166
श्री समर्थ लाल	175
श्री सुजान सिंह यादव	179
श्री सूरज पाल सिंह	185
श्री हीरा लाल आर्य	198
श्री हेमा राम	200

प्राक्कलन समिति (ख) 1983-84

नाम	विभाजन संख्या
1	2
श्री उदयराम धाकड़	12
श्री कनकराज मेहता	14
श्री चुन्नी लाल	36
श्री फतेह सिंह	88
श्री बहादुर सिंह	92
श्री बिहारी लाल पारीक	95
श्री भगवानदास शास्त्री	103
श्री भैरोंसिंह शेखावत	113
श्री महादेव सिंह खण्डेला	115
श्री महाराम चौधरी	116
श्री महावीर प्रसाद	117
श्री माधव सिंह दीवान	122
श्री मोहन लाल जाट	130
श्री रघुवीर सिंह कौशल	135
श्री राम कंवार बैरवा	140
श्री राम किशोर मीणा	143
श्री राम पाल उपाध्याय	147
श्री हीरालाल आर्य	198

राजकीय उपक्रम समिति, 1983-84

नाम	विभाजन संख्या
1	2
श्री गोकुल चन्द शर्मा	24
श्री पी. पी. जोशी	33
श्री चुन्नी लाल	36

(श्री अध्यक्ष)

नाम	विभाजन संख्या
1	2
श्री तेजपाल यादव	53
श्री देवदत्त तिवाड़ी	62
श्री देवीसहाय गोपालिया	64
श्री नाथू सिंह	75
श्री नाना लाल	79
सुश्री पुष्पा जैन	82
श्री बहादुर सिंह	92
श्री भंवर लाल	98
श्री भंवर लाल शर्मा	99
श्री भगवानदास शास्त्री	103
श्री भैरों सिंह शेखावत	113
श्री महादेव सिंह खण्डेला	115
श्री महाराम चौधरी	116
श्री महेन्द्र सिंह	119
श्री मांगीलाल आर्य	120
श्री माणक मल मेहता	121
श्री माधव सिंह दीवान	122
श्री मेघराज तावड़	128
श्री यदुनाथ सिंह	133
श्री राम किशोर मीणा	143
श्री रामनारायण डूडी	146
श्री रामरघुनाथ चौधरी	149
श्री रामसहाय सोनड़	152
श्री सुजान सिंह यादव	179
श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा	184
श्री हीरालाल आर्य	198

घोषित कार्यक्रम के अनुसार, जो माननीय सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहें वे दिनांक 19 मार्च, 1983 के म. पू. 11·00 बजे से म. प. 4·00 बजे तक लिखित में ऐसा कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो सदन में एक वक्तव्य के जरिये से भी नाम नापस लिया जा सकता है।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री घनश्याम जैन :

श्री पीरूराम (टी. बी.) : अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी चार-पांच मिनट का समय दे दिया जायगा।

श्री घनश्याम जैन (वेगू) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन समयाभाव की वजह से....

श्री अध्यक्ष : समय का अभाव है इसलिये कृपया थोड़े में ही कहिये।

श्री घनश्याम जैन : अध्यक्ष महोदय, सुपर जिंक स्मेलटर प्लांट की स्थापना को लेकर सदन में बार-बार आवाज उठाई जा रही है। भारत सरकार ने चित्तौड़ में यह प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया है उसके बावजूद राजस्थान सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं करने की वजह से अनेक तरह की भ्रान्तियां फैल रही हैं। मुझे भारत सरकार से जो पत्र मिला है, मैं उसको पढ़कर सुनाऊं तो शायद वही काफी होगा।

(श्री घनश्याम जैन)

a पत्र सं. 6/18/82–धातु–2 नई दिल्ली 3–1–1983।

इस्पात और खान मंत्रालय,

खान विभाग,

भारत सरकार,

श्री घनश्याम जैन

विधायक,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय—**चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मैल्टर की स्थापना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में रसायन और उर्वरक मंत्री को सम्बोधित आपके तारीख 10-9-82 के पत्र के सन्दर्भ में तथा रसायन और उर्वरक मंत्री के तारीख 14-10-82 के पत्रांक एम. सी. एफ. 244 के अनुक्रम में मुझे निदेशानुसार यह कहना है कि नये शीशा, जस्ता प्रद्रावक की स्थापना हेतु साध्यता पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिये हिन्दुस्तान जिंक लि. ने पश्चिमी जर्मनी के मै. स्टील वर्ग को परामर्शक तैनात किया था। परामर्शक से प्रस्तावक प्रद्रावक समूह की स्थापना हेतु राजस्थान के विभिन्न स्थलों का प्रोधो–आर्थिक मूल्यांकन करके सर्वाधिक उपयुक्त स्थान की सिफारिश करने का भी अनुरोध किया था।

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेशी परामर्शक तथा भारतीय परामर्शकों ने सभी सम्भव स्थलों का प्रोधो-आर्थिक मूल्यांकन करने के बाद नये प्रद्रावक समूह के लिये सर्वोत्तम स्थान के रूप में चित्तौड़गढ़ की सिफारिश की है। जहां आवश्यक आधारभूत सुविधायें सुलभ है। प्रोधो-आर्थिक पहलू सहित अन्य सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सरकार ने प्रस्तावित जस्ता-शीशा प्रद्रावक समूह चित्तौड़गढ़ के पास स्थापित करने का निर्णय ले लिया है।

ह0

शारदा प्रसन्न सिंह

संयुक्त सचिव, भारत सरकार,

अध्यक्ष महोदय, इस पत्र के माध्यम से यह निवेदन करूंगा सरकार से कि इस विषय में घोषणा करने में देर नहीं करें। मैं सोचता हूं टैक्निकल और इकानोमिकल आधार पर जो यह आधार भारत सरकार ने दिया है–उसी के आधार पर सुपर जिंक स्मेलटर संयंत्र की स्थापना चित्तौड़गढ़ में कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

श्री पीरू राम (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, आज जो खनिज और उद्योग का विषय चल रहा है इस बारे में मैं कुछ मेरे सुझाव रखाना चाहता हूँ। खनिज का जहां तक सवाल है, राजस्थान में पूरी व्यवस्था नहीं होने से खनन की बहुत ही कम रायल्टी

(श्री पीरूराम)

राजस्थान को मिलती है। बड़ी-बड़ी जो पैसे वाली पार्टियां है वे ही खनिज उद्योग करती हैं मार्बल की लीज देने के जो नियम बनाये गये है वे नियम इतने गलत हैं कि कोई भी कमजोर, गरीब आदमी लीज नहीं ले सकता है। इसलिये जो मार्बल की खानें है उनमें जो मौके पर कार्य करते हैं वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब वर्ग के लोग होते हैं। हमारी नेता इन्दिरा गान्धी का यह सुझाव है कि गरीबों को ऊंचा उठाओ। मेरा निवेदन है, मार्बल की खान देने के नियम बदल कर कम से कम 30 पर्सेन्ट खानें गरीब, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को देनी चाहियें। बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों ने खानें ले रखी हैं, नियम बदल कर वह खाने उन खानों में काम करने वाले गरीबों को देनी चाहिये।

दूसरी बात पट्टी-कातलों की खानें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन- को सबसे पहले दी जानी चाहिये। उनका नाम तो लिया जाता है मगर आम तौर पर उनको खान नहीं दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। एक-दो जगह का तो मुझे उदाहरण मिला है, जैसे नाहरी का नाका में 50 नम्बर की खान है वह एक हरीजन को दी गयी थी। वह खान काटकर दूसरे आदमी को दे दी गयी है। वह हरिजन मौके पर काम कर रहा था। हुक्मा राम हरिजन की खान थी उसे वहां से हटाकर दूसरी जाति के आदमी को वह 50 नम्बर की खान दे दी गयी। आम तौर पर अधिकारी जब गरीब की कोई बात, कोई तरह की सहूलियत नहीं देखकर पैसे वाले जो आते हैं उनको ही खान अलाट करते हैं। मेरा तो यह कहना है कि जो खंडवारी करते हैं, मौके पर पत्थर का काम करते हैं, खान उनको ही मिलनी चाहिए। वैसे जो मार्बल की खानें देने की नीति है, उसमें भी तब्दीली करनी चाहिए ताकि गरीब का भी पालन-पोषण हो सके। आम तौर से खण्डवार ही का काम करते हैं।

दूसरा, मैं उद्योग के बारे में बताना चाहता हूं। उद्योग में हमारा गंगानगर जिला पिछड़ा जिला घोषित होना चाहिए ताकि वहां उद्योग लग सकें। आज से पहले जो उद्योग लग गये वह लग गये अब वहां उद्योग एक भी नहीं लग रहा है। उद्योग के बारे में एक तो मेरा निवेदन यह है, हमारा जो इन्डस्ट्रियल एरिया हैं, सांगरिया, हनुमानगढ़ में जमीन नहीं है। मन्डी समिति के पास काफी जमीन है पर इण्डस्ट्री लगाने के लिए कोई प्लाट मांगता है तो यहां के अधिकारी यही कहते हैं कि यहां पर जमीन अवेलेबल नहीं हैं। दूसरा, रावतसर के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी यही हालत है, इण्डस्ट्रियल एरिया में प्लाट अवेलेबल नहीं हैं। मण्डी समिति के पास काफी जमीन है उस से जमीन लेकर उनको प्लाट दिये जायें। खास बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में लघु उद्योग, गांवों में लगाने की जो स्कीम सरकार ने रखी है, वह बहुत अच्छी स्कीम है पर उसकी तरफ अधिकारीगण कोई ध्यान नहीं दे रहे है। इस देश की 80 पर्सेन्ट जनता देहात में रहती है उसको लघु उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिये

(श्री पीरुराम)

जितनी सबसीडी मिलती है वह देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी यही राय है कि एक तो मार्बल और दूसरे लघु उद्योग देहातों में लगाने के लिये लोगों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए।

तीसरा, हनुमानगढ़ के अन्दर जिप्सम होता है उसके लिए भी सरकार की तरफ से काश्तकारों को कोई सबसीडी नहीं दी जाती है। हरियाणा में पंजाब में 50 से 75 प्रतिशत तक सबसीडी मिलती है जब कि हमारे यहां काश्तकारों को कोई सबसीडी नहीं मिलती। हमारे यहां भी यह नियम बनना चाहिए कि सबसीडी मिले ताकि जो जमीनें खराब हैं, जो सीम आ गयी है, उसको काबिल काश्त किया जा सके। मेरे ही क्षेत्र में 10–15–20 गांवों में जगह–जगह सीम का पानी आ रहा है। काश्तकारों को 10 रुपये में 50 किलो का जिप्सम का कट्टा मिलता है जब कि हरियाणा पंजाब में रोहतक, पटियाला, चन्डीगढ़ में वहां 50 किलो जिप्सम का कट्टा तो 3 रुपये में मिलता है। जिप्सम मेरे ही क्षेत्र में होता है। वहीं जो कट्टा लें तो 50 किलो का कट्टा काश्तकार को 10 रुपये में मिलता है। तो मेरा सरकार से कहना है, मुख्य मंत्री महोदय भी बैठे हैं, इनसे यह बात कहनी है कि यहां भी सब्सिडी चालू करें ताकि काश्तकारों को लाभ मिले। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय हो गया, माननीय सदस्य।

मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की मांगों के सम्बन्ध में करीब 13 माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार रखे और उद्योग और खनिज का जो विकास हमारे प्रदेश में हो रहा है, उसके सम्बन्ध में कुछ मौलिक बातें कही, कुछ चिन्ता व्यक्त की कि जिस गति से विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। पूर्व भूमिका भी बताने की चेष्टा की, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक लम्बी बात नहीं कहता हुआ माननीय सदस्यों के सामने एक बात कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद में विरासत में जो राजस्थान ने पाया और उसके पश्चात् इन 30–35 साल में और विशेष रूप से पिछले दशक में जो राजस्थान में औद्योगिक विकास हुआ है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है और उस पर हमें गर्व करना चाहिए। जो इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए और खनिज के विकास के लिए उपलब्ध होना चाहिए था, उसका नितान्त अभाव हमारे प्रदेश में था। जैसा आप जानते हैं आजादी के वक्त में इस प्रदेश में मुश्किल से 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज उसके मुकाबले में 1158 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यदि इसको भी हम विकास नहीं मानें और यह समझें कि हम आगे कुछ नहीं बढ़े हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में राजस्थान ने जो अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी, और वित्त का निरन्तर अभाव

(श्री शिवचरण माथुर)

होने के बावजूद भी जिस प्रकार का विकास हमने किया है, उससे हमें संतोष होना चाहिए।

आज मैं केवल चर्चा औद्योगिक विकास की करना चाहूंगा। औद्योगिक विकास के लिए हमारे जो संस्थान और उद्योग विभाग कार्यवाही करता है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ चर्चा की। मैं बहुत आंकड़े नहीं देना चाहूंगा लेकिन चूंकि यहां पर कहा गया कि पिछले वर्षों में कुछ नहीं हुआ इसलिए कुछ आंकड़े देना पसन्द करूंगा। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में राजस्थान मे जो पूंजी निवेश की स्थिति थी, 1978–79, 79–80 और 80–81 में कुल मिलाकर 107.64 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश राजस्थान में उद्योगों में हुआ। उसके मुकाबले में वर्ष 1981–82 और 82–83 के 10 महीने में, पूरे साल के, दो महीने के आंकड़े नही हैं, 107.14 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ। रोजगार की स्थिति में इन पिछले तीन सालों के अन्दर 91335 व्यक्तियों को इस पूंजी निवेश के माध्यम से जो उद्योग लगे उनमें रोजगार मिला, उसके मुकाबले इस एक साल 10 महीने के अन्दर 92466 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। चालू वर्ष में जनवरी 1983तक 1920 इकाइयों का अस्थायी पंजीयन किया गया।

यहां यह कहा गया कि उद्योगों के लैटर आफ इन्टेन्ट तो मिले, लेकिन उन्होंने कितना काम करना शुरू किया, उसके सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। मैं खास तौर से रीको के मिलने वाले लैटर आफ इन्टेन्ट्स और लाइसेंसेज और कित यूनिट्स ने प्रोडक्शन शुरू किया, उसकी जानकारी एक दो साल की देकर इस प्रकरण को समाप्त करना चाहूंगा। 1979–80 में रीको को 33 लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाइसेंस प्राप्त किये गये और 4 उद्योगों ने उत्पादन शुरू किया। 81–82 में 45 लेटर आफ इन्टेन्ट मिले, 28 लाइसेंस उसके मुकाबले में स्वीकृत किये गये और 7 प्रोजक्सन ने प्रोडक्शन शुरू किया। इस वर्ष, आलोच्य वर्ष की बात मैं कह रहा हूं उसमें कुल 15 लाइसेंस मिले थे, उसमें 10 उद्योगों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। यह आंकड़े कोई बनावटी नहीं हैं, यह आंकड़े उन उद्योगों के आधार पर प्राप्त किये गये हैं जिन्होंने निश्चित रूप से अपना उत्पादन प्रारम्भ किया है। मैं समझता हूं, अलवर में लगने वाला लीलैण्ड का कारखाना, मोदीज का कैमिकल्स का कारखाना और दूसरे कारखाने इस बात का सबूत हैं कि हम लोगों ने इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की है। जो टोटल फाइनेन्शियल असिस्टेंस और जोइन्ट और असिस्टेंड सैक्टर में पिछले सालों में हमने दी, वह भी मैं समझता हूं कि एक अच्छा रिकार्ड कायम करने वाली बात है। 1976–77 की क्यूंमुलेटिव सैंक्शन थी वह कुल मिलाकर 230 लाख थी, उस पर करीब एक करोड़ रुपये का डिस्बर्समैन्ट हुआ, यह राशि बढ़ करके 1981–82 में 19 करोड़ 41 लाख की सैंक्शन हो गई और डिस्बर्समेंट इसका करीब 13 करोड़ 39 लाख रुपये हुआ। 1982–83 में 28 फरवरी, 1983 के फिगर्स मेरे पास हैं, पिछले साल की 15 करोड़ 89 लाख रुपये

(श्री शिवचरण माथुर)

की सैंक्शन के मुकाबले में डिस्बर्समेंट 16 करोड़ 30 लाख रुपये का हुआ। लास्ट ईयर का जो बैकलोग था उसको भी हमने इस साल में पूरा किया और अब तक की जितनी भी कुल सैंक्शन थीं उनका पूरा डिस्बर्समेंट कर दिया गया।

यहां पर आर. एफ. सी. के बारे में चर्चा की गई कि राजस्थान फाइनेंशियल कार्पोरेशन लोन के बारे में बहुत शाई है। वह कर्ज नहीं दे रहा है। कर्ज की स्वीकृति नहीं देता है और स्वीकृति होने के बाद में डिस्बर्समेंट बैंकों द्वारा नहीं होता है। मैं बहुत थोड़े आंकड़े इस सम्बन्ध में देना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष में और नदर्न जाने के परिप्रेक्ष में आर. एफ. सी. की क्या स्थिति है और उसकी क्या रैंकिंग है, ये आंकड़े देकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो प्रयत्न किये हैं उससे राजस्थान में एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेंट पैदा हो रहा है। बावजूद इसके कि हमारे पास पावर की कठिनाई है लेकिन क्यों आज इंडस्ट्रियल क्लाइमेंट राजस्थान में जनरेट हो रहा है, उस के कारण भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि पावर की पोजिशन जैसी आज हम महसूस करते है उतनी ब्लीक और ग्लूमी आगे आने वाले वर्षों में नहीं रहेगी, इसको भी मैं आंकड़ों के साथ में आपके सामने रखना चाहूंगा। ये मैं नदर्न जोन की बात कह रहा हूं जिसमें री-फाइनेंस अलग-अलग फाइनेंशियल कोर्पोरेशन के मार्फत सैंक्शन हुआ है उसमें रीको जो हमारे राजस्थान का स्थान है उसने 1980 में 841.7 लैक्स, 841 लाख रुपया सैंक्शन किया और 1981 में 624 लाख रुपये सैंक्शन किए और 1982 में 727 लाख सैंक्शन करके नदर्न जोन में हमारे रीको ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान यू. पी. का है, तीसरा स्थान हिमाचल का है, चौथा स्थान हरियाणा का है, पांचवां स्थान जम्मू एण्ड काश्मीर का है और छठा स्थान पंजाब का है। ये फिगर्स आल इंडिया रैंकिंग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से जो डिस्बर्समेंट के फिगर्स हैं उसमें हमारे आर. एफ. सी. क्या रैंक करता है उसकी स्थिति में आपको बताना चाहता हूं। जहां तक डिस्बर्समेंट का सवाल मैं री-फाइनेंस डिस्बर्समेंट उसमें भी नदर्न जोन में राजस्थान के रीको का पहला स्थान है। 1982 में 564 लाख रुपये हमने डिस्बर्स करके पहला स्थान प्राप्त किया हैं। दूसरा स्थान यू. पी. का है, तीसरा स्थान पंजाब का है, चौथा स्थान हिमाचल प्रदेश का है, पांचवां स्थान हरियाणा का है और छठा स्थान डिस्बर्समेंट में जम्मू एण्ड कश्मीर का है। इसी प्रकार से यदि हम सारे नेट फाईनेंस में आल इंडिया के हिसाब से देखें, परिप्रेक्ष में देखें तो उसमें भी राजस्थान का एक अच्छा स्थान हम पाते है। आल इंडिया रैंकिंग में जो रीको का स्थान है उसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आलरेडी डवलप्ड है उसके आधार पर आज राजस्थान के बैक्लाग की ओर हम कम्पेयर करें तो मैं समझता हूं कि हमारी जो स्थिति है वह निराशापूर्ण नहीं हैं। दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है और चौथा स्थान राजस्थान का है। लेकिन देखें कि नदर्न जोन में इसमें भी पहले नम्बर पर आते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात को आप छोड़ दे तो नदर्न जोन में

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान का नम्बर पहला आता है जो मैं समझता हूं कि सन्तोष का कारण हमें मानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे प्रदेश में इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट जनरेट हो रहा है, इसका एक मूल कारण यह है कि आज यहां पर खनिज सम्पदा का दोहन और इसके विपुल भण्डार का होना और एक तरह से सारे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के पोइन्ट से एक नई भूमि होना और उसमें जो फैसेलिटी आज जोब के लिए दी है उससे आकर्षित होकर लोग यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में उद्योग लगाने चाहिए। अब केवल प्रश्न आता है कि यहां पर बिजली की उपलब्धि के आधार पर लोग उद्योग नहीं लगाने वाली बात सोचते हैं लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। बावजूद इसके कि आज पावर की कठिनाई के कारण हण्ड्रेड पर्सेंट पावर कट हमारा हाई टेंशन कंजूमर्स पर है, फिर भी लोग यह महसूस करते हैं कि आगे के प्रोजेक्शन हैं, राजस्थान के आगे आने वाले तीन चार पांच साल के अन्दर जो पावर के प्रोजेक्शन सामने हैं उनको देखते हुए कोई भी इण्डस्ट्री लगाने वाला यह महसूस करता है कि आज अगर इण्डस्ट्री की अपन शुरुआत करते हैं तो तीन साल के बाद में जब कमीशनिंग स्टेट उसकी आयेगी और जब उस इण्डस्ट्रीज की जेस्ट्रेशन पीरियड शुरू होगा उस समय राजस्थान की बिजली की उपलब्धि की क्या स्थिति होगी, इसका अन्दाज लगा कर आज राजस्थान के उद्योगपति, उद्योग लगाने वाले यहां पर आने वाली बात करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1985, जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा, राजस्थान में जो बिजली की उपलब्धि होगी वह 1785 मेगावाट की होगी। आज 1158 मेगावाट बिजली हमको उपलब्ध है उसके मुकाबले में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान को 1785 मेगावाट मिलने लगेगी। इसका मूल कारण यह है कि तीन चार जो बहुत बड़े सोर्सेज राजस्थान के लिए पावर की अवेलेबिलिटि के सामने दिख रहे हैं वह कोटा के दो यूनिट। मैं तीसरे यूनिट की बात नहीं करता। जो सैकण्ड स्टेज का थर्ड यूनिट है जिसमें 210 मेगावाट बिजली पैदा होगी उसकी बात तो अगर सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी हम कर लें तो भी कोटा थरमल पावर प्लांट के पहले जो दो यूनिट हैं फर्स्ट स्टेज के, जिसकी क्षमता 110–110 मेगावाट होगी, 220 मेगावाट हमको कोटा थरमल पावर प्लांट से उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पचास मेघावाट बिजली हमको माही के प्रोजेक्ट से मिलेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में और मिलेगी लेकिन मैं केवल छठी पंचवर्षीय योजना का जिक्र यहां पर कर रहा हूं, पचास मेगावाट बिजली हमको माही प्रोजेक्ट से मिलेगी और एक दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है पावर की अवेलेबिलिटि का हमारे पास मिलने वाला है वह है उत्तर प्रदेश में स्थित सिंगरोली का सुपर थरमल पावर स्टेशन है जिससे राजस्थान को 212 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। तो ये तीन बड़े सोर्सेज हमारे बाहर से बिजली के उपलब्ध है। इसके अलावा विहार और पोंग में जो

(श्री शिवचरण माथुर)

नई यूनिट्स लगने वाली है, उसमें भी राजस्थान को हिस्सा मिलेगा, उसके आधार पर कुल मिला कर 1785 मेगावाट बिजली की उपलब्धि राजस्थान में हो जाएगी। मेरे पास वह आंकड़े भी हैं जो आज के प्रोजेक्शन के लिहाज से हम राजस्थान में बिजली की कितनी डिमाण्ड आगे आने वाली है उसको देखते हुए जो 1984-85 तक जो आज उद्योग हम लगाने वाली बात सोचते हैं उसमें कुल मिलाकर करीब 1576 मेगावाट बिजली की डिमाण्ड हमारे राजस्थान में 1984–85 तक बिल्ड-अप होगी। इस बिजली की मांग को यदि हम कुछ हण्ड्रेड पर्सेंट रेटेड कैपेसिटी पर भी नहीं मानें और सेवेन्टी पर्सेंट रेटेड कैपेसिटी का भी अन्दाज लगायें, तो हमारी 1984–85 और 85–86 में जो हमारी बिजली की मांग राजस्थान में आने वाली है मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल सम्पूर्ण रूप से राजस्थान में बिजली की उपलब्धि हमारी मांग के अनुकूल हो जाएगी लेकिन करीब-करीब उसके समकक्ष राजस्थान में बिजली उपलब्ध होने की आशा हमें है हमारे चालू प्लान के आधार पर। मैं नई योजनाओं का यहां पर जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह सब बात सोचकर के आज उद्योग लगाने वाले इस बात को देखते हैं कि आने वाले दो तीन साल के अन्दर में बिजली की उपलब्धि राजस्थान में क्या होगी। सही बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो हमारा सबसे बड़ा बेसलोड है राजस्थान का अपना कोटा का राजस्थान एटमिक पोवर प्लाण्ट जिसमें 440 मेघावाट की क्षमता है, 40 मेघावाट उनके अपने कंजम्प्शन के लिए भी छोड़ दें तो जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है 400 मेगावाट का वह आम तौर से बीमार रहता है। कभी एक महीने में चल जाता है तो कभी दो महीने में फिर बन्द हो जाता है। इसलिए आज पावर की एक बहुत बड़ी कमी रहती है।...

श्री अध्यक्ष : दूसरे वाले चालू होंगे उस वक्त यह भी चालू रहेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक बात है।

तो जिस प्रकार की एक ग्लूमी पिक्चर लोग महसूस करते हैं वैसी ग्लूमी पिक्चर राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये मैं नहीं महसूस करता हूं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि वह उद्योगपति छोटा, मध्यम दर्जे का या बड़ा उद्योगपति बुद्धिमान होगा जो राजस्थान में आने वाली बिजली की उपलब्धि को देखकर आज राजस्थान में उद्योग लगाने की बात सोचेगा। मैं आपसे इतना निवेदन करूं, जैसा मैने निवेदन किया कि हण्ड्रेड पर्सेन्ट पावर कट होने के बाद भी आज जितने उद्योगों की दरख्वास्तें राजस्थान में आ रही हैं, मैं समझता हूं कि दूसरे प्रदेशों में बहुत कम हैं। एक बहुत बड़ी बात सन्तोष की राजस्थान के लिए मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक नये उत्साही एण्टरप्रेन्योरशिप का जन्म हो रहा है। लोग यह कहते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आप निमंत्रण दीजिए, उनको यहां लाने की चेष्टा कीजिए। वह भी यहां आयें, हमें एतराज नहीं है लेकिन सबसे बडी बात यह है कि नया एण्टरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट राजस्थान में हो रहा है, कुछ नये लोग यहां पर आ

(श्री शिवचरण माथुर)

रहे हैं राजस्थान के अपने और जो उन्होंने एक उद्यम में मेहनत करके इसको सफल बनाने का नया उदाहरण पेश किया है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। उसके आधार पर राजस्थान के हर हिस्से में हम लोग इण्डस्ट्रियल इजेशन की दिशा में आज आगे बढ़ रहे हैं।

नदवई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कैपिटल इन्टेंसिव इण्डस्ट्रीज हमारे राजस्थान में लगनी चाहिए। सिद्धान्ततः मैं उनसे सहमत हूं लेकिन दोनों में हमें वेलेन्स करना पड़ेगा। कैपिटल इन्टेंसिव इण्डस्ट्रीज भी लगेगी अगर हमें विकास करना है, इन्फा स्ट्रक्चर बिल्ड अप करना है और उसके साथ-साथ लेबर इन्टेसिव इण्डस्ट्री भी लगानी पड़ेगी। क्योंकि कैपिटल इन्टेसिव जो बड़ी वेस्ट इण्डस्ट्रीज होती है उनसे एक मौलिक ढांचा बनता है औद्योगिक विकास का। लेबर इन्टेसिव इण्डस्ट्रीज के आधार पर रोजगार के चांसेज अधिक बढ़ाने वाली बात सामने आती है। आज अगर हमारे देश में पंडित नेहरू का जो प्लान था, जो योजना थी इस देश को आगे बढ़ाने की, यदि वह यह कल्पना नहीं करते, हिन्दुस्तान में जो बेसिक इण्डस्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं वे नहीं आते सबसे पहले भिलाई का कारखाना यहां पर नहीं लगता, राउरकेला का कारखाना यहां पर नहीं लगता, दुर्गापुर के कारखाने यहां पर नहीं लगते, रांची का कारखाना यहां नहीं लगता तो मैं समझता हूं कि आज जो एक आधार हमारे औद्योगिक उत्पादन का बना है वह कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। जो देश किसी जमाने में सूई भी बाहर से मंगाता था आज बड़ी-बड़ी मशीनें अपने यहां बनती है और दुनियां के दूसरे इलाकों में भेजी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त अगर पण्डित नेहरू यह नहीं सोचते उस समय, 1952 में जब प्लानिंग का प्रोसेस हिन्दुस्तान में शुरू हुआ, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का, देश का जो औद्योगिक विकास हुआ है और हम दुनियां के पहले सात मुल्कों में औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से अपने आपको बना सके है, सम्भवतः यह कभी भी पोसिबल नहीं होता। इसलिए यह मान कर चलना चाहिए कि बैकलाग में जिस आधार पर, जिस पृष्ठभूमि में हमारे देश ने विकास की प्रक्रिया को शुरू किया, विकास की यात्रा को प्रारम्भ किया उस यात्रा में हमने सही तौर से हमारी औद्योगिक नीति का आधार बनाया और सही तौर से आज तक इसको लागू करते आये हैं। हमने यह स्वीकार किया कि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए बेसिक इण्डस्ट्रीज में हमको बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी। उसमें भी इस बात को स्वीकार किया कि जहां तक बेसिक इण्डस्ट्रीज का सवाल है वहां पर हम पब्लिक सेक्टर में उस इण्डस्ट्री को लगायेंगे ताकि पब्लिक सेक्टर एक कमाण्डिंग हाइट प्राप्त कर सकें। उद्योग के जरिये से और उसके जरिये से कंज्यूमर इण्डस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को भी लायेंगे, मध्यम दर्जे की इण्डस्ट्रीज को भी लायेंगे और एम्पलायमेंट प्रोटेंशियल जहां डवलप करने के लिए छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योगों के बीच के उद्योगों को

Page No 240

(240)

(श्री शिवचरण माथुर)

लगाने वाली बात करने की हमारी औद्योगिक पालिसी में हमने स्वीकार की थीं। हमने इस बात को भी स्वीकार किया कि कंसन्ट्रेशन ग्राफ इण्डस्ट्रीज कुछ जगह पर नहीं हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर्स हैं उनमें कम इण्डस्ट्री लगाकर के छोटी-छोटी जगह पर आज इन्डस्ट्रियल एस्टेट लगाने वाली बात राजस्थान सरकार ने और देश की सरकार ने प्रारम्भ की। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के प्रायः हर हिस्से में, हर जिले में उद्योग लग रहे हैं। 26 औद्योगिक केन्द्र, डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्री सैन्टर राजस्थान में 26 जिलों में खोल चुके हैं और वह सफलतापूर्वक आज काम कर रहे हैं। एक हमारा नया जिला धौलपुर का बना, 27वां जिला, उसमें भी वर्ष 1983–84 में जिला उद्योग केन्द्र कायम कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं, उसके आधार पर धौलपुर जिले का औद्योगिक विकास भी जिस प्रकार से राजस्थान के दूसरे हिस्से औद्योगिक प्रगति कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा जो नया जिला बना है उसमें भी नया औद्योगिक वातावरण बन सके इसकी कल्पना करके हम चलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि उद्योग के लिए, खेती के लिए बिजली एक मूल आधार हुआ करती है विकास के लिए तो हमने सबसे पहला हमारी योजना का जो आधार रखा है वह वह बिजली के उत्पादन का रखा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा जो प्लान है कुल आउट ले प्लान का इस वर्ष का भी, अध्यक्ष महोदय, 83–84 का जो हमारा प्लान आउट ले है, 416 करोड़ रुपये का उसमें बिजली के क्षेत्र में 122.03 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, उसमें जेनरेशन के मद पर 56.88 करोड़ खर्च किये जायेंगे। ट्रांसमीशन और सब ट्रांसमीशन लाइन जो हमारी बिजली को ले जाने के लिए बहुत जरूरी है उसमें 48 करोड़ रुपये की धनराशि 1983–84 में खर्च होगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में 16.65 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस तरह से 122 करोड़ की धनराशि, जो हमारे 83–84 के प्लान में रखी गई है, एक वर्ष में अधिक से अधिक धनराशि है। इसके बाद इरिगेशन का नम्बर आता है जिसमें करीब 95 करोड़ की धनराशि रखी गई है। लेकिन पावर के सैक्टर में सबसे अधिक प्रावधान रखने का कारण यह है, मतलब यह है, आज चाहे हम दूसरे सैक्टर्स को स्टार्ट कर दें लेकिन यदि बिजली का एक मूल आधार हमारे राजस्थान में कायम हो जाता है तो जाहिर बात है कि हम उसके आधार पर आगे आने वाले वर्षों में एक अच्छी, अच्छे उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि सातवी पंचवर्षीय योजना के बाद में यदि हमने कोई नई स्कीम हाथ में आज से नहीं ली बिजली के उत्पादन की तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में आवश्यकता के अनुकूल हमें जितनी बिजली चाहिए और जितनी पैदा होगी उसमें एक फर्क मालूम पड़ने लगेगा। वह डिमाण्ड के

(श्री शिवचरण माथुर)

भी आंकड़े मैंने मेरे पास मंगाये हैं अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989-90 तक राजस्थान में आज के प्रोजेक्शन्स के लिहाज से करीब 2537 मेघावाट बिजली की राजस्थान को आवश्यकता होगी। तो 1785 मेगावाट छठी पंचवर्षीय योजना के और 1988-89 के बीच जो एक बहुत बड़ा गैप होगा, उसमें यदि हम बिजली पैदा करने की कल्पना आज से ही शुरू नहीं करेंगे तो यह बहुत टाइम लेने वाली योजना होती है इसका प्रावधान चाहे भले हम टोकन रूप से स्वीकार करें लेकिन इसको एक लम्बे अरसे तक की योजना बना कर जब तक हम उसकी कल्पना नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय, हमारे आगे की भविष्य की योजना को एक प्रकार से स्थायी रूप नहीं दे सकेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार ने यह निश्चय किया है कि आज जो कुछ सोर्सेज हमारे पास पावर के हैं वह सब बाहर से मिलने वाले सोर्सेज है चाहे हमें वह भाखरा व्यास का काम्प्लेक्स से मिलते हों हमें सतपुड़ा से मिलते हों, भले ही और दूसरी जगहों से मिलने वाले सिंगरौली के हमारे सोर्सेज हों यह सारे के सारे बाहर से मिलने वाले सोर्सेज हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है कि राजस्थान ने जो हमारे पश्चिमी भू-भाग मे रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है, बाड़मेर से, मेडता में और बीकानेर के इलाके में जो लिग्नाइट के भण्डार हैं जो हमको मिले हैं उनका बहुत तेजी से पिछले साल से दोहन करने का और उनमें यह लीज करने का कि उसमें कितना कोयला धरती के पेट में आज छुपा हुआ है इसका अन्दाज लगाने के लिए एक बड़ी योजना बनाने का हमने काम अपने हाथ में लिया, भारत सरकार को भी निवेदन किया कि हमारे सोर्सेज के आधार पर हम इस सोर्स को एक प्रकार से नहीं निकाल पायेंगे। मेरे प्रयत्नों से, भारत सरकार से कहने के बाद आज यह निश्चय हो गया है भारत सरकार अपनी एजेन्सी के मार्फत और सेन्ट्रल सेक्टर में इस सारे काम को अपने हाथ से करायेगी। वर्ष 1983–84 में जहां इस लिग्नाइट के भण्डारों का पता लगाने के लिये, उसके एक्सटेंट आफ डिपोजिट्स का मालूम करने के लिए जहा राजस्थान सरकार के अपने बजट में हमने एक करोड़ का प्रावधान किया है। वहां पर भारत सरकार भी इसमें एक करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने वाली है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो प्रोजेक्शन आज हमारे सामने आ रहे है और जो अन्दाज आज के इन्वेस्टीगेशन के आधार पर मिल रहे हैं उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले कुछ 1–2 साल के अन्दर राजस्थान में लिग्नाइट के बहुत बड़े भंडारों का पता लगेगा क्योंकि हमें जिस प्रकार की चीज मिल रही है वह ऐसी कंटिन्युटी में मिल रही है कि उसमें काफी बड़े भण्डार राजस्थान के कुछ हिस्सों में हमको मिलने वाले हैं। यदि बड़े भण्डार राजस्थान में हमको मिलें तो मुझे कोई शंका नहीं है कि आने वाले कुछ वर्षों मे हम इस बात को सिद्ध कर सकें भारत सरकार के सामने कि एक बहुत बड़ा सुधार थर्मल पावर प्लान्ट लिग्नाइट पर आधारित राजस्थान में लग जाय। यह प्लान्ट किसी भी केपेसिटी का हो सकता है एक हजार से लगाकर दो हजार मेगावाट तक का है। यह बड़ी योजना है जिसको कि हम आने वाले 10–12 साल में जो राजस्थान में बिजली को

(श्री शिवचरण माथुर)

आवश्यकता होगी औद्योगिक विकास के लिये और खेती के विकास के लिए इसकी पूर्व भूमिका के रूप से हम लोग प्रस्तुत कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हमने यह भी सोचा है कि आज जो देश में बिजली पैदा करने के जो सोर्सेज जहां के अधिक अन–टेप्ड सोर्सेज हैं उनमें भी हमारा हिस्सा किस प्रकार से बन सकें। हमने हिमाचल प्रदेश से कुछ समझौता किया है। मैं समझता हूं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि साहब शेख चिल्ली वाली बात हैं, दो हजार करोड़ न तो आपके पास होंगे न योजनायें आयेंगी। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि आज आपकी कल्पना नहीं है तो आगे आने वाले 10 साल में दो हजार करोड़ रुपये उपलब्ध करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जहां पर विकास की सम्भावनायें निरन्तर बढ़ती जा रही है और हर साल हमारी आमदनी में विकास होता है तो आने वाले 10–15 साल में इतनी बड़ी योजना अपने हाथ में ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय. इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत उपयुक्त क्लाइमेट आज औद्योगीकरण के लिये है। इसलिए कोई भी उद्योग लगाने वाला राजस्थान में मेरे पास आता है मैं बहुत स्पष्ट रूप से उससे कहता हूँ कि आपको आज की स्थिति समझ लेनी चाहिए आज से आने वाले 2 साल बाद की स्थिति समझ लेनी चाहिए 3-4 साल बाद की स्थिति भी समझ लेनी चाहिए और कोई उद्योग लगाने वाली बात करनी चाहिए, मुझे खुशी है यह कहते हुए कि लोग समझते हैं इस बात को और इसके बाद उद्योगों के लाइसेन्स लेकर उसके प्रोडक्शन में जाने की कल्पना करके यहां पर निरन्तर उद्योग लगाने वाली बात की जा रही है।

राजस्थान वित्त निगम के आँकड़े देकर मैं आपका समय लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य भी जाना चाहते हैं, मुझे भी ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह किताब हमें मिल चुकी है।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात यहाँ पर छोटे उद्योगों के जरिये अधिक रोजगार पैदा करने वाली बात कही गई। मैं मानता हूं कि यह सही दिशा में आपके विचार हैं। हमारी नीति का भी यह अंग है कि हम जहाँ मौलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए बड़े उद्योग लगायें, मंझले उद्योग लगायें वहाँ पर रोजगार की दृष्टि से कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करने वाली बात भी करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे कहते हुए खुशी है राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के जरिये आज जो पैदा हो रहा है वह एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय हमारे लिए हो सकता है। मैं कुछ आँकड़े आपको यहां पर देना चाहूंगा। खादी के उद्योग में जो उत्पादन हुआ है, लाख रुपये की बात मैं आपसे कह रहा हूं, ऊनी में 723 लाख रुपये की लागत का ऊनी कपड़ा 1980–81 में पैदा हुआ था वह बढ़ कर 81–82 में 815 लाख रुपये का हो गया और फरवरी 83 तक वह बढ़ कर 90 करोड़ का हो गया।

श्री अध्यक्ष : ऊन के भाव भी काफी बढ़ गये इस बीच में।

श्री शिवचरण माथुर : भाव तो बढ़े हैं लेकिन फर्क तो देखिये, साहब, 900 और 723।

श्री अध्यक्ष : वह बढ़ा है।

श्री शिवचरण माथुर : इसी प्रकार काटन में 355 लाख के मुकाबले में 500 लाख का उत्पादन इस 82–83 के फरवरी महीने तक हुआ है। इसमें जो नयी यूनिट्स लगाई गई हैं, खास बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ मनी चाहे भले ही आपको कम लगता है, लेकिन जो इससे एम्प्लायमेंट जनरेट हुआ है। वह बहुत सन्तोष का कारण है। 1980–81 में 10262 नयी यूनिट्स इस क्षेत्र में लगी। वह बढ़ कर 10 हजार का लक्ष्य हमने रखा था इस साल का, उसमें भी 7083 तो पिछली जो रिपोर्ट हमारे पास थी वह लग गई हैं। इसके बाद निरन्तर नयी यूनिट्स सामने आ रही है। इस तरह से इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ लोगों को बेनीफिट मिलने वाली बात है। वह भी मैं ऐसा मानता हूं कि सन्तोष का कारण है। 1982–83 में हमारा लक्ष्य 7,500 शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इस क्षेत्र में काम देने का था, मेरे पास जो अब तक के फीगर हैं उसके अनुसार 5761 को इस प्रकार का काम दिया जा चुका है। उसमें इस वर्ष के अन्त तक इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि सारे कार्यक्रम के आधार पर राजस्थान में उद्योगों की जो सम्भावनाएं बन रही हैं, उसको देखते हुए हम सन्तोष अनुभव कर सकते हैं।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ नये बड़े उद्योग लगाने की खास तौर से पब्लिक सैक्टर या सैन्ट्रल सैक्टर में उद्योग लगाने की चर्चा की। यह सवाल आया कि यहां पर केन्द्रीय सैक्टर में बड़े उद्योग नहीं लग रहे हैं। मुझे आपसे यह कहते हुए खुशी है भारत सरकार ने इस वर्ष यह निश्चित किया कि जो उत्तर भारत में 6 फर्टीलाइजर फैक्ट्री आने वाली हैं उनमें से एक फैक्ट्री के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में विलोपा गांव के पास में साइट तय हो गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीन लगने वाली थीं उसका क्या हुआ, पाइराइट और फास्फेट का क्या हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर : बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; कृपया शांत रहें।

श्री शिवचरण माथुर : इसी प्रकार सीकर जिले के सलादीपुरा गांव में जहां पर पाइराइट्स का विपुल भण्डार हमको मिले हैं, उसमें हमने अपने तौर से काफी अर्से पहले पाइराइट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को लीज सैंक्शन कर दी। उन्होंने उसमें से सारे भण्डारों का पता लगा लिया, उस फिजीब्लिटी रिपोर्ट एक प्रकार से सामने आ गयी और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी उसी प्रकार से हो गई। अब

(श्री शिवचरण माथुर)

भारत सरकार के पब्लिक इनवेस्टमेंट ब्यूरो के पास वह केस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन भारत सरकार को लेना है, मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर आने वाले उद्योगों में पाइराइट्स पर आधारित जो वहां का फर्टिलाइजर प्लांट है। वह भारत सरकार के पी.आई. बी. के अभी विचाराधीन है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी निर्णय होने के बाद इस पर फैसला लिया जायगा।

इसी प्रकार राक फास्फेट पर आधारित चित्तोड़ में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का निश्चय पूर्ण तौर पर हो चुका है। यह सब चीजें ऐसी हैं, जिनको कि ओवर नाइट नहीं लगा सकते हैं। यह कोई जादू का खेल नहीं है कि आपने अलादीन का चिराग जलाया और आपके सामने फैक्ट्री खड़ी हो गई। इसमें........

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सिर्फ दो साल के बाद कागज ही पूरे हो जायेंगे। ऐसे बैठना सरकार में कुछ नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : एक-एक प्लांट में पांच-पांच सौ छः-छः करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट है। इसके सारे फैसले करने में कुछ समय लगता है, सारा मेटीरियल पर्याप्त है या नहीं, इसकी जानकारी करनी पड़ती है, सारा टैक्नीकल असेस्मेंट करना पड़ता है। इसके बाद सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही इतने बड़े इनवेस्टमेंट का फैसला करना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बारे में हमको सन्तोष करना चाहिए, राजस्थान में निश्चित रूप से बड़े उद्योग सामने आयेंगे और उन उद्योगों के जरिये राजस्थान का विकास होगा।

एक बात यहां पर कोटा की जे. के. इण्डस्ट्री के बारे में कही गई कि वहां पर एक बड़े पैमाने पर अनएम्प्लायमेंट वाली बात शुरू की जा रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जे. के. इण्डस्ट्री का जो कोटा में कारखाना है, उसके बारे में उनका यह मानना था कि उसमें घाटा चल रहा है, कुछ पावर कट की भी वजह से दिक्कत थी तो उन्होंने कुछ लोगों को रिट्रेंच करने का एक फैसला किया। फैसला करने के बाद में उन्होंने लोगों को तीन-तीन महीने की तनख्वाह देकर रिट्रेंच किया। राजस्थान सरकार ने इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूटर एक्ट के सैक्शन 25 एन. के अण्डर में उनको यह नोटिस दिया कि आपको इतना बड़ा रिट्रेंचमेंट करने के पहले राज्य सरकार से पूछना चाहिए था। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, उस नोटिस पर उन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट में यह कहा, सैक्शन 25 एन के अण्डर में मद्रास हाई कोर्ट को कोट करते हुए कहा कि स्टेट गवर्नमेन्ट से परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। यह मामला विचाराधीन हाई कोर्ट का था। हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है। इसलिए राज्य सरकार का जहां तक सवाल है, हम अपने तौर पर पूरी कार्यवाही इस बारे में कर चुके हैं कि इतने बड़े रिट्रेंचमेंट का सवाल जब आये तो इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे श्रम मंत्री जी ने उद्योग के मालिकों

(श्री शिवचरण माथुर)

को 21 तारीख को यहां, बुलाया है उनसे बातचीत करने के लिए। यदि कोई आपसी बातचीत से समझौता हो जाये तो ज्यादा ठीक रहेगा ताकि यह मामला आज....

(व्यवधान)

श्री दाउदयाल जोशी : वह दिल्ली में समझौता कर लिया। यहां कोई पूछने वाला नहीं है। तीन करोड़ में सौदा हो गया, जे. के. के मालिकों से दिल्ली में बैठकर। राजस्थान सरकार को कोई पूछेगा नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं अपनी सरकार की बात कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : पांच हजार आदमी बेकार हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया शान्त रहें।

श्री शिवचरण माथुर : इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था। हमारी दृष्टि से मैंने इसलिए उसका जिक्र करना जरूरी समझा। मैं मानता हूं, राजस्थान सरकार है जो अपने तौर पर प्रयत्न करने थे वह सब प्रयत्न किये हैं लेकिन अगर हाई कोर्ट के सामने कोई मामला पेश हो तो सरकार उसके लिए विवश है। क्या कर सकते हैं, हम आज भी बातचीत के जरिये से उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमें भी पीड़ा होती है। इतने बड़े पैमाने पर अगर रिट्रेंचमेंट होता है मजदूरों का तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर सम्पूर्ण रूप से एक उपयुक्त वातावरण औद्योगीकरण के लिए उपलब्ध है। आगे आने वाले वक्त में राजस्थान में मिनरल्स के मार्फत, उद्योगों के मार्फत यहां की गरीबी को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार सचेष्ट है।

एक बात, पाली में आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये, उसके सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं, पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रश्न इण्डस्ट्रिलाइजेशन के साथ में हमारे साथ जुड़ गया है। आज जिस प्रकार से पिछले दिनों में इण्डस्ट्रीज का उद्भव हुआ, उसमें इस आसपेक्ट को कम्पलीटली इग्नोर किया गया कि कहां किस प्रकार की इण्डस्ट्री लगे जिससे पोलूशन नहीं हो। पुराने जमाने में इण्डस्ट्री लग गई। अब उनको हटाना भी बड़ा मुश्किल है। पाली में खास तौर से पाली, बालोतरा और जोधपुर में, तीन चार जगह पर मुश्किल पोलूशन की हमारे सामने आ रही है। वहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मंडियों के पास में दस लाख लीटर की कैपेसिटी का एक ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने लगा दिया है। हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि जो इण्डस्ट्रीयल स्टेट एरिया नम्बर दो है, उसके पानी को भी चैनेलाइज करके हम इसकी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाकर मंडियों के प्लांट में उस पानी को डाल दें, ताकि वह पानी ट्रीट होकर वहां के पोल्यूशन को पार्शली, फुल्ली तो मैं नहीं कहता, फुल्ली तो सम्पूर्ण रूप

(श्री शिवचरण माथुर)

से सारे शहर की एक स्कीम है, जिसके लिए हम एल.आई.सी. को अप्रोच करना चाहते हैं, हमारे फिजीकल रिसोर्सेज को भी टेप करके उस योजना के बारे में हम सोचना चाहते हैं, लेकिन पार्शली इस समस्या को हल करने के लिए उस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा कर उसका चैनल बना करके उस पानी को डालने का निर्णय एक प्रकार से कर लिया गया है। उस योजना को "रीको" बहुत जल्दी लागू करने वाली है।

यही कहकर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन मांगों को पारित किया जाये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा औद्योगिक नगर है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में कोटा नगर में कौनसा बड़ा उद्योग लगा ? एक......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कौनसा लगा कौनसा नहीं लगा, यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। इस तरह सब जगह माननीय सदस्य पूछ लेंगे, कौनसी जगह क्या लगा। यदि वाद-विवाद में चर्चा में जो विषय उठाया जाता है उसके सम्बन्ध में सरकार उत्तर देती है। ठीक है, कभी-कभी किसी एक-आध प्रश्न की अनुमति दे देता हूं लेकिन सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त होने के बाद साधारणतया....

(व्यवधान)

मैं कुल तीन माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा। जिनके यहां उद्योग धन्धे के नाम पर कुट्टी की मशीन ही नहीं है। उनको मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर, मैं कोटा का हूं। कोटा औद्योगिक नगर है...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। तब कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जायें। मैं इजाजत दूंगा। मैं तीन प्रश्नों की इजाजत दूंगा, तीन दलों को, बी.जे.पी. की तरफ से एक कोई माननीय सदस्य को....

श्री दाऊदयाल जोशी : दो को दीजिए। कोटा के बाद सवाई माधोपुर में उद्योग हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। नहीं, कोटा में काफी उद्योग लग गये। सफलता मिल गयी। सवाई माधोपुर नया क्षेत्र बन रहा है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज...इसलिए सवाई माधोपुर...

श्री हंसराज शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि सवाई माधोपुर में जो जयपुर उद्योग है, उसको राज्य सरकार अपने अधीन ले रही है या नहीं...?

श्री अध्यक्ष : नहीं । यह प्रश्न आया था क्या । चर्चा में...

श्री हंसराज शर्मा : कट मोशन दिये हुए हैं । कुछ बोलने का....

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें । यह चर्चा में आया हुआ विषय है क्या ?

श्री हंसराज शर्मा : मेरा कट मोशन है । लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन के उत्तर आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था और मोटे तौर पर यही कहा था, मुख्य मन्त्री महोदय, यह नहीं कहा था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इण्डस्ट्री लगे वह न लगाई जाये । मैंने कहा था बिजली के लिए और स्टील के लिए, ऐसी जरूरी जरूरी चीजों के लिए लगनी चाहिये । मेरा कहना यह था कि जो लेबर इन्टेन्सिव, जो हाथ से बन सकती है वह चीज बड़े उद्योग में न लगावें । यह मोटी बात कही थी मैंने इसको मैं लाइन में थोड़ा सा खुलासा करके बताऊंगा ।

दूसरे आप कितनी ही ग्रोथ रेट की बात कर लीजिए । आपकी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट कितनी भी मान लीजिये । 100 प्रतिशत भी बढ़ जाये, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट भी सौ प्रतिशत बढ़ जाय और पोपुलेशन ग्रोथ रेट के बराबर आपकी इम्पलाइमेंट ग्रोथ रेट नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि नीतियों में गड़बड़ हो रही है, उससे इम्पलायमेंट नहीं मिल रहा है ।

मेरा कहने का मतलब यह था । दूसरा जो आपने कहा कि यहां पर उद्योगों के लिये बिजली की आवश्यकता है । तो जो आपने बताया कि आप तो बिजली के जो पैसा आपने रखा, उससे आप इतनी बिजली कैसे उत्पादित करेंगे । देखिये आपने 222 करोड़ योजनागत रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सुनने दीजिए ।

कुल जो बिजली पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कुल कर रहे हैं 5 करोड़ 65 लाख रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हैं कुल कर रहे हैं 5 करोड़ 65 लाख रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हैं । जिसमें रूरल

(श्री यदुनाथसिंह)

इलेक्ट्रिफिकेशन में तो कम किया है आपने और 18 करोड़ रुपये इसलिए निकाले कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने बिजली से निकाले इसका घाटा कम हो तो आप इसमें लगा तो इतना ही रहे हैं फिर कम पूंजी लगा कर मंहगाई अलग छोड़ी है और जो सैन्ट्रल टैक्स है तो इसका मतलब यह थोड़े ही हैं। तो आप कैसे बिजली का ज्यादा इससे ज्यादा उत्पादन कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल, एक प्रश्न केवल।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से पूछें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके माध्यम से।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोटा के उद्योग समूहों में 1 करोड़ 67 लाख रुपया सैल टैक्स का बाकी है। कोटा के उद्योग समूहों में 15 लाख रुपया पानी का बाकी है। कोटा के उद्योग समूहों में 67 लाख रुपया बिजली का बाकी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपा करके इनकी वसूली के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, क्या करेंगे, यह बात केवल कह रहा हूं, आप यह कह देंगे कि साहब...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।....

श्री दाऊदयाल जोशी : स्टे ले रखा है। तो स्टे लिये हुए तो सात साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि इतनी चर्चा सुपर जिंक स्मेल्टर पर होने के बावजूद और भारत सरकार के निर्णय के बावजूद क्यों नहीं घोषणा की है। कृपया घोषणा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मुख्य मन्त्री जी...

एक माननीय सदस्य : खाद के कारखाने के बारे में कहां कहा साहब...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुख्य मन्त्री जी।

एक माननीय सदस्य : सुपर जिंक का आप घोषित कर दीजिये। इससे हजारों लोगों की भावनाओं की पूर्ति होगी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय हंसराज जी बोले नहीं थे लेकिन जयपुर उद्योग की उन्होंने बात कही है। तो मैं कह देता हूँ कि जयपुर उद्योग के सम्बन्ध में तो हम बहुत ही सतर्क

(श्री शिवचरण माथुर)

हैं। जब से राजस्थान सरकार ने इसका मेंनेजमेंट अपने हाथ में लिया है, इस उद्योग को हमने ठीक चलाया है। और जो देन-दारी थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया की थी, राजस्थान सरकार की सैकड़ों रुपयों की उस देनदारी में से साढ़े पांच करोड़ की देनदारी हम लोग अपने मेंनेजमेंट में लेने के बाद चुका चुके हैं जिसमें राजस्थान सरकार का भी अपना करीब 77 लाख रुपया उसमें आया है। इसके साथ में हमारा जो वाकायदा टैक्स भी आता था, पहले टैक्स भी नहीं मिलता था। सेल्स टैक्स हमको नहीं मिलता था वह टैक्स रेगुलरली मिल रहा हैं। उसके अलावा जो लेना था हमें पैसा उसमें से भी करीब 75 लाख रुपये आज तक ले चुके हैं जब से हमारा मैनेजमेंट इसमें है। हमारा पूरा प्रयास यह है कि हमने भारत सरकार को भी कहा है कम्प-नीज एक्ट की धारा 409 के अन्तर्गत में कहा है कि हमारा बहुत बड़ा स्टेक इसमें है, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग केपेसिटी बाजार में बढ़ा ली है, करीब 45 पर्सेन्ट कर ली है, उसके बाव-जूद हमने भारत सरकार को कहा है कि धारा 409 के अन्तर्गत हमारा स्टेक चूंकि इसमें बहुत है और दूसरे बैंक का स्टेक है, इसका मैनेजमेंट इस कम्पनी को नहीं दिया जाये। भारत सरकार से बात करने के बाद वह मैनेजमेंट आज भी हमारे हाथ में है। यह फैसला करना तो हमारे हाथ की बात नहीं है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाये या और कुछ किया जाय क्योंकि न तो उसके राष्ट्रीयकरण के आधार पर इस इण्डस्ट्रीज को खरीदने की हमारी हैसियत है, 30-35 करोड़ रुपया न तो हम ला सकते हैं इस इण्डस्ट्री को चलाने के लिए। तो यह बड़ा फैसला भारत सरकार का है। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने जितनी सरकमवेन्ट करने की कोशिश की शेयर मार्केट में भी उसको भी हमने ढंग से बचा करके भारत सरकार की मार्फत इसका मैनेजमेंट हमने अपने हाथ में अभी तक रखा हुआ है और हमको हमारा पैसा वापस लौट कट निकल रहा है।

दूसरी बात यदुनाथ सिंह जी ने यहां पर जो कहीं, मैंने कैपिटल इन्टेन्सिव इन्डस्ट्री के साथ में यह भी कहा कि अधिक रोजगार देने के लिये हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी में सब तरह का प्रावधान है। कैपिटल इन्टेन्सिव इन्डस्ट्री भी लगे। आपने कन्जूमर इन्डस्ट्री के लिये कहा कि कास्मे-टिक इण्डस्ट्री में बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिये। मैं यह मानता हूं, परन्तु यह बिलकुल ही न लगे ऐसी बात नहीं। उसको तो बहुत लास्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी इण्डस्ट्रियल पालिसी में हैं। हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट मार्केट डवलप करने के लिये यह सहायक हो....

श्री अध्यक्ष : आज कल कास्मेटिक में भी एक नयी पद्धति आ गयी है हारमोन्स वगैरह उसमें भी है।

श्री शिवचरण माथुर : जी हां, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने कहा मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं कि यह बहुत लोएस्ट

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रायोरिटी पर है। कहीं पर भी कोई इन्सेटिव देने वाली बात नहीं है। कोई इन्सेटिव गवर्नमेन्ट की तरफ से उस पर नहीं दिया जाता है। बहुत लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी इसमें आती है। हमारी प्रायोरिटी इसी में आती है जहां पर लेबर एम्पलायमेन्ट की पोटेन्शियल हो या एक मौलिक आधार पैदा करने की क्षमता जिस इण्डस्ट्री में हो, वह हमारी प्रायोरिटी में काफी ऊंची आती है। देखना यह है कि गवर्नमेन्ट किस इण्डस्ट्री को क्या प्रायोरिटी देकर चलना चाहती है। इसलिये जहां आपने यह बात कही, मैं गवर्नमेन्ट की नीति का जिक्र आपसे कर रहा हूं कि हमारी प्रायोरिटी में एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप पैदा करने की बात और लेबर एम्पलायमेन्ट ज्यादा जेनरेट करने की बाकी बात जो इन्डस्ट्री करती है वह हमारी प्रायोरिटी में ऊंची आती है।

जहां तक आपने पावर के लिये प्रावधान रखने वाली बात कही, 122 करोड़ रुपये में 48 करोड़ रुपये तो केवल ट्रांसमीशन लाइन पर है, 16 करोड़ रुपये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर हैं और बाकी करीब 58 करोड़ रुपये केवल नये प्लांट जेनरेशन प्लान्ट के लगाने पर है। मैं समझता हूं, इसमें हमारी माही का और दूसरी यूनिट्स अलग-अलग हमारे इण्डस्ट्रीयल प्रोजेक्ट में है, उसका सारा हिस्सा शामिल है। आज तक इतना प्रावधान कभी भी हमारे प्लांट में नहीं रखा गया है। इसका साफ मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कितनी अधिक प्रायोरिटी देकर चलना चाहते हैं, जो हमारे आगे आने वाले समय के लिये एक प्रकार से बेस बनने वाली है।

दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जे. के. इण्डस्ट्री पर कुछ बकाया है, उन बकाया की निश्चित रूप से वसूली की कार्यवाही हमेशा की जायेगी और की जा रही है।...

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : 36 करोड़ बाकी है इण्डस्ट्रीज पर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर यह सब प्रश्न नहीं आयेंगे, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : नहीं नहीं। 28·86 करोड़ रुपया बकाया है इण्डस्ट्रीज पर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : आप मेरी बात सुनिये। हमने यह निश्चय किया है अध्यक्ष महोदय जी, बिलकुल डिफाल्टर्स है, जो जानबूझकर पैसा होते हुए भी पैसा देना नहीं चाहते हैं सरकार का, हम यह सोच रहे हैं ऐसे विलफुल डिफाल्टर्स को हम और मान लीजिये किसी प्रकार से काबू मे नहीं कर सकें तो कम से कम बिजली की सप्लाई के माध्यम से उनको काबू में करना चाहते हैं। ऐसे विलफुल डिफाल्टर्स के साथ में हम इस प्रकार का व्यवहार करें। हम लोग बहुत सचेष्ट हैं, ऐसे चढ़े हुए बकाया को

(श्री शिवचरण माथुर)

वसूल करने के लिये हम जागरुक हैं। मैं समझता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कहां से वसूल करेंगे । उनकी बिजली भी नहीं काट सकते । उनके खुद के जेनरेटर्स हैं । आप खुद देखकर आये हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बाधा नहीं ।

श्री शिवचरण माथुर : नाराज क्यों होते हैं आप ।...

श्री अध्यक्ष : जितने सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे गये थे उनका आपने उत्तर दे दिया है ।...

श्री शिवचरण माथुर : बेंगू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर सुपर जिंक स्मेल्टर की बात कही । मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत सरकार की जो भी टेक्निकल एडवाइज है क्योंकि हमारा तो इन्ट्रेस्ट है कि राजस्थान में सुपर जिंक स्मेल्टर आये ।....

श्री अध्यक्ष : रा-मेटीरियल जहां ज्यादा है उसको ही ध्यान में रखते हुए ।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये इसमें भारत सरकार की राय से हमारा पूरा इत्तफाक है । हम उनको लिख रहे हैं कि जो उनकी राय है इसी प्रकार से यहां पर सुपर जिंक स्मेल्टर लगाया जाना चाहिए । उनकी राय अगर चित्तौड़गढ़ की होगी तो चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर लगेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर ।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान के विकास के लिए कोई सवाल किसी जगह का नहीं है । जहां जिसकी उपयोगिता है और जहां हमारे यहां प्लान्ट आयेंगे वहां उसका हम स्वागत करेंगे । भारत सरकार की जो टेक्निकल राय है उसके अनुकूल राजस्थान सरकार इसको करने वाली बात करेगी ।

श्री नन्द लाल मीणा : जब निर्णय ले लिया गया है तो घोषणा करने में क्या दिक्कत आ रही है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज । माननीय श्री देवपुरा । आर्डर आर्डर

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में उद्योग और खनिज की डिमाण्ड के ऊपर 15 माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया जिसमें मैं समझता हूँ कि 9 सदस्यों ने खनिज के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं । यों तो लगभग 1140 या उससे 5-4 ऊपर कट मोशन माननीय सदस्यों के खनिज

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के सम्बन्ध में आये, मैं उन सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने सदन में अभी खनिज विभाग के सम्बन्ध में और राजस्थान की खनिज सम्पदा से राजस्थान को अधिक से अधिक लाभ हो इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हैं मैं उन सब का आभार प्रदर्शित करूंगा। अध्यक्ष महोदय.........

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यहां पर केवल उनके बारे में उत्तर दिये जाते हैं जिन लोगों ने यहां पर विचार रखे हैं लेकिन जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं और जिन लोगों ने व्यवस्था के अन्दर कोई बात चीत नहीं की है उन सब बातों को कटौती प्रस्ताव के हिसाब से इकट्ठा करके उनके उत्तर क्यों नहीं दिये जाते। इस पर आप व्यवस्था दें। मैं समझती हूं बड़ा अनुचित है, कुछ चन्द बातों पर विचार रख दिये है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर, आर्डर।

ऐसा है कि जो माननीय सदस्य यहां पर वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं उनका तो उत्तर देते ही हैं लेकिन साथ ही साथ कटौती प्रस्ताव एक दिन पहले पहुँच जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, सरकार की ओर से उत्तर एक एक माननीय सदस्य का हो ऐसा नहीं। पूरे विभाग का उत्तर होता है उसके अन्दर सभी पक्ष शामिल कर लिये जाते हैं और उसके बाद उत्तर दिया जाता है। उसके अलावा भी यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव आयेंगे माननीय सदस्यों को विभाग की ओर से उनका उत्तर भेजा जायेगा। इसमें कोई शिकायत...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा यह अर्थ नहीं था....

श्री अध्यक्ष : आपका यही अर्थ था जो मैंने निवेदन किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कटौती प्रस्ताव के उत्तर आयेंगे या नहीं। कुल मिलाकर कितने से कटौती प्रस्ताव हैं कुल मिलाकर उनमें जो खास-खास चीज है उनको तो शामिल किया जा सकता था। शामिल नहीं किया जा रहा।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैंने निवेदन किया है कि सभी पहले दिन भेज देते हैं, रात भर अध्ययन किया जाता है, विभाग उस पर अपनी टिप्पणी मंत्री महोदय को देते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्री महोदय बहुत मुद्दे छोड़ गये है। शायद आप भी। 9 सदस्दों ने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर ही बोलेंगे पूरा केलकूलेट करके बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आप उन पर भरोसा रखकर चलियेगा। उनसे आशा करके चलियेगा। आर्डर आर्डर माननीय सदस्या।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी प्रारम्भ किया था और यह निवेदन करने ही वाला था...

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले कटौती प्रस्ताव वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया है इसका मतलब भूले तो हैं नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जिन माननीय सदस्यों ने अपने यहां पर विचार व्यक्त किये हैं उनको तो मैं उत्तर दूंगा ही लेकिन जिन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिल सका, कुछ ऐसे कामन प्रस्ताव इनके हैं उनके जवाब भी मैं जब खनिज विभाग की चर्चा करूंगा बहुत कुछ बातें उसमें आयेंगी, फिर भी हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों के जवाब इस वक्त सदन में मैं नहीं दे सकूं लेकिन माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, जो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने दी है उस व्यवस्था की पूर्व में पालना की जाती रही है और आगे भी पालना की जाती रहेगी, अर्थात् उन सभी माननीय सदस्यों, जिनके कटौती प्रस्ताव हैं, जवाब बहुत ही शीघ्र जल्दी ही उन सदस्यों के पास विभाग की तरफ से, मैं देखूंगा इस बात को, निश्चित रूप से पहुंचे।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से खनिज सम्पदा बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का आर्थिक उत्पादन, आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए राजस्थान के भूगर्भ में छिपी सम्पदा जितनी अधिक से अधिक निकाल कर हम बाहर ला सके उससे न केवल राज्य को बल्कि सारे राजस्थान स्टेट को, आम जनता को लाभ मिलता है। इस दृष्टि से राज्य सरकार जागरुक है कि इस विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक आय राजस्थान के अन्दर की जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मुख्यमन्त्री जी उद्योग के सम्बन्ध में अपना जवाब दिया उसमें प्रारम्भ में एक बात बतायी कि राजस्थान के किसी भी विकास की जो हम कल्पना करते हैं और बात सोचते हैं तो राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है, उसका भी इतिहास रहा है और जो जिस रूप में राजस्थान हमें मिला है उसको हम नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। उसी परिपेक्ष में अगर हम अंदाजा लगायेंगे और आंकेंगे और इसका ग्राफ बनायेंगे दूसरे रियासतों और प्रदेशों के मुकाबले में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान आपको किसी भी बात में चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे खनिज के विकास की बात हो, दूसरे प्रान्तों से कहीं पर भी किसी तरह से पीछे नहीं मिलेगा। यह सही है कि राजस्थान में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि राजस्थान की अपनी कुछ सीमायें हैं आर्थिक दृष्टि से भी सीमायें हैं और राजस्थान के अन्दर जो लोग है उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक दृष्टि से डवलपमेंट करने के हिसाब से खनिज सम्पदाओं को बाहर निकालने के हिसाब से अभी बनता चलता जा रहा है, हमने प्रारंभ किया है। उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कहने के लिए जरूर कहा जा सकता है कि जितनी प्रगति अब तक इस ओर हो जानी चाहिए थी वह प्रगति नहीं हुई। मुझे

Page No 254

(254)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसे स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं होता। लेकिन जो कुछ हुआ वह यह नहीं कहा जा सकता कि आज की जो हमारी स्थिति है, हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों के आधार पर उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी रही हो। राजस्थान में खनिज सम्पदा के दोहन की दृष्टि से जो आय राजस्थान के अन्दर हुई है, अध्यक्ष महोदय, वह प्रति वर्ष बढ़ती हुई चली जा रही है। प्रोडक्शन की दृष्टि से भी और जो रुपयों में उसका मूल्यांकन करें उस दृष्टि से भी गत वर्ष हमने जो दोहन किया था वह दोहन लगभग 127 करोड़ रुपये का हमने राजस्थान में किया। इस वर्ष हालांकि हमारे सामने कई संकट थे, यह वर्ष हमारे लिए औद्योगिक दृष्टि से जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा, खनिज सम्पदा में भी जब दोहन करने की आवश्यकता होती, मशीन चलानी पड़ती है, बिजली की आवश्यकता होती है और भी कई प्राकृतिक कारण ऐसे रहे राजस्थान के अन्दर, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस साल जो दोहन हुआ है उससे लगभग 133 करोड़ रुपये का हमने राजस्थान की भू-सम्पदा को बढ़ा दिया है। इसका मूल्यांकन हम करें तो 163 करोड़ रुपये का होता है, उस दृष्टि से हम देखें तो 6 करोड़ रुपया इस वर्ष राजस्थान में इस वर्ष खनिज सम्पदा के आधार पर ज्यादा मिला है। कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि राजस्थान के अन्दर खनिज, सम्पदा इतनी है, अगर विभाग ठीक तरह से चले तो इससे आय 44 करोड़ की आप लेकर चलते हो वह आय 100 करोड़ रुपये तक की हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय आयेगा, 100 करोड़ नहीं मैं समझता हूं शायद आय उससे भी कहीं अधिक नहीं निकल जाय। सौ करोड़ इसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान के भू गर्भ में छिपी क्या-क्या चीजें हैं क्योंकि हमें अभी मालूम भी नहीं है पूरा कि क्या-क्या चीजें भू-गर्भ में छिपी पड़ी हैं। प्रति वर्ष कोई न कोई नई चीज निकलती चली जा रही है भू सम्पदा के अन्दर। धरती के अन्दर छिपी हुई चीज कोई आपकी और हमारी किसी की छिपायी हुई नहीं है, वह तो जब से धरती बनी है तब से अन्दर छिपी हुई है। बनती चली जा रही है। जो प्रकृति से नित्य उसका फार्मेशन होता है, उसके आधार पर चीजें बनती चली जा रही हैं। आगे जाकर कभी क्या चीज बन जायेगी वह चीज जब निकलेगी उसकी क्या कीमत होगी, उसकी क्या उपयोगिता होगी उस समय में, आज अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। वह तो काफी हो सकती है। हम चाहते हैं काफी हों लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, साधनों को भी देखना पड़ेगा। किस आधार पर हम उसको चला सकें, किस आधार पर हम उसको ले सकें। हमारा जो अपना कार्यक्रम बनता है, हमारे पास साधन हैं उन साधनों को देखकर हम अपना कार्यक्रम बनाते हैं और उस कार्यक्रम के आधार पर हमने यह अन्दाजा लगाया है कि अगले वर्ष आने वाला वर्ष, जो 83–84 का है इस वर्ष में हमें राजस्थान के अन्दर इस खनिज विभाग को भू सम्पदा के आधार पर कम से कम राजस्थान को 44 करोड़ की आय हो। यह हमारा एक एस्टीमेंट है कोशिश करते है इससे अधिक निकले। प्रति वर्ष हम जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कुछ आंकते हैं उससे अधिक निकालने की कोशिश करते हैं, अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष हमारी आय में 33 करोड़ की हमने उपलब्धि की थी, 34 करोड़ 70 लाख रुपये की, इस वर्ष हमने अन्दाजा लगाया था कि लगभग 38, 39 करोड़ तक पहुँच जायेगी लेकिन फरवरी के अन्त तक यह 27-28 करोड़ तक ही हो सकी है, इस महीने में कुछ आय होगी और हम 35 करोड़ तक कम से कम पहुँच सकेंगे, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। इसमें कुछ कमी रही है। अध्यक्ष महोदय, वह कमी भी खास तौर से राजस्थान के अन्दर जो आय होती है हमारी वह आय सबसे बड़ी आय रॉक फास्फेट से होती है। जो आर. एस. एम. एस. से हमें मिलती है, उस रॉक फास्फेट के खनन के अन्दर हमने हमारी पूरी कोशिश की लेकिन जो मार्केट है उस वक्त भाव डाउन हो गये, नीचे उतर आये, रॉक फास्फेट जब बाजार में जायेगा तो हमारे दोहन करने के उपरांत भी हम जब बेचने जाते हैं तो उसके भाव कम हो गये। भाव कब कम हो जायेंगे यह अन्दाजा लग नहीं सकता। उस वजह से आय के अन्दर कुछ कमी हुई।...

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्वालिटी उतनी ही अच्छी है फिर भी।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्वालिटी भी बताता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं क्वालिटी पर भी आऊंगा। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं,

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बताइये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बताता हूं। आप जल्दी क्यों कर रही हैं। मैंने खत्म नहीं किया है अभी मैं खत्म करूं तब आप कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, आज हमें देखना पड़ेगा, इस बात को। दूसरी तरफ प्रोडक्शन का जहां सवाल है, प्रोडक्शन के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रोडक्शन इस वर्ष हमने सोचा था, 81-82 के अन्दर हमारा प्रोडक्शन हुआ था 25.54 लाख मैट्रिक टन और 82-83 का हमारा प्रोडक्शन जो करीब अभी जा रहा है 23 लाख 10 हजार मैट्रिक टन। मैं समझता हूं कि प्रोडक्शन इसमें और जुड़ जायेगा इस महीने का लेकिन कमी होने का कारण जैसा आपको बताया था कि इस वर्ष जो बिजली की उपलब्धि हमें कम हुई। इस वजह से हमारे यहां पर हमारी मशीनें पूरा काम नहीं कर सकीं, दोहन पूरा नहीं हो सका। दूसरी बात मशीनें इतने वर्ष पुरानी हो जाने की वजह से उनकी अपनी केपेसिटी में भी थोड़ा फर्क आया है। मैं मानता हूं इस वजह से भी कुछ कमी आई है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, प्रयत्न इस बात का हमारा है कि प्रोडक्शन में कमी नहीं हो, हम अधिकाधिक प्रोडक्शन करके इस आमदनी को बढ़ा सकें। यह स्थिति हम लाना चाहते हैं और हमारा प्रयत्न बराबर इसी ओर है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं इसमें किसी तरह की कहीं पर कोई ढिलाई या किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिससे खनिज सम्पदा का अधिक से अधिक निकाल कर इससे हम आय करना चाहें वह आय न हो। हम चाहते हैं कि वह आय अधिक से अधिक बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री भंवरलाल शर्मा : पुरानी मशीनें मन्त्रीमण्डल में भी हैं इसलिए एफीसियेंसी घट रही है। इनको भी बदलो थोडा।

श्री अध्यक्ष : पुरानी कहीं अधिक रिलायबल होती है। नयी एक-दो साल ही चलती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : पुरानी किधर है किधर नहीं मैं समझता हूं शायद भैरोंसिह जी जितना पुराना आदमी तो इस सदन में दूसरा इस वक्त तो कोई नहीं होगा। पुराने तो सभी जगह मिलेंगे आपको और पुराने कभी-कभी लाभदायक भी होते हैं,...

एक माननीय सदस्य : सही बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह भी आपको मानकर चलना चाहिए। पुराना चावल अच्छा माना जाता है। हर जगह यह नहीं चलता कि पुरानी चीज खराब ही होती है। अध्यक्ष महोदय ...

श्री भंवरलाल शर्मा : आप भी पुराने हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा था माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों में भी यह बात आयी थी...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सबसे अच्छी पुरानी शराब होती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों में एक बात कई माननीय सदस्यों ने कही कि खनिज सम्पदा का दोहन तो कर रहे है। लेकिन राजस्थान में खनिज सम्पदा का पूर्ण रूप से सर्वे जियोलोजिकल सर्वे इसका नहीं कर पा रहे हैं, यह जियोलोजिकल सर्वे राजस्थान का पूरा हो ताकि मालूम हो सके कि राजस्थान में किस जगह क्या चीज है। इस सम्बन्ध में...

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बात उद्योग की चल रही है, सचेतक महोदय, फिर मुझे उसी बात को प्रेरित कर रहे हैं अभी उन्होंने कहा कि पुरानी शराब अच्छी होती है। अगर मन्त्री महोदय, आप अच्छी तरह से खनन करलें तो शराब का व्यापार बन्द हो जायेगा और सारा राजस्थान बच जायेगा। क्यों इस तरह से चिड़ने-चिढ़ाने की बात पैदा करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो पुराने और नये की चली थी। मैंने तो इसलिए कहा, श्राप देते थे, आप समझे नहीं, और श्राप से भस्म हो जाया करते थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्यमन्त्री महोदय, अभी कह रहे थे कि कोई चिराग ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा काम कर दिया जाय। मैं सच कहती हूं, अगर खनन पद्धति और उद्योग करलें तो शराब जैसी बिक्री का जो इन्होंने चिराग ढूंढा है उस चिराग की जरुरत नहीं रहेगी।

श्री महाराम चौधरी : ये बात बदलने में माहिर है।

श्री अध्यक्ष : शान्ति से सुनें।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में माइन्स एण्ड जियोलोजिकल डिपार्टमेंट के दो हिस्से हैं एक तो माइनिंग का है अध्यक्ष महोदय, और दूसरा हमारा जियोलोजिकल सैक्शन है। हमारा जियोलोजिकल सैक्शन राजस्थान के अन्दर विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका सर्वे करता हैं कि राजस्थान में कहां कहां पर कौन-कौन सी चीज हमें उपलब्ध हो सकती है, इसके संबंध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हमने इस वर्ष में 40 परियोजना पर कार्य किया। माह जनवरी तक 3211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वानुदर्शन, 492.30 वर्ग किलोमीटर के अन्दर क्षेत्रीय भूगर्भीक मानचित्रांकन, 1744 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में विस्तृत भूगर्भीक मानचित्रांकन हमने किया है। इसमें हमें जो कार्य करना पड़ा वह लगभग 10 हजार मीटर हमने ड्रिलिंक का काम किया है उससे हमने विभिन्न स्थानों पर इस बात का पता लगाया गया है कि राजस्थान में कहां-कहां पर क्या-क्या चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा जियोलोजिकल सैक्शन इतना बड़ा नहीं है कि सारे राजस्थान का सारा काम एक साथ कर सकें। मूलतः यह काम भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है। भारत सरकार का जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया इसका मेपिंग करते है। राजस्थान सरकार का एम. ई. सी. है वह सारी इस की डिटेल ले ले कर उसको देखते हैं। इसके बाद फिर जब मालूम हो जाता है कि किस किस एरिया में किस-किस जीजों की सम्भावना है इस एरिया अन्दर के स्टेट का अपना डिपार्टमेंट डिटेल सर्वे करके जितना वह माल निकालना चाहें माल उतना निकालने की कोशिश करते हैं। हमने खास तौर से इस वक्त सर्वे का काम जैसा माननीय, मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा था कि लिग्नाइट की दृष्टि से क्योंकि राजस्थान के अन्दर हमें एक बहुत बड़ी चीज की उपलब्धि मिली, राजस्थान में लिग्नाइट उपलब्ध है। राजस्थान का लिग्नाइट पहले मालूम होता था पलाना के आसपास लेकिन इस बार जब उसकी खोज की गई तो उससे पता लगा जैसा कहा गया, नागौर डिस्ट्रिक्ट में और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में काफी बड़े भन्डार लिग्नाइट के मिले हैं। उस दृष्टि से अपनी सारी शक्ति, क्योंकि लिग्नाइट हमें मिल जाता है तो राजस्थान की औद्योगिक प्रगति में एकदम एक नया रास्ता खुल जाता है। क्योंकि राजस्थान में इस समय सबसे बड़ी कमी है, जो आज हमें महसूस हो रही है वह बिजली की कमी महसूस हो रही है। अगर लिग्नाइट मिल जाता है तो जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा एक बहुत बड़ा थर्मल प्लांट राजस्थान में उसके आधार पर लगाया जा सकता है। इस संबंध में यह तो मुख्य मंत्री जी ने कहा ही है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक की हमारी खोज के हिसाब से मेड़ता के अन्दर 2 करोड़ 60 लाख टन लिग्नाइट के भंडारों का हमें अंदाजा लगा है, कपूरंडी के अन्दर 1 करोड़ 72 लाख टन का अंदाजा हमारा लग गया है लेकिन जो माइन हमें मिली है उस माइन से हमारा अंदाज यह है कि लगभग 1.50 करोड़ टन हमें और लिग्नाइट उस एरिया के अन्दर मिलेगा। इस प्रकार से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट

Page No 258

(258)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में भी हमारी खोज चल रही है, वहां पर अभी हम देख रहे हैं कि कितना मिले। मैं समझता हूं कि वहां पर काफी बड़ा भण्डार लिग्नाइट का हमें मिलेगा। सारी जियोलोजिकल पार्टी इस तरह क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मैटर सामने आ गया है इसके अन्दर काममे लगी हुई है। अन्यथा जितनी भी राजस्थान के अन्दर चीज मिली हैं ये चीजें, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पहले भी थीं और आज भी हैं, यह जियोलोजिकल पार्टी के सर्वे के आधार पर ही मिली हैं। यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, एकाएक जब तक सारे देश का, सारे प्रान्त का एकदम कम्पलीट सर्वे नहीं हो जाये तब तक कोई कह नहीं सकता। तो कभी-कभी वह भी होता है कि देखते-देखते कभी कोई अच्छी चीज मिल जाये। आगूचा का भंडार मिला है। आगूचा का भण्डार जो मिला है लेड और जिंक का वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह भी इसी तरह से उपलब्ध हुआ है, राजस्थान के अन्दर जियोलोजिकल सर्वे, जो हमारी पार्टी है, 5.6 मिलीयन टन आगूचा के अन्दर लैड एण्ड जिंक का मिला हैं, बहुत बड़ा भंडार है, इतना बड़ा भंडार अभी तक दूसरी जगह पाया नहीं गया और उसकी ग्रेड भी बहुत अच्छी है. काफी अच्छी चीजें राजस्थान में मिलती जा रही हैं। उसी आधार पर जैसा माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, ने सुपर जिंक स्मेलटर की बात, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही यहां पर कि सुपर जिंक स्मेलटर जैसी भारत सरकार की टेक्नीकल आफिसर्स की कमेटी बनी उसने राय दी है। चित्तोडगढ़ के लिये। तो मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि राजस्थान सरकार ने उनकी इस राय को माना है और भारत सरकार को इस बात के लिये स्पष्ट लिखा है कि चित्तौडगढ़ के अन्दर यह सुपर जिंक स्मेलटर लगाने की जो आपकी राय हुई है उस हिसाब से यहाँ पर लगाने की बात की जाय। यह बात सही है कि कई जगह की मांग आ सकती है। माँग आने के अन्दर कोई दूसरा यह नहीं कह सकता कि क्यों यह दूसरा मांग रहा है लेकिन जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार में बैठने के बाद हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है जो कोई कारखाना, बड़े से भी बड़ा कारखाना कोई राजस्थान में आता है वह राजस्थान में आये, स्थान के लिए हम उसमें इतना नहीं अड़ते। हम नहीं चाहते कि स्थानों के झगड़े की वजह से हमारे यहां राजस्थान में आने वाला कारखाना कहीं और जगह चला जाय, या स्थान के विवाद की वजह से उसमें देरी लगे और हमारे यहां कारखाने के आने के अन्दर देरी हो। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं उस कमेटी में बैठे थे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे सैक्रेटरी माइन्स डिपार्टमेंट के श्री गणपति आये थे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी थे और सारी बात देख करके मुख्य मंत्री ने कहा कि फैसला किया है, यह बात ठीक है कि चित्तौड गढ़ को उपयुक्त माना है आर्थिक दृष्टि से भी और प्रोडक्शन की दृष्टि से भी उस स्थान को उपयुक्त माना है तो यह कारखाना उसी स्थान पर लगे इस बात की सहमति दी है। मंजूर करने की स्थिति तो भारत सरकार की है। केवल सहमति हमसे माँगी

श्री हीरालाल देवपुरा)

गयी है मंजूरी तो भारत सरकार से होगी। राजस्थान सरकार की ओर से इस बात की सहमति दे दी गई है कि चित्तौड़गढ़ में लगे। साथ ही साथ यह भी कहा है कि आगूचा में जो माइनिग होगा, इतना बड़ा भण्डार मिलेगा तो वहां पर वेनीफेसियेशिग प्लान्ट और कन्सेंट्रेशन का जो प्लान्ट लगने वाला है जिस पर भी लगभग 137 करोड़ रुपया लगेगा वह तो निश्चित रूप से आगूचा में ही लगेगा क्योंकि माइनिंग सारी वहां पर हुई, आगूचा का क्षेत्र डवलप हुआ, राजस्थान का क्षेत्र डवलप हुआ। यह माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था, मैं उसको और साफ तौर पर, स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सर्वे के बारे में आपसे निवेदन किया। इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह जिक्र किया गया कि राजस्थान के अन्दर खनिज के अन्दर मोनोपोली ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मोनोपोली सिस्टम ज्यादा हो गया है और छोटे लोगों, खास कर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को खनिज के अन्दर तरजीह नहीं दी जाती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस का हमेशा सिद्धान्त रहा है कि पिछड़े को पहले। छोटे लोगों को हम पहले देना चाहते हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, छोटे लोगों को उस काम में लग जाना चाहिए जिस काम के अन्दर लग कर मेहनत करके कुछ काम कर सकें। यह खनिज का काम, कुछ काम हो सकते हैं जो छोटे लोग आसानी से अच्छी तरह से कर सकें, जिसमें पूंजी का कम विनियोजन पड़ता है, कम पूंजी लगानी पड़ती है, केवल मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर तो छोटे लोग काम कर लेंगे लेकिन खनिज के अन्दर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हर एक आइटम में, हर चीज के लिए हम यह प्रतिशत नहीं बांध सकते कि इसमें इतने छोटे लोगों को लगा ही दिया जायेगा क्योंकि अगर वहां पर वह लग जायगा तो न तो पूरी तौर से खनिज का उपयोग हो सकेगा, न उनका पूरा पैसा हमको मिल सकेगा, और जो आज मशीनरी के द्वारा खनन किया जाता है उसमें जो कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है यह हाथ से काम करने वाले की जो कास्ट आफ प्रोडक्शन होगी वह तो पूरी नहीं पड़ सकेगी, मार्केट के अन्दर जाकर वह कम्पीट नहीं कर पायेंगे और एक दुविधा उनके लिए पैदा कर देंगे। ऐसी जगह जहां पर उनको आसानी से काम करने को मिल सके, हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा वे लोग आयें। वहां पर उनको खनन के पट्टे दिये गये हैं, इस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री अध्यक्ष : जहां गरीब काम करते हों वहां अमीर काम भी नहीं कर सकते।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 81-82 में कुल 429 खनन पट्टे और 128 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र दिये गये थे, चालू वर्ष में 405 खनन पट्टे और 96 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं इसमें...

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस जगह ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो दो तरह के मिनरल है, अध्यक्ष महोदय, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल जो मैं बता रहा हूं वह मेजर मिनरल के है इसमें 400....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ पहले तैयारी करनी चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस वर्ष में 405 खनन पट्टे और 96 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं, इसी प्रकार अप्रधान खनिज के लिए माइनर मिनरल के लिए 2085 खनन पट्टे और 3935 आर. सी. आर. एल, स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 256 पट्टे और 1052 आर. सी. आर. एल. रेन्ट कम रॉयल्टी लीज जो हम देते हैं उस पर इनको दिये गये हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 107 खनन पट्टे और 605 आर. सी. आर. एल. स्वीकृत किये गये हैं। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को इसके अन्दर कोई तरजीह नहीं दी जाती. तरजीह दी जा रही है बराबर, जहां पर लेने के लिए आते हैं वहां पर उनको प्राथमिकता के आधार पर देने की कोशिश की जाती है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है, कुछ कण्डीशन्स ऐसी हों, जिसमें नहीं दिया जा सके वह अलग बात है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको किसी प्रकार की तरजीह नहीं दी जा रही है। तरजीह बराबर दी जा रही है।

यहां पर जो एक बात कही गयी कि मोनोपोली इसमें बहुत ज्यादा हो रही है। सर्टेन एरियाज की बात कही गयी कि वहां पर मोनोपोली बहुत बढ़ गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी लीजेज दी जा रही है उसमें कोई मोनोपोली का सवाल नहीं है। यह आज दिख रही है मोनोपोली आपको जो पुरानी लीजेज दी हुई हैं, उनके आधार पर उस वक्त की स्थिति को भी आंकना पड़ेगा जब राजस्थान के अन्दर खनिज सम्पदा के निकालने की बात आरम्भ की गई उस वक्त खान के अन्दर खान के काम का लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, लोग इतने आते नहीं थे और इसको चूंकि डवलप करना था, शुरूआत करनी थी, लोगों को एक अट्रेक्शन देना था उस वक्त जो लोग आये उनको बड़ी-बड़ी लीजेज दी ताकि उनको भी यह विश्वास हो सके कि लम्बे समय तक वे यहां पर काम करेंगे ताकि हमारी पूंजी जो हम लगाते हैं वह पूंजी एक साल दो साल के लिये नहीं, लम्बे समय तक हमारी पूंजी का यहां पर विनियोजन होगा तो इसका लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से वह दिये गये हैं। जो लीजेज आज चल रही हैं वह वही लीजेज चल रही है जिनके लिए कहा जा सकता है कि बड़ी लीजेज हैं लेकिन आज कहीं पर भी बड़ी लीजेज नहीं दी गयी।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर से इस बात को कहा है मैं

(श्री हीरालाल देदपुरा)

उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी यहां पर खनिज मंत्री के रूप में रह चुके हैं लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नहीं सोचा कि इसके लिए क्यों रास्ता निकाला जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आते ही सबसे पहले यह फैसला किया है कि जहां पर मार्बल की बड़ी बड़ी लीजेज मिलती थीं, लाइम स्टोन की बड़ी बड़ी लीजेज मिलती थीं, उन सबको बन्द किया और मैंने कहा कि लाइम स्टोन के अन्दर 300X300 से कोई बड़ी लीज किसी को नहीं दी जायेगी और मेक्जिमम एक आदमी को दो के सिवाय लीज नहीं दी जायेगी यह फैसला मैंने किया है। यहां पर चार स्क्वायर माइल और 20 स्क्वायर माइल की आप बात करते हैं उन 4 स्क्वायर माइल और 20 स्क्वायर माइल को मैंने काटा है। दूसरे किसी से नहीं काटा है वह मैंने काटकर सैंड स्टोन व लाइम स्टोन की बात कर रही हूं मेरे वक्त में जो कटा है और आज वहां पर जो लीजेज दी जा रही हैं वह छोटे बड़े सभी लोगों को दी जा रही है। कहीं पर भी यह नहीं रखा है कि 4 स्क्वायर माइल या 2 स्क्वायर माइल या 25 स्क्वायर माइल या 20 स्क्वायर माइल की किसी को लीज न दी जाये। रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर मोनोपोली हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रामगंज मण्डी में केवल ए. एस. आई. के पास मोनोपोली नहीं है, वहां पर दूसरी और लीजेज दी हुई हैं। 30 खनन पट्टे वहां पर दूसरे लोगों को दिये हुए हैं किसी की मोनोपोली नहीं है। लेकिन वह भी आज 30 साल पहले की लीज दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज की लीज दी हुई नहीं है। जब टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स लीज में दी हुई है उसकी लीज के अन्दर दी हुई है कि 20 साल के पहले रिन्युअल नहीं हो सकेगा, रिन्युअल कराने का मौका मिलेगा, तब तक तो वह उस लीज को चलायेगा, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, एक बात और देखनी पड़ेगी, आज कोटा स्टोन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ए. एस. आई. के पास यह लीज नहीं होती तो आज वह कोटा स्टोन इण्टरनेशनल मार्केट के अन्दर कोटा स्टोन के नाम से जाना नहीं जाता, यह लीज दी, मशीनरी लगायी, उनसे खनन किया, उनको इम्प्रूव किया तो आज वह कोटा स्टोन केवल कोटा के अन्दर ही नहीं, राजस्थान के अन्दर ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं, सारे विश्व के अन्दर कोटा स्टोन के नाम से देखा जाता है, कोटा स्टोन के नाम से चलने लगा है। यही स्थिति आज मारबल की है। यही स्थिति ग्रेनाइट की है। यह कुछ चीजें हैं जिनको हमें इण्टरनेशनल मार्केट के अन्दर ले जाना है। उनका हमें मैकेनाइज्ड वे में और साइंटिफिक तरीके से दोहन करना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा। हम उनको उसी तरीके से ट्रेडीशनल मैथड के आधार पर पुराने मैथड के आधार पर निकाल कर यहीं पर कटिंग करके रख लेंगे तो उस चीज का पैसा हमको मिलने वाला नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले जोधपुर में एक कान्फ्रेंस की थी ग्रेनाइट के बारे में, इन्टरनेशनल कांफ्रेंस की थी जिसमें 10 कन्ट्रीज के लोग आये थे वह हिन्दुस्तान के ग्रेनाइट को उसकी पालिस को देखकर आश्चर्य करने लगे कि इतना अच्छा माल आज

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इण्डिया के अन्दर निकलता है। हम चाहते हैं कि वह माल हमारा बाहर तक जाय, लोग उसको देखें, जोधपुर के पत्थर के बारे में हम समझते थे कि यह पत्थर तो एक साधारण पत्थर है केवल थवाई के लि2 काम आ जायगा या खम्बे बनाने के लिए काम आ जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने देखा कि जोधपुर के पत्थर के ऊपर जितना बढ़िया पालिस उस मशीन के माध्यम से हो जाता हैं अगर जोधपुर के अन्दर यह मशीन पहले लग गई होती तो यह जोधपुर का पत्थर किसी और दृष्टि से देखा लेकिन आज हम जोधपुर के पत्थर केवल पट्टियों के हिसाब से देख लेते हैं, या खम्बे लगाने के हिसाब से देख लेते हैं हमारे सामने उसकी कीमत नहीं रहती। आज उसकी कीमत घटती है। इन चीजों को भी हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इन सब बातों को देखकर हमें खनन के आधार पर, खनन के विकास की दृष्टि से खनन के दोहन की दृष्टि से विकास की दृष्टि से हमें फैसले करने होंगे। हम केवल एक आधार पर इस मामले में नहीं ले सकते कि हम सबको इक्वल में ट्रीट करके इस चीज को निकालते चले जायें। जिस चीज की जिस हिसाब से वैल्यू बढ़ सकती है उस हिसाब से उसको आंकना पड़ेगा, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, उनका सहयोग, उनका को-आपरेशन, उनके सुझाव जो जो मिले हैं बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं। मैं कहना चाहता हूं इस तरह के सुझाव अगर आपके मिलते रहें तो निश्चित बात है कि राजस्थान के अन्दर इस दृष्टि से हम काफी विकास कर सकेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक अनियमितताओं की बात की गई है जहां पर भ्रष्टाचार की बात की गयी, मैं कोशिश करूंगा इस बात की कि उसको रोकें। अनियमितता और भ्रष्टाचार के लिये मैं यह आज कह कर नहीं चलता कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि यह चीज ऐसी इस समाज के अन्दर घर कर गयी कि इससे पिण्ड छुड़ाना मुश्किल पड़ रहा रहा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सुझाव दें, माननीय सदस्य पर्टीक्युलर केसेज बतायें, उन केसेज के अन्दर यदि सरकार की तरफ से, हमारे मन्त्रीगण की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाये तो जरूर चार्ज लगाना चाहिए, जरूर बात करनी चाहिए अन्यथा वेग चार्जेज लगाकर या किसी सरकमस्टानसेस को देख कर चार्ज लगा कर कोई बात कहेंगे तो मैं समझता हूं कि उसकी कोई वेल्यू नहीं होगी, कोई मान्यता उसको नहीं मिलने वाली, जब तक आप स्पेसिफिक बात नहीं कह दें। जब आप स्पेसिफिक बात कहेंगे, लोगों के ऊपर उसका वजन पड़ेगा और सामने वालों के ऊपर उसका वजन पड़ेगा, यह सही बात है, स्पेसिफिक बात है। तो उसको सोचना पड़ेगा कि यह बात कहां तक सही है कहां तक नहीं। जवाब भी दिया जा सकेगा। लेकिन आप वेग बात कह दें चूंकि ऐसी बात हुई है तो हुई कैसे? अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कहने लगे कि ऊपर से पैसा आता होगा, नीचे से पैसा आता होगा, दायें से आता होगा, बायें से आता होगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पता नहीं कैसे उन्होंने कहा, शायद उनको अनुभव हो सकता होगा कि कैसे तो ऊपर से आता है और कैसे नीचे से, कैसे बायें से कैसे दायें से हमको यह अनुभव नहीं है कि कैसे ऊपर से पैसा आता है, कैसे नीचे से पैसा आता है। माननीय अध्यक्ष, एक स्पष्ट कहना चाहता हूं...

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा अनुभव मैं बताना चाहता हूं। आप प्रामाणिकता से यदि आपके पास में केस रखते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य बाधा नहीं डालें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, केसेज पर भी मैं आ रहा हूँ, मैंने तो आपने जो एक जनरल बात कही है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप विरोध में बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह सब बातें तो भाषण में समां बनाने के लिये नहीं....

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विरोध में बैठे हैं, आपका अधिकार है, आप देखिये इस बात को, आप चौकसी रखिये इस बात की, प्रजातंत्र में विरोध के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, जो सत्ता में बैठा ग्रुप है उसको वह देखें और कहीं भी अनियमिततायें पायें, कहीं भी भ्रष्टाचार की बातें पायें तो उनको कहने का अधिकार है, मैं इसको इन्कार नहीं करता लेकिन....

श्री अध्यक्ष : लेकिन तथ्यों पर आधारित हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : लेकिन यह फैक्ट्स के आधार पर और तथ्यों के आधार पर इस तरह से कहेंगे तो आप प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले कहे जायेंगे लेकिन केवल आधारहीन बात कह कर सरकमस्टान्सेज से और केवल ऊपरी ऊपरी बातें कह देंगे तो इससे प्रजातंत्र मजबूत होने वाला नहीं है, लोगों में प्रजातंत्र से विश्वास उठ जायगा। आप आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र ..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह उपदेश बन्द कीजिये और प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : आप केसेज की बात बतायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये उतनी ही जिम्मेदारी विरोध पक्ष की भी है। डेमोक्रेसी में है ही क्या? डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दो ही तो होते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों अगर अपने फर्जों को रखते हैं, अपने अधिकारों को समझ कर नहीं चलेंगे तो यह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चल नहीं सकता। सत्ता पक्ष अपने अधिकारों को समझ कर बैठ जायं और विपक्ष दूसरी तरह से देखें, या विपक्ष वाले अपने अधिकारों को समझ कर बैठ जायं और सत्ता पक्ष वाले दूसरी तरह से देखें तो यह डेमोक्रेसी चलने वाली नहीं। इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य चार्ज लगायें लेकिन सोच समझकर तथ्यों के आधार पर चार्ज लगायें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं उन कैसेज की तरफ जानना चाहता हूं जो कैसेज अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर उठाये है। उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जो कैस बिजोलिया का माननीय सदस्य ने उठाया था, वह केस पहले भी इस सदन में उठ चुका है: माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से उस वक्त चार्जेज लगाये गये थे। मुख्य मंत्री जी स्वयं ने खडे होकर के स्पष्ट किया था, उस बात का जवाब दिया था। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि इस केस की जांच के लिये मैं पत्रावली अध्यक्ष महोदय के सामने पेश कर दूंगा...

श्री कैलाश मेघवाल : आज तक नहीं पहुँची है। अब पहुँचा दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पत्रावली आई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहुँच गई, पहुँच गई, पत्रावली. ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आप अध्यक्ष महोदय से बात कर लीजिये। अध्यक्ष महोदय से बात करने के बाद कहिये...

श्री अध्यक्ष : पहुँच गई। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस केस को आपने उठाया है, उस वक्त माननीय शिवचरण जी माथुर, जो आज राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, वह सरकार के अन्दर नहीं थे, सत्ता पक्ष के एम. एल. ए. जरूर थे लेकिन सरकार में वह उस वक्त नहीं थे.....

श्री अध्यक्ष : उस समय पी. यू. सी. के चैयरमेन थे।

श्री हीरालाल देवपुरा : पब्लिक अण्डर कमेटी के चैयरमेन थे, इस सदन की कमेटी है, अध्यक्ष महोदय, सरकार को कमेटी नहीं है। सदन की कमेटी है, अध्यक्ष महोदय, सरकार की कमेटी नहीं है। सरकार के अन्दर नहीं थे। जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं कि 16–10–1980 को जो एक कमेटी बैठी उस कमेटी ने एक नोट तैयार किया आपने कहा कि इसकी क्या वैल्यू है नियमों के अन्तर्गत। आपने इसकी बात को आगे नहीं देखा। उस कमेटी ने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जो राय दी थी, उस राय को तत्कालीन सरकार के तत्कालीन उप मंत्री खनिज और तत्कालीन राज्य मंत्री खनिज, जिनको पूरे अधिकार थे, ने उसका अनुमोदन किया, उसकी स्वीकृति दी है। उसके बाद लेटर डी. एम. जी. को गया है और डी. एम. जी. ने उसकी पालना करवाई है। उसको पूरी मान्यता थी, मान्यता नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसको पूरी मान्यता देकर काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने निर्णय दिया है, जो अपनी राय दी है, उस राय में साफ लिखा है कि जिन लोगों ने ये नाजायज कब्जे किये हैं, जिनकी दरख्वास्तें हमारे पास आई हुई हैं चूंकि वह ठीक तरह से समझते नहीं, ठीक तरह से उनकी बाउण्ड्री बताकर, सीमायें बता कर दिया नहीं गया, यह स्थिति उस कमेटी ने मानी। यह मानकर के समिति ने कहा है, इसलिये इनको नियमित किया जाय। चूंकि यह उस आधार पर बढ़ते चले गये इसलिये इनसे कोई किसी तरह की पैनल्टी वसूल नहीं की जाय, यह राय कमेटी की थी। उस कमेटी की राय के आधार पर उन लोगों का नियमन किया गया उन लोगों का नियमन करके उनके ऊपर रॉयल्टी तो थी नहीं, रेन्ट कम रॉयल्टी की बात थी, तो रॉयल्टी उनसे वसूल हुई, रेन्ट उनसे वसूल नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने उस रेन्ट को माफ किया था। 10 गुनी पैनल्टी की जो बात आप करते हैं, 10 गुनी पैनल्टी मेग्जिमम एक्ट के अन्दर, रूल्स के अन्दर प्रोवाइड की गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ही 10 गुनी पैनल्टी लगा दी जाय। डिस्क्रेशन भी होता है कि उसमें कितनी कम की जाय और कितनी कम नहीं की जाय। उसी आधार पर जब उस कमेटी ने सिफारिश की तो उस वक्त फैसला किया गया, माननीय शिवचरण जी माथुर, जो आज मुख्य मंत्री हैं, उस वक्त सत्ता में नहीं थे। आज शिवचरण जी माथुर के ऊपर यह करके केवल इस अन्दाजे से कि वह चूंकि उस क्षेत्र के विधायक है और चूंकि वह सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं इसलिये उन्होंने ऐसा कर लिया। यह कयास मात्र है, अध्यक्ष महोदय, इसे तथ्य के रूप में नहीं आंका जा सकता। इस आधार पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता, इस आधार पर कहा नहीं जा सकता कि शिवचरण जी माथुर की तरफ से इसके अन्दर कोई बात की गई हो। इसलिये मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि आप जो बात कहें उसके पहले काफी सोच समझकर कहें...

श्री अध्यक्ष : वह तारीख देखने में गलती हो गई माननीय सदस्य से।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा केस आपने मोदी बन्धुओं का उठाया। मोदी बन्धुओं के नाम से कहा। जहां तक उनकी मोनोपोली का सवाल है, मैंने अध्यक्ष महोदय, आपके सामने स्पष्ट रूप से निवेदन कर दिया। दूसरा केस जो उन्होंने बताया कि मोहनलाल मोदी जो इस सदन के सदस्य हैं, मोहनलाल अग्रवाल के नाम से उनकी लीज है उस बारे में आपने फर्माया अजीतपुरा के अन्दर वह माइन है। उसका भी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आपने केस उठाया । 80X80 एकड़ के दो प्लाट श्री मोहनलाल मोदी को····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके समय के हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपके समय का है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं सारी चीजें, फैक्ट्स, सारी तारीखें आपके सामने रख दूंगा । मुझे उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब तो यह मार कर बाहर फिकवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ।

उत्तेजनात्मक शब्द न कहें, माननीय सदस्या । आर्डर प्लीज ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सबसे पहले यह लीज श्री मोहनलाल अग्रवाल को 18-11-1955 को ग्रान्ट की गई लेकिन मोहनलाल जी ने उस वक्त उसका एग्रीमेंट टाइमली नहीं किया इसलिये उसको निरस्त किया गया । इसके बाद 1961 में, 1955 में जो लीज दी थी उसके खिलाफ मोदी जी ने एग्रीमेंट नहीं किया, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के अन्दर रिवोजन किया और वहां राजस्थान सरकार के फैसले को निरस्त किया गया । उसके आधार पर 1961 के अन्दर श्री अग्रवाल को 21-8-62 को उनको वह लीज वापस ग्रांट की गई । इसी बीच 21·8·62 से फिर यह लीज इनकी चलती रही । उसमें, अध्यक्ष महोदय, इस बीच में चूंकि 55 में यह लीज दी थी, 55 में खारिज हो गई थी और 62 तक यह लीज चलती रही, तो इस बीच में इस एरिया को कुछ दूसरे लोगों को दे दिया गया । उसमें दूसरे लोगों में हैं-राजस्थान मार्बल एण्ड मिनरल्स, दूसरा निर्मल कुमार पाटनी और तीसरा है मैसर्स नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी । इनको वह लीज उस एरिया में दी गई । लेकिन जब 61-62 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आर्डर से वह लीज उनको दी गई तो मात्र इसलिये यह जो तीन लीजेज आई थीं इन लीजेज को खारिज करना पड़ा । इनके खारिज करने के बाद वह लीज उसमें से दी क्योंकि इनको 80×80 एकड़ लीज थी, उसमें जो प्लाट दो-तीन-चार और पांच ये आते थे वह खारिज किये गये और जो दूसरी नेशनल लाइम कम्पनी है उसके अन्दर वह 80×80 एकड़ के प्लाट को छोड़कर जो एरिया बचा हुआ था, नेशनल लाइम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कम्पनी को वह एरिया लीज ग्राउट किया गया। इसके बाद ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें सीमेंट कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया की एप्लीकेशन थी ? वह पहले तारीख की थी उसको रिजेक्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, उसके बाद श्री मोहनलाल ग्रग्रवाल ने उसके ग्रन्दर काम नहीं किया। काम नहीं करने के कारण 18·3·72 को श्री मोहन लाल ग्रग्रवाल की वह लीज खारिज की गई। फिर मोहनलाल ग्रग्रवाल गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया में गये। ग्रप्रैल 72 के ग्रन्दर ग्रौर वहां से उनके हक में वह फैसला हुग्रा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मोहनलाल ग्रग्रवाल कौन थे ?

श्री अध्यक्ष : धंधे में मोहनलाल ग्रग्रवाल है ग्रौर पोलिटिक्स में मोदी के नाम से है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मोहनलाल ग्रग्रवाल। उधर भी एम. एल. ए. इधर भी एम. एल. ए.। उधर मोहनलाल ग्रग्रवाल का एम. एल. ए. वहां वैसे एम. एल ए.।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, 18–12–75 को वह ग्रार्डर गवर्नमेंट ग्रॉफ राजस्थान का, जिसमे इनकी लीज काम नहीं करने की वजह से केन्सिल की थी 72 में, खारिज किया गया ग्रौर पुनः यह ग्रार्डर दिया गया कि उनको लीज रेस्टोर की जाय तो वह लीज इनको वापस रेस्टोर की गई। उस लीज की रेस्टोरेशन की इनकी मियाद जो 21-8-62 से क्योंकि इनको लीज मिली थी वह मियाद इनकी बीस साल की 82 में खतम हुई। 82 के ग्रन्दर फिर जब उन्होंने वापस एप्लाई किया रिन्यूग्रल के लिए तो कोई कारण ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से इनको कहा जाता कि इस लीज का रिन्यूग्रल नहीं किया जाय इसलिए वह लीज रिन्यू की गई, ग्रध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : इनके पहले ग्राई थी। राजस्थान हाई कोर्ट का स्टे ग्राया हुग्रा था उसके बाद की गई।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। कृपया बाधा न पहुँचाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई स्टे नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ नेशनल

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कम्पनी की बात आपने की है। नेशनल कम्पनी को जो सन् 61 के अन्दर लीज मिली थी। इस एरिया को छोड़ते हुए लीज मिली थी उनकी मियाद सन् 81 के अन्दर, सितम्बर सन् 81 के अन्दर खत्म हुई। उसके बाद वह लीज रिन्यू नहीं की गयी, इसलिए नहीं की गई, अध्यक्ष महोदय, वह भी मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य यह कहेंगे कि एक को रिन्यू कर दी तो फिर कोई कारण नहीं होते नहीं करने के। उनके दूसरे कारण भी थे और साथ-साथ यह भी बात थी कि यहाँ पर जो एक कमेटी की राय थी, टेक्निकल कमेटी की राय यह थी कि इस एरिया के अन्दर यहाँ पर एक मिनी सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिए लाइम स्टोन की ग्रेड अच्छी है, सीमेंट ग्रेड का है, यहाँ पर मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिए इस एरिया को रिजर्व रखा जाय। चुनांचे वह एरिया रीको के लिए रिजर्व रखा गया। चूंकि इतने बड़े एरिया की जरूरत नहीं थी तो जितने बड़े की रीको के लिए जरूरत थी उसको रिजर्व करके उसको गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को फार्वर्ड किया कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया मन्जूरी दे दें। वह वहाँ पर गया हुआ है और बाकी बचा हुआ पोर्शन, जो नेशनल लाइम कम्पनी का पोर्शन था, जिसके पार्टनर एक मिस्टर बजाज करके हैं जो इसके पार्टनर थे और ओरिजनल लीज बजाज के नाम पर थी चूंकि उनकी दरख्वास्त थी इस आधार पर की इन लोगों ने पहले इस पर काम किया है यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है इसलिए इस बजाज को यह लीज दे दी जाय लेकिन फिर उसके बाद लिटिगेशन में मामला आ गया और मामला आज भी कोर्ट के अन्दर चल रहा है क्योंकि दो-तीन पार्टियां उसमें और थीं जिनको वह नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट में वह केस गया और स्टे पड़ा हुआ है, उस एरिया पर आज कोई भी काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इसके अन्दर कहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिससे यह कहा जा सके कि अन्ड्यू फेवर किसी को किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : आर. एस. एम. डी. सी. कर रहा है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एम. डी. सी. इस जगह काम कर रहा है। स्टे आर्डर है कि हम किसी को लीज न दें लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई खनन करती है, उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो आर.एस.एम.डी.सी. आज जो खनन कर रही है वह गवर्नमेंट के एजेन्ट के बतौर वहाँ पर काम कर रही है और कोई खनन वहाँ पर नहीं कर रहा। आर.एस.एम.डी.सी. को दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर इतने लम्बे समय तक लाइम स्टोन दबा पड़ा रहे और उसका जो फायदा हमको मिलने वाला है वह फायदा हमको नहीं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मिले। इसलिए कई जगह की लीजेज हैं, अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर हमने आर. एस. एम. डी. सी. को बीच में लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आर. एस. एम. डी. सी. गवर्नमेंट के मार्फत, गवर्नमेंट का काम एजेण्ट के रूप में करे ताकि गवर्नमेंट को रॉयल्टी तो मिले ही लेकिन उस खनिज का पैसा भी गवर्नमेंट को मिले जिससे कि गवर्नमेंट को आमदनी और बढ़े। गवर्नमेंट ने उससे आमदनी की है, उससे कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने इसके लिए कही।

तीसरा पाइन्ट आपका था माननीय राज्य मंत्री जी के सम्बन्ध में, तो राज्य मंत्री जी ने खुद ने अपना जवाब इसमें दे दिया। उसके बारे में स्पष्ट जवाब दे दिया। उसके बारे में मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है।

अनियमितताओं के बारे में और दूसरी बातें आपने कही वह बात मैंने कही। एक बात आपने आर. एस. एम. एम. की कही। अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एम. एम. के बारे में दो बिन्दू माननीय सदस्य ने उठाये। आपने भी उठाया, एक दूसरे माननीय सदस्य ने भी उस बिन्दू को उठाया। एक बिन्दू तो यह उठाया, आपका जो बिन्दू था वह स्पष्ट था कि प्रतापसिंह मुरडिया को आपने कुछ मशीनों के रिपेयर के लिए ठेका दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस. एम. एम. की ओर से श्री प्रतापसिंह मुरडिया, जो उदयपुर के हैं, आपके भी दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त हो सकते हैं, कोई ठेका आर. एस. एम. एम. की तरफ से नहीं दिया गया। आर. एस. एम. एम. के पास अपना वर्कशॉप है, अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एम. एम. का काफी अच्छा वर्कशॉप है। उससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन एक बात उसमें है कि जब इन्जिन्स का खास तौर से हेवी मशीन्स के इन्जिन्स का जो डम्पर्स और शोवेल्स हैं, हमारे यहां शोवेल्स हैं उनके एन्जिन के ओवर हॉलिंग का सवाल था जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि हमारे यहां पर ये काफी पुराने हो गये हैं, इनकी जो केपेसिटी प्रोडक्शन की थी वह कैपेसिटी कम हो गई इसलिए इन्जिन्स का ओवर हॉलिंग करना जरूरी है। वह ओवर हॉलिंग हमारे उस वर्कशॉप में नहीं हो सकता था, यह मैं स्वीकार करता हूं। आपने कहा था कि स्पष्ट स्वीकार करना तो मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि उन एन्जिन्स का ओवरहॉलिंग नहीं हो सकता था इसलिए उन एन्जिन्स के ओवर हॉलिंग के लिए हमने जिस कम्पनी से वह एन्जिन्स खरीदे थे, अध्यक्ष महोदय, उसी कम्पनी को और उस कम्पनी का नाम है, अध्यक्ष महोदय, ह्यूमन्स डीजल्स सेल्स एण्ड सर्विसेज पूना जिससे हमने ये एन्जिन खरीदे थे जो इन एन्जिन्स निर्माता की कम्पनी है उस कम्पनी को....

श्री अध्यक्ष : आजकल तो मन्त्री महोदय स्पेशलाइजेशन का युग है, फ्यूल इन्जिन्स के माहिर कोई, रिंगों के कोई हैं। स्पेशलाइजेशन का युग है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : तो, अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि श्री मुरडिया......

श्री अध्यक्ष : एक जगह सबका रिपेयर नहीं होता कभी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यह नहीं कहता कि मुरडिया वहां नहीं है। श्री मुरडिया उस कम्पनी के एजेन्ट हों लेकिन यह कह करके कि क्योंकि वह कांग्रेस (आई) के हैं, देवपुरा जी यहां पर बैठे हैं इसलिए देवपुरा जी ने यह कर दिया। माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि मुझे तो इस महकमे को लिये हुए पाँच महीने हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को अभी पाँच महीने हुए हैं इस महकमे को लिये और यह ठेका कब हुआ, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं इस बात को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : असत्य है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप जो कह रहे हैं वो असत्य है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं कह रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है लेकिन आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये मन्त्री महोदय। सब सन्तुष्ट हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं एक चीज और बतलाऊं।

एक बात यहां पर और कही गई कि आर. एस. एम. एम. के पास अपना खुद का इतना बड़ा इक्विपमेंट होते हुए और खुद का इतना बड़ा स्टाफ और इतने बड़े-बड़े इंजिनियर्स होते हुए फिर उन्होंने यह खनन के काम, यह दोहन के ठेके दे देकर के क्यों करवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें भी माननीय सदस्यों को वहम है जिन्होंने यह सवाल उठाया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो हिस्से हैं, एक तो रियल मिनरल करके और निकालना और उसके साथ ओवर बर्डन को बाहर फेंकना और दूसरा जो हमारा बैकलॉग ओवर बर्डन पड़ा हुआ था जो वहां पर नहीं निकल पाया था वह 58 लाख टन ओवर बर्डन वहां पर पड़ा हुआ था उस ओवर बर्डन को वहां से हटाना जरूरी था। अगर नहीं हटाते हैं तो आगे का काम हो नहीं सकता, अध्यक्ष महोदय। अगर हमारा सारा इक्विपमेंट हम इस ओवर बर्डन को हटाने में लगाते हैं तो तीन साल लगेंगे और तीन साल तक हम दोहन का काम नहीं कर सकते, और नहीं निकाल सकते तो जो राज्य सरकार को आमदनी हो रही है आज वह आमदनी नहीं होती। इसलिए हमने हमारी मशीनों को जिनकी केपेसिटी तीस लाख टन दोहन की है उन मशीनों को, जिनसे हमने 27–28 लाख टन का दोहन किया, उन मशीनों को हमने हमारे खनन के ऊपर लगाया हुआ है....

श्री कैलाश मेघवाल : डिफेन्ड मत

(श्री कैलाश मेघवाल)

कीजिये, माननीय मन्त्री, मैं कह रहा हूं, मशीन्स नहीं काम आ रही हैं।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बता रहा हूं आपको। मैं बता रहा हूं, नहीं कर रहा हूं डिफेण्ड। अध्यक्ष महोदय, वह खनन का काम हमारी मशीनें कर रही हैं और ये जो ओवर बर्डन हटाने का ठेका दिया हैं।

श्री अध्यक्ष : ये साधारण सी बातें हैं, समझ में आ गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह तो आ जायगी साधारण बात तो।

इस ओर बर्डन हटाने का ठेका दिया है तीन साल का 18 लाख टन प्रति वर्ष हटाने का। वह 18 लाख टन प्रति वर्ष ओवर बर्डन हटा रहे हैं। तो कहीं पर भी यह नहीं है कि हमारी मशीनें फालतू पड़ी हुई हों और वो काम दूसरे कर रहे हों, ऐसी स्थिति नहीं है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने कोशिश की है इस बात की कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ बिन्दु यहाँ पर उठाये इन बिन्दुओं का मैं उनको जवाब दे सकूं और उनको संतोष करा सकूं। संतुष्ट वह हुए या नहीं हुए, यह मैं नहीं कहता लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन शब्दों के साथ पुनः माननीय सदस्यों का आभार मानते हुए मैं निवेदन करूंगा कि खनिज की जो मांग संख्या 43 है उसको पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, दो सवाल, हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनका मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे पाये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, एक सवाल पूछ रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑर्डर, शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेफरेन्स आया था, गोगून्दा से आने वाले माननीय विधायक ने भी रेफरेन्स दिया उन आंकड़ों का और माननीय खनिज मन्त्री जी ने भी अपने जवाब में दिये, मुझे वे आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, वे आंकड़े वह एक्सप्लेन कर दें जिसका रेफरेन्स आया है।

श्री अध्यक्ष : काहे का ? किस बिन्दु पर ? आप बहुत धीमे बोल रहे हैं। जोर से बोलिये थोड़ा।

श्री कैलाश मेघवाल : ये आर. सी. आर. एल. जो शिड्यूल्ड कास्ट को दी गई और टोटल कितनी दी गई, माननीय गोगून्दा से आने वाले विधायक ने भी इसका रेफरेन्स दिया था...

श्री अध्यक्ष : ये कौनसी खानों के बारे में हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : आर. सी. आर. एल. के पट्टे रेन्ट कम रायल्टी पट्टे।

श्री अध्यक्ष : हो तो किस जगह के ?

श्री कैलाश मेघवाल : सारे राजस्थान के, राजस्थान का है, साहब। राजस्थान का आंकड़ा...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, आप कह दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : देखिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं यह जो पेज नम्बर 9 है, जो कल रात को हमको मिला है खनिज विभाग का यह है। इसमें 79-80 में 13855 रेन्ट कम रॉयल्टी लीजेज है। माननीय गोगून्दा से आने वाले विधायक ने भी रेफरेन्स दिया था और इन्होंने 80-81 में 6355 और दे दी। ये और देने के बाद 80-81 में इनकी 14992 कैसे रह गई ? यह फिगर इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इनको एक्सप्लेन तो कीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, मैं उत्तर दे दूंगा। ऐसा है कि आपके डिबेट के जो मुख्य मुद्दे थे वे तो आपने छोड़ दिये। उनके ऊपर तो आपके कोई प्रश्न हैं नहीं।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। उन पर हैं ही नहीं। आप एक प्रश्न करना चाहते थे। अब यूं तो सरकारी जितने प्रकाशन होते हैं उनमें क्या है क्या नहीं है, यह बहुत आंकड़ों का और इनका प्रश्न है। मुख्य मुद्दे आपने कुछ उठाये थे उनका जवाब दिया। पचासों गलतियां इसमें हो सकती हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता, लेकिन जो मुख्य मुद्दे उठाये थे उसका जवाब आ गया।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। बहुत समय हो गया। कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : केवल एक लाइन का प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उस इलाके में जितनी खानें हैं। हमारे इस इलाके में जंगल में बहुत खानें हैं। जो मारबल की है कैलसाइट की है जंगलात डिपार्टमेंट के जरिये वह नहीं निकल सक रही हैं। उनको पट्टे भी दे दिये। परेशान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न उठाया है क्या इन्होंने चर्चा में ?

श्री मेघराज तावड़ : उठाया है, साहब।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दीजिए। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य, ज्यादा प्रश्नों की।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आधी रात होने को आ गई है। चर्चा का कोई अन्त होता है क्या ? एक बिन्दु माननीय सदस्य का है कि बहुत सी माइन्स आज जंगलात के बीच आ गई हैं। जो जंगलात में माइन्स पहले दी जा चुकी है और जो चल रही है उनके ऊपर तो आज आपत्ति है नहीं। लेकिन नई माइन्स देने के लिए, जंगलात के अन्दर देने के लिए मना आया हुआ है, वह मना यहां से नहीं भारत सरकार का नया कानून आया है....

श्री अध्यक्ष : वह सब कानून आप जानते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है और भारत सरकार से इस बात का प्रयत्न करेगी कि जहां जंगल नहीं, जंगल का उपयोग नहीं है, जंगल हो नहीं सकता और केवल जंगलात वहां पर दर्ज हो गया, उसी दृष्टि से उसको जंगल नहीं मान कर वहां पर खनिज सम्पदा से कोई आय हो सकती है वह नहीं रोकी जाय, उसको खुला किया जाय। यह हमारा प्रयत्न जारी है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई। कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक सवाल है। एक महिला नहीं बोली। आप उदारता से समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मांगों पर मतदान।

मांगों का पारण

मांग संख्या 42 व 43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,95,89, 000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,55,05, 000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9·24 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 17 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 544 की सूची

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में 1982 की हड़ताल के दौरान

निलम्बित श्रमिकों की वृत्त/खण्ड वार सूची

क्र. सं.	वृत्त	खण्ड	निलम्बित कर्मचारियों का विवरण नाम	पद
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	ब्यावर	1. तेजमल पुत्र विरधा	सहायक-II
	,,	,,	2, गोपाल पुत्र विरधा	,,
	,,	,,	3. रनवीरसिंह पुत्र मोतीसिंह	,,
	,,	,,	4, बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	,,
	,,	,,	5, सुरेन्द्रकुमार पुत्र भंवरलाल	,,
2.	भीलवाड़ा	लेखाधिकारी कार्यालय	1. अमीर मोहम्मद शेख	लेखा लिपिक
	,,	,,	2. एस. के. सब्बरवाल	,,
	,,	परिएवंसधा, भीलवाड़ा	3. दुर्गा प्रसाद शर्मा	का.अ.-II
	,,	,,	4. गोबिन्दलाल अग्रवाल	व. लिपिक
	,,	,,	5. प्रेम शंकर शर्मा	क. लिपिक
	,,	,,	6. जोरसिंह	च.श्रे.क.
	,,	,,	7. रमेशचन्द्र शर्मा	वि. वित.
	,,	,,	8. प्यारा पुत्र केला माली	सहायक-II
	,,	,,	9. गुमान पुत्र उगमसिंह	,,
	,,	,,	10. देवा पुत्र गोमा माली	आर्टीजन-II
	,,	,,	11. महावीर प्रसाद सोनी	गार्ड
	,,	,,	12. जवारा पुत्र नगजी	वा.चा.

1	2	3	4
भीलवाड़ा	परिएवंसंधाभीलवाड़ा	13. प्रेमचन्द नाई	च.श्रे.क.
,,	,,	14. सुखा पुत्र लक्ष्मण	सहायक-॥
,,	,,	15. जमना पुत्र छीतर	,,
,,	,,	16. महावीर पुत्र वंशपाल	,,
,,	,,	17. मदनलाल पुत्र धन्नालाल	,,
,,	,,	18. कन्हैयालाल पुत्र रामसुखा	,,
,,	,,	19. सफी मोहम्मद पुत्र ईदूजी	सहायक-।
,,	ग्रा, वि.नि. निर्माण भीलवाड़ा	20, रतनसिंह	वा. चा.
,,	,,	21. परमेश्वरलाल	सहायक-॥
,,	,,	22. रतनलाल पुत्र धन्नालाल	,,
,,	,,	23. भैरू पुत्र लादू दयामी	,,
,,	,,	24. नरेन्द्रसिंह पुत्र नवलकिशोर	,,
,,	,,	25. भंवरलाल पुत्र सूरजमल	,,
,,	,,	26. लादू पुत्र कल्याणा लुहार	,,
,,	,,	27, रामगोपाल पुत्र बालू	,,
,,	,,	28. लादू खां पुत्र छोटू खां	,,
,,	,,	29. हजारी पुत्र नाथू	,,
,,	,,	30. धन्ना पुत्र ऊदा	,,
,,	,,	31. उमाराम	,,
,,	,,	32. भगवान लाल	कनिष्ट लिपिक
,,	,,	33. शम्भूसिंह चावड़ा	,,
,,	,,	34. बशीर मोहम्मद	सहायक-॥
,,	,,	35. बलदेव पुत्र मांगीलाल	,,
,,	,,	36. तुलसीराम पुत्र भैरू	,,
,,	,,	37. शंकर पुत्र देवा	लाईनमैन

Page No 276

(276)

1	2	3	4	5
	भीलवाडा	ग्रा.वि.वि.नि.भीलबाड़ा	38. डालू पुत्र भेरा	हैल्पर-II
	,,	,,	39. शंकरलाल	च.श्रे.कर्म.
	,,	,,	40. मगनीराम पुत्र थावरा	सहायक-II
	,,	,,	41. देवा पुत्र नगजी	,,
	,,	,,	42. भीमसिंह पुत्र बलभद्र	लाईनमैन-I
	,,	परिएवसंधा, निम्बाहेड़ा ,,	43. श्यामसुन्दर पुत्र रंगलाल	वर्क चार्ज
	,,	,,	44. चतुर्भुज पुत्र चुन्नीलाल	,,
	,,	,,	45. चुन्नीलाल पुत्र मंगल	,,
	,,	,,	46. आत्माराम पुत्र सालगराम	सहायक
	,,	,,	47. कुशाल पुत्र हमेरा	सहायक-II
	,,	,,	48. माना पुत्र रतना	,,
	,,	,,	49. रामा पुत्र खुमा	,,
3.	कोटा	बूंदीखण्ड	1. भोपालसिंह	,,
	,,	,,	2, बजरंग पुत्र चन्दूलाल	,,
	,,	,,	3. जयराम पुत्र तुलसीराम	,,
	,,	,,	4. रामलाल पुत्र कल्याण	,,
	,,	,,	5. भूरालाल पुत्र रूपा	लाईनमैन–II
	,,	,,	6. रामकल्याण पुत्र बाबू	सहायक-II
	,,	,,	7. राधेलाल पुत्र बाबूलाल	,,
	,,	,,	8. राकेशलाल पुत्र प्रभूलाल	,,
	,,	,,	9. भंवरलाल पुत्र मोड़ू	,,
	,,	,,	10. रामदेव पुत्र बालू	,,
	,,	,,	11. यासीन पुत्र युसुफ	,,
	,,	,,	12. बाबूसिंह पुत्र नाथूसिंह	,,
	,,	,,	13. सियाराम पुत्र अमरलाल	,,
	,,	,,	14. भंवरलाल पुत्र मुंगाराम	,,

1	2	3	4	5
	कोटा	बूंदी खण्ड	15. भंवरलाल पुत्र देवीलाल	सहायक-II
	,,	,,	16. स्वरूपसिंह पुत्र मथूरासी	,,
	,,	,,	17. अब्दुल हमीद कादर बक्ष	,,
	,,	बांरा खण्ड	18. अजीत कुमार	क. लिपिक
	,,	,,	19. नन्दलाल	सहायक-II
	,,	,,	20. भंवरसिकी	वर्कचार्ज सहायक
	,,	,,	21. महावीर प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक
	,,	,,	22. दया प्रकाश गर्ग	,,
	,,	,,	23. मोहनलाल	,,
	,,	,,	24. नन्दकिशोर	,,
	,,	,,	25. राजनारायण	व. लि.
	,,	,,	26. धन्नालाल	सहायक II
	,,	,,	27. टीकम चन्द	सहायक-II
	,,	,,	28. राम कल्याण नागर	सहायक-II
	,,	,,	39. श्री राम किशन	सहायक-II
	,,	,,	30. श्री पृथ्वीराज	सहायक-II
	,,	,,	31. सामन्तीलाल	सहायक-II
	,,	,,	32. मोहनलाल	सहायक-II
	,,	,,	33. उमरावअली	सहायक-II
	,,	,,	34. होशियारसिंह	लाईनमैन-II
	,,	,,	35. मालीराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
5.	उदयपुर	जिला खण्ड उदयपुर	1. रोशनलाल शर्मा	लेखा लिपिक
	,,	,,	2. राधेश्याम	वरिष्ठ लिपिक
	,,	नगर खन्ड उदयपुर	3. धर्मनारायण योवीसा	कनिष्ठ लिपिक
	,,	,,	4. भंवरलाल माली	कनिष्ठ लिपिक
	,,	,,	5. परागसिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक
	,,	,,	6. प्रमोदकुमार उपाध्याय	क. लिपिक
	,,	,,	7. गोपालदास सिंघी	सहायक-II

278

1		2	3	4	5
	उदयपुर	नगर खण्ड उदयपुर	8. सुभाष चन्देल		सहायक-II
	,,	,,	9. नाथूलाल माली		सहायक-II
	,,	,,	10. विश्नुदास साहू		वाहन चालक
	,,	,,	11. नाथूलाल विजयवर्गीय		बिल वितरक
	,,	,,	12. परमानन्द वीरवाल		मीटर रीडर
	,,	,,	13. काना पुत्र पूसा		सहायक-II
	,,	,,	14. देवकी नन्दन		वायरमैन
5.	जयपुर जिला वृत	टोंक खण्ड	1. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र		सहायक-II
	,,	,,	2. भेरूलाल पुत्र छोटू		सहायक-II
6.	भण्डार नियन्त्रक जयपुर	सहायक भण्डार नियंत्रक भीलवाड़ा	1. खेमसिंह		सहायक-II
7.	एस.ओ.एण्ड एल.डी.	पीएलसीसी-III हीरापुरा (जयपुर)	1. राधेश्याम स्वर्णकार		इलेक्ट्रिशियन
8.	प्र.एवंनि.वृत (द्वितीय) जयपुर	अधिशाषी अभियन्ता (टी.सी.डी. 7) भीलवाड़ा	1. श्री महावीरसिंह		सहायक-II
	,,	अधिशाषी अभियन्ता (220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन) भीलवाड़ा	1. श्री रामसिंह		लाइन इन्सपेक्टर
			2. श्री के.आर.के. नायर		लाईनमैन-II
			3. श्री फतहसिंह		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
			4. श्री छाजूसिंह		कनिष्ठ लिपिक
			5. श्री काशीप्रसाद		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
			6. श्री गोरधनसिंह		सहायक-II
			7. श्री उदयराम		सहायक-II
			8. श्री इन्द्रमल जैन		एस.बी.ए.-II
9.	प्र.एवं नि.वृत (तृतीय) अजमेर	अधिशाषी अभियन्ता (टी.डी.5) ब्यावर	1. श्री भंवरलाल		चतुर्थ श्रेणी कर्म.
			2. श्री कैलाशचन्द सैनी		एस.एस.ए.-II।

1982 की हड़ताल के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के केसेज
में लिप्त कोटा वृत्त के कर्मचारियों की सूची जिनके
स्थानान्तरण किये गये

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	स्थानान्तरण किया गया कहां से	कहां को
1	2	3	4	5
1.	श्री देवी सिंह	वाहन चा.	स.अ.बूंदी	एक्स.ई.एन अलवर
2.	,, बहादुर सिंह	,,	,, नैनवा	,, ,, भरतपुर
3.	,, सत्येन्द्र कुमार	फिटर–II	,, बून्दी	,, ,, खण्ड
4.	,, सुरेन्द्र कुमार	सहायक–II	,,	,,
5.	,, सन्तोष सिंह	,,	,,	,,
6.	,, गट्टू सिंह	,,	स.अ. तालेरा	एक्स.ई.एन. अलवर खंड
7.	,, रामनाथ	वर्कचार्ज सहायक	,, ,, नैनवा	,,
8.	,, चेला राम	,,	,,	,,
9.	,, लाला राम	,,	,,	,,
10.	,, मोती लाल	,,	,,	,,
11.	,, लक्ष्मी चन्द	,,	,,	,,
12.	,, भैरू सिंह	सहायक–II	,,	,,
13.	,, नन्द सिंह	,,	,,	,,
14.	,, कजोड़/लादू	,,	,,	,,
15.	,, बाबू/भोला	,,	,,	,,
16.	,, रघुवीर सिंह	,,	,,	,,
17.	,, ईद मोहम्मद	,,	,,	,,

(280)

1	2		3	4
18.	,, नन्द किशोर	लाईम मैन–I	का.स.ग्र.(सी.डी.III) कोटा	परीएवंसंधा भरतपुर खंड
19.	,, खेम सिह	सहायक–II	,,	,,
20.	,, रामदास	,,	,,	,,
21.	,, रामचन्द्र	,,	,,	,,
22.	,, रामनारायण	,, –I	,,	ग्रा. भरतपुर खंड
23.	,, मोहन लाल	,,	,,	,, अलवर ,,
24.	,, रमेश चन्द्र	,,	का. स. ग्र. (ग्रा.) सुलतानपुर	परिएवंसंधा ,, भरतपुर
25.	,, हरी शंकर	,,	,,	,,
26.	,, मथुरा लाल	,,	,,	,,
27.	,, नेमीचन्द	फिटर–II	स. ग्र. वोरा	ग्रार.ई.सी. खंड भरतपुर
28.	,, श्यामलाल	सहा.–II	,, सुलतानपुर	,,
29.	,, सत्य नारायण	,,	,,	,,
30.	,, सूरजमल	,,	,,	,,
31.	,, जुगल किशोर	,,	,,	परिसंधा खंड अलवर
32.	,, रमेश चन्द्र	,,	,,	,,
33.	,, बाबूलाल	,,	,,	,,
34.	,, दिनेश कुमार	,,	,,	,,
35.	,, धनपाल	,,	,,	अलवर
36.	,, कालु लाल	,,	का.स.ग्र.(ग्रा.वि.) सुल्तानपुर	,,
37.	,, सुन्नालाल	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
38.	,, प्रेम सिंह	लेखालिपिक	का.एक्स.इ.एन.(परिसंधा) हिन्डौन	उपखंड ग्रारईसी. बहरोड
39.	,, टीकाराम सोलंकी	व. लि.	,,	,, खैरथल
40.	,, नटवर बिहारी	,,	स.ग्र.(परिसंधा) वोरा	एक्स.इ.एन(परिसंधा) भरतपुर
41.	,, सोहन सिंह	,,	,, ग्रार.ई.सी. सांगोद	उपखंड निर्माण, भरतपुर
42.	,, ग्रशोक कुमार सिंघल	क. लि.	,, परिसंधा करौली	,, ग्रा.वि. बहरोड
43.	,, गिरीश कुमार	,,	,,	,, ,, तिजारा
44.	,, राममिलन	च. क.	कोटावृत	,, ,, सेवाड़
45.	,, सत्य नारायण	,,	,,	,, ,, बहरोड
46.	,, गोवरधन लाल	व. लि.	एक्स.ई.एन.कोटा	स.ग्र. तिजारा
47.	,, जगराम	सहायक-II	स.ग्र. ग्रा.वि.सवाई माधोपुर	परिसंधा खंड ग्रलवर
48.	,, छोटू	,,	,,	,,
49.	,, गोपाल	,,	,, खंडार	,,
50.	,, सुरलान	,	,,	,,
51.	,, श्री नारायण	,,	,,	,,
52.	,, रामकरण	,,	,,	,,
53.	,, रामदेव	लाईम मैन-II	,, ,, नादौती	,, ,,
54.	,, बद्रीलाल	सहा. -II	,, ,, खंडार	ग्रा. वि. ,, ,,
55.	,, बच्चु सिंह	,,	,,	,,
56.	,, केदार	,,	,,	,,
57.	,, मथुरा लाल	,,	,,	,,
58.	,, नारायण	,,	,, बौंली	,,

Page No 282

282

1	2	3	4	5
59.	,, नन्द किशोर	लाईम मैन-1	स.अ. परिसंध करौली	परिसंधा खंड अलवर
60.	,, अजी राम	सहा. -II	,,	,,
61.	,, भैरू सिंह	,,	,, आर.ई.सी. हिन्डौन	,,
62.	,, मिट्ठु लाल	,,	,, ,, सपोटरा	,,
63.	,, रामस्वरूप जाट	,,	,,	,,
64.	,, बाबू लाल	,,	,, ,, गंगापुर	,,
65.	,, चन्दन सिंह	लाईम मैन-I	,,	,,
66.	,, राजपाल	सहा. -1	,, ,, हिन्डौन	,,
67.	,, अमरनाथ	,,	,, ,, महुआ	,,
68.	,, मनहोरी लाल	,,	,,	,,
69.	,, काडू	,,	,,	,,
70.	,, महिलाल मीना	,,	,, ,, सपोटरा	,,
71.	, बलवीर सिंह	,,	,, ,,	,,
72.	,, अब्दुल रजाक	वाहन चा.	,, ,, खॉनपुर	स.अ.ग्रा.वि.बहरोडा
73.	,, प्रेम नारायण	वायर मैन-II	,, परिसंधा रामगंज मंडी	एक्स.इ.एन.परिसंधा भरतपुर
74.	,, वी.एच. हनुमनतान	लाईन मैन-II	स.अ. ,, भवानी मंडी	,,
75.	,, धन्नालाल	सहा. -II	,, ,, रामगंज मंडी	,,
76.	,, विश्वनाथन	,,	,,	,,
77.	,, आर.विजन उन्नीथान	,,	,,	,,
78.	,, फन्नुदीन	,,	,,	,,
79.	,, 'सुधाकरण	सहा. -II	का.स.अ. परिसंधा रामगंज मंडी	एक्स.ई.इन परिसंधा भरतपुर
80.	,, दिलीप	,,	,,	,,

1	2	3		4	5
81.	,, छोटुलाल	सहा-II	स.अ.	,, ग्रा.वि.सांगोद	एक्स,ई.एन परिसं भरतपुर
82.	,, बाबूलाल	,,		,,	,,
83.	,, रामेश्वर	,,		,,	,,
84.	,, अमरनाथ	,,		,,	,,
85.	,, द्वारकालाल	,,		,, ,, खानपुर	,,
86.	,, पूरीलाल	,,	,,	,, परिसंधा झालावाड़	,,
87.	,, अब्दुल हमीद	लाईन मैन–II		,, रामगंजमंडी	,, ग्रा.वि.भरतपुर
88.	,, दयाराम	सहा.–II	,,	,, भवानीमंडी	,,
89.	,, टांका	,,	,,	,, रामगंजमंडी	,,
90.	,, राधाकिशन	,,		,,	,,
91.	,, बाबू	,,		,,	,,
92.	,, काना	,,		,,	,,
93.	,, अब्दुल अजीज	,,		,,	,,
94.	,, बालमुकन्द	,,		,,	,,
95.	,, वल्लाह	,,	,,	ग्रा.वि. सांगोद	,,
96.	,, छीतर	,,		,,	,,
97.	,, मांगीलाल	,,		,,	,,
98.	,, कनैईराम	,,		,,	,,
99.	,, नन्दलाल	,,	,,	,, खानपुर	,,
100.	,, रामगोपाल	,,		,,	,,
101	,, विरधीचन्द	,,		,,	,,
102.	,, चोथमल	,,		,,	,,
103.	,, मोहनलाल	,,		,,	,,

1	2	3	4	5
104.	,, बाबूलाल	सहायक-II	स.ग्र. ,, चेचेट	ग्रा.वि. भरतपुर
105.	,, मोत्या	,,	,,	,,
106.	,, लोकजी	,,	,,	,,
107.	,, मोगा	,,	,,	,,
108.	,, सोवाला ग्रहीर	,,	,,	,,
109.	,, हेमराज	,,	,,	,,
110.	,, यासीन	,,	,,	,,
111.	,, नत्थु	,,	,,	,,
112.	,, बद्रीलाल	,,	,, ,, कानवास	,,
113.	,, राजेन्द्रसिंह	,,	,, ,, भवानी मंडी	,,
114.	,, घन्नालाल	,,	,,	,,
115.	,, मधुसुदन	,,	,,	,,
116.	,, सीताराम	,,	,, ,, झालरापाटन	,,
117.	,, भूर सिंह	,,	,, ,, हिन्डौन	,, ,, अलवर
118.	,, नाथूलाल	,,	,, खानपुर	,, परिसंधा भरतपुर
119.	,, शिवनारायण	,,	,,	,,
120.	,, रमेशचन्द्र	,,	,,	,,
121.	,, प्रभुलाल	,,	,,	,,
122.	,, बद्रीलाल	,,	,,	,,
123.	,, मदनलाल	,,	स.प्र.ग्रा.वि. खानपुर	,,
124.	,, जगदीश नागर	,,	,,	,,
125.	,, एस.एस. पिल्लई	,,	,, परिसंधा भवानीमंडी	,,
126.	,, रामकिशन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
127.	,, हीरालाल	सहा.II	परिसंघा भवानीमंडी	परिसंघा भरतपुर
128.	,, गणेशी लाल	,,	स.अ. ग्रा.वि. चेचट	,,
129.	,, छीतर लाल	,,	,,	,,
130.	,, बसंती लाल	,,	,,	,,
131.	,, सोहन लाल	,,	,,	,,
132.	,, नानु राम	,,	,,	,,
133.	,, बाबू लाल	,,	,,	,,
134.	,, देवी लाल	,,	,,	,,
135.	,, भैरू सिह	,,	,, कानवास	,,
136.	,, नन्द बिहारी	,,	,,	,,

(286)

रा.रा.वि.म. में कर्मचारियों की 1982 की हड़ताल के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के केसेज में लिप्त कर्मचारियों की सूची जिनके स्थानान्तरण किये गये (अलवर वृत)

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	स्थानान्तरण किया गया	
			कहां से	कहां को
1	2	3	4	5
1.	श्री के. पी. सिंह	व. लि	स.अ.(ग्रावि–I) तिजारा	अधि.अभि. बारां
2.	,, भवानी सहाय	क. लि.	सहा. (,, –II) ,,	,,
3.	,, राधेलाल शर्मा	,,	अधि.अभि.(ग्रा.वि.) भरतपुर	,,
4.	,, नन्द किशोर	,,	स.अ.(ग्रा.वि.) नदबई	,,
5.	,, ओमप्रकाश	व. लि.	अधि.अभि. (पवस) भरतपुर	अधि. अभि. हिण्डौन
6.	,, लालचन्द अरोड़ा	,,	सहा.अभि.(नि) भरतपुर	,,
7.	,, नरेन्द्र कुमार शर्मा	क. लि.	सहा.अभि.(ग्रा.वि.) बानसूर	,,
8.	,, सतीश सैन	च.श्रे.क.	सहा.अभि., बहरोड	,,
9.	,, हंसराज जोशी	ले. लि.	,,	अधि. अभि. झालावाड
10.	,, दिवाकर शर्मा	क. लि.	,,	अधि. अभि. बूंदी
11.	,, गिरीश चन्द	,,	सहा. अभि. बानसूर	,,
12.	,, योगेश चन्द्र शर्मा	व. लि.	सहा. अभि. खैरथल	,,
13.	,, सूरजमल गुप्ता	,,	सहा. अभि. बहरोड	अधि. अभि. कोटा
14.	,, निर्मल कुमार जैन	,,	सहा. अभि.-II तिजारा	,,
15.	,, रामस्वरूप शर्मा	,,	सहा. अभि. बानसूर	,,
16.	,, घीसाराम	वि. वि.	सहा. अभि. वैर	,,

1	2	3	4	5
17.	,, सुमराम	सहा–II	सहा.अभि.(ग्रा.वि.) बहरोड़	अधि.अभि. झालावाड
18.	,, विजय सिंह	,,	,,	,,
19.	,, लक्ष्मण पु. माखन	,,	ग्रा.वि.नि. बानसूर	,,
20.	,, रामावतार/मातादीन	,,	सहा. अभि. ,,	,,
21.	,, कपिल देव	,,	सहा.अभि.(डी.डी.) अलवर	,,
22.	,, सीताराम यादव	ला.मै.–I	सहा.अभि.(डी) अलवर	,,
23.	,, चुनमुन राम	सहा–I	सहा.अभि.(ग्रावि) लक्ष्मणगढ़	,,
24.	,, शेरसिंह	सहा–II	,,	,,
25.	,, गंगासहाय	,,	,,	,,
26.	,, हरीशचन्द्र	,,	सहा.अभि.(ग्रावि-I) तिजारा	,,
27.	,, जयकरण	सहा–I	सहा.अभि.(ग्रा.वि. II) तिजारा	,,
28.	,, रामेश्वर दयाल	सहा–II	सहा.अभि.(ग्रावि.) किशनगढ़	,,
29.	,, सुरेश चन्द्र	,,	सहा.अभि.(जी) भरतपुर	,,
30.	,, रूपी	,,	सहा.अभि.(पवस) डीग	,,
31.	,, लक्ष्मीनारायण	,,	सहा.अभि.(ग्रा.वि.) नदबई	,,
32.	,, जयपाल सिंह	आई.डी.आई.	सहा.अभि.(ग्रा.वि.) सेवाड	,,
33.	,, अशोक कुमार	सहा–II	,,	,,
34.	,, अमरसिंह/रामसिंह	,,	,,	,,
35.	,, साहिब सिंह	,,	,, ,, नगर	,,
36.	,, कैलाश चन्द्र	,,	,, ,, बहरोड	अधि.अभि.बूंदी
37.	,, किरोडी राम	,,	,, ,, ,,	,,
38.	,, ताराचन्द/परसराम	,,	,, ,,	,,
39.	,, गोपाल सिंह	,,	,, (उत्पादन) अलवर	,,

1	2	3	4	5
40.	,, छगन/भरत	सहा-II	सहा.अभि(ग्रा.वि.) बानसूर	अधि.अभि. (पवस) बूंदी
41.	,, शम्भू दयाल सुरेला	सहा-I	,, ,,	,,
42.	,, राधाकिशन सैनी	लाइनमैन	,, (डी.डी.) अलवर	,,
43.	,, किशनचन्द शर्मा	सहा-I	,, (डी.) अलवर	,,
44.	,, रामकिशन	सहा-II	,, (ग्रा.वि.) लक्ष्मणगढ़	,,
45.	,, देवीलाल	,,	,, ,,	,,
46.	,, जीत सिंह	वर्कचार्जसहा.	,, ,,	,,
47.	,, हरीसिंह	सहा-II	,, (ग्रा.वि.-I) तिजारा	,,
48.	,, साधूराम	,,	,, (ग्रा.वि.-II) ,,	,,
49.	,, सुन्दर लाल	इले.	,, (ग्रा.वि.) किशनगढ़	,,
50.	,, दान सिंह	डब्लू.टी.पी.ए.	,, (उत्पादन) भरतपुर	,,
51.	,, लेखा राम	सहा-I	,, ,, ,,	,,
52.	,, तेजपाल/कुन्दी	सहा-II	,, (परिसंधा) डीग	--
53.	,, दौलतराम/रामसिया	,,	-- (ग्रा.वि.) नदबई	--
54.	,, रमेशचन्द/ब्रह्म स्वरूप	,,	-- (ग्रा.वि.) सेवाड	--
55.	,, तोताराम/अमरसिंह	,,	.. .. ..	..
56.	,, रामस्वरूप/बाबूलाल	,,	.. .. ..	..
57.	,, पुरुषोतमलाल	ला.मै.-I	.. .. नगर	..
58.	,, समुन्दरसिंह/घीसाराम	सहा-II	.. (ग्रा.नि.) वैर	..
59.	,, लक्ष्मीनाराण/माधोप्रसाद	सहा-I	.. (डी.) अलवर	अधि. अभि. (पवस) हिन्डौन
60.	,, घासी/रामदेव	सहा-II	.. (ग्रा.वि.) बानसून	..

1	2	3	4	5
61.	,, मालाराम/बिरदा	सहा.-II	सहा.ग्रा.वि.बानसूर	अधि.अभि.पवस हिन्डौन
62.	,, राधेश्याम शर्मा	सहा–I	.. (डी.) अलवर	..
63.	,, रूप नारायण	,,	.. .. ..	..
64.	,, लीलाराम	,,	.. .. ..	..
65.	,, रामलाल	सहा–II	.. .. ..	..
66.	,, भवानीसिंह	,,	.. .. ..	..
67.	,, शिवदयाल	ला.मै.–I	.. (परिसंधा) खैरथल	..
68.	,, रतीराम	व.चा.सहा.	.. .. ..	..
69.	,, भोमसिंह	सहा–II	.. (ग्रा.वि.II) तिजारा	..
70.	,, चन्द्र प्रकाश	,,	.. (डी) भरतपुर	..
71.	,, श्रीचन्द	सहा–I	.. उत्पादन भरतपुर (परिसंधा)	..
72.	,, सोहनलाल	सहा–II	.. (डी) भरतपुर	..
73.	,, सुमेर	,,	.. (परिसंधा) भरतपुर	..
74.	,, मोहनलाल	,,	– – डीग	..
75.	,, मोहनसिंह/प्रीतमसिंह	,,	-. (ग्रा.वि.) नदवई	..
76.	,, रिखीसिंह	,,	.- .. सेवाड	..
77.	,, महाराजसिंह	,,	.. .. बैर	..
78.	,, महेन्द्रसिंह	च.श्रे.क.	.. .. सेवाड	..
79.	,, रोहिताश यादव	सहा–II	.. .. बहरोड़	अधि. अभि. (डी.डी.) सवाईमाधोपुर
80.	,, मोथूराम/रामजीलाल	,,	.. .. ..	..
81.	,, नाहरसिंह	,,	.. .. ..	..
82.	,, लक्ष्मण/गंगादीन	,,	.- .. बानपुर	..

Page No 290

(290)

1	2	3	4	5
83. ,, रामस्वरूप/हरलाल	,,	..	..	..
84. ,, रामवतार/रामजीलाल	,,	..	.. बहरोड	..
85. ,, कजोड/नानगाराम	,,	..	(डी) अलवर	..
86. श्री श्यामसुन्दर	सहायक-I	सहा. अभि. (ग्रावि.)	लक्ष्मणगढ़	अधि.अभि. (डीडी) सवाईमाधोपुर
87. ,, सुखराम	सहायक-II	,,	,,	,, ,,
88. ,, लल्लूबक्श	,,	,,	,,	,, ,,
89. ,, सूरतसिंह	सहायक-I	,,	(ग्रावि.)	तिजारा ,,
90. ,, बाबूलाल	सहायक-II	,,	,,-II	,, ,,
91. ,, धानीराम	,,	,,	(ग्रावि.)	किशनगढ़ ,,
92. ,, देवीलाल/सुखीराम	,,	,,	(उत्पादन)	भरतपुर ,,
93. ,, रतीराम	सहायक-I	,,	,,	,, ,,
94. ,, अकबर अहमद	सहायक-II	,,	(परिसंधा)	बयाना ,,
95. ,, लीलाराम	सहायक-II	,,	,,	डीग ,,
96. ,, हडू/गोकुल	सहायक-II	,,	(ग्रावि)	नदबई ,,
97. ,, राजेन्द्रसिंह	आई, टी. आई.	,,	,,	सेवाड ,,
98. ,, महेन्द्रनाथ शर्मा	,,	,,	,,	,, ,,
99. ,, ओमप्रकाश लवानिया	सहायक-II	,,	,,	,, ,,
100. ,, सतीश श्रीवास्तव	सहायक-II	,,	,,	,, ,,
101. ,, हरीप्रसाद/मांगाराम	,,	,,	,,	बैर ,,
102. ,, बाबूलाल वर्मा	,,	,,	,,	बहरोड अधि.अभि.(पवस) बारां
103. ,, ओमप्रकाश	वा.चा.	,,	,,	,, ,,

1	2		3	4	5
104.	,, मुरारीलाल	सहायक-।।	सहा.अभि.ग्रा.वि.	बहरोड	अधि.अभि.पवस बारां
105.	,, महावीर प्रमाद	,,	,, ,,	,,	,,
106.	,, ग्यारसी/कन्हैयालाल	,,	,, ,,	बानसूर	,,
107.	,, फूलचन्द/मक्खन	,,	,, ,,	,,	,,
108.	,, गिरिराजसिंह	,,	,, (डी)	अलवर	,,
109.	,, अग्रसेन	सहायक-।	,, ,,(डीडी)	खैरथल	,,
110.	,, छुटमलखान	सहायक-।।	,, (ग्राविं)	लक्ष्मणगढ़	,,
111.	,, हीरालाल	,,	,, ,,	,,	,,
112.	,, मातादीन	सहायक-।	,, (,,-II)	तिजारा	,,
113.	,, रामप्रसाद	लाईनसेन-।।	,, (ग्रावि)	किशनगढ़	,,
114.	,, रतन	सहायक-	,, (उत्पादन)	भरतपुर	,,
115.	,, भोला	सहायक-।	,, ,,	,,	,,
116.	,, गोबर्धन	सहायक-।।	,, (डी)	भरतपुर	अधि.अभि.(पवस) हिण्डोन
117.	,, भगवानसिंह	,,	,, (परिसंधा)	डीग	अधि.अभि. बारां
118.	,, दयाशंकर/चम्पालाल	,,	,, (ग्रावि)	नदबई	,,
119.	,, सुरेशचन्द्र/रामस्वरूप	,,	,, ,,	मेवाड	,,
120.	,, भगवानसिंह/चन्द्रसिंह	,,	,, ,,	,,	,,
121.	,, अशोककुमार/गोपीचन्द	आई.टी.आई	,, ,,	,,	,,
122.	,, हरिसिंह/प्रमादो	सहायक-।।	,, ,,	बैर	,,
123.	,, नन्दकिशोर	सहायक-।	,, ,,	किशनगढ़	,,
124.	,, बाबूलाल यादव	सहायक-।।	,, ,,	बहरोड	अधि.अभि.डी.डी. कोटा
125.	,, कमलसिंह	,,	,, ,,	,,	,,

(292)

1	2	3	4		5
126. ,, प्रहलाद मीणा	सहायक-II	स.अ.ग्रा.वि.	बानसूर		अधि.अभि. डी.डी. कोटा
127. ,, छोटामल नायक	,,	,,	,,	,,	,,
128. ,, गिर्राज/तुलसी	,,	,,	(डीडी) अलवर		,,
129. ,, वदनसिंह	,,	,,	(ग्रावि) लक्ष्मणगढ़		,,
130. ,, चन्द्रसिंह	,,	,,	,,	,,	,,
131. ,, हरीकिशन	वा.चा.सहायक	,,	,,	,,	,,
132. ,, हरीकिशन ,,	,, सहायक-II	,, ,,	(ग्रावि-I)	तिजारा	,,
133. ,, देवीसहाय	,,	,,	(ग्रावि)	किशनगढबास	,,
134. ,, विजयपालसिंह	ड्रा.मै.-II	अधि. अभि.	(परिएवमधा)	भरतपुर	,,
135. ,, कमरुद्दीन	सहायक-II	सहा.अभि.	(उत्पादन)	,,	,,
136. ,, काशीराम	,,	,,	(डी)	,,	,,
137. ,, जगदीश/आपू	,,	,,	(परिसंधा)	डीग	,,
138. ,, लोहारीसिंह/किरोडी	,,	,,	(ग्रावि)	नदबई	,,
139. ,, सत्यपालसिंह	आई,टी.आई.	,,	,,	सेवाड	,,
140. ,, बाबूलाल/छगनलाल	सहायक-II	,,	,,	,,	,,
141. ,, प्रेम नारायण	,,	,,	,,	,,	,,
142. ,, मोहनलाल शर्मा	,,	,,	,,	नगर	,,
143. ,, राजो	,,	,,	(डी)	भरतपुर	,,
144. ,, नानगी	,,	,,	(परिसंधा)	डीग	,,

———

293

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 546 से सम्बन्धित प्रति

PROCEEDINGS OF THE JOINT MEETING HELD BETWEEN THE REPRESENTATIVES OF RAJASTAAN AND DELHI STATES HELD ON 23RD AND 24TH DECEMBER, 1963, AT JAIPUR.

The Following were present :-

1. Shri M. W. K- yusufzai,
   Director of Transport,
   Delhi
2. Shri D. N. Handa,
   Director of Transport,
   Rajasthan.
3. Shri J. P. Arora,
   General Manager,
   Rajasthan State Roadways,
   Jaipur.
4. Shri B. S. Joshi,
   Dy. Director of Transport. Rajasthan,
   Jaipur-
5. Shri S. K. Airun,
   Regional Transport Officer,
   Jaipur.
6. Shri Madan Lal Gupta,
   Asstt. Regional Transport Officer,
   Jaipur.

Item No. 1 TO DISCUSS THE PROCEEDINGS OF JOINT MEETING HELD ON 28th/29th NOVEMBER, 1961 AT DELHI.

The proceedings of the Joint meeting held on 28th/29 November, 1961 were discussed, revised and incorporated in consolidated Draft attached herewith.

It was agreed that this will be checked up at both ends and finalised and thereafter necessary ratification of the Governments concerned obtained.

Item No. 2 OPENING OF DELHI – JHUNJHUNU ROUTE

The matter was discussed. Ratification of various Governments involved have already beed received. The three State should proceed to issue regular permits in the minimum possible time.

Item No. 3 TO CONSIDER FRESH PROPOSALS FOR OPENING OF ROUTES.

(i) **Tijara–Delhi route via Bhiwari, Sona :–**

The proposal of opening Tijara–Delhi route via Sona and Bhiwari was considered and it was agreed that Joint Survey of the route may be carried out.

(i) **Delhi–Jaipur route via Sinqhana, Narnaul :–**

The proposal of opening the Jaipur–Delhi route via Singhna and Narnaul was considered, but it was felt that the Delhi–Khethri route, being opened, will serve the need of the traffic coming from Delhi towards Khethri side and moreover a direct route will not be in demand when National Highways, which is a much shorter route, is available.

Sd–M. W. K. Yusufazi
Director of Transport
Delhi.

Sd/-D. N. Handa
Director of Transport
Rajasthan, Jaipur

Sd–J. p. Arora
General Manager
R. S. R.

DRAFT CONSOLIDATED RECIPROCAL AGREEMENT BETWEEN DELHI ADMINISTRATION AND RAJASTAAN STATE IN CONNECTION WITH ROAD TRANSPORT BETWEEN THE TWO STATES.

Whereas it is expedient in view of the economic development of the country to encourage operation of Inter State services of transport vehicles and whereas it is necessary for this purpose, to provide for adequate and regular Inter State services and to regulate and control their operation, it is necessary in the interest of the public in general to enter into a reciprocal agreement between the Sate of Rajasthan and Delhi Administration and now, therefore, the Goverment of Rajasthan and Delhi Administration hereby agree to implement the terms and conditions of the agreement herein below in supersession on the previous agreements. This agreement will, however, not invalidate any action taken already in pursuance of any of the previous agreements.

This agreement will be reviewed every three years or whenever necessary in public interest. For reasons to be given in writing by either State Government any Clause of the agreement may be revoked on 3 months notice.

Reciprocal Transport Agreement between Delhi Administration and Rajasthan State.

Stage carriages :– It is agreed that the permits for stage carriage for the routes as showu in the Schedule attached shall be countersigned by the transport authorities of either State on the recommendation of the transport authority of the reciprocating State.

The time–table in respect of stage carriage srevices on joint routes shall be prepared by mutual consultaion and the permit holders will be required to ply their services strictly according to the approved time–table. No variation shall be made in the time table without mutual consulation.

Special trips, if any, besides the approved time–table shall not be made on those routes unless there is an agreement between the two States for the purpose of such special trips in certain circumstances such as fairs etc.

Public Carriers:– It is agreed that the number of public carrier permits to be countersigned by transport authorities of either State on the recommendation of the transport authority of the reciprocating State shall be as shown in the Schedule attached. A free zone of 5 miles on the countersigned routes on either side of the route will be allowed in all cases. Only permits which are countersigned for intervening Punjab portion will be allowed countersignature.

As provided in the model reciprocal agrcement drafted by the Government of India, the holder of an Inter State Public carrier permit shall not transport (i. e. pick up or set down) goods between two points falling in the reciprocating State. This corridor condition may be imposed on existing counter signatures at the time of renewal and on counter–signatures granted hereafter.

Petrol Tankers :– In respect of petrol tankers, it was agreed that private carriers permits on regular basis may be issued by the two States for this purpose to the extent of 20 each.

Tourist Cars :– It is agreed that 200 tourist cars permits shall be countersigned by the Transport Authorities of either State on the recommedations of the Transport Authority of the reciprocating State.

The State Transport Authority concerned may delegate the powers of countersignatures in this respect to an Officer of the other State as may be communicated by S.T.A. of that State, on the Specific condition that taxes and fees (including countersignature fee) as may be applicable will be collected by the Authority delegated for the purpose and shall remit the same to the proper Authority.

TEMPORARY PERMITS--

Public Service Vehicles :--Temporary permits for passenger buses and taxies under Section 62 of the Motor Vehicles Act to run as "contract carriages", may be issued by either State without previous concurrence of the Transport Authority of the other State for the following purposes :--

(a) Carriage of marriage parties;

(b) Carriage of excursion parties;

(c) Carriage of dead bodies;

(d) Carriage of patients in emergency;

(e) Carriage of parties for fairs.

and in absolute urgency on the discretion of the Transport Authorities.

The temporary permits shall subject to the following conditions–

(i) No standees shall be allowed.

(ii) The vehicle shall be hired to a single party and shall be used for return journey originating and terminating in the area of the original Transport Authority.

(iii) Except for taxies and tourist cars the other contract carriages shall carry a list of passengers signed by issuing Transport Authority. Provided such list will not be necessary where the party is of foreign tourists.

Public carriers (Temporary permits) :—Temporary permits on Delhi-Jaipur-Ajmer route and other routes connecting important

markets in Rajasthan with Delhi valid for a period not exceeding 2 weeks may be issued without previous concurrence by Transport Authority of either state to meet a particular temporary need. These temporary permits shall be for specified routee by the shortest distance for one return trip made during the validity of the permit and they shall not be used for Transport (i.e. picking up or setting down) goods between any two points within the reciprocating states.

Temporary public carrier permits may also be issued by the respective authorities for the purpose of transport of goods to other states through Rajasthan/Delhi subject to carridor conditions and other conditions mentioned in the last paragraph.

Private carriers permits (Temporary permits) :—Temporary permits for private carriers which have bonafide private carrier business in Rajasthan/Delhi for a period not exceeding three months may be issued by the Transport authority of either state without previous concurrence. These temporary permits shall be for the crriage of goods of specified nature,

Taxation :—There shall be 'Single point' Moter vehicles Taxation in respect of all classes of permanent permits, countersigned by either state.

'Double point' tax shall be levied in respect of temporary permits issued under the terms of the reciprocal agreement by each state.

No tax shall be leviable in respect of special tourist permits issued under Section 63 (6) of the Motor vehicles Act on public service vehicles.

Temporary permits issued during the pendency of renewal of permanent permits under Sub-section (d) of Section 62 of Motor Vehicles Act shall be countersigned on 'Single Point' Tax..

The contersignature fees applieable in other states on regular and temporary permits will be realised by the issuing authority before the issue of the permits.

MODE OF PAYMENT OF TAX :—The mode of payment of tax and countersignature fees by the operator in respe·t of temporary permits would be by demand drafts, Postal orders or by cash. The operator shall produce the postal order Receipts or Demand Draft cash receipt before the Issuing authority, who will mention the same in the temporary permits.

Monthly information in respect of temporary permits shall be exchanged between the two authorities containing the information regarding permit number, validity. tax mode by which tax has been remitted, Demand Draft Number, postal order Number or Cash Receipts Number, RLW. UIW or carrying capacity, seating capacity, registcration marks etc.

The fares and freights will be as prescribed by each Govt. in their respective territory for the portion of the route falling in their territory.

Registered Laden weight etc. :—The reciprocating State shall recognise the tax tokens, registeration certificates, certificates of fitness, driving licences, conductors licenses etc. in respect of vehicles plying on Inter State routes in accordance with this agreement. The registered laden weight fixed for the roads in either State shall not, however, be exceeded.

All these agreements are subject to the ratification of the Two State Governments.

Schedule

STAGE CARRIAGE PERMITS

S.No.	Route	Mileage					No, of Permits					Remar
		Raj.	Punj.	Delhi	UP.	MP.	Raj.	Punj.	Delhi	UP.	MP.	
1.	Alwar–Delhi	23	64	14	—	—	2	5	2	—	—	
2.	Jaipur–Delhi	113	64/–	14	—	—	4	2	2	—	—	
3.	Delhi–Gwalior	18	41	13	81	41	1	2	1	4	2	Single trips
4.	Delhi–Khetri	23	94	14	—	—	1	4	—	—	—	Return trips
5.	Delhi–Jhunjhnu	38	97	16	—	—	1	3	1	—	—	Single trips
6.	Delhi–Bharatpur	42	47	13	10	—	1	1	—	—	—	Return trips

PUBLIC CARRIER PERMITS

S.No.	Route	Raj.	Punj.	Delhi	UP.	MP.	Raj.	Punj.	Delhi	UP.	MP.	Remar
1.	Alwar–Delhi	—	—	—	—	—	12	18	12	—	—	
2.	Delhi–Jaipur						100	—	100	—	—	
3.	Delhi–Ajmer						20	—	20	—	—	
4.	Delhi–Jodhpur						30	—	30	—	—	

S.No.	Route	Mileage					No. of Permits					Remar
		Raj.	Punj.	Delhi	UP.	MP.	Raj.	Punj.	Delhi	UP.	MP.	
5.	Delhi–Kota						15	—	15	—	—	
6.	Delhi–Bhilwara						6	—	5	—	—	
7.	Delhi–Udaipur						10	—	10	—	—	
8.	Delhi–Bharatpur						10	—	10	—	—	
9.	Delhi–Makrana						10	—	10	—	—	
10.	Delhi–Bikane						20	—	20	—	—	
11.	Delhi–Ganganager						125	—	125	—	—	

Increase by mutual agreement betweed the Directors of Transport, Rajasthan and Delhi to 100.

PETROL TANKERS

1.	Delhi–Rajasthan						20	—	20	—	—	

TOURIST CARS

1.	Delhi–Rajasthan						200	—	200	—	—	

RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE STATES OF RAJASTHAN, HARYANA AND DELHI ARRIVED AT THE JOINT MEETING HELD ON 29TH/30 JULY, 1969 AT JAIPUR.

Where-as in the previous Reciprocal Transport Agreements concluded between the States of Rajasthan and Haryana on 26/27th August, 1968 at Jaipur and between Rajasthan and Delhi on 1st July, 1967 the question pertaining to public carriers was not fully decided and by the lapse of time it also necessiated to increase the number of trips on the existing routes, also to open new routes and some other allied matters cropped up in the interventing period, it was agreed to supplement the existing agreements by this one.

This agreement shall be valid till such time as a new agreement between the States is arrived at or the existing one is rescinded after issue of Six Month's Notice on either side provided that it may be reviewed or modified at the instance of either State and mutual agreement at any time.

2)- **PUBLIC CARRIERS**–(Substantive Permits)

It was agreed that 500 Non-Temporary Public Carrier Permits be issued by each of the State. The Distribution of these permits by each of the State. Shall be as under :–

1. Haryana — Permits will be valid for Bikaner and Jaipur Regions only in Rajasthan and Union territory of Delhi.

2. Delhi — Permits will be valid for whole of Haryana State for 'Jaipur Region and any one of the Bikaner or Kota Region (in Rajasthan) 70 permits already granted by Delhi State for various routes falling in other Regions of Rajasthan viz. Jodhpur, Udaipur not covered above shall remain in operation till their validity and after that such permits will be converted as per rew agreement.

3. Rajasthan — Permits granted by Rajasthan State shall be valid for whole of the State of Haryana and Union Territory of Delhi.

3. **PRIVAT** CARRIERS :

Private Carriers including Milk Tankers and Petrol Carriers substantive permits recommended for countersignatures by Transport Authority of the Home State shall be countersigned by the Transport of the Reciprocating States without any restrictions as to area or numer subject to the following conditions :—

(i) The Motor Vehicles shall be used for carriage of specified good and for the bonafide use of the operatiors only.

(ii) No goods shall at any time be picked up or set down between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating States.

It was agreed that following new routes may be opened and trafic sharod as noted against each :—

(304)

4) **OPENING OF ROUTES :**

S.No.	Name of the route	Distance in miles			Share of Traffic		
		Raj.	Haryana	Delhi	Raj.	Har.	Delhi
1.	Jaipur-Delhi via Kotaputli.	96	46	14	2-ST	1-ST	1 ST
2.	Kotputli-Mahendragarh via Behior–Ateli-Kenina.	40	40	--	2-ST	2-ST	—
3.	Behror-Rewari via Shahjahanpur.	18	18	--	4–ST	4–ST	--
4.	Khetri-Narnaul via Nizampur.	16	12	--	4–ST	4–ST	--
5.	Behror-Rewari via Majra Kutena–Tankri.	12 P 12K)KM	12 P KM	--	4–ST	2–ST	--

5) **SURVEY OF NEW ROUTES :**

It was agreed to survey the following new routes jointly by the Representatives of Rajasthan and Haryana :

1) Nohar–Loharu via Dabri, Serda, Sivani, Shedani.

2) Behior–Gurgaon via (National Highway) patodi.

6) **EXTENSION OF EXISTING ROUTES :**

It was agreed to allow extension of the following routes :—

1) Chandigarh–Loharu. Service at present plied by the Haryana Roadwaysis extended upto Pilani with one Return Service.

2) Hissar–Rajgarh Service plied by Haryana Roadways is extended upto Pilani with one return service.

3) Rajasthan is allowed to extended services or Delhi–Jhunjhunu route up to Seta and to run 2 single trips per day.

7) **INCREASE IN NUMBER OF TRIPS IN THE EXISTING SERVICES :**

It was agreed that the number of trips on the following routes be increased as shown below :

S. No.	Name of the Routes	Existing Trips			Incresed Trips		
		Raj.	Har.	Delhi	Raj.	Har.	Delhi
1.	Jhunjuhnu-Delhi.	1-ST	3-ST	1-ST	2-ST	3-ST	1-ST
2.	Khotri-Delhi	2-ST	8-ST	2-ST	3-ST	10-ST	3-ST
3.	Behror-rewri via Neemrana-Shahjahanpur Bawal-	12-ST	6-ST	--	16-ST	8-ST	--
4.	Behror-Bewari via Kund	16-ST	10-ST	--	20-ST	12-ST	—
5.	Kutputli-Narnaul	4-ST	8-ST	--	4-ST	12-ST	--
6-	Behror-Narnaul	2-ST	2-ST	--	4-ST	--	--
		4-ST	4-ST				

Note : **TO SVRVEY THE TRAFFIC POTENTIALITY OF THE EXISTING ROUTES :**

It was agreed that before revising the number of Trips on the following routes, a joint survey may de carried out by the Repr sentatives of Rajasthan and Haryana :—

TAXATION :

1)- Bharatpur–Delhi

2)- Kotputli–Rewari via Behror.

3)- Kotputli-Ateli

TAXATION :

(i) There shall be single point motor vehicles taxation in respect of vehicles covered by all classes of substantive permit including temporary permits granted for a period not less than 4 months pending consideration of their applications within the agreed quota; subject to the condition that such permits are countersigned by the respective transport authorities.

(ii) No Motor Vehicle Tax shall be leviable in reciprocating State in respect of vehicles covered by special permits issued under Section 63(6) of the Motor Vehicles Act.

(iii) Temporary permits issued during the pendency of renewal of permanent permits under section 62(d) of the Motor Vehicles Act shall de countersinged on single point taxation only once.

(iv) There shall be no exemption from payment of Goods/Passenger Tax in respect of any class of vehicles entering either State.

(v) There shall be double point motor vehicles takation in respect of vehicles covered by all kinds of temporary permits other than those mentioned in clause (i), (ii) and (iii) of this paragraph.

10. **GENERAL :**

(i) Routes or area recommended for eountersignature shall be incorporated in the original permits by the authorities granting the permits before recommending them for countersignature.

(ii) The reciprocating States shall accord recognition to tax tokens, registration certificates, licences, public service vehicles

authorisation, certificate of fitness ect. in respect of vehicles plying in accordance with the terms of this agreement,

(iii) This agreement shall be subject to retification by the Governments of the reciprocating States.

(iv) The details of authorities who shall recommend/issue countersingn permits and offices to whom the taxes and-fees are to be paid shall be as per-Annexure 1 2 and 3.

(v) The intimatioh regarding replacement of any vehicle covered by an Inter-State permit shall be sent immediately by the authority allowing the replacemhnt to the countersigning authority in the reciprocating State.

This agreement will be governed by ali other conditions, contained in the original agreements.

(Hoshiyar Singh)	(Shiv Ram Jain)	(S. C. Pandey)
Provincial Transport	Director of Transport	Director of Transport
Controller, Haryana.	Rajasthan	Delhi

Page No 308

(308)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 548 की सूची

प्रपत्र–"क"

सेवा निवृत कर्मचारियों की सूचि जो अब भी
सरकारी आवास ग्रह में रह रहे हैं

क. सं.	नाम
1.	श्री वी. पी. राजवंशी
2.	,, नन्द किशोर शर्मा
3.	,, ग्यारसी लाल
4.	,, मोहन लाल
5.	,, डा. जी. सी. लोढ़ा
6.	,, भीम सिंह
7.	,, राजेन्द्रनाथ भार्गव
8.	,, एच. सी. जोशी
9.	,, धन कुमार पाटनी
10.	,, रेवत सिंह ड्राईवर
11.	,, कृष्ण बिहारी लाल सक्सेना
12.	,, जगन्नाथ
13.	,, दौलत सिंह लसकर
14.	,, बंशीधर शर्मा
15.	,, गोविन्द दत्त शर्मा
16.	,, यशवन्त कुमार यादव
17.	,, हरीसिंह नदेरीया
18.	,, बी. एल. मिश्रा
19.	,, राम कुमार

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर एवं देहलाला में शिक्षकों के रिक्त पद

549. **श्री जगदीश प्रसाद तिवारी** (बस्सी)––क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर एवं देहलाला (जयपुर) में छात्र संख्या व कार्यरत अध्यापकों की संख्या क्या है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में कम अध्यापक कार्यरत होने के कारण अध्यापन कार्य सन्तोषजनक नहीं हो पाता है? यदि हां, तो छात्र संख्या के अनुपात से विद्यालयों में जो अध्यापकों की कमी चली आ रही है उसके लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामनगर एवं देहलाला में छात्र सं. क्रमशः 190 एवं 222 और अध्यापक क्रमशः 6 एवं 8 है।

(2) जी नहीं। कमी को दूर करने के लिए प्रयास का प्रश्न नहीं उठता।

अलवर जिले की निर्माणाधीन सड़कें

550. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़)––क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें:––

(1) अलवर जिले में पिछले दो वर्षों से कौन-कौन सी नई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि कि पिछले 2 वर्षों से राजगढ़ तहसील में एक भी नई सड़क की योजना चालू नहीं हुई? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) राजगढ़ तहसील में कौन-कौन सी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं और क्यों? क्या निकट भविष्य में उनको पूरा करने की योजना हैं?

उत्तर

(1) अलवर जिले में पिछले 2 वर्षों में केवल एक सड़क टपूकड़ा से नूह स्वीकृत की गई जिसका कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पुरानी स्वीकृत आठ सड़कों पर कार्य चालू है।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण किसी नई सड़क की योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

फालना-मोकलसर मार्ग पर चलने वाली बसें

551. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली के फालना-मोकलसर मार्ग पर कितनी प्राईवेट बसों को परमिट वर्ष 1981–82 व 1982–83 में दिए गए ? कृपया सूची मदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर प्रातः 8 बजे फालना से रवाना होने वाली और सायंकाल वापस लौटने वाली बस को बंद कर दिया गया है ? यदि हां तो क्या इस बस का कोई परमिट जारी नहीं किया गया था ? यदि हां, तो कब तक बिना परमिट बस चलती रही और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर पावां तक सड़क पक्की बन गई है और बस किराया कच्ची सड़क का वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कोई नहीं।

(2) जी हां। यह कोई बस विशेष नहीं थी अपितु मार्ग पर स्वीकृत 15 बसों में से उक्त परमिटधारियों द्वारा प्रतिदिन रोटेशन से चलायी जा रही थी। इस बस सेवा के लिए अलग से कोइ परमिट जारी नहीं किया गया था और न ही कोई बस बिना परमिट चल रही थी। यह बस सेवा माह जून–81 में बन्द कर दी गयी है।

(3) जी हां। अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में बस मालिकों के खिलाफ चालान किये जा रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी, पाली द्वारा बस मालिकों को नियमानुसार किराया लेने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

ओम मेटल्स कोटा एवं लघु उद्योग मजदूर यूनियन कोटा का विवाद

552. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री टी. सी. कोठारी अधिकृत प्रतिनिधि, श्री सी. पी. कोठारी डाईरेक्टर ओम मेंटल्स, कोटा एवं लघु उद्योग मजदूर यूनियन कोटा के माह मार्च 1981 में की गई तालाबन्दी एवं दिनांक 20-4-1981 को किये गये क्लोजर का विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पंच फेसला हेतु सुपुर्द किया गया था ?

(2) यदि हां, तो उस विवाद को कब पंच फैसले हेतु सुपुर्द किया गया और उसमें पंच फैसला कब हुआ ? कृपया फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विवाद को पंच फैसले को देने के लिए दोनों पक्षों में 22–5–81 को समझौता

Page No 311

(311)

(श्रम मन्त्री)

हुआ था, परन्तु विवाद में पंच ने कोई फैसला नहीं दिया क्योंकि पंच ने फैसला देने में असमर्थता जाहिर करते हुए कागजात लौटा दिये। अतः प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति, गिर्वा में बांध बनाना

553. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण)—क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, गिर्वा की पंचायत टीड़ी में गोज्या नामक तालाब जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बंधवाया गया है ? यदि हां, तो क्या इस पर कितना खर्च आया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध के निर्माण से कितनी भूमि पर सिंचाई होती है और किसानों को इससे क्या लाभ मिल रहा है ?

(3) क्या विभाग द्वारा इस वर्ष सिंचाई हेतु बारापाल वाया टीड़ी, पडना, सरू, ऊन्दरी आदि पहाड़ी क्षेत्र में कोई बांध बनाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम पंचायत टीड़ी के पुराने गोज्या तालाब की मरम्मत आदि के कार्य की 1982–83 में स्वीकृति दी गई है। अब तक इस कार्य पर 50 हजार रुपया व्यय हो चुका है।

(2) उक्त बांध से अनुमानतः 50 बीघा रकबा भूमि सिंचित की जा रही है, एवं 16 आदिवासी परिवार लाभांवित हो रहे हैं।

(3) जी नहीं।

मार्केटिंग सोसायटी, बाड़मेर

554. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी)—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मार्केटिंग सोसाइटी, बाड़मेर ने गोदाम बनाने के लिए ग्राम गुड़ामालानी में गोचर भूमि में से भूखण्ड आवंटन हेतु जिलाधीश से मांग की है एवं जिलाधीश ने राज्य सरकार को भूखण्ड आवंटन के लिए सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि भू-खण्ड के अभाव में उक्त सोसाइटी के गोदाम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है ? यदि हां तो उक्त मार्केटिंग सोसाइटी को भू-खण्ड का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति एफ–2 (202) राज्य/3/81 दिनांक 7–3–82 द्वारा प्रदान कर दी है।

(सहकारिता मन्त्री)

(2) जी हां। अब राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः शीघ्र ही गोदाम निर्माण हेतु सब प्रोजेक्ट तैयार करवाकर राशि स्वीकृत कराई जाकर समिति के गोदाम का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

दधिमथि हायर सैकण्डरी स्कूल, श्रीगंगानगर

555. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा)––क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि दधिमथि हायर सैकण्डरी स्कूल, श्रीगंगानगर में 24 जनवरी, 1983 को अबोध बच्चों को अमानवीय प्रताड़ना देने के समाचार राज्य सरकार को मिले हैं? कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ये छात्र कितने हैं एवं कौनसी कक्षा के है तथा इन्हें कौनसी यातनायें दी गई?

(3) राज्य सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी, हां। रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत है। चिह्न क–29

(2) कुल छात्र 4–5 तथा कक्षा 4 के छात्र है जिन्हें प्रधानाध्यापिका द्वारा चोरी का सन्देह होने पर 1–1 व 2–2 डण्डे लगाये गये।

(3) राज्य सरकार ने उक्त कार्यवाही के लिए संस्था की प्रधानाध्यापिका को प्रताड़ना के आदेश संस्था के सचिव के माध्यम से जारी किये तथा दोषी अध्यापकों को आरोप-पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

प्रार्थना पत्र

रिपोर्ट

श्रीमती कमला जी

शिक्षा मन्त्री, राजस्थान सरकार

जयपुर।

विषय:--दधिमथि शिक्षण संस्थान श्रीगंगानगर में अध्यापक/अध्यापिका/प्रधानाध्यापक द्वारा की गयी छात्रों की अनुचित व समानुषिक व अव्यवहारिक कार्यवाही की जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती जी,

निवेदन है कि प्रार्थी का लड़का हरिशकुमार कक्षा चौथी में दधिमथि शिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर में अध्ययन करता है। दिनांक 19-3-83 को उसकी कक्षा की अध्यापिका का विद्यालय में बटुआ गुम हो गया जिस पर हम बच्चों की तलाशी ली गई जो कि उचित है। इस तलाशी के दौरान गुमसुदा बटुआ किसी भी छात्र के पास नहीं मिला हो सकता है कि बटुआ कहीं बाहर ही गुम हो गया हो या स्कूल के छात्रों के अलावा किसी ने चोरी कर लिया हो। उसके बाद दिनांक 20-1-83 को जब बच्चे स्कूल गये तो कक्षा चौथी के छात्रों को सुबह स्कूल लगने से लेकर पूरी छुट्टी के समय तक दोनों हाथ ऊपर कराकर खड़ा रखा गया व छात्रों को मुर्गा बनाकर रखा गया व उसके साथ ही उन्हें दोपहर को खाने की छुट्टी भी नहीं दी गयी। बच्चों को प्रधानाध्यापक महोदय की मोजूदगी में दफ्तर में पीटा गया। इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधानाध्यापक को उपरोक्त विषय का प्रार्थना पत्र तारीख 20-1-83 को पेश करके निवेदन किया गया कि इसकी पूरी जांच करवायी जाये व जिन अध्यापक/अध्यापिका व प्रधानाध्यापक द्वारा जो भी छात्रों के साथ अनुचित व अमानुषिक अव्यवहार किया गया हैं। उसका जल्द ही निर्णय किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया जाये लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया व न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित किया गया। इस विषय को लेकर जनता में बहुत बड़ा भारी रोष हैं क्योंकि संस्था के छोटे-छोटे मासूम बच्चों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया।

(314)

अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि उपरोक्त संस्था के अध्यापक/अध्या-पिकाओं/प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच की जाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर जिन मासूम नन्हें मुन्ने बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया है को न्याय दिलवाया जाये। आपकी अति कृपा होगी। तारीख 22–1–83

प्रार्थी

ह. 22–1–83

रतनकुमार पुत्र श्री जुगलकिशोर

निवासी 28 जे ब्लाक

श्रीगंगानगर

प्रतिलिपि :—

1. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, चूरू राज.।
3. श्री नारंगा यादव, अध्यक्ष, ए. आई. एस. एफ. श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।

सत्य प्रतिलिपि

ह./–

उप जिला शिक्षा अधिकारी

श्रीगंगानगर।

(रतन कुमार)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, श्रीगंगानगर

क्रमांक: जि.शि.अ./गंगा/निजी/1/82–83 दिनांक

श्रीयुत् निदेशक महोदय,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:—दधिमथि उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर की घटना के सम्बन्ध में।

प्रसंग:—दिनांक 24/1/83 को आप द्वारा जिलाधीश, श्रीगंगानगर से दूरभाष पर हुई वातचीत एवं दिनांक 25/1/83 को श्री रमेश कपूर, विधि सहायक से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दधिमथी उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर की घटना के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा की गयी जांच के आधार पर तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार से हैं:

(1) दिनांक 19/1/83 को श्रीमती सरोज सहायक अध्यापिका कक्षा चार में पढ़ा रही थी। इस दौरान कुछ देर के लिए अध्यापिका बाहर गयी व अपना पर्स जिसमें उनके कथनानुसार 150/– रु. के लगभग धनराशि थीं वहां मेज पर छोड़ गयी। कक्षा में वापिस लौटने पर जब अध्यापिका ने अपना पर्स सम्भाला तो उसमें उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। जिस पर अध्यापिका ने बच्चों से पूछताछ की तथा साधारण मारपीट अथवा डांटड़पट की। यह घटना लगभग 11.00 वजे प्रात: की हैं।

(2) दिनांक 20/1/83 को उक्त घटना के बाद एक वच्चे का अभिभावक श्री देशराज कक्कड़ (जिनकी पत्नि श्रीमती ऊषा कक्कड़ भी इसी विद्यालय संस्थान में अध्यापिका है) विद्यालय में आया तथा प्रधानाध्यापिका श्रीमती ऊषा अरोड़ा को बुरा भला कहना आरम्भ कर दिया। इस पर पास के कक्ष में श्री जगदीश चन्द्र शर्मा

सहायक अध्यापक जो कि पढ़ा रहे थे। उन्होंने उक्त श्री देशराज कक्कड़ को समझाया कि उनकी स्वयं की पत्नि, श्री देशराज कक्कड़ की। भी इसी विद्यालय में अध्यापिका हैं। इसलिए अभिभावक के तौर पर उनको प्रधानाध्यापिका के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। उस समय श्री देशराज कक्कड़, नाराजगी प्रकट करते हुए विद्यालय प्रांगण से बाहर चले गये।

थोड़ी देर बाद ही उक्त श्री देशराज कक्कड़ अपने कुछ सहयोगियों के साथ आये तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन के प्रांगण में अध्यापकों के बीच बैठे हुए श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, सहायक अध्यापक को पीटना शुरू कर दिया। दो तीन अध्यापकों ने बीच-बचाव किया। इस संघर्ष में श्री जगदीश को चोट लगी ही साथ-साथ बीच-बचाव करने वाले अध्यापकों को भी चोटें लगी। घटना की तुरन्त रिपोर्ट पुलिस को करने पर पुलिस विद्यालय में पहुंच गयी तथा अध्यापकों को साथ लेकर कोतवाली चली गयी। कोतवाली में भी एक अभिभावक आये और पुलिस के सामने ही पुनः अध्यापकों से हाथा-पाई को अध्यापकों द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र कोतवाली में दिया गया। किन्तु इसी दौरान उक्त श्री देशराज कक्कड़ एवं उनके सहयोगियों का अध्यापकों के साथ राजी नामा करवा दिया गया। उक्त जानकारी प्रधानाध्यापक द्वारा दी गयी।

(3) दिनांक 21/1/83 को किसी स्थानीय समाचार पत्र में भी उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में किसी घटना का ब्यौरा छपा। जिसको देखकर तथा विद्यालय के अध्यापकों की पिटाई के कारण उक्त विद्यालय के छात्रों में रोष फैल गया तथा उन्होंने हड़ताल कर दी। जिसका प्रभाव स्थानीय अन्य विद्यालयों पर भी पड़ा। दिनांक 21/1/83 को अध्यापकों ने एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी। समाचार पत्र द्वारा घटना के सम्बन्ध में खेद प्रकट करने पर तथा अध्यापकों की ओर से एफ. आई. आर. दर्ज करवाने पर व्यवस्थापिका समिति शाला के स्टाफ एवं शिक्षक संगठन में छात्रों से अपील करके हड़ताल समाप्त करवा दी तथा विद्यालय सामान्य रूप से चल रहा है।

(4) उक्त श्री देशराज कक्कड़ आदि कुछ अभिभावकों ने भी दिनांक 21/1/83 को एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी।

(5) प्रधानाध्यापक के अनुसार जांच के दौरान यह जानकारी मिली कि विद्यालय में हुई किसी भी घटना के सम्बन्ध में अभिभावकों द्वारा प्रभावी प्रधाना-

ध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक श्री ओमप्रकाश त्रिवेदी जो कि दिनांक 17/1/83 से 21/1/83 तक अवकाश पर अपने घर थे तथा बीमार थे कोई सूचना नहीं दी गई। संस्था प्रधान ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर ही घटना की पूर्ण जांच करने के लिए एक उप समिति का गठन किया है।

चूंकि दोनों ही पक्षों द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गयी हैं तथा पुलिस कार्यवाही चालू है तथा इस घटना को लेकर स्थानीय विद्यालय अथवा अन्य विद्यालयों में एवं शहर में किसी प्रकार का तनाव दिखायी नहीं देता।

ह./-
(सौभागमल जैन)
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)
श्रीगंगानगर

क्रमांक: जि.शि.अ./गंगा: निजी/1/82–83/स्पेशल/ दिनांक 25/1/83

प्रतिलिपि :––(1) जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर

(2) उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, चूरू

ह./-
(सौभागमल जैन)
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)
श्रीगंगानगर

सत्य प्रतिलिपि
ह.
जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर

Page No 318

(318)

राज्य में स्वीकृत नयी सड़कें

556. **श्री हरीसिह** (कुम्हेर):–क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में दिनांक 1–4–1981 से 31–3–1982 तक तथा 1–4–1982 से 31–1–1983 तक कौन-कौनसी नवीन सड़का निर्माण की स्वीकृति दी गई है और निर्माण की स्वीकृति दिये जाने का आधार क्या रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से कोन-कोनसी सड़कों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2)

इस विभाग द्वारा वांछित अवधि में नवीन सड़क निर्माण की स्वीकृति, वर्तमान स्थिति एवं 31–1–83 तक व्यय हुई राशि का विवरण (प्रपत्र–'क') सदन के पटल पर रख दिया गया है। स्वीकृति दिए जाने के आधार निम्नलिखित थे :—

(1) अधिक आबादी वाले कस्बे/गांवों को सड़क से जोड़ना।

(2) अधूरी सड़कों को पूरा करना।

(3) अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कें।

(319)

(प्रपत्र "क")

स्वीकृत नवीन सड़कों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की अवधि	जनवरी, 83 तक का व्यय	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर से सीकर वाया बबाइचा सलेमाबाद, रूपनगढ़, भांक रोड जिला सीमा तक एवं पुलियाओं का निर्माण तथा पक्की सड़क पर डामर कार्य।	1981–82	5,79,459	अपूर्ण
2.	रा. उच्च मार्ग नं. 8 पर बड़गांव से अराई जिला सीमा तक पुलियाओं का निर्माण तथा पक्की सड़क पर डामर का कार्य।	,,	4,17,659	,,
3.	दीघाल से बीवासर झुन्झनू मुकंदगढ़ सड़क से उपागमन सड़क का निर्माण।	,,	4,44,149	,,
4.	उमाड़ा ग्राम तक उपागमन सड़क का निर्माण कार्य।	,,	3,70,747	,,
5.	राजाखेड़ा से पिन्हाट तक सड़क का निर्माण।	,,	13,27,603	,,
6.	बसेरी से सँपऊ तक सड़क निर्माण।	,,	7,09,354	,,
7.	मनिया से बसईनवाब तक सड़क निर्माण।	,,	17,33,243	,,

Page No 320

1	2	3	4	5
8.	जसुपुरा से लादूखेड़ा तक सड़क निर्माण ।	1981–82	1,19,677	अपूर्ण
9.	मुख्य सड़क से नदी के सहारे रसीदपुर तक उपागमन सड़क का निर्माण ।	,,	14,357	,,
10.	पाखर से रसीदपुर तक सड़क का निर्माण ।	,,	22,353	,,
11.	कलापहाड़ से पाली भोपर तक सड़क का निर्माण ।	,,	36,795	,,
12.	महुग्रा से हुड़ला तक सड़क निर्माण ।	,,	21,628	,,
13.	पिलवा से रसीदपुर तक सड़क निर्माण ।	,,	11,275	,,
14.	उपागमन सड़क पीपली से गोसुण्डा	,,	7,45,430	,,
15.	उपागमन सड़क पीपली से चित्तौड़-गढ़ कपासन रोड़ वाया घनेत ।	,,		
16.	ग्रामीण सड़क संख्या 10, 2 के. एल. डी. से 3 के. एच. एम. तक ।	,,	9,444	,,
17.	ग्रामीण सड़क संख्या 13, लिंक रोड़, सत्तासर ग्रनूपगढ़ ।	,,	20,66,651	,,
18.	ग्रामीण सड़क संख्या 17, लिंक रोड़, विजयनगर रजियासर ।	,,	14,09,515	,,

1	2	3	4	5
19.	लक्ष्मण डूंगरी से नरवरदास का खोला (जिला जयपुर) लिंक रोड़ का निर्माण।	1981-82	2,31,022	अपूर्ण
20.	सेंपऊ से धोलपुर तक लिंक रोड का निर्माण।	,,	3,16,572	,,
21.	माडका से आकली वाया थूमली सड़क का निर्माण।	,,	8,65,415	,,
22.	मुंडिया से थोलेटा वाया नांगल मोरडा कमलपुरा सड़क निर्माण।	1-4-82 से 31-1-83	3,684	,,
23.	जैसनी से नांगल वाया बालाघाट सड़क का निर्माण 8 कि.मी.।	,,	3,592	,,
24.	हिण्डौन लिपावली सड़क से मुंडिया घावन-धोलेटा सड़क को जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण 2 कि.मी.।	,,	427	,,
25.	झुन्झुनू-मंडरेला हिसार सड़क का निर्माण कार्य 26 कि.मी.।	,,	1,02,000	,,
26.	तिलसमा--सिगोली सड़क का विकास कार्य 6 कि.मी.।	,,	—	,,
27.	डग असर सड़क का निर्माण कार्य 6 कि.मी.।	,,	—	,,
28.	टपूकड़ा से नूह सड़क का निर्माण कार्य 2 कि.मी.।	,,	—	,,
29.	मेनाल से ठकुराई सड़क का निर्माण कार्य 9.5 कि.मी.।	,,	41,000	,,

1	2	3	4	5
30.	नमाना से गंवार सड़क का निर्माण कार्य 14 कि.मी. (सीडी वर्क सहित)।	1981–82	4,618	अपूर्ण
31.	गरजा से गंवार सड़क का निर्माण कार्य 6 कि. मी. (सीडी वर्क सहित)।	,,	—	,,
32.	उमर से मेनरोड़ सड़क का निर्माण 3 कि.मी. (सीडी वर्क सहित)।	,,	648	,,

पथ परिवहन निगम में रिजेक्ट स्पेयर पार्ट्स

557. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि गत दिनांक 21-5-1981 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिप्टी जनरल मैनेजर ने निगम के चीफ कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स को स्टोर में दो तीन साल से पड़े करीब 45 लाख रुपयों के रिजेक्ट किये गये स्पेयर पार्टस की जांच करने के बारे में पत्र लिखा था ?

(2) यदि हां, तो वह जांच कब पूरी की गई, उसके क्या परिणाम रहे और कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये जाकर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस प्रकरण की जांच 6 जून, 1981 को पूरी की गई। इस प्रकरण की जांच पूरी कर मुख्य भण्डार नियंत्रक ने बताया कि ऐसे पुर्जों की कीमत लगभग 5 लाख रुपये थी न कि 45 लाख एवं उनके रिफेसमेन्ट की कार्यवाही भी जारी थी। अतः किसी का दोष नहीं बनता था। इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई एवं शीघ्र निपटारे हेतु मुख्य भण्डार नियन्त्रक को निर्देश दिये गये।

राजस्थान खनिज एवं धातु लिमिटेड, उदयपुर में बकाया

558. श्री महावीर प्रसाद (टोंक)--क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खनिज एवं धातु लिमिटेड, उदयपुर ने राज्य सरकार की रॉक-फास्फेट से बिक्री का साढ़े तीन करोड़ रुपया रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) राज्य सरकार एवं कम्पनी के बीच क्या समझौता हुआ है ? कृपया समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समझौते के अनुसार राज्य सरकार का रुपया कम्पनी नहीं रोक सकती ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) समय-समय पर कुछ राशि देनी बकाया रहती है। इसका कारण यह है कि ग्राहकों को दूरी के आधार पर मात्रा के आधार पर तथा नमी के कारण जो छूट देनी पड़ती है उसके भुगतान, तथा राज्य सरकार की ओर से व्यय किये जाने हेतु कुछ रुपया चालू खाते में लगातार रहता है। इस खाते में विक्रय मूल्य को प्राप्ति तथा वर्ष भर विभिन्न मदों के भुगतान होते रहते हैं।

(2) संविदा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(3) जी, हां। इस सम्बन्ध में कम्पनी को समय-समय पर लिखा जाता रहा है। कम्पनी द्वारा प्रदत्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

INDENTING AGREEMENT

This Agreement Made this twenty-eighth day of August, 1978 BETWEEN the Governor of Rajashan (hereinafter referred to as "The Government" which expression shall uncless requgnant to the subject, or contest include his/its successors in office and permitted assigns) of the one part AND Rajasthan State Mines & Minerals Limited, (Government of Rajasthan Undertaking), a Company incorporated under the Indian Companies Act and having its registered Office at 26, Uniara Garden, Jaipur and Head Office at 222, Sahelion Ki Bari Road, Udaipur (hereinafter referred to as the "Indenting Agent" or "Agent" which expression shall unlass requgnant to the subject of context, include its successors and assigns) of the other part :

WHEREAS the Government is the sole owner of Rock Phosphate Deposits situated at Jhamarkotra Mines in the District of Udaipur (Rajasthan) ;

AND WHEREAS the Government by an agreement dated 10th May, 1975 appointed the Company, as its Indenting Agent, for selling of rock phosphate are extracted from the said Jhanmarkxtra Mines (hereinafter also referred to as 'Ore') for and on behalf of the Government for a period of three years and to perform all other duties and obligations as contained in the foresaid agreement ;

AND WHEREAS the Government is now desirous to further renew the earlier Indenting Agreement dated 10th May, 1973 ;

AND WHEREAS it is deemed necessaay and expedient that at the time of such renewal the terms and conditions of the said

agreement be suitably revised/modified altered/regrouped/rearranged and consolidated in the light of experience since then and reduced to writing under a fresh agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AND PARTIES HERETO HAVE MUTUALLY AGRED AS FOLLOW :

1. The Government hereby appoints the Agent as its sole Indenting Agent for the sale of Phosphate Ore, mined and/or extrated from the Jhamarkotra Mines in the District of Udaipur, within the country and or abroad excepting the country/ies with whom trading is barred by the Law of the land and the Agent hereby agrees and undertakes to act as an Indenting Agent, on the terms and conditions hereinafter contained.

2. This agreement shall remain inforce, for a period of five years from 10-5-1978 and shall be renewable for such further period/s and on such terms and conditions as may be mutually agreed to unless terminated earlier by mutual consent or by notice of three months on either side.

3. In consideration of the premises and subject to the terms and conditions herein contained, the Agent shall convass for, negotiate and secure orders and promote sales of Jhamarkotra Rock Phosphate ore on behalf on the Government and shall be fully responsible to make all necessary arrangements for its marketing, bookings, quality control, weighment despatches and/or deliveries to the customer/s.

4. The Government in its sole/absolute discretion shall fix the selling price of Phosphat ore and determine the terms and conditions governing its sale from time to time.

The Governmet in its sole discretion may allow rebate/dis-count in the selling price. The Agent shall be bound to indent and sale or at the effective price fixed by the Government. The price list will be communicated to the Agent from time to time.

The selling price including therebate/discount/s admissible there on shall be reviwed by the Government from time to time in consultation with the Agent.

5. The Agent shall always adhere to the terms and conditions and the ruling price of the ore be fixed and/or prescribed from time to time by the Government and shall ensure that the orders precured and/or booked by it are complete in allrespect and in conformity with the terms/conditions/directions issued/prescribed by the Government from time to time.

6. The Agent shall ensure that the sale preceeds are recovered within reasonable time in accordance with the terms and conditions of sale.

The agent shall deposit the entire amount of sale proceeds into Treasury in the Government account within 5 (five) days of the receipt of the same from the customer/s.

7. At the indenting of ore is being done for and on behalf of the Government it is agreed that the Agent shall use the Sales Tax registration numbers of the Department of Mines & Geology, Udaipur under the Rajasthan Sales Tax or the Central Sales Tax as, the case may be, for all sales effected by it, under this agreement.

8.. It is agreed and understood by and between the parties hereto that the Director, Mines & Geology, Udaipur, Government of Rajasthan on behalf of the Government shall be responsible for

filling of sales tax returns, assessment of sales tax and deposit of sales tax, in respect of sales of rock phosphate affected by the Agent.

9. The Agent hereby agrees and undertakes with the Government, that it will, at all times, during the subsistance of this agreement, observe and perform the terms and conditions set out in this agreement and those that may be laid down pursuant thereto.

10. That the Agent shall in all matters, act loyally and faithfully to the Government and shall not engage or be interested either directly or indirectly as principal and/or Agent in selling and/or marketing of are of any description or similar to those which forms the subject matter of this agreement without the written consent of the Governmet.

11. The Agent shall not in selling the are make any representation or give any warranty/ies other than those contained herein and or expressly authorised by the Government in writing.

12. The Agent shall bear all expenses that may be incurred by it in carrying out all obligations under this Agreement.

13. The Government shall refer to the Agent for attention all enquiries for the product received from any person including Government Agencies and the Agent hall attend such enquiries.

14. The Agent shall bring to the notice of the Government any information/received by it which is likely to be of use or benefit to the Government in the marketing of the product.

15. The Agent shall keep full record of all transation in proper books of accounts and shall also maintain a full and systematic

Page No 328

(328)

record of all enquiries, correspondence and technical and commercial data relating to the Agency and in particular all transactions undertaken by or through the Agent with regard to the product.

16. The Agent shall, from time to time, submit to the Government, if demanded, returns and shall furnish any other relevant information relating to the Angency, the marking, trade, conditions and enquiries, and the demand and supply pattern.

17. The Agent shall ont assign, transfer or charge, in any manner, or make over or purport to assign, transfer charge or make over this Agreement or alter any of its rights hereunder or any part thereof.

18. The Agent shall not incur any liability on behalf of the Governmet, or, in any way, pledge or purport to pledge the credit of the Government except as provided herain. The Agent shall in all correspondence commercial documents and in other documents describe itself as Indenting Agent for the Government except in conjuction with the word 'Indenting'.

19. The Government hereby agrees with the Agent that it will during the continuance of the Agreement provide the Agent with a stock of product for effecting sales and shall replensh the same from time to time PROVIDED always and without exception the Agent shall have no right of action against the Government for delays, shortages of stock, transit bottlenecks, accidents, strikes or other unavoidable occurence in replenisaing the stock.

20. The Agent may in its sole discretion send Samples, upto maximum 10 Kgms, if required, to the prospeetive customer/s within country and/or abroad free of cost for sale promotional

activities. However, if the quantity of the sample to be despatohed is more then 10 Kgms. Prior approval of the Government shall have to be taken by ihe Agant. In all such cases the prospective customer/s shall bear cost of paɔking end forwarding charbes unless otherwise expressly agreed by the Government.

21. In eonsideration for the services to the Government in pursuamer of this agreement the Government shall pay to the Agent a commission at the rate or Rs. 1.00 (Rupees one) only per tonne of the ore indented and sold on behalf of the Government subject to such increase in the rate as the Government may make from to time to time after consulting the Agent.

22. Any controversy or claim arising out or relating to this Agreement shall be settled by the parties to their mutual satisfa-ion within thirty days from the date of the claim or controversy failing which the matter shall be referred to the arbitration of the Secretary to the Government of Rajasthan in the Department of Mines or any other person who may be nomin for the purpose by the Government whose award thereon will be final aud binding on both the parties.

In WITNESS WHERE OF the Secretary to the Government of Rajasthan, Industries and Mines Department, Jaipur for and on behalf of the Governor and Shri I. G. Jhingram, Managing Directors and Shri Y. N. Dave, Diraector of Rajasthan State Mines & Minerals Ltd., duly authorised by the Board of Directors of the said Company by resalution dated 12-7-1978 for and on behalf of the said Company have signed these presents on the day and year first above wirtten.

For & on behalf of	For & on behalf of
Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.	Government of Rajrsthan

Sd/-

(I. G. Jhingram)

Managing Director.

Sd/-

(D. R. Mehta)

Secretery to Govt. of Rajasthan

Sd/-

(Y. N. Dave)

Director

Witness :

1. Sd/-

(A. Basu)

Fin. & Chief Account Officer

2. Sd/-

(P. S. Rajpurohit)

Sr. Asstt.

Witness :

1.

2.

Common Seal of the Company

affixed on 28-8-1978 in the presence of

Sd/-

(R. K. Agarwal

Secretory

S/d-

(I. G. Jhingran)

Managing Director

(341)

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में किये गये कार्य

559. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1975 से दिस्बर 1983 तक जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की कोटड़ा भाडोल' फलासिया, खेरवाड़ा, सराड़ा, गिर्वा और धरियावाद तहसीलों में विभाग ने कौन-कौन से हाथ में लिये ?

(2) उक्त कार्यों में से कितने पूर्ण हो चुके है और कितनों का काम चालू हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र की तहसील कोटड़ा, भाड़ोल (फलासिया), खेरवाड़ा, धरियावाद एवं पंचायत समिति गिर्वा मे सामुदायिक एवं अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत अभिकरण के माध्यम से जो कार्य हाथ में लिये गये हैं, उसकी सूचना संबंधित वर्ष की 1977–78 से दिसम्बर, 82 तक परिशिष्ट 1 से 5 तक संलग्न है।

(2) 1977–78 से दिसम्बर, 82 तक जिन योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जो कार्य प्रगति पर है, उसकी सूचना उपरोक्त परिशिष्ट 1 से 5 में दर्शाई गई है जो सदन की पटल पर रख दिया गया है।

सूचना परिशिष्ट–1

पंचायत समिति कोटड़ा

क्र. सं.	नाम योजना	नया/मरम्मत	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति	वि. वि.
1. एनीकट निर्माण					
	1. सावन का क्यारा	नया	82–83	कार्य प्रगति पर	
	2. थला	,,	,,	,,	
	3. कुण्डेश्वर	,,	,,	,,	
	4. बासेला तालाब	रेंजिग	,,	,,	
2. आश्रम स्कुल भवन निर्माण					
	1. मामेर		78–79	,,	
	2. कोटड़ा		,,	,,	
3. काम के बदले अनाज योजना (प्रा. वि. भवन)					
	1. थाप		,,	कार्य पूर्ण	
	2. थडा माता		,,	,,	

343

परिशिष्ट –2

पंचायत समिति झाड़ोल

क्र. सं.	नाम योजना	नया/मरम्मत	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति	वि. वि,
1. एनीकट					
	1. गोपावेडा	नया	82–83	कार्य प्रगति पर	
	2. महुआदारा	,,	,,	,,	
2. आश्रम स्कूल					
	1. झाड़ोल		78–79	,,	
3. सड़कें एवं पुलिया					
	1. नाममाला सड़क का निर्माण		,,	कार्य पूर्ण हो चुका है	
4. जलपोषक कार्य					
	1. खातरड़ी		80–81	कार्य प्रगति पर है।	

(3५५)

परिशिष्ट–3

पंचायत समिति खेरवाड़ा

क्र. सं. नाम योजना	नया/मरम्मत	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति	वि. वि.
1. एनीकट				
1. उगना कोटड़ा	मरम्मत	80–81	कार्य प्रगति पर	
2. सारोली टैंक	,,	,,	,,	
3. सेलड़ का नाका	,,	,,	,,	
4. पीपलदरा	नया	,,	,,	
2. आश्रम स्कूल				
1. छाणी		78–79	,,	
3. सड़कें एवं पुलिया				
1. ऋषभदेव कल्याणपुर रोड़ का निर्माण		,,	कार्य पूर्ण	
4. जलपोषक कार्य				
1. सुनादरी		77–78	,,	
2. भामेड़ा		,,	,,	
5. काम के बदले अनाज योजना (प्रा. वि.)				
1. रेफरेल अस्पताल ऋषभदेव		78--79	,,	
2. उ. प्रा. वि. कानपुर		,,	,,	
3. ,, ऋषभदेव		,,	,,	
4. उ. मा. वि. ऋषभदेव		,,	,,	
5. प्रा. वि. काकरवास		,,	,,	
6. प्रा. वि. थाना		,,	,,	
7. हा. सै. वि. खैरवाडिया		,,	,,	
8. प्रा. वि. मावली		,,	,,	

परिशिष्ट-4'

पंचायत समिति धरियावद

क्र. सं.	योजना का नाम	नया/मरम्मत	स्वीकृत वर्ष	कार्य की स्थिति	वि. वि.
1. एनीकट					
	1. धनेरा	मरम्मत	81-82	कार्य पूर्ण	
	2. पान्दरा तालाब	नया	82-83	कार्य प्रगति पर	
	3. हामर तालाब	मरम्मत	,,	,,	
	4. झाड़ोली	,,	,,	,,	
2. आश्रम स्कूल					
	1. लसाडिया		78-79	,,	
	2. गोठड़ा		,,	,,	
	3. धरियावाद		,,	,,	
3. ग्रामीण जल प्रदाय योजना					
	1. पारेल		79-80	,,	
4. सड़कें एवं पुलिया					
	1. मुगाना नारवली सड़क निर्माण		78-79	कार्य पूर्ण	
	2. एप्रोच रोड़ कालीभींत		,,	,,	
5. जलपोषक योजना					
	1. ललवा I		79-80	,,	
	2. ललवा II		,,	,,	
6. काम के बदले अनाज योजना					
	1. मुगाना प्रा. वि.		78-79	,,	
	2. मांडली ,, ,,		,,	,,	
	3. अगाउ		,,	,,	
	4. गोठड़ा		,,	,,	
	5. केशरियावाद		,,	,,	

(346)

परिशिष्ट-5

पंचायत समिति गिर्वा

क. सं.	योजना का नाम	नया/मरम्मत	स्वीकृत वर्ष	काम की स्थिति	वि. वि.
1. एनीकट					
	1. बोरी कुआ	मरम्मत	80-81	कार्य पूर्ण	
	2. वसुटेक	,,	,,	,,	
	3. गोज्या	,,	82-83	,,	
	4. तराला आमलीवाला	नया	,,	कार्य प्रगति पर	
	5. उमला पला	मरम्मत	,,	कार्य पूर्ण	
	6. वाड़ी तालाब	नया	,,	कार्य प्रगति पर	
	7. पान्दरा तालाब	,,	,,	,,	
2. रोड एवं पुलिया					
	1. कुजंड़ा पुलिया का निर्माण		81-82	पुल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है	
3. ग्रामीण जल प्रदाय योजना			79-80	कार्य प्रगति पर	
4. जल पोषक कार्य					
	1, अलसीगढ़		80-81	कार्य पूर्ण	
	2. पई		,,	,,	
	3. आमेला गुडली		,,	,,	
5. सेरीकल्वर			82-82	कार्य प्रगति पर	
6. प्राथमिक विद्यालय योजना (काम के बदले अनाज योजना)					

क्र. सं.	योजना का नाम	नदा/मरम्मत	स्वीकृत वर्ष	काम की स्थिति	वि. वि.
1.	उन्दरी		78–79	कार्य पूर्ण	
2.	ग्राड्		,,	,,	
3.	सबीना		,,	,,	
4.	खेड़ी		,,	,,	
5.	लोडियोखेड़ा		,,	,,	
6.	उड़ेल		,,	,,	
7.	धोलीखेड़ा		,,	,,	
8.	टीडी गोज्या		,,	,,	
9.	कुण्डाल		,,	,,	
10.	वल्लभ		,,	,,	
11.	दांतीसर		,,	,,	
12.	चांदला		,,	,,	
13	बरदोरा		,,	,,	

विद्युत उपभोक्ताओं में बकाया राशि

560. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में 31 जनवरी, 1983 तक विद्युत् का "ट्रांसमिशन" लॉस का क्या प्रतिशत रहा है ? क्या यह भारत भर में सबसे अधिक है ?

(2) 31 जनवरी, 1983 तक इस वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के कितने मामले पकड़े गये ?

(3) 21 जनवरी, 1983 तक राज्य में कितनी विद्युत् राशि की बकाया कृषि, उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं पर थी ? कृपया 10 हजार रु. से अधिक के बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें । " "

उत्तर

(1) ट्रांसमीशन में विद्युत की क्षति के 1-4-1982 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं। वर्ष 1981-82 में राज्य में "ट्रांसमीशन व वितरण" में विद्युत की क्षति का प्रतिशत 24.77 रहा है। इसी अवधि के अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से यह बताना सम्भव नहीं है कि यह प्रतिशत राज्यों से कम अथवा अधिक है।

(2) विद्युत मण्डल के सतर्कता अनुभाग के द्वारा अप्रेल 1982 से जनवरी 1983 तक की अवधि में कुल 1929 मामले पकड़े गये जिनमें से 59 मामले चोरी के पाये गये। शेष 1870 मामले दोषपूर्ण मीटरों, अधिक भार एवं विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के थे, जो "विद्युत चोरी" की श्रेणी में नहीं आते ।

(3) विभिन्न वृतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिसमें दो वृतों की दिसम्बर, 1982 तथा एक वृत को मार्च 1982 की सूचना उपलब्ध है। कृषि, उद्योग तथा घरेलू उपभोक्ताओं पर क्रमशः 612.99 लाख रुपये, 2836,33 लाख रुपये तथा 199.89 लाख रुपये बकाया थे जिसका वृत तार विवरण सूची "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। ऐसे उपभोक्ता जिनमें 10 हजार रुपये से अधिक की राशि बकाया है की सूची "ब" भी सदन के पटल पर रख दी गई है। इन सूची में एक वृत (जोधपुर परि. एवं संधा. वृत) की सूचना वहां से आंकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण, सम्मिलित नहीं की जा सकी है।

सूची "क"

विवरण

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

31 जनवरी, 83 तक राज्य के कृषि, औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं में बकाया राशि (लाखों में)

क्र. सं.	वृत का नाम	कृषि	औद्योगिक	घरेलू विवरण
1.	जयपुर नगर वृत	1.10	154.50	21.26
2.	अलवर वृत	79.68	172.93	15.21
3.	बीकानेर वृत	49.38	114.16	42.93
4.	सीकर वृत	60.68	18.41	11.36
				दिसम्बर 82 की स्थिति
5.	झुंझुनू वृत	131.60	70.55	12.73
6.	जोधपुर (परि एवं संधा) वृत	26.23	54.83	26.49
				मार्च 82 की स्थिति
7.	जोधपुर (निर्माण) वृत	69.75	5.26	2.84
8.	अजमेर वृत	58.79	69.00	15.98
				दिसम्बर 82 की स्थिति
9.	जयपुर जिला वृत	88,64	52.23	10.62
10.	कोटा वृत	24.22	1829.30	23.82
11,	उदयपुर वृत	12.33	217.84	10.49
12.	भीलवाड़ा	10.59	77.22	5.16
	योग	612.99	2836.33	199.89

(350)

सूची "ब"

जनवरी, 83 तक रु. 10,000/– से अधिक राशि के बकाया

वाले उपभोक्ताओं की सूची

जयपुर नगर वृत

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
1.	मैसर्स एन. ई. आई.	34,42143.97
2.	मैसर्स एम. आई.सी.	17,45759.04
3.	मैसर्स एम. आई.सी.	57,75833.91
4.	मैसर्स कन्वन्टरी मेटल्स	4,73276.67
5.	मै. पोदार स्पिनिग	4,94358.35
6.	मै. जयपुर मेटल्स	1,68114.42
7,	मै. जयपुर स्पिनिग एण्ड विविग	15,24392.13
8.	जयपुर स्पिनिग एण्ड विविग	99224.16
9.	मै. जयपुर स्पिनिग एण्ड विविग	54060.08
10.	मै. जयपुर रोलर	58220.46
12.	मै. के. ई. सी.	26,68972.63
12,	मै. प्रीमियर वेजीटेवल प्रोडक्ट्स	3,15015.95
13.	मै. अशोका फाउन्ड्री	7,55032.85
14.	मै. रामनगर केन एण्ड सूगर मिल	2,54919.47
15.	मै. हेमराज उद्योग	1,52796.17
16.	मै. श्रीकृष्ण रि–रोलिग मिल	79768.87
17.	मै, लक्ष्मी इण्ड. कारपोरेशन	1,49666.87
18.	मै. आसाम एण्ड फ्लोर मिल	3,47637.68
19.	मै. हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लासेज	10,7612.66

Page No 341

(35)

क. सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
20.	मै. प्रीमियर मेटल्स	29248.03
21.	मै. खेतान ग्राईस फैक्ट्री	1,40043.81
22.	मै. नवभारत ग्राईस फैक्ट्री	10729.91
23.	मै. पोलीफिक्स प्रा. लि.	14075.75
24.	वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट	50878.23
25.	मै. न्यू एज फैक्ट्री (भीमसिंहजी)	22889.34
26.	मै. लक्ष्मी (प्रा.) लिमिटेड	10040.00
27.	मै. विशाल ग्राईस फैक्ट्री	14815.60
28.	मै. केस्टली प्रा. लिमिटेड	17897.40
29.	मै. एस. के. प्लास्टिक इण्ड.	26912.91
30.	मै. पारस ग्राईस फैक्ट्री	32217.12
31.	मै. ग्रार. एस. मेटल्स	8,56585.87
32.	एक्स. ई. एन. वाटर वर्क्स	20,90949.52
33.	मै. पवन कुमार बजाज	11030.68
34.	मैमर्स प्रभूदयाल गुप्ता	19833.16
	योग :	2,20,15,749.47

Page No 342

(3594

10000 रु. से अधिक बकाया राशि के उपभोक्ता की सूची फरवरी 83 तक

अलवर वृत :—

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	मण्डल की बकाया राशी	विशेष विवरण
1.	मैसर्स लक्ष्मी स्टील रोलिंग मिल	69360.20	
2.	मैसर्स नेशनल एयर प्रोडक्ट	8209508.01	
3,	मैसर्स कृष्णा एण्ड कम्पनी	119577.54	
4.	मैसर्स सुनील सेन्कीम लिमिटेड	24000.00	
5.	मैसर्स जैनसन्स स्टील	41830.14	
6.	पालीवाल मिनी स्टील इण्डिया	900000.00	
7.	राठी एलाय एण्ड स्टील (ओल्ड)	149298.30	
8:	मैसर्स अमोलक इन्जिनियरिंग वर्क्स	108941.19	
9.	मैसर्स स्वदेशी मार्ट	137382.38	
10.	मैसर्स मार्डन सन्टैक्स इण्डिया लि.	8688.04	
11.	मैसर्स अलवर रोलिंग मिल्स	68234.98	
12.	मैसर्स भारत एल्युनियम एण्ड कैमिकल्स	8654·17	
13.	मैसर्स कनोड़िया स्ट्रा बोर्ड	40000.00	
14.	मैसर्स सर्राफ पेपर मिल्स	570655.73	
15.	मैसर्स मार्डन सिन्टेक्स	23990.99	
16·	मैसर्स भारत इस्पात उद्योग	168340.62	
17.	मैसर्स राठी एलाय एण्ड स्टील (न्यू)	634210.89	
18.	मैसर्स जयभारत आयल मिल्स	163447.00	
19.	मैसर्स श्रीमती शान्ती देवी प्रो. दिनेश एण्ड कम्पनी	16580.33	
20.	मैसर्स बजरंग लाल श्रीनिवास आयल मिल	41942.34	

1	2	3
21.	मैसर्स भगवानदास चांदीराम	17454.84
22.	नरेन्द्र मैटल, ज्वाली भवन	12106.89
23.	मैसर्स शंकर ग्राइस फैक्ट्री	20856.56
24.	मैसर्स विजय ग्राइस फैक्ट्री	20263.64
25.	मैसर्स रामनारायण एण्ड ब्रदर्स	27488.00
		27710.26
26.	मैसर्स कट्टा केमिकल्स	13908.30
27.	मैसर्स विनय ग्लास	16468.91
28.	मैसर्स रिमको	13112.35
29.	मैसर्स भारत लैदर इन्डस्ट्रीक	10593.04
30.	मैसर्स मुरलीधर हरप्रसाद	42535.68
31.	हैंसर्स प्रताप ग्रायल मिल्स	10616.00
23.	मैसर्स जय हनुमान ग्रायल मिल्स	
33.	सहा. ग्रभियन्ता वार्टर वर्क्स, ग्रलवर	26479.60
34.	सरदार हरवन्स सिंह	13919.20
35.	मैसर्स रामकिशन	11291.23
36.	मैसर्स ग्रर्जुन सिंह	10091.69
37.	मैसर्स प्रेसिडेन्ट म्यूनिसपल बोर्ड	10677.00
38.	ग्रलवर।	65086.31
39.	मैसर्स न्यू तेज टाकीज	27408.28
40.	मैसर्स ग्रलवर पेन्टर्स एण्ड कलर एण्ड वार्निश वर्क्स	11182:28
41.	सिमको वैगन फैक्ट्री	I– 202526.11
		II– 340298.80

Page No 344

(354)

1	2	3
42.	मैसर्स हरी इन्डस्ट्री	II– 340298.70
		19224.70
		II– 5442.45
		III– 5961.13
43.	मैसर्स बी. ग्रार. ग्रायल मिल	109138.94
44.	,, जयगणेश इण्डस्ट्री	18746.69
45.	,, भरतपुर स्टील रोलिंग	85620.19
46.	,, सुप्रीम स्ट्रा प्रोडक्ट	51180.70
47.	,, गणपत रोलिंग एण्ड फ्लोर	20405.40
48.	,, सादरा स्टील	1153780.84
49.	,, गुरुनानक स्टील रोलिंग	171883.32
50.	,, शील कुमारी सुन्दर इण्डस्ट्रीज धौलपुर	16148.62
51.	,, हरीशचन्द राजनारायण	12596.80
52.	,, ग्रार. एस. इण्डस्ट्रीज एण्ड ग्रायल	17368.40
53.	,, कपूर चन्द नाथूलाल	11970.30
54.	,, पूरण इण्डस्ट्रीज एण्ड ग्रायल मिल	21913.64
55.	,, प्राग इण्डस्ट्रीज (प्राग ग्रायल)	45957.86
56.	,, मदनलाल महाजन ग्रायल	16830.45
57.	,, प्राग इन्डस्ट्रीज	35328.36
58.	,, रेलवे स्टेशन वयाना	39137.63
59.	,, चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड वयाना	30201.63
60.	,, पी. के. इण्डस्ट्रीज	15849.24

1	2	3
61.	मैसर्स शाह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	16828.30
62.	,, प्रकाश ग्रायल इण्डस्ट्रीज	11659.82
63.	,, ग्रधिशाषी म्युनिसपल बोर्ड डीम	254518.65
64.	,, रमेश चन्द्र अग्रवाल	20062.81
65.	,, खण्डेलवाल ग्राइस फैक्ट्री	93461.14
66.	,, चौधरी दाल उद्योग	23298.18
67.	,, रामभरोसी लाल	22955.30
68.	,, स्ट्रीट लाइटिंग	534365.84
69.	,, डालमिया इन्डस्ट्रीज	11056·04
70.	,, श्रीमती लीला शर्मा	23076·34
71.	,, श्री हजारीलाल	23375,36
72.	,, स्ट्रीट लाइटिंग वारी	92877·79
73.	,, सरपंच ग्राम पंचायत, लक्ष्मणगढ़	11229.31
74.	,, सहायक ग्रभियन्ता वाटर वर्क्स भोजपुर	13187.00
75.	,, सहायक ग्रभियन्ता चीमरावली	39921.49
76.	,, सहा. ग्रभियन्ता खेरली	21455.51
77.	,, सक्सेवान पेपर मिल्स	99000.00
78.	,, हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, खो	580402,07
79.	,, ,, ,, ,, ,,	22423.36
80.	,, हनुमान मिनरल वर्क्स, राजगढ़	4743.52
80.	,, म्युनिसपल बोर्ड, राजगढ़	209330.24
82.	,, यशपाल हीरालाल करोट	11602.87
83.	,, सहायक ग्रभियन्ता वाटर वर्क्स करोट	23634.49

Page No 346

(356)

1	2	3
84.	हुसमल दाल मिल	13087.60
85.	मैसर्स श्रीमति राममूर्ति लछीराम	18078.03
86.	मैसर्स श्री सरवणसिंह	14046.98
87.	मैसर्स देशबन्धु उद्योग	10438.41
88.	मैसर्स सरवन पल्प बोर्ड	203144.34
89.	मैसर्स हीसेट प्लास्टिक	210929.77
90.	मैसर्स चेतन पालीक्लोथ	29394.75
91.	मैसर्स अजय पेपर मिल्स	—
82.	मैसर्स बुक्की स्टील	123716.52
93.	मैसर्स आर्या प्रिंट प्लाइवुड	18979.09
84.	मैसर्स बंशीलाल पेपरमिल्स	132429.36
95.	मैसर्स जय सर्जिकल	24787.73
96.	मैसर्स उत्तम प्रोडक्ट	12585.14
97.	मैसर्स महावीर एल्यूमिनियम	183107.77
98.	मैसर्स सेठी मोटर्स	12597.00
58.	मैसर्स संजू कृषि यन्त्रालय	14025.81
100.	मैसर्स एडवान्स लुब्रीकेन्टस	28624.23
101.	मैसर्स इण्डियन केबिल इण्डस्ट्रीज	18097.10
102.	मैसर्स पी. बी. इण्डस्ट्रीज	54242.00
103.	मैसर्स खेमचन्द जैन	19942.80
104.	मैसर्स महावीर फ्लोर मिल	38365.51
105.	मैसर्स कालीचरन भग्गीराम	17851.49
106.	मैसर्स मेवाराम श्रीचन्द	12255.89

(357)

1	2	3
107.	मैसर्स प्यारेलाल हीरालाल	10178.68
108.	मैसर्स भीटू सुखराम	10444.07
109.	मैसर्स देवीराम खुमद	12520.51
110.	मैसर्स मदनकचन्द	12770.34
111.	मैसर्स प्रेमसिंह पत्तीराम	11819.36
112.	मैसर्स बदनसिंह भोजराम	11838.36
113.	मैसर्स शोभाराम हरिजन	10642.16
114.	मैसर्स सहायक अभियन्ता आर.जी. ई. डी	14283.17
115.	राजाखेड़ा सहा, अभि. आर.जी. ई, डी. शेखपुरा	11514.50
116.	सहायक अभियन्ता आरजीईडी सिलावट	10323.61
117.	म्युनिसपल बोर्ड, राजाखेड़ा	15001.98
118.	मैसर्स श्यामलाल बालमुकन्द	13918.48
118.	मैसर्स बद्री अमरचन्द	14487.97
120.	म्युनिसपल बोर्ड, भुसावाड	53880.44
121.	उपरोक्त बैर	62968.66
		1749329.53

(358)

माह जनवरी, 83 तक रुपया 10,000/- से अधिक राशि के बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची

(बीकानेर वृत)

क्र. संख्या	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
1.	कन्ट्रोल आफ एच. एच.	31008.01
2.	अब्दुल लतीफ रिडमलसर	12364.29
3.	सहायक अभियन्ता वल्वा वैल	23315.76
4.	बद्रीनाथ कुआ	62196.84
5.	सहायक अभियन्ता, डूंगर कालेज कुआ	25208.72
6.	सहायक अभियन्ता, रामनाथ कुआ	46453.79
7.	जी. पी. वूलन मिल	12916.82
8.	अग्रवाल वूलन मिल	17283.43
9.	एस. एन. मिनरल इण्डस्ट्रीज	12059.00
10.	जी. एम. ओरियन्टल मिल्स	15772.42
11.	कपूर पोटरीज	10176.17
12.	एम. जी. कारपोरेशन	24004.00
13.	सहायक अभियन्ता, जेलवैल	64629.72
14.	ऐ. इन्डियन वूलन मिल	16797.75
15.	ए. बोथरा वूलन मिल	11590.03
16.	ए. सत्य राज एण्ड कं.	12137.62
17.	चित्रा आइस फैक्ट्री	10112.97
18.	,, ,, ,,	12047.91
19.	सहायक अभियन्ता, विजय भवन	28533.02
20.	सहायक अभियन्ता, वज्जू	24833.46

Page No 349

(359)

1	2	3
21.	अधिशाषी अभियन्ता; आर. सी. पी. चारणावाला	15707.80
22.	चाण्डक गम इण्डस्ट्रीज	53170.41
23.	डिवीजनल इंजी. रेल्वे	972563.33
24.	सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग, नोखा	24832.72
25.	किशन गम इण्डस्ट्रीज	10712.75
26.	सहायक अभियन्ता (पीएचईडी) गंगा गार्डन ट्यूब वैल	10260.25
27.	श्री परजेन्द्र सिंह	13545.77
28.	श्री ब्रजमोहन	17307.40
29.	श्री गजसिंह पुर काटन फैक्ट्री	128347.57
30.	श्री दर्शन ट्रेडिंग कारपोरेशन	40692.70
31.	श्रीमती पुष्पारानी	16282.15
32	मै. दुर्गा काटन फैक्ट्री	12138,65
33.	,, गौरी शंकर	143981.33
34.	मोहता कामर्शियल फैक्ट्री	185282.85
35	हजारीलाल	17931.87
36.	पतराम	11042.89
37.	सुखराम	14175.03
38.	जीवनराम	10594.48
39.	देवीलाल	12257.30
40.	काशीराम	13000.00
41.	इलेक्ट्रीकल चार्ज मैन नार्थन रेल्वे	38411.41
42.	म्युनिसपल कारपोरेशन	13527.00
43.	पंचायत समिति	17272.20
44.	वाटर वर्क्स	263556.54
45.	श्री गंगानगर फर्टीलाईजर	34274.92
46.	श्री गंगानगर इण्डस्ट्रीज प्रथम	221785.27

Page No 350

1	2	3
47.	श्री गंगानगर इण्डस्ट्रीज द्वितीय	34981.89
48.	गणेश आयल मील	185069.09
49.	गुप्ता रूलर एवं फ्लोर मील	564492.21
50.	श्री हनुमान दास	51437.37
51.	श्री हीराचन्द	2036295.82
52.	श्री जौरि मल वेड़ीवाल	77224.13
53.	मै. महालक्ष्मी	47373.69
54.	मै. राजस्थान काटन प्रेस	189124.49
55.	सहकारी जिनिंग मिल्स	168530.70
56.	मै. कृष्ण काटन फैक्ट्री	180418.30
57.	पंजाव आयल एवं जिनिंग मील	221532.21
58.	राजस्थान इन्डस्ट्रीज	13064.01
59.	दाल मील इण्डस्ट्रीज	10030.12
60.	म्युनिसिपल बोर्ड,गंगानगर	11880.89
61.	गंगानगर आयल मील	11343.35
62.	नरेश इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	42373.00
63.	जगदीश प्रसाद	37687.62
64.	अग्रवाल शुगर मिल्स	15700.00
65.	के. के. आईस फैक्ट्र	17367.52
66.	रामकिशन	10921.70
67.	श्री घूघू राम	20782.60
68.	मै. राज काटन मिल्स,रायसिंग नगर	211470·07
69.	रायसिंग नगर कापरेटिव सोसाईटी	176925.75

Page No 351

(364)

1	3	4
70.	मै. अनूपगढ़ काटन मिल्स	162469.59
71.	महावीर फ्लोर मील, श्री विजयनगर	24821.60
72.	गणेश फ्लोर मील	11975.23
73.	जंगसिंह	19071.49
74.	कानीराम रिडमलसर	22317.70
75.	बनवारी लाल	15960.37
76.	जोगेन्द्रसिंह 14 एम. एल.	11698.30
77.	बुरदारामजी वनदेसर	25265.60
78.	इन्द्र सिंह	12000.15
79.	राय सिंह	12310.00
80.	ओमप्रकाश	13414.16
81.	इन्द्रपाल सिंह	10249.10
82.	भन्जू सिंह	13631.25
83.	म्यूनिसपल बोर्ड, अनूपगढ़	14824.07
84.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स, रायसिंगानी	90443.50
85.	,, ,, ,, ,, विजयनगर	67857.05
86.	निदेशक सैन्ट्रल स्टेटफार्म, जैतसर	50783.42
87.	मैनेजर वेरार फार्म रायसिंहपुर	13629.50
88.	मै. आर्य टाकिज, सूरतगढ़	22240.10
89.	ज. मे. सी. एफ. एफ., सूरतगढ़	397270.09
90.	अधिशासी अभियन्ता (आर. सी. पी.) सूरतगढ़	239218.44
91.	मै. सूरतगढ़ जीनिंग एण्ड काटन फैक्ट्री	124174.99
92.	म्यूनिसपल बॉड, सूरतगढ़	916230.49

Page No 352

(362)

1	2	3
93.	सुरेन्द्र कुमार/मनफूल सिंह	10916.51
94.	कमान्डेंट 12 वी. एस. एफ., सूरतगढ़	18240.42
95.	,, ,, ,, ,,	11941.20
96.	जवान वैरंग क्वार्टर गार्ड	33271.28
97.	हेमराज	11898.57
98.	जसवन्त सिंह	13806.65
99.	बस्तीराम	14858.17
100.	रामसिंह	15732.24
101.	जयमल सिंह	25657.34
102.	चिमनाराम	12300.06
103.	अग्रवाल आयल मील	122504.11
104	चौधरी काटन फैक्ट्री	361964.66
105.	राजस्थान रासमिल	144377.42
106.	उतमा देवी	233013.00
107.	सोमानी काटन मिल	80053.14
108.	राजस्थान राइस मिल	42977.75
109.	वर्धमान इण्डस्ट्रीज	86422.50
110.	सत्यनारायण हिसारिया	49188.98
111.	राजस्थान आईल इण्ड.	66454.24
112.	बिहाणी सिंथेटिक	59961.29
113.	जमीदार काटन मिल	17973.85
114.	चन्द्र सिंह	22030.57
115.	सन्तोष कुमार	20285.43

Page No 353

(363)

1	2	3
116.	अर्जुन सिंह	12594.32
117.	भूराराम	10785.28
118.	पूर्णमल	13534.15
119.	रामस्वरूप	12550.65
120.	सुरेन्द्र कुमार	15113.42
121.	निहाल चन्द	11705.97
122.	रामलाल	11338.63
123.	दौलतराम	11966.37
124.	फूसाराम	10419.80
125.	बलवीरसिंह	13644.80
126.	कमलादेवी	20506.90
127.	जयकुमार	22346.35
128.	हरिसिंह	11018.34
129.	सुरजीत सिंह	12444.79
130.	गुरजन्तसिंह	17236.06
131.	जगीरसिंह	16,884.15
132.	गुरुमेल सिंह	21,379.26
133.	मनफूलसिंह	24,307.98
134.	रामस्वरूप	11,363.00
135.	राजेन्द्र सिंह	20,178.38
136.	बुटासिंह	14,205.42
137.	दरबारासिंह	23,499.97
138.	जोरासिंह	15,847.60

(364)

1	2	3
139.	अनोपसिंह	30,601,60
140.	जोरासिंह	23,424,50
141.	वचनसिंह	10,390.66
142.	सूरजीत कौर	26,689.28
143.	गुरुदयाल सिंह	14,204.17
144.	त्रिलोक सिंह	12,989.52
145.	रामप्रताप	10,374.28
146.	दलीपसिंह	13,203,04
147.	वीरासिंह	15,992,32
148.	रणवीरसिंह	10,507.73
149.	लोड़ाराम	13,953.09
150.	जगदीशसिंह	16,189.50
151.	अमरनाथ सतपाल	10,113.56
152.	पीलीबंगा कोलोनी	36,994,64
153.	म्युनिसपल बोर्ड, हनुमानगढ़	21,640.00
154.	राजस्थान इन्टरप्राइजेज	13,193.11
155.	मैननराम दौलतराम	34,992,07
156.	कटेवा जिनींग फैक्ट्री	23,389.21
157.	नोर्दन रेल्वे	2,23,441.77
158.	बचान ब्रादर्स	2,20,780.02
159.	बिड़ला काटन मिल,सांगरिया	2,88,650.05
160.	संतोष इन्डस्ट्रीज	1,08,424.57
161.	चौधरी कोटन, रावतसर	24,068.33

1	2	3
162.	कुम्भाराम सेठिया	32,901.33
163.	शिवशक्ति ग्रायल मिल	16,184.77
164.	नारायणदास	11,303.95
165.	मु. बोर्ड, हनुमानगढ़	1,36,763.31
166.	प्रेम सिह	10,895.90
167.	गुप्ता एग्रो इन्डस्ट्रीज	22,487.56
158.	विशन सिंह	26,609.30
169.	केशरी सिंह	16,613.45
170.	नीहाल कौर	21,838.21
171.	ठाकर राम	19,862.08
172.	सी. एण्ड एम. एच. ग्रो.	19,891.36
173.	रेल्वे	51,747.67
174.	म्युनिसपल वोर्ड, रतनगढ़	57,576.55
175.	सहायक ग्रभियन्ता पी. एच. ई. डी.	13,616.16
176.	मु. वोर्ड, छाप्पर	75,002.82
177.	मु. बोर्ड, वीधासर	54,277.50
178.	,, ,, ,,	14,036.27
179.	,, ,, ,,	29,977.15
180.	,, ,, ,,	35,294.48
181.	,, ,, सुजानगढ़	34,937.04
182.	,, ,, ,,	13569.15
183.	,, ,, ,,	13,300.65
184.	,, ,, सरदारशहर	10,636.94

1	2	3
185.	म्युनिसपल बोर्ड, सरदारशहर	11,389.22
186.	कन्हैयालाल, सरदारशहर	10,209.20
187.	मु. बोर्ड, ,,	61,294.64
188.	इन्चार्ज हॉस्पीटल, सरदारशहर	10,891.51
189.	नवभारत दालमिल, सरदारशहर	25,570.98
190.	सहायक अभियन्ता पी. एच. ई. डी.	14,132.80
191.	न्यू कृष्णा गम इन्डस्ट्रीज, सरदारशहर	28,875.72
192.	नेशनल दाल मिल्स, सरदारशहर	22,068.92
193.	नवलाराम दुलीचन्द, सरदारशहर	34,610.12
194.	नारायण उद्योग सरदारशहर	23,223.07
195.	नवदीप गम इण्डस्ट्रीज, सरदारशहर	58,341.64
196.	न्यू लक्ष्मी गम इण्डस्ट्रीज	20,857.77
197.	म्युनिसीपल कौन्सिल, चुरू	4,69,808.42
198.	मु. बोर्ड रतनगढ़	19,381.45
199.	राजस्थान प्लास्टिक वर्क्स रतनगढ़	16,427 84
200.	हरिसिंह/भैरूंसिंह	10,953.83
201.	ऐग्रीकल्चरल आफिसर, चुरू	13,453.40
202.	रामस्वरूप नाहर आइस फैक्ट्री	31,739.13
203.	प्रभूदयाल	16,784.34
204.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स, नोहर	10,853.50
205.	नोर्दन रेल्वे नोहेर	14,428.16
206.	कुन्जी लाल	16,364.19
207.	भगवानदास	58,191.90

Page No 357

(357)

1	2	3
208.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स, भादरा	70,574.85
209.	मु. बोर्ड, भादरा	12,585.24
210.	योगेश्वर कोटन जिनिंग मिल	13,135.43
211.	रूपा राम	10,114.19
212.	प्रभुदयाल	35,325.82
213.	रूपाराम	13,004.28
214.	कंवरदयाल सिंह	10,500.29
215.	नोर्दन रेल्वे, भादरा	10,362.78
216.	मु. बोर्ड	29,494.81
217.	बेगाराम	10,272.30
218.	अमरसिंह	13,470,66
219.	हेमराज	10,418.70
220.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स	15,755.69
221.	धनाराम	10,613.88
222.	फूलाराम	10,316.50
223.	हरीकिशन	12,074.45
224.	मु. बोर्ड सादुलपुर	1,03,978.15
225.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स चांद कोठी	22,316.96
226.	,, ,,	15,675.40
227.	,, ,,	11,314.30
228.	,, ,,	11,453.81
229.	,, ,,	43,118.26

Page No 358

368

1	2	3
230.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स, सादुलपुर	15,270.14
231.	,, ,, ,, ,, तारानगर	17,132.47
232.	मु. बोर्ड, तारानगर	18,848.35
233.	मु. बोर्ड, सादुलपुर	1,03,978.15
234.	नोर्दन रेल्वे, सादुलपुर	46,949.15
235.	पवन फ्लोर मिल	14,378.33
336.	लक्ष्मी दाल मिल	19,446.25
237.	नटराज गम एण्ड पावर सादुलपुर	83,164.64
238.	प्रहलादराम	12,708.30
239.	मंगलसिंह	10,420.27
240.	सहायक अभियन्ता पी. एच. ई. डी., मनीयाना	10,185.56
241.	सहायक अभियन्ता पी. एच. ई. डी., भादरा	20,038.48
242.	रामनारायण राठी ट्रस्ट नाथवाना	10,774.60
243.	सहायक अभियन्ता पी. एच. ई. डी, सिंघगुरु	28,241.92
		1,32,59,362.98

369

माह जनवरी, 83 तक 10,000/– रुपये से अधिक के बकाया उपभोक्ताओं

की सूची

सीकर वृत

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	बकाया रकम
1.	सहायक अभियन्ता (जीएए) सीकर	16311.56
2.	,, ,, (पीएचडी) खूद	11187.30
3.	नगर पालिका फतहपुर	35544.41
4.	गजानन्द राजेन्द्रप्रसाद रींगस	14824.50
5.	भागीरथसिंह कोटड़ी	12861.98
6.	नगर पालिका श्री माधोपुर	90793.55
7.	,, ,,	39753.38
8.	ओंकार फट्टा अधीर नाथूसर	10761.56
9.	सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़	22845.07
10.	नगर पाल का रामगढ़ शेखावाटी	74836.76
11.	नानूराम भट्ट लक्ष्मणगढ	12509.50
12.	नगर पालिका लक्ष्मणगढ़	99377.57
13.	सुखसिंह ,,	12025.61
14.	जीताराम भूराराम लक्ष्मणगढ़	15715.29
15.	मोतीराम/लालाराम ,,	19090.79
16.	गणपत रामा नाथा रामा लक्ष्मणगढ़	10098.08
17.	रिछपाल	11201.66
18.	देवीसिंह/सावंत	12413.70
19.	रामलाल/खूम्वा राम	10487.79

(368)

1	2	3
20.	परसाराम/हडमल	13089.87
21.	मांगीलाल/किशनसिंह	10162.38
22.	गुलाबसिंह/शिवसिंह	12656.39
23.	ब्रम्हदत्त/नागरमल	11380.70
24.	चिमनाराम/धन्नाराम	11109.30
25.	श्री जयपुर केविल्स सीकर	47185.37
26.	ईन्डियन ए.एस.ए, केमिकल्स, सीकर	19157.82
27.	शिव उद्योग ,,	25215 08
28.	गहलोत इण्डस्ट्रीज सीकर	12423.33
29.	चौहान कैमिकल्स ,,	13697.06
30.	शेखावाटी गवार गम सीकर	14826.93
31.	बजाज गम इण्ड. सीकर	10449.09
32.	शिव ग्राईस फैक्ट्री	11697.05
33.	अध्यक्ष नगर पालिका सीकर	338936.34
34.	रामअवतार जोगानी	10519.88
35.	गिरवरसिंह दूजोद	11551.10
36.	भूंयाराम	13288.63
37.	माजाराम कंवरपुरा	11899.00
38.	सूरजाराम/लक्ष्मण टसार	17478.03
39.	भूकन्दाराम	12144.10
40.	लक्ष्मीनारायण किरदोली	10494.39
41.	हनुमान प्रसाद/नारायण नेचवा	11042.89
42.	किशोरसिंह	10584.90

1	2	3
43.	गणेशराम/मोतीराम झिलमिल	10310.27
44.	लक्ष्मीनारायण/सूंडाराज रिंगस	11007.09
45.	मोतीराम/इंदराम	16100.11
46.	धन्नाराम/आलाराम	10032.63
47.	देवा, हनुमान, गोरू आकावास	11132.24
48.	मूलराम/सूरतदान आचरियावास	14215.55
49.	हेमसिंह/गंगासिंह अभि. रामगढ	17,187.09
50.	लक्ष्मण/हनुमान	12246.58
51.	भोंदूराम शिवप्रसाद सूल्यावास	11225,94
52.	रामनिवास/भैरू	11294.27
53	ग्राम पंचायत दांता रामगढ	12953.00
54.	मै. कृष्णा इन्सुलेटर नीम का थाना	15661.65
55.	चेयरमैन नगर पालिका नीम का थाना	131556.89
56.	,, ,, ,,	106466.12
57.	,, ,, खंडेला	18155.85
58.	,, ,,	10734.97
59.	जीवनराम/डूढाराम गोकलपुरा	17224.11
60.	चुन्नीलाल/बालूराम	13489.86
61.	शक्तसिंह रामसिंह	14121.98
62.	गणेशीराम/हरीराम	14611.85
63.	केशरीसिंह रघुनाथसिंह	11995.93
64.	ईश्वरराम/गिरधाराम	12956.42
65.	रेखाराम/मंगलाराम	12973.60

370

1	2	3
65.	खेताराम/मंगलाराम	11906.76
67.	रूडाराम/खेमाराम	14370.96
68.	रूगनाथ/बालावक्ष	12863.20
69.	भीवसिंह/सुरजनसिंह	12431.35
70.	वृजविहारी कुंज विहारी	20962.35
71.	घीसालाल/कल्याणवक्ष	12061.12
72.	भूरामल/मदनलाल	14613.97
73.	भगवानराम दुर्गाराम	15153.35
74.	रफीक दूल्लेखां	16477.43
75.	लादूराम सरपंच	13586.20
76.	वलवीरसिंह मलराम	16548.39
77.	वक्साराम कालुराम जाट	10541.27
78.	बालुराम हनुमान राम	10125.89
79.	खेमाराम पानाराम	12696.97
80.	गोविन्दराम चेला अमरदास	17137.27
81.	पोखरमल रामसिंह	13027.33
82.	सेवाराम चेलाराम	10929.14
83.	कानाराम गंगाराम	10373.12
	कुल	19,56,021.08

(371)

फरवरी, 83 तक 10,000/- से अधिक बकाया राशि के
उपभोक्ताओं की सूची
झुंझुनूं वृत्त

क. सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया रकम
1.	ए.ई.एन.पी.एच.ई.डी.	12,297.43
2.	,, ,,	11,765.64
3.	प्रेसीडेण्ट, विद्यार्थी भवन	19,022.20
4.	बोदूराम हरीराम, झुंझुनूं	10,047.45
5.	राम निरंजन	10,362.05
6.	सरपंच, ग्राम पंचायत, मालीसर	10,971.71
7.	रामेश्वर/श्यामदान लालपुर	13,033.76
8.	मालाराम भोलाराम इसलामपुर	11,560.25
9.	राधेश्याम शर्मा, माखर	12,397.00
10.	सूबेदार बदरसिंह अलीपुर	11,366.05
11.	पानाराम जाट भेरूंद्रा कलां	11,426.91
12.	विजय दाल मिल बिसाऊ	32,056.96
13.	रामेश्वरलाल बिसाऊ	33,858.45
14.	लक्ष्मीनारायण बगड़	23,673.21
15.	जेसाराम बगड	11,804.92
16.	सेकेट्री गौशाला बिसाऊ	23,970.15
17.	श्री सवाईसिंह जोधपुरा	11,989.34
18.	ग्राम पंचायत पोंख	11,120.62
29.	भगवानदास चोला लादुराम चांवडा	10.956.18
20.	चेयरमैन म्युनिसपल बोर्ड उदयपुरवाटी	25,720.44

Page No 364

1	2	3
21.	समन्दर सिंह झाझर	16.087.82
22.	रामजन परमानन्द झाझर	11,106.71
23.	पाबूदान सिंह ,,	16,387.82
24.	रिछपालसिंह ,,	16,551.20
25.	सुरजा गोपाल जाट ,,	12,711.34
26.	जितेन्द्र सिंह नवलरीं	10,462.90
27.	रामेश्वर मेघराज विरोल	13,726.40
28.	चन्द्रराम जाट केरू	18,690.69
29.	भूराराम नवलगढ़	11,269.47
30.	सुरजनसिंह नवलगढ़	19,995.17
31.	स्ट्रीट लाइट नवलगढ़	5,17,328.46
32.	रामकुमार वरवासी	13,841.68
33.	रामचन्द्र रूपपुरा	10,512.55
34.	प्रभुराम पुहानिया	10,862.50
35.	बनवारीलाल पुहानिया	10,873.20
36.	गोपालराम धाघोत	13,288.36
37.	गणेशराम शाहपुरा	10.476.90
38.	चन्दगीराम बिशनपुरा	12,815.99
39.	जयराम शर्मा चितोसा	16,549.55
40.	महावीरप्रसाद चितोसा	12,824.44
41.	मातादीन यादव चितोसा	11,455.36
42.	हनुमाना हीरवा	18,481.82
43.	चन्दगीराम गोडाखेरा	19,920.74

(373)

1	2	3
44.	छैलाराम कालगांव	10,108.25
45.	ए.ई.एन. पी एच ई डी, सिंघाना	16,425.79
46.	हेमाराम	10,305.44
47.	वनेसिंह	12,694.57
48.	चन्द्रभान	18,490.17
49.	पीरूमल	10,715.16
50.	रामदेव पारीक	13,253.74
51.	मंगेजसिंह	10,489.01
52.	तोरुराम	11,012.34
53.	चुन्नीलाल	11,613.71
54.	बजरंगसिंह	10,722.19
55.	वेरीसाल सिंह	13,553.39
56.	पृथ्वीसिंह	11,717.51
57.	भंवरसिंह	11,117.20
58.	भंवर लक्ष्मण कंवर	14,155.06
59.	प्रहलाद राम चौधरी	10,194.53
60.	मोतीराम	10,666.16
61.	बाबूलाल	10,178.58
62.	टीकूराम	13,329.70
63.	मोलाराम हरिजन	11,336.59
64.	नौरंगसिंह	12,068.28

(374)

1	2	3
65.	भैरूंसिंह	10,437.29
66.	हरदेवाराम जाट	10,536.50
67.	महावीर प्रसाद	11,508.25
68.	डालूराम सैनी	12,448.81
68.	गणेशाराम	10,517.51
70.	सुरजाराम	10,504.44
71.	बनवारीलाल	10,380.50
72.	पितराम/भूंगाराम	13,745.07
73.	महादेवप्रसाद नाई	10,598.00
74.	श्रीमती गौरी देवी	12,192.56
75.	सत्यदेव	15,414.03
76.	गोपालराम	10,520.98
77.	भागीरथमल	12,000.00
78.	भूरामल खाती	11.223.05
79.	हंसाराम	12,374.84
80.	शिवराम जाट	14,128.76
81.	नाथूराम	17.017.14
82.	खेताराम जाट	10,460.66
83.	दयाला राम	12,914.97
84.	हनुमान राम	10,072.29
85,	हरचन्द राम	64,552.20
86.	बीरबलराम आर्य	10,917.00
87.	जगमल सिंह	10,762.80

Page No 367

375

1	2	3
88.	रतनसिंह	14,167.90
89.	नारायणराम भूराराम	10,732.52
90.	हनुमानसिंह मैडूराम	10,399.70
91.	रामधन	10351.00
92.	शिवचरण	10784.95
93.	रामकरण	19914.58
94.	रामचन्द्र	12960.85
95.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन	20730.69
96.	मंगलाराम	12566.07
97.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन	19526.37
98.	बालूराम मोतीराम	16031.38
99.	सरदार सिंह	10649.07
100.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन	47689.77
101.	श्री लक्ष्मण सिंह	10721.13
102.	रघुवीर सिंह	10301.54
103.	लक्ष्मण सिंह	11050.48
104.	उम्मेद सिंह	18819.09
105.	राधेश्याम	10896.47
106.	शिवदत्त शर्मा	10242.00
107.	मूलचन्द कटेवा	24004.58
108.	देवकरण चतुर सिंह	11621.50
109.	सुरेश कुमार जगदीश	18307.63
110.	मूलचन्द कटेवा	12450.50

1	2	3
111.	सुरेशचन्द्र कटेवा	20252.46
112.	अर्जुन सिंह ब्रह्मा	11020.00
113.	जगमल सिंह	20134.14
114.	हेमकरण सुखराम	11364.02
115.	पिटराम सिंह कटेवा	12878.36
116.	सज्जन सिंह	36241.96
117.	रामेश्वर सिंह	12237.02
118.	नारायणराम रामसुख	10852.18
119.	चूनाराम किशनाराम	10314.67
120.	देवाराम कुर्दाराम	11364.41
121.	हरीराम जोशी	12178.24
122.	भागीरथ	10917.23
123.	महावीर प्रसाद	11341,00
124.	शिवपाल सिंह	10696.45
125.	रामकुमार	14920.59
126.	नयरंगराम	11306.92
127.	पूराराम	11306.92
128.	प्रहलाद	12265.35
129.	मामराज	54448.05
130.	मुखराम	12576.60
131.	मनोहर सिंह	10566.65
132.	बजरंग लाल	10499.80
133.	रामजीलाल	13477.61
134.	मानीराम बुगलाराम	11709.70

1	2		3
135.	श्रीमती सुरस्वति		15614.80
136.	जयराम		10535.36
137.	हरसुखराम		15488.90
138.	म्युनिसपल बोर्ड,	झुंझुनू	247210.49
139.	,,	बागर	52629.48
140.	,,	बिसाऊ	62104.05
141.	,,	मंडावा	48102.45
143.	,,	पिलानी (विद्या विहार)	22257.50
143.	,,	पिलानी	286224,02
144.	,,	सूरजगढ़	202194.63
145.	,,	मनडरेला	30349.97
146	,,	खेतड़ी	77886.88
147.	,,	चिड़ावा	35889.59
148.	,,	नवलगढ़	521644.66
149.	,,	उदयपुरवाटी	25720.34
150.	,,	वाटर वर्क्स उदयपुरवाटी	22834.25
151.	खेतड़ी कापर माइन्स		5545000.00
		कुल	81,57,095.90

378

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

(कन्स्ट्रक्शन वृत) जोधपुर

10,000 रुपये से अधिक बकाया राशि के उपभोक्ता की सूची

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	मण्डल की बकाया राशि
1	2	3
1.	श्री देवराज चन्दनमल	14,063.99
2,	,, चुन्नीलाल कस्तूरीजी	10,941.23
3.	,, भवरलाल मांगीलाल	15,929.89
4.	,, सूरजमल नवलसिंह	24,513.79
5.	सहायक अभियन्ता पीएचईडी	32,215.25
6.	श्री मूलाराम दूलाराम	14,405.00
7,	,, सहदेव पुत्र मूलाराम	11,363.20
8.	,, सहायक अभि. (आरएसजीडब्लूडी)	50,386.95
9.	ओवरसियर वाटर वर्क्स	82,294.74
10.	सहायक अभियन्ता (आरएसजीडब्लूडी)	82,746.83
11,	श्री विजयदान देता (विजय कृषि फार्म)	1,83,618.85
12.	,, मानसिंह हीरालाल	71,415.01
13.	,, शिवदानसिंह गयादराम	32,661.72
14.	,, कुबेर कृषि फार्म	45,970.80
15.	,, अगरचन्द जोशी	30,121.00
16.	,, कल्याण कृषि फार्म	24,546.85
17.	,, विजयदान देता/अमरदान	27,367.52
18.	,, विजयदान/मावलदान	15,300.00
19.	,, दुर्गादास/श्रीचमनदान	36,711.66
20.	,, भोमाराम तेजाराम जोशी	13,528.50

1	2	3
21.	श्री तेजाराम जोशी	14,371.10
22.	,, विजयदान चेनदास	15,837.87
23.	,, भोलाराम निर्भयराम	10,338.30
24.	,, केन्डीड स्टील प्राइवेट लि.	35,231.00
25.	,, बन्सीलाल सदांजी	11,749.41
26.	,, हनुमानप्रसाद बंसीलाल	10,207.75
27.	,, मोहनलाल खेताजी	16,661.96
28.	,, चन्दनसिंह विशनसिंह	11,701.91
29.	,, बिशनसिंह छुतसिंह	11,520.81
30.	,, हवातकंवर चन्द्रसिंह	22,245.33
31,	,, ममता चोगा	16.147.27
32.	,, ईमामुद्दीन	22,182.77
33.	.. भंवरलाल	20,793.07
34.	,, बंशीलाल रामचन्दर	11,031.10
35.	., मोती जगा	23,670.93
36,	,. चन्द्रवीरसिंह	12.178.02
37.	,, देवीसिंह माधोसिंह	11,984.92
38.	,. विरदसिंह	14,599.25
39.	पी.एच.डी., आहोर	20,061.62
40	श्री वबूतमल	13,491.48
41.	हैड वाटर वर्क्स	21,790.00
42.	सहायक अभियन्ता पीएचईडी	10,355.27
43.	श्री ठाकुर विजयसिंह	14,977.48
44.	,, बारीलाल सदाजी	10,294.45

380

1	2	3
45.	श्री गफूरखान	17.578.32
46.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स	13,808.15
47.	,, ,,	10,200.84
48.	मैसर्स स्ट्रा प्रोडैक्ट	467,531.04
49.	श्री नमनादास अम्मादास	19,102.29
50.	,, छोटूलाल मांगीलाल	23,018.13
51.	,, सूरजकिरण	10,971.34
52.	,, भीकमचन्द	16,551.57
53.	,, खियाराम	24,123.57
54.	,, अब्दुलहकीम	18,260.97
55.	एम. आई. कृषि फार्म	13,236.68
56.	,, मोहनलाल	13,594.36
57.	,, बन्सीलाल	10,499.39
58.	,, अर्जुनसिंह	13,104.83
59.	,, हजारीराम	17,121.27
60.	,, इन्दर कंवर	11,212.97
61.	,, वीरेन्द्रसिंह	10,424.37
62.	,, छोटाहाम टेलाराम	17,930.07
63.	,, भोगोराम चेमाराम	16,788.35
64.	,, पदमाराम	14,621.50
65.	,, वालुराम गणेशजी	15,008.42
66.	,, हरिसिंह	14.675.07
67.	,, पूसाराम	14,126.98

1	2	3
68.	श्री चन्दरराम	10,603.54
69.	,, मांगीलाल केशूजी	14,554.51
70.	,, मांगीलाल प्रेमाराम	30,797.64
71.	,, प्रेमसुख	10,247.60
72.	,, प्रेमसुख	13,250.56
73.	,, रामकिशोर	11.977.46
74.	,, मोहनलाल	15,386.57
75.	,, करणसिंह	14,510.29
76.	,, करणसिंह	11,805.33
77.	, राजेन्द्रसिंह	10,212.04
78.	,, बजरंगसिंह	22,319.99
78,	,, पूनारामजी	11,463.07
80.	,, मोहनलाल	19,610.97
81.	उत्तर रेल्वे	14,644.00
82.	उत्तर रेल्वे	12,008.08
83.	उत्तर रेल्वे	14,177,74
84.	श्रीमती अनूपकंवर	27,800.03
85.	श्री बीकाराम	10,084.66
86.	,, मदनलाल	21,326.81
87.	,, गोवरलाल	11,709.55
88.	,, गोवरलाल	11,291.00
89.	,, बालूराम	15,054.98
90.	,, फतेहसिंह	18,055.70
91.	,, बजरंगसिंह	24,540.71

Page No 374

(382)

1	2	3
92.	श्री गणेशीराम	11,346.83
93.	,, रामसुख	16,473.13
94.	,, भूमरलाल	14,301.99
95.	,, गंगा बिशन	26,089.28
96.	,, रामकिशन	29,656.32
97.	,, नेलाराम	13,465.85
98.	,, अर्जुनसिंह	13,706.00
99.	,, हरीसिंह	10,182.62
100.	,, नैनाराम	14,829.69
101.	,, कुन्दनमल	11,463,96
102.	,, हनुमन्तराम	29,888.50
103,	,, मांगीलाल	14,800.42
104.	,, अशोककुमार	17,208.27
105.	,, नन्दकिशोर	16,621.37
106.	,, गणपतलाल	11,037.71
107.	,, गणपतलाल	15,461.75
108.	,, हनुमन्तराम	38,946.63
109.	,, परबतसिंह	11,034.77
110.	,, रामचन्द	11,588.02
111.	,, हरचन्दराम	14,697.46
112.	,, मिश्रीलाल	17,107.27
113.	,, सूरजमल	13,683,86
114.	,, धनराज	23,470.90
115,	,, अमृतलाल	10,909.70
116.	,, मेघराज	12,991.48

1	2	3
117.	श्री मेघराज	16,968.37
118.	,, मेघराज	33,518.77
119.	,, हीरसिंह	14,060.74
120.	,, मोतीराम	19,494.36
121.	,, रामचन्द्र	20,756.38
122.	,, चम्पालाल	13,268.71
123.	,, ओंकारसिंह	27,151.78
124.	,, रामसिंह	19,012.76
125.	,, जेठूसिंह	12,043.08
126.	,, सोहनसिंह	12,394.28
127.	,, उम्मेदसिंह	10,754.97
128.	,, हरिसिंह	12,065.14
129.	,, ओंकारसिंह	15,878.63
130.	,, सोहनसिंह	11,836.02
131.	,, सुरेन्द्रकुमार	10,583.67
132.	,, रंजीतसिंह	19,231.52
133.	,, भंवरलाल	22,583.34
134.	,, खेताराम	10,278.34
135.	,, मोहनसिंह	10,311.90
136.	,, मेघाराम नैनाराम	22,177.51
137.	,, श्यामगिरी	10,407.80
138.	श्रीमती कमलादेवी	10,187.90
139.	श्री देवराज	12,597.00

384

1	2	3
140.	अधि. अभि. (पीएचईडी)	11,527.76
141.	सहायक अभियन्ता (पीएचईडी)	13,884.89
142.	,, ,, ,,	36,611.93
143.	,, ,, (डीपीएपी)	10,144.15
144.	,, ,, (पीएचईडी)	47,520.11
145.	,, ,, ,,	47,546.84
146.	,, ,, ,,	18,193.60
147.	,, ,, ,,	40,046.60
148.	फ्लोर आयल मिल बस्तीराम	24,830.51
149.	कलला टैक्सटाइल	51,542.90
150.	शिवराम सिन्थेटिक्स	10,623.00
151.	अधिशासी अभियन्ता (डीपीएपी)	312,036.77
	कुल	3809,940.17

माह दिसम्बर 82 तक रुपया 10,000/- से अधिक राशि के बकाया वाले
उपभोक्ताओं की सूची

अजमेर वृत

क. सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
1	2	3
1.	मै. वंशीवाला आयरन एण्ड रोलिंग मिल्स	5,25,846.78
2.	,, राजहंस वायर इण्डस्ट्रीज	1,42,367.82
3.	,, डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर—I	1,51,486.57
4.	,, ,, — II	5,15,252.06
5.	,, ,, — III	2,30,214.18
6.	,, के. डी. शर्मा	13,919.00
7.	,, म्युनिसिपल बोर्ड, अजमेर	26,300.00
8.	,, मेडिकल आफिसर आयुर्वेद	13,732.50
9.	,, आर. एल. गर्ग	34,553.83
10.	,, श्रीमती आयरन एण्ड रोलिंग मिल्स	69,680.08
11.	,, अजमेर मिनरल ग्राईडिंग	15,664.90
12.	,, अग्रवाल स्पिनिंग मिस	1,98,971.75
13.	,, साट्र मिनरल्स	2,93,297.22
14.	,, महाराजा सौभाग मिल्स	36,651.65
15.	मोहनलाल रामवल्लभ	19,452.21
16.	रमाकांत	10,010.80
17.	आशुतोष जीनिंग मिल्स	33,459.30
18.	राजस्थान स्टार्च	10,455.89
19.	वाटर वर्क्स किशनगढ़	18,418.08
20.	खाजनवाल पावरलूम्स	12,712.80

1	2	3
21.	आदित्य मिल्स	2,85,603.73
22.	एक्सीयन पी. एस. 4. नसीराबाद	9,06,384.76
23.	,, 5. ,, ,,	7,01,826.40
24.	,, 6. ,, ,,	9,81,769.68
25.	स्ट्रक्चरल इंजिनियरस	28,400.07
26.	भागलू उद्योग	11,220.00
27.	,, कृष्णा मिल्स	4,91,805.08
28.	,, वेस्ट पाटन प्रेस	54,522.24
29.	,, ऐडवर्ड मिल्स	47,034.56
30.	,, महालक्ष्मी मिल्स	1,70,476.23
31.	एक्सीयम पी. एच. ई. डी, पी. एस. केकड़ी 1.	10,29,129.57
32.	,, ,, 2.	10,08,129.67
33.	,, ,, 3.	8,15,482.24
34.	नागादिया हार्ड वर्क्स	12,65,813.75
35.	,, जैन अग्रवाल आयल मिल्स	13,733.50
36.	विमलेश आइरन इन्डस्ट्रीज	12,896.60
37.	अलादीन	10,385.49
38.	पारसमल बालूराम	16,199.13
39.	मोहनराम लक्ष्मणराम	17,537.00
40.	सरपंच, ग्राम पंचायत नागौर	12,535.44
41.	चेयरमेन म्यूनिसपल बोर्ड	15,321.81
42.	,, ,, नागौर	62,821.92
43.	शंकरलाल रामदेव	11,481.26

Page No 379

(382)

1	2	3
44.	आनन्द आइस फैक्ट्री	10,927.52
45.	गणपत आइस फैक्ट्री	10,715.41
46.	ए.ई.एन. पी.एच.ई.डी. नागौर	13,686.95
47.	,, ,, ,,	11,034.55
48.	ए.ई.एन. वाटर वर्क्स लाडनू	3,15,725.23
49.	जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस.एस. फैक्ट्री बालियां	3,39,613.00
50.	म्यूनिसपल बोर्ड डीडवाना	1,29,686.83
51.	शिवजीराम	12,969.97
52.	तेज सिंह	13,012,58
53.	त्रिलोक सिंह	10,840.61
54.	भूरसिंह	11,495.70
55.	रूपाराम	10.143.63
56.	खिवसिंह	10.033.02
57.	श्रीमती उजवल कंवर	11,806.05
58.	भागीरथ सिंह	10,625.44
59.	भंवर सिंह	10,307.71
60.	ए. ई. एन. पी. एच. ई. डी, डीडवाना	4,01,348.40
61.	मै. न्यू नौशाद मार्बल	21,238.74
62.	,, सुरेश नाथ मोदी	34,852.46
63.	गंगामोहन मार्बल	44,836.33
64.	मै. कृष्णा मार्बल	28,418.23
65.	,, विष्णु मार्बल	21,127.13
66.	कैलाशपति मार्बल	23,101.45

1	2	3
67.	फरीद एण्ड सन्स	54,979.23
68.	म्यूनिसपल बोर्ड, नॉवा	39,391.07
69.	राज गम एण्ड प्लास्टिक	16,774.12
70.	वन्शी सिंह	16,834.62
71.	परसा राम	13,692.75
72.	गोविन्द सिंह	14,066.95
73.	एस. छोटू जी गुलाब जी	23,983.57
74.	हाकिम हुसेन वख्श	40,871.06
75.	गफूर ग्रहमद	13,986.10
76.	सुषमा मार्बल	24,209.90
	योग :	1,11,41,723.96

31 जनवरी 83 को रुपया 10,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची

जयपुर जिला वृत

क. संख्या	उपभोक्ता का नाम		बकाया रकम
1	2		3
1)	डी न. एस.के.एन. कालेज, जोबनेर		36,775.90
2)	श्री घीसा पुत्र नानू मीना, रैनवाल		11,694.47
3)	पश्चिमी रेल्वे, फुलेरा		8,95,711.56
4)	म्युनिसपल बोर्ड फुलेरा		11,334.11,
5)	मै. राजस्थान रोप वर्क्स, नरायना		59,469.56
6)	अध्यक्ष, म्युनिसपल वोर्ड, आमेर		21,269.80
7)	श्री वद्रीनारायण, हनुमानसहाय–गोविन्दपुरा आमेर		10,736.25
8)	सरपंच, ग्राम पंचायत, कालाडेरा		19,116.39
9)	श्री पीसालाल, गोरूराम, घोली		10,540.47
10)	श्री गोरूराम, शिवजीराम, आमलोदा		10,736.25
11)	श्री गोरू मंगला, भूरा–गुलाववाड़ी		11,914.06
12)	श्री वदरीनारायण, गुलाववाड़ी		10,344.48
13)	श्री रामू, भूंया, गुलाववाड़ी		15,641.71
14)	श्री भूरा, पन्ना		17,578.79
15)	श्री गोरू, गोमा, गोपी–परमनपुरा		11,081.65
16)	श्री नारायण कोल्ड स्टोरेज,	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र	1,50.497.00
17)	मुरली रोलिंग मिल	,,	77,987.00
18)	आर. जी. इस्पात	,,	1,08,369.00
19)	शक्ति माल्ट	,,	18,000.00
20)	स्वास्तिक कास्टिंग	,,	1,41,087.00
21)	भगवती रोलिंग मिल	,,	2,19,017.00
22)	प्रताप राजस्थान स्पेशन स्टील	,,	2,69,987.00

(390)

1	2		3
23)	माडर्न मिल्स	विश्वकर्मा ग्रौद्योगिक क्षेत्र	28,716.00
24)	हरी रोलिंग मिल	,,	18,938.00
25)	राजस्थान स्टील रोलिंग	,,	33,858.00
26)	ग्रार. एस. इण्डस्ट्रीज	,,	23,685.00
27)	जयपुर स्टील सईस	,,	10,018.00
28)	प्रताप राजस्थान कापर फयल	,,	1,58,243.00
29)	ग्रमृत बिस्कुट	,,	12,799.00
30)	प्रस्टिज इण्डस्ट्रीज	,,	15,165.00
41)	राजस्थान सिन्थेटिक्स	,,	21,200.00
32)	निशा इन्डस्ट्रीज	,,	25,726.00
33)	जयपुर रोलिंग मिल	,,	2,58,405.00
34)	जी. टी. प्रियशन	,,	11,543.00
35)	स्वास्तिक ग्रायल	,,	10,707,00
36)	ग्राकांक्षा रबर	,,	15,452.00
37)	सारन ग्रनोक्रेट	,,	27,294.90
38)	परदेशी इन्टरनेशनल	,,	11,945.00
39)	प्रताप उद्योग	,,	20,004.00
40)	भगवान रोलिंग मिल	,,	20,025.00
41)	ग्रविश केमीकल	,,	14,373.00
42)	जयपुर बेरियम	,,	22,292.00
43)	जयपुर स्टील कास्टिंग	,,	11,987.00
44)	ग्रानन्द टूल्स	,,	12,457.00
45)	ग्ररुण इन्डस्ट्रीज	,,	21,270.00
46)	जी. सी. ग्रायल मिल	,,	21,021.00
47)	रेडीयेन्ट रबर	,,	15,883.00
48)	शंकर स्टोन क्रेशर	,,	36,584.00

1	2	3
49)	आर.आई.ई.एम.डी.सी. ट्यूब वैल वि.ओ.क्षेत्र	60.013.00
50)	फतेहपुरिया विद्युत उद्योग ,,	17,980.00
51)	टण्डन कोल्ड स्टोरेज ,,	37,074,00
52)	भूरा पुत्र मान्या यादव ,,	11,160.00
53)	गैरीजन इन्जीनियर (एम.ई.एस.) हीरापुरा	69,406.00
54)	सहायक अभियन्ता, 220 के.वी.जी.एस.एस. रा.रा. विद्युत मण्डल, हीरापुरा	1,20,515.00
55)	सरपंच ग्राम पंचायत सिरसी	13,312.00
56)	सहायक अभियन्ता, 220 के.वी. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, हीरापुरा	22,474.00
57)	सुरेन्द्र पुत्र मनफूलसिंह, हीरापुरा	37,051.00
58)	मैसर्स राजस्थान एमरी मैन्यु. इण्ड.	27,945.00
59)	जैन आईस फैक्ट्री, सांगानेर	22,700.00
60)	जयपुर पेपर बोर्ड एण्ड मील, सांगानेर	12,986.00
61)	श्रीमती रमा देवी पत्नि श्री हनुमान प्रसाद सांगानेर	10,989.00
62)	मैं. कमल इण्डस्ट्रीज, चाकसू	16,500.00
63)	मिश्रीलाल पुत्र गणेश नारायण, सांगानेर	14,341.00
64)	ग्रामीण बिजली उद्योग, सांगानेर	36,852.00
65)	आर. आर. इन्डस्ट्रीज, गौनेर	12,790.00
66)	मै. सांवरमल भगवानदास, कलचपुरी	22,581.50
67)	मै. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिन्डीकेट, दौसा	2,03,541.11
68)	श्री कल्याणलाल मिश्रा, बांदीकुई	14.806.78
69)	नगरपालिका, बान्दीकुई	27,859.13
70)	वाटर वर्क्स, गीजगढ़	23,449.34
71)	रेल्वे, बान्दीकुई	2,93,730.98
72)	मूलचन्द, गणेश पटेल, लालसोट	10,948.46
73)	तिवाड़ी इण्डस्ट्रीज, गीजगढ़	14,771.46
74)	श्री सीताराम बृजमोहन, बस्सी	18,091.11

1	2	3
75)	नगरपालिका, देवली	12,482.75
76)	लक्ष्मी ग्रायल इण्डस्ट्रीज, टोंक	11,713.52
77)	अग्रवाल ग्रायल मिल, टोंक	12,796.60
78)	गणेश ग्रायल मिल, देवली	14,739.68
79)	जय ग्रायल मिल, देवड़ावास	16,18?.65
80)	बनास पान सुगन फैक्ट्री, वनस्थली	37,7?2.34
81)	ग्ररुण ग्रायल इण्डस्ट्रीज, निवाई	18,237.45
82)	रमेश ग्रायल इण्डस्ट्रीज, निवाई	43,361.03
83)	जी. सी. ग्रायल इण्डस्ट्रीज, निवाई	10,650.33
84)	सचिव, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	36,471.54
85)	हनुमान उद्योग, निवाई	11,642.00
86)	जी. सी. ग्रायल मिल, निवाई	11,843.84
87)	एन. ई. ग्राई. गुन्सी	1,35,151.76
88)	म्युनिसिपल बोर्ड, मालपुरा	28,209.84
89)	कानाई दाल मिल, टोडारायसिंह	12,717.30
90)	साकड़वास माईका माइन, टोडारायसिंह	10,187.34
	कुल योग : रु.	44,11,718,33

393

माह जनवरी, 83 तक रुपया 10,000 से अधिक बकाया
उपभोक्ताओं की सूची

क्रम संख्या	नाम उपभोक्ता	बकाया रकम
1	2	3
	कोटा वृत	
1.	जीवन इण्ड.	103839.14
2.	ओम मेटेल्स	10941.20
3.	पड्डा इण्डस्ट्रीज	13406.80
4.	अशोका स्पीनिंग	15467.00
5.	उम्मेद आयल मिल्स	14733.22
6.	पटौदी इण्डस्ट्रीज	13048.90
7.	न्यू इण्डस्ट्रीज	13086.66
8.	प्रकाश इण्डस्ट्रीज	13340.70
9.	सहायक अभियन्ता (पीएचईडी)	12090.00
10.	,, ,,	12730.00
11.	ए.एस.आई.के. लिमिटेड	10526.94
12.	,,	27100.34
13.	,,	25076.00
14.	,,	13977.80
15.	अधि. अभियन्ता (वाटर वर्क्स)	26647.14
16.	,,	15957.96
17.	इस्ट सुपरिटून्डेन्ट मारकेटिंग समिति	14076.77
18.	विजय आइल मिल	31486.31
19.	टी वाई जी आइ ए	14101.40
20	मै. ए. एस. आई.	39539.93
21	मंगायतराम सीमेंट उद्योग लि.	635392.74
22.	माणकचन्द अमरलाल बैरन	11.893.96

1	2	3
23.	प्रकाश नगरपालिका वैरन	12973.75
24.	एम. वी. इन्द्र गर्ग	13277.35
25.	म्युनिसपल बोर्ड, बूंदी	45642.75
26.	सुगलाना शुगर फैक्ट्री	11803.33
27.	सहायक अभि. (सिविल) जवाहर सागर	60012.54
28.	जयपुर उद्योग लिमिटेड	6155115.78
29.	सवाई माधोपुर आईल मिल	47996.74
30.	डिविजनल इन्जी. वेस्टर्न रेलवे कोटा	57164.00
31.	श्रीमती यशोदा कंवर	11912.69
32.	एस. वी. सी. आई. कोटा	112812785.00
33.	मै. एस. एफ. सी. कोटा	21190944.00
34.	जे. के. सिंथेटिक	2427097.10
35.	वेदला फ्लोर मिल	263227.99
36.	वी. वी. टैक्नीकल	41031.00
37.	खादी स्टील री रोलिंग	446430.35
38.	,, ,,	1296178.96
39.	प्रभात स्टील	223647.77
40.	डीविजनल सुपरिटेन्डेन्ट वेस्टर्न रेलवे	400729.45
41.	ओ. वी. सी. कोटा	6804114.00
42.	सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स	705121.00
43.	प्रीमियर पेपर बोर्ड	33399.30
44.	इलैक्ट्रिक इन्जीनियर आर ए पी पी	203272.41
45.	म्युनिसपल बोर्ड, कोटा	345121.30
	कुल	153491288.84

395

माह जनवरी, 83 तक 10,000/ रु. से अधिक राशि के बकाया
उपभोक्ताओं की सूची

उदयपुर-वृत्त

क्र. सं.	नाम उपभोक्ता	बकाया राशि
1	2	3
1.	सरपंच ग्राम पंचायत, गढ़ी	26129.10
2.	अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) मूर गांव	12743.13
3.	जगदीश चन्द्र, देलवाड़ा	14311.91
4.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) माही प्रोजेक्ट	39844.10
5.	ओरिएंटल प्रोजेक्ट	10400.00
6.	अधिशासी अभियन्ता (बी. एण्ड आर.) माही प्रोजेक्ट	23617.15
7.	एम. आर. बनवारी मिनरल बी. एस. डब्लू	10505.64
8.	पंकज आईल मिल	53563.93
9.	कंकारिया गिनिंग आईल मिल्स	14867.80
10.	अनिल गिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री	15715.08
11.	वर्धमान आईल मिल	21400.00
12.	कंकारिया गिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल बी. एस. डब्लू	28839.57
13.	विमल उद्योग	11213.00
14.	किसान केन्द्रीय उद्योग	54333.66
15.	विकास अधिकारी सलुम्बर	13309.29
16.	दरीबा माइन्स	83941.42
17.	चारभुजा शुगर वर्क्स	22800.27
18.	इंडिया इन्टरनेशनल डी. पी. आर.	32997.35
19.	श्री इण्डस्ट्रीज	18599.44
20.	योगी डाइंग	14702.00
21.	मैंकसिन स्प्रेड	12790.75

1	2	3
22.	ओंकारा केमिकल्स	19321.40
23.	लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	33069.55
24.	गोपाल मिनरल्स	12405.50
25.	राजस्थान आईस फैक्ट्री	16168.05
26.	आइरन इलेक्ट्रीकल्स	27596.81
27.	सहायक अभियन्ता (वाटरवर्क्स)	16960.64
28.	उदयपुर काटन मिल्स	146946.03
29.	मैटल उद्योग	462280.02
30.	मिनरल टाल्क	289409.02
31.	देवीदास एण्ड कम्पनी	109555·01
32.	आर. एम. डी. सी.	62190.21
33.	सेठिया मेटल्स	401077.87
34.	स्टैन्डर्ड कोमेटिक	116513.45
35.	राजस्थान ग्लैक्सोज	25373.63
36.	अजय प्लास्टिक	11369.26
37.	शक्ति आईरन	39765.82
38.	मै. हिन्दुस्तान जिंक जावर माइन्स	3873790.40
39.	,, नेशनल माइन्स	384990.35
40.	,, देवारी	9675839.86
41.	मै. उदयपुर सीमेंट वर्क्स	1153881.96
42.	,,	33886.16
43.	मै. राज मल्टी फर्टीलाईजर देवारी	14098.94
44.	उदयपुर केमिकल्स	15162.79
45.	परफैक्ट ग्रेड मिल्स	17847.00
46.	जे. के. इण्डस्ट्रीज	83239.78

1	2	3
47.	एड्वान्स पेपर मिल	255953.02
48.	श्री नाथ शुगर मिल	52007.10
49.	मधुधर केमिकल्स	119879.30
50.	महाराणा भोपाल इलैक्ट्रकल्स	1741886.43
51.	अधिशासी अभियन्ता (पी. एच. डी.)	15705.62
52.	वी. सी. रिसर्च फर्म	16417.79
53.	,,	16888.88
54.	दया भान जे. शाह	34725.58
55.	आदीनाथ आईल मिल्स	11801.14
	कुल :	1,98,44813.02

(398)

जनवरी, 83 तक रु. 10,000/ से अधिक राशि के बकाया वाले
उपभोक्ताओं की सूची
(भीलवाड़ा वृत्त)

क्र. संख्या	उपभोक्ता का नाम	बकाया रकम
1.	श्रीराम उद्योग, हुरडा	21821.38
2.	गुलाबपुरा काटन फैक्ट्री, हुरडा	22855.81
3.	राज. को-आपरेटिव मिल, गुलाबपुरा	10838.30
4.	मेवाड़ टैक्सटाइल, भीलवाड़ा	6,41854.72
5.	राज. स्पीनिंग मिल, भीलवाड़ा	22398.30
6.	दीपक आयल मिल,	25816.30
7.	लक्ष्मीलाल राजमल शिशोदिया	12543.93
8.	भीलवाड़ा टैक्सटाईल	14768.88
9.	भगवान सुगर मिल, भीलवाड़ा	10202.00
10.	अग्रवाल मिनरल मिल	13011.05
11.	अशोक सुगर मिल	22484.96
12.	राज खाण्डसारी मण्डल	2,53726.62
13.	एकलीज काटन फैक्ट्री गंगापुर	14262.40
14.	कमला सुगर इण्डस्ट्रीज भीलवाड़ा	35589.53
15.	मार्डन ब्रेड रायला	69315.10
16.	बिरला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	23,60818.16
17.	मेहता वेजीटेबल	4,79616.11
18.	म्युनिसपल बोर्ड कपासन	26377.67
19.	महालक्ष्मी आयल मिल निम्बाहेड़ा	10296.39
20.	प्रताप स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रतापगढ़	29716.67
21.	लिफ्ट इरीगेशन, प्रतापगढ़	10000.00
22.	जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	24,92000.00
	योग :	66,00314.28

झुन्झुनू जिले के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण

561. श्री लच्छूराम (मंडावा)—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू में केवल 57 गांव ही बिना विद्युतीकृत हैं ?

(2) यदि हां, तो कौनसी पंचायत समिति में कितने गांव पड़ते हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला झुन्झुनू के 77 ग्रामों को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है।

(2) जिला झुन्झुनू की पंचायत समिति अलसीसर के 54 ग्राम, खेतड़ी के 22 ग्राम और बुहाना का 1 ग्राम विद्युतीकृत नहीं है।

(2) पंचायत समिति खेतड़ी के 20 ग्राम एवं बुहाना का एक ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में वित्तीय संसाधन तथा विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा, शेष 56 ग्रामों का विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। शेष अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि जिले के शत-प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण की वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत या विचाराधीन नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उदयपुर नगर की सड़कें

562. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) उदयपुर नगर की कौन-कौनसी सड़कें कब सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दी गई ? उन पर अब तक कितना कार्य पूर्ण हो गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर की जो प्रमुख सड़कें निर्माण विभाग के पास हैं उनकी रि-कारपेन्टिंग नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो अब, कब तक यह काम करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि नगर के अन्दर से जाने वाली नेशनल हाई-वे पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रि-कारपेटिंग किया गया है ? यदि हां, तो किस किस क्षेत्र में ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जो सड़कें राजस्थान बनने के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास थी, उसकी सूची (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी गई है। जो सड़कें नगर परिषद द्वारा अप्रेल, 1982 में विभाग को सौंपी गई उनकी सूची मय किये गये कार्य के (प्रपत्र "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नगर की प्रमुख सड़कों पर सरफेस पेन्टिग की अभी आवश्यकता नहीं है।

(3) नगर के अन्दर जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग पर कोई सरफेस पेन्टिग का कार्य नहीं कराया गया है।

प्रपत्र "क"

उदयपुर की शहरी सड़कों का विवरण

क्रमांक	सड़कों का नाम
1.	दिल्ली गेट से शमशान घाट रोड़
	(अ) दिल्ली गेट से शास्त्री सर्किल।
	(ब) शास्त्री सर्किल से शमशान घाट।
2.	दिल्ली गेट से हाथीपोल।
3.	चेतक सर्किल से रेल्वे स्टेशन अप टू स्टेशन (ठोकर चौराहा)
	(अ) चेतक सर्किल से हाई कोर्ट।
	(ब) हाई कोर्ट से शास्त्री सर्किल।
	(स) शास्त्री सर्किल से आयर ब्रिज।
	(द) आयर ब्रिज से रेल्वे स्टेशन।
4.	सूरजपोल से रेल्वे स्टेशन (ठोकर चौराहा)
5.	हाथीपोल से कल्वर्ट आन रा. उ. मा. नियर गुमानियावाला।
	(अ) हाथीपोल से चेतक सर्किल।
	(ब) चेतक सर्किल से कल्वर्ट (गुमानियावाला)।
6.	चेतक सर्किल से काला किवाड़ ऑफ फतहसागर।
7.	पुलिस लाईन रोड़।
8.	एम. बी कॉलेज से आयर ब्रिज (लिंक रोड़)।
9.	जोति भवन से रजिडेन्सी कॉलेज।
10.	मोहतापार्क से पुलिस चौकी फतहपुरा वाया सहेलियों की बाडी।
11.	देवली गांव से फतहपुरा चौराहा वाया विद्या भवन।
12.	**फतेहसागर सर्किल :—**
	(अ) मैन किवाड़ से देवली अलोंग फतेहसागर।
	(ब) देहली गेट से टी. वी. रोड़ जंक्शन।

(402)

क्रमांक	सड़कों का नाम
	(स) रानी रोड़ (अप-टू महाकलेश्वर)।
	(द) महाकालेश्वर जंक्शन से काला किवाड़।
13.	आयुर्वेदिक कॉलिज से अम्बा माता पोल।
14.	महाकालेश्वर से जंक्शन से मुल्लातलाई (चुंगी नाका)
15.	ब्रह्मपोल से बड़ी टैंक।
	(अ) ब्रह्मपोल से जंक्शन ऑफ भाडोल रोड़।
	(ब) जंक्शन ऑफ भाडोल रोड़ से बड़ी टैंक।
16.	एप्रोच रोड़ से सज्जनगढ़।
17.	शिकाई भवन क्रासिंग से स्वरूप सागर ओवर फ्लो वाया लेक-व्यू होटल।
18.	आनन्द भवन एप्रोच रोड़।
19.	फतहसागर ओवर फ्लो टू सहेलियों की बाड़ी।
20.	महासत्या से वोहरा गणेशजी।
21.	डाक बंगला एप्रोच रोड़।
22.	फतेहसागर क्रासिंग एटरामी रोड़ टू टी. वी. क्लिनिक टू (बाडो रोड़)।
23.	टी. वी. क्लिनीक से बड़ी टैंक।
24.	एप्रोच रोड़ टी. वी. क्लिनीक टू विलेज।
25.	शिकाहा भवन से सहेलियों की बाडी रोड़ जंक्शन वाया रेल्वे कालोनी।
26.	लिंक रोड़ से मोहता पार्क (बेक साइड)।

403

प्रपत्र "ख"

तारांकित प्रश्न संख्या 562

नगरपरिषद उदयपुर से स्थानान्तरण सड़कों पर किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम.	लम्बाई	विशेष रिपेयरिंग	साधारण रिपेयर
1	2	3	4	5
1.	देहली गेट से सूरजपोल वाया बापु बाजार	4·8 कि.मी.	70 मि.मी. मोटा बिल्टप स्प्रे-ग्राऊट 20 मि.मी. मोटे प्रिमिक्स कारपेट के साथ तथा प्रिमिक्स सील कोट 3.4. कि.मी. बराबर की दूरी में।	
2.	नेहरु बाजार सड़क	1.10 कि.मी.	डब्लू.बी.एम. प्रीमिक्स कारपेट के साथ तथा केवल 1845 वर्ग मीटर कोजवे में सील कोट।	
3.	सिटी पैलेस से हाथीपोल वाया घंटाघर	3·5 कि.मी.	70 मि.मी. मोटा बिल्टप स्प्रे-ग्राउट 20 कि.मी. प्रीमिक्स कारपेट के साथ तथा 1·51 किमी. बराबर की दूरी में सीलकोट।	

1	2	3	4	5
4.	रंग निवास से किशनपोल	1.00 कि.मी.	70 मि.मी. मोटा बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट, बाईंडिग के लिए डब्लू. बी. एम. 1 कि.मी. में 20 मि. मी. मोटा प्रीमिक्स कारपेट सीलकोट ।	
5.	सूरजपोल से रंग निवास वाया आईस फैक्ट्री	3·25 कि.मी.	—	पेच रिपेयरस
6.	रंग निवास से जगदीश चौक	2·00 कि.मी.	—	बाईंडिंग के लिए अर्थ वर्क, बिल्टप स्प्रे ग्राउट सरफेस द्वारा पहले से स्थित रोड़ में सरफेस करेक्शन्स, हेवी पेचेज की पेन्टिग ।
7.	आईस फैक्ट्री से पटेल सर्किल वाया खाजी पीर	2·6 कि.मी.	—	1. पेच रिपेयर 2. वर्क्स को ड्रेसिंग 3. आसान स्पीड ब्रेकर
8.	उदयपोल से आईस फैक्ट्री	0·70 कि.मी.	—	पेच रिपेयर

1	2	3	4	5
9.	सूरजपोल से घंटाघर (जंक्शन पाईन्ट बड़ा बाजार)	2·80 कि.मी.	—	पेच रिपेयर
10.	जगदीश चौक से हाथीपोल वाया चांदपोल	3·71 कि.मी	—	पेच रिपेयर
11.	दिल्ली गेट से घण्टाघर वाया तीज का चौक मोचीवाड़ा		—	पेच रिपेयर
12.	अयद पुलिया से मीरा गर्ल्स कालेज वाया अशोक नगर भूपालपुरा अलीपुरा, सरदारपुरा	2·80 कि.मी.	-	पेच रिपेयर

(५०६)

रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षा समिति

563. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)––क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन कब हुआ ?

(2) कृपया उक्त समिति के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति के अन्तर्गत कुल कितने केन्द्र कार्यरत हैं ? इन केन्द्रों पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

(4) क्या वर्तमान में समिति निष्क्रिय है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पुर्नगठन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 20-4-1978 को हुआ तथा इस संस्था ने मार्च, 1979 से कार्य प्रारम्भ किया।

(2) उक्त समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1979–80 में भारत सरकार द्वारा संस्था को 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने की स्वीकृति जारी हुई थी। संस्था द्वारा इन केन्द्रों पर रुपये 29,228-45 पैसे व्यय किये गये।

(4) जी हां, यह एक स्वैच्छिक संस्था है अतः इसका पुनर्गठन संस्था के स्तर पर ही किया जा सकता है।

रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षण समिति, रतनगढ़ (चूरू) के पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	सदस्य
1.	श्री ओमदत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री कल्याणसिंह पालवी	उपाध्यक्ष
3.	श्री अब्दुल रजाक खां	सचिव
4.	श्री बनवारी लाल	संयुक्त सचिव
5.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	कोषाध्यक्ष
6.	श्री श्रीनारायण धानुका	सदस्य
7.	श्री चुन्नीलाल खटीक	सदस्य
8.	श्री रामसिंह राजपूत	सदस्य
9.	श्री सीताराम महर्षि	सदस्य
10.	श्री ओमप्रकाश यादव	सदस्य
11.	श्रीमती शारदा देवी भंवर	सदस्य
12.	श्री आर. के. रंगा	सदस्य
13.	श्री सीताराम	सदस्य
14.	श्री लालचन्द	सदस्य
15.	श्री प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य

उप-खण्ड परबतसर क्षेत्र में निजी वाहनों हेतु प्रदत्त परमिट

564. **श्री रामेश्वर लाल** (नावां) :– क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उप-खण्ड परबतसर क्षेत्र (जिला नागौर) में किन-किन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को वर्ष 1981 से जनवरी 1983 तक परमिट दिये गये ? कृपया इस अवधि में दिए गए निजी बस परमिट्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुचामन अजमेर राष्ट्रीयकृत मार्ग होते हुए भी क्या इसी मार्ग पर कुचामन से मकराना तक किसी निजी बस मालिक को भी परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब कब परमिट दिया गया ?

उत्तर

(1) कोइ परमिट नहीं दिया गया।

(2) जी नहीं।

पंचायत केम्प बरलो (अटरू) में जिलाधीश कोटा को प्रस्तुत शिकायत

565. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू):– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

क्या यह सही है कि अटरू तहसील में दिनांक 24–1–1983 को पंचायत केम्प बरलो में सब डिवीजनल ऑफीसर द्वारा भू-आवंटन में अनियमितता किये जाने की शिकायत ग्राम पंचायत बरलो की जनता से लिखित में दिनांक 29-1-1983 को अटरू विश्राम गृह में जिलाधीश कोटा को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

जी हां। शिकायत की प्रारम्भिक जांच जिलाधीश कोटा द्वारा करवाई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

जयसमन्द (उदयपुर) की पेटा रूण की भूमि के खातेदारी अधिकार

566. **श्री थानसिंह मीणा** (सलुम्बर):- क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पेटा रूण की भूमि में स्थाई तौर पर खातेदारी अधिकार नहीं देती ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर के अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जयसमन्द की पेटा रूण में 808 बीघा भूमि के राजपूत काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त खातेदारी अधिकार को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। अलबत्ता एक मामले में राजस्व अपील अधिकारी ने राजपूत कास्तकारों को 800 बीघा रूण की भूमि पर हक माना है। जिसके विरुद्ध राज्य सरकार राजस्व मण्डल के समक्ष अपील कर रही है।

(3) मामले में अपील की जा रही है इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिजोलिया एवं मांडलगढ़ क्षेत्र के पत्थर के खनन की सहकारी समितियां

567. **श्री अनंग कुमार** (झालरापाटन): **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा):–क्या खनिज मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया व माण्डलगढ़ क्षेत्र में पत्थर की खानों में खनन कार्य करने वाली आदिवासी सहकारी समितियां कितनी है ?

(2) क्या उपरोक्त समितियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भी समितियां हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी और ये समितियां कहां-कहां खनन कार्य कर रही हैं ? कहां-कहां के लिए समिति ने खनन हेतु भूखण्ड मांगे हैं ? कृपया सूची सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिजोलिया खण्ड में पत्थर का खनन कार्य करने वाली वर्तमान में केवल एक ही समिति, आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. नयानगर है।

(2) जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में बतलाया गया है वर्तमान में केवल एक ही आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. नयानगर कार्य कर रही है। इसके अलावा तीन और सहकारी समितियों ने खनन हेतु भूखण्ड मांगे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(410)

सहकारी समितियों की सूची

क्रमांक	समिति का नाम	क्षेत्र जहां भूखण्ड आवंटित है/आवेदित है		भूखण्डों की संख्या	कार्य हो रहा है अथवा नहीं
1–	आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. नया नगर	नया नगर	–	4	कार्य हो रहा है
		सुखपुरा	–	45	कार्य हो रहा है
2–	मकरेडी अनुसूचित जाति खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. मकरेडी	–	रेसुन्दा	24	अभी आवंटन नहीं हुआ है क्षेत्र आवेदित है।
3–	,, ,,	–	खेरखेडा	13	,, ,,
4–	मेनाल आदिवासी पत्थर खनन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. मेनाल	–	देवीनिवास	30	,, ,,
5–	खाचरोल पत्थर खान अनुसूचित जाति श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. खाचरोल	–	खडीपुर	48	,, ,,

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 535 का ब्यौरा

जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति की बैठकों में दिये गये दिशा निर्देशन का ब्यौरा

प्रथम बैठक दिनांक 16–3–82

1. राजस्थान के अन्य हिस्सों पर जो व्यय होता है उसका एक निश्चित भाग जनजाति विकास योजनाओं पर होना चाहिए ।

2. लघु सिंचाई योजना एवं एनीकट निर्माण का कार्य लिया जाना चाहिए ।

3. आदिवासियों के पास कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं । इसलिए ऐनीकट बना कर उनकी भूमि को सिंचित किया जाना चाहिए ।

4. जनजाति क्षेत्र में छोटे-छोटे जलाशय हैं उन सबकों आदिवासियों को ही मछली पकड़ने के लिए आवंटित किये जावें जिसमें वे अपना जीवको-पार्जन कर सकें ।

5. आदिवासियों को गरीवी की रेखा ऊपर लाया जावें ।

6. जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति आवश्यकतानुसार उप समिति के माध्यम से कार्य करें ।

7. अनुसूचित जनजाति पर परामर्शदात्री परिषद की अगली बैठक उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में रखी जावें ।

8. जो जनजाति जनसंख्या माडा एवं उपयोजना क्षेत्र द्वारा लाभान्वित नहीं होती उनके विकास कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी जनजाति आयुक्त को दी जावें ।

9. राजस्थान की वह जनसंख्या जो उपयोजना में माडा कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित नहीं होती उनके विकास के लिए वार्षिक योजना 1983–84 में विकास कार्य-क्रम सम्मिलित कर योजना आयोग भारत सरकार को प्रस्तुत किये जावें ।

10. लघु उद्योग के आधार पर कुछ ऐसे धन्धे करने चाहिए जिससे आदिवासियों को सीधा रोजगार मिल सकें ।

11. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जांवे जिनमें सेवा का भाव निहित हो।

12. आदिवासी क्षेत्र में शराब बन्दी का बहुत महत्व है उसे फोरन लागू किया जाना चाहिए।

13. शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्कूल भवनों के निर्माण, लघु उद्योग स्थापना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रसार के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

14. माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत घोषित माडा क्षेत्र के अतिरिक्त भी कुछ जनसंख्या इन कार्यक्रमों से वंचित रह गई है।

15. जनजाति आयुक्त का अधिक प्रशासनिक शक्तियां एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जावें।

द्वितीय बैठक दिनांक 19–1–83

1. हर विभाग अपने कार्यक्रमों से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। वर्ष 1982–83 में जो विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान निश्चित किया है, बजट राशि उसी वर्ष में उपयोग करली जावें।

2. जनजाति क्षेत्र की खनिज सम्पदा का दोहन किया जाय और जनजाति क्षेत्र में छोटे एवं घरेलू उद्योग लगाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जावें।

3. जनजाति के लोगों को खनिज के पट्टे देने के बारे में विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि यदि व्यक्तिगत आधार पर खनिज के पट्टे का कार्य जनजाति के लोग करने में असमर्थ हो तो सहकारिता के आधार पर यह काम कराया जावें।

4. मत्स्य आखेट का कार्य केवल सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिए एवं मत्स्य आखेट के कार्य ठेकेदारों को नहीं दिया जाना चाहिए।

5. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस क्षेत्र में विद्यालयों की कमी एवं शिक्षकों की कमी को पूरा किया जावें।

6. व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को क्षेत्र की उपयोगिता एवं आवश्यकतानुसार चिन्हित किया जावें एवं क्षेत्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जावें और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

7. पीने के पानी की सुविधा के लिए राज्य सरकार एक ही स्रोत उपलब्ध करायेगी।

8. सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के पहले लोगों को भूमि आवंटन किया जावें।

9. जनजाति क्षेत्र में उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिन्हें जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम का पर्याप्त अनुभव है। विशेष चयन द्वारा हर सेवाओं में सब केडर की प्रथा चालू की जायेगी।

Page No 406

(414)

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 7 (36) प्र. सु./5/81 जयपुर, दिनांक 18-11-81

आज्ञा

विषय :—जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति का गठन

जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं जनजाति लघु खण्ड के **विकास कार्यक्रम** को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने एवं दिशा निर्देशन देने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति के गठन को राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास	अध्यक्ष (पदेन)
2.	उपमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	श्री जय नारायण रोत, संसद सदस्य	सदस्य
4.	,, वृद्धिचन्द जैन, संसद सदस्य	,,
5.	,, कमला भाई मीणा, सदस्य, विधान सभा	,,
6.	,, थान सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा	,,
7.	,, भैरू लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा	,,
8.	,, रूप लाल परमार, सदस्य, विधान सभा	,,
9.	,, नाथूराम ग्रहारी, सदस्य, विधान सभा	,,
10.	,, महेन्द्र कुमार परमार, सदस्य, विधान सभा	,,
11.	,, नाथूराम, सदस्य, विधान सभा	,,
12.	,, पूंजी लाल, सदस्य, विधान सभा	,,
13.	,, भूरा राम, सदस्य, विधान सभा	,,
14.	,, समर्थ लाल, सदस्य, विधान सभा	,,
15.	,, अलखा राम, सदस्य, विधान सभा	,,
16.	,, देवेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा	,,
17.	,, दीनबन्धु वर्मा, उदयपुर	,,
18.	,, रामगोपाल मीणा, भू. पू. विधायक, कोटा	,,

(415)

19.	संयुक्त सचिव, (टीडी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
20.	सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास	,,
21.	वित्त सचिव, अथवा उनका प्रतिनिधि	,,
22.	सचिव, विशिष्ट योजनायें एवं अन्त्योदय	,,
23.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	,,
24.	विशिष्ठ सचिव, आयोजना विभाग	,,
25.	निदेशक, प्रा. एवं मा. शिक्षा, बीकानेर	,,
26.	पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर	,,
27.	निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, राज. उदयपुर	,,
28.	अध्यक्ष, राजस्थान खादी बोर्ड	,,
29.	प्राचार्य, माणिक्य लाल, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	,,
30.	उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास	,,
31.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. उदयपुर	सचिव

समिति के विचारणीय विषय

समिति निम्नलिखित मामलों पर अपनी राय राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी:–

1. उपयोजना क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की दिशा निर्देशन।
2. आदिवासियों का सामाजिक व आर्थिक शोषण रोकने हेतु।
3. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों का जीवन स्तर राज्य के दूसरे भागों के निवासियों के स्तर पर लाने के सम्बन्ध में।

यह समिति स्थाई होगी।

समिति का कार्य क्षेत्र राज्य का जनजाति उपयोजना क्षेत्र होगा। समिति की बैठक साधारणतया वर्ष में तीन बार होगी और इसका कोरम कुल सदस्यों का 1/4 भाग होगा।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगा।

आज्ञा से

ह/–

(विरेन्द्र सिसोदिया)

शासन उप सचिव

416

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :—

1. समस्त सदस्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रस्तुत है :—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमन्त्री
2. निजी सचिव, मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव
4. निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, राज. जयपुर
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उनकी टीप सं. 596/टी.ए.डी./81–82 दिनांक 6–11–81 के सन्दर्भ में।
6. रक्षित पत्रावली।

नोट:—इस आज्ञा में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन अथवा समिति के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना के लिए सीधे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से पत्र व्यवहार करें।

ह./–

अनुभाग अधिकारी

वर्ष 1982–83 में किए गए आवंटन एवं व्यय का विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं. सेक्टर	आवंटन					व्यय (माह जनवरी, 83 तक)				
	राज्य योजना	वि.के.स.	संस्थागत वित्त	के.प्र.यो.	योग	राज्य योजना	वि.के.स.	संस्थागत वित्त	के.प्र.यो.	योग
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	400.48	174.83	117.00	189.36	881.67	252.83	70.57	91.82	110.22	525.44
2. सहकारिता	50.00	39.30	–	51.43	140.73	2.56	30.40	–	–	32.96
3. जल एवं विद्युत विकास	3290.00	–	–	–	3290.00	1999.93	–	–	–	1999.93
4. उद्योग एवं खनिज	196.00	–	82.19	7.45	286.52	58.19	–	19.70	2.96	80.85
5. यातायात एवं संचार	120.00	–	22.10	–	142.10	142.97	–	7.20	–	150.17
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	454.36	160.00	26.39	47.07	687.90	268.80	39.48	2.96	26.05	337.29
7. आर्थिक सेवायें	2.14	–	–	0.16	2.30	2.00	–	–	0.13	2.13
8. सामान्य सेवायें	11.24	35.79	–	–	47.03	3.96	12.12	–	–	15.10
योग:—	4525.10	410.00	247.68	295.47	5478.25	2730.34	152.57	121.68	139.36	3143.95 (57.39%)

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 542 की सूचना

पाली जिले में वर्ष 81–82 में समाज कल्याण विभाग द्वारा किये कये व्यय का विवरण

क्र. सं.	मद	आवंटित बजट वर्ष 81-82	वास्तविक कुल व्यय	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	परिवीक्षा सेवाये (आयोजना भिन्न)	21,172.00	20,918.00	
2.	परिवीक्षा सेवाये (आयोजना व्यय)	26,250.00	26,720.00	
3.	प्रशासन और निर्देशन (आयोजन भिन्न)	43,900.00	49,203.00	
4.	प्रशासन और निर्देशन (आयोजना व्यय)	2,150.00	1,053.00	
5.	(क) अनुसूचित जातियों का कल्याण छात्रावासों का संधारण (अनुसूचित जाति आयोजना भिन्न)	2,91,300.00	2,65,277.00	
6.	(ख) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण छात्रावासों का संधारण (अनुसूचित जन जाति)(आयोजना भिन्न)	2,28,770.00	1,74,203.00	
7.	(ग) अनुसूचित जन जातियो का कल्याण	40,350.00	38,182.00	

Page No 411

(419)

1	2	3	4	5
	स्वैच्छिक अभिकरणो को सहायता छात्रावासो का संधारण-अनुदान अनुसूचित जतजाति अयोजना भिन्न)			
8.	(ख) अनुसूचित जातियों का कल्याण स्वेच्छिक अभिकरणो का सहायता छात्रावासो का संधारण (अनुसूचित जाति आयोजना भिन्न)	33,363.00	33,353.00	
9.	(घ) विमुक्त एवं धुमन्तु जातियों का कल्याण छात्रावासों का संधारण (डी. डी. नान प्लान)	2,10,427.00	1,65,342.00	
10.	(घ) विमुक्त एवं धुमन्तु जातियों का कल्याण (4) छात्रवृतियां व वजिफा डी. टी. होस्टल-तृतीय श्रेणी नान प्लान	20,000.00	18,460.00	
11.	(ख) अनुसूचित जातियों का कल्याण भंगी कष्ट मुक्ति–छात्रावासो का संधारण केन्द्रीय प्रवृतित योजना	18,265.00	15,065.00	
12.	(ख) अनुसूचित जातियो का कल्याण (1) बेरोजगार वृतिका (एस. सी. प्लान)	12,500.00	3,705.00	

५२०

1	2	3	4	5
13.	अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 1–बेरोजगार वृतिका (एस. टी. प्लान)	–	–	–
14.	(ख) अनुसूचित जातियों का कल्याण उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियां आयोजन भिन्न None Plan	68700.00	91,662.00	
15.	(ग) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण–उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियां नोन प्लान	8630.00	9,108.00	
16.	(ख) अनुसूचित जातियां का कल्याण कुटिर उद्योग नोन प्लान	29,650.00	17,807.00	
17,	(ख) अनुसूचित जातियां का कल्याण कृषि कूप ऋण व्याज पूर्नभरण	14000.00	5034.00	
18.	(ग) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण–कृषि कूप व्याज पूर्नभरण	10000.00	3201.00	
19.	(ख) विकलांगो की शिक्षा और कल्यण–छात्रवृतियां (राज्य सरकार) नोन प्लान	1,37,500.00	1,27,500.00	
20.	(ख) विकलांगो की शिक्षा और कल्याण–छात्रवृतियां (केन्द्रीय प्रवृतित योजना)	1500.00	1200.00	
21.	पोषाहार कार्यक्रम (घ) परिवार और बाल कल्याण नान प्लान न्यूट्रेशन प्रोग्राम	3,60,110,00	3,24,096,00	

(५२)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 638 की सूची

परिशिष्ट "एक"

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों की सूची वर्ष 1978–79

क्र. सं.	आवेदक का नाम
1.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
2.	,, नाथू सिंह
3.	,, रघुवीर सिंह कौशल
4.	,, ललित किशोर चतुर्वेदी
5.	,, प्रो. केदार नाथ
6.	,, एस. एन. चौधरी
7.	,, श्याम सुन्दर सोमानी
8.	,, पदम सिंह
9.	,, हर चन्द (भू. पू.)
10.	,, माणक चन्द सुराणा (भू. पू.)
11.	,, रणछोड़ दास (भू. पू.)
12.	,, बाल किशन
13.	,, हरीश शर्मा
14.	,, जय नारायण पूनिया (भू. पू.)
15.	,, हरिशंकर भाभड़ा
16.	,, जीत मल जैन
17.	,, नारायण लाल मीणा
18.	,, खंगार सिंह
19.	,, काशी नाथ गुप्ता (भू. पू.)
20.	,, माधो सिंह
21.	,, माणक लाल ठाकुर

(122)

क्र. सं.	आवेदक का नाम
22.	श्रीमती मदन कंवर
23.	,, नाथू राम मिर्धा
24.	,, रामजी लाल
25.	,, रघुनाथ विश्नोई (भू. पू.)
26,	,, शंकर लाल (भू. पू.)
27.	,, शिवचरण सिंह
28.	श्रीमती श्यामा कुमारी
29.	श्री स्वामी दिनेश चन्द
30.	,, गुल मोहम्मद
31.	,, अय्यूब खाँ
32.	,, मोहन लाल
33.	,, नवल राय बच्चानी
34.	,, गोविन्द सिंह (भू. पू.)
35.	,, हरजी राम
36.	,, नवरंग सिंह
37.	,, नरेन्द्र पाल सिंह (भू. पू.)
38.	,, ओम प्रकाश
39.	श्रीमती पुष्पा जैन

परिशिस्ट-"दो"

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों को आरक्षित/आवंटित किये गये मकानों की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवंटित मकान खरूख्या
1.	श्री भैरोंसिह शेखावत	50X90 आरक्षण (म. नं. आवंटित करना है)
2.	,, रघुवीर सिंह कौशल	4–अ–21 जवाहर नगर
3.	,, ललित किशोर चतुर्वेदी	3/30 जवाहर नगर
4.	,, प्रो. केनार नाथ	4–अ–16 जवाहर नगर
5.	,, पदम सिंह	12X20 अवंटन 2/8 मालवीय नगर
6.	,, हरिशंकर भाभड़ा	3/34 आवंटन मालवीय नगर
7.	,, जीत मल जैन	11X18 आवंटन 4/21 जवाहर नगर
8.	,, माधो सिंह	87.97 आवंटन 2/415 जवाहर नगर
9.	,, नाथू राम मिर्घा	4/237 जवाहर नगर
10.	,, मोहन लाल	1/1226 आवंटन माललीय नगर
11.	,, नवल राय बच्चानी	2/5 जवाहर नगर
12.	,, हरजी राम	2/634 आवंटन मालवीय नगर
13	,, नवरंग सिंह	2/444 आवंटन मालवीय नगर
14	श्रीमति पुष्पा जैन	11X18 आवंटन 4/11 मालवीय नगर

(५२५)

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 639 से सम्बन्धित सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

कोटा में मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में अवैध दुकानों के निर्माण की सूची

क.सं.	मकान संख्या	मकान मालिक का नाम	अवैध दुकानों की संख्या
1	2	3	4
विज्ञान नगर :			
1.	1–य–1	श्री जिग्रो राम	2
2.	1–ज–18	श्री रामकिशन वर्मा	1
3.	1–र–20	श्री भक्षरमल	1
4.	1–ल–26	श्रीमति जय देवी	5
5.	1–व–31	श्री हेमनदास	1
6.	1–भ–30	श्री सुनील बतरा	3
7.	1–भ–28	श्री राजेन्द्र दीक्षित	2
8.	1–व–37	श्री कन्हैयालाल	1
9.	1–भ–40	श्री बृजमोहन	2
10.	1–प–17	श्री शरदानन्द प्रसाद	1
11.	1–ठ–22	श्री छोटूलाल	1
12.	1–ट–42	श्री पदमकुमार जैन	1
13.	1–ट–17	श्रीमति उषा कुमारी	1
14.	1–झ–16	श्री योगेन्द्र कुमार खुराना	2
15.	1–झ–11	श्री दर्शनदास	5
16.	1–त–12	श्री आर. एन. गुप्ता	1
17.	1–छ–18	श्रीमति शशि भट्टनागर	5
18.	1–व–17	श्री बलदेवसिंह	1

1	2	3	4
19.	2–ट–10	श्री रामनिवास शर्मा	1
20.	2–म–27	श्रीमति कुमुद जौहरी	1
21.	2–लं–16	श्री किशन चन्द	1
22.	2–द–12	श्री दीपचन्द	1
23.	2–ध–1	श्री कैलाशचन्द अग्रवाल	5
24.	2–द–11	श्री द्वारकालाल गुप्ता	2
25.	2–द–10	श्री रमेशचन्द गुप्ता	3
26.	2–प–11	श्री उधाराम	5
27.	2–फ–14	श्री प्रीतीपाल सिंह	4
28.	2–फ–4	श्री लट्टूलाल गोचर	1
29.	2–प–23	श्री रघुवंशी शर्मा	5
30.	2–ग–13	श्री प्रेमचन्द	1
31.	2–ग–35	श्री हरबंस सिंह	1
32.	2–ग–32	श्री बी. आर. सूरी	1
33.	2–ग–28	श्री ओमप्रकाश असद	1
34.	2–घ–1	श्री डी. पी. शर्मा	2
35.	2–घ–34	श्री एस. सी. बुग	2
36.	2–घ–23	श्री अलाबक्स	1
37.	2–घ–28	श्री गोपाल लाल	1
38.	2–छ–1	श्री गुरुशरण गुण्डारा	3
39.	2–घ–30	श्री चेतन कुमार जैन	1
40.	2–ध–1	श्रीमति कौशल्या आहूजा	2
41.	2–ब–3	श्री एम. बी. खण्डेलवाल	1

1	2	3	4
42.	2–ध–15	श्री असगर अली खान	3
43.	2–ध–57	श्री ए. के. विजय	2
44.	2–ध–10	श्री जी. एल. छाबड़ा	5
45.	2–ब–7	श्री ज्योति प्रसाद गुप्ता	1
46.	3–क–55	श्री नाथूलाल शर्मा	1
47.	3–ज–16	श्री फूलचन्द वर्मा	1
48.	3–ख–7	श्री पी. सी. जैन	1
49.	3–ख–17	श्री तुलाराम	2
50.	2–ख–26	श्री खूबचन्द	1
51.	3–द–23	श्रीमति चन्द्रावति अग्रवाल	1
52.	3–द–15	श्री हंसानन्द	2
53.	3–द–31	श्रीमति विजय देवी	1
54.	3–च–11	श्रीमति पदमा	1
55.	3–च–12	श्री लालचन्द जैन	2
56.	3–त–43	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	2
57.	3–त–27	श्री तुलसीराम	1
58.	3–त–19	श्री नन्दलाल	1
59.	3–ल–51	श्रीमति चम्पा बाई	1
60.	3–ल–52	श्री ज्ञानचन्द	1
61.	3–ल–36	,, छन्नू खां	1
62.	3–र–52	,, मदनलाल	1
63.	3–फ–4	,, अब्दुल रजाक	1
64.	3–फ–1	,, ईद मोहम्मद	1

1	2	3	4
65.	3–ख–29	श्री स्वरूप जैन	1
66.	3–प–1	,, मूलचन्द	1
67.	3–द–33	,, मोहन सिंह	1
68.	3–द–34	,, रमेशलाल	1
69.	4–न–1	,, रामलाल	3
70.	4–न–6	,, लक्ष्मण सिंह	1
71.	4–न–12	,, मंगेज खां	2
72.	4–घ–24	,, मनोहरलाल	1
73.	4–घ–35	,, राधेश्याम गुप्ता	1
74.	4–घ–13	,, मोहनलाल विजय	2
75.	4–क–12	श्रीमति लाड़कंवर शर्मा	1
76.	4–ग–13	श्री गोकुल प्रसाद तेड़वाल	2
77.	4–ज–41	,, लालचन्द	1
78.	4–ब–24	,, कुंजविहारी गुप्ता	1
79.	4–ब–19	,, तेजमल	1
80.	4–त–33	श्रीमति मिथिलेश कुमारी गुप्ता	[illegible]
81.	4–भ–27	श्री रविशंकर माथुर	1

दादाबाड़ी योजना :

1.	1–क–1	श्री पी. एस. माथुर	1
2.	1–क–28	,, शरदचन्द	2
3.	1–क–31	,, प्रदीपकुमार	1
4.	1–छ–1	,, विजयकुमार हरलाल बालूटा	3
5.	1–छ–12	,, सुभाषचन्द अरोड़ा	3

1	2	3	4
6.	1–ज–2	श्रीमति सरला जैन	1
7.	2–ट–2	श्री महेश कुमार जैन	1
8.	1–ब–1	,, प्रेमचन्द	5
9.	1–न–1	,, हरीराम	1
दादाबाड़ी विस्तार योजना :			
1.	4–फ–7	श्री चेतनदास	2
2.	4–वी–12	,, राजकुमार	2
3.	4–एफ–1	,, गजानन्द शर्मा	1
4.	4–ई–9	श्रीमति आशारानी शर्मा	1
5.	3–डी–38	श्री वल्लभ गुप्ता	6
6.	3–जी–32	,, रमजान	क्लिनिक
7.	3–ए–17	,, महावीर प्रसाद जैन	1
8.	3–ए–11	,, राधेश्याम	2
9.	3–ए–12	श्रीमति स्नेहलता शर्मा	2
10.	3–ए–8	श्री तेज कुमार जैन	1
तलवंडी योजना :			
1.	4–ए–6	श्री जयकुमार जैन	1
2.	4–जी–15	,, देवेन्द्र कुमार	1
3.	2–आई–15	,, जगदीश चन्द	1
4.	2–ज–15	,, विद्यासागर	1
5.	1–बी–38	,, सतरनदास	1
6.	1–बी–39	,, गुरमुखसिंह	1
7.	1–बी–27	,, मिश्रीलाल जैन	1

1	2	3	4
8.	2–सी–1	श्री कपीयल सुशील जैन	1
9.	2–सी–18	,, श्रोमप्रकाश	1
10.	1–श्राई–4	,, राधेश्याम	1
11.	1–श्राई–19	कुमारी नीति टिक्कू	1
12.	1–के–17	श्रीमति शीतलदेवी जैन	1
13.	1–एल–14	श्री मधुसूदन खण्डेलवाल	1
14.	1–पी–34	श्रीमति हरी प्रभा	1
15.	1–श्रार–1	श्री पवनकुमार	1
16.	1–श्रार–33	,, मोहम्मद रहीम	1
17.	1–श्रार–36	,, कृष्णलाल	1
18.	1–एस–18	,, जयलाल	1
19.	1–एस–19	श्रीमति सुमित्रा देवी	1
20.	1–टी–12	,, पुष्पा देवी	1
21.	1–टी–15	श्री शंकरलाल	1

(430)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 640 से सम्बन्धित सूचना

परिशिष्ट "क"

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु गत पांच वर्ष में छात्रवृत्ति हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय की सूचना

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
	अनुसूचित जाति	
1978–79	1,22,14,800	1,24,35,325
1979–80	1,25,08,000	1,24,54,643
1980–81	1,33,32,000	1,30,81,958
1981–82	2,64,19,510	2,22,19,644
1982–83	1,70,08,000	सूचना वर्ष समाप्ति पर प्राप्त होगी।
	अनुसूचित जनजाति	
1978–79	72,22,000	75,35,000
1979–80	76,35,000	76,87,840
1980–81	90,82,000	86,58,680
1981–82	1 83,22,000	1,44,32,467
1982–83	1,06,45,000	सूचना वर्ष समाप्ति पर प्राप्त होगी।

(431)

परिशिष्ट "ख"

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उच्च प्राथमिक हायर सेकेण्डरी के छात्रों को दी गई छात्रवृति का विवरण गत पांच वर्षों की सूचना

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	पूर्व मेट्रिक छात्रवृति	
1978-79	57,493	37,281
1979-80	53,289	32,994
1980-81	59,315	32,578
1981-82	73,158	48,272
1982-83	1,17,865	62,571 संभावित छात्र
	उत्तर मेट्रिक छात्रवृति (कालेज)	
1978-79	5,204	3,196
1979-80	6,925	4,180
1980-81	7,603	5,521
1981-82	9,821	7,079
1982-83	12,434	8,201 संभावित छात्र

(432)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 641 का विवरण

कोटा जिले में माड़ा योजना के अन्तर्गत वर्ष 82–83 में आवंटित एवं व्यय राशि का ब्यौरा :–

योजना का नाम	राशि खर्च करने का प्रावधान/आवंटन	राशि खर्च	शेष राशि खर्च करने से रही
1. एनीकट	2·08	2·13	0·050
2. पेयजल/हैण्डपम्प	2·05	––	2·05
3. चिकित्सा	0·40	––	0·46
4. फार्म फोरेस्ट्री	1·00	––	1·00
5. व्यक्तिगत लाभ	0·50	––	0·50
6. शिक्षा प्रोत्साहन	0·85	0·72	0·13
7. प्राथमिक शाला	0·50	––	0·50
	7·44	2·85	4·59

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 644 की सूचना

परिवहन विभाग में परिवहन निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के पद पर की गई नियुक्तियों का विवरण :—

1. **मोटर व्हीकल इन्सपेक्टरों के भरे गये पदों का विवरण :**

(क) पदोन्नति द्वारा

वर्ष	पदों की संख्या
1970	1
1973	2
1974	5
1975	5
1976	8
1977	9
1978	3
1879	5
1980	1

(ख) सीधी भर्ती द्वारा।

वर्ष	पदों की संख्या
1958	1
1959	1
1972	1
1974	3
1980	12
2981	1

Page No 426

(434)

2. मोटर व्हीकल इन्सपेक्टरों के भरे गये पदों का विवरण :

(क) पदोन्नति द्वारा

वर्ष	पदों का संख्या
1977	8 पद
1978	1 पद
1979	4 पद
1982	1 पद

(ग) सीधी भर्ती द्वारा

वर्ष	पदों की संख्या
1958	1 पद
2977	9 पद
1978	8 पद
1980	10 पद

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 649 का विवरण

List of medicines found in the Almirah

List 'A' (Timebarred Medicines)

S. No.	Name of Medicines	Quantity	Date of Expiry	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Syp. Ferronicum	12x200ml.	Feb., 83	Rs. 6.25
2.	Syp. Cedicycline	4x60ml.	July, 82	Rs. 18.80
3.	Intestopan Suspension	2x85ml.	May, 81 April, 82	Rs. 9.52
4.	Syp. Ifimycin	1x60ml.	21–1–83	Rs. 5.15
5.	Tab. Myambutol 200mg.	262 Tab.	1–1–81	Rs. 148.03
6.	Tab. Telrutin Veginal	11 Tab.	Jan., 82	Rs. 6.19
7.	Tab. Mycropyrin–C	2 Tab.	April, 81	Rs. 0.30
8.	Inj. S. M. 1 gm.	15 Vials	May, 82	Rs. 18.75
9.	Inj. Biocillin 1 gm.	2 Vials	Oct., 82	Rs. 17.35
10.	Inj. Streptopenicillin 1 gm.	2 Vials	April, 81	Rs. 3.60
11.	Inj. Neurobion 3 ml.	5 Amp.	30–3–80	Rs. 13.00
12.	Inj. Sterogyl 15 'o'	11 Amp.	Feb., 79	Rs. 6.60
13.	Inj. C. S. Pen. 5 lac	1 vial	April, 82	Rs. 1.05
14.	Dexona E/E Drops	1 Vials	Jan. 82	Rs. 6.62
15.	Achromycin E/E Drops	1 Vial	Nov., 81	Rs. 2.47
16.	Collosal Argentum	1x14 ml.	May, 79	Rs. 3.17
17.	Bipicycline Ped. drops	1x5 ml.	July, 81	Rs. 2.15
18.	Eramygen E/E drops	3 Vials	Dec., 82	Rs. 7.65
19.	Betonvate–N Oint.	3x15 gm.	Feb., 82	Rs. 31.80
20.	Topicasone Oint.	1x15 gm.	June, 82	Rs. 11.25

436

1	2	3	4	5
21.	Cap. Chloromycetine	6 Cap.	Nov., 82	Rs. 1.50
22.	Cap. Trinergic	9 Cap.	Jan., 81	Rs. 4.50
23.	Cap. Rosceillin	2 Cap.	May, 82	Rs. 2.50
24.	Tab. Basitone forte	9 Tab.	Jan., 81	Rs. 3.15
25.	Cap. Sandocycline	12 Cap.	Aug., 82	Rs. 11.20
26.	Cap. Neurotrate	3 Cap.	Jan., 81	Rs. 1.50
27.	Cap. Ampyn	2 Cap.	Jan., 81	Rs. 2.75
28.	Cap. Intestopen In.	80 Cap.	May, 82	Rs. 14.40
29.	Cap. Amicline Flus	20 Cap.	Jan., 83	Rs. 14.20
30.	Tab. Belladenal-In	37 Tabs.	Oct., 82	Rs. 5.18
31.	Tab. Erythromycin 250 mg.	73 Tabs.	Sept., 82	Rs. 70.85
32.	Tab. Pregnidoxin	9 Tab.	Sept., 81	Rs. 4.05
33.	Tab. Furamide Comp.	64 Tab.	Aug., 82	Rs. 25.60
34.	Tab. Fenocin	1 Tab.	Aug., 81	Rs. 2.10
35.	Tab. Ledermycin	18 Tab.	Jan., 81	Rs. 28.80
			Total—	Rs. 511.98

(437)

List of Items of Medisines found in a almirab

Part B–Useable

S.No.	Name of medicines	Quantity	Cost	Remarks
1.	Syp. Ferronicum	12x200 ml.	60.24	
2.	Syp. Selvigon–500 ml.	6 Bott.	148.85	
3.	Syp. Coscopin	3x500 ml.	24.24	
4.	Syp. Premaffin Pink	4x200 ml.	31.04	
5.	Syp. Maglugyl	3x210 ml.	15.60	
6.	Syp. Lybex	3x500 ml.	43.35	
7.	Syp. Tedral	2x400 ml.	31.50	
8.	Syp. Avil	1x400 ml.	8.60	
9.	Syp. Paracetamol	3x450 ml.	28.71	
10.	Syp. Coughlinctus–300 ml.	1 bott.	12.87	
11.	Syp. Valiliv	2x200 ml.	14.36	
12.	Syp. Universal Compound	1x300 ml.	22.36	
13.	Spirit Ractified	100 ml. (llose)	00.81	
14.	Lotion Caladryl	1x57 ml.	3.50	
15.	Syp. Phenargan	1 Bott (Loose)	5.46	
16.	Savlon Cont.	1 Boot.	44.62	
17.	Tab. Koxmitol–400 mg.	50 Tab.	18.50	
18.	Tab. Tibitol–400 mg.	75 Tab.	27.75	
19.	Tab. Mycobutol–400 mg.	84 Tab.	31.62	
20.	Tab. Ethamoutol–200 mg.	100 Tab.	21.84	
21.	Tab. Analgin	22 Tab.	3.20	
22.	Tab. Avil	27 Tab.	2.70	
23.	Tab. Methyldopa	50 Tab.	19.84	
24.	Tab. Dianabol	14 Tab.	6.30	

1	2	3	4	5
25.	Tab. Phenargan	9 Tab.	00.30	
26.	Tab. Decaris (Child)	2 Tab.	1.40	
27.	Tab. Baralgan	115 Tab.	34.50	
28.	Tab. Reducin-A	3 Tab.	00.75	
29.	Themibutol–400 mg.	6 Tab.	2.40	
30.	Cap. Choloromycetin	80 Cap.	16.40	
31.	Inj. Deriphyllin–2 ml.	5 Amp.	2.80	
32.	Inj. Esgipyrine–5 ml.	5 Amp.	9.95	
33.	Inj. Zolandin–3 ml.	4 Amp.	7.36	
34.	Inj. Micren	3 Amp.	3.27	
35.	Inj. Bellafoline–in	4 ,,	3.80	
36.	Inj. Dianabolin 25 mg.	7 ,,	14.35	
37.	Inj. Aquaviron 1 ml.	2 ,,	7.00	
38.	Inj. Progestin–5 mg.	25 ,,	32.00	
39.	Inj. Inj. Morphia Sulphade	1 ,,	Free supply from DM&HS	
40.	Serpasil 1 mg.	5 ,,	5.00	
41.	Inj. Morphin with Atropine	2 ,,	Free supply from DM&HS	
42.	Inj. Pethiddine 50 mg.	1 ,,	0.65	
43.	Cap. Chlorostrept	77 Cap.(Strip)	16.94	
44.	Tab. Ethambutol	92 (Loose)	21.00	
44-A	Tab. Metacin	64 Tab.	4.48	
45.	Cap. Ampicillin 250 mg.	131 Cap.	77.01	
46.	Nosol Drop 10 ml.	1 ph.	3.12	
47.	Otrivin Drops (Nosol) 10ml.	1 ph.	3.10	

Page No 431

439

1	2	3	4	5
48.	Oraboline Drops 5 ml.	2 ph.	11.34	
49.	Tolnaftate (Tenaderm) 10ml.	1 ph.	6.70	
50.	Quadriderm Oint 5 mg.	2 Tube	8.50	
51.	Legnotox Oint. 30 mg.	1 Tube	5.00	
52.	Bredex Vioform 20 gm.	1 Tube	6.00	
53.	Selodrem 20 gm.	2 Tubes	6.42	
54.	Hydrocortisone Drops 3 ml.	2 Vial	6.24	
55.	Cap. Folestine	10 Cap.	5.29	
56.	Cap. Dimotyhyl Tetracycline	6 Cap.	8.46	
57.	Tab. Supristol	22 Tab.	16.28	
58.	Tab. Serebenthine	14 ,,	8.00	
59.	Tab. Indoxme	7 ,,	0.84	
60.	Tab. Uni-Enzyme	6 ,,	1.50	
61.	Tab. Erythromycin	100 ,,	33.28	
62.	Mentexole	31 ,,	15.50	
63.	Tab. Ploarime Repetabab	84 ,,	27.72	
64.	Tab. Zolandin Alka	52 ,,	10.55	
65.	Tab. Spalcin	42 ,,	16.80	
			1089.96	
66.	Tab. Sodium Aminosalicylate	101 Tab. (loose)	5.20	
67.	Tab. Asmapax depot	32 ,,	5.66	
		16 ,, (physician sample)		

(440)

1	2	3	4	5
68.	Tab. Furazoiidone	100 ,,	3.32	
69.	Tap. Sulpha Dizene 0.5 gm.	410 ,,	51.65	
70.	Tab. Ostocalcium	210 ,,	25.20	
71.	Tab. Deriphylline	145 ,,	11.15	
72.	Tab. Vagenine	65 Tab.	7.80	
73.	Tab. Tedral-SA	35 ,,	6.80	
74.	Tab. Ephedrine	157 ,,	1.57	
75.	Tab. ITP-Vaginal	26 ,,	5.00	
76.	Tab. Spasimodic	126 ,,	20.16	
77.	Tab. NFT	36 ,,	6.30	
78.	Tab. Vasograin	20 ,,	9.26	
79.	Tab. Spasmindon	24 ,,	6.00	
80.	Tab. Sulpha guadine	182 ,,	14.56	
81.	Tab. Aspirin	225 ,,	3.38	
82.	Tab. Esidrex 50 mg.	16 ,,	1.11	
83.	Tab. Phenipan	15 ,,	3.17	
84.	Lanoxin 25 mg.	10 ,,	0.40	
85.	Tab. Carbamazepine	18 ,,	12.00	
86.	Tab. Furaquinol	480 ,,	48.00	
87.	Tab. Speman	60 ,,	9.60	
88.	Aldactone	10 ,,	25.00	
89.	Antrenyl	45 ,,	4.05	
90.	Nutracholine	34 ,,	6.00	
91.	Tab. Stanpan	110 ,,	55.45	

Page No 433

(441)

1	2	3	4	5
92.	Placidox	50 Tab.	8.75	
93.	Metakelfin.	2 ,,	4.36	
94.	Tab. Harbolax (strang)	11 ,,	0.77	
95.	Cap. Parmexine	30 Cap.	6.60	
96.	Tab. Liv-52	100 Tab.	6.50	
97.	,, Folic Acid	10 ,,	0.27	
98.	,, Matronidazole 200 ml.	21 ,,	1.89	
99.	,, Alarax	10 ,,	1.15	
100.	,, Surmontil 25 mg.	10 ,,	4.50	
101.	,, Serepax	12 ,,	1.44	
102.	,, Emidoxyn	12 ,,	3.60	
103.	,, Dytide	7 ,,	0.63	
104.	,, Gravol	30 ,,	9.00	
105.	,, Tuxyne	4 ,,	1.00	
106.	,, Orabolin 2 ml.	31 ,,	2.80	
107.	,, Librium	9 ,,	0.25	
108.	,, Ismofen	17 ,,	3.61	
109.	,, Garoin	15 ,,	1.50	
110.	,, Robenazol	6 ,,	1.80	
111.	,, Grisovin-FP	8 ,	2.16	
112.	,, Relaxide	4 ,,	1.00	
113.	,, Vasograine	3 ,,	1.05	
114.	,, Diamox	3 ,,	1.20	
115.	,, Actifed	2 ,,	0.34	
116.	,, Stelabid	7 ,,	1.33	
117.	,, Gestanin	5 ,,	4.00	
118.	,, Terbolan	5 ,,	0 60	

(442)

1		2	3		4	5
119.	,,	Farinorm	4	,,	1,00	
120.	,,	Ethamutol	2	,,	0.52	
121.	,,	Dramanine	4	,,	0.80	
122.	,,	Alsopcin	4	,,	0.60	
123.	,,	Emidoxyn	3	,,	1.00	
124.	,,	Eszypyrine	2	,,	0.40	
125.	,,	Incidal	2	,,	0.30	
126.	,,	Baralgan	1	,,	0.30	
127.	,,	Searle No. 12	1	,,	0.20	
128.	,,	Intestopan	1	,,	0.25	
129.	,,	Multi vitamin	5	,,	0.25	
130.	,,	Torbitrate	30	,,	2.40	
131.	,,	Sorbitrate	21	,,	2.10	
132.	,,	Phensedyl	15	,,	2.25	
133.	,,	Mydrindron9B	25	,,	1.00	
134.	,,	Chloroquin	49	,,	7.50	
135.	I. V. Set		3	Set	15.00	
136.	Mini-Flex		1	Bottlo	10.00	
137.	Gioves		2	Pairs	4.50	
138.	Rubber		1		4.00	
139.	Syringe 10 mi.		1	(baokeb)	8.00	
140.	at Sr. No. 44 A					
				Total–	1573.24	

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 650 की सूची

प्रशासन गांवों की ओर अभियान में जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में
वेदखल किये-गये मामले तहसीलवार

जिला	तहसील	कुल मामले	बेदखल किये गये मामले
जैसलमेर	जैसलमेर	4,834	3,782
,,	पोकरण	408	322
बाडमेर	बाड़मेर	222	222
,,	शिव	1,098	1,098
,,	चौहटन	87	87
,,	गुड़ामालानी	103	103
,,	पंचभदरा	33	33
,,	शिवाना	585	585

सरकारी भूमि में एवं गोचर भूमि पर किये गये
अतिक्रमणों के मामलों की स्थिति

जिला	तहसील	सरकारी भूमि पर	गोचर भूमि पर
जैसलमेर	जैसलमेर	4,834	शून्य
,,	पोकरण	355	53
बाडमेर	बाडमेर	192	30
,,	शिव	681	417
,,	चौहटन	71	16
,,	गुडामालानी	72	31
,,	पंचभदरा	33	शून्य
,,	शिवाना	418	167

(४४५)

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 655 की सूची

सड़कों की सूची

क्रम संख्या 1	जिला 2	सड़क का नाम 3
1.	जयपुर	नकची घाटी नायला वायाकुरडां, पालरी
2.		नकची घाटी से नायला
3.	धौलपुर	बसई से चम्बल नदी
4.	सवाई माधोपुर	झरना से कोटडी
5.		कोटडी से झरना
6.		हिण्डोन से खरेटा
7.		खरेडा से झरना
8.		मारूलपुर से खेड़ा
9.		संकरा से सरमथुरा
10.	अजमेर	पुराने ब्यावर गांव से सरधना गांव तक
11.	जोधपुर	चौपासनी से कदमकुण्डी
12.	नागौर	गोटन से पडलु वाया केसवा की ढ़ाणी
13.		रावत डुंगरी से मातावार तक
14.		बोरावड से बोरावड़ खाने तक
15.		पिंकरेज एवं चकडूंगरी
16.		मकराना बिडियाद
17.		मकराना से रावत डूंगरी
18.		मकराना से गुनावटी सड़क
19.	कोटा	पीपलिया मुकेत से कुम्भकोट
20.	बून्दी	घनेश्वर से डॉबी वाया सतपुड़ा
21.		डॉबी से लाम्बाखोह
22.		डॉबी से बुधपुरा

Page No 437

(५४५)

1	2	3
23.		लाम्बाखोह से गुड़ा
24.	बूंदी	बुधपुरा से नल का माताजी
25.		धनेश्वर से डॉबी
26.		डॉबी से बुधपुरा
27.		करोड़ी से धनेश्वर
28.		नमाना से गंवार
29.		गरड्डा से गंवार
30.		उभर से मेनरोड़ सड़क
31.	उदयपुर	उदयपुर से झामरकोटड़ा
32.		उमरा रेल्वे स्टेशन से बागदड़ा
33.	भीलवाड़ा	सतकुंडिया बहादुर जी का खेड़ा तिलस्मा सड़क का निर्माण
34		बिनिसा का तालाब के कठबारा गुढ़ा
35		सदाराम जी का खेड़ा, नया गांव, नला माताजी
36.		सतकुण्डियां से बहादुर जी का खेड़ा
37.		बिलीया का तालाब से कठबारा गुढ़ा
38.		आरोली से नया नगर
39.		मालीखेड़ा सतकुडिया वाया बिजौलिया
40.		आमली से महेन्द्रगढ़
41.		खोसीथल से जांमाता
42.		लाखोड़ा से शाहजिया जी वाया रामपुरिया
43.	जयपुर	लक्ष्मण डूंगरी से नरवरदास का खोला
44.	धौलपुर	सेपऊ से धौलपुर तक
45.	बाड़मेर	भोंडका से आँकली वाया घुमती
46.	उदयपुर	उदयपुर शहर से झामरकोटड़ा

Page No 438

(५५६)

1	2	3
47.	उदयपुर	केवड़ा से वावरमल
48.		कुंडियाल, खामील, वतीया, छोरी सड़क के वचे हुए भाग एवं सी. डी. कार्य का निर्माण
49.		धोरी, रोडितवाड़ा, टपाणा, मेटाली सड़क के वचे हुए भाग
50.		कुण्डाल खामील, वलिया, धोरी, टपाणा, रोहितवाड़ा, मेटाली, डूंगरपुर सडक का निर्माण
51.		भरकुंडिया से परसोला
52.		रिखवदेव, भूदर, कोटवाड़ा, जवास
53.		केलवा से गलाई
54.	बांसवाडा	तलवाडा से उमराई

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 656 की सूची

(1) स्थानों की सूची जहां पर राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 की समस्त धारायें लागू की गई है :—

1. जयपुर
2. जोधपुर
3. बीकानेर
4. उदयपुर
5. कोटा
6. अलवर
7. सीकर
8. टोंक
9. चूरू
10. भरतपुर
11. श्री गंगानगर
12. भीलवाडा
13. रतनगढ़
14. फतेहपुर
15. सरदार शहर
16. सुजानगढ़
17. किशनगढ़
18. पाली
19. बून्दी
20. बाड़मेर
21. अजमेर
22. ब्यावर
23. झुन्झुनू
24. धौलपुर
25. गंगापुर
26. हनुमानगढ़
27. बांरा
28. लाडनूं
29. हिण्डौन
30. करौली
31. बांसवाड़ा
32. नवलगढ़
33. नसीराबाद
34. चित्तौड़गढ़
35. आबूरोड़

४५८

(2) स्थानों की सूची जहां पर राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 की धारा 4, 5, 6, 11, 12 एवं 33 लागू की गई है :—

1. लक्ष्मणगढ़
2. फलौदी
3. राजगढ़
4. सोजत
5. सांभर
6. मकराना
7. कुचामन
8. डीग
9. रामगढ़
10. चौमू
11. नाथद्वारा
12. जैसलमेर
13. बारी
14. डीडवाना
15. डूंगरगढ़
16. सिरोही
17. चिड़ावा
18. शाहपुरा
19. पीपर
20. पिलानी
21. सादडी
22. दौसा
23. नोहर
24. निम्बाहेड़ा
25. बिलाड़ा
26. कोटपूतली
27. तारानगर
28. डूंगरपुर
29. केकडी
30. देवली
31. विजयनगर
32. जालोर
33. करनपुर
34. भादरा
35. गंगा शहर
36. राजलदेसर
37. कामां
38. बयाना
39. सवाईमाधोपुर
40. बांदीकुई
41. खेडेला
42. नीम का थाना
43. श्री माधोपुर
44. मालपुरा
45. नागौर
46. मेड़ता

(449)

47. बालोतरा
48. भीनमाल
49. राजसमंद
50. लाखेरी
51. झालावाड़
52. राजगढ़ (अलवर)
53. फुलेरा
54. शिवगंज
55. भवानीमण्डी
56. रायसिंह नगर
57. प्रतापगढ़

(3) स्थानों की सूची जहां पर राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 की धारा 4, 5, 6, 12 एवं 33 लागू की गई है।

1. खेरथल
2. टोडा भीम
3. सुमेरपुर
4. बिसाऊ
5. चाकसू
6. मानटाउन (सवाईमाधोपुर)
7. मुकन्दगढ़
8. बीदासर
9. झालरापाटन
10. बाली
11. सांगानेर
12. सूरतगढ़
13. राजसमन्द
14. संगरिया
15. सागवाड़ा
16. राजाखेड़ा
17. नोखा मंडी
18. रामगंज मण्डी
19. कपासन
20. टोडारायसिंह
21. उदयपुरवाटी
22. निवाई
23. सलूम्बर

450

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 664 की सूची

मैसर्स प्लेजर ट्यूर्स	:	आगरा
मैसर्स कालरा बस सर्विस	:	जयपुर
मैसर्स प्रभात ट्रेवल्स	:	उदयपुर
मैसर्स खालसा बस सर्विस	:	जोधपुर

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 666 की सूची

अभावस्थिति 2038 के बकाया बिलों की ग्रामवार सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम
1-	?रिदुवा
2-	दव
3-	भियासर
4-	मिठडाऊ
5-	तेजसिंह का कुआ (बडोडागांव)
6-	पारेवर
7-	मगरे की बस्ती (बईया)
8-	हटार
9-	बोहा
10-	लाखा
11-	गेहूं की बस्ती (बईया)
12-	नेडान
13-	पन्ना
14-	बासूवाला
15-	खेरुवाला
16-	खेलाना
17-	अनोपसिंह का कुआ (राजगढ़)
18-	रामपुरिया
19-	कानजी की ढाणी (राजमथाई)
20-	मोतीसिंह का वेरा (राजमथाई)
21-	भीवराज की ढाणी (खेलाना)
22-	गेडवा
23-	पदरोडा
24-	जोगराजसिंह की ढाणी (राजमथाई)

ह./-

जिलाधीश जैसलमेर

Page No 444

(452)

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 670 की सूची

सीकर जिले में वर्ष 1982–83 में गणेश्वर संस्कृति के खोजे गये प्राचीन स्थलों की सूचि

क्रमांक	नाम स्थल	जिला
1.	दादिया पाज्याली	सीकर
2.	नाल्याली	,,
3.	जम्मालपुर	,,
4.	बुचारा	,,
5.	वाराह की ढ़ाणी	,,
6.	बासड़ी	,,
7.	खोह मूंदड़ी	,,
8.	अजमेरी	,,
9.	रायपुर जागीर	,,
10.	पीथलपुरी	,,

चित्तौड़गढ़ जिले में की गई खोज एवं प्राप्त सामग्री की सूचि

क्रमांक	स्थल	प्राप्त सामग्री
1.	नगरी	प्राचीन पाषाण उपकरण।
2.	पिण्ड पाडलिया	ताम्रयुगीन 5 ताम्बे के कुल्हाड़े व आहाड़ संस्कृति के चित्रित काले व लाल मृद्‌भाण्ड।
3.	जूनी ग्रोरडी	आहाड़ संस्कृति के चित्रित काले व लाल मृद्‌भाण्ड।
4.	छोटी सादड़ी (राजलगढ़)	,, ,, ,,
5.	गोमाना	,, ,, ,,
6.	आचार्य	,, ,, ,,
7.	सिरडी	,, ,, ,,
8.	खोर	,, ,, ,,
9.	खोलिया	,, ,, ,,
10.	बानसेन	,, ,, ,,
11.	रावलिया	,, ,, ,,
12.	चित्तौड़ी	,, ,, ,,
13.	चित्तौडिया	,, ,, ,,
14.	पिनोदड़ा	,, ,, ,,
15.	जूनी वेगू	,, ,, ,,

(454)

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 675 की सूची

सुवाना पंचायत समिति के विद्युतिकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	गांव का नाम	कोड न.
1.	सुवाणा	19/7/26	25.	कल्याणपुरा	19/7/103
2.	हमीरगढ़	89	26.	पातलियास	109
3.	कावरा	92	27.	भोपालगढ़ (गाडरमाला)	76
4.	मंगरोप	121	28.	दादिया	114
5.	कचोलिया	107	29.	पान्सल	7
6.	सबलपुरा	34	30.	मालोला	8
7.	भोली	33	31.	ढोलिया खेड़ा	77
8.	आरज्या	14	32.	हलेद	32
9.	गुरला	60	33.	दान्थल	31
10.	करोई कला	64	34.	बरडोद	82
11.	आमली गढ़ पाछली	91	35.	जावासिया	79
12.	स्वरूपगंज	95	36.	ओज्यड़ा	87
13.	दरी	94	37.	सियार	120
14.	अटूणा	36	38.	पीपली	119
15.	राजोला	39	39.	पापड़ी	12
16.	देवली	40	40.	अगरपुरा	27
17.	सायला	80	41.	कलुन्दिया	118
18.	काणोली	100	42.	रूपाहेली	30
19.	बोरड़ा	37	43.	गुवारडी	102
20.	नाथडियास	99	44.	मन्डपिया	47
21.	खैराबाद	97	45.	विल्या कला	96
22.	आकोटा	25	46.	माधोपुर	35
23.	भेसा कुण्डल	98	47.	धागरास	116
24.	कोड़ कोटा	24	48.	कान्दा	115

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.
49.	हांसीयास	19/7/112	77.	पारपतीपुरा	19/7/65
50.	जित्या खेडी	113	78.	टीला खेड़ा	62
51.	नरसोलिया	110	79.	राजपुरा	61
52.	पाटनीया	111	80.	रामपूरिया	58
53.	दादिया	50	81.	वासड़ा	49
54.	महेशपुरा	117	82.	सागवा	51
55.	धूमडास	28	83.	तीलोली	52
56.	पाण्डरास	29	84.	गोवलिया	72
57.	तख्तपुरा	88	85.	दांता	71
58.	तसवारिया	15	86.	तगडिया	73
59.	छापरी	16	87.	कानपुरा	74
60.	महुवा कला	22	88.	मोमी	67
61.	खामड़ा	20	89.	जागदरी	75
62.	सगतपुरा	84	90.	सोपुरा	68
63.	आमली पुवारान	85	91.	दलेलसिंह जी का खेड़ा	123
64.	सेतूरिया	69	92.	रतनपुरा	122
65.	रीछड़ा	17	93.	ओभागर	56
66.	सोदरियास	23	94.	रूघनाथपुरा	57
67.	कान्याखेड़ा	83	95.	रूतालिया	124
68.	नोगांवा	42	96.	गठीला खेड़ा	101
69.	कोचरिया	45	97.	चैनपुरिया	70
70.	मजुरास	43	98.	जोपिया	10
71.	रूपपुरा	46	99.	चक थलां का खेड़ा	41
72.	सालमपुरा	6	100.	धूला खेड़ा	9
73.	मन्डपिया	104	101.	जोधडास	112
74.	रायड़ा	59	102.	कुम्हारिया	108
75.	सुन्दरपुरा	44	103.	कीरतपुरा	2
76.	गुन्दली	48	104.	कोटडी	3

(456)

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.
105.	दरीबा	19/7/4	114.	पारल्या खेड़ा	19
106.	सामोडी	5	115.	साकरिया खेड़ा	21
107.	एकलिंगपुरा	54	116.	तिलोली	53
108.	भदली खेड़ा	13	117.	ग्राबा खेडी	55
109.	हनाईकला (नयासेमलिया ग्रामीण)	34 (ए)	118.	करोई खुर्द	66
			119.	खेत हजारिया	81
110.	कुमारिया खेड़ा	38	120.	छाछेड़ी	86
111.	दुड़िया	78	121.	बिहारीपुरा	90
	सुवाणा प. स. के अस्वीकृत/अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची		122.	बराटिया	93
			123.	कल्याणपुरा	63
112.	इरास	19/7/1	124.	सालरिया	105
113.	गोर्धनपुरा	18	125.	दांतजनी	106

परिशिष्ट 20

परिशिष्ट–I

अतारांकित प्रश्न संख्या 677 का विवरण

1 अप्रेल, 1980 से ड्यूटी पर कार्य करते मर गए श्रमिकों का विवरण :—

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	दिनांक मृत्यु	मण्डल द्वारा मृतकों को दी गई सहायता
1	2	3	4	5
			जयपुर नगर वृत	
1.	श्री कमल पुत्र रामपाल	लाईनमैन	14–10–81	मृतक कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत था अतः मण्डल द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है मुआवजे का भुगतान कर्मचारी को राज्य बीमा योजना द्वारा सीधे ही किया जाता है।
			झुन्झुनु वृत	
2.	श्री देवकरण	सहायक	23–9–80	1800 क्षतिपूर्ति, 5000 रु. अनुग्रह राशि व मृतक की विधवा को मंडल में च. श्रे. क. पद पर नियुक्ति
3.	श्री विरदीचंद	,,	1–3–81	18000 रु. क्षतिपूर्ति राशि
4.	श्री जयसिंह	,,	14–9–81	21,000 रु. ,, ,, मृतक की विधवा को च. श्रे. क. के पद पर नियुक्ति

457

1	2	3	4	5
5.	श्री प्रभु दयाल	सहायक	21–10–81	21,000 रु. क्षतिपूर्ति
6.	श्री दशरथ सिंह	,,	5–12–82	क्षतिपूर्ति राशि के स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
7.	श्री गोवर्धन	,,	22–12–82	,, ,, ,,
			अजमेर वृत	
8.	श्री आजम अली	,,	13–4–80	16,800 क्षतिपूर्ति
9.	श्री सुखराम	,,	10–7–80	मृतक पर राज्य बीमा योजना लागू है अतः मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं है।
10.	श्री भंवर पुत्र भींमा	,,	21–7–80	18000/ रु. क्षतिपूर्ति
11.	श्री प्रताप राम	,,	30–7–80	16,800/ ,, ,,
12.	श्री भंवर पुत्र नाथू	,,	10–9–80	13.500/ ,, ,,
13.	श्री गजानन्द	,,	22–9–80	21,000/ ,, ,,
14.	श्री मदम लाल	,,	3–11–80	18,000/ ,, ,,
15.	श्री वसन्त बल्लभ पाण्डे	,,	20–11–80	क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जारी है
16.	श्री इन्दर चन्द	,,	8–1–81	19,200/ रु. क्षतिपूर्ति राशि
17.	श्री जोगाराम	,,	31–3–81	21,000/ रु. ,, ,,

1	2	3	4	5
18.	श्री राधारमन शर्मा	सहायक	21-11-81	क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जारी है।
19.	श्री छिगना राम	,,	8-12-81	18,000/ रु. क्षतिपूर्ति ।
20.	श्री उगमाराम	,,	27-12-81	21,000/ , ,,
21.	श्री रामरतन यादव	,,	24-3-82	मृतक पर राज्य बीमा योजना लागू है अत. मण्डल द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं हैं।
22.	श्री बोदूराम	,,	1-5-82	21,6000/ रु. क्षतिपूर्ति राशि ।
23.	श्री हरसुखराम	,,	12-4-82	क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही जारी है।
24.	श्री बन्नालाल नाथ	लाईनमैन	24-11-82	24.000 रु. क्षतिपूर्ति दी गई।
25.	श्री गुलाब नबी	सहायक	22-11-82	क्षतिपूर्ति राशि की कार्यवाही जारी है।
26.	श्री सीताराम	,,	22-2-83	,, ,, ,,
			भीलवाड़ा वृत	
27.	श्री हरदेव पुत्र जोरा	,,	27-4-80	16,800 रु. क्षतिपूर्ति दी गई।
28.	श्री शिवराज	,,	19-6-82	18,000 रु. क्षतिपूर्ति एवं 5000/ रु. अनुग्रह राशि दी गई।
29.	श्री मोहनलाल	,,	3-10-82	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य था अत, मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं।

1	2	3	4	5
30.	श्री कालूलाल/गोपीदास	सहायक	9–12–81	1800/– क्षतिपूर्ति
31.	,, कालू/हुकमा	,,	8–2–82	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य था, अतः मंडल द्वारा मुआवजा देय नहीं।
32.	,, निशीकांत	ट्रेनी	22–9–80	5000/– अनुग्रह राशि
33.	,, माधोसिंह	सहायक	28–8–81	21,000/– क्षतिपूर्ति
34.	,, मांगीलाल	,,	24–3–82	क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जारी है।
35.	,, मदनलाल	,,	6–10–82	,, ,,
36.	,, नन्दा पुत्र घीसा	,,	8–1–81	16,800/– क्षतिपूर्ति
37.	,, लादूराम/जीवन	,,	28–3–82	21,000/– ,,
38.	,, रामसिंह	,,	27–4–82	29,400/– ,,
39.	,, राधेश्याम	,,	10–11–82	क्षतिपूर्ती की कार्यवाही जारी है।
			जोधपुर वृत	
40.	,, भूपेन्द्र पाल सिंह	सहायक	5–4–80	21000/– क्षतिपूर्ति
41.	,, मानक राम	,,	11–4–80	18,000/– ,,
42.	,, सीताराम	,,	10–5–81	19,200/– ,,

1	2	3	4	5
43.	श्री अनिल कुमार	सहायक	22–6–80	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य था, अतः मण्डल द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है।
44.	,, दीपाराम	,,	29–8–80	16,800/– क्षतिपूर्ति
45.	,, कल्याण	,,	22–9–80	मृतक राज्य बीमा का सदस्य था, अतः अतः मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं। 5000/ रु. अनुग्रह राशि दी गई।
46.	,, उम्मेदसिंह	,,	18–10–80	19,800/– क्षतिपूर्ति
47.	,, पुखराज	,,	23–1–81	21,600/– ,,
48.	,, जगनाराम	,,	30–3–81	18,000/– ,,
49.	,, नैनमल	,,	2–4–81	क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जारी है।
50.	श्री प्रतापराम	,,	10–4–81	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सदस्य होने के कारण मण्डल द्वारा क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है।
51.	,, हीराराम	,,	26–5–81	,, ,,
52.	,, शंकर सिंह	,,	4–12–81	,, ,,
53.	,, खेमराज कोटा वृत		15–6–82	18000/- क्षतिपूर्ति एवं 5000/- अनुग्रह राशि

जोधपुर वृत

1	2	3	4	5
54.	श्री मनोहरराम	सहायक	29–6–81	18000/- रु. क्षतिपूर्ति राशि दी
55.	,, जेठाराम	,,	18–1–82	21000/- रु. ,, ,,
56.	,, सुखराम	,,	1–3–82	21000/- रु. ,, ,,
57.	,, बंशीलाल	,,	29–3–82	19200/- ,, ,,
58.	,, रहमतुल्ला खां	,,	30–4–82	18000/- रु. ,, ,,
59.	,, धन्नाराम	,,	3–8–82	21000/- रु. ,, ,,
		उदयपुर वृत		
60.	,, श्यामलाल	सहायक	16–7–80	21,000/- ,, ,,
61.	,, सीताराम	,,	20–12–80	21,000/- ,, ,,
62.	,, सोंहन लाल	,,	21–12–80	21,000/- ,, ,,
63.	,, देवा	लाईनमैन	19–2–81	कर्म. राज्य बीमा योजना का सदस्य था अतः मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं है ।
64.	,, लाला पुत्र नाथू	सहायक	21–4–81	,, ,,

1	2	3	4	5
65.	श्री भग्गा	सहायक	30-6-82	कर्म. राज्य बीमा योजना का सदस्य था अतः मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं है।
66.	,, रवीन्द्रकुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	5-3-81	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है।
67.	,, रामलाल	सहायक	4-6-81	18000/- रु. क्षतिपूर्ति दी गई।
68.	,, हीरा पुत्र भूरा	,,	25-9-81	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है।
69.	,, गोरधन	,,	18-1-82	,, ,,
70.	,, पूरा पुत्र लालू	,,	29-3-82	,, ,,
71.	,, कानजी पुत्र लालू	,,	12-7-82	,, 15000/- अनुग्रह राशि
			अलवर वृत	
72.	श्री रमेशचन्द	,,	1-4-80	19,200 क्षतिपूर्ति, मृतक के परिवार के सदस्य की नियुक्तिकी गई
73.	,, रामसुख	,,	30-6-80	21,000 क्षतिपूर्ति
74.	,, हजारीलाल	,,	11-8-80	19,000 ,,
75.	,, रघुवीरसिंह	,,	9-1-81	19,200 क्षतिपूर्ति ,,
76.	,, योगेश कुमार	,,	14-4-81	18,200 क्षतिपूर्ति
77.	,, किशनलाल	,,	11-5-81	21,000 ,, मृतक के परिवार के सदस्य की नियुक्ति।

1	2	3	4	5
78.	श्री राजेश कुमार	सहायक	2–10–81	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य था अतः मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं है।
79.	,, जसवन्तसिंह	ड्राईवर	24–8–81	23,100 रु. क्षतिपूर्ति, मृतक के परिवार के सदस्य को नियुक्ति दी गई।
80.	,, रामसिंह	लाईनमैन	4–1–82	24,000 रु. क्षतिपूर्ति ,, ,,
81.	,, बाबूलाल	सहायक	27–2–82	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है।
82.	,, जगदीश	,,	28–3–82	21,000 क्षतिपूर्ति परिवार के सदस्य को नियुक्ति दी गई।
83.	,, किशनलाल	,,	10–6–82	21,000 क्षतिपूर्ति. 5000 अनुग्रह राशि, परिवार के सदस्य को नियुक्ति दी गई।
84.	,, प्रेम सिंह	,,	19–8–82	21,000 क्षतिपूर्ति एवं परिवार के सदस्य को नियुक्ति
85.	,, जोगेन्द्र सिंह	,,	7–10–82	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य, मंडल द्वारा मुआवजा देय नहीं, परिवार के सदस्य की नियुक्ति
86.	हजारीलाल,	,,	8–11–82	19,200 क्षतिपूर्ति

1	2	3	4	5
87.	श्री नन्दलाल	आर्टीजन	2–1–83	क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही चल रही है ।
88.	,, बद्रीप्रसाद	सहायक	20–2–83	,, ,, ,,
			कोटा वृत	
89.	,, जमनालाल	सहायक	14–5–80	21,000 क्षतिपूर्ति
90.	,, रामस्वरूप	,,	14–5–80	19,200 क्षतिपूर्ति
91.	,, घनश्याम	,,	15–12–80	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य था अतः मुआवजा देय नहीं है ।
92.	,, प्रभातीलाल	,,	19–4–81	21,000 क्षतिपूर्ति, पुत्र को नियुक्ति
93.	,, बक्शी	,,	2–9–81	21,000 क्षतिपूर्ति, पत्नि को नियुक्ति
94.	,, धन्नालाल	,,	10–9–81	21,000 क्षतिपूर्ति, पुत्र को नियुक्ति
95.	,, नफीश अहमद	,,	19–11–81	21,000 क्षतिपूर्ति
96.	,, बाबूलाल	,,	1–12–81	21,000 क्षतिपूर्ति, पत्नि को नियुक्ति
97.	,, बदरीलाल	,,	19–1–82	21,000 क्षतिपूर्ति

1	2	3	4	5
98.	श्री अमरपाल	सहायक	25–10–81	21,000 क्षतिपूर्ति, पुत्र को नियुक्ति
99.	,, रामफूल	,,	20–4–82	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है
100.	,, देवीशंकर	,,	18–20–82	,, ,,
		बीकानेर वृत		
101.	,, कीताराम	वा. चा,	3–5–80	13,500 क्षतिपूर्ति
102.	,, निरंजन कुमार	सहायक	3–5–80	,, ,,
103.	श्री अब्बास अली	सहायक	20–5–80	18,000 क्षतिपूर्ति दी गई
104.	,, सुखदेव	,,	23–5–80	,, ,,
105.	,, निरन्जनलाल	,,	22–6–80	,, ,,
106.	,, नानगराम	एस.एस.ए.	10–8–80	23,100 क्षतिपूर्ति दी गई
107.	,, धर्मपाल	सहायक	3–9–80	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है।
108.	,, रामेश्वरलाल	,,	15–12–80	,, ,,
109.	,, मेघसिंह	एस.एस.ए.	24–1–81	,, ,,
110.	,, चेलाराम	सहायक	24–3–81	18000/– क्षतिपूर्ति दी गई
111.	,, चिमन सिंह	,,	14–7–81	,, ,,

1	2	3	4	5
112.	श्री हरिगोपाल	सहायक	16-11-81	मृतक राज्य बीमा योजना का सदस्य था, अतः मण्डल द्वारा मुआवजा देय नहीं है।
113.	,, रामनिवास	,,	21-10-81	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है।
114.	,, रामस्वरूप	,,	30-11-82	,, ,,
115.	,, श्याम सुन्दर	,,	15-9-80	13,500 क्षतिपूर्ति दी गई
		सीकर वृत्त		
116.	,, ज्ञान चन्द	सहायक	7-4-81	क्षतिपूर्ति विचाराधीन है।
117.	,, हरलाल	,,	8-4-80	16,800 क्षतिपूर्ति दी गई
118.	,, रामेश्वरलाल	,,	3-9-80	,, ,,
119.	,, त्रिलोका	,,	,,	,, ,,
120.	,, चौथमल	,,	15-9-80	क्षतिपूर्ति मामला विचाराधीन है।
121.	,, मुकना	,,	24-9-80	21,000 क्षतिपूर्ति 5000 अनुग्रह राशि
122.	,, शिशुपाल	,,	28-3-81	18,000 क्षतिपूर्ति दी गई
123.	,, निजामुद्दीन	,,	5-10-81	क्षतिपूर्ति राशि मामला विचाराधीन है।
124.	,, विरजूराम	,,	9-5-82	,, ,,

जयपुर जिला वृत्त

1	2	3	4	5
125.	श्री सुवालाल	सहायक	26–2–81	19,200 क्षतिपूर्ति राशि दी गई
126.	,, ओंकार	,,	12–3–82	21,000 ,, ,,
127.	,, जगदीश	,,	29–4–80	13,500 ,, ,,
128.	,, कालू	,,	3–1–81	19,200 ,, ,,
129.	,, कालू पुत्र भौंरीलाल	,,	4–12–82	क्षतिपूर्ति राशि देने का मामला विचाराधीन है।
130.	,, रघुवीर सिंह	,,	2–7–80	21,000 क्षतिपूर्ति राशि
131.	,, शंकर पुत्र मोती	,,	16–5–82	21,000 क्षतिपूर्ति दी गई
132.	,, हरि नारायण	,	14–3–81	19,200 ,, ,,
133.	,, सत्य नारायण	,,	1–5–81	21,000 ,, ,,
134.	,, प्रभू लाल	,,	30–4–80	13,500 ,, ,,
135.	,, सूर्य प्रकाश	,,	16–7–80	18,200 ,, ,,
			जोधपुर निर्माण वृत्त	
136.	,, वेनाराम	सहायक	26–7–80	19,200 ,, ,,
137.	,, नत्थु राम	,,	9–9–80	18,000 ,, ,,

1	2	3	4	5
138.	श्री भीमा राम	सहायक	27-1-81	20,000 क्षतिपूर्ति दी गई
139.	,, सुरेशपुरी	,,	21-1-81	21,600 ,, ,,
140.	,, खम्ब सिंह	,,	1-7-81	19,200 ,, ,,
141.	,, करना राम जाखड़	कनिष्ठ अभियन्ता	12-6-82	35,000 क्षतिपूर्ति + 10000 तत्काल सहायता + 5000 अनुदान राशि
142.	,, कैलाश चन्द	सहायक	3-7-82	21,600 क्षतिपूर्ति + 5000 अनुग्रह राशि
		प्रसारण निर्माण वृत (प्रथम)		
143.	श्री मूलचन्द	सहायक	29-12-81	21,000/- क्षतिपूर्ति दी गई
144.	श्री गुलाबचन्द	सहायक	24-8-82	21,000/- क्षतिपूर्ति दी गई
		प्रसारण निर्माण वृत (द्वितीय)		
145.	श्री के. के. फौजदार	एस. बी. ए.	20-4-81	मृतक राज्य कर्मचारी बीमा योजना का सदस्य था, इसलिये मंडल द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं ।

469

(470)

1	2	3	4	5
146.	श्री चिमन सिंह	सहायक	14–7–81	18,000/– क्षतिपूर्ति दी गई :
147.	श्री किशोर सिंह	सहायक	1–8–81	21,600/– क्षतिपूर्ति दी गई ।
148.	श्री तेजसिंह	दैनिक वेतन भोगी	19–9–82	क्षतिपूर्ति दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन हैं ।
149.	श्री मानकसिंह	सहायक	9–1–80	21,000/– क्षतिपूर्ति दी गई ।
		प्रसारण निर्माण वृत (तृतीय)		
150.	श्री गोपीकिशन	एस. वी. ए.	9–6–80	मृतक राज्य कर्मचारी बीमा योजना का सदस्य था, इसलिए मण्डल द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं ।
151.	श्री सुरेशचन्द	सहायक	21–10–80	19200/– क्षतिपूर्ति दी गई
152.	श्री प्रताप जाट	सहायक	21–10–80	19200/– क्षतिपूर्ति दी गई
153.	श्री धीर सिंह	वाहन चालक	22–1–81	23100/–क्षतिपूर्ति दी गई

ऐसे कर्मचारियों को जो राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अधीन आते हैं, मुआवजा सीधे ही राज्य कर्मचारी बीमा विभाग द्वारा दिया जाता है ।

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 679 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थायें) अजमेर

उन संस्थाओं की सूची जिनका मान्यता सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन हैं

क्र.सं.	संस्था का नाम	प्रबन्ध समिति का नाम	विशेष विवरण
1.	सेन्ट ज्यूड्स उप्रावि, अजमेर	सेन्ट ज्यूड्स ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर	मान्यता प्रकरण निदेशालय, बीकानेर में विचाराधीन है
2.	डिवाइन जोसफ प्रावि., अजमेर	निर्मलाबी डिवसन (संस्थापिका)	,, ,,
3.	ईस्ट पोइन्ट प्रावि., अजमेर	ईस्ट पोइन्ट स्कूल सोसायटी, अजमेर	,, ,,
4.	स्वामी विवेकानन्द प्रावि., अजमेर	स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्था, अजमेर	,, ,,
5.	किंग हेनरी प्रावि. अजमेर	श्री एच. एल. एन्थोनी, व्यवस्थापक	,, ,,
6.	टाईनी टीटस प्रावि., अजमेर	प्रोग्रेसिव ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर	,, ,,
7.	मयूर प्रावि., अजमेर	श्री आर- पी गर्ग	,, ,,
8.	भारत प्रावि., गुलाबबाड़ी, अजमेर	भारत ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर	प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है।
9.	पूर्णिमा विद्यालय, प्रावि., अजमेर	पूर्णिमा बाल विकास संस्था, अजमेर	,, ,,
10.	रामकृष्ण आश्रम पुस्तकालय, अजमेर	रामकृष्ण आश्रम सोसायटी, अजमेर	मान्यता प्रकरण निदेशालय में विचाराधीन है।

ह.
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र-संस्थायें) अजमेर

(472)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-छात्रायें) अजमेर

केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची (छात्र एवं छात्रा) अजमेर शहर

क्र.सं.	संस्था का नाम	प्रबन्ध समिति का नाम	विशेष विवरण
1.	सेन्ट जोन डायोसिस, उमावि., अजमेर	आर.सी.सी.एम.बी.एस.ई. सोसायटी, अजमेर	
2.	डिफेस उप्रावि., अजमेर	रघुकुल शिक्षा समिति, अजमेर	
3.	नूतन बाल भारती उप्रावि., अजमेर	नूतन बाल भारती प्रबन्ध समिति, अजमेर	
4.	सेन्ट थामस, उप्रावि., अजमेर	सैंन्ट थामस ऐज्यूकेशन सोसायटी, अजमेर	
5.	बंसीलाल रामनाथ उप्रावि., अजमेर	भारतीय शिक्षण संस्थान, अजमेर	
6.	इन्द्रा उप्रावि., अजमेर	इन्द्रा शिक्षण संस्थान, अजमेर	
7.	प्रकाश उप्रावि., अजमेर	प्रकाश बाल विद्या केन्द्र समिति, अजमेर	
8.	राष्ट्रीय प्रेम उप्रावि., अजमेर	राष्ट्रीय शिक्षा एवं शिल्प समिति, अजमेर	
9.	सरस्वती बाल मन्दिर उप्रावि., अजमेर	खत्री शिक्षा प्रसारणी समिति, अजमेर	
10.	बाल सेवा सदन प्रावि., अजमेर	राजस्थान महिला बाल विकास समिति, अजमेर	
11.	बालधर प्रावि., अजमेर	राजस्थान शिक्षा सांस्कृतिक संगम, अजमेर	
12.	दयानन्द बाल निकेतन प्रावि., अजमेर	आर्य समाज शिक्षा सभा, अजमेर	
13.	एवरग्रीन प्रावि., अजमेर	अजयमेरु बाल विकास परिषद, अजमेर	

1	2	3	4
14.	एच.एम.टी. प्रावि., अजमेर	एच.एम.टी शिक्षा समिति, अजमेर	
15.	नूतन बाल भारती प्रावि., अजमेर	नूतन बाल भारती प्रबन्ध समिति, मेयो कालेज अजमेर	
16.	श्रीराम प्रावि., अजमेर	श्री रामायण मण्डल, अजमेर	
17.	सुशील प्रावि., होलीदड़ा, अजमेर	राजस्थान शिक्षा विकास समिति, अजमेर	
18.	सैन्ट लूक प्रावि., अजमेर	सब्बतडे एडवेन्टिऐट एज्यूके. सोसायटी, भीलवाड़ा	
19.	सड़ान प्रावि., अजमेर	रविन्द्र ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर	
20.	सेन्ट पीटर प्रावि., अजमेर	ज्योति शिक्षण संस्थान, अजमेर	
21.	टाक शिक्षा निकेतन प्रावि., अजमेर	टाक शिक्षा निकेतन समिति अजमेर	
22.	तारामणी प्रावि., अजमेर	तारामणी टेलरिंग एम्ब्राइडरी कालेज सो. अजमेर	
23.	बाल आदर्श प्रावि., अजमेर	बाल आदर्श शिक्षा समिति, गंज, अजमेर	
24.	मीरा प्राथमिक विद्यालय, अजमेर	ऋषी शृंग शिक्षण संस्थान, अजमेर	
25.	कल्पना शिक्षा सदन प्रावि., अजमेर	कल्पना शिक्षा सदन समिति, अजमेर	
26.	सुबोध विद्या मन्दिर प्रावि., अजमेर	सुबोध विद्या मन्दिर सोसावटी, अजमेर	
27.	शिद्धार्थ शिक्षा समिति प्रावि., अजमेर	सिद्धार्थ शिक्षा समिति' अजमेर	
28.	माडर्न मिडियम प्रावि., अजमेर	माडर्न मिडियम ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर	

1	2	3	4
29.	उस्मानिया ख्वाजा प्रावि., अजमेर	अन्जुमन मोईनिया फकीर चिश्तियां आदिम ख्वाजा साहब, सईद जादगान, दरगाह शरीफ अजमेर	
30.	नानक जैन प्रावि., अजमेर	श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी नानक जैन नायक संघ अजमेर	
31.	नेहरु मेमोरियल प्रावि., अजमेर	नेहरु स्मारक शिक्षण संस्थान, अजमेर	
32.	भाटिया प्रावि., नलाबाजार	भाटिया शिक्षण संस्थान, अजमेर	
33.	कोन्वेन्ट बालिका प्रावि., अजमेर	सेन्ट मेरिज हा. सै. एज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर	(जि. शि अ. छात्रा संस्थाओं के अधीन)
34.	सोफिया बालिका प्रावि., अजमेर	सोफिया उमावि., शिक्षण संस्थान, अजमेर	,, ,,
35.	प्रताप मोन्टेसरी बालिका प्रावि., अजमेर	प्रताप बाल विकास परिषद, अजमेर	,, ,,
36.	स्वामी सरवानन्द बालिका प्रावि., अजमेर	सुधार सभा अजमेर	,, ,,

ह.
जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्र-संस्थायें) अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थायें) अजमेर

वे संस्थायें जिन्हें मान्यता दी हुई है व विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जाता है (छात्र एवं छात्रा अजमेर शहर)

क्र.सं.	नाम संस्था	अनुदान प्रतिशत	82-83 में दिया गया अनुदान	प्रबन्ध समिति का नाम
			उच्च माध्यमिक/माध्यमिक	
1.	अग्रवाल उमावि., अजमेर	70%	1,54,449	अग्रवाल पाठशाला सभा अजमेर
2.	आदर्श उमावि., अजमेर	80%	5,27,796	आदर्श विद्या समिति ,,
3.	डी.ए.वी. उमावि., अजमेर	80%	3,88,253	आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर
4.	हसबैंड मेमोरियल उमावि., अजमेर	80%	2,70,525	राजस्थान क्रिश्चयन सैन्ट्रल मैनेजमेंट ऑफ सैकण्ड्री ऐज्यूकेशनल अजमेर
5.	सेन्ट एन्सल्मस उमावि., अजमेर	90%	4,68,825	सेन्ट पोल्स उमावि. ऐज्यूकेशनल सोसायटी अजमेर
6.	विरजानन्द उमावि., अजमेर	70%	2,96.171	आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर
7.	आर्य माध्यमिक विद्यालय (9, 10)	60%	39,454	भारतीय संस्कृति संगम समिति अजमेर
	आर्यन उप्रावि., अजमेर (6 से 8)	70%	33,556	,, ,,
8.	दयानन्द माध्यमिक विद्यालय	70%	1,28,511	दयानन्द विद्या समिति, अजमेर
9.	गौतम उमावि., अजमेर (कक्षा 11)	50%	स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है	गौतम मिडिल स्कूल देशी पाठशाला, अजमेर

1	2	3	4	5
	गौतम माध्यमिक विद्यालय (6 से 10)	80%	1,52,374	गौतम मिडिल स्कूल देशी पाठशाला, अजमेर
10.	गुजराती माध्यमिक विद्यालय (9 व 10)	70%	83,691	गुजराती महा मण्डल, अजमेर
11.	मीरा माध्यमिक विद्यालय, अजमेर	50%	38,436	सिन्धु विद्या समिति, ,,
12.	के. डी. ए. वी. माध्यमिक विद्यालय	70%	97,190	बहुजन श्रमिक उत्थान शिक्षा समिति, अजमेर
–13.	एस. एम. बी. माध्यमिक विद्यालय (9 व 10)	–60%	— 42,631 —	एस.एम.बी शिक्षा समिति, अजमेर
14.	आदर्श विद्या मन्दिर, मावि., (9 व 10)	50%	35,929	आदर्श विद्या समिति, अजमेर
15.	सावित्री बालिका उमावि., अजमेर	90%	5,94,002	किंगजार्ज मेमोरियल ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी
16.	सोफिया बालिका उमावि., अजमेर	90%	1,83,436	सोफिया उमावि. शिक्षण संस्थान, अजमेर
17.	सरस्वती बालिका उमावि., अजमेर	70%	3,72,544	भारतीय शिक्षण संस्था
18.	सेन्ट मेरीज कोन्वेन्ट बालिका उमावि.,	90%	3,02,369	सेन्ट मेरीज हा.सै. ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर
19.	आर्य पुत्री बालिका उमावि., अजमेर	70%	87,363	आर्य महिला शिक्षा समिति
20.	मिशन बालिका माध्यमिक विद्यालय	90%	1,14,857	आर.सी.सी. मेनेजमेंट
21.	गुरुनानक बालिका माध्यमिक विद्यालय	70%	1,77,754	गुरुनानक ऐज्यूकेशनल सोसायटी
22.	श्री मथुरा प्रसाद गुलाबदेवी आर्य कन्या मावि.	70%	61,706	मथुराप्रसाद गुलाबदेवी आर्य कन्या ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी अजमेर

(477)

1	2	3	4	5
23.	जियालाल आर्य कन्या मावि., अजमेर	80%	90,431	आर्य समाज शिक्षा सभा
24.	हरिसुन्दर बालिका मावि.	50%	56,647	सुधार सभा (समाजसेवी संस्था) अजमेर
25.	आदर्श कन्या माध्यमिक विद्यालय, अजमेर	50%	39,383	आदर्श विद्या समिति, अजमेर
26.	कमला नेहरू माध्यमिक विद्यालय, हटुण्डी	50%	32,607	राजस्थान विद्या पीठ, उदयपुर
	केन्द्रीय कार्यालय :			
27.	आर्य समाज शिक्षा सभा	90%	61,783	आर्य समाज शिक्षा सभा
28.	आदर्श विद्या समिति	70%	34,615	आदर्श विद्या समिति
29.	सरस्वती बालिका उमावि.	90%	51,287	भारतीय शिक्षण संस्था अजमेर
30.	सावित्री उमावि., अजमेर बालिका	90%	34,987	किंगजार्ज मेमोरियल ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी
	उच्च प्राथमिक :			
31.	हिन्दू धर्म उप्रावि.	80%	68,777	हिन्दू धर्म ऐज्यूकेशनल सोसायटी
32.	मालियान उप्रावि., अजमेर	70%	53,850	मालियान विद्या समिति
33.	प्रवासी उप्रावि., अजमेर	70%	30,184	प्रवासी विद्यालय सभा
34.	गुजराती उप्रावि., अजमेर	90%	1,50,047	गुजराती महा मण्डल अजमेर
35.	एस.एम.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय	80%	1,22,609	एस.एम.बी. शिक्षा समिति, अजमेर

1	2	3	4	5
36.	वैदिक उप्रावि., परवतपुरा	50%	18,034	वैदिक शिक्षा समिति, अजमेर
37.	हैप्पी उप्रावि., श्रीनगर रोड़	60%	45,383	राजस्थान शिक्षा सांस्कृतिक संगम
38.	आदर्श विद्या मन्दिर उप्रावि., अजमेर	60%	47,672	आदर्श विद्या समिति, अजमेर
39.	डी.ए.वी. उप्रावि., अजमेर (6 से 8)	50%	15,641	आर्य समाज शिक्षा सभा
	डी.ए.वी. प्रावि. (1 से 5)	70%	65,273	,, ,,
40.	न्यू मण्डल उप्रावि. (6 से 8)	50%	स्वीकृति अपेक्षित है	न्यू मॉडल इंगलिश स्कूल सोसायटी, अजमेर
	न्यू माडल प्रावि. (1 से 5)	50%	28,935	,, ,,
41.	दिगम्बर जैन उप्रावि. (6 से 8)	50%	15,033	दिगम्बर जैन शिक्षण संस्था
	दिगम्बर जैन प्रावि. (1 से 5)	70%	31,998	,, ,,
42.	जनता उप्रावि., अजमेर	50%	स्वीकृति अपेक्षित है	जनता विद्यालय प्रबन्धक सभा अजमेर
43.	श्री गुलाबकंवर ओसवाल कन्या उप्रावि.	80%	22,660	श्री ओसवाल विमेल ऐज्यूकेशनल सोसायटी
44.	आदर्श कन्या उप्रावि.	90%	67,595	आदर्श विद्या समिति, अजमेर
45.	शिशु शिक्षा सदन उप्रावि.	60%	74,428	राजस्थान विद्या पीठ उदयपुर
46.	महिला शिक्षा सदन उप्रावि.	70%	1,13,169	अशोक ऐज्यूकेशनल सोसायटी
47.	महिला शिक्षा सदन उप्रावि., हटुन्डी	80%	33,612	राजस्थान विद्या पीठ उदयपुर

1	2	3	4	5
48.	मथुराप्रसाद गुलाबदेवी आर्य कन्या उप्रावि.	70%	98,737	श्री मथुराप्रसाद गुलाबदेवी आर्य कन्या पाठशाला ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी, अजमेर
49.	श्री कन्या उप्रावि. अजमेर	70%	94,104	श्री कन्या पाठशाला सोसायटी, नसीराबाद
50.	सोफिया हिन्दी उप्रावि., अजमेर	50%	43,596	निर्मला ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर
प्राथमिक विद्यालय				
51.	अग्रवाल प्रावि.	80%	35,098	अग्रवाल पाठशाला सभा, अजमेर
52.	दयानन्द प्रावि.	70%	33,344	दयानन्द विद्या समिति ,,
53.	गौतम प्रावि., अजमेर	80%	24,981	गौतम मिडिल स्कूल देशी पाठशाला. अजमेर
54.	गुरुनानक प्रावि. अजमेर	90%	94,613	गुरुनानक ऐज्यूकेशनल सोसायटी ,,
55.	गुरु तेगबहादुर प्रावि.	50%	16,206	सिक्ख ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर
56.	हस्बैंड मेमोरियल प्रावि., अजमेर	80%	68,503	आर.सी.सी. मैनेजमेंट, अजमेर
57.	के.डी.ए.वी. प्रावि., अजमेर	70%	61,073	बहुजन श्रमिक उत्थान शिक्षा समिति, अजमेर
58.	कायस्थ प्रावि., अजमेर	70%	36,342	कायस्थ पाठशाला प्रावि., अजमेर
59.	नरवासी प्रावि., ,,	70%	35,372	आदर्श विद्या समिति अजमेर
60.	राष्ट्रीय प्रावि., ,,	70%	24,175	राष्ट्रीय विद्या समिति अजमेर.

1	2	3	4	5
61.	सेन्ट फांसिस प्रावि. अजमेर	80%	1,20,316	पुष्पीका ऐज्यूकेशनल सोसायटी, अजमेर
62.	सेन्ट टेरेसा प्रावि. ,,	90%	31,614	,, ,,
63.	सेन्ट जोसफ प्रावि., पर्वतपुरा	80%	34,410	,, ,,
64.	विरजानन्द प्रावि., अजमेर	80%	66,699	आर्य समाज शिक्षा सेवा
65.	रेल्वे इंगलिश प्रावि., ,,	50%	21,057	पश्चिमी रेल्वे अजमेर
66.	रेल्वे प्राथमिक विद्यालय जी.एल.ओ.	50%	8,450	,, ,,
67.	रेल्वे एडलर प्रावि., अजमेर	50%	19493	,, ,,
68.	रेल्वे हिन्दी प्रावि. ,,	50%	4,539	,, ,,
69.	रेल्वे प्राथमिक विद्यालय रामगंज	50%	18,748	,, ,,
70.	रेल्वे प्राथमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी	50%	10,240	,, ,,
71.	सेन्ट जोन्स प्रावि. हाथीखेड़ा	50%	8,847	पुष्पिका ऐज्यूकेशनल सोसायटी
72,	हैप्पी बाल बाड़ी प्रावि.	50%	40,687	राजस्थान शिक्षा सांस्कृतिक संगम, अजमेर
73.	सराफान व्यापारिक प्रावि., अजमेर	50%	9,537	सराफान व्यापारिक पाठशाला
74.	आर्यन प्रावि.	70%	35,310	राजस्थान शिक्षण संस्था अजमेर
75.	सावित्री बालिका प्रावि.	90%	34,180	भारतीय शिक्षण संस्थान अजमेर
76.	सावित्री बालिका प्रावि.	80%	95,299	किंगजार्ज मेमोरियल ऐज्यूकेशनल ट्रस्ट सोसायटी

1	2	3	4	5
77.	दक्षिणी रेल्वे बालिका प्रावि.	70%	41,709	महाराष्ट्र मण्डल अजमेर
78.	राष्ट्रीय गोविन्द कन्या प्रावि.	70%	39,135	बहुजन श्रमिक उत्थान शिक्षा समिति, अजमेर
79.	मिशन बालिका प्रावि., अजमेर	90%	59,300	आर.सी.सी. मेनेजमेंट
80.	श्री गुलाबकंवर ओसवाल बालिका प्रावि.	70%	2,71.12	ओसवाल फिमेल ऐज्यूकेशनल सोसायटी
81.	कस्तूरबा नारीशाला प्रावि., अजमेर	90%	70,636	सुधार सभा अजमेर
82.	रेल्वे एडलर प्रावि.	50%	25,776	रेल्वे एडलर (छात्रा) जोन्सगंज
83.	जियालाल आर्य कन्या प्रावि.	80%	32,690	आर्य समाज शिक्षण सभा
84.	कुसुमिया प्रावि., अजमेर	90%	23,114	पुष्पिका ऐज्यूकेशनल सोसायटी
85.	महिला शिक्षा सदन प्रावि., हटुण्डी	50%	8,004	राजस्थान विद्या पीठ उदयपुर.
विशिष्ट संस्थायें :				
86.	अजमेर संगीत महाविद्यालय	80%	23,877	अजमेर संगीत समाज अजमेर
87.	आल लेंगवेज शार्टहैण्ड इन्सटीट्यूट	70%	40,312	आल लेंगवेज शार्ट हैण्ड इंस्टीट्यूट अजमेर
88.	बधिर विद्यालय	90%	61,212	बाधित बाल विकास समिति अजमेर
89.	प्रौढ़ शिक्षा समिति	90%	79,953	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, अजमेर
90.	बंशीलाल रामलाल अग्रवाल ट्रस्ट विद्यालय	80%	1,41,480	भारतीय शिक्षण संस्था अजमेर
91.	सरदार बाल मंदिर अजमेर	90%	26,235	राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर

1	2	3	4	5
पुस्तकालय :				
92.	मुन्नालाल नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय अजमेर	50%	689	आर्य समाज शिक्षा सभा

वर्ग	उमावि./मावि.	उप्रावि.	केन्द्रीय कार्यालय	प्रावि.	विशिष्ट	पुस्तकालय	योग
बालक	14	12	2	24	4	1	57
बालिका	12	8	2	11	2	—	35
योग	26	20	4	35	6	1	92

ह.

जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र-छात्रायें) अजमेर

(483)

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 681 की सूची

राजस्व अधिकारी के अन्तर्गत निपटाये गये मामलों की सूची

1.	व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये	1,03,290
2.	नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये	4,53,239
3.	भूमि आवंटन	70,134
4.	अतिक्रमण के मामलों का निपटारा	1,73,653
5.	आवंटित भूमि का कब्जा पुनः दिलाया गया	6,714
6.	रहन बिल भूमि के कब्जे के मामले जिनमें कब्जा दिलाया गया	1,218
7.	सरकारी कार्य के लिए विभागों द्वारा अवाप्त की गई भूमि के बारे में लगान की कमी	14,292
8.	कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के मामले	7,595
9.	आबादी हेतु भूमि उपलब्ध करने के मामले	7,843
10.	व्यक्ति जिन्हें ऋण हेतु भू अभिलेख की प्रतिया दी गई	46,087
11.	व्यक्ति जिन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये	12,998
12.	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वृद्धावस्था आदि पेंशन तस्दीक एवं स्वीकृत किये गये	36,613
13.	जनता से प्राप्त अभाव अभियोगों का तत्परता से निस्तारण	66,771
14.	नये आवंटियों द्वारा सहकारिता की सदस्यता के फार्म भरना	42,876
15.	देवस्थान के मन्दिरों की भूमि के अवैध हस्तान्तरण व गलत नामान्तरण के वाद जांच पाये जाने वालो की संख्या	4,177
16,	अवाप्त सीलिंग कृषि अयोग्य भूमि के वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये	588
17.	मार्गों के अधिकार एवं अन्य समाचार के मामलों का निपटारा मामले निपटाये गये	3,558
18.	खेतों की सीमा सम्बन्धी विवाद निपटाये गये मामलों की संख्या	3,493
19.	अवैध कैसेज की संख्या	
	(अ) हरे पेड़ काटने की संख्या	4,869
	(ब) जंगली जीवों के अवैध शिकार	18

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

वर्ष 1979–80, 80–81 एवं 81–82 में जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) एवं समकक्ष पदों के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखे गये नामों की पात्रता सूची मय प्रथम नियुक्ति तिथि

क्र.सं.	नाम अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि
1	2	3
	वर्ष 1979–80	
1.	श्री प्रेमशरण सिन्हा	1-11-55
2.	,, विश्वप्रकाश वर्मा	1-11-55
3.	,, सज्जनमल मेहता	24-7-56
4.	,, रमेशचन्द्र विजय	14-1-48
5.	,, श्रीनाथ विजय	8-8-48
6.	,, शिवरतन थानीव	29-8-49
7.	,, शिवदत्त शर्मा	6-6-48
8.	,, चन्द्रप्रकाश शर्मा	4-11-50
9.	,, शिवशंकर श्रोत्रिय	9-8-49
10.	,, मुकदर अली	6-4-42
11.	,, यशपाल शर्मा	1-7-45
12.	,, कृष्णलाल भटनागर	21-9-50
13.	,, अम्बालाल नागर	16-7-47
14.	,, कनकमल जैन	10-8-47
15.	,, घनश्यामदास शर्मा	26-7-51
16.	,, नन्दलाल शर्मा	11-9-45
17.	,, दुर्गाशंकर दशोरा	8-7-45
18.	,, ब्रजेन्द्रकुमार वर्मा	18-7-45
18.	,, ओमप्रकाश गुप्ता	29-7-57

1	2	3
20.	श्री जगदम्बालाल उदावत	17-11-54
21.	,, गोविन्द नारायण माथुर	28-7-50
22.	,, देवदत्त चौबे	25-8-52
23.	,, विद्याधर जोशी	10-8-51
24.	,, विश्वमोहन दत्त	8-8-52
25.	,, त्रिलोकीनाथ गुप्ता	17-12-54
26.	,, रामविलास शर्मा	29-7-47
27.	,, गणेशलाल शर्मा	20-9-48
28.	,, हरीशचन्द्र मित्तल	7-11-50
29.	,, शेख अजीज अहमद सिद्धकी	22-7-57
30.	,, ओ. पी. उपाध्याय	16-2-52
31.	,, महेशचन्द्र शर्मा	29-7-57
32.	,, श्रीलाल गर्ग	25-9-48
33.	,, एस. ई. रोबिन्सन	16-10-55
34.	,, दुर्गाप्रसाद गोठवाल	5-2-56
35.	,, प्यारेलाल प्रेमी	6-12-50
36.	,, बाबूलाल	1-7-49
37.	,, ईश्वरीप्रसाद शर्मा	1-8-48
38.	,, ब्रजकिशोर मित्तल	14-9-43
49.	,, रामावतार गुप्ता	30-7-51
40.	,, संतलाल भार्गव	5-9-53
41.	,, विश्वमोहन माथुर	10-9-55
42.	,, विजयशंकर शर्मा	12-2-43
43.	,, हरीशंकर शर्मा	15-8-46
44.	,, मदनलाल शर्मा	9-9-52
45.	,, रेवतीरमण चतुर्वेदी	14-9-47
46.	,, मोतीसिंह राठोड़	8-8-53

(486)

1	2	3
47.	श्री सज्जनराय माथुर	9-9-52
48.	,, काबुलसिंह	9-11-45
49.	,, घासीलाल पारीक	11-7-45
50.	,, निहालचन्द्र	12-9-50
51.	,, इन्दरनारायण भटनागर	7-12-54
52.	,, मुरारीदान सिंह	23-9-47
53.	,, जसवन्तसिंह पाडलिया	10-8-48
54.	,, रामचरण हेडा	15-10-51
55.	,, निरंजनलाल	8-7-58
56.	,, लगनलाल रावल	1-7-44

वर्ष 1980-81

1.	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	4-11-50
2.	,, शेख अजीज अहमद सिद्दकी	22-7-57
3.	,, ओ. पी. उपाध्याय	16-2-52
4.	,, महेशचन्द्र शर्मा	29-7-57
5.	,, श्रीलाल गर्ग	25-9-48
6.	,, एस. ई. रोबिन्सन	16-10-55
7.	,, दुर्गाप्रसाद गोठवाल	5-2-56
8.	,, प्यारेलाल प्रेमी	6-12-50
9.	,, बाबूलाल	6-1-50
10.	,, ईश्वरी प्रसाद शर्मा	1-8-48
11.	,, ब्रजकिशोर मित्तल	14-9-43
12.	,, रामावतार गुप्ता	30-7-51

1	2	3
13.	श्री सन्तलाल भार्गव	5-9-53
14.	,, विश्वमोहन माथुर	10-9-55
15.	,, हरीशंकर शर्मा	15-8-46
16.	,, मदनलाल शर्मा	9-9-52
17.	,, रेवतीरमण चतुर्वेदी	14-9-47
18.	,, मोतीसिंह राठोड़	8-7-53
19.	,, सज्जनराम माथुर	9-9-52
20.	,, काबुलसिंह	9-11-45
21.	,, घासीलाल पारीक	11-7-45
22.	,, निहालचन्द्र	12-9-50

वर्ष 1981–82

1.	श्री इन्दरनारायण भटनागर	7-12-54
2.	,, जसवंतलाल पाडलिया	10-8-48
3.	,, रामचरण हेडा	15-10-51
4.	,, निरंजनलाल	8-7-58
5.	,, छगनलाल रावल	1-7-44
6.	,, एस. एल. जैन	8-8-57
7.	,, राणाप्रतापसिंह	9-11-47
8.	,, कृष्णचन्द्र शर्मा	22-11-50
9.	,, केदारनाथ महेश्वरी	8-7-52
10.	,, कन्हैयालाल	29-11-45
11.	,, उमरावमल मण्डावत	22-11-51
12.	,, बाबूलाल गुप्ता	20-9-47
13.	,, जगदीश नारायण	8-7-53
14.	,, चुक्खनसिंह त्यागी	17-7-53

(४८९)

1	2	3
15.	श्री ब्रजबिहारी लाल	—
16.	,, मोहनलाल झाड़मेरा	13-8-52
17.	,, रामनाथ कपूर	11-8-52
18.	,, रविशंकर	11-8-52
19.	,, सोभागमल जैन	9-10-52
20	,, के. बी. एल. माथुर	8-8-52
21.	,, हरदयाल शर्मा	1-9-54
22.	,, एस. के. सोनी	2-9-50
23.	,, बालकृष्ण शर्मा	2-9-50
24.	,, मंजुलराय खरे	—
25.	,, पन्नालाल गुप्ता	29-7-53

वर्ष 1982-83 में जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) एवं समकक्ष पद हेतु विभागीय चयन समिति में रखे गये पात्र अधिकारियों की सूची मय प्रथम नियुक्ति दिनांक।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि
1.	श्री रेवतीरमण चतुर्वेदी	14-9-47
2.	,, मोतीसिंह राठोड़	8-7-53
3.	,, सज्जनराम माथुर	9-9-52
4.	,, इन्दरनारायण भटनागर	7-12-54
5.	,, रामचरण हेडा	15-10-51
6.	,, निरंजनलाल	8-7-53
7.	,, एस. एल. जैन	8-8-57
8.	,, राणाप्रतापसिंह	9-11-49
9.	,, कृष्णचन्द्र शर्मा	22-11-50
10.	,, केदारनाथ महेश्वरी	8-7-52
11.	,, कन्हैयालाल	29-11-45
12.	,, बाबुलाल गुप्ता	20-9-47
13.	,, चूक्खनसिंह त्यागी	17-7-53
14.	,, रविशंकर शर्मा	11-8-52
15.	,, सोभागमल जैन	9-10-52
16.	,, हरदयाल शर्मा	1-9-54
17.	,, एन. के. सोनी	1-9-50
18.	,, बालकृष्ण शर्मा	2-9-50
19.	,, धन्नालाल गुप्ता	29-7-53
20.	,, तेजसिंह बीनायका	2-1-54
21.	,, भगवतस्वरूप	8-7-53
22.	,, समरेन्द्र चक्रवर्ती	8-7-53
23.	,, सत्यप्रकाश	8-7-53
24.	,, गुरुप्रसाद गहलोत	8-7-53

Page No 482

(490)

1	2	3
25.	श्री सुगनोमल कजनानी	4-8-54
26.	,, गोविन्दराम टी सुजनानी	6-8-54
27.	,, जगमोहनलाल गर्ग	8-7-53
28.	,, महाराज नारायण कौल	8-7-53
29.	,, कानमल नाहर	8-7-53
30.	,, अक्षयसिंह चौधरी	31-3-54
31.	,, रामकिशोर झा	8-7-53
32.	,, जयन्तीलाल सोमानी	1-12-53
33.	,, कपूरचन्द जैन	8-7-53
34.	,, सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	8-7-53
35.	,, टीकमचन्द लोढा	23-4-53
36.	,, सी. बी. नरसिंघानी	9-12-55
37.	,, शम्भूदयाल गुप्ता	2-11-55
38.	,, काशीप्रसाद गुप्ता	31-12-54
39.	,, रंगलाल मेहता	7-1-55
40.	,, करतारसिंह भदोरिया	2-8-54
41.	,, इन्द्रदेव सक्सेना	8-1-55
42.	,, के. एम. एल. श्रीवास्तव	23-10-48
43.	,, भीकमचन्द मिश्रा	12-7-48
44.	,, हाथीराम मिश्रा	1-8-39
45.	,, धनोपराय माथुर	2-9-50
46.	,, केसरीसिंह रावत	17-11-54
47.	,, श्रीकृष्ण अग्रवाल	18-9-54
48.	,, मेघसिंह	15-2-54
49.	,, गणपतलाल व्यास	2-11-55
50.	,, ललित मोहन तिवाड़ी	1-11-55
51.	,, ब्रह्मदत्त वैष्णव	7-2-56

1	2	3
52.	श्री सांवतसिंह पारख	1-11-55
53.	,, सतीश कुमार वदलस	1-11-55
54.	,, हरनारायण सक्सेना	16-9-52
55.	,, नारायणलाल शर्मा	19-9-52
56.	,, लक्ष्मीनारायण व्यास	13-2-56
57.	,, रामनाथ कपूर	11-8-52
58.	,, रामलाल टण्डन	4-1-54
59.	,, प्रेमसुख बीजावत	27-7-54
60.	,, विश्वप्रकाश उपाध्याय	5-8-49
61.	,, कृष्णस्वरूप शर्मा	2-9-50
62.	,, पन्नालाल शर्मा	17-11-54
63.	,, ब्रह्मप्रकाश सक्सैना	19-11-54
64.	,, पारसमल रांका	17-11-54
65.	,, प्रकाश नारायण माथुर	17-11-54
66.	,, रामानन्द गर्ग	17-11-54
67.	,, चन्द्रमोहन चन्देला	18-11-54
68.	,, हरिकिशन शर्मा	18-11-54
69.	,, बद्रीप्रसाद माथुर	17-11-44
70.	,, शारदा प्रसाद मेहरा	17-11-54
71.	,, अमरसिंह चौहान	17-11-54
72.	,, रामदयाल अरोड़ा	17-11-54
73.	,, विनोद विहारी लाल	17-11-54
74.	,, देवीनारायण माथुर	17-11-54
75.	,, महेश बिहारीलाल माथुर	7-8-52
76.	,, ओमप्रकाश ओझा	17-12-54
77.	,, गुलाबचन्द ओसवाल	17-12-54
78.	,, ओम-प्रकाश माथुर	17-12-54

(492)

1	2	3
79.	श्री बद्री प्रसाद लाहोटी	17-12-54
80.	,, रामस्वरूप ध्रुव	17-12-54
81.	,, ज्ञानचन्द भारिल	8-1-55
82.	,, मंगलदास शर्मा	10-1-55
83.	,, तेजराज व्यास	4-11-50
84.	,, रामचन्द्र	5-9-49
85.	,, भोजराज सिंह चौहान	17-11-54
86.	,, ज्ञानदत्त शर्मा	2-9-50
87.	,, इन्द्रमल राठी	2-9-50
88.	,, सूर्य नारायण कौशिक	2-9-50
89.	,, लक्ष्मणसिंह मण्डाना	5-11-51
90.	,, इन्द्रचन्द्र मंगल	27-11-54
91.	,, भगवानसिंह	28-7-55
92.	,, रास्वरूप गुप्ता	15-5-55
93.	,, करसंसिह सिशोदिया	13-11-54
94.	,, देवदत्त शर्मा	1-11-55
95.	,, जगजीवनसिंह मसीह	1-7-50
96.	,, नवीरुद्दीन सिद्धकी	12-7-47
97.	,, सुखबीरसिंह	8-7-55
98.	,, बलवीर सिंह	1-5-50
99.	,, राजेन्द्र प्रसाद गोयल	39-5-54
100.	,, वासुदेव गुप्ता	1-6-56
101.	,, भागचन्द बैराठी	20-7-56
102.	,, गुमानसिंह नागरकोटि	22-7-57
103.	,, ईश्वरीनाथ सोपारी	20-8-57
104.	,, अशोक कुमार शर्मा	27-7-57
105.	,, श्यामलाल शर्मा	21-7-56
106.	,, सूरजपालसिंह	5-8-55

(493)

वर्ष, 1981-82 में जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) एवं समकक्ष पद हेतु विभागीय पदोन्नति चयन समिति में पात्र अधिकारियों की सूची मय प्रथम नियुक्ति तिथि

क्र, सं.	नाम अधिकारी	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति
1.	श्रीमती सुशीला खोसला	4-8-52
2.	धी प्रदा	1-6-53
3.	मोरा दास गुप्ता	21-7-48
4.	एस. के. वासवानी	27-10-48
5.	उर्मिला शर्मा	10-9-55
6.	लीला डी मोटवानी	16-6-55
7.	मुन्ना देवी	4-11-55
8.	तारा सेठी	4-8-52
9.	स्वदेश कुमारी गुप्ता	20-9-56
10.	एस. के. महेश्वरी	22-9-56
11.	शीला कृपलानी	
12.	शान्ता अग्रवाल	22-7-57
13.	सरस्वती भनोत	8-7-55
14.	कमला शास्त्री	8-9-55
15.	प्रमिला परहाते	

(494)

वर्ष, 82–83 में जिला शिक्षा अधिकारी महिला एवं समकक्ष पद हेतु विभागीय चयन समिति में रखे गये पात्र अधिकारियों की सूची मय प्रथम नियुक्ति तिथि

क.सं.	नाम अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि
1.	सुश्री/श्रीमती एस. के. वासवानी	27–10–48
2.	उर्मिला शर्मा	10–9–55
3.	मुन्ना देवी	4–11–55
4.	तारा सेठी	4–8–52
5.	स्वदेश कुमारी गुप्ता	20–9–56
6.	एस. के. महेश्वरी	22–9–56
7.	शान्ता अग्रवाल	22–7–57
8.	सरस्वती भनोत	8–7–53
9.	कमला शास्त्री	8–9–55
10.	प्रकाश भार्गव	16–7–53
11.	स्नेहलता कुलश्रेष्ठ	4–8–53
12.	तारावती संवतसरे	7–1–57
13.	आत्म प्रभा भट	7–12–57
14.	पी. प्रभा जैन	13–8–54
15.	कुसुम भास्कर गोरे	8–9–55

जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) एवं समकक्ष पद पर चयनित अधिकारी,

वर्ष, 1981–82 1

क्रम सं.	नाम अधिकारी
1.	श्री रामावतार गुप्ता
2.	श्री विश्वमोहन माथुर
3.	श्री हरिशंकर शर्मा
4.	श्री मदनलाल शर्मा

जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) एवं समकक्ष पद पर चयनित अधिकारी,

वर्ष, 1981–82 1

क. सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण
1.	श्री रेवतीरमण चतुर्वेदी	
2.	श्री मोती सिंह राठौड़	
3.	श्री सज्जनराम माथुर	
4.	श्री इन्द्रनारायण भटनागर	
5.	श्री रामचरण हेडा	
6.	श्री निरंजनलाल	
7.	श्री एस. एल. जैन	
8.	श्री राणाप्रताप सिंह	
9.	श्री कृष्णचंद्र शर्मा	
10.	श्री केदारनाथ महेश्वरी	
11.	श्री कन्हैयालाल	
12.	श्री बाबूलाल गुप्ता	योग्यता के आधार पर
13.	श्री सुक्खनसिंह त्यागी	,, ,, ,,
14.	श्री रविशंकर शर्मा	,, ,, ,,
15.	श्री सौभागमल जैन	,, ,, ,,
16.	श्री हरदयाल शर्मा	,, ,, ,,
17.	श्री सुगनोमल कजनानी	,, ,, ,,

(496)

क्रम सं.	नाम अधिकारी			
18.	श्री अक्षय सिंह चौधरी	योग्यता	के	आधार पर
19.	श्री कपूरचन्द जैन	,,	,,	,,
20.	श्री रंगलाल मेहता	,,	,,	,,

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) एवं समकक्ष पद पर चयनित अधिकारी,

वर्ष 1981–82 1

क्रम सं.	नाम अधिकारी
1.	श्रीमती सुशीला खोसला
2.	सुश्री धी प्रदा
3.	सुश्री मीरादास गुप्ता

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) एवं समकक्ष पद पर चयनित अधिकारी,

वर्ष 1982–83 1

1. श्रीमती एस. के. वासवानी
2. श्रीमती उर्मिला शर्मा
3. श्रीमती मुन्ना देवी

(497)

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक एफ 22 (20) शिक्षा/ग्रुप–2/83 दिनांक 16 मार्च, 1983

सचिव,
विधान सभा,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—विधान सभा प्रश्न संख्या 727/शि. मं. द्वारा श्री देवदत्त तिवाड़ी।

संदर्भ:—इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15–3–1983

महोदय,

उपरोक्त विषयक अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 727/शि.मं. के साथ संलग्न सूचना के अन्तर्गत, अन्तिम पृष्ठ जिसये 21 अधिकारियों (पुरुष) की सूची है, में भूल से हैडिंग "जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) एवं समकक्ष पद पर चयनित अधिकारी वर्ष 1981–82" अंकित हो गया है। उक्त स्थान पर वर्ष 1982–83 पढ़ा जावे।

भवदीय,
(ललित कोठारी)
शासन उप सचिव

(498)

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 395 की सूची

टेक—प्रथम

क्र.सं.	ट्रिप का नाम व दिनांक	आय
1–	फेम टूर : 16–1–1982	–
2–	26–1–1982	4,885.00 प्रमोशनल
3–	15–2–82	14,297.50 ट्रिप्स
4–	28–2–82	9,216.00
5–	9–3–1982	17,769.75
6–	20–3–1982	59,529.72
7–	25–9–1982 ट्रायल रन	–
8–	1–10–1982	28,464.62
9–	15–10–1982	27.051.48
10–	29–10–1982	32,434.86
11–	12–11–1982	15,880.97
12–	26–11–1982	7,905.90

टेक—द्वितीय

क्र.सं.	ट्रिप का नाम व दिनांक	आय
1–	6–10–1982	33,324.13
2–	20–10–1982	57,498.17
3–	3–11–1982	68,745.86
4–	17–11–1982	70,576.98
5–	1–12–1982	86,602.69
6–	15–12–1982	37,863.10
7–	29–12–1982	2,20,912.01
8–	12–1–1982	2,07,099.41
9–	26–1–1983	2,34,119.51
10–	9–2–1983	2,30,057.51
11–	23–2–1983	2,06,425.02
	टेक—द्वितीय से कुल आय	14,53,224.39

1	2	3		
13–	10–12–1982	25,692.18	कुल योग टेक प्रथम, टेक द्वितीय व	
14–	24–12–1982	22,059.25	प्रमोशनल ट्रिप्स का	18,65,474.59
15–	7–1–1983	25,167.30	अन्य आय	28,000.00
16–	21–1–1983	11,170.81		
17–	4–2–1983	23,552.28	कुल आय—	18,93,474.50
18–	18–2–1983	59,944.51		
19–	4–3–1983	27,327.98		
	कुल योग	4,12,250.11		

नोट :—उपरोक्त आंकड़े 28 ट्रिप्स के हैं। इनके अतिरिक्त एक ट्रायल रन था एवं एक फेम टूर था, जिससे कोई आय नहीं हुई एवं ट्रिप हाल ही में सम्पन्न हुई है, जिससे आय की सूचना संकलित होना शेष है।

फेम टूर में "देशी विदेशी ट्रेवल एजेन्सीज", "मोडिया" व अन्य ऐसे ही संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शाही रेलगाडी के "प्रमोशन" हेतु यात्रा में ले जाया गया था।